रजिस्ट्री सं० डी० 222 REGISTERED No. D. 222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 6] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 9, 1974/माघ 20, 1895
No. 6] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 9, 1974/MAGHA 20, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 1974

का. आ. 354.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 को हुए हरयाणा विधान सभा के लिये निर्वाचन के लिए 23-सेरहषा सभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री गजे सिंह, ग्राम तथा पो. पाई, तहसील कैथल जिला करनाल (हरयाणा) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचनाएं दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री गजे सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं. हर.-वि. सं./23/72 (9)]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 9th January, 1974

S.O. 354.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Gaje Singh, Village and P.O. Pai, Tehsil Kaithal District Karnal (Haryana) a contesting candidate for General Elections to the Haryana Legislative Assembly held in March, 1972 from 23-Shorhada constituency has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

2. And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Gaje Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. HN-LA/23/72(9)]

आदेश

का. आ. 355.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 को हुये हरयाणा विधान सभा के लिये निर्वाचन के लिए 23-सेरहषा सभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीद-

वार श्री शोंचन्द राय सपुत्र श्री चन्दू, ग्राम पिलनी, पो. काकौत, तहसील कैथल, जिला करनाल (हरयाणा) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री शोंचन्द राय को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है ।

[स. हर.-वि. सं./23/72 (10)]

बी. एन. भारद्वाज, सचिव

ORDER

S.O. 355.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Sheo Chand Rai S/o. Shri Chand, Village Pilni Post Office Kakaut, Tehsil Kaithal District Karnal, (Haryana) a contesting candidate for General Elections to the Haryana Legislative Assembly held in March, 1972 from 23-Sherhada constituency has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act 1951 and the Rules made thereunder;

2. And whereas the said candidate even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Sheo Chand Rai, to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. HN-LA/23/72(10)]

B. N. BHARDWAJ, Secy.

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 1974

का० आ० 356.—लेखा-प्रमाणक (नोटेरीज) अधिनियम 1952 (1952 का 53वां) के खण्ड 6 के परन्तुक के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा वर्ष 1974 के प्रारंभ में व्यवसाय में नियुक्त किये गये लेखा-प्रमाणकों (नोटेरीज) की सूची प्रकाशित करती है :—

क्रम संख्या	लेखा प्रमाणक का नाम	निवास स्थान एवं व्यावसायिक पता	अर्हताएं	किस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत है	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	श्री चक्रवर्ती डोरास्वामी	कैथोलिक सेण्टर (दूसरी मंजिल), 6, आरमेनियन स्ट्रीट, मद्रास-1।	अधिवक्ता मद्रास उच्च न्यायालय	सम्पूर्ण भारत	—
2.	श्री रुस्तम अर्देशीर गगराल	द्वारा मैसर्स गगराल एण्ड कम्पनी वादेक्षक एवं लेखा प्रमाणक, अर्षी चैम्बर्स मीडोज स्ट्रीट, बम्बई-1।	अधिवक्ता बम्बई उच्च न्यायालय	,,	—
3.	श्री आटा कृष्ण बनर्जी	कुंज निवास 23-ए, सरदार शंकर रोड, पी० एस० टालीगंज कलकत्ता	अधिवक्ता कलकत्ता उच्च न्यायालय	,,	—
4.	श्री भगवती प्रसाद खैतान	1-बी ओल्ड पोस्ट आफिस स्ट्रीट, कलकत्ता	न्यायावादी कलकत्ता उच्च न्यायालय	,,	—
5.	श्री तुलसी कुमार बनर्जी	टेम्पल चैम्बर्स, 6 ओल्ट पोस्ट आफिस स्ट्रीट, कलकत्ता	,,	,,	—
6	श्री रविन्द्र कृष्ण देव	टैम्पल चैम्बर्स, 6 ओल्ड पोस्ट आफिस स्ट्रीट, कलकत्ता	न्यायावादी कलकत्ता उच्च न्यायालय	सम्पूर्ण भारत	—
7.	श्री अनेन्द्र नाथ टैगोर	29, पंडितिया रोड, कलकत्ता और 6 हेस्टिंगज स्ट्रीट, कलकत्ता	अधिवक्ता कलकत्ता उच्च न्यायालय	पश्चिमी बंगाल	—
8.	श्री हिमांशु प्रकाश गंगुली	4, ईसर दत्त लेन, हावड़ा (पश्चिमी बंगाल)	,,	सम्पूर्ण भारत	—
9.	श्री फ्रामजी कुरसेतजी हीरजी भाई रुस्तमजी।	रायल इन्सोरेन्स बिल्डिंग 5 और 7 नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता	वादेशक (सालिसिटर कलकत्ता उच्च न्यायालय	,,	—
10.	श्री सुधी कुमार डे मल्लिक	द्वारा मार्टिन बर्न लि० 12, मिशन रो एक्सटैन्शन कलकत्ता-1	न्यायावादी कलकत्ता उच्च न्यायालय	,,	—

1	2	3	4	5	6
11.	श्री राशमोहन चटर्जी	द्वारा मैसर्स और डिगनाम एण्ड कंपनी सालिसिटर्स 29, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता	वादेशक कलकत्ता उच्च न्यायालय	पं० बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब	—
12.	श्री प्रभुदयाल हिमतसिंगका	6, ओल्ड पोस्ट आफिस स्ट्रीट, कलकत्ता-1	न्यायवादी कलकत्ता उच्च न्यायालय	सम्पूर्ण भारत	—
13.	श्री अमर कुमार राय	6, ओल्ड पोस्ट आफिस स्ट्रीट, कलकत्ता	,,	,,	—
14.	श्री पुण्यव्रत बोस	10, किरण शंकर राय रोड, कलकत्ता-1	,,	,,	—
15.	श्री विक्टर इलियास मोसेज	6, ओल्ड पोस्ट आफिस स्ट्रीट, कलकत्ता-1	,,	,,	—
16.	श्री मुल्खराज बधावन	अधिवक्ता, जलधर सिटी, पंजाब	अधिवक्ता पंजाब उच्च न्यायालय	पंजाब एवं उत्तर प्रदेश	—
17.	श्री मनोहर लाल कपूर	3/9, पटेल नगर (पूर्वी), नई दिल्ली	अधिवक्ता	संघ राज्य क्षेत्र, दिल्ली	—
18.	श्री हरप्रसाद मेहरा	स० 3060, अर्खेवालान, दिल्ली	अधिवक्ता पंजाब उच्च न्यायालय	संघ राज्य क्षेत्र, दिल्ली	—
19.	श्री गंगा विशन कपूर	318, जी० टी० रोड, जलंधर सिटी, पंजाब	अधिवक्ता पंजाब उच्च न्यायालय	पंजाब एवं उत्तर प्रदेश	—
20.	श्री मेहर चन्द मेहरा	161, मालल टाउन अम्बाला सिटी, पंजाब	अधिवक्ता पंजाब उच्च न्यायालय	जिला अम्बाला	—
21.	श्री राम दिना मल	7/13, पटेल नगर पूर्वी, नई दिल्ली	अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र, राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश	—
22.	श्री मलिन कुमार चटर्जी	10, ओल्ड पोस्ट आफिस स्ट्रीट, कलकत्ता	वादेशक कलकत्ता उच्च न्यायालय एवं अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय।	सम्पूर्ण भारत	—
23.	श्री बृज बहादुर अग्निहोत्री	सीतापुर, उत्तर प्रदेश	वकील	जिला सीतापुर (उत्तर प्रदेश)	—
24.	श्री अमन लाल अरोड़ा	10, न्यू कोर्ट रोड, अमृतसर (पंजाब)	अधिवक्ता	जिला अमृतसर (पंजाब)	—
25.	श्री दामोदर वेवजी दामोदर	द्वारा मैसर्स काका एण्ड कम्पनी सालिसिटर्स, रेडीमनी मैनसिअन्स 43, वीर निर्माण रोड, बम्बई	वादेशक	महाराष्ट्र	—
26.	श्री देव प्रसाद घोष	12, गोवर्नमेंट प्लेस पूर्व, कलकत्ता-1	न्यायवादी	सम्पूर्ण भारत	—
27.	श्री नाथमल हिमतसिंगका	6, ओल्ड पोस्ट आफिस स्ट्रीट, कलकत्ता-1।	,,	,,	—
28.	श्री राम कृष्ण गर्ग	वकील सं० 6456, रावतपाड़ा, आगरा (उ० प्र०)	वकील, आगरा	जिला आगरा	—
29.	श्री सी० एच० पार्दीवाला	वादेशक, द्वारा मैसर्स क्रावफोर्ड बेले एंड कम्पनी स्टेट बैंक भवन, बैंक स्ट्रीट बम्बई।	वादेशक	सम्पूर्ण भारत	—
30.	श्री सचिन्द्र सी० सेन	न्यायवादी, टेम्पल चैम्बर्स पहली मंजिल, 6, ओल्ड पोस्ट आफिस स्ट्रीट, कलकत्ता	न्यायवादी	कलकत्ता	—
31.	श्री सुबोध कुमार मलिक	वादेशक, द्वारा मैसर्स संदर मल्स एण्ड भीरगन्स सालिसिटर्स रायल इन्सोरेन्स भवन, 5 और 7 नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता	वादेशक	सम्पूर्ण भारत	—
32.	श्री डी० ए० मेहता	अधिवक्ता 43-बी, हनुमान रोड, नई दिल्ली	बैरिस्टर,	संघ राज्य क्षेत्र, दिल्ली	—
33.	श्री दुर्गा प्रसाद तुलस्यान	अधिवक्ता, झुनझुनू, राजस्थान	अधिवक्ता	जिला झुनझुनू, राजस्थान	—
34.	श्री जसवन्त नारायण	अधिवक्ता, उदर मन्दिर, जोधपुर (राजस्थान)	अधिवक्ता	जोधपुर (राजस्थान)	—

1	2	3	4	5	6
35.	श्री मनहरलाल गिरधरलाल दीक्षित	वादेशक, द्वारा भाई शंकर कांगा एण्ड गिरधारी लाल वादेशक, गुजरात समाचार भवन खानपुर, अहमदाबाद	न्यायवादी उच्चन्यायालय बम्बई	गुजरात एवं महाराष्ट्र	—
36.	श्री हैदर मिर्जा	अधिवक्ता फाटक शेख सलीम वाराणसी (उ० प्र०)	अधिवक्ता	वाराणसी प्रभाग (उत्तर प्रदेश)	—
37.	श्री नूर मोहम्मद	अधिवक्ता, उदयपुर राजस्थान	अधिवक्ता	जिला उदयपुर	—
38.	श्री सुधीर कुमार सील	द्वारा मैसर्स सुन्दर सन्स एण्ड मोरगन्स सालिसिटर्स रायल इन्सोरेंस भवन, 5 और 7 नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता-1	वादेशक	सम्पूर्ण भारत	—
39.	श्री जितेन्द्र नाथ सान्याल	,,	,,	,,	—
40.	श्री इन्दर सैन इसरानी	अधिवक्ता, जे-54, कृष्ण मार्ग, जयपुर (राजस्थान)	अधिवक्ता	जयपुर शहर एवं जिला	—
41.	श्री पी० सी० कुरियान	333, थाम्बू चैट्टी स्ट्रीट मद्रास-1	,,	मद्रास एवं केरल	—
42.	श्री गुरदयाल सिंह सिन्धू	सं० 1, डोकोहा जलंधर (पंजाब)	,,	जिला जलंधर	—
43.	श्री सी० एस० वैकटसुब्रमणियन्	140, क्रोस कट रोड, कोयमबतौर	,,	जिला कोयमबतौर	—
44.	श्री पुष्कर लाल जुनैजा	एफ-2, भगत सिंह मार्केट लेडी हार्डिंग रोड, नई दिल्ली एवं एफ-1, शंकर मार्किट कनाट सर्कस, नई दिल्ली	अधिवक्ता	सम्पूर्ण भारत	—
45.	श्री चुन्नीलाल भाटिया	1-डी, 97 लाजपतनगर नई दिल्ली	अधिवक्ता	संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली	—
46.	श्री रामजी दास मित्तल	गुरद्वारा स्ट्रीट भटिंडा (पंजाब)	अधिवक्ता	जिला भटिंडा	—
47.	श्री जी० वी० भट्ट	भट्ट व सलदनहा मेकर भवन, 63, न्यू मैरिन लाइन्स बम्बई-20	न्यायवादी एवं अधिवक्ता	सम्पूर्ण भारत	—
48.	श्री देवराज सिंह त्यागी	अधिवक्ता, कलक्टोरेट कोर्ट बुलन्दशहर (उत्तर प्रदेश)	अधिवक्ता	जिला बुलन्दशहर (उत्तर प्रदेश)	—
49.	श्री बाल कृष्ण	अधिवक्ता, हनुमानगढ़, जिला गंगानगर (राजस्थान)	अधिवक्ता	जिला गंगानगर मुख्य कार्यालय हनुमानगढ़ (राजस्थान) में	—
50.	श्री एम० आर० मेहता	अधिवक्ता बलोत्रा (राजस्थान)	अधिवक्ता	जिला बाड़मेर व जलोर मुख्य कार्यालय बलोत्रा (राजस्थान)	—
51.	श्री डी० डी० ककर	अधिवक्ता, 36/9, पूर्वी पटेल नगर, नई दिल्ली।	अधिवक्ता	संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली	—
52.	श्री जी० सी० वर्मा	अधिवक्ता तथा ओथ कमिश्नर ई/12, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली	अधिवक्ता व ओथ कमिश्नर	संघ राज्य क्षेत्र, दिल्ली	—
53.	श्री पी० एल० गांधी	अधिवक्ता गांधी बाग के सामने, सूरत	अधिवक्ता	सूरत जिला	—
54.	श्री ए० आर० मलकानी	अधिवक्ता, बी० बी० जैड एन-6, गांधी धाम (कच्छ)	अधिवक्ता	जिला कच्छ का अंजार तालुक	—
55.	श्री एन० सी० शाह	मारफत कैतान एण्ड कं० वादेशक, 1 बी, ओल्ड पोस्ट आफिस स्ट्रीट, कलकत्ता	अधिवक्ता कलकत्ता	कलकत्ता और नई दिल्ली	—
56.	श्री टी० दलीप सिंह	मारफत मैसर्ज किंग एण्ड परट्राइज, 2 फ्लोर, कैथेलिक सेंटर, आरमेनियन स्ट्रीट, पोस्ट बाक्स नं० 121, मद्रास-1	अधिवक्ता मद्रास	सम्पूर्ण भारत	—

1	2	3	4	5	6
57.	श्री जे० आर० गगरात	मारफत मैसर्ज गगरात एण्ड कं०, एल्ली चैम्बर्स, नागिनदास मास्टर रोड, फोर्ट, बम्बई-1	अधिवक्ता, बम्बई	सम्पूर्ण भारत	—
58.	श्री सावन सिंह	65/5, न्यू रोहतक रोड, करौल बाग, नई दिल्ली।	एडवोकेट दिल्ली	संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली	—
59.	श्री आर० सेतलूर	द्वारा क्राफोर्ड बेले एण्ड कं० स्टेट बैंक बिल्डिंग, बैंक स्ट्रीट, बम्बई	अटार्नी एण्ड एडवोकेट, बम्बई	सम्पूर्ण भारत	—
60.	श्री ब्रजमोहन मेहता	13-ए/2, राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली	एडवोकेट, नई दिल्ली	संघ राज्य क्षेत्र, दिल्ली	—
61.	श्री नैनी गोपाल बसु	पी० 21, बी ओल्ड वैलीगंज रोड, कलकत्ता-19	एडवोकेट, कलकत्ता	जिला, 24 परगना, अलीपुर, कलकत्ता	—
62.	श्री सुरजीत सिंह सूद	23, नेताजी पार्क, जलंधर सिटी (पंजाब)	एडवोकेट जलंधर	जलंधर	—
63	श्री जगजीत सिंह बेन्स	376-एल मॉडल टाउन, जलंधर सिटी, पंजाब	एडवोकेट जलंधर	जलंधर	—
64.	श्री के० जे० खम्भाता	राजब महल, 144, क्वीन्स रोड, बम्बई-20।	एडवोकेट बम्बई	सम्पूर्ण भारत	—
65.	श्री अम्बेलाल बाबाभाई पटेल	विद्या स्ट्रीट, डा० खा० नवसारी, जिला बुलसार (गुजरात)	एडवोकेट	बुलसार जिला (गुजरात)	—
66.	श्री पूनम चन्द सोम चन्द शाह	मार्फत मैसेर्स पूर्णानन्द एण्ड कम्पनी, बावेक्षक, गुजरात सरकार, 'श्रद्धेय' हरिदास कालोनी, सबजीवन प्रेस रोड, अहमदाबाद-14।	एडवोकेट	संपूर्ण गुजरात में	—

[संख्या 24/2/74-न्याय]

के० त्यागराजन, उप-सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Justice)

New Delhi, the 30th January, 1974

S. O. 356.-In pursuance of the provisions of Section 6 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Central Government hereby publishes a list of Notaries appointed by them and in practice at the beginning of the year 1974:—

Sl. No.	Name of Notary	Residential & professional address	Qualifications	Area in which he is authorised to practise	Remarks
1	2	3	4	5	6
1.	Shri Chakravarthi Doraswamy	Catholic Centre (2nd Floor) 6, Armenian St., Madras-1.	Advocate Madras High Court.	Whole of India	—
2.	Shri Rustam Ardeshir Gagrat	C/o M/s. Gagrat & Co. Solicitors & Notary Public, Alli Chambers, Medows Street, Bombay-1.	Advocate Bombay High Court.	Whole of India	—
3.	Shri Bata Krishna Banerji	Koonja Nibas, 23-A, Sardar Shankar Road, P. S. Tollygunge, Calcutta.	Advocate Calcutta High Court.	Whole of India	—
4.	Shri Bhagwati Prasad Khaitan	1-B, Old Post Office Street, Calcutta.	Attorney-at-Law Calcutta High Court.	Whole of India.	—
5.	Shri Tulsi Kumar Banerji	Temple Chambers, 6, Old Post Office Street, Calcutta.	Attorney-at-Law, Calcutta High Court.	Whole of India.	—
6.	Shri Rabindra Krishna Deb	Temple Chambers, 6, Old Post Office Street, Calcutta.	Attorney-at-Law, Calcutta High Court.	Whole of India.	
7.	Shri Arunendra Nath Tagore.	29, Panditia Road, Calcutta and 6 Hastings St., Calcutta.	Advocate Calcutta High Court.	West Bengal	—
8.	Shri Himansu Prakash Ganguli	4, Issur Dutt Lane, Howrah, (West Bengal).	Advocate, Calcutta High Court.	Whole of India.	—

1	2	3	4	5	6
9.	Shri Framjee Cursetjee Heerjeebhoy Rustomjee	Royal Insurance Bldg., 5 & 7 Netaji Subhas Road, Calcutta.	Solicitor, Calcutta High Court.	Whole of India.	—
10.	Shri Sudhir Kumar Dey Mullick	C/o Martin Burn Ltd., 12, Mission Row Extension Calcutta-1.	Attorney-at-Law, Calcutta High Court.	Whole of India.	—
11.	Shri Rash Mohan Chatterji .	C/o. M/s. Orr., Dignam & Co., Solicitors, 28, Netaji Subhas Road, Calcutta.	Solicitor, Calcutta High Court.	West Bengal, Assam, Bihar, U.P. and Punjab.	—
12.	Shri Prabhudayal Himatsingka.	6, Old Post Office Street, Calcutta.	Attorney-at-Law, Calcutta High Court.	Whole of India	—
13.	Shri Amar Kumar Ray .	6, Old Post Office Street, Calcutta.	Attorney-at-Law, Calcutta High Court.	Whole of India.	—
14.	Shri Punyabrata Bose .	10, Kiran Shankar Roy Road, Calcutta-1.	Attorney-at-Law, Calcutta High Court.	Whole of India.	—
15.	Shri Victor Elias Moses .	6, Old Post Office Street, Calcutta.	Attorney-at-Law, Calcutta High Court.	Whole of India.	—
16.	Shri Mulkh Raj Wadhawan .	Advocate, Jullundur City Punjab.	Advocate Punjab High Court.	Punjab & U.P.	—
17.	Shri Manoharlal Kapur .	3/9, Patel Nagar (East) New Delhi.	Advocate.	Union Territory of Delhi.	—
18.	Shri Harpershad Mehra .	No. 3060, Charkhewalan, Delhi.	Advocate Punjab High Court.	Union Territory of Delhi.	—
19.	Shri Ganga Bishan Kapur .	318, G. T. Road, Jullundur City, Punjab.	Advocate Punjab High Court.	Punjab and U.P.	—
20.	Shri Mehr Chand Mehra .	161, Model Town Ambala City (Haryana).	Advocate, Punjab High Court.	Ambala District.	—
21.	Shri Ram Ditta Mall . .	7/13, Patel Nagar (East) New Delhi.	Advocate Supreme Court.	Union Territory of Delhi, Rajasthan Punjab and Uttar Pradesh.	—
22.	Shri Salil Kumar Chatterjee .	10, Old Post Office Street, Calcutta.	Solicitor Calcutta High Court and Advocate Supreme Court.	Whole of India.	—
23.	Shri Brij Bahadur Agnihotri	Sitapur, U.P.	Vakil	Sitapur Disst. (U.P.)	—
24.	Shri Chaman Lal Arora .	10, New Court Road, Amritsar (Punjab.)	Advocate	Amritsar District (Punjab).	—
25.	Shri Damodar Devji Damodar	C/o M/s. Kanga & Co., Solicitors, Ready-money Mansions, 43, Veer Nariman Road, Bombay.	Solicitor	Maharashtra.	—
26.	Shri Deba Prosad Ghosh .	12, Govt. Place East, Calcutta-1.	Attorney.	Whole of India.	—
27.	Shri Nathmal Himatsingka .	6, Old Post Office Street, Calcutta.	Attorney.	Whole of India.	—
28.	Shri Ram Kishan Garg. .	Vakil, No. 6456, Rawatpara, Agra (U.P.).	Vakil Agra.	Agra Distt.	—
29.	Shri C. H. Pardiwala . .	Solicitor, C/o M/s. Crawfort Baylay & Co., State Bank Bldgs. Bank Street, Bombay.	Solicitor.	Whole of India.	—
30.	Shri Schindra C. Sen. . .	Attorney-at-Law Temple Chambers, 1st Floor, 6, Old Post Office St., Calcutta.	Attorney.	Calcutta.	—
31.	Shri Subodh Kumar Mullick.	Solicitor, C/o M/s. Sandersons & Morgans, Solicitors, Royal Insurance Bigs. 5 & 7, Netaji Subhas Road, Calcutta.	Solictor.	Whole of India.	—
32.	Shri D.A. Mehta . . .	Advocate, 43-B, Hanuman Road, New Delhi.	Bar-at-Law	Union Territory of Delhi.	—
33.	Shri Durga Prasad Tulsyan .	Advocate, Jhunjhunu, Rajasthan.	Advocate.	Jhunjhunu District (Rajasthan).	—

1	2	3	4	5	6
34.	Shri Jaswant Narain	Advocate, Udai Mandir Jodhpur (Rajasthan).	Advocate.	Jodhpur (Rajasthan).	—
35.	Shri Manharlal Girdharilal Doshit	Solicitor, C/o Bhai Shanker Kanga & Girdharilal, Solicitors, Gujarat Samachar Bhavan, Kanpur, Ahmedabad.	Attorney High Court, Bomaby.	Gujarat and Maharashtra.	
36.	Shri Haider Mirza	Advocate, Phatak Sheikh Saleem, Varanasi (U.P.).	Advocate.	Baranasi Division. (U.P.).	—
37.	Shri Noor Mohammed	Advocate, Udaipur (Rajasthan).	Advocate.	Udaipur Distt.	—
38.	Shri Sudhir Kumar Seal	C/o M/s. Sandersons & Morgans, Solicitors Royal Insurance Bldgs., 5 & 7, Netaji Subhas Road, Calcutta-1.	Solicitor.	Whole of India.	—
39.	Shri Jitendra Nath Sanyal	C/o M/s. Sandersons & Morgans, Solicitors Royal Insurance Bldgs., 5 & 7, Netaji Subhas Road, Calcutta-1.	Solictor.	Whole of India.	—
40.	Shri Indersen Israni	Advocate, J-54 Krishna Marg, Jaipur (Rajashtan).	Advocate.	Jaipur City & Distt.	—
41.	Shri P.C. Kurian	333, Thambu Chetty Street, Madras-1.	Advocate.	Madras & Kerala.	—
42.	Shri Gurdyal Singh Sindhoo	No. 1, Dokoha, Jullundur (Punjab).	Advocate.	Jullundur District.	—
43.	Shri C. S. Venkata-Subramanian	140, Cross Cut Road, Coimbatore.	Advocate.	Coimbatore Distt.	—
44.	Shri Pushkar Lal Juneja.	F, 2 Bhagat Singh Market, Lady Hardings Road, New Delhi and F-1, Shankar Market. Cannaught Circus, New Delhi	Advocate.	Whole of India.	—
45.	Shri Chuni Lal Bhatia	1-D, 97, Lajpat Nagar, New Delhi.	Advocate.	Union Territory of Delhi	—
46.	Shri Ramji Dass Singal.	Gurdwara Street, Bhatinda (Punjab)	Advocate.	Bhatinda Distt.	—
47.	Shri G.V. Bhatt.	Bhatt & Salnha Maker Bhavan 63, New Marine Lines, Bombay-20.	Attorney & Advocate.	Whole of India.	—
48.	Shri Deoraj Singh Tyagi.	Advocate, Collectorate's Courts Bulandshahr. (U. P.)	Advocate.	District Bulandshahr (U. P.)	—
49.	Shri Bal Krishan	Advocate, Hanumangarh Town Distt., Ganganagar (Rajasthan).	Advocate.	District Ganganagar with Headquarters at Hanumangarh (Rajasthan.)	—
50.	Shri S. R. Mehta	Advocate Balotra (Rajasthan)	Advocate.	District of Barmar and Jalore with Headquarters at Balotra (Rajasthan.)	—
51.	Shri D.D. Kakkar	Advocate 36/9, East Patel Nagar New Delhi-8.	Advocate.	Union Territory of Delhi	—

1	2	3	4	5	6
52.	Shri G.C. Verma	Advocate, Oath Commissioner, E-12, Green Park, New Delhi.	Advocate Cum-Oath Commissioner.	Union Territory of Delhi.	—
53.	Shri P. L. Gandhi	Advocate Opposite Gandhi Baug, Surat.	Advocate	Surat District.	—
54.	Shri A.R. Malkani	Advocate BBZ-N-6, Gandhidham (Kutch.)	Advocate	Anjar Taluka of Kutch Distt.	—
55.	Shri N.C. Shah	C/o Khaitan & Co. Solicitor, 18, Old Post Office Street, Calcutta-1.	Advocate Calcutta.	Calcutta and New Delhi.	—
56.	Shri T. Dulipshingh	C/o Mesers King & Partridge, 2nd Floor, Catholic Center, Armenian Street, Post Box No. 121, Madras-1.	Advocate Madras.	Whole of India.	—
57.	Shri J.R. Gagrat	C/o. M/s. Gagrat & Company, Alli Chambers, Nagindas Master Road Fort, Bombay-1.	Advocate Bombay.	Whole of India.	—
58.	Shri Sawan Singh	65/5, New Rohtak Road, Karol Bagh, New Delhi.	Advocate Delhi.	Union Territory of Delhi.	—
59.	Shri R. Setlur	C/o Crawford Baylay & Co., State Bank Bldgs., Bank Street Bonbay-1.	Attorney and Advocate Bombay.	Whole of India.	—
60.	Shri Brij Mohan Metha	13A/2, Rajinder Nagar, New Delhi.	Advocate New Delhi.	Union Terrotiry of Delhi.	—
61	Shri Nani Gopal Datta	P-21B, Old Ballygunj Road, Calcutta-19.	Advocate Calcutta.	Distt. 24 Parganas, Allpore, Calcutta.	—
62.	Shri Surjit Singh Sood	23, Netaji Park Jullundur City (Punjab).	Advocate Jullundur.	Jullundur	—
63.	Shri Jagjit Singh Bains	376-L,Model Town, Jullundur City (Punjab)	Advocate Jullundur.	Jullundur	—
64.	Shri K. J. Khambata	Rajab Mahal, 144, Queen's Road, Bombay-20.	Advocate Bombay.	Whole of India.	—
65.	Shri Ambelal Bavabhai Patel	Valdya Street, P. O. Navsari, Distt. Bulsar (Gujarat).	Advocate	Bulsar District (Gujarat).	—
66.	Shri Punamchand Somchand Shah	C/o Messrs Purnanand & Co., Solicitors to Govt. of Gujarat, 'Shradho Haridas Colony, Navjiwan Press, Road, Ahmedabad-14.	Advocate	In and throughout Gujarat.	—

[No. 24/2/74-145 Jus]

K. THYAGARAJAN, Deputy Secretary

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 1974

का. आ. 357.—जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के गुम हो जाने की जांच करने के लिए भारत सरकार, गृह मंत्रालय की 11 जुलाई 1970 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2375 द्वारा नियुक्त जांच आयोग की अवधि, जिसका कार्यकाल दिनांक 22 नवम्बर 1973 की अधिसूचना संख्या का. आ. 3310 द्वारा पिछली बार 31 दिसम्बर, 1973 तक बढ़ाया गया था, 31 मार्च, 1974 तक एतद्द्वारा और बढ़ाती है। बढ़ाई गई इस अवधि में आयोग केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा।

[सं. 25/14/70 पॉल 2]

एम. मोहन कुमार, उप-सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 30th January, 1974

S.O. 357.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Central Government hereby further extends upto the 31st March, 1974, the period within which the Commission of Inquiry to inquire into the disappearance of Netaji Subhash Chandra Bose, appointed by the Government of India in the Ministry of Home Affairs by Notification No. S. O. 2375, dated 11th July, 1970 and whose tenure was last extended upto 31st December, 1973, by Notification No. S. O. 3310, dated the 22nd November, 73, shall make its report to the Central Government.

[No. F. 25/14/70-Poll. II]

M. MOHAN KUMAR, Depy. Secy.

वित्त मंत्रालय,

बैंकिंग विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 26 नवम्बर, 1973

30 जून, 1973 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रिजर्व बैंक आफ इंडिया के काम-काज और भारतीय बैंक व्यवसाय की प्रवृत्ति और प्रगति की वार्षिक रिपोर्ट

का० आ० 358.—भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट, 1934 की धारा 53(2) के अनुसार केन्द्रीय निदेशक बोर्ड ने भारत सरकार को 30 जून, 1973 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रिजर्व बैंक आफ इंडिया के काम-काज और भारतीय बैंक व्यवसाय की प्रवृत्ति और प्रगति की वार्षिक रिपोर्ट भेजी है जो नीचे प्रकाशित की जाती है ।

I. अर्थव्यवस्था की प्रवृत्तियां

1. सामान्य मूल्य स्तर पर निरंतर जो भारी दबाव पड़ता जा रहा था वह 1972-73 (जुलाई-जून) के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था का अत्यंत चिंताजनक पहलू था । यद्यपि लगातार दूसरे वर्ष भी कृषि उत्पादन में गिरावट आ जाने के परिणामस्वरूप कई निर्वाह वस्तुओं, विशेषकर कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली वस्तुओं में हुई भारी कमी मूल्य स्तर की अपार वृद्धि का कारण अवश्य थी फिर भी अर्थव्यवस्था में पायी गयी अतिशय मांग की स्थिति उसका महत्वपूर्ण कारण थी। पूर्ति के क्षेत्र में मूल्यों, विशेषकर अनाजों के मूल्यों में होने वाली वृद्धि को बनाये रखने वाले और उसमें तीव्रता लाने वाले दूसरे कारण इस प्रकार थे : सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मांग की तुलना में बाजारों में अपेक्षाकृत कम अनाज आय और ऐसे समय पर जब सरकार के पास रहने वाले अनाजों के स्टाक अधिक मात्रा में बाहर निकाले जा रहे थे, खरीफ और रबी फसलों की उगाही की मात्रा अपर्याप्त थी । आयात के क्षेत्र में भारत के प्रदेश के पहले ही दामों से भिन्न अनाजों की जो विश्वव्यापी कमी पायी गयी उससे पूर्ति के संबंध में विद्यमान खाई को आयातों द्वारा पाटना कठिन हो गया । पूर्ति की कमी से उत्पन्न समस्याओं के साथ इस वर्ष के दौरान मुद्रा उपलब्धि में हुई अपार वृद्धि की समस्या भी जुड़ गयी । 1971-72 के दौरान भारी मात्रा में जो मुद्रागत विस्तार हुआ था उससे भी अधिक मुद्रा उपलब्धि में इस वर्ष वृद्धि हुई थी । इस वर्ष के प्रारंभिक भाग में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर में जो सुधार पाया गया उससे भी कुल मांग और कुल पूर्ति के बीच विद्यमान गंभीर असंतुलन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ सका ।

2. उक्त मूल्य-वृद्धि अंशतः 1971-72 में देखी व्यय, विशेषकर सरकारी व्यय में हुई अधिक वृद्धि के विलंबित प्रभाव का परिणाम थी। किन्तु देखी मांग के स्तर को बढ़ाने वाला प्रमुख तत्व आलोच्य वर्ष का सरकारी व्यय रहा है । सभी उद्देश्यों के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा किये गये कुल व्यय की राशि 11,942 करोड़ रुपये थी जो 1971-72 की अपेक्षा 13.6 प्रतिशत अधिक थी । व्यय में हुई वृद्धि का एक अंश अर्थात् सूखे की राहत और आपाती कृषि कार्यक्रमों आदि के लिए किया गया वितरण अप्रतीक्षित अवश्य था । किन्तु जैसा कि बाद में विश्लेषण किया जाएगा, इस वृद्धि के साथ-साथ राजस्व और पूंजीगत लेखों में होने वाले व्यय के लिए नियमित रूप से बजट में की जाने वाली व्यवस्था में भी अधिकांश वृद्धि हुई। यद्यपि वास्तविक प्राप्तियां बजट अनुमानों से अधिक थीं फिर भी प्राप्तियों और व्यय के बीच भारी खाई विद्यमान थी जिसको पाटने के लिए रिजर्व बैंक से उधार लेने पड़े । सरकारी क्षेत्र की व्यय वृद्धि के साथ अधिक मुद्रागत आय, उच्चतर मूल्य और अभावजनित प्रवृत्ति के परिणाम-स्वरूप गैर-सरकारी क्षेत्र के व्यय में भी वृद्धि हुई । इस परिप्रेक्ष्य में जुलाई, 1972 जून, 1973 के वर्ष के दौरान समग्र मूल्य सूचकांक में अधिपूर्ण वृद्धि हुई ।

3. यदि अर्थव्यवस्था के इस समग्र चित्र का अवलोकन उसके घटकों के संदर्भ में अलग-अलग किया जाए तो उक्त परिवर्तनों का स्वरूप प्रत्येक क्षेत्र में अलग-अलग परिलक्षित होगा । क्योंकि उपर्युक्त सामान्य स्थिति को प्रत्येक क्षेत्र में विद्यमान विशिष्ट तत्वों के आधार पर परिशोधित किया गया है । यहां कुछ स्थूल निर्देशकों के आधार पर प्रमुख तत्वों को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है और समस्त कार्य का मूल्यांकन आगे के अनुच्छेदों में किया गया है । जहां निजी उपभोग से संबंधित विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध नहीं है वहां बैंक जमाराशियों, जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि में अंशदान जैसी वित्तीय आस्तियों के रूप में विद्यमान घरेलू बचत के आंकड़ों से यह पता चलता है कि वर्तमान मूल्यों के अनुसार शुद्ध राष्ट्रीय आय में ऐसी बचत का अनुपात पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ गया है । स्टाक सहित भौतिक आस्तियों के रूप में विद्यमान घरेलू बचत के संबंध में बहुत कम सांख्यिकीय सूचना उपलब्ध है । किन्तु परिस्थितिजन्य प्रमाणों अर्थात् निर्माण सामग्री की उपलब्धि और मूल्य, कृषि और लघु उद्योगों के क्षेत्रों में पूंजी निर्माण के लिए दिए गये प्रोत्साहनों और चल निधियों की सहज प्राप्ति से यह अनुमान लगाना उचित होगा कि शुद्ध रूप से ऐसी बचतें कम नहीं हुई । गैर-सरकारी कम्पनी क्षेत्र अपनी बचत में 1971-72 के स्तर की तुलना में वृद्धि कर सका है, इसी प्रकार, उपलब्ध आंकड़ों से यह मालूम होता है कि केन्द्रीय सरकार के राजस्व लेखे में शुद्ध बचत में काफी वृद्धि हुई है । इसका प्रमुख कारण यह है कि एक ओर कर राजस्व में वृद्धि हुई और दूसरी ओर सरकार के उपभोग व्यय में प्रायः धीमी गति से ही वृद्धि हुई । इन निर्देशकों से यह विदित होगा कि वर्तमान मूल्यों के अनुसार राष्ट्रीय आय में घरेलू बचत का अनुपात 1972-73 में बहुत थोड़ा सा बढ़ा है । चूंकि यह अनुमान है कि विदेशी वित्तीय साधन 1971-72 की तुलना में कम ही उपलब्ध हुए, अतः 1972-73 में वर्तमान मूल्यों के अनुसार राष्ट्रीय आय में कुल शुद्ध निवेश का अनुपात लगभग पिछले वर्ष के स्तर पर ही बना रहा । दूसरे शब्दों में, कुल शुद्ध निवेश घरेलू बचत की तुलना में बहुत धीरे धीरे बढ़ा । फिर भी चूंकि निवेश वस्तुओं के मूल्य पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक थे, अतः विशुद्ध उपलब्धि राष्ट्रीय आय के प्रतिशत के रूप में परिलक्षित उपलब्धि से कम थी । इसका सारांश नीचे सारणी 1 में दिया गया है ।

सारणी 1 वर्तमान मूल्यों के अनुसार राष्ट्रीय आय के प्रतिशत के रूप में बचत और निवेश के अनंतिम अनुमान

	1970-71	1971-72	1972-73
1. शुद्ध घरेलू बचत	10.6	11.3	11.7
2. विदेशी वित्तीय साधनों की प्राप्ति	1.1	1.3	0.9
3. निवेश (1+2)	11.7	12.6	12.6

4. जहां पिछले वर्ष मुद्रा उपलब्धि में अधिकांशतः जमा रकम के कारण वृद्धि हुई वहां 1972-73 के दौरान मुद्रा उपलब्धि की वृद्धि के अधिकांश अनुपात (64.6 प्रतिशत) का कारण चल मुद्रा घटक था। इस मुद्रा विस्तार के साथ-साथ 1972 के अधिकांश भाग में वाणिज्य क्षेत्र की ऋण संबंधी मांग में भी मंदी पायी गयी और ऋण जमा अनुपात जहां जून, 1972 के अन्त में 72 प्रतिशत था वहां दिसम्बर, 1972 के अंत में घट कर 66 प्रतिशत हो गया। बैंक संघटन के पास रहने वाली अतिरिक्त निधियों का उपयोग सरकार ने पूंजी निर्माण, सूखे के संदर्भ में शुरू किये जाने वाले राहत कार्य आदि पर होने वाले अपने व्यय का वित्तपोषण करने के लिए किया। 1973 के आरंभ से बैंकों द्वारा वाणिज्य क्षेत्र को अधिक कामकाज के समय में अधिक मात्रा में ऋण दिये जाने के फलस्वरूप बैंक संघटन की अतिरिक्त चल निधि काफी मात्रा में कम हो गयी है। इसके परिणामस्वरूप ऋण-जमा अनुपात जून, 1973 के अन्त तक बढ़कर लगभग 70 प्रतिशत हो गया है। जुलाई, 1972—जून 1973 की अवधि में वाणिज्य बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋण में 819 करोड़ रुपये से अधिक जो वृद्धि हुई उसका प्रमुख कारण यह था कि अनाजों के स्टाकों के वित्त-पोषण को छोड़ कर दूसरे प्रकार के उद्देश्यों के लिए अधिकाधिक मात्रा में ऋण लिया गया। इससे संभव है कि वर्तमान कामकाज के समय में बैंकों में निधियों की वापसी की गति पहले की अपेक्षा धीमी हो। कुल मिलाकर कुल मुद्रागत साधनों की प्रवृत्तियों से यह स्पष्ट था कि जून, 1973 के अन्त में जनता की संभाव्य मांग बहुत अधिक थी जबकि अत्यावश्यक वस्तुओं और सेवाओं की अतिरिक्त पूर्ति की संभावना अत्यल्प अथवा अनिश्चित थी।

5. इस पृष्ठ भूमि में रिजर्व बैंक ने बैंक दर को बढ़ाकर और वाणिज्य बैंकों द्वारा ऋण देने के लिये उपलब्ध निधियों का उपयोग किए जाने के संदर्भ में अपेक्षित प्रारक्षित निधि में वृद्धि करते हुए* और कई प्रकार के अन्य प्रतिबन्ध लगाकर ऋण की उपलब्धता को नियंत्रित करना आवश्यक समझा। इसके साथ ही, सरकार ने भी योजना व्यय और योजनेतर व्यय में किफायत बरतने के लिए आवश्यक कदम उठाये। मांग और पूर्ति के बीच विद्यमान असंतुलन और मूल्य-वृद्धि पर इन सभी प्रयासों का प्रभाव पड़ने में अभी देर है।

6. अर्थव्यवस्था के भीतर पायी गयी इन गतिविधियों के साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा क्षेत्र के अनिश्चितताओं की स्थिति बनी रही। अमेरिकी डालर-पर पड़ा दबाव उसी प्रकार जारी रहा और इससे दूसरी बार फरवरी, 1973 में उसका अवमूल्यन हुआ। पौंड स्टर्लिंग के साथ विश्व की कई प्रमुख मुद्राएं अपनी मूल्य दर निर्धारित करने के लिए पहले की तरह इस वर्ष भी मुक्त रहीं और इस परिस्थिति में सशक्त अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली का निर्माण करने की दिशा में प्रगति बहुत धीमी रही है। पाउंड स्टर्लिंग और उससे संबंद्ध मुद्राओं के संदर्भ में रुपये ने अपनी विनिमय दर को बनाये रखा और अधिकांश यूरोपीय मुद्राओं और जापानी येन की तुलना में रुपये का मूल्य-ह्रास हुआ। वर्ष के अधिकांश भाग में अमेरिकी डालर और उससे संबद्ध मुद्राओं की तुलना में रुपये की मूल्य वृद्धि हुई। किन्तु अभी कुछ समय से इन मुद्राओं के संदर्भ में रुपये का मूल्य प्रति अमेरिकी डालर रु० 7.50 के आसपास घटता-बढ़ता रहा है।

7. निश्चित रूप से यह निर्धारित करना कठिन है कि कहां तक इन परिवर्तनों का प्रभाव भारत के भुगतान शेष पर पड़ा है। वाणिज्यिक सूचना और आंक संकलन महानिदेशालय के आंकड़ों से आयातों में सीमांत कमी का पता चला जबकि हमारे निर्यातों में उल्लेखनीय वृद्धि पायी गयी। निर्यातों में हुई यह वृद्धि प्रमुख रूप से सूती वस्त्रों, जूट से बनी चीजों, चमड़े और खाल, तमाखू आदि परम्परागत वस्तुओं में पायी गयी। इसका कारण यह था कि विश्व में उक्त वस्तुओं की मांग अधिक थी और प्रतियोगी स्रोत कम पूर्ति ही कर पाये। वर्ष के उत्तर भाग में इंजीनियरी वस्तुओं के निर्यातों में भी वृद्धि हुई। इन परिस्थितियों के कारण पिछले कई वर्षों में पहली बार इस वर्ष व्यापार अधिशेष पाया गया। ऋण शोधन का भार भी भारत सहायता संघ की सहायता से ऋण शोधन कार्यक्रम की पुनर्व्यवस्था कर हलका कर दिया गया। यह भी संभव है कि सोने के भारतीय और अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के बीच विद्यमान अंतर को कम कर देने से तस्कर व्यापार के कारण होने वाली विदेशी मुद्रा की हानि के थोड़े से अंश को कम कर दिया गया हो। कुल मिलाकर इस वर्ष के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा साधनों में 37 करोड़ रुपयों† की वृद्धि पायी गयी जबकि पिछले वर्ष उनमें 58 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी। किन्तु यह उल्लेखनीय है कि 1971-72 में 75 करोड़ रुपयों के मूल्य के विशेष आहरण अधिकार नियत किये जाने से प्रारक्षित निधियों में वृद्धि हुई जबकि 1972-73 में इस प्रकार का कोई नियतन नहीं हुआ। प्रारक्षित निधियों में रखी हुई कुछ विदेशी मुद्रा आस्तियों के रुपया-मूल्य में भी विनिमय दरों में किये गये समायोजनों से वृद्धि हुई है। यदि इन तथ्यों पर ध्यान दिया जाए तो 1972-73 के दौरान प्रारक्षित निधियों में दो करोड़ रुपयों तक की वृद्धि परिलक्षित होगी जबकि 1971-72 में 33 करोड़ रुपयों की कमी हुई थी।

8. किन्तु अब स्थिति यह नहीं है कि आगामी वर्ष में इस क्षेत्र की संभावनाएं अनुकूल हों। देशी बाजार में जो कमी विद्यमान है उससे आयातों के बढ़ने और निर्यातों के घटने की संभावना है। विश्व बाजारों से आयात की जाने वाली वस्तुओं का उन बाजारों में जो उच्चतर मूल्य विद्यमान है वह भुगतान-शेष की स्थिति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाला एक दूसरा कारण होगा। सहायता के लिये किये गये वायदे उच्च स्तर तक (कुल लगभग 12,000 लाख डालर) पहुंच गये थे; इन प्रवृत्तियों से प्रारक्षित निधियों में उपलब्ध मार्जिन भी बहुत जल्दी ही खर्च हो जाएगा। यह एक ऐसी स्थिति है जिस पर निरंतर निगरानी रखने की आवश्यकता है ताकि प्रारक्षित निधियों को सहारा देने के लिए उपयुक्त कार्रवाई समय पर की जा सके।

उत्पादन, मूल्य और नीति संबंधी उपाय

राष्ट्रीय आय

9. अब हम जुलाई, 1972 से जून, 1973 तक की अवधि में उत्पादन क्षेत्र में पायी गयी गतिविधियों पर विचार करेंगे। यद्यपि राष्ट्रीय आय के 1971-72 और 1972-73 के आधिकारिक अनुमानित आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है फिर भी उपलब्ध आंकड़ों से यह विदित होता है कि इनमें से प्रत्येक वर्ष में राष्ट्रीय आय में हुई वृद्धि 2

*अपेक्षित प्रारक्षित निधि को 29 जून, 1973 से प्रत्येक बैंक के लिए उसकी कुल मांग और मीयादी देयताओं के 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत किया गया। 14 अगस्त, 1973 को रिजर्व बैंक ने उक्त प्रारक्षित निधि की मात्रा को 22 सितम्बर, 1973 से और बढ़ा कर 7 प्रतिशत कर देने की घोषणा की। इन दोनों मामलों में अतिरिक्त जमा राशियां एक वर्ष के लिए रखी जानी चाहिए और उन पर वार्षिक 4.75 प्रतिशत का ब्याज अदा किया जाना चाहिए।

†अनंतिम

प्रतिशत से कम थी । इसके मुकाबले में 1969-70 और 1970-71 में उसमें क्रमशः 7.3 प्रतिशत और 4.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । इन कमियों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि चौथी योजना अवधि के लिए परिकल्पित 5.5 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर के लक्ष्य तक हम तभी पहुंच सकते हैं जब 1973-74 के दौरान राष्ट्रीय आय में अभूतपूर्व वृद्धि होगी ।

कृषि उत्पादन और पूर्ति

10. राष्ट्रीय आय की वृद्धि में जो सापेक्ष स्थिरता आ गयी थी उसका प्रमुख कारण वस्तुओं का कम उत्पादन होना था । क्रमशः यह दूसरा वर्ष था जब 1972 के खरीफ मौसम में देश के कई भागों में प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण कृषि उत्पादन में बाधा पड़ी । जहां 1971-72 में कृषि उत्पादन में 1.7 प्रतिशत की कमी हुई वहां उसमें 1972-73 में और अधिक कमी होने की संभावना है यद्यपि 1972-73 के दौरान गहन रबी कार्यक्रम चलाया गया है । 1972-73 के दौरान अनाजों के उत्पादन की मात्रा अधिक से अधिक 1000 लाख मी० टन हो सकती है जब कि वह 1971-72 में 1047 लाख मी० टन (अंतिम अनुमान) थी । गेहूं के उत्पादन की मात्रा पिछले वर्ष की मात्रा से थोड़ी अधिक होने (265 लाख मी० टन) की संभावना है; किन्तु चावल के उत्पादन की मात्रा 1971-72 के 427 लाख मी० टन से घटकर 1972-73 में लगभग 400 लाख मी० टन हो जाने की आशा है । मोटे अनाजों और दालों के उत्पादन तथा अन्य विभिन्न वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन के संदर्भ में यह अनुमान है कि उसकी मात्रा 1972-73 में पिछले वर्ष की मात्रा से कम होगी । किन्तु चीनी का उत्पादन सीमांत रूप से अपेक्षाकृत अधिक होने की आशा है ।

11. खरीफ उत्पादन में हुई गिरावट और इसके परिणामस्वरूप बाजार में अनाजों की उपलब्धि में हुई कमी के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से की जाने वाली वितरण व्यवस्था को तीव्र बनाने की आवश्यकता थी । अगस्त—अक्तूबर 1972 के अलाभकर महीनों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली से प्रतिमास खरीदे गये अनाजों की औसत मात्रा 11.6 लाख मी० टन थी जबकि 1971 की तदनुरूप अवधि के दौरान उक्त मात्रा 7.3 लाख मी० टन थी । किन्तु जुलाई 1972 मार्च 1973 के दौरान खरीदे गये अनाजों की कुल मात्रा 89 लाख मी० टन थी जो 1971-72 की तदनुरूप अवधि में खरीदे गये अनाजों की मात्रा (70 लाख मी० टन) की अपेक्षा काफी अधिक थी। अनाजों की कम उगाही और कम आयातों की स्थिति में भारी मात्रा में इस प्रकार अनाजों के निकाले जाने के कारण केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के स्टाकों का तेजी से ह्रास हो जाना अनिवार्य था । अनाजों के स्टाक जहां जून 1972 के अन्त में 89 लाख मी० टन थे वहां क्रमशः कम होते होते जून 1973 के अन्त तक 44 लाख मी० टन हो गये । पूर्ति की कमी की इस परिस्थिति में सरकार ने 1972 के अन्तिम चरण में लगभग 20 लाख मी० टन अनाजों के आयात करने की व्यवस्था की जिनमें 15 लाख मी० टन गेहूं और 5 लाख मी० टन मिलो शामिल थे । जून 1973 के अंत तक इनमें से लगभग 14 लाख मी० टन अनाज आ गये थे, किन्तु इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर पड़ा दबाव विशेष रूप से कम नहीं हुआ ।

12. रबी फसल की कटाई का समय जैसे जैसे पास आने लगा सरकार ने गेहूं के थोक व्यापार को अपने अधिकार में लेने का निश्चय किया जिस से कि बिक्री योग्य गेहूं को नियंत्रित वितरण के लिए ले लिया जा सके । इस नीति के अनुसार गेहूं का थोक व्यापार भारतीय खाद्य निगम और/या सभी राज्यों में राज्य सरकारों द्वारा निर्दिष्ट विशिष्ट प्राधिकारियों को सौंप दिया गया । किन्तु समाज के कई वर्गों ने इस प्रयास का खुले और गुप्त रूप से विरोध किया और इसके परिणामस्वरूप बिक्री योग्य स्टाक के अधिशेष में और, इस कारण उगाही में कमी रही है । जून 1973 के अन्त तक सरकार ने केवल 41 लाख मी० टन गेहूं की उगाही की जबकि उगाही का मूल लक्ष्य 81 लाख मी० टन गेहूं और परिशोधित लक्ष्य 60 लाख मी० टन गेहूं था । इस अपर्याप्त उगाही के प्रभावस्वरूप न केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर बराबर पड़ने वाला दबाव जारी रहा, बल्कि कम कामकाज के समय में और मूल्य वृद्धि होने का भय भी उत्पन्न हुआ ।

13. खाद्यान्नों की पूर्ति की स्थिति बहुत अधिक चिंताजनक थी, किन्तु वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन की स्थिति पूर्ण रूप से संतोषजनक नहीं थी । रूई के उत्पादन की मात्रा 1971-72 में 65 लाख गांठों के उच्च स्तर तक पहुंच गयी थी और 1972-73 में 62 लाख गांठों का उत्पादन होने की आशा है । किन्तु प्रमुख रूप से अधिक मात्रा में रहे पिछले स्टाकों को आगे लाने के कारण कुल पूर्ति की स्थिति संतोषजनक थी । 1971-72 के दौरान 61 लाख गांठों के जूट और मेस्ता का अनुमानित उत्पादन भी पिछले वर्ष के 68 लाख गांठों के स्तर से अपेक्षाकृत कम था । पांच प्रमुख तिलहनों के उत्पादन में 1971-72 में 10 लाख मी० टन की कमी हुई और इससे उनका उत्पादन 83 लाख मी० टन हो गया था । वह 1972-73 में और कम होकर लगभग 70 लाख मी० टन हो गया । मूंगफली के उत्पादन में कमी हो जाना प्रायः इसका प्रमुख कारण था । मूंगफली का उत्पादन 1972-73 में 39 लाख मी० टन होने की आशा है जो 1955-56 के बाद न्यूनतम उत्पादन स्तर है । इससे मूल्यों में तेजी से वृद्धि हुई है और परिस्थिति का सामना करने के लिए आयात सहित कई उपाय करने पड़े हैं । केवल गन्ने (गुड़ के रूप में) के उत्पादन में कुछ सुधार होने की आशा की जाती है अर्थात् 1971-72 में जहां 117 लाख मी० टन का गन्ना उत्पन्न हुआ था वहां 1972-73 में 120 लाख मी० टन का गन्ना उत्पन्न होने की आशा है।

14. इन गतिविधियों का परिणाम यह है कि यद्यपि कृषि संबंधी नये कार्यक्रम को विकसित करने और व्यापक बनाने के लिए भारी निवेश किया जा चुका है फिर भी कृषि उत्पादन प्रायः मानसून पर ही निर्भर रहता है और उक्त निर्भरता स्थान-भेद के अनुसार परिवर्तनशील है। दालों से भिन्न अनाजों के संबंध में कई राज्यों में कृषि संबंधी नये कार्यक्रम को अमल में लाना है और दूसरे खाद्यान्नों तथा वाणिज्यिक फसलों के संबंध में उसकी संभावनाओं की स्थापना करना अभी शेष है । विशेष रूप से क्रमशः दो बार सूखे की जो परिस्थिति आयी है उसके संदर्भ में सूखी खेती की वैज्ञानिक प्रणालियों के उपयोग को विस्तारित करने और भूमिगत जल स्रोतों का उपयोग करने के लिए एक समेकित कार्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता है।

औद्योगिक उत्पादन

15. औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन की वृद्धि दर में पिछले दो वर्षों के दौरान कमी की जो प्रवृत्ति पायी गयी वह बदल गयी है । यह स्थिति स्वागत योग्य है । औद्योगिक उत्पादन में हुई वृद्धि 1972 में 7.1 प्रतिशत थी जबकि उक्त वृद्धि 1971 और 1970 में क्रमशः 2.9 प्रतिशत और 4.8 प्रतिशत थी । फिर भी इस वर्ष की वृद्धि चौथी पंचवर्षीय योजना में परिकल्पित 8—10 प्रतिशत की वृद्धि के लक्ष्य से कम थी ।

16. उद्योगों का वर्गीकरण उनके उत्पादन की घट-बढ़ के अनुसार किये जाने पर यह देखा जाता है कि उत्पादन में वृद्धि दर्शानेवाले उद्योगों का अंश 1972 में बढ़ कर कुल उद्योगों में 87 प्रतिशत (वजन के अनुसार) हो गया जबकि उक्त प्रतिशत 1971 में 60 था (सारणी 2)। इसके अनुरूप उत्पादन में कमी दर्शानेवाले उद्योगों का वजन 38 प्रतिशत से घटकर 10 प्रतिशत हो गया । दूसरे शब्दों में, उत्पादन में हुई

सारणी 2 : उद्योगों का वर्गीकरण उनकी वृद्धि-दरों के अनुसार

वृद्धि दरों की मात्रा @	सामान्य सूचकांक में (1960=100) वजन के अनुसार				
	1968	1969	1970	1971	1972†
वृद्धि					
सामान्य : 5 प्रतिशत से कम	23.81	26.69	27.78	27.99	31.98
महत्वपूर्ण : 5 प्रतिशत और अधिक	50.24	42.07	38 40	31.96	55.16
उसमें से					
(i) 10 प्रतिशत और अधिक	25.68	28.10	22.42	15.72	15.89
	74.05	68.76	66.18	59.95	87.14
कमी					
सामान्य : 5 प्रतिशत से कम	4.43	16.61	16.10	19.98	5.53
महत्वपूर्ण : 5 प्रतिशत और अधिक	19.04	12.15	13.24	17.59	4.85
उसमें से					
(i) 10 प्रतिशत और अधिक	9.18	9.79	6.13	5.30	1.99
	23.47	28.76	31.34	37.58	10.38
कुल वजन	97.52*	97.52*	97.52*	97.52*	97.52*

@ वृद्धि-दरें संबंधित पिछले वर्षों के दौरान उत्पादन की प्रतिशत वृद्धि को दर्शाती हैं ।

† अनंतिम

* केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन वजन के शेष 2.48 प्रतिशत अंकों के साथ नियमित रूप से उद्योगों का सूचकांक प्रकाशित नहीं करता ।

वृद्धि विभिन्न प्रकार के उद्योगों में पायी गयी जिससे यह परिलक्षित हुआ कि औद्योगिक क्षेत्र द्वारा उत्पादित निर्वाहितर वस्तुओं और कुछ निर्वाह वस्तुओं कि उपलब्धता में सामान्य सुधार हुआ था।

17. निम्नलिखित उद्योगों के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई: सूती कताई, खनन और पत्थर की खानों की खुदाई, लोहे और इस्पात रेल पथ उपकरण और परिष्कृत तथा औषधीय रसायन। उत्पादन में सामान्य वृद्धि दर्शाने वाले उद्योगों में सूती वस्त्रों, खाद्य वस्तु निर्माण और सीमेंट के उद्योग उल्लेखनीय थे। नाममात्र की कमी (5 प्रतिशत से न्यून) दर्शानेवाले उद्योगों का अंश कुल उद्योगों में 1972 में 6 प्रतिशत से कम था जबकि 1971 में उक्त प्रतिशत 20 था। उन उद्योगों में मोटर यानों, धातु से भिन्न खनिज वस्तुओं और संचार उपकरणों के उद्योग शामिल थे। जिन उद्योगों के उत्पादन में 5 प्रतिशत से अधिक कमी हुई उनका अंश कुल वजन में 5 प्रतिशत से कम था जबकि 1971 में उक्त प्रतिशत 18 था। उन उद्योगों में सिगरेट उद्योग और विविध निर्माण उद्योग महत्वपूर्ण थे।

18. 1972 में औद्योगिक उत्पादन में हुए इस समग्र सुधार के कई कारण थे। पहला कारण यह था कि रूई और पटसन की पूर्ति की स्थिति अच्छी थी और इस कारण कपड़ों का अधिक उत्पादन हो सका। औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में कपड़ों का वजन 27 प्रतिशत है। इसी प्रकार इस्पात का उपयोग करनेवाले उद्योग भी सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में होने वाले इस्पात के उत्पादन में 4 प्रतिशत वृद्धि होने और आयातों के जारी रहने से लाभान्वित हुए। दूसरा कारण यह था कि विभिन्न उद्योगों में अधिक निवेश किये जाने से सीमेंट और दूसरी निर्माण सामग्री, परिवहन सेवाओं और कुछ निवेश माल की अपेक्षाकृत अधिक मांग हुई। तीसरा कारण यह प्रतीत होता है कि औद्योगिक लाइसेंसीकरण नीति चुने हुए उद्योगों के लिए उदार बना देने से औद्योगिक कार्यकलापों को प्रोत्साहन मिला। अंतिम कारण यह था कि 1972 में कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों के औद्योगिक संबंधों में हुए सुधार का अनुकूल प्रभाव औद्योगिक क्षमता के उपयोग पर पड़ा।

19. फिर भी, रेलवे वैगनों, खनन मशीनों, इस्पाती ढली वस्तुओं, मशीनों के पुर्जों और भारी संरचनाओं के उद्योगों जैसे कुछ ऐसे उद्योग थे जिनकी क्षमता का कम उपयोग हुआ था। अधिकांश मामलों में उन उद्योगों की वस्तुओं के लिए निरंतर मांग का कम होना इसका कारण था। किन्तु मोटर यान वर्ग की क्षमता के उपयोग में श्रमिक हड़तालों और/या मूल वस्तुओं की अपर्याप्त पूर्ति के कारण सहायक यूनिटों से प्राप्त होने वाली वस्तुओं की कमी से बाधा बढ़ी। इसी प्रकार वनस्पति उद्योग तिलहनों/तेलों की पर्याप्त पूर्ति के अभाव के कारण पहले की तरह अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं कर सका।

20. यद्यपि 1973 के प्रारंभ में अवरोध की स्थिति पायी गयी फिर भी 1972 में औद्योगिक उत्पादन में पायी गयी 7.1 प्रतिशत की वृद्धि दर के बने रहने की संभावनाएं हैं भले ही वह और अधिक न हो। फिर भी इस संभावना की पूर्ति अनुकूल मानसून और उसके परिणामस्वरूप बिजली की पूर्ति तथा रूई, पटसन, तिलहन, गन्ना आदि कच्चे माल की पूर्ति में होने वाले सुधार पर निर्भर करती है। औद्योगिक कच्ची सामग्री के संदर्भ में पूर्ति की मात्रा को बढ़ाने और मूल्य को कम करने के लिए विशेष कदम उठाने की आवश्यकता होगी। कुछ मामलों में क्षमता में और वृद्धि करने तथा आयातों से सहायता मिलेगी। दूसरी वस्तुओं के मामले में वितरण तंत्र को व्यवस्थित करना और संभवतः

थोड़ी सी मूल्य वृद्धि होने देना आवश्यक होगा । समग्र रूप से औद्योगिक कार्यकलापों के साथ-साथ सार्वजनिक उपयोगिता क्षेत्र, विशेषकर बिजली के क्षेत्र में जहां पूर्ति की स्थिति गंभीर रूप से प्रभावित हुई है, बेहतर उत्पादन और प्रबंध की व्यवस्था करनी होगी ।

मूल्य-स्थिति

21. जैसा कि पहले बताया जा चुका है, कृषि उत्पादों की कम पूर्ति होने और मुद्रागत साधनों की तेजी से वृद्धि होने के कारण मूल्य-स्थिति बहुत जल्दी बिगड़ गयी । जून, 1972 के अंत और जून, 1973 के अन्त के बीच में थोक मूल्य सूचकांक में 21.5 प्रतिशत की सर्वाधिक वृद्धि हुई जबकि 1971-72 में उसमें 6.8 प्रतिशत की बहुत कम वृद्धि हुई थी । यह वृद्धि हाल ही के वर्षों में किसी एक वर्ष में हुई सर्वाधिक वृद्धि थी । इसके अलावा यह वृद्धि जनवरी, 1973 के बाद की अवधि के दौरान हुई वृद्धि की तीव्रता के कारण भी उल्लेखनीय थी; यह तीव्रता कम से कम 1972 के मौसम में तरह रबी फसल के अच्छे उत्पादन के बावजूद पायी गयी । जहां कम कामकाज के समय (मई—अक्तूबर, 1972) के दौरान 9.1 प्रतिशत तक की मूल्य वृद्धि हुई वहां 1972-73 के अधिक कामकाज के समय (नवम्बर—अप्रैल) के दौरान 7.6 प्रतिशत की मूल्य वृद्धि हुई । अप्रैल, 1973 के अंत के बाद मूल्य सूचकांक में 6.8 प्रतिशत की और वृद्धि हुई है ।

22. सभी प्रमुख वर्गों में मूल्य-वृद्धि हुई । खाद्यान्न वर्ग में न केवल मोटे अनाजों और दालों के मूल्य में जिनका उत्पादन बराबर पिछले तीन वर्षों से गिर चुका था, बल्कि गेहूं के मूल्य में भी जिसके उत्पादन में 1972-73 में थोड़ी सी वृद्धि पायी गयी थी, विशेष रूप से तेजी से वृद्धि होती रही । बाजरे और ज्वार के मूल्यों में जहां 1971-72 में क्रमशः 45.1 प्रतिशत और 20.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी वहां 1972-73 में उसके ऊपर क्रमशः 56.5 प्रतिशत और 28.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई । मोटे अनाजों के बाजार की इस परिस्थिति के कारण निश्चित रूप से गेहूं और चावल के बाजारों में थोड़ी सी मांग बढ़ने लगी । इसके साथ-साथ उन बाजारों में कम मात्रा में अनाजों के आने से उनके मूल्यों पर दबाव पड़ा । यद्यपि वर्तमान उत्पादन में कोई गिरावट नहीं आयी और स्टाकों से अधिक मात्रा में माल निकाले गये फिर भी गेहूं के मूल्यों में 9.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष उनमें 3.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । चावल के मूल्यों में भी पिछले वर्ष की 10.1 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले में इस वर्ष 16.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

23. दूसरी अत्यावश्यक वस्तुओं में से खाद्य तेलों के मूल्य में 64.3 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष 3.8 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई थी । चीनी के मूल्य में जहां पिछले वर्ष 27.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी वहां इस वर्ष उसमें अपेक्षाकृत अधिक धीमी गति से 6.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई । रूई के कम आयातों और निर्यात के लिए सूती कपड़ों की अधिक मांग के कारण रूई की पूर्ति की स्थिति सामान्य रूप से थोड़ी सी कठिन थी, किन्तु यह स्थिति लंबे रेशेवाली रूई की किस्मों में उल्लेखनीय रूप से पायी गयी । इसके परिणामस्वरूप रूई के मूल्य में 58.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष के दौरान उसमें 31.3 प्रतिशत की कमी हुई थी । आलोच्य वर्ष के दौरान अधिकांश औद्योगिक कच्ची सामग्री के मूल्य में मौसमी प्रभावों की उपेक्षा करते हुए जो वृद्धि हुई वह प्रत्येक सामग्री के मूल्य में अलग-अलग प्रकार की थी । निर्मित वस्तुओं के वर्ग में भी जूट की वस्तुओं को छोड़ कर दूसरी वस्तुओं विशेषकर सूती वस्तुओं, धातु उत्पादों और चमड़े की वस्तुओं के मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि हुई । सूती धागा, अलसी का तेल, कांसे और अलोह धातु की वस्तुएं आदि मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्यों में तेजी से वृद्धि हुई । यह वृद्धि उक्त वस्तुओं से संबंधित कच्चे माल के मूल्य बढ़ जाने का तात्कालिक परिणाम थी ।

24. निर्वाह वस्तुओं की कम उपलब्धता और सामान्य मूल्य स्तर, विशेषकर खाद्यान्नों, खाद्य तेलों और चीनी के मूल्य में हुई वृद्धि के अनुरूप औद्योगिक श्रमिकों के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचक अंकों और शहरी अमेनर कर्मचारियों के उपभोक्ता मूल्य सूचक अंकों द्वारा निरूपित उपभोक्ता मूल्य सूचक अंकों (आधार : 1960-100) में भी इस वर्ष के दौरान अतिशय वृद्धि हो गयी है । औद्योगिक श्रमिकों का औसत सूचकांक 1971-72 (जुलाई-जून) के 192 से बढ़कर 1972-73 में 214 हो गया । इस प्रकार उसमें 1971-72 के मुकाबले में 11.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 1971-72 में 1970-71 के मुकाबले में 3.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । शहरी अमेनर कर्मचारियों के औसत सूचकांक में भी 1972-73 (जुलाई-अप्रैल) में 1971-72 की अपेक्षा 7.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 1971-72 (जुलाई-अप्रैल) में 1970-71 की अपेक्षा 4.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । यह वृद्धि चिंताजनक है, क्योंकि सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के कई प्रतिष्ठानों में उनके द्वारा दिये जाने वाले वेतन को निर्वाह व्यय की घट-बढ़ के अनुसार परिवर्तित करने का नियम रहता है । इससे मूल्यस्फीति की परिस्थिति पर व्यय के तत्वों का दबाव और बढ़ जाएगा ।

25. ऐसी स्थिति में जब अनाजों के मूल्य बढ़ रहे हैं, यह अत्यधिक आवश्यक हो जाता है कि अनाजों की उगाही और आयातों के जरिये उनकी पूर्ति की मात्रा को समय पर बढ़ा दिया जाए ताकि उपलब्ध अनाजों का समान वितरण प्रभावकारी ढंग से किया जा सके । 1972-73 के दौरान की गयी वास्तविक उगाही कई कारणों से निर्धारित लक्ष्य से काफी कम थी । गेहूं के थोक व्यापार के अधिग्रहण से यह आशा थी कि उगाही और वितरण में सुविधा होगी; किन्तु अधिग्रहण पूर्ण रूप से प्रभावकारी न हो सका । सरकार द्वारा खरीदे गये अनाज की मात्रा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित मात्रा से काफी कम थी । अनाजों का आयात भी स्थिति में पूर्णतः सुधार नहीं ला सका ।

26. गेहूं के थोक व्यापार के अधिग्रहण में जिन कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करना पड़ा है उनके संबंध में यह आवश्यक होगा कि चावल की उगाही के लिए अच्छी तरह सोच-विचार करके कार्यक्रम बनाया जाए । चावल की उगाही की समस्या अपेक्षाकृत अधिक उलझी हुई होगी; क्योंकि चावल की उगाही लगभग सभी राज्यों में करनी होगी जबकि इसके विपरीत, गेहूं के मामले में कतिपय राज्यों में ही भारी मात्रा में उगाही करनी पड़ती है । इसके अलावा, बड़ी मात्रा में चावल की उगाही के लिए चावल मिलों और अन्यों से चावल प्राप्त करने के लिए वसूली की व्यवस्था प्रभावकारी ढंग से कार्यान्वित करनी होगी । यदि इस प्रकार की वसूली व्यवस्था को कार्यान्वित करने में कठिनाइयां हों तो यह आवश्यक है कि दूसरी पूरक योजनाओं पर भी विचार किया जाए । चाहे जो भी प्रणाली अपनायी जाए, महत्वपूर्ण बात यह है कि विशेषज्ञ और प्रशासकीय, दोनों स्तरों पर उगाही योजनाएं पहले ही तैयार कर ली जानी चाहिएं और यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनका प्रभावकारी ढंग से कार्यान्वयन हो ।

बजट संबंधी कार्यकलाप*

केन्द्रीय और राज्य सरकारों की संयुक्त स्थिति

27. इस बात का पहले उल्लेख किया जा चुका है कि देशी व्यय में भारी मात्रा में वृद्धि होने से मूल्य स्थिति पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा जिसके फलस्वरूप मुद्रा विस्तार हुआ। मुद्रा के इस विस्तार में योगदान देने वाला महत्वपूर्ण तत्व सूखे के संदर्भ में सरकार द्वारा अधिक मात्रा में किया गया व्यय था फिर भी, सरकारी व्यय के कारण जो मुद्रा विस्तार हुआ उसका पूरा प्रभाव परिशोधित अनुमानों में परिलक्षित नहीं हुआ है। परिशोध अनुमानों के अनुसार 1972-73 में केवल 701 करोड़ रुपयों† का संयुक्त घाटा पाया गया जो 1971-72 में पाये गये 808 करोड़ रुपयों के समग्र घाटे से कम था। अधिक अद्यतन आंकड़ों से यह मालूम होता है कि संयुक्त घाटे की राशि 868 करोड़ रुपये थी जो 1972-73 के 231 करोड़ रुपयों के बजट अनुमानों से चार गुने से थोड़ी कम थी। कुल प्राप्तियों में तेजी से वृद्धि होने के बावजूद बजट स्थिति शोचनीय हो गई है। फिर भी, 1973-74 की बजट व्यवस्था का उद्देश्य इस स्थिति में सुधार लाना और परिणामस्वरूप संयुक्त घाटे को लगभग 283 करोड़ रुपयों तक कम कर देना है (सारणी 3)।

प्राप्तियों की प्रवृत्तियां

28. प्रमुख रूप से पूंजीगत लेखों के अधीन प्राप्त की गयी राशि में वृद्धि होने के कारण कुल प्राप्तियों में 15.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि बजट अनुमानों के अनुसार उनमें 7.1 प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए थी। कुल कर प्राप्तियों में 1972-73 में 15.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 1971-72 में 17.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। फिर भी 1972-73 में 6408 करोड़ रुपयों का जो कुल कर राजस्व प्राप्त हुआ वह राष्ट्रीय आय का (वर्तमान मूल्यों के अनुसार) लगभग 16.2 प्रतिशत होगा जबकि इसके मुकाबले में 1969-70 में वह 13.2 प्रतिशत था। 1973-74 में कर राजस्व में अनुमानित 12.0 प्रतिशत की वृद्धि से इस अनुपात में और भी वृद्धि होनी चाहिए।

वितरणों की प्रवृत्तियां

29. 1972-73 के दौरान कुल वितरणों में (ऋणों और अग्रिमों सहित) 13.6 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई। इस वृद्धि का अधिक अंश उन विकासात्मक परिव्ययों के कारण हुआ जिनमें बजट प्रस्तावों के अनुसार 5 प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए थी परन्तु वास्तव में 14.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्य रूप से आपाती कृषि उत्पादन कार्यक्रम के लिये केंद्रीय योजना में की गई 147 करोड़ रुपयों की व्यवस्था और कृषि सिंचाई, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, आदि पर राज्यों द्वारा किये जाने वाले व्यय में की गयी वृद्धि के कारण हुई।

केन्द्रीय सरकार की बजट स्थिति

30. यद्यपि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा किये गये वितरणों में वृद्धि हुई थी फिर भी केंद्रीय सरकार के मामले में बजट अनुमानों की तुलना में समग्र स्थिति बहुत अधिक बिगड़ी हुई थी। जहां बजट में मूलतः यह व्यवस्था की गई थी कि केंद्रीय सरकार का घाटा 251 करोड़ रुपये होगा और परिशोधित अनुमानों में उक्त घाटे की राशि 550 करोड़ रुपये निर्धारित की गई थी वहां वह 882 करोड़ रुपये हो गई है। इसमें 421 करोड़ रुपयों की वह शुद्ध राशि शामिल नहीं है जो 1972-73 में केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को रिजर्व बैंक आफ इंडिया से उनके द्वारा लिये गये ओवर ड्राफ्टों को चुकाने के लिये दी गई थी।‡ केंद्रीय सरकार के कुल वितरणों में बजट अनुमानों की अपेक्षा हुई 29 प्रतिशत की वृद्धि सकल पूंजी निर्माण के व्यय के कारण हुई और शेष वृद्धि पूंजी निर्माण से भिन्न दूसरे उद्देश्यों के लिए किए गए अतिरिक्त व्यय के कारण हुई। कुल व्यय में जो वृद्धि हुई उसका लगभग 20 प्रतिशत अंश रक्षा व्यय और प्राकृतिक विपत्तियों के लिए दी गयी सहायता में से प्रत्येक में पाया गया। इन वृद्धियों के कारण ही कुल वित्तीय साधनों में तेजी से वृद्धि होने के बावजूद केन्द्रीय सरकार के व्यय को उपलब्ध वित्तीय साधनों के भीतर सीमित नहीं किया जा सका।

31. केन्द्रीय सरकार के उपभोग व्यय में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि बजट में 4.3 प्रतिशत की कमी होने के अनुमान लगाये गये थे; इस वृद्धि के प्रमुख कारण इस प्रकार थे : रक्षा व्यय में वृद्धि हुई और सरकारी कर्मचारियों को अंतरिम राहत प्रदान की गयी। इसके ही साथ पूंजी-निर्माण व्यय में 1970-71 और 1971-72 के दौरान जहां क्रमशः 17 प्रतिशत और 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी वहां उसमें 1972-73 में लगभग 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस भारी वृद्धि के कारण निम्न प्रकार थे : (i) मुख्यतः नियोजित योजनाओं का वित्तपोषण करने और केन्द्रीय योजना के अंतर्गत आने वाले आपाती कृषि उत्पादन कार्यक्रम के लिए, केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को प्रदान की जाने वाली सहायता में भारी वृद्धि हुई और (ii) विभागेतर उपक्रमों को सहायता दी गयी। 1971-72 की तुलना में 1972-73 में पूंजीगत निर्माण व्यय में 557 करोड़ रुपयों की जो कुल वृद्धि हुई उसमें इस प्रकार अधिक मात्रा में प्रदान की गयी वित्तीय सहायता का अनुपात 72.7 प्रतिशत था। इस निवेशगत व्यय के संदर्भ में सामान्यतः जहां एक ओर उत्पादक आस्तियों का निर्माण होगा और भविष्य में वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा में वृद्धि होगी वहां उसका तत्काल यह प्रभाव पड़ा कि बजट घाटे में वृद्धि हुई और इस कारण मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ गया**।

---

*इस खंड में दिये गये आंकड़े राजकोषीय वर्षों से सम्बन्धित है; जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाये, 1972-73 के आंकड़े परिशोधित अनुमानों से सम्बन्धित हैं।

†केंद्रीय सरकार के मामले में बकाया खजाना बिलों की शुद्ध वृद्धि और नकदी शेषों में से निकाली गई राशियों से, तथा राज्य सरकारों के मामले में नकदी शेषों में कमी, राज्यों द्वारा अपने नकदी शेष निवेश लेखों में धारण की गयी प्रतिभूतियों की शुद्ध बिक्री, प्रारक्षित राजस्व निधियों में से अंतरित की गयी शुद्ध राशि और रिजर्व बैंक द्वारा अर्थोपाय अग्रिमों और (1 मई 1972 से लागू की गयी व्यवस्था के अधीन 7 दिनों के भीतर चुकाने योग्य) ओवरड्राफ्टों के रूप में दिये गये ऋणों की शुद्ध वृद्धि से संयुक्त घाटे का पता लगाया जाता है।

‡लेखे के उद्देश्य के लिये यहां इस राशि को जोड़ा नहीं गया है। क्योंकि रिजर्व बैंक की बहियों में राज्य सरकारों से केंद्रीय सरकार को देयता का अंतरण करने से कोई मुद्रागत प्रभाव नहीं पड़ता।

**पूंजी-निर्माण व्यय में हुई वृद्धि का एक अंश कोककारी और अकोककारी कोयला खानों और सामान्य बीमा कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण कर देने से क्षतिपूर्ति के रूप में की गयी अदायगियों के कारण उत्पन्न हुआ। इन अदायगियों के कारण गैर-सरकारी क्षेत्र को उपलब्ध वित्तीय स्रोतों में वृद्धि हुई; किन्तु उत्पादक पूंजीगत आस्तियों में कोई वृद्धि नहीं हुई।

सारणी 3 : केन्द्रीय और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और वितरण

(राशि करोड़ रुपयों में)

	1969-70 (लेखे)		1970-71 (लेखे)		1971-72 (लेखे)		1972-73 (बजट अनुमान) @†		1972-73 (परिशोधित अनुमान)		1973-74 (बजट अनुमान)†	
	राशि	राशि	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (−)	राशि	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (−)	राशि	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (−)	राशि	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (−)	राशि	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (−)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. कुल प्राप्तियां (अ+आ)	8111	8421	+3.8	9703	+15.2	10393	+7.1	11241	+15.9	12033	+7.0
(अ) राजस्व प्राप्तियां	5273	5810	+10.2	6840	+17.7	7663	+12.0	7811	+14.2	8505	+8.9
इनमें से कर प्राप्तियां	4182	4735	+13.2	5565	+17.5	6319	+13.5	6408	+15.1	7175	+12.0
(आ) पूंजीगत प्राप्तियां	2838	2611	−8.0	2863	+9.7	2730	−4.6	3430	+19.8	3528**	+2.9
II. कुल वितरण	8098	8847	+9.2	10511	+18.8						
इनमें से						10624	+1.1	11942	+13.6	12316	+3.1
(अ) विकास परिव्यय (क+ख)	3020	3443	+14.0	4242	+23.2	4445	+5.0	4862	+14.6	5124	+5.4
(क) राजस्व	1984	2254	+13.6	2635	+16.9	2940	+11.6	3128	+18.7	3478	+11.2
(ख) पूंजीगत	1036	1189	+14.8	1607	+35.2	1514	−5.8	1734	+7.9	1646	−5.1
(आ) विकासेतर परिव्यय (क+ख)	3281	3674	+12.0	4437	+20.8	4286	−3.4	4939	+11.3	5338	+8.1
(क) राजस्व	3157	3366	+6.6	4260	+26.6	4212	−1.1	4876	+14.5	5164	+5.9
(ख) पूंजीगत	124	308	+148.4	177	+42.5	74	−58.2	63	−64.4	174	+176.2
समग्र अधिशेष (+) या घाटा (−) (I−II)	+13	−426		−808*		−231		−701		−283‡	

टिप्पणियां : 1. आंकड़े अंतर सरकारी अंतरणों के लिए समायोजित किये गये हैं । किन्तु समग्र संयुक्त स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । 2. यहां दिये गये आंकड़े पिछली वार्षिक रिपोर्टों के आंकड़ों से मेल नहीं खाते । इसका प्रमुख कारण यह है कि राज्यों के मामले में विभागीय उपक्रमों के शुद्ध अंशदानों को दूसरे शीर्ष के अधीन स्वीकार किया गया है ; इसके अलावा, रिजर्व बैंक आफ इंडिया से लिये गये शुद्ध अर्थोपाय अग्रिमों और ओवरड्राफ्टों (राज्य बजटों के अनुसार) को पहले जहां चल ऋण के अन्तर्गत राज्यों की पूंजीगत प्राप्तियों के अंश के रूप में दर्शाया जाता था वहां उन्हें 1971-72 की रिपोर्ट से वित्तीय सहायता की मदों के रूप में स्वीकार किया गया है ।

*जम्मू और काश्मीर बैंक लिमिटेड को जम्मू और काश्मीर सरकार द्वारा ओवरड्राफ्टों की जो शुद्ध चुकौती की गयी उसे यदि हिसाब में ले लिया जाए तो इस घाटे में 1 करोड़ रुपये की कमी होगी ।

†इनमें बजट प्रस्तावों का प्रभाव शामिल है ।

@पंजाब के मामले में 1972-73 के दौरान पेश किये गये पूरक अनुमानों को शामिल नहीं किया गया है । यदि उनको हिसाब में लिया जाए तो समग्र घाटे की राशि में 11 करोड़ रुपयों की वृद्धि होगी ।

**इसमें जम्मू और काश्मीर बिजली बोर्ड द्वारा लिये गये बाजार ऋण (3 करोड़ रुपये) शामिल नहीं हैं ।

‡केन्द्रीय सरकार का बजट पेश किये जाने के बाद केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित की गयी कर संबंधी रियायतों के फलस्वरूप इस घाटे में लगभग 2 करोड़ रुपयों की वृद्धि होगी ।

सारणी 4 : केन्द्रीय सरकार की बचत

(राशि करोड़ रुपयों में)

	1969-70 (लेखे)	1970-71 (लेखे)	1971-72 (लेखे)	1972-73 (बजट अनुमान)	1972-73 (परि-शोधित अनुमान)	1973-74 (बजट अनुमान)	घट-बढ़ का प्रतिशत	
							स्तंभ (3) की तुलना में स्तम्भ (5)	स्तंभ (5) की तुलना में स्तंभ (6)
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. सरकारी प्रशासन की राजस्व प्राप्तियां (i+ii)	2882	3133	3817	4210	4375	4815	+14.6	+10.1
(i) कर राजस्व	2189	2434	2903	3320	3450	3915	+18.8	+13.5
(ii) करेतर राजस्व	693	699	914	890	925	900	+1.2	−2.7
2. चालू व्यय	7640	2909	3777	3724	4039	4110	+6.9	+1.8
3. सरकारी प्रशासन की बचत (1−2)	242	224	40	486	336	705	+740 0	+109 8
4. मूल्यह्रास व्यवस्था और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के रख लिये गये लाभ (i+ii)	160	179	229	255	236	278	+3.1	+17.8
(i) मूल्यह्रास व्यवस्था	115	123	128	137	136	148	+6.3	+8.8
(ii) रख लिये गये लाभ	45	56	101	118	100	130	−1.0	+30.0
5. केन्द्रीय सरकार की सकल बचत (3+4)	402	403	269	741	572	983	+112.6	+71.9
6. नवीकरणों और प्रतिस्थापनों पर व्यय	75	91	91	120	114	137	+25.3	+20.2
7. शुद्ध बचत (5−6)	327	312	178	621	458	846	+157.3	+84.7
8. शुद्ध निवेश	318	428	506	604	635	759	+25.5	+19 5
9. शुद्ध निवेश की तुलना में शुद्ध बचत में (7−8) अधिकता (+) या कमी (−)	+9	−116	−328	+17	−177	+87		
10. मद 1 के प्रतिशत के रूप में मद 3	8.4	7.1	1.1	11.5	7.7	14.6		

32. निधियों के स्त्रोतों और उपयोगों का पुनरीक्षण करने पर केन्द्रीय सरकार के बजट संबंधी कार्यकलापों का अर्थ-व्यवस्था पर पड़ने वाला प्रभाव स्पष्ट हो सकता है । 1971-72 में कुल व्यय में चालू व्यय (56.3 प्रतिशत) और अन्य ऐसे व्यय (11.5 प्रतिशत) का अंश जिसमे पूंजी-निर्माण नही हो पाता हो, 67.8 प्रतिशत था ; शेष 32 2 प्रतिशत सकल पूंजी-निर्माण पर होने वाले व्यय का अंश था । 1972-73 में चालू व्यय के परिमाण में वृद्धि हो जाने के बावजूद कुल व्यय में उसका अनुपात घट कर 51.5 प्रतिशत हो गया । इसके विपरीत, राज्य सरकारों को अधिक वित्तीय साधनों का अंतरण किये जाने के कारण कुल व्यय में सकल पूंजी-निर्माण व्यय के अनुपात में 2.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई और इस प्रकार कुल व्यय में उसका अंश बढ़कर 34.7 प्रतिशत हो गया । 1972-73 में सकल पूंजी-निर्माण पर हुए व्यय (2718 करोड़ रुपये) के पंचमांश से थोड़े से अधिक अंश का वित्तपोषण सरकार की सकल बचत (572 करोड़ रुपये) द्वारा किया गया, जिससे (क) चालू व्यय की तुलना में अधिक मात्रा में राजस्व की प्राप्तियों और (ख) विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के आंतरिक वित्तीय साधनों की वृद्धि की जानकारी मिलती है । चालू प्राप्तियों में 558 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई । परन्तु चूंकि चालू व्यय में 262 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई अतः सकल बचत की राशि में हुई वृद्धि 303 करोड़ रुपयों तक सीमित रह गयी (इसमें विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के आंतरिक स्त्रोतों में हुई 7 करोड़ रुपयो की वृद्धि भी शामिल है । उपभोग व्यय में हुई वृद्धि का उल्लेख पहले किया जा चुका है ; इससे शुद्ध बचत (अर्थात् नवीकरणों और प्रतिस्थापनों पर किये गये व्यय को घटाने पर सकल बचत) का स्तर कम होकर 458 करोड़ रुपये हो गया जबकि बजट में 621 करोड़ रुपयों की सकल बचत की प्रत्याशा की गयी थी (सारणी 4) । फिर भी 1972-73 में शुद्ध बचत की राशि 1971-72 की 178 करोड़ रुपयों की बचत से काफी अधिक थी । बचत की यह राशि जहां गैर-सरकारी क्षेत्र से सरकार को वित्तीय साधनों के अंतरित किये जाने से हुई है वहां पूंजी-निर्माण के वित्तपोषण के रूप में पुनः उक्त राशि का व्यय हो जाता है ।

33 चालू प्राप्तियों, पूंजीगत अंतरण, ऋणों की चुकौती और विभागीय उपक्रमों के आंतरिक वित्तीय साधनों से प्राप्त होने वाली कुल राशियों की अपेक्षा कुल व्यय में हुई वृद्धि से प्राप्ति और व्यय के बीच उत्पन्न खाई को देशी और विदेशी ऋणों और रिजर्व बैंक से प्राप्त ऋणों से पाटना पड़ा । 1972-73 में केन्द्रीय सरकार के कुल व्यय की राशि 7840 करोड़ रुपये थी जो कुल प्राप्तियों से 2006 करोड़ रुपये अधिक थी । इस व्यय वृद्धि में से 1147 करोड़ रुपयों की पूर्ति देशी ऋणों और 309 करोड़ रुपयों की पूर्ति विदेशी ऋणों से की गयी और 550 करोड़ रुपयों की शेष राशि की पूर्ति बजट में घाटे की व्यवस्था‡‡ कर अर्थात् खजाना बिलों पर रिजर्व बैंक से उधार लेकर और नकदी जमाराशि में से आहरण कर करनी होगी (सारणी 5) ।

‡‡जैसा कि पहले कहा जा चुका है बजट घाटे की राशि अब 882 करोड़ रुपये निर्धारित की गयी है ।

सारणी 5: निधियों के स्रोत और उपयोग: केन्द्रीय सरकार

(राशि करोड़ रुपयों में)

	निधियों के स्रोत							निधियों के उपयोग					
	1969-70 (लेखे)	1970-71 (लेखे)	1971-72 (लेखे)	1972-73 (बजट अनुमान)	1972-73 (परिशोधित अनुमान)	1973-74 (बजट अनुमान)		1969-70 (लेखे)	1970-71 (लेखे)	1971-72 (लेखे)	1972-73 (बजट अनुमान)	1972-73 (परिशोधित अनुमान)	1973-74 (बजट अनुमान)
1. चालू प्राप्तियां (क+ख)	2882	3133	3817	4210	4375	4815	1. पूंजी निर्माण के लिए व्यय (क+ख)	1612	1888	2161	2441	2718	2883
(क) कर प्राप्तियां	2189	2434	2903	3320	3450	3915	(क) सकल पूंजी निर्माण	1649	1854	2130	2474	2729	2899
(ख) संपत्ति, उद्यमों और विविध प्राप्तियों से आय	693	699	914	890	925	900	(ख) वस्तुओं में वृद्धि	—37	34	31	—33	—11	—16
2. पूंजीगत अंतरण	46	55	32	31	39	33	2. पूंजी निर्माण को छोड़ कर अन्य उद्देश्यों के लिए व्यय (क+ख)	3313	3688	4549	4428	5122	4759
3. विभागीय उपक्रमों के आंतरिक वित्तीय साधन	160	178	229	254	236	278	(क) चालू व्यय (i+ii)	2640	2908	3778	3725	4039	4110
4. ऋणों की वापसी अदायगी से प्राप्तियां	847	893	1054	1008	1184	1130	(i) उपभोग व्यय	1477	1669	2055	1966	2188	2269
कुल प्राप्तियां (1 से 4 तक)	**3935**	**4259**	**5132**	**5503**	**5834**	**6256**	(ii) चालू अंतरण	1163	1239	1723	1759	1851	1841
कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता निम्नलिखित द्वारा वित्तपोषित :	990	1317	1578	1366	2006	1386	(ख) अन्य व्यय	673	780	771	703	1083	649
1. शुद्ध देशी ऋण	384	648	793	753	1147	864							
उनमें से													
शुद्ध बाजार ऋण*	143	144	293	215	477	326							
2. शुद्ध विदेशी ऋण	539	343	325	361	309	437							
3. बजट घाटा (क+ख)	67	326	460	252	550	85							
(क) रिजर्व बैंक के पास रहनेवाले शुद्ध खजाना बिल‡	84	400	290	252	545	85							
(ख) नकदी जमा में वृद्धि (—) या कमी (+)	—17	—74	+170	—	+5	—	**कुल व्यय** (1+2)	4925	5576	6710	6869	7840	7462

टिप्पणी : सरकारी प्रशासन की बचत—चालू प्राप्तियां—चालू व्यय ।

*इनमें बाजार ऋण (शुद्ध), अल्प बचत (शुद्ध), भविष्य निधियां (शुद्ध), अन्य ऋण (शुद्ध), रिजर्व बैंक आफ इंडिया को छोड़कर दूसरों के पास रहनेवाले खजाना बिलों में हुई शुद्ध वृद्धि आदि शामिल हैं ।

‡दीर्घकालीन प्रतिभूतियों के रूप में परिवर्तित खजाना बिल शामिल नहीं हैं ।

स्रोत : 1971-72, 1972-73 और 1973-74 के केन्द्रीय सरकार के बजटों का आर्थिक और क्रियात्मक वर्गीकरण।

1973-74 का बजट—केन्द्रीय सरकार

34. 1972-73 में व्यय में जो वृद्धि हुई उसके विपरीत, 1973-74 के बजट में कुल व्यय में 2.5 प्रतिशत की कमी की (1972-73 के परिशोधित अनुमानों की तुलना में) व्यवस्था की गयी है । विकास व्यय (समाज और आर्थिक सेवाओं पर होने वाले व्यय सहित) में 1972-73 में जहां 29 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, वहां उसमें लगभग 1 प्रतिशत की सीमांत वृद्धि होने की आशा है । विकासेतर अर्थात् सामान्य सेवाओं और अनिर्धारणीय मदों के व्यय में 1972-73 मे जहां 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, वहां उसमें उतनी ही कमी हो जाने की प्रत्याशा है (सारणी 6)। इसके साथ ही कर सम्बन्धी प्रस्तावों से 292 करोड़ रुपये† प्राप्त होने की आशा है । (जिसमें से राज्य सरकारों का अंश 42 करोड़ रुपये होगा) इसमें घाटे की राशि 85 करोड़ रुपयों तक सीमित हो जाने का अनुमान है । क्या सरकार घाटे की मात्रा को बजट के आंकड़ों तक सीमित कर सकेगी—यह बात विभिन्न तथ्यों पर निर्भर रहेगी । तीसरे वेतन-आयोग की सिफारिशों के कारण अतिरिक्त व्यय हो सकता है । बजट में आयातित अनाजों के लिये अतिरिक्त उपादानों की भी पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं की गयी हैं । इन तथ्यों को देखते हुए सरकार ने हाल ही में 1973-74 के दौरान राज्य सरकारों को दी जाने वाली साहयता सहित कुल परिव्यय में 400 करोड़ रुपयों की कमी करने के लिये एक कार्यक्रम बनाया है ।

35. केन्द्रीय सरकार के उपभोग व्यय में 1971-72 की तुलना में 1972-73 में जहां 6.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी वहां 1973-74 में 3.7 प्रतिशत की वृद्धि ही जाने का अनुमान है । पिछले अनुच्छेद में उल्लिखित कारणों से वास्तविक वृद्धि थोड़ी-सी अधिक हो सकती है । पूंजी निर्माण के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा किये जाने वाले व्यय में 1972-73 में हुई 26 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 6 प्रदिशत की और वृद्धि होने की संभावना है (सारणी 7) । कुल व्यय में 1973-74 में पूंजी निर्माण के लिये की गयी व्यवस्था का अंश 38 प्रतिशत होगा; इससे यह विदित होता है कि यह अनुपात जहां 1969-70 में 33 प्रतिशत था वहां बराबर बढ़ता रहा है ।

पूंजी-निर्माण व्यय

36. पूंजी निर्माण के अन्तर्गत, आर्थिक सेवाओं (एक मुश्त अनुदानों और ऋणों को छोड़कर) के लिये हुए व्यय में 2.0 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई और उक्त व्यय की राशि 1972-73 के 1896 करोड़ रुपयों से बढ़कर 1973-74 में 1933 करोड़ रुपये हो गयी । यह वृद्धि मुख्यतः पांचवीं योजना के लिये अग्रिम कार्रवाई के रूप में की गयी । 150 करोड़ रुपयों की व्यवस्था के कारण हुई; इस व्यवस्था को पूंजी-निर्माण के रूप माना गया है । इसके विपरीत 1973-74 के बजट में कृषि, उद्योग तथा परिवहन और संचार के अन्तर्गत होने वाले व्यय की व्यवस्था को 1972-73 की अपेक्षा कम दर्शाया गया है । कृषि के मामले में जो कम व्यवस्था की गयी है उसका आंशिक कारण यह हो सकता है कि पिछले वर्ष राज्य सरकारों को आपाती कृषि उत्पादन कार्यक्रम के लिये प्रदान किये गये ऋण में बहुत अधिक वृद्धि हुई थी । उद्योग के संदर्भ में हुई कमी का यह कारण है कि 1972-73 के परिशोधित अनुमानो में इसके पूर्व उल्लिखित क्षतिपूर्ति अवायगियों को भी शामिल किया गया है । परिवहन और संचार के लिये कम राशि की जो व्यवस्था की गयी है । उसका मुख्य कारण यह है कि 1972-73 में वस्तुओं में हुई 22 करोड़ रुपयों की वृद्धि की तुलना में 1973-74 में 10 करोड़ रुपयों की कमी होने की प्रत्याशा है ।

†इसके पूर्व उल्लिखित कर रियायतों के कारण इस राशि में लगभग 2 करोड़ रुपयों की कमी होगी ।

राज्य सरकारों के बजट संबंधी कार्यकलाप 1972-73

37. 1972-73 के परिशोधित अनुमानों से यह विदित होता है कि सभी राज्यों के संयुक्त बजट में 270 करोड़ रुपयों के अधिशेष* की स्थिति विद्यमान थी जबकि बजट अनुमानों में 20 करोड़ रुपयों@ के बहुत कम अधिशेष की प्रत्याशा की गयी थी (सारणी 7) । राज्य सरकारों की वित्तीय स्थितियों के परिशोधित अनुमानों में इस प्रकार जो भारी वृद्धि पायी गयी उसका प्रमुख कारण यह था कि राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार से पर्याप्त ऋण सहायता प्राप्त हुई जिसमें से 511 करोड़ रुपये** रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उनके द्वारा लिये गये ओवरड्राफ्टों के बकाया अंश को चुकाने के लिये दिये गये थे । इस राशि में से राज्य सरकारों ने 90 करोड़ रुपये चुका दिये हैं और शेष 421 करोड़ रुपयों को बाद में मध्यावधि ऋणों में परिवर्तित कर दिया गया है । उपर्युक्त 270 करोड़ रुपयों का अधिशेष परिशोधित अनुमानों में दिखाया गया है (सारणी 8) । क्योंकि रिजर्व बैंक से लिये गये ओवरड्राफ्टों को चुकाने के लिये अप्रैल 1972 में किये गये लेनदेनों को पूर्ण रूप से पूंजीगत वितरणों के अन्तर्गत नहीं लिया गया है । फिर भी अद्यतन आंकड़ों के आधार पर राज्य सरकारों के बजट सम्बन्धी कार्यकलापों से वास्तव में यह परिलक्षित होता है कि उनके पास लगभग 14 करोड़ रुपयों का शुद्ध अधिशेष विद्यमान था‡ जो बजट अनुमानों के लगभग अनुरूप था ।

38. राज्य सरकारों के कुल वितरणों की राशि (7036 करोड़ रुपये) उनकी कुल प्राप्तियों की राशि (6885 करोड़ रुपये) से अधिक थी । कुल प्राप्तियों मे 1971-72 की अपेक्षा जहां 10 प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए थी वहां उनमें वास्तव में लगभग 17 प्रतिशत की वृद्धि पायी गयी । राज्यों के निजी करों से प्राप्त होने वाली राशि में 13 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि की अपेक्षा केवल 10.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई । इसके बावजूद उनकी कुल प्राप्तियों में उक्त वृद्धि हुई । इस कमी का अधिकांश भाग केन्द्रीय करों, अनुदानों और ऋणों में राज्यों के हिस्से के रूप में केन्द्रीय सरकार से राशि अन्तरित कर समायोजित किया गया । सहायता अनुदानों और केन्द्रीय करों में से राज्यों को मिलने वाले हिस्से में 13 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई जबकि केन्द्रीय सरकार से लिये गये ऋणों की राशि में 18.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई । बजट अनुमानों की तुलना में कुल प्राप्तियों में 431 करोड़ रुपये की जो वृद्धि हुई, उसमें से लगभग 69 प्रतिशत वृद्धि पूंजीगत प्राप्तियों में हुई । पूंजीगत प्राप्तियों का अधिकांश भाग केन्द्रीय सरकार से ऋणों के रूप में प्राप्त हुआ ।

*नकदी जमा में हुई वृद्धि/कमी, नकदी जमा निवेश लेखे में से किये गये वास्तविक अन्तरणों के जरिये राज्य सरकारों द्वारा की गयी प्रतिभूतियों की वास्तविक खरीद/बिक्री, राजस्व प्रारक्षिता निधियों और अर्थोपाय अग्रिमों और ओवरड्राफ्टों (1 मई, 1972 से सात दिनों में प्रतिदेय) के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दिये गये ऋण में हुई कमी/वृद्धि की जो स्थिति राज्य बजटों में दर्शायी गयी है, उसके अनुसार समग्र अधिशेष या घाटे का निर्धारण किया जाता है ।

@यह राशि पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में दी गयी राशि से थोड़ी-सी भिन्न होगी; क्योंकि उसमें पंजाब सरकार द्वारा 1972-73 के दौरान प्रस्तुत किये गये पूरक अनुमानों के प्रभाव को छोड़ दिया गया है ।

**इसमें 1972-73 में वित्तीय साधनों में पायी गयी खाई को दूर करने के लिये जम्मू और काश्मीर की सरकार को योजनेतर ऋण के अंश के रूप में दिये गये 8 करोड़ रुपये शामिल हैं ।

‡रिजर्व बैंक के अभिलेखों के अनुसार नकदी जमाराशियों, रिजर्व बैंक से लिये गये अर्थोपाय अग्रिमों, और खजाना बिलों में हुई घट-बढ़ से विवक्षित ।

सारणी 6 : केन्द्रीय सरकार का विकास और विकासेतर व्यय

(राशि करोड़ रुपयों में)

	1969-70 (लेखे)		1970-71 (लेखे)		1971-72 (लेखे)		1972-73 (बजट अनुमान)		1972-73 (परिशोधित अनुमान)		1973-74 (बजट अनुमान)	
	राशि	पिछले वर्ष की तुलना में घट-बढ़ का प्रतिशत	राशि	पिछले वर्ष की तुलना में घट-बढ़ का प्रतिशत	राशि	पिछले वर्ष की तुलना में घट-बढ़ का प्रतिशत	राशि	पिछले वर्ष की तुलना में घट-बढ़ का प्रतिशत	राशि	पिछले वर्ष की तुलना में घट-बढ़ का प्रतिशत	राशि	पिछले वर्ष की तुलना में घट-बढ़ का प्रतिशत
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
कुल व्यय (क+ख)	4925 (100.0)	+8.8	5576@ (100.0)	+13.2	6710 (100.0)	+20.3	6869 (100.0)	+2.4	7840 (100.0)	+16.8	7642 (100.0)	—2.5
क. विकास व्यय (i+ii)	2352 (47.8)	+5.2	2659 (47.7)	+13.1	3126 (46.6)	+17.6	3544 (51.6)	+13.4	4025 (51.3)	+28.8	4056 (53.1)	+0.8
(i) समाज सेवाएं	304 (6.2)	+10.5	364 (6.5)	+19.7	452 (6.7)	+24.2	663 (9.7)	+46.7	679 (8.6)	+50.2	746 (9.8)	+9.9
(ii) आर्थिक सेवाएं*	2048 (41.6)	+4.5	2295 (41.2)	+12.0	2674 (39.9)	+16.5	2881 (41.9)	+7.7	3346 (42.7)	+25.1	3310 (43.3)	—1.1
ख. विकासेतर व्यय (i+ii)	2573 (52.2)	+12.3	2917 (52.3)	+13.4	3584 (53.4)	+22.9	3325 (48.4)	—7.2	3815 (48.7)	+6.4	3586 (46.9)	—6.0
(i) सामान्य सेवाएं	1492 (30.3)	+6.4	1777 (31.9)	+19.2	2018 (30.1)	+13.6	1909 (27.8)	—5.4	2264 (28.9)	+12.2	2146 (28.1)	—5.2
(ii) अनिर्धारणीय सेवाएं	1081 (21.9)	+21.6	1140 (20.4)	+5.5	1566 (23.3)	+37.4	1416 (20.6)	—9.6	1551 (19.8)	—1.0	1440 (18.8)	—7.2

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े कुल व्यय में प्रतिशत को दर्शाते हैं ।

@ इसमें राष्ट्रीयकृत बैंकों को क्षतिपूर्ति के रूप में अदा किये गये 84 करोड़ रुपयों की अनुमानित राशि और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को अवांछनीय, ब्याजरहित रुपया प्रतिभूतियों के रूप में अदा किये गये 114 करोड़ रुपयों की अनुमानित अतिरिक्त अंशदान राशि शामिल है ।

*इसमें एक मुश्त अनुदान और ऋण शामिल है ।

सारणी 7 : पूंजी निर्माण पर भारत सरकार का व्यय

(राशि करोड़ रुपयों में)

	1968-69 (लेखे)	1969-70 (लेखे)	1970-71 (लेखे)	1971-72 (लेखे)	1972-73 (बजट अनुमान)	1972-73 (परिशोधित अनुमान)	1973-74 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. सकल प्रत्यक्ष अचल पूंजी निर्माण . .	449	430	485	566	757	760	913
II. वस्तु सूचियों में वृद्धि . . .	—173	—37	34	31	—33	—11	—16
III. शुद्ध प्रत्यक्ष पूंजी निर्माण (सकल प्रत्यक्ष अचल पूंजी निर्माण में से नवीकरणों और प्रतिस्थापनों पर किये गये व्यय को घटाने, किन्तु वस्तु-सूचियों में हुई वृद्धि को जोड़ने के बाद) . . .	193	318	428	506	604	635	759
IV. पूंजी-निर्माण (क+ख+ग) के लिये वित्तीय सहायता	1384	1219	1285 (1369)*	1564	1717	1969	1986
(क) राज्य सरकारें और संघशासित क्षेत्र . .	709	692	740	885	899	1074	1167
(ख) विभागेतर वाणिज्यिक उपक्रम (1+2) .	623	444	448 (532)*	545	674	750	676
1. वित्तीय संस्थाएं	69	42	70 (154)*	63	103	144	117
2. अन्य	554	402	378	482	571	606	559
(ग) अन्य पार्टियां@	52	83	97	134	144	145	143
जोड़ (I+II+IV) . .	**1660**	**1612**	**1804 (1888)***	**2161**	**2441**	**2718**	**2883**

टिप्पणी : इस सारणी में पूंजी निर्माण पर हुआ व्यय सकल आधार पर दर्शाया गया है ।

*राष्ट्रीयकृत बैंकों को प्रदत्त की गयी क्षतिपूर्ति को मिला कर ।

@स्थानीय प्राधिकारियों और दूसरों को दी गयी सहायता शामिल है ।

39. सूखे की स्थितियों का प्रभाव राज्य सरकारों द्वारा किये गये वितरणों में परिलक्षित हुआ । बजट अनुमानों के अनुसार वितरणों की राशि में 1971-72 की अपेक्षा 4.4 प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिये थी, परन्तु उसमें वस्तुतः 14.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई । विकासेतर व्यय में जहां 3.8 प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिये थी वहां 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई जिसका प्रमुख कारण अकाल राहत के अन्तर्गत चालू व्यय में भारी वृद्धि हो जाना था । कई राज्यों में विद्यमान अभाव की स्थितियों के परिणामस्वरूप राज्य सरकारों द्वारा अन्य पार्टियों को, विशेषकर कृषकों को दी गयी ऋण सहायता में भी वृद्धि हुई । ऐसी ऋण सहायता राशि में वास्तव में 23 प्रतिशत की वृद्धि पायी गयी । उनके विकास व्यय में भी में वृद्धि पायी गयी, जो 1971-72 की अपेक्षा 20 प्रतिशत अधिक और 1972-73 के बजट अनुमानों की अपेक्षा 8.6 प्रतिशत अधिक था ।

राज्य सरकारों के बजट संबंधी कार्यकलाप 1973-74

40. राज्य सरकारों के 1973-74 के बजटों के सम्बन्ध में एक उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि उनके योजनागत परिव्यय की राशि में 234 करोड़ रुपयों (14.6 प्रतिशत) की वृद्धि की गयी और उक्त परिव्यय राशि बढ़कर 1836 करोड़ रुपये हो गयी । परन्तु इसके अनुरूप अतिरिक्त वित्तीय साधन जुटाने के लिये राज्य सरकारों ने व्यापक प्रयत्न नहीं किये । जहां 1972-73 में 69 करोड़ रुपयों‡ के नये कर जुटाने के प्रयत्न किये गये थे वहां 1973-74 में राज्य सरकारों द्वारा घोषित प्रयत्नों से कुल 40 करोड़ रुपयों का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की

‡यह पूरे वर्ष में प्राप्त होने वाली राशि है । इसमें बकाया करों की वसूली के लिये किये गये अभियान और कर प्रशासन संघ को मजबूत बनाने से प्राप्त होने वाली राशि शामिल नहीं है ।

सारणी 8 : राज्यों की समग्र बजट स्थिति

(राशि करोड़ रुपयों में)

	1969-70 (लेखे)	1970-71 (लेखे)	(1) की तुलना में (2) में हुई वृद्धि का प्रतिशत	1971-72 (लेखे)‡	(2) की तुलना में (4) में हुई वृद्धि का प्रतिशत	1972-73@ (बजट)‡
	1	2	3	4	5	6
1. कुल प्राप्तियां (अ+आ)	4889	5071	+3.7	5873	+15.8	6454
अ. राजस्व प्राप्तियां (i+ii)	3053	3371	+10.4	4045	+20.0	4400
(i) राज्यों की निजी राजस्व प्राप्तियां	1896	2049	+ 8.1	2259	+ 9.8	2536
उनमें से कर प्राप्तियां	1356	1528	+12.7	1695	+10.9	1914
(ii) केन्द्रीय सरकार से अन्तरित किये गये वित्तीय साधन (क+ख)	1157	1322	+14.3	1795	+35.8	1864
(क) करों का हिस्सा	625	756	+21.0	942	+24.6	1058
(ख) केन्द्रीय सरकार से अनुदान	532	566	+ 6.4	853	+50.7	806
आ. पूंजीगत प्राप्तियां (i+ii)	1836	1700	— 7.4	1828	+ 7.5	2054
(i) राज्यों की निजी पूंजीगत प्राप्तियां	806	695	—13.8	636	— 8.5	853
उनमें से बाजार ऋण (सकल)	173	165	— 4.6	177	+ 7.3	188
(ii) केन्द्रीय सरकार से प्राप्त ऋण (सकल)	1030	1005	— 2.4	1192	+18.6	1201
2. कुल वितरण	4830	5212	+ 7.9	6162	+18.2	6434
उनमें से						
(क) विकास परिव्यय	2130	2428	+14.0	2861	+17.8	3157
(ख) विकासेतर परिव्यय	1483	1518	+ 2.4	1845	+21.5	1915
(ग) केन्द्रीय सरकार के ऋणों की चुकौती	608	634	+ 4.3	802	+26.5	785
(घ) अन्य पार्टियों को ऋण और अग्रिम	432	491	+13.7	555	+13.0	453
(ङ) बाजार ऋणों की चुकौती	85	59	—30.6	73	+23.7	84
3. समग्र अधिशेष (+) या घाटा (—) (I—II)	+59	—141		—289£		+20

टिप्पणी : 1. यहां दिये गये आंकड़े पिछली वार्षिक रिपोर्टों के आंकड़ों से मेल नहीं खाते । इसका प्रमुख कारण यह है कि विभागीय उपक्रमों के शुद्ध अंशदानों को दूसरे शीर्ष के अधीन स्वीकार किया गया है; इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लिये गये शुद्ध अर्थोपाय अग्रिमों और ओवरड्राफ्टों (राज्य बजटों के अनुसार) को पहले जहां चल ऋण के अन्तर्गत राज्यों की पूंजीगत प्राप्तियो के अंश के रूप में दर्शाया जाता था वहां उन्हें 1971-72 की रिपोर्ट से वित्तीय सहायता की मदों के रूप में स्वीकार किया गया है ।

2. 1973-74 (बजट) के लिये कोष्ठकों में दिये गये आंकड़ों राज्यों के बजट प्रस्तावों से प्राप्त होने वाली अनुमानित राशि और 1973-74 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रस्तावित अतिरिक्त करार्धान से राज्यों को मिलने वाले हिस्से को जोड़ने के बाद बने है ।

3. 1972-73 (परिणोधित) के लिये कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े कुल प्राप्तियों, पूंजीगत प्राप्तियों और केन्द्रीय सरकार से लिये गये ऋणों से सम्बन्धित है; उनमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से राज्यों द्वारा लिये गये ओवरड्राफ्टों की बकाया राशि को चुकाने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये 511 करोड़ रुपयों के अर्थोपाय अग्रिम शामिल नहीं हैं; कुल वितरणों और केन्द्रीय सरकार से लिये गये ऋणो की चुकौती में वे 90 करोड़ रुपये शामिल नहीं है जो उपर्युक्त राशि के संदर्भ में आंशिक रूप में चुकाये गये । समग्र अधिशेष/घाटा तदनुसार समायोजित किया गया है ।

4. चौकोर कोष्ठकों के आंकड़े 1972-73 (परिणोधित अनुमान) के लिये कोष्ठकों में दिये गये आंकड़ों की तुलना में 1973-74 (बजट अनुमान) में हुई वृद्धि के प्रतिशत को दर्शाते हैं ।

सारणी 8 : राज्यों की समग्र बजट स्थिति (जारी)

(राशि करोड़ रुपयों में)

	(4) की तुलना में (6) में हुई वृद्धि का प्रतिशत	1972-73 (परि-शोधित)‡	(6) की तुलना में (8) में हुई वृद्धि का प्रतिशत	1973-74 (बजट)‡	(8) की तुलना में (10) में हुई वृद्धि का प्रतिशत	
	7	8	9	10	11	
1. कुल प्राप्तियां (अ+आ)	+ 9.9	7396	+25.9	7230	— 2.2	[+5.0]
		(6885)	(17.2)	(7312)	(—1.1)	[+6.2]
अ. राजस्व प्राप्तियां (1+2)	+ 8.8	4534	+12.1	4899	+ 8.1	
				(4981)	(+9.9)	
(1) राज्यों की निजी राजस्व प्राप्तियां	+12.7	2304	+11.3	2639	+ 5.4	
				(2679)	(+7.0)	
उनमें से कर प्राप्तियां	+12.9	1873	+10.5	2013	+7.5	
				(2052)	(+ 9.6)	
(2) केन्द्रीय सरकार से अन्तरित किये गये वित्तीय साधन (क+ख)	+ 3.8	2030	+13.1	2260	+11.3	
				(2302)	(+13.4)	
(क) करों का हिस्सा	+12.3	1063	+12.8	1146	+ 7.8	
				(1188)	(+11.8)	
(ख) केन्द्रीय सरकार से अनुदान	—5.5	967	+13.4	1114	+15.2	
आ. पूंजीगत प्राप्तियां (1+2)	+12.4	2862	+56.6	2331*	—18.6	[—0.9]
		(2351)	(+28.6)			
(1) राज्यों की निजी पूंजीगत प्राप्तियां	+34.1	937	+47.3	1036	+10.6	
उनमें से बाजार ऋण (सकल)	+ 6.2	217	+22.6	193*	—11.1	
(2) केन्द्रीय सरकार से प्राप्त ऋण (सकल)	+ 0.8	1925	+61.5	1295	—32.7	[—8.4]
		(1414)	(18.6)			
2. कुल वितरण	+ 4.4	7126	+15.6	7510	+ 5.4	[+6.7]
		(7036)	(+14.2)			
उनमें से						
(क) विकास परिव्यय	+10.3	3427	+19.8	3798	+10.8	
(ख) विकासेतर परिव्यय	+ 3.8	2218	+20.2	2335	+ 5.3	
(ग) केन्द्रीय सरकार के ऋणों की चुकौती	— 2.1	671	—16.3	769	+14.6	[+32.4]
		(581)	(—27.6)			
(घ) अन्य पार्टियों को ऋण और अग्रिम	—18.4	683	+23.1	549	—19.6	
(ङ) बाजार ऋणों की चुकौती	+15.1	87	+19.2	1	—98.9	
3. समग्र अधिशेष (+) या घाटा (—) (1—2)		+270		—280		
		(—151)		(—198)		

@ इस में बजट प्रस्तावों का प्रभाव शामिल है। पंजाब के मामले में 1972-73 के दौरान पेश किये गये पूरक अनुमानों को शामिल नहीं किया गया है। यदि उनको हिसाब में लिया जाए तो समग्र अधिशेष की राशि 9 करोड़ रुपये होगी।

‡ आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के आंकड़े अनन्तिम हैं।

£ जम्मू और काश्मीर बैंक लिमिटेड को जम्मू और काश्मीर सरकार द्वारा ओवरड्राफ्टों की जो शुद्ध चुकौती की गयी उसे यदि हिसाब में लिया जाये तो इस घाटे में 1 करोड़ रुपये की कमी होगी।

* समानता लाने के लिये आंकड़े प्रस्तुत करते समय जम्मू और काश्मीर बिजली बोर्ड द्वारा लिये गये 3 करोड़ रुपयों के बाजार ऋणों को राज्यों की पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल नहीं किया गया है।

आशा है । इनमें से 18 करोड़ रुपये उन करों को जारी रखने से प्राप्त होंगे, जिन्हें प्रारम्भ में शरणार्थियों की राहत के लिये लागू किया गया था।

41. यह आशा की जाती है कि सभी राज्य सरकारों की 7230 करोड़ रुपयों की कुल प्राप्तियां (कराधान की 1972-73 की दरों पर) 1972-73 के परिशोधित अनुमानों की अपेक्षा 166 करोड़ रुपये कम होंगी । फिर भी 1972-73 में राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त किये गये पूर्वोल्लिखित विशेष अर्थोपाय अग्रिमों की सहायता का समायोजन करने के बाद कुल प्राप्तियों में 345 करोड़ रुपयों (5.0 प्रतिशत) की वृद्धि परिलक्षित होगी । इस वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाये गये नये करों से राज्य सरकारों को प्राप्त होने वाले अंश और अतिरिक्त वित्तीय साधन जुटाने के लिये उनके द्वारा किये गये उपायों से प्रत्याशित आय को यदि जोड़ा जाये तो कुल प्राप्तियों की राशि बढ़कर 7312 करोड़ रुपये होगी । राज्यों की कुल प्राप्तियों के स्वरूप से यह विदित होता है कि राज्यों को अपने करों से प्राप्त होने वाली राशि में बजट में 9.6 प्रतिशत की जो वृद्धि (जुटाये जाने वाले अतिरिक्त वित्तीय साधनों सहित) दर्शायी गयी है वह सम्पूर्ण चौथी योजना की अवधि के किसी भी वर्ष की वृद्धि से कम है । पिछले कुछ वर्षों में राज्यों को करों से प्राप्त होने वाली आय की वृद्धि दर कम होती जा रही है और वह 1970-71 में जहां लगभग 12.7 प्रतिशत थी वहां 1973-74 में घटकर 9.6 प्रतिशत हो गयी है । इसके विपरीत यह आशा की जाती है कि करों के अंश और सहायता अनुदानों के रूप में केन्द्रीय सरकार से अन्तरित किये गये 2302 करोड़ रुपयों के वित्तीय साधन 13.4 प्रतिशत अधिक होंगे । 1972-73 में भी उक्त वित्तीय साधनों में लगभग उतनी ही वृद्धि हुई थी । बजट में राज्य सरकारों की 2331 करोड़ रुपयों की पूंजीगत प्राप्तियों की जो व्यवस्था की गयी है वह लगभग 1 प्रतिशत की कमी को दर्शाती है जबकि 1972-73 में उसके पूर्व वर्ष की अपेक्षा उनमें 29 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई थी । बजट में केन्द्रीय सरकार से लिये जाने वाले 1295 करोड़ रुपयों के ऋणों की जो व्यवस्था की गयी है वह भी 8 प्रतिशत से अधिक कम होगी ।

42. 7510 करोड़ रुपयों के जो कुल वितरण किये गये थे 1972-73 के परिशोधित अनुमानों की अपेक्षा 384 करोड़ रुपये (5.4 प्रतिशत) अधिक होंगे जबकि 1972-73 में उनमें 15.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी*। आशा की जाती है कि विकास और विकासेतर दोनों प्रकार के व्यय में 1972-73 में हुई वृद्धि (क्रमशः 19.8 प्रतिशत और 20.2 प्रतिशत) की तुलना में इस वर्ष काफी कम अर्थात् क्रमशः 10.8 प्रतिशत और 5.3 प्रतिशत की वृद्धि होगी । राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय सरकार को जो ऋण चुकाये जायेंगे उनमें 14.6 प्रतिशत की वृद्धि होने की आशा की जाती है जबकि 1972-73 में इसके विपरीत उनमें 16.3 प्रतिशत की कमी हुई थी । राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय सरकार को चुकाये जाने वाले ऋणों की मात्रा में जो वृद्धि होगी वह राज्य सरकारों द्वारा अपनी ओर से अन्य पार्टियों को प्रदान की जाने वाली ऋण सहायता में काफी कमी कर देने के कारण आंशिक रूप से समायोजित हो जायेगी । उक्त सहायता को बजट में 19.6 प्रतिशत कम दर्शाया गया है।

43. संक्षेप में, यह आशा की जाती है कि राज्य सरकारों के 1973-74 के बजट सम्बन्धी कार्यकलापों से अन्त में 280 करोड़ रुपयों का घाटा होगा । परन्तु अतिरिक्त वित्तीय साधन जुटाने के राज्य सरकारों के प्रयत्न और केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाये जाने वाले अतिरिक्त करों से उनको प्राप्त होने वाले अंशों के परिणामस्वरूप उक्त घाटे की राशि में 82 करोड़ रुपयों की कमी होगी और वह 198 करोड़ रुपये रह जायेगी । यह स्पष्ट नहीं है कि इस घाटे को कैसे पूरा किया जायेगा । इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि संभवतः हरियाणा को छोड़कर किसी भी राज्य सरकार ने कृषि जोतों पर कर लगाये जाने से सम्बन्धित राज समिति की सिफारिश को कार्यान्वित करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है । वन योजनाओं तथा सड़क और जल परिवहन योजनाओं को छोड़कर राज्य सरकारों के अन्य सभी वाणिज्यिक उपक्रमों का अंशदान नकारात्मक रहा है । यदि राज्य सरकारें काफी मात्रा में अतिरिक्त वित्तीय साधन जुटाना चाहती हों तो उन्हें ऐसे उपाय अपनाने पड़ेंगे जिनसे कृषि से अधिक आय मिले और उन्हें अपने वाणिज्यिक उपक्रमों से अधिशेष प्राप्त करने के लिये भी प्रयत्न करने होंगे ।

राज्यों द्वारा लिये गये ओवरड्राफ्ट

44. जैसा कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में कहा जा चुका है, 30 अप्रैल, 1972 तक 642 करोड़ रुपयों के जो ओवरड्राफ्ट बकाया थे, उनका अंशतः केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान की गयी विशेष सहायता द्वारा और अंशतः राज्यों को देय राशियों की अग्रिम अदायगी द्वारा इस उद्देश्य के लिये बनायी गयी एक विशेष योजना के अधीन शोधन किया गया । 1 मई 1972 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोई ओवरड्राफ्ट लेने की अनुमति नहीं दी। अब ओवरड्राफ्ट केवल सात दिनों से अनधिक अस्थाई अवधि के लिये ही अनुमत हैं । परन्तु सभी राज्यों के लिये रिजर्व बैंक द्वारा दिये जाने वाले निर्बाध अर्थोपाय अग्रिमों की सीमाओं को बढ़ाकर कुल 78 करोड़ रुपये कर दिया गया है । इनके अतिरिक्त राज्य सरकार विशेष और अतिरिक्त विशेष अर्थोपाय अग्रिमों के रूप में जमानती अग्रिम प्राप्त कर सकती हैं । राज्य सरकारों ने अर्थोपाय अग्रिमों की इन संशोधित सुविधाओं का काफी कम मात्रा में लाभ उठाया और निर्बाध अग्रिमों के शीर्ष के अन्तर्गत अधिकतम बकाया राशि 64 करोड़ रुपयों से अधिक नहीं थी। जिन कतिपय राज्य सरकारों ने रिजर्व बैंक से अस्थायी रूप से अधिक राशि ली थी उन्होंने सात दिनों की निर्धारित समय सीमा के भीतर ओवरड्राफ्टों का शोधन कर दिया । इस प्रकार राज्य सरकारों द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लिये जाने वाले ओवरड्राफ्टों को समाप्त करने के लिये की गयी नयी व्यवस्था और श्रेष्ठ वित्तीय अनुशासन का 1972-73 में अपेक्षानुसार संतोषजनक परिणाम पाया गया।

बाजार ऋण

45. 1972-73 में सरकार के व्यय में जो वृद्धि हुई उसके अधिकांश भाग की वित्तीय व्यवस्था बाजार ऋणों द्वारा वित्तीय साधन जुटाकर की गयी । बाजार ऋणों से केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को समन्वित रूप से 1972-73 में 612 करोड़ रुपयों की शुद्ध प्राप्ति हुई अर्थात् उसमें 1971-72 में प्राप्त 396 करोड़ रुपयों की अपेक्षा 216 करोड़ रुपयों की वृद्धि पायी गयी। इस वृद्धि में से केन्द्रीय सरकार के हिस्से में 183 करोड़ रुपये और राज्य सरकारों के हिस्से में 33 करोड़ रुपये थे । केन्द्रीय सरकार ने चार बार ऐसे अवसर पर बाजार ऋण जारी किये जब बैंकिंग संघटन के पास काफी मात्रा में अतिरिक्त निधियां उपलब्ध थीं (सारणी 9) ।

46. 4 सितम्बर, 1972 को, 20 राज्य सरकारों‡ ने सममूल्य पर 197.25 करोड़ रुपयों की राशि के लिये 5¾ प्रतिशत ब्याज वाले 12 वर्षों के ऋण जारी किये। 1972-73 के दौरान राज्य सरकारों को प्राप्त शुद्ध बाजार ऋणों की कुल राशि 134 करोड़ रुपये थी जबकि 1971-72 में उक्त राशि 101 करोड़ रुपये थी ।

*1972-73 में किये गये कुल वितरणों में केन्द्रीय सरकार को चुकाये गये 90 करोड़ रुपयों के अर्थोपाय अग्रिम शामिल हैं । राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय सरकार को 1973-74 में चुकायी जाने वाली राशि के सम्बन्ध में इस प्रकार के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । 1973-74 के कुल वितरणों की राशि विशेष अर्थोपाय सहायता सहित 1972-73 के कुल वितरणों की राशि से मेल खाती है ।

‡हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर, मणिपुर, मेघालय और नागालैंड पहली बार बाजार ऋण जारी किये ।

सारणी 9 : 1972-73 के दौरान भारत सरकार के बाजार ऋण

(राशि करोड़ रुपयों में)

जारी किये गये ऋण	निर्गम मूल्य (रुपये प्रतिशत)	राशि				ऐसी अपरिवर्तित प्रतिभूतियों के लिये जिनकी अवधि समाप्त हो गयी थी, नकदी में की गयी अदायगी	शुद्ध बाजार ऋण (3-6)
		प्रस्तावित	अभिदत				
			नकदी	परिवर्तन	जोड़ (3+4)		
	1	2	3	4	5	6	7
4½ प्रतिशत ऋण, 1979	100.00		57	44	102		
5 प्रतिशत राष्ट्रीय रक्षा ऋण, 1981	100.00		10	—	10		
5 प्रतिशत ऋण, 1982	100.00		10	—	10		
5 प्रतिशत ऋण, 1983	99.50 99 65	710	171	88	259	18	
5 प्रतिशत ऋण, 1984	99.50		50	—	50		
5¼ प्रतिशत ऋण, 1988	99.50		60	—	60		
5½ प्रतिशत ऋण, 2002	100.00		183	105	288		
1972-73 के दौरान कुल ऋण			**541**	**237**	**779**	**63@**	**478**

टिप्पणी : राशियों को पूर्णांकित कर देने के कारण अलग-अलग ऋणों से ऋणों के जोड़ नहीं मिलेंगे ।

@ इनमें इस वर्ष के दौरान उन प्रतिभूतियों के लिये जिनकी अवधि समाप्त हो गयी थी, नकदी में चुकाये गये 45 करोड़ रुपये शामिल हैं ।

स्रोत: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अभिलेख ।

47. यह अनुमान है कि केन्द्रीय सरकार के 1972-73 के बजट में अल्प बचतों से प्राप्त होने वाली शुद्ध राशि 230 करोड़ रुपये* होगी। 1972-73 के दौरान की गयी वास्तविक शुद्ध वसूलियों की राशि अब 351 करोड़ रुपये निर्धारित की गयी है । केन्द्रीय सरकार के 1973-74 के बजट में इन प्राप्तियों की राशि 325 करोड़ रुपये होने की आशा है ।

बचत और निवेश

48. पूंजीगत लेखे में प्राप्त अन्य राशियों के साथ बाजार ऋणों की सहायता से केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों, संघशासित क्षेत्रों, स्थानीय प्राधिकारियों और विभागेतर वाणिज्यिक उपक्रमों को 1972-73 में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से 2718 करोड़ रुपयों के सकल पूंजी-निर्माण के लिये वित्तीय सहायता प्रदान कर सकी ।

49. 1973-74 के बजट में केन्द्रीय सरकार ने सकल और शुद्ध बाजार ऋणों के लिये क्रमशः 880 करोड़ रुपयों और 326 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की है । ऋण कार्यक्रम के पहले चरण के दौरान केन्द्रीय सरकार ने 12 मई, 1973 को 500 करोड़ रुपयों की राशि के लिये 4½ प्रतिशत ऋण 1980, 5 प्रतिशत ऋण, 1984 (दूसरा निर्गम) और 5½ प्रतिशत ऋण 2003 जारी किये । उनमें 551 करोड़ रुपयों के अभिदान किये गये जिनमें से 170 करोड़ रुपये नकदी में और शेष परिवर्तन के रूप में थे । ऋण कार्यक्रम के दूसरे चरण में केन्द्रीय सरकार ने 21 जुलाई 1973 को 325 करोड़ रुपयों की राशि के लिये 4½ प्रतिशत ऋण, 1981, 5¼ प्रतिशत ऋण, 1987 और 5½ प्रतिशत ऋण 2003 (दूसरा निर्गम) जारी किये । उनसे 358 करोड़ रुपयों की जो कुल अभिदान राशि प्राप्त हुई उसमें से 212 करोड़ रुपये नकदी में प्राप्त हुए । नकदी में पुराने ऋणों का जो भुगतान किया गया उसे हटा देने पर इन दो चरणों से केन्द्रीय सरकार को प्राप्त शुद्ध बाजार ऋणों की राशि 354 करोड़ रुपये थी । जहां तक राज्य सरकारों का सम्बन्ध है, 149.75 करोड़ रुपयों की कुल अधिसूचित राशि के लिये सममूल्य पर 5½ प्रतिशत ऋण, 1985 की घोषणा की गयी है । 1973-74 में किसी भी राज्य सरकार के ऋणों की अवधि समाप्त नहीं होने वाली है ।

50. राज्य सरकारों द्वारा पूंजी निर्माण पर किये गये व्यय का अनुमान लगाने के लिये कोई व्यौरेवार जानकारी उपलब्ध नहीं है । पिछले वर्ष की तुलना में राज्य सरकारों के विकास परिव्यय में राजस्व लेखे और पूंजीगत लेखे के अन्तर्गत 566 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई है । (सारणी 8) । चूंकि राज्य सरकारों के विकास व्यय का बहुत बड़ा अंश शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सिविल निर्माण कार्य आदि के चालू परिव्यय से सम्बन्धित है, अतः यह कहना कठिन है कि इस वृद्धि का कितना अंश पूंजी निर्माण के अतिरिक्त व्यय से सम्बन्धित है । जहां तक पूंजी निर्माण के वित्तपोषण का सम्बन्ध है उक्त वृद्धि का अधिकांश भाग केन्द्रीय सरकार से ऋणों और अन्य अन्तरणों के रूप में प्राप्त हुआ । राज्य सरकारों की अपनी बचत का अंश पिछले वर्ष की अपेक्षा कुछ कम ही था ।

*कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अधीन भविष्य निधियों के 75 प्रतिशत का डाकघर की मीयादी जमाराशियों में निवेश करने का निर्णय किये जाने के परिणामस्वरूप इस राशि को बढ़ाकर 275 करोड़ रुपये कर दिया गया ।

51. हिन्दुस्तान स्टील, हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन और हैवी इलैक्ट्रिकल्स आदि सरकारी क्षेत्र के बड़े प्रतिष्ठानों की वित्तीय स्थिति में कुछ सीमान्त सुधार हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी क्षेत्र की बचत में हुई कमी रोकी जा सकी है। इसके अलावा, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, केन्द्रीय सरकार की शुद्ध बचत की राशि 1972-73 में 458 करोड़ रुपये थी जबकि 1971-72 में 178 करोड़ रुपये थी। उक्त बचत 1973-74 में बढ़कर 846 करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान है। शुद्ध निवेश की राशि बढ़कर 759 करोड़ रुपये हो जाने की आशा है। इससे यह प्रत्याशा की जाती है कि बचत में 87 करोड़ रुपयों का अधिशेष होगा। 1973-74 के इस अधिशेष के मुकाबले में 1972-73 में 177 करोड़ रुपयों की कमी हुई थी जो 1971-72 में हुई 328 करोड़ रुपयों की कमी की अपेक्षा और कम थी। केन्द्रीय सरकार की बचत में जो सुधार हुआ है उसका जारी रहना इस बात पर निर्भर करता है कि कहां तक चालू व्यय को बजट में की गयी व्यवस्थाओं के भीतर सीमित किया जायेगा।

52. इससे यह तथ्य उभरता है कि सरकारी बचत और सरकारी निवेश व्यय की राशि 1971-72 की अपेक्षा 1972-73 में अधिक थी। परन्तु इस से भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उपभोग और निवेश के लिये वस्तुओं की खरीद और सेवाओं पर सरकारों द्वारा किये जाने वाले परिव्यय की राशि गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा करों और ऋणों के रूप में सरकार को अन्तरित की गयी राशि से काफी अधिक थी। इसका अनिवार्य परिणाम यह हुआ कि एक ओर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से सरकारी क्षेत्र द्वारा लिये जाने वाले ऋणों में तेजी से वृद्धि हुई और दूसरी ओर आवश्यक उपभोग में भी कमी आयी।

मुद्रा और बैंक व्यवसाय की गतिविधियां

मुद्रा उपलब्धि और कुल मुद्रागत साधनों की प्रवृत्तियां

53. जैसा कि पहले देखा गया है, सरकारी और निजी क्षेत्रों के व्यय में हुई वृद्धि के साथ-साथ मुद्रा उपलब्धि और कुल मुद्रागत साधनों में भी तेजी से वृद्धि हुई। जनता के पास रहने वाली मुद्रा में जहां 1972-73 में 15.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई वहां पिछले वर्ष 14.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। कुल मुद्रागत साधनों में पिछले वर्ष की 16.9 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में इस वर्ष 17.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पिछले वर्ष के विपरीत इस वर्ष हुई इस मुद्रा वृद्धि की विशेषता यह थी कि उसके चलमुद्रा घटक में 857 करोड़ रुपयों (17.2 प्रतिशत) की भारी वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष 388 करोड़ रुपयों (8.5 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी। इसके विपरीत, जमा रकम में पिछले वर्ष हुई 673 करोड़ रुपयों (23.4 प्रतिशत) की वृद्धि की तुलना में 469 करोड़ रुपयों (13.2 प्रतिशत) की कम वृद्धि हुई। इस प्रवृत्ति के अनुकूल, मुद्रा उपलब्धि में चल मुद्रा का सीमांत अनुपात 36.6 प्रतिशत से बढ़कर 64.6 प्रतिशत हो गया (सारणी 10)। परन्तु मीयादी जमाराशियों में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई अर्थात् उनमें चल मुद्रा या मांग जमाराशियों में हुई वृद्धि की अपेक्षा अधिक तेजी से वृद्धि हुई।

सारणी 10 : मुद्रा उपलब्धि और मुद्रागत साधनों की प्रवृत्तियां (वार्षिक)

(राशि करोड़ रुपयों में)

	जून के अन्त में बकाया			जुलाई-जून के दौरान घट-बढ़		
	1971	1972	1973	1970-71	1971-72	1972-73
मुद्रा उपलब्धि के घटक						
1. जनता के पास चल मुद्रा	4591	4979	5836	+ 421	+ 388	+ 857
2. मांग जमाराशियां	2871	3544	4013	+ 406	+ 673	+ 469
3. मुद्रा उपलब्धि (1+2)	7462	8523	9849	+ 828	+1061	+ 1326
4. मीयादी जमाराशियां	3660	4476	5434	+ 562	+ 816	+ 958
5. मुद्रागत साधन (3+4)	11122	12999	15283	+1389	+1877	+ 2284
मुद्रा उपलब्धि को प्रभावित करने वाले तत्व						
6. बैंकों द्वारा सरकार को दिया गया शुद्ध ऋण (क+ख)	5755	6989	8427	+ 931	+1234	+ 1438
(क) रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया शुद्ध ऋण	4316	5194	6149	+ 734	+ 878	+ 955
(ख) दूसरे बैंकों द्वारा सरकार को दिया गया शुद्ध ऋण	1439	1795	2279	+ 197	+ 356	+ 484
7. बैंकिंग क्षेत्र की शुद्ध विदेशी मुद्रा आस्तियां	569	605	587	— 95	+ 36	— 18
8. जनता के प्रति सरकार की शुद्ध चल मुद्रा देयताएं	395	419	439	+ 21	+ 24	+ 20
9. जोड़ (6+7+8)	6719	8013	9453	+ 857	+1294	+1440
10. बैंकों द्वारा वाणिज्य क्षेत्र को दिया गया ऋण*	5748	6683	7720	+ 721	+ 935	+1037
(क) बैंकों द्वारा वाणिज्य क्षेत्र को दिया गया शुद्ध ऋण*	2087	2207	2286	+ 158	+ 120	+ 79
11. जोड़ (9+10)	12467	14696	17173	+1578	+2229	+2477
12. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शुद्ध मुद्रेतर देयतायें (वृद्धि—)	817	1066	1143	— 177	—249	— 77
13. शेष (वृद्धि—)	527	632	747	— 10	— 105	— 115

* इन में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों और राज्य सरकारों को वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिये दिये गये अग्रिम शामिल हैं।

टिप्पणी : 1971-72 में किये गये कुछ लेखा समायोजनों के बाद 'सरकार को बैंकों द्वारा दिये गये शुद्ध ऋण' में 1159 करोड़ रुपयों की वृद्धि पायी गयी जबकि 1970-71 में 831 करोड़ रूपयों की वृद्धि हुई थी। इन लेखा समायोजनों का कोई प्रभाव 'मुद्रा उपलब्धि' के आंकड़ों पर नहीं पड़ा; क्योंकि उक्त समायोजन इस प्रकार किये गये हैं कि एक तत्व में मुद्रा उपलब्धि में होने वाले वृद्धि दूसरे तत्व से मुद्रा उपलब्धि में होने वाली कमी से संतुलित हो गये। परन्तु उन समायोजनों से बैंकों द्वारा सरकार को दिये गये शुद्ध ऋण में 1971-72 में 75 करोड़ रुपये और 1970-71 (जुलाई-जून) में 100 करोड़ रुपये अधिक दिखाये गये हैं और 1971-72 में शुद्ध विदेशी मुद्रा आस्तियों में 23 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मुद्रेतर देयताओं के कारण 1971-72 और 1970-71 में क्रमशः 98 करोड़ रुपयों और 100 करोड़ रुपयों की कमी हुई।

54. बड़ी मात्रा में हुई इस मुद्रा वृद्धि का प्रमुख कारण यह था कि लगातार दूसरे वर्ष भी सरकार को बैंकों द्वारा दिये गये शुद्ध ऋण में तेजी से वृद्धि हुई । सरकार को बैंकों द्वारा दिये गये शुद्ध ऋण में जहां 1971-72 में 1234 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी वहां इस वर्ष 1438 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई । बैंकों द्वारा सरकार को दिये गये शुद्ध ऋण के घटकों की एक उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि जहां रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को दिये गये 955 करोड़ रुपयों के ऋण पिछले वर्ष की अपेक्षा 77 करोड़ रुपये अधिक थे वहां वाणिज्य और सहकारी बैंकों द्वारा दिये गये ऋण में 484 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई जो पिछले वर्ष की अपेक्षा 128 करोड़ रुपये अधिक थी । फिर भी, शुद्ध विदेशी मुद्रा आस्तियों में पिछले वर्ष की 36 करोड़ रुपयों की वृद्धि की अपेक्षा इस वर्ष हुई 18 करोड़ रुपयों की कमी के कारण मुद्रा उपलब्धि में थोड़ी सी कमी आयी । इस तथ्य के बावजूद कि मीयादी जमा राशियों में हुई वृद्धि (958 करोड़ रुपये) पिछले वर्ष की वृद्धि (816 करोड़ रुपये) की अपेक्षा अधिक थी, बैंकों द्वारा वाणिज्य क्षेत्र को दिये गये शुद्ध ऋण के फलस्वरूप मुद्रा उपलब्धि में 79 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई । सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों सहित वाणिज्य क्षेत्र को बैंकों द्वारा दिये गये कुल ऋण में पिछले वर्ष की अपेक्षा 102 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई अर्थात् वह बढ़कर 1037 करोड़ रुपये हो गया । फिर भी, यह उल्लेखनीय है कि 1970-71 से दो वर्षों की अवधि में मीयादी जमाराशियों में लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति और वाणिज्य क्षेत्र को दिये गये शुद्ध ऋण में कमी की प्रवृत्ति पायी गयी है ।

मौसमी प्रवृत्तियां

55. कम कामकाज और अधिक कामकाज की अवधियों के दौरान मुद्रा उपलब्धि के परिवर्तनीय घटकों की प्रवृत्ति पिछले वर्ष की उक्त अवधियों के दौरान पायी गयी प्रवृत्ति से भिन्न नहीं थी, फिर भी केवल इन दो वर्षों की उक्त अवधियों के बीच उन घटकों में हुई घट-बढ़ अधिक स्पष्ट थी । 1972 के दौरान (मई से अक्तूबर तक) कम कामकाज की अवधि में मुद्रा उपलब्धि में हुई 40 करोड़ रुपयों की वृद्धि पिछले वर्ष की अपेक्षा काफी कम थी जबकि पिछले कम कामकाज के समय में उसमें 171 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी । पिछले कम कामकाज के समय की तरह इसी कम कामकाज के समय में भी सारी वृद्धि जमा रकम की वृद्धि के कारण हुई । जनता के पास रहने वाली चल मुद्रा कम हो गई ।

56. सारणी 11 में दिये गये व्याख्यात्मक विवरणों से यह विदित होगा कि 1972 के कम कामकाज के समय में बैंकों द्वारा वाणिज्य क्षेत्र को दिये गये शुद्ध ऋण और बैंकिंग क्षेत्र की शुद्ध विदेशी मुद्रा आस्तियों में हुई गिरावट के प्रभावस्वरूप मुद्रा उपलब्धि में जो कमी आई वह बैंकों द्वारा सरकार को दिये गये शुद्ध ऋण में हुई वृद्धि से काफी अधिक समायोजित हो गयी । बैंकों द्वारा सरकार को दिये गये शुद्ध ऋण का सारा अंश सरकारी प्रतिभूतियों में बैंकों के निवेश के रूप में था जबकि रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को दिये गये शुद्ध ऋण में गिरावट हुई। यह उल्लेखनीय है कि रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को दिये जाने वाले शुद्ध ऋण में हुए परिवर्तन के प्रभाव और वाणिज्य बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में किये जाने वाले निवेश में हुए परिवर्तन के प्रभाव के बीच गुणात्मक अन्तर विद्यमान है । रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को दिये जाने वाले शुद्ध ऋण में होने वाली वृद्धि से प्रारक्षित राशि में स्वतः वृद्धि होगी । उक्त प्रारक्षित राशि विभिन्न प्रकार के ऋणों का निर्माण करने के लिये आधार है । इसके विपरीत, वाणिज्य बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में किये जाने वाले निवेश में हुई वृद्धि निश्चित रूप से बैंकों को उपलब्ध निधियों के उपयोग का एक वैकल्पिक माध्यम है। इस प्रकार के निवेश अधिकांशतः वाणिज्य बैंकों के जरिये सरकारी क्षेत्र को घरेलू क्षेत्र की निधियों के अग्रसरण के द्योतक हैं । अतः उनसे प्रारक्षित राशि में प्रत्यक्षतः कोई वृद्धि नहीं होती । इसके फलस्वरूप, बैंकों द्वारा सरकार को दिये जाने वाले शुद्ध ऋण में होने वाले परिवर्तन से संभाव्य मुद्रा स्फीति का प्रभाव कम हो जायेगा ।

57 वास्तव में मुद्रा उपलब्धि में 1972-73 के अधिक कामकाज के समय में वृद्धि हुई; तब उसमें 1264 करोड़ रुपयों (15.3 प्रतिशत) की अभूतपूर्व वृद्धि हुई जबकि 1971-72 और 1970-71 के अधिक कामकाज के समय की अवधियों में क्रमशः 795 करोड़ रुपयों (10.7 प्रतिशत) और 581 करोड़ रुपयों (8.7 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी । पिछले अधिक कामकाज के समय की तरह, मुद्रा उपलब्धि में हुई वृद्धि का मुख्य कारण बैंकों द्वारा सरकार को दिये जाने वाले वास्तविक ऋण में तेजी से हुई वृद्धि थी; परन्तु, इस बार बैंकों द्वारा वाणिज्य क्षेत्र को दिये गये शुद्ध ऋण में 1971-72 के अधिक कामकाज के समय में हुई वृद्धि की अपेक्षा चार गुने से अधिक जो वृद्धि हुई उसके कारण भी मुद्रा वृद्धि हुई । यह वृद्धि मुख्यतः अनाजेतर अग्रिमों में परिलक्षित हुई । यदि कम कामकाज के समय और अधिक कामकाज के समय की स्थिति पर एक साथ विचार किया जाये तो स्थिति कुछ भिन्न प्रतीत होती है । मुद्रा उपलब्धि (अप्रैल 1972-मार्च 1973) में 1304 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई जबकि इसके मुकाबले में पिछले बारह महीनों में 966 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी। बैंकों द्वारा वाणिज्य क्षेत्र को दिये गये शुद्ध ऋण में जहां इस वर्ष 232 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई वहां पिछले वर्ष 60 करोड़ रुपयों की कमी हुई थी ।

58 जनता के पास रहनेवाली मुद्रा में पिछले वर्ष के कम कामकाज के समय के पहले दो महीनों (मई और जून) में हुई वृद्धि की अपेक्षा 1973 के कम कामकाज के समय की तदनुरूप अवधि में काफ़ी अधिक मात्रा में वृद्धि हुई । जनता के पास रहनेवाली चल मुद्रा में अधिक वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष की प्रवृत्ति के विपरीत जमा रकम में हुई वृद्धि की दर काफ़ी कम रही । बैंकों द्वारा सरकार को दिये गये शुद्ध ऋण में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि मुद्रा वृद्धि का प्रमुख कारण थी । इसके विपरीत, बैंकों द्वारा वाणिज्य क्षेत्र को दिये गये शुद्ध ऋण में गिरावट आयी जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में उसमें वृद्धि हुई थी । इस प्रकार, उसके द्वारा मुद्रा उपलब्धि के विस्तार में कमी आयी ।

ईक्विटी शेयरों के मूल्य

59. 1972-73 (जुलाई-जून) में ईक्विटी शेयरों के मूल्यों में सामान्य वृद्धि हुई । उनमें मई 1972 के प्रारंभ में पायी गई कमी की प्रवृत्ति सितंबर 1972 के अंत तक जारी रही । परंतु उसके बाद उनमें क्रमिक रूप से सुधार होने लगा जो जून 1973 के अंत तक बना रहा । परिवर्तनीय लाभांशवाली औद्योगिक प्रतिभूतियों के रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के अखिल भारतीय सूचकांक (आधारः 1961-62—100) में कमी हुई अर्थात् जहां वह 24 जून 1972 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान 95.6 था वहां वह 30 सितंबर 1972 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान घटकर 90.6 हो गया । इस अवधि में बाजार का रुख मंदी की ओर रहा ; इसके निम्नलिखित प्रमुख कारण बताये जाते है : केन्द्रीय सरकार द्वारा भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी का प्रबंध अपने अधिकार में ले लिया गया ; कई राज्यों में खरीफ़ फ़सल की व्यापक हानि की सूचनाएँ मिलीं और सरकार ने औद्योगिक कामगारों के लिए न्यूनतम बोनस को 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 8.33 प्रतिशत कर देने की घोषणा की । अक्तूबर 1972 के प्रारंभ से यह प्रवृत्ति बदली और सूचकांक में क्रमिक रूप से सुधार हुआ और वह बढ़कर 23 दिसंबर 1972 को 93.8

सारणी 11 : मुद्रा उपलब्धि और मुद्रागत साधनों की प्रवृत्तियां (मौसमी)

(राशि करोड़ रुपयों में)

	निम्नलिखित समय के दौरान घट-बढ़			
	कम कामकाज का समय		अधिक कामकाज का समय	
	1971	1972	1971–72	1972–73
मुद्रा उपलब्धि के घटक				
1. जनता के पास चल मुद्रा	—23	—175	+442	+914
2. मांग जमाराशियां	+193	+215	+353	+350
3. मुद्रा उपलब्धि (1+2)	+171	+40	+795	+1264
4. मीयादी जमाराशियां	+435	+459	+326	+482
5. मुद्रागत साधन (3+4)	+606	+500	+1121	+1745
मुद्रा उपलब्धि को प्रभावित करने वाले तत्व				
6. बैंकों द्वारा सरकार को दिया गया शुद्ध ऋण (क+ख)	+388	+469	+820	+883
(क) रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया शुद्ध ऋण	+174	—69	+672	+971
(ख) दूसरे बैंकों द्वारा सरकार को दिया गया शुद्ध ऋण	+213	+538	+148	—88
7. बैंकिंग क्षेत्र की शुद्ध विदेशी मुद्रा आस्तियां	+15	—73	+32	+44
8. जनता के प्रति सरकार की शुद्ध चल मुद्रा देयताएं	+15	+3	+12	+23
9. जोड़ (6+7+8)	+418	+399	+864	+950
10. बैंकों द्वारा वाणिज्य क्षेत्र को दिया गया ऋण*	+249	+149	+453	+1024
(क) बैंकों द्वारा वाणिज्य क्षेत्र को दिया गया शुद्ध ऋण*	—187	—310	+127	+542
11. जोड़ (9+10)	+667	+548	+1317	+1974
12. रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया की शुद्ध मुद्रेतर देयताएं (वृद्धि —)	—101	+29	—223	—147
13. शेष (वृद्धि —)	+40	—77	+27	—82

*इनमें सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों और राज्य सरकारों को वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिये दिये गये अग्रिम शामिल हैं ।

सारणी 12 : मुद्रा उपलब्धि और उसके घटकों के बीच सीमान्त संबंध

वित्तीय वर्ष (अंतिम शुक्रवार)	मुद्रा उपलब्धि (करोड़ रुपये)	चल मुद्रा	बैंकों के पास रहने वाली राशि: जोड़	चालू जमा	बचत जमा	वृद्धि की दरें: मुद्रा उपलब्धि	चल मुद्रा	वाणिज्य बैंकों की चालू जमाराशियां	बचत जमाराशियों में मांग जमाराशियों का अंश
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1961–62	+177 (100)	58.2	41.8	18.6	19.2	6.2	4.9	6.0	18.6
1962–63	+264 (100)	67.1	32.6	15.9	14.0	8.7	8.1	7.2	17.1
1963–64	+442 (100)	51.4	48.6	9.5	36.4	13.4	9.5	6.7	63.4
1964–65	+328 (100)	49.7	50.3	20.7	30.2	8.7	6.3	10.2	23.9
1965–66	+449 (100)	59.0	41.0	12.0	29.6	11.0	9.6	7.4	25.9
1966–67	+421 (100)	38.7	61.3	22.6	30.6	9.3	5.4	12.1	19.9
1967–68	+400 (100)	44.8	55.2	18.5	30.5	8.1	5.6	8.4	15.7
1968–69	+429 (100)	71 3	28.7	12.4	8.6	8.0	9.1	5.5	4.1
1969–70	+608 (100)	54.1	45.9	24.8	24.7	10.5	8.9	15.0	16.0
1970–71	+753 (100)	49.4	50.6	24.8	26.8	11.8	9.3	16.1	18.6
1971–72@	+998 (100)	44.0	56.0	23.7	26.0	14.0	10.0	17.6	20.1
1972–73@	+1147 (100)	52.5	47.5	22.7‡	26.3‡	14.1	12.5	16.3‡	19.5‡

टिप्पणियां: 1. स्तंभ (1) में दिये गये आंकड़े वर्ष के दौरान हुए समग्र परिवर्तनों को दर्शाते हैं । स्तंभ (2) से (5) तक में दिये गये आंकड़े स्तंभ (1) के % हैं ।

2. बैंकों के पास रहने वाली कुल जमाराशियां चालू और बचत जमाराशियों के जोड़ से नहीं बनी हैं; क्योंकि रिजर्व बैंक के पास रहने वाली 'अन्य जमाराशियां' और राज्य सहकारी बैंकों की शुद्ध मांग देयताएँ कुल जमाराशियों में शामिल की गयी हैं ।

@अनंतिम ‡अनुमान

सारणी 13 : मुद्रा उपलब्धि, मुद्रागत साधन, चल मुद्रा और मीयादी जमाराशियां

(राशि करोड़ रुपयों में)

वित्तीय वर्ष (अन्तिम शुक्रवार)	जनता के पास रहने वाली चल मुद्रा	मुद्रा उपलब्धि	मीयादी जमा राशियां	मुद्रागत साधन (पी.एल 480 को छोड़कर)	चलमुद्रा का अनुपात		वृद्धि की दर				चलमुद्रा का सीमांत अनुपात	
					मुद्रा उपलब्धि में	मुद्रागत साधनो मे	जनता के पास रहने वाली चल मुद्रा	मुद्रा उपलब्धि	मीयादी जमा-राशियां	मुद्रागत साधन	मुद्रा उपलब्धि में	मुद्रागत साधनों में
1961-62.	2201	3046	1056	4102	72.3	53.7	4.9	6.2	15.0	8.3	58.2	32.7
1962-63.	2379	3310	1151	4461	71.9	53.3	8.1	8.7	9.0	8.8	67.4	49.6
1963-64.	2606	3752	1224	4976	69.4	52.4	9.5	13.4	6.3	11.5	51.4	44.0
1964-65.	2769	4080	1397	5477	67.9	50.6	6.3	8.7	14.1	10.1	49.7	32.5
1965-66.	3034	4529	1605	6134	67.0	49.5	9.6	11.0	14.9	12.0	59.0	40.3
1966-67.	3197	4950	1867	6817	64.6	46.9	5.4	9.3	16.3	11.1	38.7	23.8
1967-68.	3376	5350	2110	7460	63.1	45.3	5.6	8.1	13.0	9.4	44.8	27.8
1968-69.	3682	5779	2527	8306	63.7	44.3	9.1	8.0	19.8	11.3	71.3	36.1
1969-70.	4010	6387	2949	9336	62 8	43.0	8.9	10.5	16.7	12.4	54.1	31.8
1970-71.	4383	7140	3448	10588	61.4	41.4	9.3	11.8	16.9	13.4	49.5	29.8
1971-72.	4822	8138	4176	12314	59.3	39.2	10.0	14.0	21.1	16.3	44.0	25.4
1972-73@	5424	9285	5083	14368	58.4	37.8	12.5	14.1	21.7	16.7	52.5	29.3

@अनन्तिम

हो गया । 1972 में औद्योगिक उत्पादन में हुए सुधार की उत्साहजनक सूचनाओं और वित्तीय संस्थाओं द्वारा किये गये निवेशों के कारण सूचकांक में उक्त वृद्धि हुई । उसके बाद, बजट-पूर्व अवधि में सरकार द्वारा अकोक-कर कोयला खानों के प्रबंध को अपने अधिकार में ले लिये जाने के बाद बाज़ार सतर्क हो गया । परंतु 1973-74 के लिए केन्द्रीय बजट प्रस्तावों की घोषणा के बाद मार्च 1973 में उल्लेखनीय सुधार परिलक्षित हुआ ; क्योंकि बजट में कंपनी क्षेत्र के लिए कर वृद्धि का कोई प्रस्ताव नहीं किया गया था । बजट के बाद पायी गयी सुधार की प्रवृत्ति अप्रैल में रुक गयी ; क्योंकि शेयर बाज़ार के प्राधिकारियों ने शेयर बाज़ार में कार्य करनेवालों पर प्रतिबंध लगा दिये । मंदी की इस प्रवृत्ति के अन्य कारण इस प्रकार थे : कतिपय राज्यों में अनाजों की पूर्ति की स्थिति असंतोषजनक थी और विभिन्न राज्यों में बिजली की कटौती का औद्योगिक उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सूचनाएँ मिलीं । परंतु सामान्य मानसून की संभावनाओं के कारण मई और जून में हैविवटी शेयरों के मूल्यों में वृद्धि हुई । बैंक दर 6 प्रतिशत से बढ़कर 7 प्रतिशत हो गयी थी ; उसका भी प्रभाव उनपर परिलक्षित हुआ । सूचकांक में 1972-73 के दौरान 6.3 प्रतिशत की जो वृद्धि हुई वह 30 जून 1973 के अंत तक विद्यमान थी जबकि पिछले वर्ष उसमें 1.9 प्रतिशत की कमी हुई थी ।

ऋण नीति और बैंक व्यवसाय की प्रवृत्तियां

60. आलोच्य वर्ष के लिए ऋण नीति निर्धारित करते समय विभिन्न उद्देश्यों को ध्यान में रखना पड़ा । एक ओर, कुल मांग की अधिकता की वर्तमान स्थिति और बैंक व्यवस्था की बढ़ती हुई चल निधि की स्थिति को देखते हुए वाणिज्य बैंकों के लिए उपलब्ध रिज़र्व बैंक आफ़ इंडिया की पुनर्वित्त सुविधाओं को नियंत्रित करना पड़ा । दूसरी ओर औद्योगिक उत्पादन और निर्यात की वृद्धि के लिए सहायता प्रदान करने की आवश्यकता थी और यह सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता थी कि अग्रताबाले क्षेत्रों को, विशेषकर अनाजों की उगाही और रबी फ़सल के संघन कार्यक्रम के लिए पर्याप्त मात्रा में अग्रिम उपलब्ध कराये जाते हैं । इस प्रकार, सामान्य ऋण विस्तार को नियंत्रित करने और अग्रताबाले क्षेत्रों में उत्पादन को बनाये रखने के दुहरे उद्देश्यों से युक्त ऋण नीति निर्धारित करनी पड़ी ।

61. जून 1972 के अंत और दिसंबर 1972 के अंत के बीच अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा दिये गये ऋण की मात्रा प्रायः अपरिवर्तित रही । 1973 की पहली तिमाही के दौरान बैंक ऋण की मांग में वृद्धि के चिन्ह परिलक्षित हुए और उसके बाद ऋण वृद्धि की गति में तेज़ी आयी । अतः ऋण नीति में कई उपायों से ऋण विस्तार को नियंत्रित करने पर ज़ोर दिया गया । उन उपायों में बैंक दर को बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर देने और एक दशक से अधिक अवधि के बाद इस संदर्भ में परिवर्तनीय सांरक्षित निधि के अनुपात का उपयोग करने के उपाय सम्मिलित थे ।

62. जहाँ अक्तूबर 1971 के अंत में ऋण-जमा अनुपात 73.1 प्रतिशत था वहाँ बहुत अधिक कम होकर 1972-73 के अधिक कामकाज के समय के प्रारंभ में 66.2 प्रतिशत हो गया । अक्तूबर 1972 के अंतिम शुक्रवार को समाप्त हुए वर्ष का वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात केवल 30.4 प्रतिशत था । 1972 के कम कामकाज के समय के दौरान अनाजों की उगाही के सार्वजनिक कार्यों के लिए दिये गये ऋणों को छोड़कर अन्य उद्देश्यों के लिए बैंकों द्वारा दिये गये ऋण में 33 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई जब कि इस कम कामकाज के समय में हुई कुल वृद्धि 32 करोड़ रुपये थी । इसके विपरीत 1971 के कम कामकाज के समय में 163 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी । इसके अलावा, जहाँ इस वर्ष के कम कामकाज के समय के प्रारंभ में बैंकों ने केवल 23 करोड़ रुपयों तक के ऋण रिज़र्व बैंक से लिये थे वहाँ 1971 के कम कामकाज के समय के प्रारंभ में उन्होंने 191 करोड़ रुपयों के ऋण लिये थे । बैंकों ने 1971 के कम कामकाज के समय के दौरान अपने निवेशों में 254 करोड़ रुपयों की वृद्धि की थी । उसके मुकाबले में 1972 के कम काम-

काज के समय के दौरान उनके निवेशों में 624 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई । बैंकों की कुल देयताओं में उनकी चल आस्तियों का अनुपात जहाँ अक्तूबर 1971 के अंत में 31.3 प्रतिशत था वहाँ यह अक्तूबर 1972 के अंत में 36.7 प्रतिशत हो गया ।

63. पिछले दो वर्षों की तरह, इस वर्ष भी रिज़र्व बैंक ने प्रत्येक प्रमुख वाणिज्य बैंक के साथ अधिक कामकाज के समय के उसके ऋण बजट पर विचार-विमर्श किया । इन विचार-विमर्शों से यह स्पष्ट हुआ कि 1972–73 के अधिक कामकाज के समय के दौरान तथा उसके तुरंत बाद के महीनों में, जैसा कि अधिकारियों का पूर्वानुमान था, अनाजों की उगाही के लिए ऋण की काफ़ी अधिक मांग होगी और उपार्जित होने-वाली नयी जमा राशियों का काफ़ी बड़ा अंश इस अग्रतावाली मांग के लिए अलग रखना होगा । इसके अलावा, औद्योगिक क्षेत्र, विशेषकर कृषि आधारित उद्योगों की ऋण की मांग में वृद्धि होने की आशा थी । फिर भी, यह प्रत्याशा की गयी कि इस अवधि में जमा राशियों में जो वृद्धि होगी वह इतनी अधिक होगी कि उससे बैंक बिना रिज़र्व बैंक से उधार लिए इन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेंगे । अतः 14 नवंबर 1972 को घोषित की गयी नीति में स्थूल रूप से वर्तमान पुनर्वित्त सुविधाओं को बनाये रखा गया । परंतु समग्र विनियामक उपाय के रूप में रिज़र्व बैंक से लिये जानेवाले उधारों की ब्याज दर को निर्धारित करने के लिए अपेक्षित न्यूनतम शुद्ध चल निधि अनुपात में 2 प्रतिशत की वृद्धि कर उसे 34 प्रतिशत से 36 प्रतिशत कर दिया गया । बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 24 के अधीन अपनी आस्तियों का जो न्यूनतम अंश सांविधिक चल निधि अपेक्षा की पूर्ति के लिए रखते हैं उसमें 1 प्रतिशत की वृद्धि कर उसे 29 प्रतिशत से 30 प्रतिशत कर दें ।

64 चयनात्मक ऋण नियंत्रणों के ढांचे में भी संशोधन किये गये ताकि ऋणों पर विशेषकर उन वस्तुओं के लिए दिये जानेवाले ऋणों पर जिनकी पूर्ति कम होती है, नियंत्रण को मजबूत किया जा सके । अनाजों और वनस्पति तेलों तथा तिलहनों पर दिये जानेवाले अग्रिमों के संबंध में अब तक ऋण सीमाएँ बैंकवार निर्धारित की जाती थी । उन्हें अब पार्टीवार निर्धारित किया गया है । पार्टीवार ऋण सीमाओं के निर्धा-रण से बैंकों के लिए यह अनिवार्य हो गया है कि वे न केवल नयी पार्टियों को प्रदान किये जानेवाले ऋणों के प्रस्तावों के संबंध में, परंतु वर्तमान पार्टियों को उपलब्ध ऋणों के स्तर को बढ़ाने के प्रस्तावों के संबंध में भी रिज़र्व बैंक से सलाह लें ।

65. अधिक कामकाज के समय के प्रारंभ के बाद भी बैंकों के पास जो अतिरिक्त चल निधि बनी रही उसके कारण बड़ी राशिवाले खातों के लिए बैंकों के बीच कुछ अनुचित स्पर्धा होने लगी । अतः रिज़र्व बैंक को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा और इस आशय का एक परिपत्र जारी करना पड़ा कि 25 लाख रुपयों और अधिक राशि के लेखों को एक बैंक से दूसरे बैंक में अंतरित करने के लिए रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी ।

66. अधिक कामकाज के समय के बीच में किये गये मूल्यांकन से यह विदित हुआ कि जहाँ 1971-72 के अधिक कामकाज के समय में ऋणों में 314 करोड़ रुपयों (6.5 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी वहाँ 9 मार्च 1973 तक 721 करोड़ रुपयों (13.8 प्रतिशत) की वृद्धि हुई । बैंक ऋण में हुई लगभग यह सारी वृद्धि अनाजों की उगाही के क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में हुई और यह वृद्धि 1971-72 के अधिक काम-काज के समय की तदनुरूप अवधि में हुई, वृद्धि की अपेक्षा तीव्र और अधिक थी । इसके फलस्वरूप, समग्र ऋण-जमा अनुपात अधिक कामकाज के समय के प्रारंभ में विद्यमान 66.2 प्रतिशत के स्तर की तुलना में 9 मार्च 1973 को बढ़कर 70.4 प्रतिशत हो गया अर्थात् उक्त अनुपात में 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई । फिर भी, यह अनुपात पिछले वर्ष की इसी अवधि में पाये गये अनुपात (74.0 प्रतिशत) से अपेक्षाकृत कम ही था । क्योंकि तब जमा राशियों में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में वृद्धि हुई थी ।

67. अतः परिस्थिति ऐसी थी कि ऋण विस्तार पर रोक लगाना आवश्यक हो गया । किन्तु इससे अनाजों की उगाही के लिए दिये जाने वाले ऋणों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए था । उक्त ऋणों के बारे में यह आशा थी कि वे 1973 के मार्च के अंत और जून के अंत के बीच की अवधि में काफी मात्रा में बढ़ जाएँगे । गेहूँ के थोक व्यापार के अधिग्रहण के फलस्वरूप और 70 से 80 लाख मी० टन तक की उगाही के निर्धारित लक्ष्य के आधार पर प्राधिकारियों ने मार्च 1973 में अगामी तीन महीनों में 500 करोड़ रुपयों से 600 करोड़ रुपयों तक के बैंक ऋण की अधिक मांग होने की प्रत्याशा की । उस समय बैंकिंग व्यवस्था के पास उपलब्ध साधन इतने पर्याप्त थे कि रिज़र्व बैंक की पुन-र्वित्त सुविधाओं की केवल थोड़ी सी सहायता लेकर उगाही ऋण की अतिरिक्त मांग की पूर्ति की जा सके । बैंकों द्वारा रिज़र्व बैंक से लिये गये उधार अक्तूबर 1972 के अंत में 6.7 करोड़ रुपये थे और वे बढ़-कर 9 मार्च 1973 को 197.9 करोड़ रुपये हो गये । परंतु अधिक कामकाज के समय के अंत में वे कम होकर केवल 24.3 करोड़ रुपये रह गये । इस संदर्भ में ऋण नीति में इस बात पर बल दिया गया कि जमा राशियों की ब्याज दरों में कतिपय सामान्य समायोजनों के जरिए और शुद्ध चल निधि अनुपात को 36 प्रतिशत से बढ़ाकर 37 प्रतिशत कर पुनर्वित्त प्रणाली को और मजबूत बनाते हुए बैंकों के वित्तीय साधनों की लागत में वृद्धि की जाए । अनाजों की उगाही के लिये दिये जानेवाले ऋणों के संबंध में पुनर्वित्त के मानदंडों को इस प्रकार परिशोधित किया गया कि अधिक उदारतापूर्वक सुविधाएँ दी जा सकें । बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे अक्तूबर 1972 के अंतिम शुक्रवार को विद्यमान अनाजों की उगाही के लिए दिये गये ऋण के बकाया स्तर के 10 प्रतिशत के अतिरिक्त अक्तूबर 1972 के अंतिम शुक्रवार के स्तर की अपेक्षा ऐसे ऋणों में होनेवाली वृद्धि के आधे भाग (जो अब तक एक तिहाई था) तक पुनर्वित्त पाने के हकदार होंगे । उसीके साथ-साथ, 'रक्षा पैकिंग-व-पूर्ति ऋण' के संबंध में बक वर पर दी जानेवाली विशेष पुनर्वित्त सुविधा को वापस ले लिया गया । पुनर्वित्त प्रणाली की दूसरी बातों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया । सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को दिये जानेवाले ऋणों को ऐसे मामलों में ऋण प्राधिकरण योजना के अंतर्गत लाया गया जहाँ कार्यकारी पूंजी ऋणों की राशि कुल 3 करोड़ रुपये और अधिक और मीयादी ऋणों की राशि 1 करोड़ रुपये और अधिक थी । बैंकों से यह भी कहा गया कि वे अनाजों की उगाही सहित राज्य सरकारों की वाणिज्यिक/वित्तीय आवश्यकताओं के संबंध में उनके द्वारा किये जानेवाले अनुरोधों की पूर्ति करने के पहले इस बात का सुनिश्चय कर लें कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 (3) के अधीन भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है ।

68. मई 1973 के उत्तरार्ध तक यह स्पष्ट हो गया था कि अनाजों की उगाही के लिए आवश्यक ऋण पूर्व अनुमानित मात्रा से काफ़ी कम होगा । यह भी प्रमाणित हुआ कि 1973 के प्रारंभ के महीनों में औद्यो-गिक उत्पादन में वृद्धि की दर में गिरावट आ गयी थी । फिर भी यह पाया गया कि 1972–73 के अधिक कामकाज के समय (नवंबर 1972-अप्रैल 1973) के दौरान ऋण विस्तार की राशि 884 करोड़ रुपये थी अर्थात् ऋण में 16.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो 1971–72 के अधिक कामकाज के समय के दौरान हुई वृद्धि (355 करोड़ रुपये या 7.3 प्रतिशत) से दुगनी से भी अधिक थी । कई महत्त्वपूर्ण कृषि वस्तुओं की पूर्ति की स्थिति कठोर चयनात्मक ऋण नियंत्रणों के बावजूद कठिन हो गयी थी और उसके फलस्वरूप उनके मूल्यों में वृद्धि हो गयी थी । अतः

यह आवश्यक हो गया कि वाणिज्य बैंकों की निधियों के वितरण पर लगाये गये सामान्य और विशिष्ट नियंत्रणों को और कठोर कर दिया जाए । गेहूँ के थोक व्यापार को राज्य सरकारों द्वारा अपने अधिकार में ले लिये जाने के कारण, 14 मई को जारी किये गये एक परिपत्र के अनुसार गेहूँ पर गैर सरकारी थोक व्यापारियों को बैंकों द्वारा दिये जाने वाले अग्रिमों पर प्रतिबंध लगा दिया गया । फुटकर व्यापार के संबंध में बैंकों से यह कहा गया कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा गेहूँ पर दिये जानेवाले अग्रिम केवल लाइसेंसधारी फुटकर व्यापारियों को और साथ ही केवल स्टाकों की उस सीमा तक जिसे रखने के लिए उन्हें अधिकार दिया गया हो, प्रदान किये जाते हैं ।

69. इस संदर्भ में (30 मई, 1973) एक-साथ जो अनेक उपाय किये गये उनमें निम्नलिखित शामिल हैं: बैंक दर को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया, सांविधिक नकदी आरक्षित निधियों को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया, न्यूनतम शुद्ध चल निधि अनुपात को 36 प्रतिशत से बढ़ाकर 39 प्रतिशत कर दिया गया और विशेष रूप से छूट प्राप्त ऋणों को छोड़कर अन्य ऋणों के लिए 10 प्रतिशत की न्यूनतम ब्याज दर निर्धारित की गयी । ये उपाय इस रूप में किये गये कि बैंकों की ऋण वृद्धि की ऊँची दर को नियंत्रित कर ऋण की अत्यधिक मांग के दबावों को रोकते हुए मुद्रा स्थिति में सुधार लाया जा सके । बैंकों द्वारा लिये जानेवाले उधारों की लागत को बढ़ाकर बाजार में पड़नेवाले दबावों को कम करने का भी उद्देश्य इस नीति के मूल में था । बैंक दर में वृद्धि और इसके परिणामस्वरूप ब्याज दरों के ढाँचे में समायोजन किये जाने से वाणिज्य बैंकों को रिजर्व बैंक से उधार लेने के संदर्भ में प्रत्यक्षतः निरुत्साहित किया गया और इसके अलावा दूसरी दिशाओं को भी चेतावनी मिली तथा अनुपूरक कार्रवाइयाँ करने का मार्ग भी प्रशस्त हुआ । बैंक दर में वृद्धि किये जाने के बाद केंद्रीय सरकार के खजाना बिलों की ब्याज दर को भी 31 मई 1973 से वार्षिक 3.50 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया । इस प्रकार बढ़ायी गई ब्याज दर उक्त तारीख को या उसके बाद जारी किये गये सभी नये खजाना बिलों और 1 जून 1973 को बकाया खजाना बिलों के स्थान पर उनकी अवधि समाप्त होने पर जारी किये गये बिलों पर लागू होगी । इस प्रयास से खजाना बिलों के द्वारा केंद्रीय सरकार द्वारा लिये जानेवाले उधारों की लागत में वृद्धि हुई । 31 मई 1973 को बकाया रहनेवाले खजाना बिलों की राशि (रिजर्व बैंक आफ़ इंडिया द्वारा धारित तदर्थ खजाना बिलों के साथ) लगभग 4343 करोड़ रुपये थी ।

70. बैंक व्यवसाय की परवर्ती गतिविधियों से यह विदित हुआ कि 30 मई 1973 को घोषित नीति के उद्देश्यों का सामान्य रूप से पालन किया गया है । अपेक्षित आरक्षित निधि को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर देने से 22 जून और 29 जून के बीच रिजर्व बैंक में रहने वाली अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमाराशियों में 222 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई । यद्यपि बैंकों को कभी-कभी रिजर्व बैंक से सहायता लेनी पड़ी फिर भी उन्होंने शीघ्र ही रिजर्व बैंक से लिये गए अपने कर्ज को चुका दिया । इस प्रकार 22 जून और 29 जून के बीच अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा लिये जाने वाले उधारों में जहां 129 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई वहां अगस्त 1973 तक लगभग 138 करोड़ रुपयों की गिरावट आई और उक्त उधारों की राशि 3 करोड़ रुपये तक रह गई । ऋण विस्तार की गति में भी पर्याप्त मंदी आ गयी थी । कम कामकाज के समय में अब तक (अप्रैल के अन्तिम शुक्रवार से जून के अन्तिम शुक्रवार तक) वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात 57 प्रतिशत रहा है जब पिछले कम कामकाज के समय की तदनुरूप अवधि में उक्त अनुपात 78 प्रतिशत था । सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ऋणों में अधिकांश वृद्धि अनाजों की उगाही के कार्यकलापों के वित्तपोषण के कारण हुई है और अन्य क्षेत्रों को दिये जानेवाले ऋण में अप्रैल 1973 के अंत में विद्यमान स्तर की तुलना में केवल थोड़ी-सी वृद्धि हुई है । कुल जमाराशियों में होनेवाली वृद्धि की दर पिछले कम कामकाज के समय की तदनुरूप अवधि की तुलना में उत्साहवर्धक रही है, अर्थात् कुल जमाराशियों में इस वर्ष के कम कामकाज के समय में जहां 6.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई वहां पिछले कम कामकाज के समय में 5.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी ।

71. 30 मई को घोषित कई मुद्रागत उपायों द्वारा लगाये गए वित्तीय अनुशासन को और अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने 12 जुलाई 1973 के एक परिपत्र द्वारा रिजर्व बैंक से प्राप्त होनेवाले पुनर्वित्त से सम्बन्धित कई अधिकारों को वापस ले लिया । इस प्रकार 13 जुलाई 1973 से केवल, (i) निर्यात ऋण के लिए दिये जानेवाले पुनर्वित्त की एक सीमित मात्रा और (ii) प्राथमिक ऋण समितियों और कृषक सेवा समितियों को उधार दी गयी राशियों के लिए प्रदान किये जानेवाले पुनर्वित्त को छोड़कर बैंक दर या उससे कम दर पर दिये गये सभी रियायती पुनर्वित्त अधिकार वापस ले लिए गये । चाहे बैंक का शुद्ध चल निधि अनुपात कुछ भी क्यों न हो, वार्षिक औसत निर्यात ऋण के 10 प्रतिशत के बराबर के उधार बैंक दर पर उपलब्ध होंगे; परंतु पूर्व स्थिति के विपरीत ऐसे उधारों से शुद्ध चल निधि अनुपात में बाधा पड़ेगी । प्राथमिक सहकारी समितियों और कृषक सेवा समितियों को दिये जानेवाले उधारों में जो वृद्धि होती है उसके लिए शुद्ध चल निधि अनुपात पर विचार किये बिना रियायती ब्याजदर पर पुनर्वित्त प्रदान किया जाता रहा; उक्त दर को बढ़ा कर अब 5 प्रतिशत किया गया है । किन्तु इन उधारों से पहले की तरह शुद्ध चल निधि अनुपात में बाधा पड़ेगी । नयी हुंडी बाजार योजना के अंतर्गत हुंडियों की पुनर्भाजन सुविधा बैंक दर पर प्राप्त होती रहेगी (13 जुलाई 1973 के पहले और 13 जुलाई 1973 से लागू होनेवाली पुनर्वित्त सुविधाएं इस रिपोर्ट के भाग II के अनुबंध में दिए गए एक चार्ट में दर्शायी गयी है) ।

72 इस बात पर विशेष बल दिया गया कि पुनर्वित्त व्यवस्था के अंतर्गत दी गयी कितिपय रियायती सुविधाओं को वापस ले लेने से ऋण नीति में अग्रतावाले क्षेत्रों को सहायता प्रदान किये जाने पर जो जोर दिया जाता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । बैंकों से कहा गया कि वे इन क्षेत्रों को अधिकाधिक वित्तीय सहायता प्रदान करते रहें । उनसे यह अनुरोध भी किया गया कि वे इस दिशा में अधिकाधिक प्रयासशील रहें कि उनके द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधियां विशेषकर चीनी और कपड़े के उद्योगों को दी गयी निधियों की शीघ्र चुकौती हो ।

73. बैंक दर में वृद्धि किये जाने के फलस्वरूप, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और कृषि पुनर्वित्त निगम के ब्याज-दर ढाँचे को पुनः समायोजित किया गया ।

74. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने 6 जून 1973 से अपने द्वारा दिये जाने वाले ऋणों की ब्याज दरों और पुनर्भाजन दरों को बढ़ाया । औद्योगिक प्रतिष्ठानों (निर्यातों को छोड़ कर) को दी जानेवाली प्रत्यक्ष सहायता की सामान्य दर को 8.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 9.0 प्रतिशत कर दिया गया और पिछड़े क्षेत्रों के यूनिटों के संबंध में इस दर को 7.0 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया गया । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा 16 जून 1973 के पहले और 16 जून 1973 के पश्चात् लिये जानेवाले ब्याज की दरें इस रिपोर्ट के भाग IV में दर्शायी गयी है ।

75. कृषि पुनर्वित्त निगम ने भी अपने पुनर्वित्त की दर को 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया। यह दर 25 जून 1973 को या उसके बाद स्वीकृत सभी योजनाओं पर लागू होगी। । कृषि पुनर्वित्त निगम ने वित्त प्रदान करनेवाले सभी बैंकों को भी यह निदेश दिया कि वे कम से कम 2.5 प्रतिशत का मार्जिन रखें ताकि अन्तिम उधारकर्त्ता को इससे अधिक दर पर जो वार्षिक 9.5 प्रतिशत से कम नहीं होगी, ब्याज देना पड़े।

76. संक्षेप में, इस वर्ष (जुलाई-जून) के दौरान जमाराशि में हुई वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में केवल सामान्य रूप से अधिक थी, अर्थात् जहाँ इस वर्ष जमाराशि में 1408 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई वहाँ पिछले वर्ष 1394 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी (सारणी 14)। किंतु उक्त वृद्धि की दर पिछले वर्ष के 22.4 प्रतिशत की तुलना में काफ़ी कम होकर 18.5 प्रतिशत रह गई। इस वर्ष के दौरान कुल मुद्रागत साधनों में हुई वृद्धि में से, जमाराशियों का अंश 63.1 प्रतिशत और चलन मुद्रा का अंश 36.9 प्रतिशत था जबकि पिछले वर्ष उक्त प्रतिशत क्रमशः 79.3 और 20.7 थे। 1972-73 के दौरान जमाराशि में हुई वृद्धि का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह था कि मीयादी जमाराशि में 910 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई अर्थात् कुल वृद्धि में उसका अंश 64.6 प्रतिशत था। किंतु पिछले वर्ष उसमें 779 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी और कुल वृद्धि में उसका अंश 55.9 प्रतिशत था।

77. इस वर्ष के दौरान ऋणों में हुई वृद्धि का स्वरूप अनियमित था; जून और दिसम्बर के बीच उनमें नगण्य वृद्धि हुई और उसके बाद विशेषकर फरवरी के बाद उनमें बहुत अधिक वृद्धि हुई।

78. समग्र वर्ष (जुलाई 1972 से जून 1973 तक) के संदर्भ में बैंक ऋणों में हुई कुल वृद्धि थोड़ी बहुत अधिक थी अर्थात् उनमें 1971-72 में जहाँ 675 करोड़ रुपयों या 14.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी वहाँ इस वर्ष 819 करोड़ रुपयों या 14.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस वर्ष के दौरान अनाजों की उगाही से सम्बन्धित कार्यकलापों के लिए दिए जानेवाले ऋणों में 74 करोड़ रुपयों की गिरावट आई जबकि 1971-72 में उनमें 163 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी। इसके फलस्वरूप अनाजों की उगाही से सम्बन्धित कार्यकलापों के क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में बैंक ऋण में 893 करोड़ रुपयों या 18.1 प्रतिशत की अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष उसमें 512 करोड़ रुपयों या 11.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

79. जून 1973 में समाप्त हुए वर्ष के दौरान वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात 58.2 प्रतिशत था जबकि 1971-72 में यह 48.4 प्रतिशत था। जून 1973 के अंत में ऋण-जमा अनुपात 69.8 प्रतिशत था जबकि जून 1972 के अंत में उक्त अनुपात 72 प्रतिशत था।

80 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की निवेश पद्धति से स्थूल रूप से मुद्रा बाजार में विद्यमान निधियों की चलनशीलता परिलक्षित हुई। सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा किये गये कुल निवेश में इस वर्ष के दौरान 631 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष उसमें 511 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी। इस वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक के पास जमाराशि में 255 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष 74 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी। इसका कारण यह था कि 1973 के जून के अंत में प्रारक्षित निधियों के अपेक्षित अंश को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया। 29 जून 1973 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक आफ इंडिया से लिये गये उधारों में 99 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई और उनकी राशि 42 करोड़ रुपयों से बढ़कर 141 करोड़ रुपये हो गयी। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, 29 जून 1973 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान उधारों में अकस्मात् 129 करोड़ रुपयों की जो वृद्धि हुई वह केवल अस्थायी घटना थी। उसके बाद के सप्ताह में उनमें 99 करोड़ रुपयों तथा उसके परवर्ती सप्ताह में और 25 करोड़ रुपयों की कमी कर दी गयी।

भुगतान शेष

81. विदेशी लेनदेनों के क्षेत्र में 1971-72 (जुलाई-जून) में जो सुधार पाया गया उसे 1972-73 में भी बनाये रखा गया। प्रारक्षित विदेशी मुद्रा निधियों में 37 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई अर्थात् उक्त निधियाँ बढ़कर 882 करोड़ रुपये हो गयीं जबकि 1971-72 के दौरान उनमें 58 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी और वे 787 करोड़ रुपयों से बढ़कर 845 करोड़ रुपये हो गयी थी। प्रारक्षित निधियों की गतिविधियों के संदर्भ में दो बातें उल्लेखनीय हैं : (1) 1972-73 में विशेष आहरण अधिकारों का कोई नया आवंटन नहीं हुआ। पिछले वर्ष ऐसे आवंटन से प्रारक्षित निधि में 75 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी, (2) विनिमय बाजारों में विश्व की प्रमुख मुद्राओं को मुक्त छोड़ दिये जाने और कुछ ऐसी प्रमुख मुद्राओं जिनमें प्रारक्षित निधियों का एक अंश रखा जा रहा था, की सापेक्ष मूल्य-वृद्धि के परिणामस्वरूप निधि के रुपया मूल्य में 35 करोड़ रुपयों की या 1971-72 की मूल्य वृद्धि से दुगुनी वृद्धि हुई। 1971-72 और 1972-73 के दौरान किये गये विदेशी लेनदेनों के शुद्ध परिणाम का मूल्यांकन करने के लिए 1971-72 में किये गये विशेष आहरण अधिकारों के आवंटन और 1971-72 और 1972-73 में प्रारक्षित निधियों के रुपया मूल्य में हुई वृद्धि को प्रारक्षित निधियों की गतिविधियों से अलग कर देना होगा। इस संगणन प्रणाली के आधार पर यह माना जा सकता है कि 1972-73 के दौरान प्रारक्षित निधियों में 2 करोड़ रुपयों की नाममात्र की वृद्धि हुई जबकि 1971-72 में उनमें 33 करोड़ रुपयों की कमी हुई थी।

82. भुगतान शेष के ब्योरेवार आँकड़े उपलब्ध न होने के कारण प्रारक्षित निधियों की गतिविधियों को स्पष्ट रूप से आँका नहीं जा सकता। विदेशी व्यापार और अदायगियों के संदर्भ में प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा किये गये लेनदेनों से यह विदित होता है कि आलोच्य वर्ष की पहली छमाही, अर्थात् जुलाई-दिसंबर 1972 में निर्यात से प्राप्त राशियाँ 1971 की तदनुरूप दूसरी छमाही की अपेक्षा 16 प्रतिशत अधिक, आयात संबंधी अदायगियाँ 18 प्रतिशत अधिक, अदृश्य प्राप्तियाँ 16 प्रतिशत कम और अदृश्य अदायगियाँ 6 प्रतिशत अधिक हुई होंगी। सरकारी आयातों के अधिकांश भाग के लिए प्राधिकृत व्यापारियों को छोड़कर अन्य माध्यमों से अदायगी की जाती है और उक्त आयात विदेशी सहायता के उपयोग पर काफ़ी निर्भर रहते हैं।

83. 1972-73 के वित्तीय वर्ष के दौरान विदेशी सहायता की प्राधिकृत राशि और उपयोग की गयी राशि दोनों में उल्लेखनीय रूप से कमी हुई। सहायता की प्राधिकृत राशि 651 करोड़ रुपये थी अर्थात् 1971-72 के 877 करोड़ रुपयों की अपेक्षा 226 करोड़ रुपये कम थी। 1972-73 में 604 करोड़ रुपयों की जो राशि उपयोग में लायी गयी वह पिछले वर्ष के 820 करोड़ रुपयों की अपेक्षा 26 प्रतिशत कम थी। जनवरी-जून 1973 के दौरान अनाजों के आधिकारिक आयात किये गये हैं; पिछले वर्ष ऐसे आयात नहीं किये गये थे। इसके साथ ही ऋण शोधन की आधिकारिक अदायगियों की राशि 1971-72 की

सारणी 14 : बैंक व्यवसाय संबंधी महत्वपूर्ण आंकड़ों में वार्षिक घट-बढ़—अनुसूचित वाणिज्य बैंक

(राशि करोड़ रुपयों में)

	26 जून 1970 को बकाया	26 जून 1970 को समाप्त हुए वर्ष में घट-बढ़	25 जून 1971 को बकाया	25 जून 1971 को समाप्त हुए वर्ष में घट-बढ़	30 जून 1972 को बकाया	30 जून 1972 को समाप्त हुए वर्ष में घट-बढ़	29 जून 1973 को बकाया*	29 जून 1973 को समाप्त हुए वर्ष में घट-बढ़
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. कुल जमाराशियां	5275	+629	6216	+941	7610	+1394	9018	+1408
(क) मांग	2329	+225	2743	+414	3358	+615	3856	+498
(ख) मीयादी	2946	+404	3473	+527	4252	+675	5162	+910
2. कुल बैंक ऋण	4213	+614	4805	+592	5480	+717	6299	+819
उनमें से								
(क) अनाजों की उगाही के लिए दिए गए ऋण	207	—26	379	+172	542	+163	468	—74
(ख) दूसरे ऋण	4006	+640	4426	+420	4938	+512	5831	+893
3. कुल निवेश	1504	+145	1807	+303	2318	+511	2949	+631
(क) सरकारी प्रतिभूतियों में	1186	+60	1375	+189	1721	+346	2192	+471
(ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	318	+85	432	+114	597	+165	757	+160
4. नकदी और रिजर्व बैंक आफ़ इंडिया के पास बकाया	362	—37	397	+35	537	+140	794	+257
(क) हाथ में नकदी	179	—25	187	+8	254	+67	256	+2
(ख) रिजर्व बैंक के पास बकाया	183	—12	210	+27	283	+73	538	+255
5. मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	48	—40	83	+35	91	+8	115	+24
6. रिजर्व बैंक आफ़ इंडिया से लिए गए उधार	292	+120	207	—85	42	—165	141	+99
7. रिजर्व बैंक आफ़ इंडिया द्वारा खरीदी और भुनायी गयी देशी हुंडियां	—	—	10	+10	11	+1	15	+4
ऋण—जमा अनुपात (मौसम के अन्त में)	79.9		77.3		72.0		69.8	
ऋण—(अनाजों की उगाही के लिए दिये गये ऋण को छोड़कर) जमा अनुपात	75.9		71.2		64.9		64.7	
निवेश—जमा अनुपात	28.5		29.1		30.5		32.7	

टिप्पणियां : 1. ये आंकड़े रिजर्व बैंक आफ़ इंडिया अधिनियम, 1934 की धारा 42 (2) के अधीन बैंकों द्वारा पेश की गई साप्ताहिक विवरणियों पर आधारित हैं; किन्तु रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया से लिये गये उधारों के आंकड़े रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त साप्ताहिक उधार सूचनाओं पर आधारित हैं ।

2. ये आंकड़े जून के अन्तिम शुक्रवार से सम्बन्धित हैं ।

*अनन्तिम

सारणी 15 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के आंकड़ों में मौसमी घट-बढ़

(राशि करोड़ रुपयों में)

	मौसमी घट-बढ़					
	कम काम-काज का समय 1971	अधिक कामकाज का समय 1971-72	कम काम-काज का समय 1972*	अधिक कामकाज का समय 1972-73*	कम कामकाज का समय 29 जून 1973 तक*	कम कामकाज का समय 30 जून 1972 तक
	1	2	3	4	5	6
1. कुल जमा राशियां	+624	+624	+650	+796	+330	+369
(क) मांग	+202	+310	+228	+342	+143	+215
(ख) मीयादी	+422	+314	+422	+454	+187	+154
2. बैंक ऋण	+163	+355	+32	+884	+189	+287
उनमें से						
(क) अनाजों की उगाही के लिए दिए गए ऋण	+156	−71	−1	+6	+175	+254
(ख) दूसरे ऋण	+7	+426	+33	+878	+14	+33
3. सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	+254	+240	+624	+3	+53	+51
(क) सरकारी प्रतिभूतियों में	+209	+144	+527	−90	+43	+9
(ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	+45	+96	+97	+93	+10	+42
4. नकदी और रिजर्व बैंक आफ इंडिया के पास बकाया	+46	+15	+54	+66	+236	+99
(क) हाथ में नकदी	+24	+1	+24	+26	+19	+67
(ख) रिजर्व बैंक आफ इंडिया के पास बकाया	+22	+14	+30	+40	+217	+32
5. मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	+72	−9	+11	+89	−76	—
6. रिजर्व बैंक आफ इंडिया से लिए गए उधार	−172	+4	+16	+18	+117	+19
7. रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा खरीदी और भुनायी गई देसी हुंडियां	—	−3	−10	+19	−5	—
ऋण—जमा अनुपात (मौसम के अंत में)	73.1	71.7	66.2	70.3	69.8	72.0
ऋण—(अनाजों की उगाही के लिए दिये गये ऋण को छोड़कर) जमा अनुपात (मौसम के अंत में)	67.7	67.7	62.6	67.0	64.7	64.9
निवेश—जमा अनुपात (मौसम के अंत में)	30.6	31.3	36.6	33.3	32.7	30.5

टिप्पणियां : 1. ये आंकड़े रिजर्व बैंक आफ़ इंडिया अधिनियम, 1934 की धारा 42 (2) के अधीन बैंकों द्वारा पेश की गई साप्ताहिक विवरणियों पर आधारित हैं । किन्तु रिजर्व बैंक आफ़ इंडिया से लिये गये उधारों के आंकड़े रिजर्व बैंक आफ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त साप्तामिक उधार सूचनाओं पर आधारित हैं ।

2. घट-बढ़ के ये आंकड़े अप्रैल और अक्तूबर के अन्तिम शुक्रवार के आंकड़ों पर आधारित हैं ।

*अनन्तिम

अपेक्षा लगभग 10 प्रतिशत अधिक थी ; इनमें से अधिकांश अदायगियाँ प्राधिकृत व्यापारियों के द्वारा नहीं की जानीं । इन सब बातों को देखते हुए इस निष्कर्ष पर पहुँचना उचित होगा कि जलाई 1972 से जून 1973 तक आयातों के लिए की गयी कुल अदायगियों की राशि पिछले वर्ष की अपेक्षा कुछ अधिक रही होगी और एक वर्ष की अवधि में अदृश्य लेखे में एक चौथाई से अधिक कमी हुई होगी ।

व्यापार संतुलन

84. वाणिज्यिक सूचना और अंक संकलन महानिदेशालय के आयात और निर्यात संबंधी आंकड़ों के अनुसार 1972–73 (अप्रैल-मार्च) में भारत के पास 185 करोड़ रुपयों का व्यापार अधिशेष विद्यमान था जबकि 1971–72 में 218 करोड़ रुपयों का व्यापार घाटा पाया गया था । निर्यातों में तेजी से वृद्धि (355 करोड़ रुपये) होने और आयातों में कमी (48 करोड़ रुपये) होने के कारण अधिशेष की उक्त स्थिति उत्पन्न हुई ।

आयातों की प्रवृत्तियां

85. वाणिज्यिक सूचना और अंक संकलन महानिदेशालय के आंकड़ों के अनुसार 1972–73 (अप्रैल-मार्च) में किये गये आयातों का मूल्य कम होकर 1777 करोड़ रुपये हो गया ; किन्तु 1971–72 में उक्त मूल्य 1970–71 के 1634 करोड़ रुपयों से बढ़कर 1825 करोड़ रुपये हो गया था । 1972–73 के दौरान जारी किये गये आयात लाइसेंसों के मूल्य (1855.7 करोड़ रुपये) में 1971–72 के स्तर (1853.7 करोड़ रुपये) की तुलना में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ ।

86. जब इस वर्ष के आयात संबंधी अंतिम आंकड़े उपलब्ध होंगे तब आयातों में स्पष्ट रूप से पायी जानेवाली यह कमी वास्तविक स्थिति की द्योतक नहीं होगी । वाणिज्यिक सूचना और अंक संकलन महानिदेशालय के व्यापार संबंधी आंकड़ों में परिशोधन किया जाएगा : क्योंकि सरकार द्वारा किये जानेवाले अनाजों, पेट्रोलियम, तेलों और चिकनाई के पदार्थों के आयातों से संबंधित आंकड़े पोतलदानों के पहुँचते समय निदेशालय को पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं होते जबकि उनकी राशि पहले ही चुका दी गयी होती है ।*

आयात नीति

87. आयात नीति के मूल में आत्मनिर्भरता और निर्यात विकास के समग्र उद्देश्य निहित रहते हैं। 1973–74 की आयात नीति के द्वारा इन उद्देश्यों की और अधिक पूर्ति की अपेक्षा की गयी । उक्त नीति के कारण आयातों के उद्देश्य के लिए अग्रताबाले उद्योगों की संख्या 59 से बढ़कर 70 हो गयी । उक्त नीति के अंतर्गत अनिवार्य निर्यात योजना को और उद्योगों के लिए लागू कर दिया गया जिससे उन्हें उस योजना के अंतर्गत प्रदान की जानेवाली उदार आयात सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो सके । अपने उत्पादन का 10 प्रतिशत या अधिक निर्यात करनेवाले छोटे यूनिटों को आयात के लिए अतिरिक्त सुविधाएँ दिये जाने की व्यवस्था थी बशर्ते कि 1972–73 के उनके निर्यातों की मात्रा 1971–72 की अपेक्षा दुगनी हो । निर्यात के लिए किये जाने वाले उत्पादन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर पूर्ति की जानेवाली देशी वस्तुओं को आयात नीति के अंतर्गत उपलब्ध सभी सुविधाओं के लिए निर्यातों के रूप में मानना था ।

*वाणिज्यिक सूचना और अंक संकलन महानिदेशालय द्वारा दिये गये व्यापार आंकड़े और भुगतान शेष के आंकड़ों के आधार पर उपलब्ध व्यापार आंकड़े पूर्णतः मेल नहीं खाते । क्योंकि विभिन्न चरणों म इन लेनदेनों को दर्ज किया जाता है । अतः वाणिज्यिक सूचना और अंक संकलन महानिदेशालय के आंकड़ों पर सावधानी से विचार करना चाहिए ।

निर्यात

88. 1972–73 के दौरान किये गये निर्यातों की राशि 1962 करोड़ रुपये थी, अर्थात उसमें 1971–72 के दौरान हुई 4.7 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना म 22.1 प्रतिशत की वृद्धि पायी गयी । यदि इस तथ्य को ध्यान म रखा जाए कि निर्यात संबंधी आंकड़ों का संकलन करने प्रणाली में 1 नवम्बर 1970 से जो परिवर्तन किया गया (पिछले वर्ष की रिपोर्ट, पृष्ठ 30—31 देखें) उसके परिणामस्वरूप निर्यातों का अनुमान 1970-71 के लिए अधिक और 1971-72 के लिए कम लगाया गया था । तो 1972-73 में निर्यातों की वृद्धि-दर 1971-72 और 1970-71 की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण रही है । इसके पहले निर्यातों मे इस प्रकार की उल्लेखनीय वृद्धि 1951–52 में (22 प्रतिशत) हुई थी जब कोरिया को किये गये निर्यातों में अनपेक्षित वृद्धि हुई थी ।

89. अनेक कारणों से 1972-73 मैं निर्यातों में यह उल्लेखनीय वृद्धि हो सकी । भारतीय निर्यातों के लिए नए बाजार के रूप में बंगला देश का उद्भव होने के कारण थोड़ी सी वृद्धि हुई । परन्तु अधिकांश वृद्धि भारतीय वस्तुओं विशेष रूप से खाल छाल और चमड़े सूती वस्त्र और समुद्री उत्पादों जैसी परम्परागत वस्तुओं के लिए विदेशी मांग के बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण हुई । इसके परिणामस्वरूप अलग-अलग वस्तुओं के मूल्यों में भी वृद्धि हुई । इसके अलावा, विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्राओं के संदर्भ में रुपए का मूल्य ह्रास हो जाने के कारण रुपये में जो अधिक राशि प्राप्त हुई, उस के कारण भी निर्यातों से प्राप्त होनेवाली आमदनी में वृद्धि पायी गयी ।

90. भारत में निर्यातों में और वृद्धि होने के मार्ग में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार क्षेत्र की गतिविधियां रुकावटें डालती रहीं । इस संदर्भ में एक उल्लेखनीय घटना यह थी कि ब्रिटेन ने जनवरी 1973 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय में प्रवेश किया जिसके परिणामस्वरूप 1939 का भारत-ब्रिटिश व्यापार करार समाप्त हो गया । जनवरी 1973 में ब्रिटेन के साथ एक नये करार पर हस्ताक्षर किये गये जिसके द्वारा वर्तमान शुल्क-दर और शुल्क-इतर अधिमानों को 1 जनवरी 1974 तक जारी रखा गया । इस तारीख के पश्चात् 1977 तक ब्रिटेन एक सामान्य विदेशी शुल्क दर को क्रमबद्ध रूप से लागू करेगा । 1974 से ब्रिटेन यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सामान्ययीकृत अधिमान योजना को स्वीकार करेगा जिसके फलस्वरूप जूट और नारियल के रेशे से बनी वस्तुओं, काजू की गिरी, वनस्पति से बनी अन्य वस्तुओं, चीनी, गरम मसाले, काफी और कुछ समुद्री उत्पादों के निर्यातों पर ब्रिटेन में शुल्क लगाये जायगें क्योंकि इन वस्तुओं को यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सामान्यीकृत अधिमान योजना के अन्तर्गत शामिल नहीं किया गया है । इसके फलस्वरूप भारत द्वारा ब्रिटेन को किये जाने वाले इन वस्तुओं के निर्यातों में बाधा पड़ेगी । मई 1973 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ जो अस्थायी करार किया गया उससे यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों को किये जाने वाले हमारे जूट के निर्यातों को कुछ हद तक लाभ पहुँच सकता है, यद्यपि फ्रांस और जर्मनी भारत के संदर्भ में द्विपक्षीय रूप से स्वीकृत प्रतिबंधों को जारी रखते हैं ।

मूल्यांकन और संभावनाएं

91. पिछले अनुच्छेदों में 1972–73 के दौरान अर्थव्यवस्था की गतिविधि का जो विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है उससे यह विदित होता है कि कई मामलों में वह निराशाजनक रही है । पिछले वर्ष के दबावों और तनावों का सामना करने के बाद यह आशा की गयी थी कि 1972–73 के दौरान अर्थव्यवस्था अपनी खोई हुई स्थायिता को कुछ हद तक पुनः प्राप्त कर लेगी । परन्तु ऐसा नहीं हुआ और लगातार दूसरे वर्ष मानसून की विफलता के कारण अनाजों और दूसरी वस्तुओं के मूल्यों में भारी मात्रा में वृद्धि होने लगी । मानसून की विफलता के कारण कई राज्यों में बिजली की कमी भी हुई । इससे औद्योगिक उत्पादन में जो सुधार हो रहा था, उसमें बाधा पड़ी ।

सारणी 16 : भारत के मुख्य आयात

(राशि करोड़ रुपयों में)

पण्य	1967–68	1968–69	1969–70	1970–71	1971–72	अप्रैल–दिसंबर 1971	अप्रैल–दिसंबर 1972	(6) की तुलना में (7) में वृद्धि (+)/कमी (—) वास्तविक	प्रतिशत
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. अनाज (काजू को छोड़कर)	554	372	293	242	169	131	55	—76	—58
उनमें से									
दालों से भिन्न अनाज और उनसे बनी वस्तुएं	518	336	261	213	131	105	22	—83	—79
2. कच्ची रुई	83	90	83	99	113	87	76	—11	—12
3. पटसन और मेस्ता	5	16	5	—	—	—	1	+1	—
4. काजू	25	31	28	29	28	20	23	+3	+15
5. खनिज तेल	75	133	138	136	195	143	149	+6	+4
उनमें से									
(क) कच्चा और अंशतः परिष्कृत पेट्रोलियम	60	96	96	106	148	110	106	—4	—3
(ख) अन्य	15	37	42	30	47	33	43	+10	+30
6. रासायनिक पदार्थ	273	283	195	192	218	161	156	—5	—3
उनमें से									
(क) उर्वरक	139	139	77	61	81	52	47	—5	—10
(ख) अन्य	134	144	118	131	137	109	109	—	—
7. लोहा और इस्पात	106	86	82	147	238	179	157	—22	—12
8. अलौह धातुएं	89	89	75	120	102	83	77	—6	—7
9. कच्चा रबड़ (कृत्रिम और सुधारे गये रबड़ को मिलाकर)	4	5	10	4	4	3	3	—	—
10. ऊन और दूसरे पशुओं के रोम	12	11	17	16	14	11	10	—1	—9
11. पशुओं और वनस्पति के तेल और चर्बी	34	19	30	39	47	32	15	—17	—53
12. कागज, गत्ते और उनसे बनी वस्तुएं	18	18	24	25	35	24	18	—6	—25
13. मोती, बहुमूल्य और अर्ध बहुमूल्य पत्थर	12	28	28	25	26	19	30	+11	+58
14. मशीनें और परिवहन उपकरण	503	514	396	384	454	349	349	—	—
उनमें से									
(क) बिजली से इतर मशीनें	336	366	280	257	268	211	210	—1	—1
(ख) बिजली की मशीनें	86	82	64	69	102	72	85	+13	+18
(ग) परिवहन के उपकरण	81	66	52	58	84	66	54	—12	—18
15. अन्य	181	214	163	176	169	122	120	—2	—2
जोड़	1974*	1909	1567*	1634	1812	1364	1239	—125	—9

टिप्पणी : पण्यवार विवरण उपलब्ध नहीं है ।

*परिशोधित

स्रोत : वाणिज्यिक सूचना और अंक संकलन महानिदेशालय ।

सारणी 17 : भारत के मुख्य निर्यात

(राशि करोड़ रुपयों में)

	1967-68	1968-69	1969-70	1970-71	1971-72	अप्रैल-दिसम्बर 1971-72	अप्रैल-दिसम्बर 1972-73	(6) की तुलना में (7) में वृद्धि (+) /कमी (—) वास्तविक	वृद्धि (+) /कमी (—) प्रतिशत
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
अ. प्रमुख परम्परेतर वस्तुएं									
इंजीनियरी सामान ..	35	69	91	126	108	82	96	+14	+17
लोहा और इस्पात ..	55	79	87	91	41	31	30	—1	—3
खनिज लोहा ..	75	88	95	117	105	72	80	+8	+11
रासायनिक पदार्थ ..	16	24	30	36	32	24	30	+6	+25
आ. अन्य वस्तुएं ..									
जूट का धागा और उससे बनी वस्तुएं ..	234	218	207	190	265	187	193	+6	+3
सूत का धागा और उससे बनी वस्तुएं ..	86	101	116	118	116	80	109	+29	+36
चाय ..	180	157	125	148	156	117	120	+3	+3
खाल, छाल, चमड़ा और चमड़े की चीजें, जूतों को मिलाकर ..	70	87	99	87	130	73	125	+52	+71
काजू की गिरी ..	43	61	57	52	61	51	57	+6	+12
तेल की खली ..	45	49	41	55	40	29	41	+12	+41
मोती, बहुमूल्य और अर्ध बहुमूल्य पत्थर, न तराशे नये/तराशे गये ..	30	45	42	42	53	38	56	+18	+47
गरम मसाले ..	27	25	34	39	36	23	18	—5	—22
मछली और मछली से बनी वस्तुएं ..	18	23	31	31	42	29	41	+12	+41
चीनी ..	16	10	9	28	30	28	10	—18	—64
काफी ..	18	18	20	25	22	19	23	+4	+21
खनिज मैंगनीज ..	11	13	11	14	11	8	7	—1	—13
तमाखू (अपरिष्कृत) ..	35	33	33	31	42	35	50	+15	+43
इ. जोड़ (अन्यों को मिलाकर)	1,199	1,358	1,413	1,535	1,569*	1,140	1,394@	+254	+22

टिप्पणी : 1 नवंबर 1970 से निर्यातों को अभिलेखित करने के लिए वाणिज्यिक सूचना और अंक संकलन महानिदेशालय द्वारा अपनायी गयी क्रिया विधि में (अंतिम रूप से पारित पोतलदान बिल के स्थान पर पोतलदान बिल की मूल प्रति के आधार पर अभिलेखित करने की विधि स्वीकार की गयी) परिवर्तन किये जाने के कारण 1970-71 और 1971-72 के आंकड़ों की पिछले वर्षों के आंकड़ों से तुलना नहीं की जा सकती।

*इनमें बंगला देश को किये गये लगभग 38 करोड़ रुपयों के निर्यात शामिल नहीं हैं।

@इनमें बंगला देश को किये गये 59 करोड़ रुपये के निर्यात शामिल हैं। परंतु बंगला देश को काफी मात्रा में किये गये वे निर्यात शामिल नहीं हैं, जिन्हें संबंधित सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा पूर्ण रूप से अभिलेखित नहीं किया गया है।

92. देश के विभिन्न भागों में सूखे की गंभीर स्थिति विद्यमान थी जिसके कारण सरकार पर सूखा-राहत और आपाती कृषि कार्यक्रमों के लिए सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी आ पड़ी। अनाजों और कतिपय अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं की पूर्ति की मात्रा को बढ़ाने के लिए उनके आपात-कालीन आयात भी करने पड़े। सरकारी व्यय के बढ़ जाने और बैंकों की जमा राशियों में भारी मात्रा में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप देश में उपलब्ध कुल मुद्रागत साधनों में अप्रत्याशित वृद्धि हो गयी और कृषि उत्पादन में कमी हो जाने के संदर्भ में मुद्रागत साधनों की उक्त अप्रत्याशित वृद्धि के कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति के तत्व सक्रिय हो गये।

93. आलोच्य वर्ष के दौरान मूल्य स्तर के बराबर बढ़ते रहने से ऐसे अल्पकालीन और दीर्घकालीन प्रयास करने की आवश्यकता हो गयी है जिससे पर्याप्त मात्रा में निर्वाह वस्तुओं, विशेषकर अनाजों की पूर्ति हो सके। इस संदर्भ में यह अत्यावश्यक हो गया है कि एक ओर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सक्षम रूप से कार्यान्वित करने और दूसरी ओर चालू व्यय को कम करने के लिए अपेक्षित प्रयासों से संबंधित समस्याओं को हल किया जाए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में अनाजों की उगाही और आयातों की समस्याओं के कारण कठिनाइयां विद्यमान रहती हैं। गेहूं की वसूली की मात्रा प्रत्याशित मात्रा से काफी कम हो गयी है। पिछले वर्ष सारे विश्व में वालों से भिन्न अनाजों के संदर्भ में विद्यमान कमी के कारण अनाजों की आयातों की मात्रा भी कम रही है। यदि आगामी खरीफ फसल संतोषजनक रही तो उससे इस स्थिति में काफी सुधार हो सकता है; परंतु पिछले दो वर्षों के दौरान स्टाकों में जो कमी आयी है, उसकी पूर्ति केवल एक ही संतोषजनक मौसम से नहीं हो सकेगी। यदि आगामी वर्ष के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए वर्ष भर में काफी मात्रा में अनाज उपलब्ध कराये जाने के अलावा कुछ स्टाकों का भी निर्माण करना हो तो यह बहुत आवश्यक होगा कि अधिक मात्रा में चावल की उगाही करने का कार्यक्रम शुरू किया जाय और संभवतः अनाजों का कुछ अतिरिक्त आयात भी किया जाए। यदि आगामी मौसम में अनाजों की पर्याप्त उगाही की जाए तो सरकार अनाजों की मूल्य-वृद्धि को भली-भांति रोक सकेगी। वर्तमान परिस्थिति में ऐसे व्यापक उगाही-कार्यक्रम के लिए निश्चित रूप से वसूली प्रणाली की सहायता लेनी पड़ेगी। यदि ऐसी प्रणाली को कार्यान्वित करने में कठिनाइयां हों तो इस बात का पुनरीक्षण करना होगा कि सरकार किस हद तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा अनाजों के बिक्री का दायित्व उठा सकती है। अन्य पूरक उपायों को अपनाने की संभावना पर विचार किया जा सकता है।

94. जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सरकारी और गैर सरकारी, दोनों क्षेत्रों के व्यय को कम कर के मूल्यों पर पड़े हुए दबावों को यथाशिघ्र कम करना होगा। घाटे की वित्त व्यवस्था को न्यूनतम मात्रा तक सीमित करने के उद्देश्य से सरकारी व्यय में कटौती करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं। केन्द्रीय सरकार ने 1973-74 के लिए अपने बजट में 85 करोड़ रुपयों के थोड़े से घाटे की व्यवस्था की है। अनाजों के संदर्भ में दिये जाने वाले उपदानों पर अपेक्षाकृत अधिक परिव्यय, तीसरे वेतन आयोग और बोनस पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण वेतन पर होने वाले व्यय में वृद्धि, आदि के संबंध में जो अतिरिक्त सरकारी व्यय करने की आवश्यकता बाद में उत्पन्न हुई है अथवा उत्पन्न होने की संभावना है उसे योजनागत और योजनेतर व्यय में 400 करोड़ रुपयों तक की कटौती पर समायोजित करना होगा। चूंकि निश्चित रूप से भावी व्यय का अनुमान लगाना असंभव है अतः करों की अच्छी वसूली करने, अधिक मात्रा में ऋण प्राप्त करने, आदि पर ध्यान देना आवश्यक होगा जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि बजट घाटा वास्तव में पिछले दो वर्षों की अपेक्षा काफी कम होगा।

95. ऋण नीति के क्षेत्र में वर्ष भर में वाणिज्य बैंकों की जमा राशियों में अधिक तेजी से वृद्धि हो जाने के कारण इस बात पर जोर दिया गया है कि ऋण के अनुचित विस्तार पर नियंत्रण लगाया जाए। जैसा कि पहले विश्लेषण किया जा चुका है, नवंबर 1972 से ऐसे विभिन्न उपाय किये गये हैं कि निजी क्षेत्र में अनुत्पादक और सट्टेबाजी के उद्देश्य से किये जाने वाले व्यय के लिए बैंकों के पास अधिक मात्रा में विद्यमान चल निधि का उपयोग न किया जा सके। इस वर्ष के दौरान इन नीतियों के कारण ऋण-जमा अनुपात पिछले दो वर्षों के अनुपातों के स्तरों की अपेक्षा काफी कम हो गये हैं। परंतु बैंकों की जमा राशियों में निरंतर वृद्धि होते रहने से उनके उपयोग को नियंत्रित करने की आवश्यकता होगी। इस प्रकार निकट भविष्य में ऋण-नीति की मूलभूत विशेषता नियंत्रणात्मक होगी; फिर भी नियंत्रण के संदर्भ में इतना ही लचीलापन बरता जाएगा कि एक ओर अत्यावश्यक उत्पादन में सुविधा हो सके और दूसरी ओर सट्टेबाजी को रोका जा सके।

96. दीर्घकालीन दृष्टि से इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि आगामी कई वर्षों तक अनाजों के सार्वजनिक वितरण और उसकी व्यवस्था को अत्यधिक प्रधानता दी जाती रहेगी। 1967-68 से चार वर्षों तक की अवधि में अच्छी वर्षा होने से अनाज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते रहे और उसके परिणामस्वरूप अधिकांश राज्यों में गठित वितरण तंत्र में ढिलाई आ गयी थी। परंतु 1972-73 के अनुभव से यह स्पष्ट हुआ है कि यदि अभाव के समय पर अनाजों के सार्वजनिक वितरण तंत्र को अधिक प्रभावकारी ढंग से काम में लाना है तो उसे स्थायी स्वरूप प्रदान करना होगा। मूल्यों में प्रदेशवार जो उतार चढ़ाव पाया जाता है उसमें समानता लाने के लिए उचित वितरण प्रणाली के साथ अनाजों के परिवहन के लिए समन्वित रूप से प्रयास करने होंगे ताकि जिन क्षेत्रों में अधिक मात्रा में अनाज उपलब्ध हैं, वहां से उन क्षेत्रों को जहां अनाजों की कमी रहती है और कमी के क्षेत्रों के भीतर भी अनाजों को आसानी से ले जाया जा सके :

97. इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्पादन के क्षेत्र में अधिक प्रयत्न करने होंगे। चावल, मोटे अनाजों और नकदी फसलों के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के अधिक उपज वाले बीजों को विकसित करने और उनका उपयोग करने की दिशा में गंभीर अनुसंधान को जारी रखना है और साथ ही, समय-समय पर पड़े सूखे के कारण यह भी आवश्यक हो गया है कि देश में विद्यमान विभिन्न प्रकार की कृषि संबंधी परिस्थितियों के लिये उपयुक्त सूखी खेती की प्रणालियों को तत्काल विकसित किया जाए ताकि निरंतर सूखाग्रस्त होने वाले क्षेत्रों में कृषि उत्पादन में कुछ हद तक स्थायिता लायी जा सके। इस क्षेत्र में वित्तीय साधनों के उपयोग के लिये अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

98. औद्योगिक क्षेत्र में यदि यह मान लिया जाए कि नियमित रूप से बिजली और औद्योगिक कच्ची सामग्री की पूर्ति होती रहेगी, तो 1972 के कैलेण्डर वर्ष में उत्पादन में पायी गयी वृद्धि-दर (7.1 प्रतिशत) जारी रहे सकेगी। कच्ची रूई और पटसन का उत्पादन पिछले वर्ष की अपेक्षा केवल सीमान्त रूप से कम रहा है; परंतु यदि अगली फ़सल सामान्य रही तो स्थिति चिन्ताजनक नहीं होगी। संभव है कि इस्पात और इस्पात से बनी चीजों की पूर्ति में हुआ सुधार भी जारी रहे। इसके अलावा हाल ही में औद्योगिक लाइसेन्सीकरण का जो उदारीकरण किया गया वह भी औद्योगिक विकास के लिए एक अनुकूल कारण होगा। यदि 1972-73 के दौरान सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक संबंधों में पाया गया सुधार 1973-74 में भी जारी रहे तो औद्योगिक उत्पादन में और वृद्धि होने में सहायता मिलेगी।

99. परंतु पिछले कुछ वर्षों के दौरान काफ़ी लंबी अवधि तक निवेश के कार्यकलापों की गति धीमी रही है जिससे न केवल वस्तुओं के क्षेत्रों में, बल्कि परिवहन बिजली, सिंचाई आदि के क्षेत्रों में भी अभाव की स्थिति उत्पन्न हुई है। पूंजीगत माल के कतिपय उद्योग क्षेत्रों की क्षमता का उपयोग नहीं हो पाया है। इसे भी अभाव की उपयुक्त स्थिति के कारण के रूप में माना जा सकता है। इस संदर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र को पहले अग्रसर होने की आवश्यकता है। क्योंकि निजी क्षेत्र के निवेश में काफी वृद्धि तभी हो सकती है जब सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसी ही वृद्धि हो। अतः यदि औद्योगिक क्षेत्र में अधिक विकास करना हो तो आगामी कुछ वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के निवेशों की वृद्धि-दर को बनाये रखना होगा। ऐसा करते समय सार्वजनिक क्षेत्र के नये निवेशों की लागत से होने वाले लाभ का तथ्यपूरक मूल्यांकन करने के लिए उपायों का पता लगाना होगा ताकि दुर्लभ वित्तीय साधनों का कम उपयोग हो।

100. उद्योगों, बिजली और परिवहन में सार्वजनिक निवेश की मात्रा को बढ़ाने और व्यवस्थित करने के साथ ही निजी क्षेत्र के उद्योगों को विकसित करने के उपायों पर भी विचार किया जाना चाहिए। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जैसी विशेषीकृत संस्थाओं के द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता पर निजी क्षेत्र का निवेश निर्भर रहता है। इससे अवश्य ही निवेश का अधिक अच्छी तरह से विनियमन और पर्यवेक्षण हो सकता है परंतु ऐसी संस्थाओं द्वारा वित्तीय साधन प्रदान किये जाने का आधार बाजार में इक्विटी शेयरों और डिबेंचरों द्वारा जुटायी जानेवाली पूंजी होना चाहिए। अतः पूंजी बाजार को निवेश-योग्य निधियों की जो उपलब्धि होती है उसे यदि बनाये नहीं रखा जाए और कुछ हद तक उसमें वृद्धि न की जाए तो यह संभव है कि कई उद्योगों, विशेष रूप से मझौले और छोटे उद्योगों की स्थापना भी कठिन हो जाए। पांचवी योजना के प्रवर्तन के पहले यह उचित होगा कि इस स्थिति का पुनरीक्षण किया जाए और सरकार द्वारा अपनायी गयी औद्योगिक और कर संबंधी नीतियों को योजना की अवधि में जारी रखने के लिए उपाय किये जाएं। इससे बचतकर्ताओं और नये उद्योग स्थापित करनेवाले उद्यमकर्ताओं, दोनों को प्रोत्साहन मिल सकेगा।

101. वर्तमान स्थिति के दबावों के कारण उपलब्ध वित्तीय साधनों का निवेश के लिए पुनर्वितरण करना जहां तत्काल संभव नहीं होगा, वहां जुटाये गये अधिकाधिक वित्तीय साधनों को उपयोगी निवेश कार्य के लिए उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। इससे स्पष्ट रूप से यह विदित होता है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों की स्थापित क्षमता का पूरा उपयोग किये जाने के लिए उपयुक्त प्रणालियां अपनायी जानी चाहिए। इन दोनों क्षेत्रों में नियोजित पूंजी से होनेवाली उपलब्धि की दरें या तो देश की आवश्यकताओं या उपयोग की गयी कुशल श्रमिक क्षमताओं के अनुरूप नहीं हैं। इसी प्रकार यह भी सही है कि राष्ट्रीय आय के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व में हाल ही के वर्षों में क्रमशः वृद्धि होती आ रही है; फिर भी राज समिति के सुझावों के अनुसार विशेष रूप से राज्य स्तर पर अतिरिक्त वित्तीय साधन जुटाने के लिए भी और गुंजाइश है। सामान्य व्यवस्था के द्वारा कर बंचत की प्रवृत्ति को रोकने के लिए प्रशासन में सुधार लाने के प्रयत्नों को भी तीव्र बनाने की आवश्यकता है।

102. यद्यपि विदेशी भुगतान की स्थिति फ़िलहाल काफ़ी संतोषजनक है, फिर भी वह इतनी अनुकूल नहीं है कि निर्बाध वस्तुओं की पूर्ति के लिए अधिक मात्रा में और निरंतर आयातों पर निर्भर रहा जाए। भारी अभाव की स्थितियों में, जैसा कि फ़िलहाल विद्यमान है, अनाजों और अन्य अत्यावश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के आयातों का वित्तपोषण करने के लिए अपनी विदेशी मुद्रा आय के एक अंश का उपयोग करना आवश्यक होगा; चूंकि इसके साथ ही, उद्योग क्षेत्र की विभिन्न प्रकार की अनुरक्षण सामग्री के आयातों के लिए भी व्यवस्था करनी है, अतः यह भी अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाता है कि निर्यातों से होने वाली आमदनियों को तेजी से बढ़ाने के लिए तत्काल उपाय किये जाएं।

103. चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष अर्थात् 1973-74 में देश पांचवी पंचवर्षीय योजना तैयार करने के कार्य में व्यस्त रहेगा। अतः यही वर्ष है जबकि पांचवीं योजना को प्रवर्तित करने के लिए अनुकूल आर्थिक वातावरण का निर्माण करना होगा। न केवल मूल्यों में स्थिरता लाने, बल्कि अर्थ-व्यवस्था के प्रबन्धन में, विशेषकर सार्वजनिक निवेश और सार्वजनिक उपभोग के क्षेत्र में संतुलन लाने के लिए भी हर संभव प्रयत्न करना होगा। पांचवी योजना में बहुत अधिक मात्रा में निवेश किये जाने की जो परिकल्पना की गयी है उसके लिए करों की वसूली सार्वजनिक ऋण और सामान्यतः बचत की दर में काफी अधिक वृद्धि करनी होगी। न केवल अधिक मात्रा में जमा राशियों को जुटाने, बल्कि उद्योग, कृषि और अन्य क्षेत्रों को विस्तारित करने के लिए आवश्यक कार्यकारी पूंजीगत सहायता प्रदान करने के निमित्त भी बैंकिंग सेवाओं को अधिक व्यापक और सघन बना कर आने वाली चुनौती का सामना करने के लिए बैंकिंग क्षेत्र को सशक्त बनाना होगा। विकास और सामाजिक न्याय के दुहरे उद्देश्यों की पूर्ती के संदर्भ में सरकार की वित्तीय और दूसरी नीतियों का प्रत्यक्ष योगदान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होगा और इन्हीं नीतियों से अर्थव्यवस्था का भावी रूप भी निर्धारित होगा।

II. वाणिज्य बैंक व्यवसाय की प्रगति

104. आलोच्य वर्ष में बैंक व्यवस्था ने अपने भौगोलिक विस्तार को और बढ़ाया। इससे बैंक व्यवसाय के विकास के संदर्भ में पाया गया क्षेत्रीय असंतुलन कम हो गया। 1972 के कैलेंडर वर्ष के दौरान वाणिज्य बैंकों ने 1,783 शाखाएं खोलीं। यह संख्या 1972 से 1974 तक के तीन वर्षों (कैलेंडर वर्षों) के दौरान 5,000 शाखाएं खोलने की संभाव्य योजना के अन्तर्गत इस वर्ष 1500 शाखाएं खोलने का जो लक्ष्य था उससे अधिक थी। शाखा विस्तार की गति को बनाए रखने के लिए बैंकों को अब सूचित किया गया है कि वे वर्ष 1973 से शुरू होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए आवर्ती योजनाएं बनायें।

105. अग्रतावाले क्षेत्रों को प्रदान किये गये ऋण की मात्रा में इस वर्ष के दौरान वृद्धि हुई यद्यपि ऐसे क्षेत्रों को दिये जानेवाले ऋण में हुई वृद्धि की दर अपेक्षाकृत न्यून थी। क्षेत्रीय और प्रभागीय कार्यालयों के पुनर्गठन और ऋण प्रदान किये जाने की अधिक प्रभावकारी व्यवस्थाओं से यह आशा की जाती है कि आगामी वर्षों में इस क्षेत्र में अधिक तेजी से प्रगति होगी। भारतीय ऋण गारंटी निगम लिमिटेड द्वारा प्रदान की जानेवाली रक्षा के संदर्भ में की जानेवाली अतिरिक्त रियायतों के कारण उक्त संभावना के और सुदृढ़ होने की संभावना है। इसके अलावा प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियो के माध्यम से कृषकों को वाणिज्य बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने की योजना को विस्तारित करने के कारण भी इन क्षेत्रों को अधिक मात्रा में अग्रिम उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।

106. अग्रणी बैंक योजना के अन्तर्गत सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने का कार्य समाप्त होने वाला है। बैंक व्यवस्था के विकास के लिए कई जिलों में परामर्श समितियों की बैठकों का आयोजन किये जाने के अलावा ऋण-व्यवस्था में विद्यमान खाइयों का पता लगाने और जिलों के लिए ऋण संबंधी योजनाएं बनाने के लिए ब्योरेवार अध्ययन भी प्रारम्भ किये गये।

107. कृषि तथा उससे संबंधित कार्यकलापों के क्षेत्र में बैंकों ने अभिस्वीकृत गांवों के कृषकों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के अपने प्रयत्नों को जारी रखा। स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया को 93 कृषि विकास शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस प्रदान किये गये हैं। इन में से 41 शाखाएं खोली जा चुकी हैं। बैंकों ने 1972-73 की रबी फ़सल के गहन कार्यक्रम तथा बिहार में पम्पसेट लगवाने के व्यापक कार्यक्रम में भाग लिया। बैंकों का यह कार्य छोटे कृषक विकास एजेन्सी/सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रम एजेंसी योजनाओं के अन्तर्गत आनेवाले क्षेत्रों में उनके लिए नियत किये गये कार्य के अतिरिक्त था। इसके अलावा, ऐसी वित्तपोषक योजनाओं में बैंक सक्रिय रूप से भाग लेते आ रहे हैं जिन्हें कृषि पुनर्वित्त निगम से पुनर्वित्त प्राप्त हो सकता है।

108 इस वर्ष के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए दक्षिणी, पश्चिमी, उत्तरी, पूर्वी और पूर्वोत्तरी क्षेत्रों के लिए गठित क्षेत्रीय परामर्श समितियों की बैठकें बैंक व्यवसाय के विकास का पुनरीक्षण करने के उद्देश्य से आयोजित की गयीं। इन बैठकों में बैंक व्यवसाय की प्रगति में तेज़ी लाने के लिए कई प्रकार के निर्णय लिये गये; उनमें से कुछ इस प्रकार हैं: (i) अग्रणी बैंकों और संबंधित राज्य सरकार के सहकारिता, कृषि और उद्योग विभागों की समन्वयन समितियों का गठन करना जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सहकारी संस्थाओं के कार्यकलाप वाणिज्य बैंकों के कार्यकलापों के अनुरूप हैं; (ii) बैंकों के संगठनात्मक स्वरूप और अपेक्षित मूलभूत तथा अन्य सुविधाओं की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुये ऋण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में लचीला दृष्टिकोण अपनाना; (iii) सहकारी विन्यास को मज़बूत बनाना जिससे बैंकों को अविलम्ब वित्तीय सहायता प्रदान करने में सुविधा हो और राज्यों को अपेक्षित मूलभूत सुविधाओं का विकास करने की आवश्यकता से अवगत कराना ताकि वाणिज्य बैंकों को कार्यालय खोलने में सुविधा हो; और (iv) बैंकों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाना वांछनीय होगा ताकि पर्याप्त मात्रा में प्रशिक्षित कर्मचारियों के उपलब्ध न होने की समस्या को सुलझाने में सहायता मिल सके। इसके अलावा तलवार समिति की सिफ़ारिशों को शीघ्रतापूर्वक अमल में लाने और बैंकों तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों के बीच सतत संपर्क होने से बैंकों के लिए कृषकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना अधिक आसान होगा।

शाखा विस्तार

109. वाणिज्य बैंकों ने 1972 में 1,763 कार्यालय खोले जबकि 1971 में 1,805 कार्यालय और 1970 में 2,137 कार्यालय खोले थे। 1972 में खोले गये कार्यालयों की संख्या शाखा विस्तार की संभाव्य योजना के अन्तर्गत इस वर्ष के लिए निर्धारित 1,500 शाखाओं के लक्ष्य से अधिक थी; यह वृद्धि कतिपय केन्द्रों में आवश्यक मूलभूत वस्तुओं के उपलब्ध न होने और बैंकों द्वारा संगठन संबंधी कठिनाइयों का सामना किये जाने के बावजूद हुई। यह सुनिश्चित करने के लिए कि शाखा विस्तार निरंतर होता रहे और बैंक अपनी श्रम शक्ति सम्बन्धी योजनाएं पहले से ही बना सकें, 1973-75 (कलेंडर वर्ष) की अवधि से शुरू होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए आवर्ती योजनाएं बनाने का निश्चय किया गया है। इस उद्देश्य के लिए फ़रवरी 1973 में बैंकों से यह कहा गया कि वे अपने पास पहले से ही बाकी रहने वाले लाइसेंसों/अपने लिए नियत किये गये केन्द्रों को ध्यान में रखते हुये उन केन्द्रों को निर्दिष्ट करें जहां वे 1973 के दौरान कार्यालय खोलेंगे और यह सूचित करें कि 1974 और 1975 में अलग-अलग राज्यों में कितने कार्यालय खोलने की उनकी

सारणी 18 : 1971-72 और 1972-73 के दौरान वाणिज्य बैंकों द्वारा खोले गये नये कार्यालय

	वाणिज्य बैंकों द्वारा खोले गये नये कार्यालय						बैंक कार्यालयों की संख्या	
	1971-72			1972-73				
	जुलाई-दिसंबर 1971	जनवरी-जून 1972	जुलाई-जून 1971-72	जुलाई-दिसंबर 1972	जनवरी-जून 1973	जुलाई-जून 1972-73	30 जून 1972 को	30 जून 1973 को
1. स्टेट बैंक आफ़ इंडिया	187 (106)	102 (58)	289 (164)	180 (58)	112 (39)	292 (97)	2575	2867
2. स्टेट बैंक आफ़ इंडिया के सहायक बैंक	66 (39)	84 (46)	150 (85)	127 (64)	54 (19)	181 (83)	1383	1563
3. चौदह राष्ट्रीयकृत बैंक	540 (321)	281 (149)	821 (470)	618 (272)	308 (100)	926 (372)	7189	8109
4. अन्य अनुसूचित बैंक	175 (108)	165 (99)	340 (207)	194 (74)	155 (58)	349 (132)	2240	2580
5. विदेशी बैंक	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	130	130
6. सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक	968 (574)	632 (352)	1600 (926)	1119 (468)	629 (126)	1748 (684)	13517	15249
7. गैर अनुसूचित वाणिज्य बैंक	4 (3)	8 (7)	12 (10)	4 (3)	4 (3)	8 (6)	105	113
8. सभी वाणिज्य बैंक	972 (577)	640 (359)	1612 (936)	1123 (471)	633 (219)	1756 (690)	13622	15362

टिप्पणी :— कोष्ठकों के आंकड़े बैंक-सुविधारहित केन्द्रों में खोले गये कार्यालयों की संख्या को दर्शाते हैं।

योजनाएं हैं। 1973 के लिए कार्यक्रम बनाते समय बैंकों से यथासंभव यह भी सुनिश्चित कर लेने की सलाह दी गयी कि वर्ष के अन्तिम चरण में व्यनुपातिक रूप से भारी संख्या में शाखाएं खोले जाने के बदले वर्ष की चारों तिमाहियों में समान रूप से शाखा विस्तार किया जाएगा।

110. वाणिज्य बैंकों ने वर्ष 1972-73 (जुलाई-जून) के दौरान 1,756 कार्यालय खोले जबकि इसके विपरीत 1971-72 में 1,612 कार्यालय खोले गये थे। 1972-73 के दौरान खोले गये 1,756 कार्यालयों में से 473 कार्यालय स्टेट बैंक और उसके सहायक बैंकों ने और 926 कार्यालय राष्ट्रीयकृत बैंकों ने खोले। बैंक सुविधा रहित केन्द्रों में खोले गये कार्यालयों की संख्या 690 थी (सारणी 18)।

111. बैंक व्यवस्था के भौगोलिक विस्तार को बढ़ाने की दिशा में की गई प्रगति भी इस वर्ष के दौरान बनाये रखी गयी। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से लेकर अब तक अर्थात 19 जुलाई 1969 से जून 1973 के अंत तक खोले गये 7,131 कार्यालयों में से लगभग 4,106 कार्यालय (56.2 प्रतिशत) बैंक सुविधा रहित केन्द्रों में थे। कम विकसित राज्यों अर्थात असम, बिहार, जम्मू और काश्मीर, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में इन नये कार्यालयों में से 30.8 प्रतिशत कार्यालय खोले गये। मणिपुर, नागालैंड तथा गोवा, दमन और दीव के संघशासित क्षेत्रों में और लक्कदीव, मिनीकाय और अमीनदीव द्वीपसमूहों में इस वर्ष के दौरान खोले गये सभी कार्यालय बैंक सुविधा रहित केन्द्रों में स्थित थे।

112. जून 1972 के अंत तक 14 राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में ऐसे 71 जिले थे जहां प्रति बैंक कार्यालय आबादी एक लाख से अधिक थी जबकि प्रति बैंक कार्यालय आबादी का राष्ट्रीय औसत 40,000 था। अतः बैंकों को, विशेष रूप से 'अग्रणी बैंकों' के रूप में नामित बैंकों को यह सलाह दी गयी कि वे प्रत्येक बैंक कार्यालय के अंतर्गत आनेवाली आबादी के अनुपात को यथासंभव कम करने के उद्देश्य से ऐसे जिलों पर विशेष ध्यान दें, परन्तु साथ ही वे उन केन्द्रों की उपेक्षा भी न करें जहां जमाराशियां जुटाये जाने की अच्छी संभावना दिखायी पड़ी है। 'अग्रणी बैंकों' को यह भी सलाह दी गयी कि वे विकसित तथा कम विकसित राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता दिये जाने की आवश्यकता पर ध्यान दें ताकि राज्यों के बीच तथा किसी राज्य के भीतर रहने वाली असमानताओं को दूर किया जा सके।

113. 1972-73 में 1,756 अतिरिक्त शाखाएं खोले जाने से प्रति बैंक कार्यालय आबादी का राष्ट्रीय औसत जून 1972 के अंत में विद्यमान 40,000 से घटकर जून 1973 के अंत में 36,000 हो गया। फिर भी, 21 राज्यों में से 10 राज्यों में अब भी प्रति बैंक कार्यालय आबादी 50,000 से अधिक है। असम, बिहार, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं। उनमें से दो राज्यों (अर्थात् मणिपुर और त्रिपुरा) में प्रति बैंक कार्यालय आबादी एक लाख से अधिक है (सारणी 19)। इन राज्यों में अधिक कार्यालय खोले जाने की दिशा में प्रयत्न किये जा रहे हैं।

114. आबादी के वर्गों के अनुसार वितरित वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों से यह संकेत मिलता है कि वाणिज्य बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक दिलचस्पी ले रहे हैं। कुल बैंक कार्यालयों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बैंक कार्यालयों का जो प्रतिशत जून 1970 में 30.2 था वह जून 1971 में बढ़कर 35.6 हो गया था। जून 1972 के अंत में उक्त अनुपात सीमान्त रूप से घटकर 35.3 प्रतिशत हो गया जिसका मुख्य कारण यह था कि 1971 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर केन्द्रों का पुनर्वर्गीकरण किया गया था। कुछ सीमा तक इस कमी का कारण यह भी था कि पिछले वर्षों में वाणिज्य बैंकों द्वारा ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में शाखा विस्तार का जो कार्य किया गया था, उसके कारण उन्हें शहरी/महानगरीय केन्द्रों में कार्यालय खोलने की पात्रता प्राप्त हुई और इस अवधि के दौरान उन्होंने इसका अधिक लाभ उठाया। फिर भी, जून 1973 के अंत तक कुल कार्यालयों में ग्रामीण केन्द्रों में स्थित कार्यालयों का अनुपात बढ़कर 36.2 प्रतिशत हो गया, यद्यपि पता लगाये गये बैंक सुविधारहित विकास केंद्रों की संख्या में कमी आयी थी (सारणी 20)।

115 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि महानगरीय केन्द्रों में और अधिक जमाराशियों की संभावनाओं वाले कुछ शहरी केन्द्रों में प्रति बैंक कार्यालय आबादी के मान को 10,000 से घटाकर 5,000 कर दिया गया है और इस संबंध में पात्रता के जो मानदंड थे उनमें भी रियायत की गयी है ताकि बैंक ऐसे केन्द्रों में अधिक कार्यालय खोल सकें। आलोच्य अवधि में अहमदाबाद में बैंकों के प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई और उस शहर में और 77 कार्यालय खोलने के लिए अस्थायी नियतन किये गये। इनके साथ अब तक सात महानगरीय केन्द्रों में 805 कार्यालय खोलने के लिए नियतन किये गये हैं। बिहार में छोटे कृषक विकास एजेंसी परियोजना और सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रम एजेन्सी परियोजना जैसी विशेष परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में स्थित खंड विकास के बैंक सुविधा रहित प्रधान केन्द्रों का सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बीच नियतन करने के उद्देश्य से दिसंबर 1972 में पटना में उनके प्रतिनिधियों की एक बैठक आयोजित की गयी। उक्त बैठक में सरकारी क्षेत्र के सात बैंकों के बीच 146 बैंक-सुविधारहित केन्द्र वितरित किये गये। यह आशा की जाती है कि उनमें से 84 केन्द्रों में 1973 में कार्यालय खोले जायेंगे और शेष केन्द्रों में 1974 में कार्यालय खोले जायेंगे।

116 बैंकों की अस्तियों और देयताओं का अंतरण किये जाने, बैंक कार्यालयों के बंद किये जाने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के दूसरी अनुसूची में बैंकों के जोड़े जाने आदि के कारण कार्यालयों की संख्या में हुए परिवर्तनों के बाद जून 1973 तक की अवधि में अनुसूचित और गैर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों की संख्या में क्रमशः 1,732 और 8 की वास्तविक वृद्धि हुई। जून 1973 के अंत में अनुसूचित और गैर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों की कुल संख्या क्रमशः 15,011 और 113 थी, जबकि उनकी संख्या जून 1972 के अंत में क्रमशः 15,249 और 105 थी (सारणी 21)।

अग्रणी बैंक योजना

117. अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत बैंकों के लिए नियत किये गये जिलों की आर्थिक स्थिति के संबंध में ऐसे बैंकों ने 338 जिलों में से 306 जिलों में शीघ्र प्रभावकारी सर्वेक्षण समाप्त कर दिया है। अग्रणी बैंकों ने लगभग 267 जिलों में जिला स्तरीय परामर्श समितियों का गठन किया है जो निम्न लिखित कार्यों के लिए एक मंच प्रस्तुत करती है: (i) अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी प्रणालियां तैयार करना जिनसे वे ऋण लेने का इरादा रखने वालों और जिले के अग्रता वाले क्षेत्रों को ऋण दिये जाने के संबंध में आपस में जानकारी का आदान-प्रदान कर सकेंगे; (ii) बैंक खोले जाने योग्य योजनाओं का पता लगाना; (iii) सर्वेक्षण के दौरान पता लगाये गये बैंक सुविधारहित केन्द्रों को वितरित करना और (iv) अग्रता वाले क्षेत्रों के वित्तपोषण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के लिए समाशोधन केन्द्र के रूप में कार्य करना। राष्ट्रीयकृत बैंकों से यह अपेक्षा की गयी है कि वे अग्रणी बैंक योजना के

सारणी 19 : जून 1971, जून 1972 और जून 1973 के अंत में विद्यमान बैंक कार्यालयों का राज्यवार वितरण

राज्य	बैंक कार्यालयों की संख्या			1971-72 के दौरान खोले गये	उनमें से बैंक-सुविधा रहित केन्द्रों में खोले गये	1972-73 के दौरान खोले गये	उनमें से बैंक-सुविधा रहित केन्द्रों में खोले गये	आबादी प्रति बैंक कार्यालय (हजारों में)	
	जून 1971 के अंत में	जून 1972 के अंत में	जून 1973 के अंत में					जून 1972 के अंत में	जून 1973 के अंत में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. आंध्र प्रदेश	869	959	1103	90	44	144	54	45	39
2. असम	122	149	168	27	22	19	11	98	89
3. बिहार	453	541	593	88	68	52	32	104	95
4. गुजरात	1105	1234	1320	129	83	90	25	22	20
5 हरियाणा	258	299	338	41	29	40	13	34	30
6 हिमाचल प्रदेश	87	108	336	21	19	29	23	32	25
7. जम्मू और काश्मीर	101	116	139	15	8	23	12	40	33
8. केरल	845	980	1072	136	92	92	32	22	20
9. मध्य प्रदेश	566	669	748	103	58	80	42	62	56
10. महाराष्ट्र	1471	1679	1866	208	77	189	44	30	27
11. मणिपुर	5	6	9	1	1	3	2	178	119
12. मेघालय	15	16	17	1	--	1	—	63	59
13. मैसूर	1124	1292	1479	168	107	188	76	23	20
14. नागालैंड	5	5	6	—	—	1	1	103	86
15. उड़ीसा	173	192	225	19	12	33	20	114	98
16. पंजाब	556	651	772	95	59	120	57	21	18
17. राजस्थान	525	570	664	45	25	94	62	45	39
18. तमिलनाडु	1371	1484	1650	115	73	1744	65	28	25
19. त्रिपुरा	12	12	14	--	—	2	1	130	111
20. उत्तर प्रदेश	1147	1324	1497	177	107	173	92	67	59
21. पश्चिम बंगाल	684	760	884	76	40	123	19	58	50
संघशासित क्षेत्र									
22. अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	2	4	4	2	1	—	—	29	29
23. अरुणाचल प्रदेश	3	5	5	2	2	—	—	94	94
24. चंडीगढ़	28	33	41	5	—	7	—	8	6
25. दादरा और नागर हवेली	3	4	4	1	1	—	—	19	19
26. दिल्ली	350	385	455	35	1	70	—	10	9
27. गोवा, दमन और दीव	111	118	125	7	4	6	5	7	7
28. लक्कदीव, मिनीकॉय और अमीनदीव द्वीपसमूह	2	2	4	—	—	2	2	16	8
29. मिजोरम	—	1	1	1	1	—	—	332	332
30. पांडिचेरी	20	24	25	4	2	1	—	20	19
जोड़	**12013**	**13622**	**15362**	**1612**	**936**	**1756**	**690**	**40**	**36**

अंतर्गत अपने लिए नियत किये गये जिलों में से कुछेक जिलों के संबंध में ऋण योजनाएं बनायें। इस योजना के अंतर्गत आने वाली ऋण योजनायें तैयार की जा रही हैं। यह चुने हुए सामुदायिक विकास खंडों के उन गहन अध्ययनों के अतिरिक्त है जो स्टेट बैंक समूह द्वारा अपने अग्रणी जिलों में किये जाते हैं।

118. अब तक हुई प्रगति के बावजूद बहुत कुछ अभी और करना है जिससे कि विकास के महत्वपूर्ण साधन के रूप में अग्रणी बैंक योजना के अपेक्षित लक्ष्य की पूर्ति हो सके। अतः यह आवश्यक है कि जिला स्तरों पर गठित की गई परामर्श समितियां अमुक जिले के लिये उपयुक्त ऋण योजनाएँ बनाने की ओर अधिक ध्यान दें। इस कार्य में बैंकों को जिला स्तर पर राज्य सरकार के तकनीकी विशेषज्ञों की सहायता की आवश्यकता होगी ताकि ऐसी योजनाओं का पता लगाया जा सके जिन्हें बैंकों से ऋण उपलब्ध हो सकता हो। राज्य सरकार द्वारा संचार सुविधाये और पर्याप्त भवन आदि आवश्यक मूलभूत व्यवस्थाएँ किये जाने से बैंकों के शाखा विस्तार कार्यक्रम में और सहायता होगी तथा क्षेत्रीय ऋण योजना को अधिक प्रभावकारी और लोहेण्य बनाने में सहायता मिलेगी।

वाणिज्य बैंकों द्वारा कृषि का वित्तपोषण

119. पिछले वर्ष की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि वाणिज्य बैंकों द्वारा कृषि को दिये जाने वाले अग्रिमों की वृद्धि दर कम हो गयी थी। इसका कारण यह था कि गुणवत्ता के आधार पर ऋण दिये जाने और गांवों के समेकित दृष्टिकोण, गांवों के अभिस्वीकरण वर्गवार ऋण आदि के आधार पर विशिष्ट क्षेत्रों में सघन प्रयत्न किये जाने पर अधिकाधिक जोर दिया गया। राज्य सरकारों द्वारा बनायी गयी विशेष योजनाओं, उदाहरण के लिये 1972–73 के रबी मौसम में बनायी गयी विशेष योजनाओं में भी बैंक अधिकाधिक भाग ले रहे हैं। पम्प सेट लगाने के गहन कार्यक्रम में भी सरकारी क्षेत्र के बैंक भाग ले रहे हैं और उन्होंने मार्जिन और जमानत संबंधी अपनी सामान्य शर्तों में कतिपय रियायतें भी की हैं ताकि बडी संख्या में छोटे कृषक लाभान्वित हो सकें। जहां तक छोटे कृषक विकास एजेंसी/सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रम एजेन्सी परियोजना के क्षेत्रों का संबंध है, योग्य कृषकों का पता लगाने के संदर्भ में छोटे कृषक विकास एजेंसी के क्षेत्रों में काफी प्रगति की गयी है और बैंक उन क्षेत्रों में अधिक कार्यालय खोल रहे हैं। केन्द्रीय सरकार ने यह निश्चय किया था कि इन परियोजनाओं की अवधि 1971–72 से लेकर पाँच वर्षों की होगी और सरकार ने इन एजेन्सियों को यह सलाह दी है कि वे अपने कार्यक्रमों को तदनुसार बनायें और कार्यान्वित करें। मार्च 1973 के अंत तक वाणिज्य बैंकों ने छोटे कृषक विकास एजेन्सी/सीमान्त कृषक और कृषि श्रम एजेन्सी परियोजना क्षेत्रों में पता लगाये गये छोटे कृषकों को 159 लाख रुपयों के अल्पावधि ऋण और 434 लाख रुपयों की मीयादी ऋण प्रदान किये थे। वाणिज्य बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को दिये जानेवाले अग्रिमों में क्रमशः सुधार पाया गया है और ऐसे अग्रिम की राशि दिसंबर 1971 के 395 करोड़ रुपये से बढ़कर दिसंबर 1972 मे 485 करोड़ रुपये हो गयी है। वृद्धि की यह प्रवृत्ति कृषि क्षेत्र को दिये गये प्रत्यक्ष तथा परोक्ष, दोनों अग्रिमों में पायी गयीं।

कृषक सेवा समितियों का संगठन

120. राष्ट्रीय कृषि आयोग ने छोटे और सीमान्त कृषकों तथा कृषि श्रमिकों के लिए अपेक्षित ऋण सेवाओं से संबंधित अपनी अंतरिम रिपोर्ट में कृषक सेवा समिति कहलाने वाली विशेष सहकारी संस्थाओं के संगठन की सिफारिश की थी जिससे उपर्युक्त व्यक्ति वर्गों को समेकित सेवाएँ प्रदान की जा सकें। उक्त आयोग द्वारा नियुक्त किए गए अध्ययन दल ने इस सिफारिश की और जाँच पड़ताल की। कृषक सेवा समिति अपने सदस्यों को जो अधिकांशतः छोटे कृषक होंगे, अल्पावधि, मध्यावधि और दीर्घावधि अग्रिम प्रदान करेगी। यह समिति मूल वस्तुओं की पूर्ति, उत्पादित वस्तुओं की विपणन की व्यवस्था, आदि भी करेगी। इन समितियों को वाणिज्य/सहकारी बैंकों से संबद्ध किया जाएगा। रिजर्व बैंक आफ़ इंडिया ने जून 1973 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कृषि वित्त विभागों के अध्यक्षों की एक बैठक बुलायी। उस बैठक में यह निश्चय किया गया कि वे बैंक प्रमुख राज्यों में प्रायोगिक रूप से कृषक सेवा समितियों का गठन करेंगे। वे समिति की शेयर पूंजी में नाममात्र का अंशदान करेंगे और 3 साल तक समिति के प्रबंध निदेशक के पारिश्रमिक की व्यवस्था करेंगे।

सारणी 20 : वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों का केन्द्रवार वितरण

	कार्यालयों की संख्या									
	जून 1970 के अंत में	जोड़ में %	जून 1971 के अंत में	जोड़ में %	जून 1972*के अंत में	जोड़ में %	दिसंबर 1972 के अंत में	जोड़ में %	जून 1973 के अंत में	जोड़ में %
1. ग्रामीण @ . .	3062	30.2	4279	35.6	4814	35.3	5325	36.1	5561	36.2
2. अर्धशहरी . .	3695	36.5	4016	33.4	4385	32.2	4587	31.1	4723	30.8
3. शहरी . . .	1583	15.6	1778	14.8	2323	17.1	2461	16.7	2573	16.7
4. महानगर/पत्तन शहर . .	1791	17.7	1940	16.2	2100	15.4	2366	16.1	2505	16.3
जोड़ . . .	10131	100.0	12013	100.0	13622	100.0	14739	100.0	15362	100.0

*1971 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर पुनर्वर्गीकृत

@ ग्रामीण-केन्द्र —दस हजार तक की जनसंख्यायुक्त स्थान
अर्धशहरी केन्द्र—दस हजार से अधिक और एक लाख तक की जनसंख्यायुक्त स्थान
शहरी केंद्र
महानगर—दस लाख से अधिक जनसंख्यायुक्त स्थान
अन्य—एक लाख से अधिक और दस लाख तक की जनसंख्यायुक्त स्थान

सारणी 21 : अनुसूचित और गैर-अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा भारत में खोले गये और बंद किये गये कार्यालयों की संख्या

	खोले गये नये कार्यालय	समामेलन, विलियन, आस्तियों और देयताओं के अंतरण तथा रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में जोड़ या उसमें से हटाये जाने के कारण परिवर्तन	बंद किये गये वर्तमान कार्यालय	कार्यालयों की संख्या में समग्र घट-बढ़	अवधि के अंत में कार्यालयों की संख्या
	1	2	3	4	5
अनुसूचित वाणिज्य बैंक					
1970 जनवरी-जून	1068 (190)	+3	—	+1071	9938
जुलाई-दिसंबर	1052 (234)	+54	−4	+1102	11040
1971 जनवरी-जून	824 (178)	+32	−4	+852	11892
जुलाई-दिसंबर	968 (187)	+28	—	+996	12888
1972 जनवरी-जून	632 (102)	—	−3	+629	13517
जुलाई-दिसंबर	1119 (180)	—	−6	+1113	14630
1973 जनवरी-जून	629 (112)	—	−10	+619	15249
गैर अनुसूचित बैंक					
1970 जनवरी-जून	12	−3	—	+9	193
जुलाई-दिसंबर	5	−54	—	−49	144
1971 जनवरी-जून	9	−32	—	−23	121
जुलाई-दिसंबर	4	−28	—	−24	97
1972 जनवरी-जून	8	—	—	+8	105
जुलाई-दिसंबर	4	—	—	+4	109
1973 जनवरी-जून	4	—	—	+4	113
सभी वाणिज्य बैंक					
1970 जनवरी-जून	1080	—	—	+1080	10131
जुलाई-दिसंबर	1057	—	−4	+1053	11184
1971 जनवरी-जून	833	—	−4	+829	12013
जुलाई-दिसंबर	972	—	—	+972	12985
1972 जनवरी-जून	640	—	−3	+637	13622
जुलाई-दिसंबर	1123	—	−6	+1117	14739
1973 जनवरी-जून	633	—	−10	+623	15362

टिप्पणी : (1) कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े स्टेट बैंक आफ़ इंडिया से संबंधित हैं।

(2) इन आंकड़ों में प्रशासनिक, मौसमी, अस्थायी और गैर-बैंकिंग कार्यालय तथा भारत के बाहर स्थित कार्यालय शामिल नहीं हैं।

राज्य सरकारों से यह आशा की जाती है कि वे समिति की शेयर पूंजी में कम से कम 50,000 रुपये का अंशदान करेंगी और तकनीकी कर्मचारियों पर होने वाले व्यय के लिए उपदान प्रदान करेंगी। कृषक सेवा समितियों को संगठित करने के लिए अन्य कार्यवाइयां भी की जा रही हैं। इन समितियों के संगठन को प्रोत्साहित करने के लिए रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों द्वारा कृषक सेवा समितियों का वित्तपोषण कराने के निमित्त उन्हें 5 प्रतिशत की रियायती दर पर पुनर्वित्त प्रदान करता है चाहे किसी बैंक का शुद्ध चल-निधि अनुपात कुछ भी क्यों न हो।

121. अनुसूचित वाणिज्य बैंक उन विभिन्न योजनाओं का अधिकाधिक मात्रा में वित्तपोषण कर रहे हैं, जिनके लिए कृषि पुनर्वित्त निगम से पुनर्वित्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। इनमें अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक/अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ से प्राप्त होने वाले ऋणों को उपयोग में लाने वाली परियोजनाएं भी शामिल है। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार राज्यों में महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गयी है; उन बैंकों ने इन राज्यों के लिए समग्र बैंक व्यवसाय संबंधी योजनाओं में इन परियोजनाओं को समाविष्ट करने के संबंध में अपने ब्यौरेवार कार्यक्रम कृषि पुनर्वित्त निगम के पास भेजे हैं।

122. जैसाकि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में कहा जा चुका है, 'कृषि को वाणिज्य बैंकों द्वारा ऋण दिये जाने से संबंधित राज्य अधिनियमों के संदर्भ में गठित विशेषज्ञ दल' की सिफारिशों को शीघ्रता से कार्यान्वित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए राज्य सरकारों से कहा गया है। मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के राज्य विधान मंडलों ने विशेषज्ञ दल द्वारा सिफारिश किये गये 'आदर्श विधेयक' के अनुरूप विधेयक पारित किये हैं जिससे वाणिज्य बैंक बड़े पैमाने पर कृषि का वित्तपोषण कर सकें। मध्य प्रदेश का विधान अब राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद एक अधिनियम हो गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी 'आदर्श विधेयक' के कतिपय उपबंधों को सम्मिलित करते हुए एक विधेयक पारित किया है। विशेषज्ञ दल द्वारा सुझाये गए प्रशासनिक उपायों के संबंध में, कतिपय राज्य सरकारों ने वाणिज्य बैंकों के नाम निष्पादित किये जाने वाले दस्तावेजों पर कृषकों द्वारा देय मुद्रांक शुल्क को कम किया है तथा ऐसे और शहरों को अधिसूचित किया है जहां साम्यमूलक बंधक निर्मित किये जा सकते हैं।

भारतीय ऋण गारंटी निगम लिमिटेड

123. इस वर्ष के दौरान छोटे परिवहन चालकों और कृषकों की सुविधा के लिए छोटे ऋण गारंटी योजना को और अधिक उदार बना दिया गया। छोटे परिवहन चालकों के मामले में जो गारंटी रक्षा उन ऋण सुविधाओं तक सीमित की गयी थी जो परिवहन चालकों को केवल गाड़ियां खरीदने के लिए दी जाती थीं उसे अब 1 अक्तूबर, 1972 से उन ऋण सुविधाओं के लिए भी लागू कर दिया गया जो गाड़ियों की मरम्मत या नवीकरण या कार्यकारी पूंजी की आवश्यकताओं के निमित्त दी जाती है; उक्त मरम्मत और नवीकरण में गाड़ियों का ढांचा निर्माण और उनके पुर्जों का प्रतिस्थापन भी शामिल है। परन्तु इसके लिए एक लाख रुपये की उच्चतम सीमा लागू रहेगी। कृषि के क्षेत्र में संयुक्त हिन्दू परिवारों या व्यक्तियों के समूहों या संघों (जो कंपनियां या सहकारी समितियां न हों) को प्रदान की जाने वाली ऋण सुविधाओं को गारंटी रक्षा की सुविधा के लिए पात्र बना दिया गया है। किसी ऋणकर्ता को कृषि के क्षेत्र में अब तक जहां केवल एक कार्य के लिए दी जाने वाली ऋण सुविधाओं के संबंध में गारण्टी रक्षा दी जाती रही वहां उसके स्थान पर उक्त गारण्टी रक्षा दो कार्यों के लिए दी जाने-वाली ऋण सुविधाओं के संबंध में उपलब्ध करायी गयी। इस प्रकार किसी ऋणकर्ता को उसकी अपनी भूमि पर खेती करने के लिए तथा मछली पालन, रेशम उत्पादन, पशु पालन, मुर्गी पालन और डेरी उद्योग जैसे खेती से संबद्ध किसी एक सहायक कार्य के लिए अथवा यदि वह खेती नहीं करता हो तो उक्त कार्यों से किन्हीं दो कार्यों के लिए प्रदान की जाने वाली ऋण सुविधाएं गारन्टी रक्षा के लिए पात्र होंगी। इसके अलावा सूखे, बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक विपत्ति या ऋणकर्ता की मृत्यु या शारीरिक अक्षमता की स्थिति में या ऋणकर्ता के काबू में न रहनेवाली दूसरी असामान्य परिस्थितियों के संदर्भ में अल्पावधि ऋणों को मध्यावधि ऋणों में परिवर्तित करके उन्हें आगे ले जाने की अनुमति दी जाएगी।

124. निगम द्वारा प्रवर्तित तीन योजनाओं के अन्तर्गत प्रदान की गयी ऋण सुविधाओं के संबंध में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार छोटे ऋण गारन्टी योजना के अधीन प्रदान की गयी ऋण राशि उक्त योजना में सम्मिलित 71 वाणिज्य बैंकों में से 65 वाणिज्य बैंकों के संदर्भ में 29 सितम्बर 1972 तक 173.42 करोड़ रुपये, 18 वित्तीय निगमों में से 12 निगमों के मामले में वित्तीय निगमों की गारन्टी योजना के अधीन दी गयी ऋण राशि 2.97 करोड़ रुपये और चार वाणिज्य बैंकों के मामले में सेवा सहकारी समिति गारन्टी योजना के अधीन दी गयी ऋण राशि 44.66 लाख रुपये थी।

125. सहकारी समितियों के माध्यम से दी जानेवाली ऋण सुविधाओं को गारन्टी रक्षा प्रदान किये जाने के प्रश्न की जांच करने के लिए निगम द्वारा गठित किए गए एक कार्यकारी दल का उल्लेख पिछली रिपोर्ट में किया गया था। सहकारी ऋण प्रणाली के तीनों स्तरों पर विद्यमान अतिदेय राशि की स्थिति का अध्ययन करने, स्थूल रूप से उसके कारणों और ऋण की उपलब्धि पर पड़ने वाले उसके प्रभावों का पता लगाने और उसके लिए सुधारात्मक उपाय सुझाने के लिए रिजर्व बैंक ने हाल ही में एक अध्ययन दल की नियुक्ति की है। यह आशा की जाती है कि सहकारी समितियों पर निगम द्वारा नियुक्त कार्यकारी दल अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने के पूर्व अध्ययन दल के विचारों और सुझावों पर ध्यान देगा।

126. ऋण प्रदान करनेवाली किसी संस्था ने 31 दिसंबर, 1972 तक योजना के अन्तर्गत गारन्टी रक्षा प्राप्त ऋण सुविधाओं के संबंध में प्रदान की गयी गारन्टी का उपयोग नहीं किया। 1973 की पहली छमाही के दौरान 5 बैंकों ने 59 ऋणकर्ताओं के संबंध में कुल 2.01 लाख रुपयों के भुगतानों के लिए दावे पेश किये। 30 जून 1973 तक निगम ने ऋणकर्ताओं के मामले में कुल 5324.33 रुपयों के दावों की राशियां अदा की और शेष 57 दावे विचाराधीन थे।

127. 1972 के दौरान निगम को 94.55 लाख रुपयों के गारन्टी शुल्क प्राप्त हुए। निवेशों से प्राप्त आय और अतिदेय गारंटी शुल्कों पर प्राप्त ब्याज और गारन्टी शुल्कों की राशि कुल मिलाकर 108.90 लाख रुपये थी। 4.76 लाख रुपयों के स्थापना व्यय तथा दूसरे व्यय की व्यवस्था करने के बाद निगम के पास 104.14 लाख रुपयों की राशि का अधिशेष विद्यमान था और इस राशि को असमाप्त गारन्टी जोखिमों की प्रारक्षित निधि में अंतरित करने का निगम का विचार था। वित्त अधिनियम, 1973 के अधीन निगम को आय कर और कंपनी (लाभ) अधिकर की अदायगी से दिसम्बर 1975 के अंत तक 5 वर्षों की अवधि के लिए छूट दी गयी है।

ऋण का क्षेत्रीय वितरण

128. बैंक ऋण के क्षेत्रीय वितरण के आंकड़ों के प्राक्कलन केवल दिसम्बर 1972 तक उपलब्ध हैं। इन आंकड़ों से इस बात का संकेत मिलता है कि जुलाई-दिसम्बर, 1971 की स्थिति की तुलना में जुलाई—दिसम्बर, 1972 के दौरान अर्थ-व्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों को उपलब्ध ऋण की मात्रा में कुछ महत्वपूर्ण

सारणी 22 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के ऋण का क्षेत्रवार वितरण

(करोड़ रुपये में)

	बकाया राशि			(2) की तुलना में (3) में घट-बढ़	जून 1972 को बकाया	(3) की तुलना में (5) में घट-बढ़	दिसंबर 1972 को बकाया	(5) की तुलना में (7) में घट-बढ़
	जून 1969 को	जून 1971 को	दिसंबर 1971 को					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1 कुल बैंक ऋण	3599	4805	5052	+247	5480	+428	5559	+79
(उसमें से निर्यातों के लिए दिया गया)	(258*)	(382*)	(459*)	(+77)	(436*)	(−23)	(463*)	(+27)
	(7.2)	(7.9)	(9.1)		(8.0)		(8.3)	
2. अनाजों की उगाही के कार्यकलाप	233	379	365	−14	542	+177	159	−383
	(6.5)	(7.9)	(7.2)		(9.9)		(2.9)	
3. कृषि	188	382	395	+13	439	+44	485	+46
	(5.2)	(7.9)	(7.8)		(8.0)		(8.7)	
(क) प्रत्यक्ष वित्त	54	236	263	+27	267	+4	310	+43
	(1.5)	(4.9)	(5.2)		(4.9)		(5.6)	
(ख) परोक्ष वित्त	134	146	132	−14	172	+40	175	+3
	(3.7)	(3.0)	(2.6)		(3.1)		(3.1)	
4. लघु उद्योग	286	500	545	+45	597	+52	645	+48
	(7.9)	(10.4)	(10.8)		(10.9)		(11.9)	
5. फुटकर व्यापार सहित अन्य अग्रणीवाले क्षेत्र	31	144	163	+19	173	+9	196	+24
	(0.9)	(3.0)	(3.2)		(3.1)		(3.5)	
6. बड़े और मझौले उद्योगों† थोक व्यापार और अन्यों को बैंक ऋण @	8261	3400	3581	+184	3730	+146	4074	+344
[(1−(2+3+4+5)]	(79.5)	(70.8)	(70.9)		(68.1)		(73.3)	
7. उपलब्ध कुल जमाराशियां (इसमें हाथ में नकदी, रिज़र्व बैंक आफ़ इंडिया के पास बकाया राशियां, अन्य बैंकों के चालू खाते में बकाया राशियां तथा सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में किये गये निवेश शामिल नहीं हैं)	2814	3936	4238	+302	4577	+339	4803	+226
	(83.3)	(81.9)	(83.9)		(83.5)		(86.4)	
8. मद 7 में मद 6 का प्रतिशत	93.9	85.3	84.6	60.9	79.1	43.1	84.00	152.2
9. रिज़र्व बैंक आफ़ इंडिया से उधार	172	207	171	−36	42	−129	9	−33

टिप्पणी : (i) दिसम्बर 1971 तक फुटकर व्यापार सहित अन्य अग्रणीवाले क्षेत्रों के आंकड़े केवल सरकारी क्षेत्र के बैंकों से संबंधित हैं ; अतः कुल ऋण में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के ऋण के अनुपात (86%) के आधार बढ़ा गये हैं।

(ii) कोष्टकों में दिये गये आंकड़े कुल बैंक ऋण में प्रतिशत को दर्शाते हैं।

*इसमें मध्यावधि निर्यात ऋण शामिल है।

@अनुमानित।

†इसमें बड़े और मझौले उद्योग तथा थोक व्यापार को दिया गया सारा निर्यात ऋण शामिल है।

परिवर्तन हुए हैं। दिसम्बर 1972 के अंत तक बैंकों द्वारा दिये गए कुल ऋण की राशि 5,559 करोड़ रुपये थी जो जून 1972 के अंत में विद्यमान राशि से 79 करोड़ रुपयों की थोड़ी सी वृद्धि की द्योतक है जबकि 1971 की तदनुरूप अवधि में उक्त ऋण में 247 करोड़ रुपयों की वृद्धि पायी गयी थी। अनाजों के लिए दिए जाने वाले अग्रिमों में जुलाई-दिसम्बर 1971 में हुई 14 करोड़ रुपयों की कमी के मुकाबले में इस अवधि में 383 करोड़ रुपयों की कमी पायी गयी (सारणी 22)।

129. अनाजों की उगाही से संबंधित कार्यकलापों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता को आलोच्य वर्ष में और व्यवस्थित किया गया। भारतीय खाद्य निगम, राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों को अनाजों की उगाही से संबंधित कार्यकलापों, अनाजों के भंडारण और वितरण के लिए आवश्यक सारे ऋण की पूर्ति अब रिजर्व बैंक द्वारा स्टेट बैंक आफ इंडिया के नेतृत्व में गठित बैंकों के सहायता संघ द्वारा की जाती है। इस योजना के परिचालन से यह पता चला कि राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों ने ऋण सीमाओं का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जिसका संभवतः यह कारण था कि सहयोगी बैंकों के कार्य कलापों के बीच उचित समन्वय नहीं था। इस खाई को दूर करने के लिए प्रत्येक सहयोगी बैंक के लिए उसके वित्तीय साधनों की स्थिति के अनुरूप विशिष्ट ऋण सीमाएं निर्धारित की गयीं। अन्य बातों के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि सहायता संघ के सदस्य बैंक के बीच ऋण का समान वितरण हो, रिजर्व बैंक ने दिसम्बर, 1972 में बैंकरों की एक समिति का गठन किया जो सहायता संघ के सदस्य बैंकों के बीच वितरित की गयी ऋण सीमाओं का आवधिक रूप से पुनरीक्षण करेगी और अनाजों की उगाही के कार्य में संलग्न एजेंसियों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं का मूल्यांकन करेगी। आशा है कि यह समिति सहायता संघ की व्यवस्था से संबंधित विभिन्न क्रिया-विधियों और उनके दूसरे पहलुओं पर विचार करेगी। इस वर्ष समिति की छः बैठकें हुईं। रूई और कपास पर दिये जाने वाले अग्रिमों के लिए भी इसी प्रकार की सहायता संघ व्यवस्थाएं करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं ताकि भारतीय रूई निगम के कार्यकलापों में सुविधा हो।

130. जुलाई-दिसम्बर, 1972 की अवधि में निर्यात ऋण में 27 करोड़ रुपयों की थोड़ी सी वृद्धि पायी गयी जबकि 1971 की तदनुरूप अवधि में 77 करोड़ रुपयों की वृधि हुई थी। फिर भी निर्यात ऋण के बारे में जब पूरे विवरण उपलब्ध होंगे तब यह आशा की जाती है कि 1972-73 के दौरान निर्यातों में पर्याप्त मात्रा में हुई वृद्धि को देखते हुए पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष उसमें अधिक वृद्धि पायी जाएगी। पोत लदान पूर्व ऋण योजना और निर्यात बिल ऋण योजना इस वर्ष भी अमल में रही; परन्तु निर्यात बिल ऋण योजना में मामूली संशोधन किये गये ताकि समुद्री उत्पादों और कच्ची खनिज वस्तुओं के निर्यातों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति भी की जा सके। 1968 की ब्याज उपदान योजना के क्षेत्र को व्यापक बनाकर उसमें निर्यातों के लिए पैकिंग ऋण प्रदान करनेवाले राज्य/केन्द्रीय सहकारी बैंकों को शामिल किया गया।

131. बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को दिये गये ऋणों में जुलाई-दिसम्बर 1972 में 48 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई जबकि जुलाई-दिसम्बर 1971 में उनमें 45 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी। 'बड़े और मझौले उद्योगों, थोक व्यापार और अन्यों' से युक्त शेष क्षेत्र को प्राप्त ऋणों की राशि 344 करोड़ रुपये थी जबकि उक्त राशि पिछले वर्ष 184 करोड़ रुपये थी। फुटकर व्यापार सहित अन्य अग्रता वाले क्षेत्रों को दिये गये अग्रिमों में 24 करोड़ रुपयों की वृद्धि पायी गयी जबकि जुलाई-दिसम्बर 1971 में उनमें 19 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी। जुलाई-दिसम्बर 1972 के बीच बैंकों द्वारा कृषि के लिए प्रदान किये गये ऋणों में 46 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई जबकि 1971 की तदनुरूप अवधि में 13 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी। कृषि क्षेत्र को ऋण प्रदान किये जाने के लिए विद्यमान संगठनात्मक स्वरूप को मजबूत बनाने पर जोर दिया जा रहा है उसके संदर्भ में बैंकों द्वारा कृषि के लिए दिये गये ऋणों में हुई वृद्धि पर विचार किया जाना चाहिए। इसके अलावा रिजर्व बैंक द्वारा इस विषय पर जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप बैंकों ने भी अपनी नीति तथा क्रिया विधियों को व्यवस्थित किया। विशेष रूप से 1972-73 में कृषि के संबंध में प्रतिकूल स्थितियां विद्यमान होने के कारण ऋणों की वसूली की स्थिति कठिन ही बनी रही। इस तथ्य के बावजूद इस क्षेत्र को दिये गये ऋण में वृद्धि हुई है। यद्यपि आगामी कुछ समय तक यह समस्या बहुत कठिन बने रहने की संभावना है फिर भी बैंकों द्वारा इस क्षेत्र के प्रति अग्रता की जो नीति बरती जा रही है उसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है।

132. उपलब्ध ऋणों की मात्रा में जो परिवर्तन हुए उनका स्वाभाविक परिणाम यह था कि कुल बैंक ऋण में अलग-अलग क्षेत्रों को प्राप्त होने वाले ऋणों के हिस्से में परिवर्तन हुए। जहां लघु उद्योगों को दिये गये ऋणों की मात्रा में कमी हुई, यद्यपि यह सीमान्त थी, वहां कृषि को दिये गये ऋणों की मात्रा में सुधार पाया गया। निर्यात और अन्य अग्रतावाले क्षेत्र दोनों को दिये गये ऋणों की मात्रा में वृद्धि हुई। सरकार के पास रहने वाले अनाजों के स्टाक में कमी हो जाने के साथ अनाजों के लिए दिये गये अग्रिमों में काफी गिरावट आयी और बड़े और मझौले उद्योगों और थोक व्यापार तथा अन्यों के ऋणों की मात्रा में वृद्धि हुई।

अधिक कामकाज का समय 1972-73

133. अक्तूबर 1972–अप्रैल, 1973 के अधिक कामकाज के समय में समग्र रूप से जो ऋण विस्तार हुआ उसकी राशि 884 करोड़ रुपये थी। अधिक कामकाज के समय कुल ऋण और ऋण विस्तार में 21 बड़े बैंकों का अंश 87 प्रतिशत था। उन बैंकों से प्राप्त आंकड़ों के समग्र वृद्धि की स्थूल दिशा का संकेत मिलता है। इन बैंकों द्वारा प्रमुख क्षेत्रों को जो ऋण प्रदान किया गया उसमें हुई वृद्धि नीचे दिखायी गयी है। प्रत्येक क्षेत्र में अक्तूबर 1972 और अप्रैल 1973 के अंतिम शुक्रवारों को जो ऋण वास्तव में बकाया थे कुल ऋण में उनका अनुपात भी दिखाया गया है।

क्षेत्र	कुल विस्तार का प्रतिशत	कुल ऋण में बकाया ऋण का प्रतिशत	
		अक्तूबर 1972 के अन्त में	अप्रैल 1973 के अन्त में
1. अग्रतावाले क्षेत्र (लघु उद्योग सहित) .	17.0	24.0	23.0
2. बड़े और मझौले उद्योग .	52.2	48.4	49.0
3. थोक व्यापार (अनाजों की उगाही के लिए और सरकारी क्षेत्र की व्यापार एजेंसियों को दिये गये ऋण को मिलाकर) .	17.2	15.8	16.0
4. अन्य क्षेत्र .	13.5	11.8	12.0
जोड़	100.0	100.0	100.0

मूल भूत सांख्यिकीय विवरणी योजना

134. एक-समान संतुलन वही योजना के बदले लागू की गयी मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी योजना में अनुसूचियों को सरल बना दिया गया है और कतिपय विवरणियों के प्रेषण की अवधि को कम कर दिया गया है। मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी योजना को प्रभावकारी ढंग से कार्यान्वित करने के उद्देश्य से बैंकों से समय पर विवरणियां प्रेषित करने के निमित्त एक वरिष्ठ अधिकारी को नियत करने का अनुरोध किया गया है। क्रियाविधियों को सरल बना देने और विवरणियां प्रेषित किये जाने की अवधि को कम कर देने के कारण बैंकों ने जून 1972 के लिए एक-समान संतुलन वही योजना विवरणियां प्रेषित करने की ओर संतोषजनक रुझान दिखाया है। इन आंकड़ों को अब समेकित कर प्रकाशित किया गया है। इन आंकड़ों का उपलब्ध होना बैंकों के लिए भी महत्वपूर्ण है; क्योंकि अग्रणी बैंक योजना के अधीन अपने लिए निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करते समय उन्हें यह जान लेना चाहिए कि समग्र बैंक संघटन में किस दिशा में और किस क्षेत्रों को ऋण वितरित किया जा रहा है। मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी योजना के अधीन साल में दो बार ऐसे आंकड़ों को प्रकाशित करने का इरादा है। बैंकिंग सांख्यिकीय निदेश समिति द्वारा की जानेवाली अनुवर्ती कार्रवाइयों के एक अंश के रूप में सरकारी क्षेत्र के बैंकों, बैंकिंग विभाग और राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान के प्रतिनिधियों की एक बैठक 2 जुलाई 1973 को मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी प्रणाली की प्रगति का पुनरीक्षण करने और बैंकों में प्रबंध सूचना प्रणाली को अमल में लाने के संदर्भ में विचार-विमर्श करने के लिए बुलायी गयी। बैठक में सबका यह सामान्य मत रहा कि मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियों के समय पर सही आंकड़ों की सूचना दी जानी चाहिए ताकि उनको शीघ्र समेकित किया जा सके और बैंकों को पुनः उनकी सूचना दी जा सके। प्रबंध सूचना प्रणाली के संबंध में यह निश्चय किया गया कि (i) प्रबंध सूचना प्रणाली के संदर्भ में मार्गदर्शन देने और उसका पर्यवेक्षण करने के लिए रिजर्व बैंक आफ इंडिया के कार्यपालक अधिकारियों और बड़े बैंकों के अध्यक्षों की एक स्थायी समिति गठित की जाए, और (ii) प्रबंध सूचना प्रणाली से संबंधित सिफारिशों को अमल में लाने के लिए एक कार्यान्वयन समिति बनायी जाए। कार्यान्वयन समिति कार्यदलों को नियुक्त करेगी जो अलग-अलग बैंकों की प्रणालियों का अध्ययन करेंगे।

विभेदक ब्याज दरें

135. पिछले वर्ष की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि समाज के कमजोर वर्गों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा रियायती ब्याज दरों पर ऋण दिलाये जाने की योजना को कार्यान्वित करने का सरकार ने निश्चय किया था। परन्तु उक्त योजना के अन्तर्गत जो प्रगति हुई वह कुछ धीमी थी जिसका कारण यह था कि बैंकों ने अपना अधिकांश समय अनिवार्यतः प्रारंभिक कार्यों में तथा योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र घोषित किये गये जिलों की शाखाओं का चयन करने में बिताया। इसके परिणामस्वरूप, उक्त योजना जहां पहल जुलाई 1972 में प्रारंभ होने वाली थी वहां उसमें विलम्ब हो गया। योजना की सीमा और क्षेत्र को व्यापक बनाने के उद्देश्य से वित्त मंत्री ने 1973-74 के अपने बजट भाषण में कतिपय संशोधनों की घोषणा की। इन संशोधनों में निम्नलिखित शामिल हैं: योजना के अन्तर्गत आनेवाले जिलों की संख्या को 163 से बढ़ाकर 265 कर दिया गया, योजना की पात्रता के लिए शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों में आय की उच्चतम सीमा को बढ़ाकर वार्षिक 3,000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक 2,000 रुपये कर दिया गया, और किसी ऋणकर्ता को योजना के अन्तर्गत उपलब्ध अधिकतम राशि कार्यकारी पूंजी के लिए 1500 रुपये और मीयादी ऋणों के लिए 5000 रुपये निर्धारित कर दी गयी। योजना के अंतर्गत बकाया अग्रिमों की राशि मार्च 1973 के अन्त में 56,536 खातों के संबंध में 207.35 लाख रुपये थी।

हुंडी पुनर्भाजन योजना

136. हुंडी पुनर्भाजन योजना में भाग लेनेवाले अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की संख्या जून 1972 के अन्त में विद्यमान 35 से बढ़कर इस वर्ष के दौरान 38 हो गयी। रिजर्व बैंक में फिर से भुनायी गयी हुंडियों की बकाया राशि का जो स्तर लगातार कम रहा है उससे अन्य बातों के साथ इस बात का पता चलता है कि बैंकों के वित्तीय साधनों की स्थिति संतोषजनक थी। फिर भी इस योजना के उपयोग में क्रमशः वृद्धि होने के संकेत हैं। 1972-73 के अधिक कामकाज के समय में बकाया राशि में 19 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई जबकि इसकी तुलना में 1971-72 के अधिक कामकाज के समय में 3 करोड़ रुपयों की कमी हुई थी। एक वर्ष की अवधि में फिर से भुनायी गयी हुंडियों की बकाया राशि 5 करोड़ रुपये अधिक थी। जबकि 1971-72 (जुलाई-जून) में उक्त राशि में 36 लाख रुपयों की थोड़ी सी वृद्धि हुई थी। चूंकी बैंक जहां कहीं संभव हो, वहीं ऋणों और स्टाकों की अपेक्षा हुंडियों पर ऋण प्रदान करने के लिए अधिक सक्षम रहते हैं, अतः यह योजना रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा फिर से भुनाये जाने का महत्वपूर्ण साधन होनी चाहिए। नवम्बर 1970 में प्रारंभ की गयी हुंडी पुनर्भाजन योजना के क्षेत्र को व्यापक बनाने के लिए इस वर्ष के दौरान इसमें और संशोधन किये गये। रक्षा पैकिंग व पूर्ति ऋण के संबंध में की गयी जो पुनर्वित्त व्यवस्था पुरानी हुंडी बाजार योजना के अधीन लागू थी उसे रक्षा पैकिंग व पूर्ति योजना को रद्द कर देने के कारण 30 मार्च, 1973 से वापस ले लिया गया।

ऋण आयोजना

137. वाणिज्य बैंकों के अर्थशास्त्रियों के साथ अप्रैल 1972 में जो विचार-विमर्श हुआ उसके बाद 1972-73 के लिए बैंक व्यवस्था की ऋण आयोजना के फार्मों में संशोधन किये गये ताकि उनमें वित्तीय वर्ष के आधार पर जमा-वृद्धि, कम तथा अधिक कामकाज के समय में (क्षेत्रवार और राज्य वार) ऋण वितरण के अनुमानित आंकड़ों और अग्रणी और गैर अग्रणी जिलों में राज्यवार शाखा विस्तार योजना के विवरण दिये जा सकें। उन बैंकों ने फार्म भरे जिनकी जमाराशियों और ऋणों के प्रतिशत बैंक व्यवस्था की कुल जमाराशियों और ऋणों में क्रमशः 96 और 97 थे। 50 करोड़ रुपयों से अधिक जमाराशियों वाले प्रत्येक बैंक की प्रायोजना पर मुख्य कार्यपालक तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया गया ताकि अनुमान निकालने के लिए अपनायी जानेवाली प्रणालियों का पता लगाया जा सके और विशेष रूप से कतिपय संवेदनशील प्रतिभूतियों पर दिये जानेवाले ऋण का पुनरीक्षण किया जा सके। इस के अलावा इस बात पर भी जोर दिया गया कि बैंक कम विकसित राज्यों में शाखा विस्तार का कार्य तेजी से करें और कृषि तथा अन्य अग्रतावाले क्षेत्रों को दिये जानेवाले ऋणों को बढ़ायें। अधिक कामकाज के समय के लिए ऋण-नीति की घोषणा करने के पूर्व चयनात्मक ऋण नियंत्रण के उपायों के अन्तर्गत किसी बैंक के लिए समग्र रूप से निर्धारित उच्चतम, ऋण सीमा के बजाय पार्टीवार आधार पर ऋण सीमाएं निर्धारित करने के संबंध में बैंकों की राय मांगी गयी। उत्पादन स्टाक, मूल्य, निर्यात आदि के संबंध में उपलब्ध जानकारी को ध्यान में रखते हुए समग्र बैंक व्यवस्था के लिए वर्ष 1972-73 के लिए एक यथार्थपरक और व्यापक ऋण आयोजना भी बनायी गयी।

138. इन विचार विमर्शों के दौरान जो महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में आया वह यह था कि कतिपय बैंक अन्य बैंकों से उनके बड़े ऋणकर्ताओं के खातों को कम ब्याज दरों और दूसरे प्रकार की अधिक अनुकूल शर्तों की व्यवस्था कर अपने अधिकार में ले लिया करते थे। इस संबंध में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की एक विशेष बैठक बुलायी गयी और रिजर्व बैंक ने उन्हें यह समझाया कि ऐसी प्रणालियों से दूर रहना वांछनीय होगा।

139. विचार-विमर्शों से यह भी पता चला कि बैंकों ने सरकारी क्षेत्र के यूनिटों को काफी अधिक राशि के ऋण देने का या तो वादा किया था या ऐसी राशि इस उद्देश्य के लिए अलग रखी थी। उनमें से कुछ राशि मीयादी ऋण के रूप में थी जबकि दूसरी शेयर/डिबेंचर जारी करने की

व्यवस्थाओं को नियमित करने तक दी गयी वित्तीय सहायता के रूप में थी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे ऋण प्राधिकरण योजना के अन्तर्गत निर्धारित ऋण मूल्यांकन मानकों के अनुरूप भी हैं, राज्य बिजली बोर्डों सहित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के संदर्भ में 3 करोड़ रुपयों और उनसे अधिक राशि की मीयादी ऋण सीमाओं तथा एक करोड़ रुपयों और उनसे अधिक राशि के कार्यकारी पूंजीगत ऋणों को ऋण प्राधिकरण योजना की परिसीमा के अन्तर्गत लाया गया।

140. उक्त विचार-विमर्श का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह था कि जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अनाजों की उगाही के लिए दिये जाने वाले ऋणों का पर्यवेक्षण करने के लिए बैंकरों और रिजर्व बैंक की एक स्थायी समिति स्थापित करने का निश्चय किया गया। भारतीय रूई निगम के कामकाज की सुविधा के लिए रूई और कपास पर दिये जाने वाले अग्रिमों के लिए इसी प्रकार की सहायता व्यवस्थाएं करने से संबंधित प्रस्ताव विचाराधीन है।

141. उर्वरकों के वितरण और ट्रैक्टरों की खरीद के लिये बैंक ऋण की व्यवस्था करने में होने वाले विलंब के कारणों पर विचार-विमर्श करने के लिये वाणिज्य बैंकों की एक बैठक बुलायी गयी। इन विचार-विमर्शों के आधार पर रिजर्व बैंक ने यह सुनिश्चित करने के लिये स्थूल मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किये हैं कि इन उद्देश्यों के लिये शीघ्रतापूर्वक अबाध ऋण उपलब्ध हो।

पोतलदान पूर्व ऋण योजना और निर्यात बिल ऋण योजना

142. पोतलदानपूर्व और निर्यात बिल ऋण योजनाएं अधिकाधिक मात्रा में निर्यात ऋण उपलब्ध कराने में सहायता पहुंचाने के लिये जारी रहीं। पोतलदान पूर्व ऋण योजना को लचीले ढंग से प्रवर्तित किया गया ताकि निर्यातकों द्वारा अनुभव की जानेवाली अप्रत्याशित कठिनाइयां कम ब्याज दर पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न न करें। विदेशी मुद्रा अर्जित करने में समुद्री खाद्य वस्तुओं के महत्व तथा उनकी भारी संभावनाओं को देखते हुये रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1973 में संबंधित बकों, समुद्री खाद्य वस्तुओं के निर्यातकों और समुद्री निर्यात विकास प्राधिकारियों के साथ उक्त उद्योग की ऋण संबंधी समस्याओं पर विचार-विमर्श किया। बकों को यह सलाह दी गयी है कि वे निर्यातकों को निर्यात के विभिन्न स्तरों पर और उचित समय पर पर्याप्त मात्रा में ऋण सहायता प्रदान करें। इस संदर्भ में रिजर्व बैंक ने भी बैंकों को कतिपय सुझाव दिये है। उक्त योजनाओं में भाग लेने वाले बैंकों की कुल संख्या 30 जून 1973 को 24 थी। पैकिंग साख अग्रिमों के ब्याज तथा रुपया और विदेशी मुद्रा निर्यात बिलों के ब्याज/कमीशन/बट्टे की अधिकतम दर पूरी आलोच्य अवधि में बिना किसी परिवर्तन के वार्षिक 7 प्रतिशत ही रही।

निर्यात ऋण (ब्याज उपदान) योजना, 1968

143. मई 1968 में अमल में लायी गयी यह योजना बराबर लोकप्रिय रही और इस योजना के अन्तर्गत निर्यातक बैंकों से रियायती ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता प्राप्त कर सके। यह निश्चय किया गया कि निर्यात व्यापार का वित्तपोषण करने वाले राज्य/केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा पैकिंग ऋण के रूप में प्रदान किये जाने वाले कार्यकारी पूंजीगत अग्रिमों को भी इस योजना के अन्तर्गत लाया जाए। इस वर्ष के दौरान तीन राज्य सहकारी बैंकों और 12 केन्द्रीय सहकारी बैंकों को योजना के अन्तर्गत लाया गया। वार्षिक 7 प्रतिशत की उच्चतम ब्याज दर अपरिवर्तित रही। निर्यात ऋण और गारंटी निगम लिमिटेड द्वारा अपनी निर्यात उत्पादन वित्त गारन्टी योजना को उदार बना दिया जाने के परिणामस्वरूप अगस्त 1972 में बैंकों को यह स्पष्ट कर दिया गया कि पोतलदान के जहाज तक नि.शुल्क मूल्य के ऊपर 75 प्रतिशत तक उनके द्वारा निर्यातकों को प्रदान किये गये अग्रिम ब्याज उपदान के पात्र होंगे बशर्ते कि योजना की दूसरी शर्तों का पालन किया जाए। योग्य वाणिज्य बैंकों से ब्याज उपदान के संदर्भ में प्राप्त 5.31 करोड़ रुपयों की राशि के (2.74 करोड़ रुपयों के पोतलदान पूर्व ऋण और 2.57 करोड़ रुपयों के पोतलदानोत्तर ऋण) दावों का निपटान किया गया।

ऋण प्राधिकरण योजना

144. पिछले वर्ष की रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया था कि बैंकों द्वारा ऋण मूल्यांकन की क्रियाविधियों को सशक्त बनाया जा रहा था और ऋण प्राधिकरण योजना के कार्यकलापों में कतिपय रियायतें की गयी ताकि बैंक वास्तविक कार्यकारी पूंजी के उद्देश्यों के लिए अपने ऋणकर्ताओं की सामयिक मांगों की पूर्ति कर सकें। यह अनुभव किया गया कि ऋण मूल्यांकन की क्रियाविधियों को युक्तिसंगत बनाये जाने के साथ-साथ बैंक स्वयं ऋणकर्ताओं को अनुशासनबद्ध बनाने और उनको उपलब्ध करायी गई निधियों का दुरुपयोग किये जाने से रोकने के लिए उपयुक्त शर्तें निर्धारित करेंगे। अतः इस योजना की अपेक्षाओं में की गयी रियायतों को दिसम्बर 1972 में और उदार बना दिया गया। इन संशोधनों के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंक किसी ऋणकर्ता के लिए रिजर्व बैंक से पूर्व प्राधिकरण प्राप्त किये बिना वास्तविक उत्पादक/व्यापार संबंधी कार्यकलापों के लिए तीन महीनों से अनधिक अवधि तक 25 लाख रुपयों तक की अस्थायी/अंतरिम सीमाएं (इसके पूर्व यह रियायत 10 लाख रुपये की ऋण सीमा के लिए प्राप्त थी) मंजूर कर सकते हैं और उसे मंजूर की गयी सीमा के ऊपर दस प्रतिशत या 25 लाख रुपये, इनमें से जो भी कम हो, तक की राशि का अस्थायी रूप से अतिरिक्त आहरण करने के लिए अनुमति दे सकते हैं (इसके पूर्व यह रियायत 5 प्रतिशत या 10 लाख रुपये, इनमें से जो भी कम हो, तक उपलब्ध थी)।

145. ऋण प्राधिकरण योजना की सीमा और कार्यक्षेत्र में किया गया एक प्रमुख परिवर्तन यह था कि राज्य बिजली बोर्डों सहित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बैंकों द्वारा प्रदान किये जाने वाले अग्रिमों और केन्द्रीय और राज्य सरकारों की गारन्टी पर प्रदान किये जानवाले अग्रिमों को उसके अन्तर्गत शामिल कर लिया गया। इस योजना के अन्तर्गत उपर्युक्त श्रेणी के ऋणकर्ताओं को 3 करोड़ रुपयों और उनसे अधिक राशि की कोई ऋण सीमा (इसमें वाणिज्य बिलों के बट्टे भी शामिल हैं) या ऐसी कोई ऋण सीमा, जिससे ऐसी पार्टी को पूरे बैंकिंग संगठन से जमानती या गैर-जमानती आधार पर प्राप्त कुल ऋण सीमाओं की राशि 3 करोड़ रुपये या उनसे अधिक हो जाएगी, मंजूर करने के पहले बैंकों को अब रिजर्व बैंक का पूर्व प्राधिकरण प्राप्त कर लेना आवश्यक है। उपर्युक्त श्रेणी के ऋणकर्ताओं को तीन वर्षों से अधिक अवधि में प्रतिदेय 1 करोड़ रुपये या अधिक राशि के व्यक्तिगत मध्यावधि या दीर्घावधि ऋण (अकेले या अन्य बैंक (को)/संस्था (ओं) के साथ संयुक्त रूप से) मंजूर करने के पहले भी इस प्रकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लेना आवश्यक है, चाहे ऋणकर्ताओं द्वारा समग्र बैंकिंग संगठन से ली गयी पूरी ऋण सीमाओं की मात्रा कुछ भी क्यों न हो। राज्य बिजली बोर्डों के संदर्भ में बैंकों को यह सूचित किया गया है कि बिजली से संबंधित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए उनके द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता मुख्यतः बिजली बोर्डों द्वारा जारी किये गये खुले बाजार ऋणों या विशेष डिबेंचरों में अधिक मात्रा में अभिदान के रूप में हो। मार्गदर्शी सिद्धांतों के रूप में बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे नलकूपों या पंप सेटों में बिजली लगाने से संबंधित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों के लिए भी उचित जांच करने के बाद ऋण प्रदान कर सकते है और बिजली बोर्डों को उनकी कार्यकारी पूंजी, सामयिक अपेक्षा तथा अर्थोपाय से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति करने के निमित्त अल्पावधि सहायता प्रदान कर सकते है।

146. पिछले वर्ष की रिपोर्ट में इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया गया था कि बैंक-वित्त की अधिकतम आवश्यकताओं को दिखाते समय कुछ बैंकों ने अदत्त स्टाकों को भी ऋणकर्ताओं की ऋण सीमाओं को निर्धारित करने के उद्देश्य के लिए उपलब्ध बैंक स्टाकों के रूप में दिखाया । इससे ऋण-कर्ता को एक ही वस्तु सूची के संबंध में विक्रेताओं से और साथ ही बैंकों से "दुहरा वित्त" उपलब्ध होता था। यद्यपि रिजर्व बैंक की नीति का लक्ष्य यह रहा है कि दुहरे वित्तपोषण की इस प्रणाली को समाप्त किया जाए, फिर भी वह लचीली होती जा रही थी। उत्पादक कार्यकलापों को हानि पहुंचाये बिना जिन मामलों में दुहरे वित्तपोषण के तत्व को हटाया नहीं जा सकता है, उन मामलों में बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे उचित शर्तें निर्धारित कर क्रमबद्ध रूप से स्थिति में सुधार लायें जिससे कि आवश्यक परिणाम निकल सके ।

147. 1972-73 के मौसम के दौरान चीनी के अनुमानित उत्पादन और मौसम की व्यस्ततम अवधि में मिलों के पास रहनेवाले स्टाकों को ध्यान में रखते हुए 1972-73 के दौरान बैंकों द्वारा चीनी मिलों को चीनी के स्टाकों पर दिये जानेवाले अग्रिमों के संदर्भ में विद्यमान नीति का पुनरीक्षण किया गया । इस पुनरीक्षण के बाद नवम्बर 1972 में बैंकों को सूचित किया गया कि वे पूर्व प्राधिकरण प्राप्त करने की आवश्यकता के बिना ही गन्ना पेरने के अंतरिम उपाय के रूप में वर्तमान मौसम में अलग-अलग मामलों में उनके गुण-दोषों के आधार पर चीनी के स्टाकों पर 1969-70 के मौसम में मंजूर की गयी ऋण सीमाओं के 80 प्रतिशत तक या रिजर्व बैंक द्वारा पिछले मौसम में विशेष रूप से प्राधिकृत की गयी उच्चतर सीमाओं तक ऋण सीमाएं प्रदान कर सकते हैं। इस बात का सुनिश्चियन कर लेने के लिए कि मिलों द्वारा गन्ने के उत्पादकों को तत्काल अदायगी की जाती है, नियंत्रण संबंधी आंकड़े प्राप्त कर विनियामक क्रियाविधि अपनाये जाने की आवश्यकता से बैंकों को अवगत कराया गया।

148. 1972-73 के मौसम के दौरान जूट की फसल (मेस्ता को मिलाकर) में प्रत्याशित कमी को देखते हुए जट आयुक्त ने जूट (लाइसेंसी-करण और नियंत्रण) आदेश, 1961 की धारा 9 के अन्तर्गत आदेश जारी किये । इन आदेशों के अनुसार जूट मिलों से अपने स्टाकों को क्रमशः इस प्रकार कम करने की अपेक्षा की गयी कि उनके पास मिलों में या मिलों के बाहर आठ सप्ताह की खपत से अधिक स्टाक न हो। बाद में जूट द्वारा आयुक्त कतिपय संशोधन भी जारी किये गय। जूट उद्योग का वित्तपोषण करनेवाले बैंकों को रिजर्व बैंक द्वारा यह सुनिश्चित कर लेने की सूचना दी गयी कि उनके द्वारा जूट मिलों को उपलब्ध कराया गया ऋण जूट आयुक्त द्वारा जारी किय गय अनुदेशों के अनुरूप है। इन बैंकों को यह भी सूचना दी गयी कि यदि वे 1972-73 के मौसम के लिए 1970-71 में मंजूर की गयी ऋण सीमाओं की अपेक्षा अधिक ऋण सीमाएं प्रदान करना चाहते हों तो वे रिजर्व बैंक से पूर्व प्राधिकरण प्राप्त कर लें।

149. कोयला उद्योग को परिवहन की असुविधाओं से होनेवाली कठिनाइयों को दूर करने में सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से जनवरी 1972 में बैंकों को रिजर्व बैंक से पूर्व प्राधिकरण प्राप्त किये बिना 1972 के अन्त तक उक्त उद्योग को वर्तमान ऋण सीमाओं के अधिक से अधिक 15 प्रतिशत तक की अतिरिक्त ऋणसीमा प्रदान करने की छूट दी गयी। रिजर्व बैंक द्वारा कोयला उद्योग के वित्त के संबंध में गठित कार्यकारी दल की सिफारिशों के अनुसरण में दिसम्बर 1972 में बैंकों को जून 1973 तक उक्त छूट को जारी रखने की अनुमति दी गयी। दिसम्बर 1971 में भारत-पाक युद्ध शुरू होने पर वस्त्र मिलों और व्यापारियों को इस योजना के अन्तर्गत ऋण सीमाओं में दी गयी छूट को दिसम्बर 1972 तक जारी रखा गया और उसके बाद वह अमल में नहीं रही। पूर्वी क्षेत्र में तथा कम विकसित/पिछड़े क्षेत्र में स्थित औद्योगिक यूनिटों से प्राप्त ऋण संबंधी प्रस्तावों पर सहानुभूतिपूर्वक और अविलम्ब कार्रवाई की जाती रही ।

150. जैसाकि पहले कहा जा चुका है, रिजर्व बैंक ने देखा कि कुछ मंदर्भों में बैंक एक दूसरे से बड़े ऋणकर्ताओं के खातों को ब्याज की कम दरें प्रदान कर अपने अधिकार में लेने के प्रयास किया करते हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बीच इस प्रकार की अस्वस्थ्य प्रतियोगिता होने से रोकने के लिए रिजर्व बैंक ने दिसम्बर 1972 में इस प्रणाली को समाप्त करने की सलाह दी। चूंकि उक्त प्रणाली पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई अतः रिजर्व बैंक ने जनवरी 1973 में सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को यह सूचित किया कि प्रमुख बैंकों द्वारा इस समस्या पर संयुक्त रूप से विचार-विमर्श किये जाने तक वे एक दूसरे से 25 लाख रुपयों या उनसे अधिक राशि की ऋण सीमाओं या मीयादी ऋणों को उन बैंकों से पहले ही परामर्श किये बिना जिन्होंने संप्रति ऐसी ऋण सीमाएं/मीयादी ऋण प्रदान किये हों, और रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना अपने अधिकार में न लें। ये अनुदेश प्रारंभ में अप्रैल 1973 के अन्त तक ही लागू थे; परन्तु बाद में उन्हें अगली सूचना तक अमल में रहने दिया गया ।

151. जुलाई 1972 से जून 1973 तक की अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत ऋण सीमाओं के प्राधिकरण के लिए बैंकों से 954 आवेदनपत्र प्राप्त हुए जबकि पिछली अवधि में 727 आवेदनपत्र प्राप्त हुए थे। प्राधिकरण के लिए प्राप्त आवेदनपत्र मुख्यतः कार्यकारी पूंजीगत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के संदर्भ में थे । इन आवेदनपत्रों में से दो आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिए गये और सोलह आवेदनपत्र विभिन्न प्रश्न उठाये जाने के कारण वापस ले लिये गये। कुछ मामलों में रिजर्व बैंक ने ऋणकर्ताओं की आवश्यकता पर आधारित अपेक्षाओं पर सावधानी से विचार करते हुए कम मात्रा में ऋण सीमाओं को प्राधिकृत किया । जहां यह अनुभव किया गया कि ऋणकर्ता की ऋण संबंधी आवश्यकता का संबंधित बैंक द्वारा अधिक ब्योरेवार अध्ययन किया जाना जरूरी है या जहां क्रमबद्ध प्रणाली से कतिपय सुधारात्मक कार्य-वाहियां करना आवश्यक है वहां इस शर्त पर विशिष्ट अवधियों के लिए सीमाएं प्राधिकृत की गयी कि ऐसी अवधि के समाप्त हो जाने के बाद फिर से पुनरीक्षण किया जाए। सीमाएं प्राधिकृत करते समय, कई मामलों में उपयुक्त शर्तें निर्धारित की गयीं। ऋणकर्ताओं में वित्तीय अनुशासन लाने के उद्देश्य से बनायी गयी ये शर्तें प्रमुख रूप से निम्नलिखित विषयों से संबंधित थीं; ऐसे उद्देश्यों के लिए जो तात्कालिक नहीं हैं, अल्पावधि निधियों को विशातरित करना, लाभांशों की घोषणा के लिए बैंक की स्वीकृति की आवश्यकता, कंप-नियों द्वारा परस्पर ऋण प्रदान किया जाना/निवेश किया जाना, बैंक अग्रिमों की तुलना में प्रवर्तकों की निधियों की गौणता, गारन्टी-कमीशन की अदायगी न होना, आदि ।

शेयरों पर अग्रिम

152. रिजर्व बैंक को यह सूचित किया गया कि कतिपय अनुसूचित वाणिज्य बैंक ऋणकर्ताओं की वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भी अल्पावधि ऋण या निर्दिष्ट भाववाले शेयरों की जमानत पर अनुपूरक सुविधाएं प्रदान करने के लिए तैयार नहीं हैं। अतः बैंक ने 17 जनवरी 1973 को यह स्पष्ट करते हुए सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के नाम एक परिपत्र जारी किया कि शेयरों पर प्रदान किये जानेवाले अग्रिमों के संबंध में बैंक ने जो मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये उनका उद्देश्य केवल नीति को तर्कसंगत बनाना है, न कि उत्पादन संबंधी वास्तविक आवश्यकताओं के लिए ऋण देने से अस्वीकार करना ; और बैंक वास्तविक निवेश और उत्पादन संबंधी आवश्यकताओं के लिए मामले के गुण-दोषों के आधार पर शेयरों पर ऋण प्रदान करना जारी रखें। इसके अलावा, वास्तविक उत्पादक कार्य की सहायता करने के उद्देश्य के लिए लघु अवधि के लिए या कार्यकारी पूंजीगत उद्देश्यों के लिए अनुपूरक सुविधाओं के रूप में शेयरों पर अग्रिम प्रदान

करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि शेयरों में अधिकाधिक मात्रा में निवेश हो, बैंकों से यह कहा गया कि यदि वे निधियों के अंतिम उपयोग के संबंध में आश्वस्त हों तो मामले के गुण-दोषों के आधार पर शेयरों पर ऋण या ओवरड्राफ्ट प्रदान करना जारी रखें ; ऐसे मामलों में बैंक 5 लाख रुपयों तक के अग्रिमों के लिए वापसी अदायगी के कार्यक्रम निर्धारित करना अनिवार्य न समझें।

चयनात्मक ऋण नियंत्रण

153. उत्पादन, पूर्ति और मूल्य की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में और 1972-73 में फसलों की प्रतिकूल संभावनाओं को देखते हुए अनाजों, तिलहनों और वनस्पति तेलों और वनस्पति घी और कपास जीनी गुड़ और खाडसारी पर दिये जानेवाले अग्रिमों के संदर्भ में इस वर्ष के दौरान चयनात्मक ऋण नियंत्रण संबंधी उपायों में कतिपय संशोधन किये गये। ये संशोधन करते समय रिजर्व बैंक के ध्यान में निम्नलिखित लक्ष्य रहे ऋणकर्ताओं को अनुचित स्टाक बनाये रखने से रोका जाए और अधिक मात्रा में उत्पादन और उगाही की दिशा में ऋण कोई समस्या न हो। इसके अलावा, इन संशोधनों का स्वरूप इस प्रकार था कि क्रियाविधियां सरल हो और नियंत्रणों को और प्रभावकारी ढंग से कार्यान्वित किया जा सके।

154. 1972-73 में अनाजों के उत्पादन के संदर्भ में प्रतिकूल संभावनाओं को देखते हुए ऋण के स्तर और शर्तों की दृष्टि से अनाजों पर दिये जानेवाले अग्रिमों के नियंत्रणों को काफी कठोर बना दिया गया। 16 नवम्बर 1972 से रिजर्व बैंक ने अनाजों पर बैंकवार उपलब्ध ऋण सीमा को पार्टीवार बना दिया। ऋण के स्तर से संबंधित पुरानी व्यवस्था पूर्व वर्ष के तदनुरूप दो महीनों में बनाये रखी गये (गेहूं को छोड़कर धान और अन्य अनाजों पर दिये जानेवाले) ऋण के कुल औसत स्तर का 110 प्रतिशत थी; अब उसे बदलकर पिछले तीन मौसमों अर्थात् 1971-72, 1970-71 और 1969-70 में से किसी भी मौसम में प्रत्येक पार्टी के नाम बकाया रहनेवाले अग्रिमों के शिखर स्तर का 100 प्रतिशत बना दिया गया। अन्य बातों के साथ-साथ इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित कर लेना था कि बैंक दूसरे ऋणकर्ताओं द्वारा उपयोग में न लायी गयी ऋण-सीमाओं का उपयोग करते हुए कुछ पार्टियों को भारी मात्रा में ऋण प्रदान न करें। इसके साथ ही बैंकों को नवम्बर 1972 में यह भी सूचना दी गयी कि वे अनाजों, विशेषकर दालों और मोटे अनाजों पर ऋण प्रदान करते समय सावधानी बरतें जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उनके द्वारा दिये जानेवाले अग्रिमों से विभिन्न क्षेत्रों में अनाजों की उगाही के कार्यक्रम को सुविधा पहुंचे और साथ ही ऋणकर्ता अनुचित मात्रा में स्टाक बनाये रखने के लिए उनके अग्रिमों का उपयोग न करें। मक्के पर दिये जानेवाले अग्रिमों को जहां पहले नियंत्रणों में छूट प्राप्त थी वहां उन्हें भी पुनः नियंत्रण के अन्तर्गत लाया गया ; किन्तु औद्योगिक उपयोगकर्ताओं को प्रदान किये जानेवाले अग्रिमों को इससे छूट दी गयी।

155. अनाजों की पूर्ति और मूल्य की स्थिति लगातार कठिन थी; अतः बैंक ने अपने नियंत्रणों को अनाजों पर दिये जानेवाले अग्रिमों के न्यूनतम मार्जिन को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करते हुए 18 अप्रैल 1973 को और कठोर बना दिया। ऐसे अग्रिमों को न्यूनतम ब्याज दर को भी 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया। परन्तु भारतीय खाद्य निगम/केन्द्रीय या राज्य सरकारों द्वारा उगाही/वितरण के उद्देश्यों के लिए विधिवत् नियुक्त एजेंटों को नियंत्रणों से पूर्ण रूप से छूट दी गयी।

156 गेहूं के थोक व्यापार के अधिग्रहण के बाद 14 मई 1973 को बैंकों को यह सुनिश्चित कर लेने की सूचना दी गयी कि किसी थोक व्यापारी या जिन राज्यों में लाइसेंस प्रणाली निर्धारित की गयी हो उन राज्यों में फुटकर व्यापारियों के रूप में गेहूं के स्टाक रखने के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों के लाइसेंस प्राप्त फुटकर व्यापारियों को छोड़कर अन्य फुटकर व्यापारियों के नाम गेहूं की जमानत पर दिया गया कोई ऋण बकाया न हो और फुटकर व्यापारियों को दिये जाने वाले अग्रिमों को केवल स्टाकों की उस मात्रा तक सीमित किया गया जहां तक रखने के लिए वे अधिकृत हों। प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों अर्थात् पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में गेहूं पर दिये जाने वाले अग्रिमों के संदर्भ में उन राज्यों में कार्यरत बैंकों से 15 मई 1973 को कहा गया कि वे निजी पार्टियों को गेहूं पर दी गयी 20,000 रुपयों से अधिक ऋण सीमाओं का विशेष पुनरीक्षण करें ताकि थोक व्यापारियों के मामले में उन सीमाओं को रद्द किया जा सके और लाइसेंस प्राप्त फुटकर व्यापारियों के मामले में उन्हें उचित ढंग से निर्धारित किया जा सके।

157. मूंगफली और उसके तेल के मूल्यों में हुई वृद्धि और गुजरात राज्य में इन पण्यों के सम्बन्ध में पायी गयी सट्टेबाजी की प्रवृत्ति को देखते हुए रिजर्व बैंक ने गुजरात राज्य में सभी पार्टियों को मूंगफली पर दिये जाने वाले अग्रिमों के सम्बन्ध में न्यूनतम मार्जिन को 24 जुलाई 1972 से 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया। गुजरात राज्य में वनस्पति के निर्यातकों को मूंगफली और वनस्पति के स्टाकों में सम्बन्धित गोदाम रसीदों पर दिये जाने वाले अग्रिमों के न्यूनतम मार्जिन को भी 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया गया। इन न्यूनतम उच्चतर मार्जिनों को महाराष्ट्र राज्य में 15 नवम्बर 1972 से लागू कर दिया गया। अनाजों की तरह, इस संदर्भ में भी ऋण की उच्चतम सीमा को 15 नवम्बर 1972 से पार्टी के आधार पर निर्धारित किया गया। इस प्रकार, ऋण की अनुमत सीमा अर्थात् 1967 के तदनुरूप दो महीनों की अवधि में बनाये रखे गये ऋण के कुल औसत स्तर के 70 प्रतिशत और (नयी पार्टियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 1970 के तदनुरूप दो महीनों के दौरान बनाये रखे गये ऋण के कुल औसत स्तर के 15 प्रतिशत के बराबर की) अतिरिक्त सीमा से सम्बन्धित व्यवस्था के स्थान पर 1971-72, 1970-71 और 1969-70 के तीन पिछले मौसमों में से किसी भी मौसम में प्रत्येक पार्टी के नाम बकाया रहने वाले अग्रिमों के शिखर स्तर का 100 प्रतिशत बना दिया गया।

158. कृषकों को प्रदान किये गये प्रत्यक्ष अग्रिमों और प्राथमिक सहकारी समितियों को अपने कृषक सदस्यों को नियंत्रित तिलहनों पर ऋण प्रदान किये जाने के लिए दिये गये अग्रिमों को मार्जिन और उच्चतम सीमा सम्बन्धी नियंत्रणों से छूट दी गयी बशर्ते कि ऐसी प्रत्येक ऋण सीमा प्रति कृषक, 2,500 रुपयों या बकाया फसली ऋण राशि, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक न हो। खड़ी फसल पर पहले दिये गये उपर्युक्त अग्रिमों की अवधि को अब उक्त फसल की कटाई की तारीख से तीन महीने तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा छोटे ऋणकर्ताओं, अर्थात् निर्माता यूनिटों और अन्यों को, पूर्णतः या अंशतः अनाजों, तिलहनों और वनस्पति तेलों की जमानत पर प्रदान किये जाने वाले जो अग्रिम भारतीय ऋण गारन्टी संगठन लिमिटेड/ऋण गारन्टी संगठन की गारन्टी योजना के अन्तर्गत आते हैं, उन्हें भी पूरी सीमा तक मार्जिन और सीमा सम्बन्धी नियंत्रणों से छूट दी गयी, किन्तु अधिकतम राशि प्रत्येक यूनिट/ऋणकर्ता के लिए 20,000 रुपये होगी। साथ ही शर्त यह है कि वह इन पण्यों पर केवल एक बैंक से उधार लेने का वचन दे। आयातित तिलहनों/तेलों पर दिये जाने वाले अग्रिमों को पहले की तरह पूर्ण रूप से नियंत्रणों से छूट दी जाती रही। चूंकि खाद्य तिलहनों और तेलों की पूर्ति की स्थिति कठिन ही बनी रही अतः बैंकों से यह अनुरोध किया गया कि वे केवल असाधारण रूप से योग्य मामलों में रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के साथ नयी पार्टियों को वित्तीय सहायता प्रदान करें।

159. **रुई और कपास** पर दिये जाने वाले अग्रिमों के सम्बन्ध में यह निर्णय किया गया कि थोड़े से संशोधनों के साथ नियंत्रणों को जारी रखा जाए; क्योंकि कपास की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति करने के लिए जब तक उसके उत्पादन में काफी अधिक मात्रा में स्थायिता नहीं आ जाती तब तक नियंत्रणों को हटाने या शिथिल करने की सिफारिश नहीं की । इसके अलावा अपेक्षाकृत अधिक मजबूत सूती वस्त्र मिलों की तुलसा में कमजोर सूती वस्त्र मिलों की आवश्यकता तथा स्थिति को भी इस संदर्भ में ध्यान में रखना था । इन पहलुओं पर विचार करने के बाद रिजर्व बैंक ने 1972-73 के अधिक कामकाज के समय के लिए 15 नवम्बर, 1972 को सूती मिलों की वर्तमान श्रेणियों और उनके लिए लागू होने वाले न्यूनतम मार्जिन और सूती वस्त्र मिलों को छोड़कर अन्य पार्टियों को दिये जाने वाले अग्रिमों से सम्बन्धित शर्तों को सरल बनाकर कुछ संशोधन किये । इस प्रकार सरकार द्वारा नियंत्रित मिलों और बिहार और पश्चिम बंगाल में स्थित मिलों को दिये जाने वाले अग्रिमों के सम्बन्ध में विद्यमान मार्जिन सम्बन्धी नियंत्रण में अर्थात् रुई की खपत की विशिष्ट अवधि के लिए निर्धारित 20 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक के मार्जिन नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । बम्बई और अहमदाबाद में स्थित मिलों के लिए न्यूनतम मार्जिन को घटाकर 12 सप्ताहों की खपत के स्टाकों के लिए 25 प्रतिशत और इससे अधिक स्टाकों के लिए 50 प्रतिशत कर दिया गया । ऊपर उल्लिखित मिलों को छोड़कर अन्य मिलों के सम्बन्ध में न्यूनतम मार्जिन को 14 सप्ताहों की खपत के स्टाकों के लिए 25 प्रतिशत और 14 सप्ताहों की खपत से अधिक स्टाकों के लिए 50 प्रतिशत निर्धारित किया गया । मिलों को छोड़कर अन्य पार्टियों को दिये जाने वाले अग्रिमों के सम्बन्ध में यह संशोधन किया गया कि नये और पुराने स्टाकों के बीच विद्यमान अन्तर तथा विपणन की विभिन्न अवधियों को समाप्त कर सरल त्रियाविधि लागू की गयी और ऐसे अग्रिमों के लिए 50 प्रतिशत का एक समान मार्जिन लागू कर दिया गया ।

160. **चीनी गुड़ और खांडसारी** पर दिये जाने वाले अग्रिमों के संदर्भ में निर्दिष्ट मात्रा में वितरित की गयी चीनी के व्यपगत कोटे के सम्बन्ध में लागू होने वाले 40 प्रतिशत के न्यूनतम मार्जिन को हटा दिया गया; क्योंकि व्यपगत कोटों पर दिये जाने वाले ऋणों को अलग से विनियमित करने की आवश्यकता नहीं रही । कारखाने या मिल के बाहर लायी गयी और उत्पादन शुल्क अदा की गयी खुले बाजार की चीनी के मामले में जहां 65 प्रतिशत का न्यूनतम मार्जिन जारी रहा वहां मिलों को दिये जाने वाले अग्रिमों के मामले में सरकार द्वारा नियंत्रित वितरण के लिए निर्धारित अनिवार्य रूप से उगाही गई चीनी के स्टाकों के संदर्भ में 10 प्रतिशत और खुले बाजार की चीनी के लिए 15 प्रतिशत का न्यूनतम मार्जिन निर्धारित किया गया बशर्ते कि उगाही गयी चीनी के स्टाकों का मूल्य वसूली की कीमत पर और मुक्त चीनी के स्टाकों का मूल्य सरकार द्वारा विनिश्चित शुल्क दर पर निर्धारित किये जाएं । निर्माण यूनिटों (अर्थात् औद्योगिक उपयोगकर्ताओं) को दिये जाने वाले अग्रिमों को नियंत्रणों से पूरी तरह छूट दे दी गयी ।

161. निर्दिष्ट सीमा क्षेत्र और सीमा क्षेत्र के निकटवर्ती जिलों में नियंत्रित पण्यों पर दिये जाने वाले अग्रिमों के सम्बन्ध में विद्यमान चयनात्मक ऋण नियंत्रणों से दी गयी छूट की अवधि पहले जहां दिसम्बर 1972 तक बढ़ायी गयी थी वहां उसे 20 दिसम्बर 1972 को रुई और कपास पर दिये जाने वाले अग्रिमों के सम्बन्ध में जून 1973 के अन्त तक और अन्य नियंत्रित पण्यों के सम्बन्ध में अप्रैल 1973 के अन्त तक बढ़ा दिया गया ।

जूट उद्योग संबंधी कार्यकारी दल

162. पिछले वर्ष की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि कार्यकारी दल ने जूट उद्योग को कुछ राहत देने की दृष्टि से जूट मिलों के उत्पादन के जिस अंश का नियति किया जाता है, उसके सम्बन्ध में दिये जाने वाले ऋणों के लिए ब्याज की रियायती दर लागू करने की जो विशेष योजना बनायी थी वह केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन थी । कार्यकारी दल द्वारा की गयी कतिपय सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा जो अन्य आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिए उनसे सरकार को सितम्बर 1972 में अवगत कराया गया । उपर्युक्त मामलों पर सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा है ।

चाय उद्योग को वित्तीय सहायता से संबंधित कार्यकारी दल

163. चाय उद्योग की वित्तीय सहायता से सम्बन्धित कार्यकारी दल द्वारा चाय के बागानों की अल्पावधि ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं के संदर्भ में की गयी सिफारिशों की सूचना देते हुए मार्च 1972 में सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के नाम एक परिपत्र जारी किया गया । कार्यकारी दल की सिफारिशों के आधार पर रिजर्व बैंक ने सितम्बर 1972 में वाणिज्य बैंकों और राज्य वित्तीय निगमों को यह सुझाव दिया कि चाय उद्योग की विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के उद्देश्य से उसे नरम शर्तों पर मीयादी वित्त प्रदान करने के लिए वे कुछ कदम उठायें ।

कोयला उद्योग संबंधी कार्यकारी दल

164. कोयला उद्योग की तात्कालिक वित्तीय समस्याओं का अध्ययन करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा गठित कार्यकारी दल की सिफारिशों के आधार पर बैंक ने दिसम्बर 1972 में सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को कार्यकारी दल की सिफारिशों पर उचित ढंग से विचार करने की सूचना दी । कोयला उद्योग का वित्तपोषण करने वाले बैंकों को यह सूचित किया गया है कि वे, यदि आवश्यक हो, तो अपने द्वारा पहले मंजूर की गयी ऋण सुविधाओं का पुनरीक्षण कर वर्तमान ऋण सीमा में मामले के गुण दोषों के आधार पर उचित संशोधन करने के प्रश्न पर विचार करें ।

काजू उद्योग संबंधी अध्ययन दल

165. काजू उद्योग के निर्यात और उसकी नियोजन क्षमता के संदर्भ में उसे वाणिज्य बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों का पुनरीक्षण करने के लिए रिजर्व बैंक ने मार्च 1972 में जिस अध्ययन दल का गठन किया था उसने जनवरी 1973 में अपनी रिपोर्ट पेश की । उक्त दल ने मार्जिन बनाये रखने, कच्ची सामग्री/गिरी के मूल्यांकन, स्टाकों के स्वर और पर्याप्त ऋण-सीमाएं निर्धारित करने आदि से सम्बन्धित कई सिफारिशें की । इन सिफारिशों से स्पष्ट रूप से सहमत होते हुए बैंक ने मार्च 1973 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के नाम एक परिपत्र जारी किया और उन्हें वर्तमान ऋण-सीमाओं का गुण-दोषों के आधार पर पुनरीक्षण करने और जहां-कहीं आवश्यक हो, फिलहाल अमल में रहने वाली शर्तों और क्रियाविधियों में उचित संशोधन करने की सलाह दी ।

बैंकिंग आयोग की रिपोर्ट

166. इस वर्ष के दौरान भारत सरकार ने बैंकिंग आयोग की जिन कतिपय सिफारिशों के बारे में विशेष रूप से रिजर्व बैंक की लिखा था उनके सम्बन्ध में बैंक ने अपने विचार सरकार के पास भेजे । उक्त विचार प्रमुख रूप से निम्नलिखित से सम्बन्धित थे : (i) वैधानिक

सुधार, (ii) वाणिज्य बकों की परिचालन प्रणालियां और क्रियाविधियां जिनमें 'बैंक जिरो' पद्धति की स्थापना से सम्बन्धित प्रणालियां और क्रियाविधियां शामिल हैं, (iii) चिट निधि कारोबार जो वाणिज्य बैंकों द्वारा चलाया जाए, (iv) अलग व्यापारिक बैंकिंग संस्थाओं और विशेषीकृत अभिग्रहण और भांजन केन्द्रों की स्थापना की आवश्यकता, (v) उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अलग संस्थाओं और विशेषीकृत बचत बकों की आवश्यकता, (vi) बैंकों के कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण, आदि, और (vii) बैंकिंग अनुसंधान और शिक्षा ।

संगठन संबंधी अन्य बातें

राष्ट्रीयकृत बैंक

167. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और विविध व्यवस्थाएं) योजना 1970 के खण्ड 3 के अधीन की गयी अपेक्षा के अनुसार 11 दिसम्बर 1972 से राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए नये निदेशक बोर्डों की स्थापना की गयी । फ़िलहाल बोर्ड में 9 से 11 तक निदेशक हैं । बोर्डों का आधार व्यापक है और उनमें कर्मचारियों के दो प्रतिनिधि (कामगार कर्मचारियों और अधिकारियों का एक-एक प्रतिनिधि), जमाकर्ताओं और कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक-एक निदेशक और कृषि और लघु उद्योगों के क्षेत्रों का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति शामिल हैं । बोर्डों में केन्द्रीय सरकार और रिज़र्व बैंक द्वारा नामित एक-एक निदेशक भी हैं । नये बोर्डों के गठन के बाद अभिरक्षक का पद नहीं रहा । प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अब प्रबन्ध निदेशक की पद संज्ञा दी गयी है । फ़िलहाल प्रत्येक बैंक के प्रबन्ध निदेशक को निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया है ।

168. प्रत्येक बैंक के लिए योजना के खण्ड 13 के अन्तर्गत अपेक्षित प्रबन्ध समिति का भी गठन किया गया है । प्रत्येक बैंक की समिति में प्रबन्ध निदेशक और अध्यक्ष, रिज़र्व बैंक और केन्द्रीय सरकार के नामित व्यक्ति और तीन अन्य निदेशक रहते हैं । संप्रति सात बैंकों की समिति में कामगार कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक निदेशक है जबकि शेष सात बैंकों की समिति में अधिकारी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला एक निदेशक है । यह समिति ऐसे अधिकारों का प्रयोग करती है, जो उसे बोर्ड द्वारा केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के साथ दिये गये हैं । इसके अलावा, उपेक्षित क्षेत्रों की सहायता के लिए ऋण योजना, शाखा विस्तार नीति आदि पहलुओं की विस्तार से जांच करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों ने योजना के खण्ड 14 में परिकल्पित कुछ अतिरिक्त समितियों का भी गठन किया है ।

169. केन्द्रीय सरकार ने रिज़र्व बैंक से परामर्श कर बैंकों के पूंजीगत स्वरूप का पुनर्गठन करने और निदेशकों को पद से हटाए जाने पर उन्हें कारण बताने का अवसर प्रदान करने, आदि के सम्बन्ध में राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और विविध व्यवस्थाएं) योजना, 1970 में कतिपय संशोधन किये ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की विदेशी शाखाएँ

170. उगांडा में स्थित राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं के संदर्भ में बैंक आफ़ इण्डिया (उगांडा) लिमिटेड का बैंकिंग व्यवसाय एक बिक्री करार के आधार पर 30 जून, 1972 को कारोबार समाप्त होने के समय पर बैंक आफ़ बड़ौदा (उगांडा) लिमिटेड को बेचा गया और उसके द्वारा अपने अधिकार में ले लिया गया । मलयेशिया की एक नयी बैंकिंग कम्पनी अर्थात् युनाइटेड एशियन बैंक बरहाद को 30 दिसम्बर 1972 को कोलालम्पूर में पंजीकृत किया गया । उक्त बैंक ने 26 मई, 1973 से अपना कारोबार प्रारम्भ किया और उसी तारीख से उसने इण्डियन बैंक, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक और युनाइटेड कमर्शियल बैंक की मलयेशिया स्थित 11 शाखाओं और उनके कारोबार को अपने अधिकार में ले लिया । युनाइटेड एशियन बैंक की प्राधिकृत पूंजी 250 लाख मलयेशियाई डालर है और चुकता पूंजी 100 लाख मलयेशियाई डालर है । तीन भारतीय बैंकों ने नये बैंक की चुकता पूंजी में 33⅓ प्रतिशत अभिदान किया है । शेष राशि का अभिदान भारतीय मूल के मलयेशियाई नागरिकों सहित मलयेशियाई नागरिकों, निगमों, आदि द्वारा किया गया है । तीन भारतीय बैंकों के अध्यक्ष इस नये बैंक के निदेशक हैं । इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के एक वरिष्ठ कार्यपालक अधिकारी नये बैंक के मुख्य कार्यकारी निदेशक हैं । आशा है कि युनाइटेड एशियन बैंक के प्रस्तावित स्वरूप से उसकी गतिविधियों का विस्तार होगा ताकि मलयेशिया के राष्ट्रीय बैंक व्यवसाय की आवश्यकताओं की अधिक पूर्ण रूप से पूर्ति की जा सके ।

171. बैंक आफ इण्डिया की केन्या स्थित किसुमु शाखा के कारोबार को 30 दिसम्बर, 1972 को कारोबार बन्द होने के समय से नेशनल बैंक आफ़ केन्या को बेचा गया । सिंगापुर में कार्यरत चार भारतीय बैंकों में से उन दो बैंकों के सम्बन्ध में पिछली रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था, जिन्होंने स्थानीय बैंककारी विधियों के अनुसार न्यूनतम पूंजी सम्बन्धी अपेक्षाओं का पालन नहीं किया था । इन बैंकों ने इस बीच इन अपेक्षाओं का पालन करते हुए अपनी प्रारक्षित निधियों के एक अंश को पूंजीकृत कर दिया और उनमें से प्रत्येक ने अपनी-अपनी चुकता पूंजी को बढ़ाकर उसे 2 करोड़ रुपये कर दिया ।

ऋण आसूचना

172 रिज़र्व बैंक का ऋण आसूचना प्रभाग बैंकों और अधिसूचित अन्य वित्तीय संस्थाओं को उनके द्वारा अनुरोध किये जाने पर, व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को प्रदान की गयी ऋण सुविधाओं की जानकारी प्रदान करते हुए उनकी सहायता करता रहा । विवरणियों की प्राप्ति की तारीख और उनके समेकित किये जाने की तारीख के बीच विद्यमान समयान्तर को कम करने के उद्देश्य से बैंकों से यह अनुरोध किया गया कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि सही ढंग से और समान रूप से संकेतिक विवरणियां अविलम्ब पेश की जाती हैं । जहां पिछले वर्ष 2,255 आवेदनपत्रों के संदर्भ में आवेदन बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को ऋण आसूचना दी गयी थी, वहां इस वर्ष 1,186 आवेदनपत्रों के संदर्भ में ऋण आसूचना दी गयी ।

बैंकों का निरीक्षण

173. वाणिज्य बैंकों के आवधिक निरीक्षण के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा बनाये गये कार्यक्रम के अनुसरण में इस वर्ष बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 के अधीन 38 अनुसूचित बैंकों और 6 गैर-अनुसूचित बैंकों का निरीक्षण किया गया या उनका निरीक्षण शुरू किया गया । इसके अलावा, एक भारतीय बैंक की सिक्किम स्थित शाखा और केन्या स्थित दो बैंकों का निरीक्षण किया गया । इस अवधि में चार बैंकों के कार्यकलापों की संवीक्षा का कार्य शुरू किया गया । उनमें से तीन बैंकों की संवीक्षा अधिनियम की धारा 44(1) के अधीन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए और एक बैंक की संवीक्षा अधिनियम की धारा 49(ग) के अधीन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए शुरू की गयी । इस वर्ष के दौरान वाणिज्य बैंकों की शाखाओं का केन्द्रवार निरीक्षण उन 194 केन्द्रों में किया गया जहां वाणिज्य बैंकों के 709 कार्यालय कार्यरत हैं । एक बैंक का अध्ययन इस आशय से भी किया गया कि

उसकी प्रणालियों और क्रिया विधियों की जांच की जाए और जहां-जहां आवश्यक हो, सुधार के सुझाव दिये जाएं । इसी प्रकार के और अध्ययन किये जाने की आशा है ।

174. पिछले तीन लेखा वर्षों में बैंकों और उनकी शाखाओं का जो निरीक्षण किया गया उसका तुलनात्मक विवरण नीचे दर्शाया गया है :—

वित्तीय निरीक्षण	1970-71	1971-72	1972-73
निरीक्षण किये गये/निरीक्षणार्थ लिये गये बैंकों की संख्या .	47	37	44
निरीक्षण किये गये कार्यालयों की संख्या . .	721	1116	1013
केन्द्रवार निरीक्षण			
केन्द्रों की संख्या . .	58	76	194
शाखाओं की संख्या . .	565	364	789
प्रणालियों का निरीक्षण			
निरीक्षण किये गये बैंकों की संख्या . .	—	2	1

बैंकों का लाइसेंसीकरण

175 हांगकांग एण्ड शांघाई बैंकिंग कारपोरेशन के कारोबार का मर्कन्टाइल बैंक लिमिटेड में विलयन हो जाने के फलस्वरूप उसे प्रदान किये गये लाइसेंस को रद्द कर दिया गया । इस प्रकार जून 1973 के अन्त में लाइसेंसीकृत बैंकों की संख्या कम होकर 45 हो गयी जबकि ऐसे बैंकों की संख्या बढ़कर 52 हो गयी जिनके लाइसेंस रद्द किये गये । इनके अलावा, सरकारी क्षेत्र में 22 बैंक हैं जिन्हें लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है । जिन बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने से इन्कार किया गया उनकी संख्या बिना किसी परिवर्तन के जून 1973 में 283 ही रही ।

परिसमापन की कार्रवाइयां

176. आलोच्य अवधि के दौरान उच्च न्यायालयों द्वारा चार-गैर-अनुसूचित बैंकों का परिसमापन किया गया । बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 44(1) के अधीन तीन गैर अनुसूचित बैंकों को प्रमाणपत्र दिये गये ताकि वे स्वैच्छिक परिसमापन कर सकें ।

177. केन्द्रीय सरकार से आवश्यक निदेश प्राप्त करने के बाद, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45(थ) के अधीन चार बैंकों का निरीक्षण शुरू किया गया । इनमें से तीन बैंकों अर्थात् कलकत्ता नेशनल बैंक लिमिटेड, पुरी बैंक लिमिटेड और छोटा नागपुर बैंकिंग एसोसिएशन लिमिटेड का निरीक्षण पूरा हो चुका जबकि एक बैंक अर्थात् एसोसिएटेड बैंकिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, बम्बई का निरीक्षण स्थगित कर दिया गया; क्योंकि निरीक्षण अधिकारी को सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध नहीं हो सके । कलकत्ता नेशनल बैंक लिमिटेड पुरी बैंक लिमिटेड और छोटा नागपुर बैंकिंग एसोसिएशन लिमिटेड की निरीक्षण रिपोर्टें भारत सरकार और सम्बन्धित उच्च न्यायालयों को क्रमशः 12 फरवरी, 11 मई और 18 जून 1973 को भेज दी गयी ।

समाशोधन गृह की सुविधाएं

178. 1 जुलाई, 1972 से 30 जून, 1973 तक की अवधि के दौरान इकतीस समाशोधन गृहों की स्थापना की गई । इससे देश में विद्यमान समाशोधन गृहों की कुल संख्या 178 हो गयी । इनमें से 9 समाशोधन गृहों का प्रबन्ध रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, 137 का प्रबन्ध स्टेट बैंक आफ इण्डिया, और 32 का प्रबन्ध स्टेट बैंक आफ इण्डिया के सहायक बैंक करते हैं ।

179. ऐसे 156 केन्द्रों जहां 50,000 या अधिक आबादी है और तीन या चार से अधिक बैंक कार्यरत हैं, की एक नयी सूची तैयार की गयी और अगस्त 1972 में स्टेट बैंक आफ इण्डिया को भेजी गयी ताकि वह समाशोधन गृहों की स्थापना करने का अपना भावी कार्यक्रम बना सके । स्टेट बैंक आफ इण्डिया उपर्युक्त आधार पर समाशोधन गृहों की स्थापना किये जाने की सम्भावना की जांच कर रहा है ।

180. महानगरीय केन्द्रों में अतिरिक्त समाशोधन गृहों की स्थापना करने के प्रश्न पर बैंकिंग आयोग की सिफारिश पर रिजर्व बैंक विचार कर रहा है । प्रारम्भ में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में अतिरिक्त समाशोधन गृहों की स्थापना किये जाने की सम्भावनाओं पर गौर किया जा रहा है ।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्य परिणाम

सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक

181. सरकारी क्षेत्र के 22 (स्टेट बैंक आफ इण्डिया और उसके 7 सहायक बैंक और 14 राष्ट्रीयकृत बैंक) बैंकों के लाभ और हानि लेखों पर आधारित उनके कार्य परिणामों का विश्लेषण करने पर यह विदित होता है कि वर्ष 1972 में 11.9 करोड़ रुपयों का उनका जो लाभ* था वह पिछले वर्ष के लाभ की तुलना में 0.9 करोड़ रुपया (6.4 प्रतिशत) कम था । 1972 के दौरान बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों में 346 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई जबकि 1971 में उक्त वृद्धि 600 करोड़ रुपये थी । अतः ब्याज और बट्टे से प्राप्त आय में 82 करोड़ रुपयों (18.8 प्रतिशत) की अपेक्षाकृत कम वृद्धि हुई जबकि 1971 में 91.6 करोड़ रुपयों (26.5 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी । इन बैंकों के कुल व्यय में 1971 की अपेक्षा 93.1 करोड़ रुपयों (18.7 प्रतिशत) की वृद्धि हुई अर्थात् उनका व्यय बढ़कर 592.9 करोड़ रुपये हो गया । 1971 में उनके व्यय में 98.2 करोड़ रुपयों (24.5 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी । 1972 में जमाराशियों और उधारों पर अदा किये गये ब्याज की राशि में 49 करोड़ रुपयों (20.2 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जबकि 1971 में 51.3 करोड़ रुपयों (27.0 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी । कर्मचारियों को अदा किये गये वेतन और भत्तों की राशि में जहां 1971 में 37.7 करोड़ रुपयों (21.7 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी वहां 1972 में 31.4 करोड़ रुपयों (15.5 प्रतिशत) की ही वृद्धि हुई । इसका कारण यह था कि शाखा विस्तार की गति पहले की अपेक्षा थोड़ी सी धीमी थी ।

स्टेट बैंक समूह

182. स्टेट बैंक आफ इण्डिया की आय में सुधार हुआ अर्थात् जहां वह 1971 में 142.1 करोड़ रुपये थी वहां वह 1972 में बढ़कर 168.9 करोड़ रुपये हो गयी । इस प्रकार उसमें 18.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई । ब्याज और बट्टे से प्राप्त आय में जहां 1971 में 25.6 करोड़ रुपयों (28.9 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी वहां 1972 में उसमें 22.6 करोड़ रुपयों (19.8 प्रतिशत) की वृद्धि हुई । स्टेट बैंक के कुल व्यय में 1971 में हुई 28.3 करोड़ रुपयों की वृद्धि की तुलना में 1972 में 26.8 करोड़ रुपयों (19.4 प्रतिशत) की वृद्धि हुई । जमाराशियों और उधारों पर अदा किये जाने वाले ब्याज की राशि में

*करों और बोनस की व्यवस्था करने के बाद विद्यमान लाभ ।

जहां 1971 में 13.2 करोड़ रुपयों (28.1 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी वहां 1972 में 11.6 करोड़ रुपयों (19.3 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। स्टेट बैंक के लाभ की शेष राशि 1972 में 3.85 करोड़ रुपये थी अर्थात् उसमें 7 लाख रुपयों की वृद्धि हुई जबकि 1971 में उसमें 1.1 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी। लाभ की उपर्युक्त राशि में से 2 करोड़ रुपये प्रारक्षित निधियों में अन्तरित किये गये और बैंक के शेयर धारियों को लाभांश अदा करने के लिए 1.3 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गयी।

183. स्टेट बैंक के 7 सहायक बैंकों के कार्य परिणामों से यह विदित होता है कि उनकी आय जहां 1971 में 39.9 करोड़ रुपये थी वहां 1972 में बढ़कर 47.1 करोड़ रुपये हो गयी अर्थात् उसमें जहां 1971 में 23.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी वहां 1972 में 18.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उनके कुल व्यय में भी 1972 के दौरान उतनी ही राशि (7.2 करोड़ रुपये) की वृद्धि हुई। फलस्वरूप, उनकी लाभराशि में 1971 के स्तर की तुलना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ अर्थात् वह 51 लाख रुपये ही थी। इन बैंकों ने अपनी इस लाभराशि में से 11 लाख रुपये प्रारक्षित निधियों में अन्तरित किये और लाभांश अदा करने के लिए 35 लाख रुपयों की व्यवस्था की।

राष्ट्रीयकृत बैंक

184. 1972 में 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल आय 388.8 करोड़ रुपये थी। उनकी आय में जहां 1971 में 63.8 करोड़ रुपयों (23.9 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी वहां 1972 में 58.3 करोड़ रुपयों (17.6 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। इसका प्रमुख कारण यह था कि ब्याज और बट्टे से प्राप्त आय में अपेक्षाकृत धीमी गति से वृद्धि हुई। इस संदर्भ में प्राप्त 342 करोड़ रुपयों की आय 53 करोड़ रुपयों (18.3 प्रतिशत) की वृद्धि की द्योतक है जबकि उसमें 1971 में 59.1 करोड़ रुपयों (25.6 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी। 1972 में इन बैंकों के व्यय की कुल राशि 381.3 करोड़ रुपये थी अर्थात् उसमें 1971 में हुई 62.2 करोड़ रुपयों की वृद्धि की तुलना में 1972 में 59.2 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई। इसके मुख्य कारण इस प्रकार थे: जहां स्थापना व्यय में 1971 में 20.1 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी वहां 1972 में 18.1 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई जो अपेक्षाकृत कम थी और जमाराशियों और उधारों पर अदा किये जाने वाले ब्याज की राशि में 1971 में हुई 34.4 करोड़ रुपयों की वृद्धि की तुलना में 1972 में हुई 33.9 करोड़ रुपयों की वृद्धि कम थी। चूंकि आय में हुई वृद्धि (58 करोड़ रुपये) की अपेक्षा व्यय में अधिक वृद्धि (59 करोड़ रुपये) हुई अतः राष्ट्रीयकृत बैंकों की लाभ राशि 1971 के 8.6 करोड़ रुपयों से घटकर 1972 में 7.6 करोड़ रुपये हो गयी। उनकी लाभ-राशि में से 3.20 करोड़ रुपये सांविधिक प्रारक्षित निधियों में अन्तरित किये गये। सरकार को अन्तरित की गयी राशि जहां पिछले वर्ष 4.33 करोड़ रुपये थी वहां इस वर्ष 4.18 करोड़ रुपये थी। इस प्रकार सरकार को इस वर्ष अन्तरित की गयी राशि इन बैंकों को अधिकार में लेने के लिए अदा की गयी कुल क्षतिपूर्ति की 4.8 प्रतिशत है जबकि उक्त प्रतिशत पिछले वर्ष 5.1 था।

अन्य अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्य परिणाम

अन्य भारतीय अनुसूचित बैंक

185. उन 22 अन्य भारतीय अनुसूचित बैंकों की, जिनमें से प्रत्येक की जमाराशियां 10 करोड़ रुपयों से अधिक हैं, कुल आय में काफी वृद्धि हुई और वह 38.0 करोड़ रुपयों से बढ़कर 1972 में 49.8 करोड़ रुपये हो गयी अर्थात् उसमें इस वर्ष के दौरान 31.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई (लाभ में कोई वृद्धि नहीं हुई; इसका उल्लेख नीचे किया गया है)। ब्याज और बट्टे से प्राप्त होने वाली आय 32.9 करोड़ रुपयों से बढ़कर 1972 में 43.3 करोड़ रुपये हो गयी (अर्थात् 31.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई)। इन बैंकों के कुल व्यय में भी 12 करोड़ रुपयों की भारी वृद्धि हुई अर्थात् उनकी व्यय राशि बढ़कर 48.6 करोड़ रुपये हो गयी। इस प्रकार पिछले वर्ष की अपेक्षा उसमें 32.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जमाराशियों, उधारों आदि पर अदा किये गये ब्याज और स्थापना व्यय में काफी वृद्धि हुई अर्थात् उनमें पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 36.1 प्रतिशत और 29.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आय की अपेक्षा व्यय में बहुत वृद्धि होने के कारण इन बैंकों की लाभ राशि में कमी हुई और जहां वह 1971 में 137 लाख रुपये थी वहां वह 1972 में घटकर 114 लाख रुपये हो गयी। इन बैंकों द्वारा 1972 की लाभ राशि में से संविधिक प्रारक्षित निधियों में अन्तरित की गयी राशि 48 लाख रुपये थी जबकि पिछले वर्ष उक्त राशि 30 लाख रुपये थी। इसके अलावा अन्य प्रारक्षित निधियों में विनियोजित की गयी राशि 1971 की राशि (68 लाख रुपये) से लगभग आधी ही (34 लाख रुपये) थी। फिर भी शेयर धारियों को दिये जाने वाले लाभांश की राशि 19 लाख रुपये अर्थात् 1972 के स्तर पर ही बनी रही।

विदेशी बैंक

186. 11 विदेशी बैंकों की कुल आय 1971 के 60.9 करोड़ रुपयों से बढ़कर 1972 में 66.7 करोड़ रुपये हो गयी अर्थात् पिछले वर्ष की अपेक्षा उसमें 9.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। परन्तु उनकी आय की तुलना में उनके कुल व्यय में अपेक्षाकृत धीमी गति से वृद्धि हुई अर्थात् उनके व्यय में 4.6 करोड़ रुपयों की बढ़ोतरी हुई और वह कुल 62.8 करोड़ रुपये हो गयी। इस प्रकार, उसमें इस वर्ष के दौरान 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उनके स्थापना व्यय में 1 करोड़ रुपयों और ब्याज की अदायगी और दूसरे व्यय में से प्रत्येक में लगभग 1.8 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई। किन्तु 1971 में 'व्यय' में 4.8 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी; इस कारण उनकी 2.8 करोड़ रुपयों की लाभराशि केवल 15 लाख रुपयों की वृद्धि को दर्शाती है। 1972 में इन बैंकों की लाभराशि 2.8 करोड़ रुपयों से बढ़कर 3.9 करोड़ रुपये हो गयी; इस प्रकार उसमें इस वर्ष के दौरान 39.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विदेशी बैंकों में नेशनल और ग्रिण्डलेज बैंक ने सर्वाधिक लाभ (1.20 करोड़ रुपये) अर्जित किया; उसके बाद फर्स्ट नेशनल सिटी बैंक का स्थान (1.09 करोड़ रुपये) आता है। सभी विदेशी बैंकों ने अपने मुख्य कार्यालयों को कुल मिलाकर 3.93 करोड़ रुपयों की राशि 1972 में अन्तरित की जबकि 1971 में उनके द्वारा अन्तरित की गयी राशि 2.54 करोड़ रुपये थी।

गैर बैंकिंग कंपनियों पर नियंत्रण

187. इस वर्ष के दौरान गैर बैंकिंग वित्तीय और वित्तेतर कम्पनियों को अक्तूबर 1966 में जारी किये गये निदेशों में और संशोधन किये गये। 1 जनवरी 1973 से लागू हुए उक्त संशोधन इस प्रकार हैं: पहला संशोधन यह है कि गैर बैंकिंग वित्तीय और वित्तेतर कम्पनियां जिस न्यूनतम अवधि के लिए जमाराशियां स्वीकार कर सकती हैं उसे बारह महीने से घटाकर छः महीने कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, वित्तेतर कम्पनियां अपनी मौसमी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी चुकता पूंजी और निर्बाध प्रारक्षित निधियों के 25 प्रतिशत की सीमा के भीतर इस प्रतिशत तक तीन महीने की अवधि के लिए अब जमाराशियां स्वीकार कर सकती हैं। दूसरा संशोधन यह है कि एक कम्पनी द्वारा दूसरी कम्पनी से ली गयी राशि को 'जमाराशि' की परिभाषा

में शामिल नहीं किया गया है । तीसरा संशोधन यह है कि पारस्परिक हितवाली वित्तीय कम्पनियों को इन निदेशों से छूट दी गयी है वह केवल उन कम्पनियों के लिए लागू होगी जो अपने सदस्यों से जमाराशियां स्वीकार करती हों और जो केन्द्रीय सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 620 अ के अधीन अधिसूचित की गयी हों । इसके अलावा, जो 'सहयोगी सदस्य' कम्पनियों के शेयरधारियों के रूप में पंजीकृत न हो उनसे प्राप्त जमाराशियों को जमाराशियों की निर्धारित उच्चतम सीमा से छूट प्राप्त करने योग्य नहीं माना जाएगा । ऐसी कम्पनियों को जिनके पास निर्धारित उच्चतम सीमा से अधिक जमाराशियां हों, 1 जनवरी 1974 के पहले अपनी स्थिति को नियमित कर लेना होगा । चौथा संशोधन यह है कि उक्त निदेशों के अधीन, किसी ऐसे व्यक्ति से प्राप्त किसी भी 'ऋण' को जो ऐसे ऋण की प्राप्ति के समय कम्पनी का निदेशक हो, "जमाराशियों" की परिभाषा से छूट दी गयी है । अब उक्त निदेशों में ऐसा संशोधन किया गया है जिससे 1 जनवरी 1973 को या उसके बाद किसी निदेशक से प्राप्त किसी भी 'राशि' को यह छूट प्राप्त हो बशर्ते कि जिस व्यक्ति से कम्पनी राशि प्राप्त करती हो उससे इस आशय की एक लिखित घोषणा प्राप्त कर ले कि उसने किसी दूसरे व्यक्ति से जमाराशि प्राप्त कर या उधार लेकर अर्जित की गयी निधियों में से उक्त राशि नहीं दी है । इसी प्रकार के कारणों से अब यह व्यवस्था की गयी है कि किसी निजी कम्पनी के मामले में, उसके द्वारा अपने शेयर धारियों से प्राप्त की गयी कोई भी राशि (इसे भी "जमाराशि" की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है) छूट प्राप्त करने योग्य होगी बशर्ते कि कम्पनी ने उससे राशि प्राप्त करते समय उपर्युक्त प्रकार की घोषणा प्राप्त कर ली हो । अन्तिम संशोधन यह है कि जिस कम्पनी में जमाकर्ता अपनी राशि जमा करने का विचार करता हो उस कम्पनी की वित्तीय स्थिति से उसे अवगत कराने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 1973 से जमाराशियां (उनके पुनर्वीकरण या परिवर्तन सहित) स्वीकार करने वाली सभी कम्पनियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे जमा करने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों से अपने द्वारा दिये गये फार्मों पर लिखित आवेदनपत्र प्राप्त होने पर जमाराशियां प्राप्त कर सकती हैं । उन फार्मों में वे सभी विवरण निहित रहने चाहिए जो जमाराशियों की अभ्यर्थना करते हुए जारी किये गये विज्ञापनों में निर्दिष्ट किये गये हों ।

188. रिजर्व बैंक से यह निवेदन किया गया है कि गैर बैंकिंग वित्तेतर कम्पनियों को जारी किये गये निदेशों के कतिपय उपबन्धों का पालन करने से लघु उद्योग यूनिटों को कठिनाई होने की सम्भावना है । अतः रिजर्व बैंक ने भारत सरकार से परामर्श कर जिन लघु उद्योग कम्पनियों की चुकता पूंजी (उद्योग या लघु उद्योग निदेशालय में पंजीकृत) और निर्बाध प्रारक्षित निधियों की राशि कुल मिलाकर 3 लाख रुपयों से अधिक नहीं हो और जो अधिक से अधिक 50 व्यक्तियों जमाराशियां स्वीकार करती हों उन्हें जमाराशियों की उच्चतम सीमाओं, उच्चतम सीमाओं से अधिक रखी गयी जमाराशियों की वापसी अदायगीह जमाराशियों की अभ्यर्थना करते हुए जारी किये गये विज्ञापनों और तत्सम्बन्धी आवेदनपत्रों में बर्ताये जाने वाले विवरणों और समाप्ति की अवधि से पहले वापस ले ली गयी जमाराशियों पर देय ब्याज की दरों के सम्बन्ध में निदेशों में दिये गये उपबन्धों से छूट दी है । 1 जुलाई 1973 से लागू हुई यह छूट तीन वर्षों की अवधि तक अमल में रहेगी । अन्य सभी लघु उद्योग कम्पनियों को भी जमाकर्ताओं की उच्चतम सीमा सम्बन्धी प्रतिबन्धों से छूट दी गयी है बशर्ते कि किसी कम्पनी द्वारा स्वीकृत जमाराशियों और ऋणों की कुल राशि, किसी भी समय पर हानि-शेष (यदि कोई हो) को घटाने पर विद्यमान उसकी चुकता पूंजी और निर्बाध प्रारक्षित निधियों की कुल राशि से अधिक न हो । फिर भी, निदेशों में निर्धारित वार्षिक विवरणियां पेश करने और जमाराशियों के रजिस्टर रखने आदि से सम्बन्धित जो दूसरे उपबन्ध दिये गये हैं उनका लघु उद्योग कम्पनियों को पालन करना होगा ।

189. महाराष्ट्र सरकार ने अपने राज्य में चिट फण्डों का नियंत्रण करने के लिए एक अधिनियम बनाने का निश्चय किया है । इस आशय का एक विधेयक शीघ्र ही विधान मण्डल में पेश किया जाएगा । केरल सरकार ने केरल चिट विधेयक 1972 का प्रारूप तैयार कर लिया है । उक्त विधेयक में पहले के विधेयकों के उपबन्धों के साथ कतिपय और उपबन्ध जोड़ने की व्यवस्था है और जब वह अधिनियमित हो जाएगा तब सारे केरल राज्य में लागू होगा ।

190. रिजर्व बैंक आफ इण्डिया अधिनियम, 1934 के अध्याय III ख के गैर बैंकिंग संस्थाओं से सम्बन्धित उपबन्धों के परिचालन से प्राप्त अनुभव के आधार पर यह देखा गया कि उनमें से कतिपय उपबन्ध, विशेषकर, गैर बैंकिंग कम्पनियों के निरीक्षण, विज्ञापनों के विनियमन, निदेशों के विभिन्न उपबन्धों के उल्लंघन के लिए निर्धारित दण्ड आदि से सम्बन्धित उपबन्ध पर्याप्त नहीं है । अतः अधिनियम के सम्बन्धित उपबन्धों में कतिपय संशोधन भारत सरकार को विचारार्थ और आवश्यक कार्रवाई के लिए सुझाये गये हैं ।

191. 31 मार्च 1970 को समाप्त हुए वर्ष के लिए गैर बैंकिंग कम्पनियों के पास रखी हुई जमाराशियों का जो सर्वेक्षण किया गया है उसके अनुसार सूचना देने वाली वित्तीय कम्पनियों की संख्या में 51 की कमी हुई जबकि वित्तेतर कम्पनियों की संख्या में 21 की वृद्धि हुई । सूचना देने वाली कम्पनियों की कुल संख्या इस प्रकार थी—676 वित्तीय कम्पनियां और 1,535 वित्तेतर कम्पनियां । यद्यपि सूचना देने वाली कम्पनियों की कुल संख्या में थोड़ी सी कमी हुई फिर भी लेखों की संख्या 6.24 लाख से बढ़कर 7.14 लाख हो गयी । कुल जमा राशियां (287.3 करोड़ रुपयों के ऐसे छूट-प्राप्त ऋणों के साथ जिन्हें जमाराशियों के रूप में नहीं माना जाता) भी 593.7 करोड़ रुपयों से बढ़कर 633.3 करोड़ रुपये हो गयी । वित्तीय कम्पनियों के पास रखी हुई कुल जमाराशियां 181.9 करोड़ रुपये थीं जबकि वित्तेतर कम्पनियों के पास 451.4 करोड़ रुपये की जमाराशियां थीं । कम्पनियों द्वारा स्वीकृत और धारित कुल छूट-प्राप्त ऋणों और जमाराशियों में इस वर्ष के दौरान 39.6 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई । इस वृद्धि में से 23.11 करोड़ रुपयों की अधिकांश राशि जमाराशियों के रूप में थीं ।

192. गैर बैंकिंग कम्पनी क्षेत्र द्वारा स्वीकृत और धारित जमाराशियों और छूट-प्राप्त ऋणों का बहुत बड़ा अंश ऐसी कतिपय बड़ी कम्पनियों के पास था, जिनमें से प्रत्येक के पास 25 लाख रुपयों से अधिक बकाया जमाराशियां और छूट-प्राप्त ऋण थे । इस प्रकार, सूचना देने वाली 2,211 कम्पनियों में से 370 कम्पनियों के पास 346.0 करोड़ रुपयों की कुल जमाराशियों का 83.3 प्रतिशत और 633.3 करोड़ रुपयों की बकाया जमाराशियों और छूट-प्राप्त ऋणों का 80.2 प्रतिशत था । इनमें से 48 ऐसी वित्तीय कम्पनियां थीं जिनके पास सभी वित्तीय कम्पनियों की कुल जमाराशियों की 88 प्रतिशत राशि थी जबकि 322 वित्तेतर कम्पनियों के पास सभी वित्तेतर कम्पनियों की कुल जमाराशियों की 81.7 प्रतिशत राशि थी ।

193. सूचना देने वाली कम्पनियां मुख्यतः, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के राज्यों में सर्वाधिक हैं । 633.3 करोड़ रुपयों की कुल जमाराशियों और छूट-प्राप्त ऋणों में से इन राज्यों में स्थित

कम्पनियों के पास 453.3 करोड़ रुपयों की राशि थी; शेष 180 करोड़ रुपयों की राशि अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में स्थित कम्पनियों के पास थी ।

जमा बीमा निगम

194. रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के अधीन एक वाणिज्य बैंक अर्थात् पूर्वांचल बैंक लिमिटेड को भारत में बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए लाइसेंस प्रदान किये जाने पर उसको आलोच्य अवधि में बीमाकृत बैंक के रूप में पंजीकृत किया गया । फिर भी, बीमाकृत वाणिज्य बैंकों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ अर्थात् उक्त संख्या 81 ही रही; क्योंकि एक विदेशी विनिमय बैंक की भारतीय शाखाओं के दूसरे विनिमय बैंक में विलीन हो जाने के फलस्वरूप उसका पंजीकरण रद्द कर दिया गया था । बीमाकृत सहकारी बैंकों की संख्या 391 से बढ़कर 404 हो गयी ।

195. जमा बीमा योजना को दो और राज्यों अर्थात् जम्मू और काश्मीर तथा दिल्ली के संघ शासित क्षेत्र में स्थित योग्य सहकारी बैंकों के लिए भी लागू करने की कार्रवाइयां की जा रही हैं । क्योंकि उन राज्यों ने इस बीच अपने-अपने सहकारी समिति अधिनियम में उचित संशोधन कर लिया है । रिजर्व बैंक शेष राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के साथ सक्रिय रूप से इस बात पर विचार विमर्श कर रहा है कि उन क्षेत्रों में कार्यरत सहकारी बैंकों को भी इस योजना की सुविधा उपलब्ध करायी जाए ।

196. जमा बीमा योजना को सहकारी बैंकों के लिए लागू कर दिये जाने के कारण निगम की शेयर पूंजी में केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से 1 जनवरी 1972 से 50 लाख रुपयों की वृद्धि की गयी, अर्थात् उसे 1.50 करोड़ रुपये कर दिया गया । रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा सारी शेयर पूंजी का अभिदान किया गया है ।

अनुबन्ध

रिजर्व बैंक आफ़ इंडिया से अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को प्राप्त पुनर्वित्त सुविधाएं

1 नवम्बर 1971 से 16 नवम्बर 1972 तक लागू			
शुद्ध चल निधि की स्थिति	4½% पर	बैंक दर (6%) पर	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)
		I. निर्यात ऋण	
चाहे शुद्ध चल निधि अनुपात कुछ भी हो	1971 के वार्षिक औसत के 10% के बराबर की राशि तक	1971 के वार्षिक औसत के 10% की अतिरिक्त राशि	1971 के निर्यात ऋण के वार्षिक औसत के 20% के बराबर के उधारों से शुद्ध चल निधि अनुपात पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 1 जनवरी 1972 से 1971 आधार लागू होगा ।
		II. निम्नलिखित के संबंध में निर्धारित आधार अवधि की अपेक्षा अग्रिमों में हुई वृद्धि के बराबर की राशि	**आधार अवधि**
–वही–	आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मैसूर के चुने हुए जिलों में स्थित प्राथमिक सहकारी ऋण समितियों को दिये गये ऋण	(क) लघु उद्योगों को दिये गये अल्पावधि ऋण जो ऋण गारन्टी संगठन की गारन्टी के अन्तर्गत आते हैं ।	पिछले वर्ष की तदनुरूप कैलेण्डर तिमाही में लिये गये ऋणों का औसत स्तर, अर्थात् जनवरी-मार्च 1972 की तिमाही के लिए जनवरी-मार्च 1971 की तिमाही का औसत आधार होगा ।
		(ख) कृषकों को दिए गए अल्पावधि प्रत्यक्ष ऋण	
		III. नयी हुंडी बाजार योजना	
–वही–	—	नयी योजना के अन्तर्गत हुण्डियों का पुनर्भांजन	नयी योजना के अधीन पुनर्भांजन की गयी हुण्डियों के सम्बन्ध में बकाया देयता का अक्तूबर 1972 के अन्त तक शुद्ध चल निधि अनुपात पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।
		IV. अनाजों की उगाही के लिए अग्रिम	
–वही–	—	अक्तूबर 1971 के अन्तिम शुक्रवार को अनाजों की उगाही के लिए दिये गये अग्रिमों के बकाया स्तर का 10% और अक्तूबर 1971 के अन्तिम शुक्रवार के स्तर की अपेक्षा हुई वृद्धि का अतिरिक्त ½	
		V. "रक्षा पैकिंग-अ-पूर्ति" ऋण	
–वही–	—	कुल बकाया स्तर तक	यह सुविधा रिजर्व बैंक ऑफ़ इण्डिया अधिनियम, 1934 की धारा 17(4) (ग) के अधीन पुरानी हुण्डी बाजार योजना के अन्तर्गत उपलब्ध होगी (देखिए गवर्नर का तारीख 11 दिसम्बर 1971 का परिपत्र डीबीओडी सं० जीसीएस बीसी 142/सी 483-71)

टिप्पणी : बैंक दर पर दिये जाने वाले पुनर्वित्त के लिए न्यूनतम शुद्ध चल निधि अनुपात 34% है । किसी बैंक द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में लिये गये उधारों पर बढ़ाई गयी ब्याज-दर लागू होगी । बैंक के शुद्ध चल निधि अनुपात में होने वाली प्रत्येक अंक या उसके अंश की कमी के लिए (फ़िलहाल 34% के नीचे) बैंक दर के स्तर के ऊपर वार्षिक 1% की वृद्धि की जाएगी । फिर भी, जब शुद्ध चल निधि अनुपात 26% से कम हो जाएगा तब 15% की अधिकतम ब्याज-दर लागू की जाएगी ।

रिजर्व बैंक आफ़ इंडिया से अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को प्राप्त पुनर्वित्त सुविधाएं

17 नवम्बर, 1972 से 29 मार्च, 1973 तक लागू

शुद्ध चल निधि की स्थिति	$4\frac{1}{2}\%$ पर	बैंक दर (6%) पर	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)
		I निर्यात ऋण	
चाहे शुद्ध चल निधि अनुपात कुछ भी हो ।	1972 के वार्षिक औसत के 10% के बराबर की राशि तक	1972 के वार्षिक औसत के 10% की अतिरिक्त राशि	1972 के निर्यात ऋण के वार्षिक औसत के 20% के बराबर के उधारों से शुद्ध चल निधि अनुपात पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 1 जनवरी, 1973 से 1972 आधार लागू होगा ।
		II निम्नलिखित के संबंध में निर्धारित आधार अवधि की अपेक्षा अग्रिमों में हुई वृद्धि के बराबर की राशि	**आधार अवधि**
-वही-	उन क्षेत्रों में जहां रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के पूर्व अनुमोदन के साथ योजना लागू की गयी है, स्थित प्राथमिक सहकारी ऋण समितियों को दिये गये ऋण	(क) लघु उद्योगों को दिये गये अल्पावधि ऋण जो ऋण गारन्टी संगठन की गारन्टी के अन्तर्गत आते हैं ।	पिछले वर्ष की तदनुरूप कैलेण्डर तिमाही में लिये गये ऋणों का औसत स्तर अर्थात् जनवरी-मार्च 1973 की तिमाही के लिए जनवरी-मार्च 1972 की तिमाही का औसत आधार होगा ।
		(ख) कृषकों को दिये गये अल्पावधि प्रत्यक्ष ऋण	
		III नयी हुंडी बाजार योजना	
-वही-	--	नयी हुण्डी बाजार योजना के अन्तर्गत हुण्डियों का पुनर्भाजन	नयी हुण्डी बाजार योजना के अधीन पुनर्भाजन की गयी हुण्डियों के सम्बन्ध में बकाया देयता का अक्तूबर 1973 के अन्त तक शुद्ध चल निधि अनुपात पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।
		IV अनाजों की उगाही के लिए अग्रिम	
-वही-	--	अक्तूबर 1972 के अन्तिम शुक्रवार को अनाजों की उगाही के लिए दिये गये अग्रिमों के बकाया स्तर का 10% और अक्तूबर 1972 के अन्तिम शुक्रवार के स्तर की अपेक्षा हुई वृद्धि का अतिरिक्त ।	यह सुविधा रिजर्व बैंक ऑफ़ इण्डिया अधिनियम, 1934 की धारा 17 (4) (ग) के अधीन पुरानी हुण्डी बाजार योजना के अन्तर्गत उपलब्ध होगी ।
		V 'रक्षा पैकिंग-व-पूर्ति' ऋण	
-वही-	--	कुल बकाया स्तर तक	-वही-

टिप्पणी : 17 नवम्बर 1972 से बैंक दर पर दिये जाने वाले पुनर्वित्त के लिए न्यूनतम चल निधि अनुपात 36% है । किसी बैंक द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में लिये गये उधारों पर बढ़ायी गयी ब्याज-दर लागू होगी । बैंक के शुद्ध चल निधि अनुपात में 36% से नीचे होने वाली प्रत्येक अंक या उसके अंश की कमी के लिए बैंक दर के स्तर के ऊपर वार्षिक 1% की वृद्धि की जाएगी । फिर भी, जब शुद्ध चल निधि अनुपात 28% से कम हो जाएगा तब 15% की अधिकतम ब्याज-दर लागू की जाएगी ।

रिज़र्व बैंक आफ़ इंडिया से अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को प्राप्त पुनर्वित्त सुविधाएं

30 मार्च 1973 से 12 जून 1973 तक लागू

शुद्ध चल निधि की स्थिति	$4\frac{1}{2}\%$ पर	बैंक दर पर@	टिप्पणी
		I निर्यात ऋण	
चाहे शुद्ध चल निधि अनुपात कुछ भी हो।	1972 के वार्षिक औसत के 10% के बराबर की राशि तक	1972 के वार्षिक औसत के 10% की अतिरिक्त राशि	1972 के निर्यात ऋण के वार्षिक औसत के 20% के बराबर के उधारों में शुद्ध चल निधि अनुपात पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। 1 जनवरी 1973 से 1972 आधार लागू होगा।
		II निम्नलिखित के संबंध में निर्धारित आधार अवधि की अपेक्षा अग्रिमों में हुई वृद्धि के बराबर की राशि	**आधार अवधि**
–वही–	उन क्षेत्रों में जहां रिज़र्व बैंक ऑफ़ इण्डिया के पूर्व अनुमोदन के साथ योजना लागू की गयी है, स्थित प्राथमिक सहकारी ऋण समितियों को दिये गये ऋण	(क) लघु उद्योगों को दिये गये अल्पावधि ऋण जो ऋण गारन्टी संगठन की गारन्टी के अन्तर्गत आते हैं।	पिछले वर्ष की तदनुरूप कैलेण्डर तिमाही में लिये गये ऋणों का औसत स्तर अर्थात् जनवरी-मार्च 1973 की तिमाही के लिए जनवरी-मार्च 1972 की तिमाही का औसत आधार होगा।
		(ख) कृषकों को दिये गये अल्पावधि प्रत्यक्ष ऋण।	
		III अनाजों की उगाही के लिए अग्रिम	
–वही–	––	अक्तूबर 1972 के अन्तिम शुक्रवार को अनाजों की उगाही के लिए दिये गये अग्रिमों के बकाया स्तर का 10% और अक्तूबर 1972 के अन्तिम शुक्रवार के स्तर की अपेक्षा हुई वृद्धि का अतिरिक्त $\frac{1}{2}$	यह सुविधा रिज़र्व बैंक ऑफ़ इण्डिया अधिनियम, 1934 की धारा 17 (4) (ग) के अधीन पुरानी हुण्डी बाजार योजना के अन्तर्गत उपलब्ध होगी।
		IV नयी हुंडी बाजार योजना	
–वही–	––	नयी हुण्डी बाजार योजना के अन्तर्गत हुण्डियों का पुनर्भोजन	चूंकि इस सुविधा को रिज़र्व बैंक से लिये गये उधार के रूप में नहीं माना जाता अतः शुद्ध चल-निधि अनुपात का हिसाब लगाने के लिए इस पर विचार नहीं किया जाएगा। अतः इस सुविधा का शुद्ध चल निधि अनुपात पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

@ 30 मई 1973 तक 6% और उसके बाद 7%।

टिप्पणी : 30 मार्च 1973 से 12 जून 1973 तक बैंक दर पर दिये जाने वाले पुनर्वित्त के लिए न्यूनतम चल निधि अनुपात 37% है। किसी बैंक द्वारा निर्धारित सीमा से **अधिक मात्रा** में लिये गये उधारों पर बढ़ायी गयी ब्याज-दर लागू होगी। 37% से होने वाली 1 प्रतिशत की प्रारम्भिक कमी के लिए लागू होने वाली बढ़ायी गयी ब्याज-दर बैंक दर से 2 प्रतिशत अधिक होगी। अतः, 30 मई 1973 तक (जब बैंक दर 6% थी) बढ़ायी गयी उक्त ब्याज-दर 8% होगी और 31 मई 1973 से (जिस तारीख से बैंक दर को बढ़ाकर 7 प्रतिशत किया गया) यह 9% होगी। उसके बाद, उसमें होने वाली प्रत्येक एक प्रतिशत या उसके अंश की कमी के लिए ब्याज-दर में 1 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। किन्तु अधिकतम ब्याज-दर 12% होगी।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया से अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को प्राप्त पुनर्वित्त सुविधाएँ

13 जून, 1973 से 12 जुलाई, 1973 तक लागू

शुद्ध चल निधि की स्थिति	5 प्रतिशत पर	5½ प्रतिशत पर	बैंक दर (7%) पर	टिप्पणी
I निर्यात ऋण				
चाहे शुद्ध चल निधि अनुपात कुछ भी हो		1972 के वार्षिक औसत के 10% के बराबर की राशि तक	1972 के वार्षिक औसत के 10% की अतिरिक्त राशि	1972 के निर्यात ऋण के वार्षिक औसत के 20% के बराबर के उधारों से शुद्ध चल निधि अनुपात पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। 1 जनवरी, 1973 से 1972 आधार लागू होगा।
II निम्नलिखित के संबंध में निर्धारित आधार अवधि की अपेक्षा अग्रिमों में हुई वृद्धि के बराबर की राशि				**आधार अवधि**
-वही-	उन क्षेत्रों में जहां रिजर्व बैंक आफ इंडिया के पूर्व अनुमोदन के साथ योजना लागू की गयी है, स्थित प्राथमिक सहकारी ऋण समितियों को दिये गये ऋण और रिजर्व बैंक के अनुमोदन से बैंकों द्वारा प्रवर्तित कृषक सेवा समितियों को दिये गये ऋण		(क) लघु उद्योगों को दिये गये अल्पावधि ऋण जो ऋण गारंटी संगठन की गारंटी के अंतर्गत आते हैं। (ख) कृषकों को दिये गये अल्पावधि प्रत्यक्ष ऋण	पिछले वर्ष की तदनुरूप कैलेण्डर तिमाही में लिये गये ऋणों का औसत स्तर अर्थात जनवरी-मार्च 1973 की तिमाही के लिए जनवरी-मार्च 1972 की तिमाही का औसत आधार होगा।
III अनाजों की उगाही के लिए अग्रिम				
-वही-	--	--	अक्तूबर 1972 के अंतिम शुक्रवार को अनाजों की उगाही के लिए दिये गये अग्रिमों के बकाया स्तर का 10% और अक्तूबर 1972 के अंतिम शुक्रवार के स्तर की अपेक्षा हुई वृद्धि का अतिरिक्त ½	यह सुविधा रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम, 1934 की धारा 17 (4) (ग) के अधीन पुरानी हुंडी बाजार योजना के अंतर्गत उपलब्ध होगी।
IV नयी हुंडी बाजार योजना				
-वही-	--	--	नयी हुंडी बाजार योजना के अंतर्गत हुंडियों का पुनर्भांजन	चूंकि इस सुविधा को रिजर्व बैंक से लिये गये उधार के रूप में नहीं माना जाता, अतः शुद्ध चल निधि अनुपात का हिसाब लगाने के लिए इस पर विचार नहीं किया जाएगा। अतः इस सुविधा का शुद्ध चल निधि अनुपात पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

टिप्पणी : 29 जून, 1973 से बैंक दर पर दिये जाने वाले पुनर्वित्त के लिए न्यूनतम चल निधि अनुपात 39 प्रतिशत है। किसी बैंक द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में लिये गये उधारों पर बढ़ायी गयी ब्याज-दर लागू होगी। बैंकों के शुद्ध चल निधि अनुपात में 39 प्रतिशत से नीचे होने वाली प्रत्येक एक अंक या उसके अंश की कमी के लिए बैंक दर के ऊपर वार्षिक 1 प्रतिशत की वृद्धि जाएगी। फिर भी जब शुद्ध चल निधि अनुपात 35 प्रतिशत से कम हो जाएगा तब 12 प्रतिशत की अधिकतम ब्याज-दर लागू की जाएगी।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया से अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को प्राप्त पुनर्वित्त सुविधाएँ

13 जुलाई 1973 से लागू

शुद्ध चल निधि की स्थिति	5 प्रतिशत पर	बैंक दर (7%) पर	टिप्पणी
		I निर्यात ऋण	
चाहे शुद्ध चलनिधि अनुपात कुछ भी हो		1972 के वार्षिक औसत के 10 प्रतिशत के बराबर की राशि	ऐसे उधारों का शुद्ध चल निधि अनुपात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । यदि किसी बैंक ने धारा 17 (3क) के अधीन पहले ही उधार लिया हो और ऐसे बकाया उधार 12 जुलाई, 1973 के बाद जारी रहें तो बैंक के शुद्ध चल निधि पर उनका भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । 1 जनवरी, 1973 से 1972 आधार लागू होगा ।
		II निम्नलिखित के संबंध में निर्धारित आधार अवधि की अपेक्षा अग्रिमों में हुई वृद्धि के बराबर की राशि	
-वही-	उन क्षेत्रों में जहां रिजर्व बैंक आफ इंडिया के पूर्व अनुमोदन के साथ योजना लागू की गयी है, स्थित प्राथमिक सहकारी ऋण समितियों को दिये गये ऋण और रिजर्व बैंक के अनुमोदन से बैंकों द्वारा प्रवर्तित कृषक सेवा समितियों को दिये गये ऋण		पहले की तरह ऐसे आधारों का शुद्ध चल निधि अनुपात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । **आधार अवधि** पिछले वर्ष की तदनुरूप कैलेण्डर तिमाही में लिये गए ऋणों का औसत स्तर अर्थात जनवरी—मार्च, 1973 की तिमाही के लिए जनवरी—मार्च, 1972 की तिमाही का औसत आधार होगा ।
		III नई हुण्डी बाजार योजना	
-वही-		नयी हुंडी बाजार योजना के अंतर्गत हुंडियों का पुनर्भाज	चूंकि इस सुविधा को रिजर्व बैंक से लिये गये उधार के रूप में नहीं माना जाता अतः शुद्ध चल निधि अनुपात का हिसाब लगाने के लिए इस पर विचार नहीं किया जाएगा । अतः इस सुविधा का शुद्ध चल निधि अनुपात पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

टिप्पणी : 29 जून 1973 से बैंक दर पर दिये जाने वाले पुनर्वित्त के लिए न्यूनतम चल निधि अनुपात 39 प्रतिशत है। किसी बैंक द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में लिये गये उधारों पर बढ़ायी गयी ब्याज दर लागू होगी । बैंक के शुद्ध चल निधि अनुपात में 39 प्रतिशत से नीचे होने वाली प्रत्येक एक अंग या उसके अंश की कमी के लिए बैंक दर से ऊपर वार्षिक 1 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। फिर भी जब शुद्ध चल निधि अनुपात 35 प्रतिशत से कम हो जाएगा तब 12 प्रतिशत की अधिकतम ब्याज दर लागू की जाएगी। बैंक दर पर दिये जाने वाले पुनर्वित्त के लिए निर्धारित न्यूनतम शुद्ध चल निधि अनुपात को 8 सितम्बर 1973 से बढ़ाकर 40 प्रतिशत किया जाएगा । अतः अतिरिक्त उधारों पर लागू होने वाली 12 प्रतिशत की अधिकतम ब्याज दर शुद्ध चल निधि अनुपात के 36 प्रतिशत के नीचे के स्तर पर लागू होगी।

III. सहकारी बैंक व्यवसाय की गतिविधियां

197. 1972-73 के दौरान देश के सहकारी ऋण विन्यास को विशेषकर अपेक्षाकृत अधिक कमजोर राज्यों में वित्तीय और संगठनात्मक दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए सहकारी बैंककारी नीति का प्रयोग किया गया। इसका उद्देश्य यह था कि विशेष रूप से छोटे और कमजोर कृषकों को सहायता दी जाये, उत्पादन और निवेश के लिए अधिक ऋण उपलब्ध कराया जाये और व्यापक सूत्रों से प्रभावित कृषकों को राहत प्रदान की जाये। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किये गये अधिक महत्वपूर्ण उपायों का उल्लेख इस खंड में किया गया है।

कृषि ऋण मंडल

198. केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा रिजर्व बैंक से लिये गये उधारों को उनके द्वारा जुटायी जाने वाली जमा राशियों से संबद्ध करने के संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा गठित किये गये अध्ययन दल ने जो सिफारिशें की थीं उन पर कृषि ऋण मंडल द्वारा विचार किये जाने के बाद निम्नलिखित महत्वपूर्ण विशेषताओं से युक्त संशोधित योजना जुलाई, 1973 से लागू की गई: (क) कृषि संबंधी मौसमी कार्यकलापों के लिए राज्य सहकारी बैंकों को केन्द्रीय सहकारी बैंकों की ओर से रिजर्व बैंक से बैंक दर से ½ प्रतिशत कम दर पर वित्तीय सहायता उपलब्ध होगी, (ख) जून, 1973 में समाप्त हुए तीन वर्षों के दौरान रिजर्व बैंक से प्राप्त उधारों के उच्चतम स्तर को उधारों के आधार स्तर के रूप में माना जायेगा और इस सीमा तक के नये ऋणों पर ब्याज में 1½ प्रतिशत की छूट दी जायेगी (ग) केन्द्रीय सहकारी बैंक अपने निजी स्रोतों से जो अल्पावधि कृषि ऋण प्रदान करते हैं उनमें होने वाली वृद्धि के दुगुने अंश तक के अतिरिक्त उधार पर या छोटे कृषकों को दिये जाने वाले सारे अतिरिक्त वित्त पर भी ब्याज में 1½ प्रतिशत की छूट दी जायेगी, (घ) चूंकि पहले ही काफी अधिक जमा राशियां जुटायी जा चुकी है इसलिए फिलहाल रिजर्व बैंक से लिए जाने वाले न्यून स्तर के ऋणों के संदर्भ में केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋणों के चौगुने भाग तक ब्याज में 1½ प्रतिशत की विशेष रियायती छूट दी जायेगी (ङ) कमजोर और अक्षम केन्द्रीय बैंकों अर्थात उन बैंकों जिनका ऋण-कारोबार 1 करोड़ रुपये से कम है पर यह योजना लागू नहीं होगी। उक्त मण्डल ने यह निश्चय किया कि अध्ययन दल और अधिक व्यापक हो और समय समय पर योजना के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए स्थायी समिति के रूप में कार्य करे।

199. देश में स्थापित की गई 46 छोटे कृषक विकास एजेन्सी और 41 सीमांत कृषक और कृषि श्रम एजेन्सी परियोजनाएं केवल 1971-72 के सहकारी वर्षों† से उल्लेखनीय रूप से वास्तव में कार्यान्वित की जाने लगी। आलोच्य वर्ष में इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी आई। अतः उनके कुछ अत्यावश्यक पहलुओं में समग्र रूप से संतोषजनक प्रगति पायी गयी। उदाहरण के लिए उनमें भाग लेने के लिए पता लगाए गए व्यक्तियों की संख्या मार्च, 1973 के अंत में छोटे कृषक विकास एजेन्सी परियोजनाओं के संदर्भ में 23.66 लाख और सीमान्त कृषक और कृषि श्रम एजेन्सी परियोजनाओं के संदर्भ में 11.27 लाख थी जबकि मार्च, 1972 के अंत में उक्त संख्या क्रमशः 14.21 लाख और 8.09 लाख थी। इसी अवधि में सहकारी संस्थाओं के सदस्यों के रूप में अपने नाम दर्ज कराने वाले ऐसे सहभागियों की संख्या छोटे कृषक विकास एजेंसी परियोजना के अधीन 5.85 लाख से बढ़कर 11.40 लाख और सीमान्त कृषक और कृषि श्रम परियोजनाओं के अधीन 1.40 लाख से बढ़कर 3.55 लाख हो गई। सहकारी, संस्थाओं और वाणिज्य बैंकों द्वारा छोटे कृषक विकास एजेंसी के संदर्भ में वितरित किये कुल ऋण दुगने से अधिक हो गये अर्थात् उक्त ऋण 2315.92 लाख रुपयों से बढ़कर 4942.97 लाख रुपये हो गए और सीमान्त कृषक और कृषि श्रम एजेंसी के संदर्भ में उक्त ऋणों में हुई वृद्धि छः गुनी थी अर्थात वे 157.46 लाख रुपयों से बढ़कर 936.17 लाख रुपये हो गए। इन दोनों परियोजनाओं के अधीन सिंचाई-सुविधाओं की व्यवस्था करने के संदर्भ में हुई प्रगति विशेष उल्लेखनीय है। इस अवधि के दौरान खोदे गए कुओं/नल कूपों की संख्या 22998 से बढ़कर 71220 और पंप सैटों की संख्या 7682 से बढ़कर 19517 हो गई। इनके अलावा उनको उपलब्ध कराए गए दुधारू पशुओं की संख्या भी 11033 से बढ़कर 41358 हो गई। शुरू किए गए ग्रामीण निर्माण कार्यों में भी निरन्तर वृद्धि होती रही है। ऐसे कार्यों की संख्या 2664 से बढ़कर 1,08,661 हो गई। भारत सरकार ने उतने ही परिव्यय के साथ इन योजनाओं को 1975-76 तक जारी रखने का निश्चय किया है। छोटे कृषक विकास एजेन्सियों द्वारा शुरू किए गये कार्यक्रमों के विशेष अध्ययन भी योजना आयोग के आग्रह पर इस वर्ष के दौरान जारी रहे। इस वर्ष दार्जिलिंग की छोटे कृषक विकास एजेंसी के कार्यकलापों का अध्ययन किया गया और उसकी रिपोर्ट योजना आयोग को पेश की गयी। मैसूर छोटे कृषक विकास एजेन्सी का अनुवर्ती अध्ययन भी किया गया।

200. जैसाकि पिछले वर्ष उल्लेख किया गया था केन्द्रीय सहकारी बैंकों से यह अपेक्षा की गयी कि वे ऐसी स्थिति में पहुंच कि शिखर बैंक से उनके द्वारा लिये गये ऋणों की बकाया राशि के कम से कम 20 प्रतिशत को छोटे और आर्थिक रूप से कमजोर कृषकों अर्थात ऐसे कृषकों जिनकी जोत 3 एकड़ या कम हो, के लिए समितियों को दिये जाने वाले बकाया ऋणों के रूप में दिखाया जा सके। इस संदर्भ में अनुशासन लागू करने के अतिरिक्त उपाय के रूप में बैंक ने यह निर्धारित किया है कि कृषि संबंधी मौसमी कार्यकलापों के वित्तपोषण के लिए स्वीकृत ऋण सीमाओं के पहले 70 प्रतिशत को निर्बाध रूप से लिया जा सकता है दूसरे 20 प्रतिशत को छोटे सीमान्त और आर्थिक रूप से कमजोर कृषकों के नाम बकाया रहने वाले तदनुरूप अग्रिमों से 10 प्रतिशत की शेष बकाया राशि का आहरण करने के पहले संबद्ध करना होगा। इस वर्ष के दौरान कुछ बैंकों ने यह निवेदन किया कि जिन किसानों के पास 3 एकड़ या कम जमीन रहती है उनमें से प्रत्येक के अधिकार में रहने वाला क्षेत्र 3 एकड़ के जोते गए कुल क्षेत्र के मान की तुलना में काफी कम है इसलिए वे छोटे किसानों से संबंधित शर्तों का पालन नहीं कर सकेंगे। अतः बैंक ने यह निश्चय किया कि जिलों की जोत के आकार-वितरण के आधार पर जिलेवार समुचित परिमाप की व्यवस्था की जाए।

वाणिज्य बैंकों द्वारा ऋण समितियों का वित्तपोषण

201 वाणिज्य बैंकों द्वारा 1970 में शुरू की गई प्राथमिक ऋण समितियों की वित्तीय पोषण योजना इस वर्ष छः राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, मैसूर, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के 51 जिलों में जारी रही। बिहार, जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के जिन क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में ऋण संबंधी खाइयां विद्यमान रहती हैं, वहां इस योजना का विस्तार करने के प्रस्ताव सक्रिय रूप से संबंधित राज्य सरकारों के विचाराधीन थे। कुल मिलाकर अब तक 20 वाणिज्य बैंकों ने अपनी 318 शाखाओं के माध्यम से अपने लिये नियत 2253 समितियों में से 1509 समितियों के संबंधित

†1 जुलाई से 30 जून तक।

कार्यक्रम में भाग लिया है। योजना के तीसरे वर्ष के दौरान (मार्च 1973 तक) वाणिज्य बैंकों द्वारा समितियों को दिये गये अल्पावधि और मध्यावधि ऋणों की राशि 10.13 करोड़ रुपये थी जबकि पिछले वर्ष उक्त राशि 7.16 करोड़ रुपये थी।

202 रिजर्व बैंक द्वारा गठित किये गये विशेष दलों ने 5 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, मैसूर, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इस योजना के कार्य संचालन का अध्ययन किया। अध्ययन दलों ने यह मत व्यक्त किया कि यदि समितियां अतिदेय राशियों को कम करने, अधिक सदस्यों पर योजना को लागू करने और पूर्णकालिक सचिव नियुक्त करने, आदि की उचित व्यवस्था करें तो वे थोड़ी ही अवधि में सक्षम हो सकेंगी। योजना की प्रगति और उन क्षेत्रों में जहां योजना लागू है, कमजोर केन्द्रीय सहकारी बैंकों के पुनर्गठन कार्यक्रम पर बैंक निगरानी रखता आ रहा है। योजना की प्रगति का पुनरीक्षण करने के उद्देश्य से सभी राज्यों में राज्य स्तरीय समन्वयन समितियों का गठन किया गया है।

सहकारी गतिविधि

203. पिछले वर्ष की रिपोर्ट (पृष्ठ 58) में कमजोर केन्द्रीय सहकारी बैंकों के पुनर्गठन की केन्द्रीय क्षेत्रगत योजना का उल्लेख किया गया था; उक्त योजना इस वर्ष अमल में आयी। योजना में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार रिजर्व बैंक द्वारा 11 राज्यों में कमजोर बैंकों के रूप में निर्दिष्ट किये गये 72 बैंकों के संबंध में संबंधित राज्य सरकारों ने भारत सरकार को प्रस्ताव पेश किये। भारत सरकार ने 37 बैंकों के लिए 53.75 लाख रुपयों की वित्तीय सहायता अनुमोदित की। रिजर्व बैंक इस विषय पर आगे भी प्रयास करता रहेगा।

204. किसी भी राज्य के सहकारी बैंकों के लिए जमा बीमा योजना लागू करने से पहले बैंक ने कमजोर प्राथमिक सहकारी बैंकों के पुनर्गठन का एक कार्यक्रम तैयार करना उचित समझा। उन प्राथमिक सहकारी बैंकों को कमजोर माना गया जिनके अशोध्य और संदिग्ध ऋण और संचित हानि स्वाधिकृत निधियों के 25 प्रतिशत से अधिक हो अथवा 30 जून 1971 को जिनकी अतिदेय राशि उनकी मांग या बकाया राशि के 50 प्रतिशत से अधिक हो। केवल उन्हीं बैंकों को जो सक्षम है और जिनके पास 25 लाख रुपयों की न्यूनतम कार्यकारी पूंजी है और जिनका ऋण कारोबार 18 लाख रुपयों का है या जो सक्षमता के लिए निर्धारित मानदंडों के 75 प्रतिशत तक पहुंच गये हैं और जिनमें आगामी 3 से 5 वर्षों तक की अवधि में सक्षमता की स्थिति तक पहुंचने की संभावना है, पुनर्गठन योग्य माना जाता है। इन मानदंडों के आधार पर 21 सहकारी बैंकों को चुना गया और संबंधित राज्य सरकारों को रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट प्रणाली के अनुसार उनके पुनर्गठन के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा गया। इसी प्रकार ऐसे सक्षम या क्षमता की संभावना रखने वाले प्राथमिक भूमि विकास बैंक/राज्य भूमि विकास बैंक की शाखा * को जिसकी अतिदेय राशियां 30 जून 1971 को मांग राशि के 50 प्रतिशत से अधिक थी कमजोर माना गया और इसी आधार पर 52 प्राथमिक भूमि विकास बैंकों और राज्य भूमि विकास बैंकों की 13 शाखाओं को रिजर्व बैंक द्वारा इस उद्देश्य के लिए कमजोर निर्दिष्ट किया गया कि संबंधित राज्य सरकारें उनके पुनर्गठन की कार्यवाई करें।

*किसी प्राथमिक भूमि विकास बैंक/राज्य भूमि विकास बैंक की शाखा को तब सक्षम माना जाता है जब उसके ऋण कारोबार की राशि 30 लाख रुपयों तक पहुंच गयी हो, या तब क्षमता की संभावना रखनेवाला/रखनेवाली माना जाता है जब उसके ऋण कारोबार की राशि 20 लाख रुपयों तक पहुंच गयी हो।

ऋण के संबंध में विद्यमान खाइयों आदि का पता लगाने के लिए विशेष उपाय

205. कुछ राज्यों में सहकारी संस्थाओं से ऋण उपलब्ध होने में विद्यमान गतिरोधों को हटाने के उद्देश्य से उनके कार्य संचालन के दोषों को दूर करने के लिए कार्यवाइयां की गई। सहकारी संस्थाओं द्वारा प्रदत्त ऋण की सहायता से कृषि उत्पादन के विकास में तेजी लाने के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू और काश्मीर, असम और मेघालय के लिए रिजर्व बैंक ने वृहत योजनाएं तैयार की। इन योजनाओं की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है : (क) प्राथमिक ऋण समितियों के शेयर खरीदने और उनके सदस्य बनने के लिए सहकारी संस्थाओं के गैर-सदस्यों को राज्य सरकारों द्वारा ऋण प्रदान कराना, (ख) केन्द्रीय सहकारी बैंकों और प्राथमिक कृषि समितियों की शेयर पूंजी में अंशदान करना ताकि वे अपने ऋण कार्यक्रमों को बनाये रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में उधार ले सके, (ग) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा सहकारी बैंकों में दीर्घावधि जमाराशियां रखना ताकि वे रिजर्व बैंक आफ इंडिया आदि से लिये जाने वाले उधारों में से अतिदेय न होने वाली राशि के लिए राशि रक्षा राशि बनाये रखें।

206. दिसंबर 1972 में गवर्नर ने 'सहकारी ऋण संस्थाओं की अतिदेय राशियों के संदर्भ में अध्ययन दल' की नियुक्ति की, जो ऐसी अतिदेय राशियों के कारणों का विश्लेषण करेगा। इस दल को स्थिरीकरण संबंधी व्यवस्थाओं की पर्याप्तता का अध्ययन करना था और साथ ही परिवर्तन/पुनर्व्यवस्था सुविधाएं प्रदान करने और इस कार्य के लिए विभिन्न निधियों का संवर्द्धन करने में संबंधित नीतियों और क्रियाविधियों को युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता की भी छानबीन करनी थी। केरल में केन्द्रीय सहकारी बैंकों को, उनकी वित्तीय स्थिति और संगठन व्यवस्थाओं को देखते हुए जारी रखने के औचित्य या अनौचित्य के बारे में तथा ऋण संबंधी खाइयों को दूर करने के लिए संक्रमणकालीन व्यवस्था के रूप में राज्य सहकारी बैंक द्वारा समितियों का प्रत्यक्ष वित्तपोषण कराने की संभावनाओं के बारे में जांच पड़ताल करने के लिए गवर्नर ने दिसंबर 1972 में एक दूसरे दल की नियुक्ति की।

207. व्यापक सूखे की स्थिति के परिणामस्वरूप महाराष्ट्र में सहकारी ऋण वितरण की कार्यप्रणाली में बाधा पड़ी। अतः स्थिति की व्यापक जांच पड़ताल करने और उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए रिजर्व बैंक के गवर्नर ने दिसम्बर 1972 में 'महाराष्ट्र की सहकारी कृषि ऋण संस्थाओं से संबंधित अध्ययन दल' की नियुक्ति की। मार्च 1973 में प्रस्तुत की गयी अपनी अंतरिम रिपोर्ट में इस दल ने निम्नलिखित सिफारिशें की है : चाहे सूखे की स्थिति 1972-73 में हुई हो या दो या तीन वर्षों में लगातार हुई हो, उसके आधार पर ऋण परिवर्तन सुविधाएं 3 से 7 वर्षों तक की अवधियों के लिए प्रदान की जाएं; रिजर्व बैंक द्वारा अपनी स्थिरीकरण निधि में से ऋण की 5/7 राशि के संदर्भ में 5 वर्षों की अधिकतम अवधि तक और शेष राशि के संदर्भ में उन मामलों में जहां परिवर्तन की अवधि को 5 वर्षों से अधिक बढ़ाना हो, राज्य/केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा 7 वर्षों तक मध्यावधि ऋण मंजूर किया जाए; और अनजाने में ऋण न चुकानेवाले ऋणकर्ताओं के संदर्भ में अतिदेय राशियों को मध्यावधि ऋणों में परिवर्तित करने की सुविधा प्रदान कर उनको पुनर्व्यवस्थित करने का कार्यक्रम बनाया जाए। उन प्रस्तावों का उद्देश्य सूखे से प्रभावित कृषकों को नये ऋण दिलाये जाने में सुविधा पहुंचाना था। महाराष्ट्र सरकार को ये प्रस्ताव प्रेषित किये गये और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए वह आवश्यक कदम उठा रही है।

208. पश्चिम बंगाल की सहकारी कृषि ऋण संस्थाओं का अध्ययन करने के लिए गठित किये गये दल का उल्लेख पिछली रिपोर्ट में किया गया था। उक्त दल की सिफारिशों के अनुसरण में बंगाल सहकारी समिति अधिनियम, 1940 में संशोधन किया गया जिससे सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को कमजोर केन्द्रीय सहकारी बैंकों को अन्य केन्द्रीय सहकारी बैंकों या राज्य सहकारी बैंक के साथ अनिवार्य रूप से समामेलित करने की शक्ति प्राप्त हो। पश्चिम बंगाल के 4 केन्द्रीय सहकारी बैंकों को 27 जनवरी 1973 को कारोबार बंद होने के समय से अधिस्थगन के अधीन रखते हुए जनवरी 1973 में भारत सरकार ने आदेश जारी किये जिससे इनमें से तीन बैंकों को एक राज्य सहकारी बैंक के साथ और एक बैंक को दूसरे केन्द्रीय सहकारी बैंक के साथ समामेलित करने की योजना को कार्यान्वित करने में सुविधा हो। इस संदर्भ में हुई प्रगति का पुनरीक्षण करने के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल सरकार ने एक राज्य स्तरीय पुनरीक्षण समिति को नियुक्त किया है।

सहकारी ऋण नीति, क्रियाविधियां और कार्यकलाप

209. **खरीफ़** और **रबी** की फसलों के उत्पादन और विपणन के निमित्त 1971-72 में अलग अल्पावधि ऋण सीमाएं मंजूर करने की जो प्रणाली शुरू की गयी थी वह इस वर्ष के दौरान भी जारी रही; इसी प्रकार रूई और कपास के विपणन के लिए चयनात्मक ऋण नियंत्रणों के अंतर्गत जो विशेष ऋण व्यवस्थाएं की गयी थीं, उन्हें भी जारी रखा गया। ऋण प्रणाली को और सरल बनाया गया और 'कृषि के लिए ऋण प्रदान करने की उत्पादन प्रधान प्रणाली में संबंधित संशोधित नियमावली' में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये। उक्त परिवर्तन निम्न प्रकार थे : (क) इसके पूर्व तीन या चार घटकों के वित्त की सिफारिश की गयी थी; उसके बदले अब दो घटकों अर्थात नकदी और वस्तुओं के वित्तीय मान निर्धारित किये जाएं, (ख) पहले के क्षेत्र कार्यकर्ता सम्मेलन के स्थान पर तकनीकी दल का गठन किया जाए, (ग) छोटे कृषकों और दूसरों के लिए अलग-अलग ऋण सीमा विवरणियां बनायी जाएं, (घ) जिन बड़े कृषकों के संदर्भ में यह अपेक्षा की जाती है कि कृषि से संबंधित कारोबार में अपने वित्तीय स्रोतों के एक भाग का वे पुनः उपयोग करें, उनको उपलब्ध ऋण की मात्रा को कम किया जाए, (ङ) विविध फसलों के क्षेत्र में या उन क्षेत्रों में जहां गन्ना, पान की बेल आदि नकदी फसलें उगायी जाती हैं, सावधि ऋण प्रदान किये जाने के बदले नकदी ऋण प्रणाली अमल में लायी जाए, और (च) निवेश वित्त में लाभान्वित भूमि में प्राप्त विकासोत्तर आय को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक पद्धति से ऋण की वापसी अदायगी की क्षमता निर्धारित की जाए।

210. 1971-72 में समाप्त हुए तीन वर्षों के दौरान सहकारी ऋण अभियान में जो प्रगति हुई उसे संक्षेप में आगे की सारणी में दर्शाया गया है।

सारणी 23: सहकारी ऋण अभियान में प्रगति

(राशि करोड़ रुपयों में)

संस्था का प्रकार	1969-70	1970-71	1971-72*
1	2	3	4
(क) राज्य सहकारी बैंक			
(1) संख्या	25	25	26
(2) स्वाधिकृत निधियां	83	92	101
(3) जमाराशियां	234	279	329
(4) रिजर्व बैंक आफ इंडिया से लिए गये ऋण	219	242	229
(क) उनमें से अल्पावधि कृषि ऋण†	216	190	153
(5) कार्यकारी पूंजी	619	685	738
(6) जारी किए गए ऋण	707	749	928
(7) बकाया ऋण	510	534	552
(क) उनमें से अल्पावधि कृषि ऋण†	276	288	348
(8) (7-क)† में (4-क)† का प्रतिशत	78	66	44
(ख) केन्द्रीय सहकारी बैंक			
(1) संख्या	340	341	341
(2) स्वाधिकृत निधियां	174	199	223
(3) जमा राशियां	382	439	507
(4) रिजर्व बैंक आफ इंडिया/ शिखर बैंक से लिये गये ऋण	331	353	343@
(5) कार्यकारी पूंजी	928	1081	1174
(6) जारी किए गए ऋण	873	894	907
(7) बकाया ऋण	710	813	852
(ग) राज्य भूमि विकास बैंक			
(1) संख्या	19	19	19
(2) स्वाधिकृत निधियां	46	58	66
(3) बकाया डिबेंचर	571	725	882
(4) कार्यकारी पूंजी	638	841	1003
(5) जारी किए गये ऋण	153	168	148
(6) बकाया ऋण	510	638	731
(घ) प्राथमिक कृषि ऋण समितियां‡			
(1) संख्या (हजारों में)	163	161	144
(2) सदस्यता (हजारों में)	29766	30963	29754
(3) स्वाधिकृत निधियां	242	265	250
(4) जमाराशियां	63	69	71
(5) उधार	618	675	601
(6) जारी किये गये ऋण	540	578	584
(7) बकाया ऋण	711	781	789

†अनन्तिम।

@महाराष्ट्र को छोड़कर।

‡आन्ध्र प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर को छोड़कर।

अल्पावधि वित्त

211. अल्पावधि वित्त के क्षेत्र में रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित उपाय किये : (i) यद्यपि खरीफ और रबी फसलों के लिए अलग-अलग ऋण सीमाएं प्रदान की गयी थीं फिर भी यह निर्धारित किया गया कि जहां रबी का मौसम प्रमुख हो, वहां रबी का वित्तपोषण पूरा हो जाने पर ऋण सीमाओं को कम कर खरीफ के स्तर तक लाया जाए और इन ऋण सीमाओं से जो राशि ली जाती है वह रबी मौसम के दौरान समितियों के वास्तविक वित्तपोषण के अनुरूप हो; (ii) रिजर्व बैंक ने इस बात को स्वीकार किया कि कृषकों द्वारा ग्राहक सेवा समितियों की सेवाओं के लिए देय प्रभारों को ऐसे व्यय के रूप में माना जाए जिसके लिए ऋण प्रदान करने की उत्पादन प्रधान प्रणाली के वस्तु घटक के रूप में अग्रिम प्रदान किये जा सकें; (iii) 1973 के दौरान उर्वरकों की खरीद, संग्रहण, वितरण आदि के निमित्त राज्य सहकारी बैंकों से वित्तीय सहायता का जो अनुरोध प्राप्त होगा उस पर रिजर्व बैंक सामान्यतः विचार नहीं करेगा; (iv) कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा खरीदे गये विशेष विकास डिबेंचरों की जमानत पर रिजर्व बैंक निगम को अपने अधिनियम की धारा 17(4क) के अंतर्गत बैंक दर पर अल्पावधि ऋण सीमाएं प्रदान करता रहा ; (v) रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम की धारा 17(2) (खख) के अंतर्गत हथकरघा/बिजलीचालित करघा बुनकरों की सहकारी समितियों के उत्पादन और विपणन संबंधी कार्यकलापों का वित्तपोषण करने के लिए बैंक दर से 1½ प्रतिशत कम रियायती ब्याज दर पर रिजर्व बैंक वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा ; किन्तु शर्त यह थी कि हथकरघा बुनकर समितियों से ली जानेवाली ब्याज दर 4½ प्रतिशत या भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किसी दूसरी ब्याज दर से अधिक न हो और बिजलीचालित करघा बुनकर समितियों के मामले में, जिनके लिए ब्याज उपदान योजना लागू नहीं थी, ली जाने वाली ब्याज दर अनुचित रूप से अधिक न हो; (vi) हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों की कार्यकारी पूंजीगत आवश्यकताओं के वित्तपोषण के संदर्भ में मार्जिन बनाये रखने के लिए हिसाब में ली जाने वाली आस्तियों के संबंध में की गयी जो अस्थायी रियायतें मार्च 1973 के अंत तक अमल में थीं उनकी अवधि मार्च 1974 के अंत तक बढ़ा दी गयी और (vii) शिखर/प्रादेशिक बुनकर समितियों द्वारा धागे के व्यापार के लिए किये जाने वाले वित्तपोषण के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम की धारा 17(4) (ग) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 17 (2) (क) के अंतर्गत रिजर्व बैंक ने बैंक दर पर जो ऋण सीमाएं प्रदान की थी उन्हें आलोच्य वर्ष में भी जारी रखा गया (सारणी 24)।

212. रूई और कपास पर राज्य और केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा दिये जाने वाले अग्रिमों को विनियमित करने के लिए किये गये चयनात्मक ऋण नियंत्रण संबंधी उपायों को आलोच्य वर्ष में इस उद्देश्य से जारी रखा गया कि मूल्य-वृद्धि होने की प्रत्याशा करते हुए स्टाक बनाये रखने की प्रवृत्ति को रोका जाए। कतिपय प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा रूई और कपास पर दिये जाने वाले अग्रिमों पर भी ऐसे संदर्भों में उक्त उपाय लागू किये गये, जहां 1971-72 के दौरान दिये गये अग्रिमों की राशि 5 लाख रुपये या अधिक थी।

ऋण गारंटी योजना

213. मई 1973 के अंत तक भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन करते हुए 9 राज्य सहकारी बैंक, 49 केन्द्रीय सहकारी बैंक, 5 लाइसेंसीकृत प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक और 29 गैर लाइसेंसीकृत प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक आवश्यक करार निष्पादित कर योजना में शामिल हुए थे।

सहकारी संस्थाओं द्वारा औद्योगिक वित्त

214. रिजर्व बैंक ने यह निश्चय किया कि यदि कृषकों ने शहतूत के पौधों को विकसित किया हो और रेशम के कीड़ों को पाला हो तो रेशम-कोयों के उत्पादन और उनकी बिक्री की स्थिति तक के कार्यकलापों को कृषि संबंधी कार्यकलाप माना जाएगा और इस उद्देश्य के लिए कृषक प्राथमिक कृषि ऋण समितियों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने योग्य होंगे और इस वित्तीय सहायता के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम की धारा 17(2) (ख) के अंतर्गत पुनर्वित्त प्राप्त होगा।

215. एक व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले रेशम उत्पादन संबंधी सभी कार्यकलापों को रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम की धारा 17(2) (खख) के अधीन बैंक दर पर उपलब्ध पुनर्वित्त के उद्देश्य के लिए लघु उद्योग कार्यकलापों के अंतर्गत स्वीकार किया गया। जो रेशम-उत्पादक सहकारी आधार पर संगठित न हों, परन्तु सम्मिलित रूप से रेशम उत्पादन संबंधी कार्य करते हों, उन्हें अपनी कार्यकारी पूंजीगत आवश्यकताओं के लिए प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता मिलती रहेगी और उस सहायता के लिए उक्त बैंक रिजर्व बैंक से प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं।

216. बुनकर समितियों से भिन्न दूसरी औद्योगिक सहकारी समितियों को उनकी कार्यकारी पूंजीगत आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम की धारा 17(2) (खख) या 4(ग) के अधीन ऋणों के लिए निर्धारित मार्जिन के स्थान पर स्वीकार्य मदों की सूची को व्यापक बनाकर रियायतें प्रदान की गयीं। महाराष्ट्र में नियोजन गारंटी योजना के अधीन, खंड स्तरीय देहाती कारीगरों की विविध उद्देश्यीय सहकारी समितियों का गठन किया गया है ताकि उत्पादन और बिक्री संबंधी कार्यों में संलग्न कारीगरों को ऋण तथा अन्य सुविधायें प्रदान की जा सकें। ऐसी समितियों को उनके द्वारा कारीगरों को प्रदान किये जाने वाले कार्यकारी पूंजीगत अग्रिमों के संदर्भ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम की धारा 17 (2) (ख) या 4(ग) के अधीन पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए रिजर्व बैंक ने विशेष रूप से मान्यता दी है।

217. गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब और आन्ध्र प्रदेश की राज्य सरकारों ने बुनकर समितियों को छोड़कर अन्य औद्योगिक सहकारी समितियों के बारे में कार्यकारी दल द्वारा की गयी परिकल्पना के अनुसार इस बात का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किया था कि उनमें से कौन-कौन सी समितियां सक्षम हैं, क्षमता की संभावना रखती हैं और अक्षम हैं। किन्तु उन सरकारों ने अभी पुनर्गठन का कार्य समाप्त नहीं किया है। बिहार, केरल, राजस्थान, मैसूर, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों ने सर्वेक्षण कार्य आरंभ किया है और शेष राज्यों और संघशासित क्षेत्रों को इस दिशा में अभी कार्य प्रारंभ करना है।

218. गुजरात, मणिपुर और महाराष्ट्र राज्यों की सरकारों ने राज्य सहकारी समिति अधिनियम और प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों की उपविधियों में संशोधन किया है ताकि अलग-अलग मालिकों, साझेदारी-युक्त फर्मों, मिश्रित पूंजी कंपनियों, आदि द्वारा स्वाधिकृत कुटीर और लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। अन्य राज्यों में संबंधित राज्य सरकारों के साथ इस विषय पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।

सारणी 24 : सहकारी संस्थाओं को रिजर्व बैंक द्वारा 1971-72 और 1972-73 में दिये गये ऋण

(राशि करोड़ रुपयों में)

वित्तीय सहायता का उद्देश्य	1971-72 (जुलाई-जून)				1972-73 (जुलाई-जून††)			
	मंजूर की गयी सीमाएं	लिये गये ऋण	चुकौतियां	बकाया राशि	मंजूर की गयी सीमाएं	लिये गये ऋण	चुकौतियां	बकाया राशि
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. अल्पावधि								
(i) कृषि संबंधी मौसमी कार्यकलाप (बैंक दर से 2% कम दर पर)	394.04	468.51	505.27	152.08	415.38	596.67	603.84	144.91
(ii) रुई और कपास को छोड़कर अन्य फसलों का विपणन	3.18	3.59	2.96	0.66	51.20	9.33	9.41	0.58
(iii) रुई और कपास का विपणन (रुई की एकाधिकार उगाही सहित)	11.70	10.25	10.10	1.19		113.61	111.88	2.92
(iv) उर्वरकों की खरीद और वितरण (बैंक दर से 2% अधिक दर पर)*	24.75	23.04	18.49	8.76	14.75	7.50	13.51	2.75
(v) हथकरघे पर वस्त्रों का उत्पादन और उनका विपणन (बैंक दर से 1½% कम दर पर) @	12.76	14.92	13.24	9.51	13.99	9.13	10.91	7.73
(vi) अन्य कुटीर और लघु उद्योगों का वित्तपोषण @	0.86	0.59	0.20	0.03	0.56	0.30	0.22	0.11
(vii) धागे की खरीद और बिक्री (बैंक दर पर) @	0.97	0.14	0.17	कुछ नहीं	0.92	0.09	0.06	0.03
(viii) कृषि पुनर्वित्त निगम को ऋण (बैंक दर पर)	8.00	1.36	8.88	कुछ नहीं	15.00	4.89	1.19	3.70
2. मध्यावधि								
(i) कृषि उद्देश्य (बैंक दर से 1½% कम दर पर)†	18.14	13.09	12.59	24.30	8.72	—	7.42	16.88
(ii) अभावग्रस्त क्षेत्रों में अल्पावधि ऋणों का मध्यवधि ऋणों में परिवर्तन (बैंक दर से 1½% कम दर पर)	31.39	24.08	12.04**	25.70**	24.45** (48.85)	39.22** (28.87)	23.86** (0.26)	41.06** (27.60)
(iii) सहकारी चीनी कारखानों/अभिसंरकरण समितियों के शेयरों की खरीद (बैंक दर पर)	3.43	0.25	0.14	0.62	1.85	0.80	0.33	1.09
3. दीर्घावधि								
(i) सहकारी ऋण संस्थाओं की शेयर पूंजी में अंशदान करने के लिए राज्य सरकारों को दिये गये ऋण @	16.38	14.14	4.72	51.34	16.29	18.69	4.48	65.55
(ii) कृषि पुनर्वित्त निगम को दिये गये दीर्घावधि ऋण (वार्षिक 4¼%/4¾% की दर पर)	5.00	5.00	—	5.00	25.00	30.00	0.50	34.50

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम की धारा 18 (1) (3) के अंतर्गत मंजूर किये गये और लिये गये उन ऋणों को दर्शाते हैं जिन्हें 1-7-1973 के बाद मध्यावधि ऋणों (परिवर्तन) के रूप में समायोजित किया जाएगा।

* 1972 के पहले उर्वरकों की खरीद और वितरण के लिए रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर पर वित्तपोषण किया जाता था, परन्तु उक्त दर को वाणिज्य बैंकों की ब्याज दरों के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से जनवरी 1972 से बढ़ाकर बैंक दर से 2% अधिक बना दिया गया। उक्त आंकड़े 1971 और 1972 के कैलेण्डर वर्षों से सम्बन्धित हैं।

** पुनर्व्यवस्था को मिलाकर

@आंकड़े वित्तीय वर्ष से सम्बन्धित हैं।

†1971-72 के आंकड़े दिसम्बर 1972 तक के हैं और 1972-73 के आंकड़े जून 1973 तक 1973 के कैलेण्डर वर्ष से सम्बन्धित हैं

††अनन्तिम।

मध्यावधि वित्त

219. मध्यावधि वित्त के क्षेत्र में रिजर्व बैंक ने निर्धारणीय उत्पादक उद्देश्यों के लिए अधिकाधिक मात्रा में ऋण उपलब्ध कराने की अपनी नीति को जारी रखा। रिजर्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए इसके पहले यह शर्त लगायी गयी थी कि केन्द्रीय सहकारी बैंक अपने द्वारा प्रदान किए गये कुल मध्यावधि ऋणों का कम से कम 40 प्रतिशत अंश सरलता पूर्वक निर्धारणीय उत्पादक उद्देश्यों के लिए वर्ष के दौरान प्रदान करें; उक्त शर्त इस वर्ष भी जारी रही। इस उद्देश्य से कि रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अनुशासन का पालन हो, केन्द्रीय सहकारी बैंकों और सहकारी विभाग का ध्यान निम्न-लिखित महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर आकर्षित किया गया :

(i) ऐसे लघु सिंचाई उद्देश्यों के लिए जिन पर 5 लाख रुपये या उससे अधिक राशि का परिव्यय होगा, दिये जाने वाले ऋणों के संबंध में भूमिगत जल की संभाव्यता के बारे में सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाए।

(ii) कृषि पुनर्वित्त निगम/अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की योजनाओं के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में लघु सिंचाई के उद्देश्यों के लिए प्राप्त प्रस्तावों को कृषि पुनर्वित्त निगम की स्वीकृति के बिना स्वीकार न किया जाए।

(iii) केन्द्रीय सहकारी बैंकों तथा भूमि विकास बैंकों द्वारा लघु सिंचाई के उद्देश्यों के लिए मध्यावधि ऋण मंजूर किये जाने से संबंधित शर्तों में समानता हो।

(iv) पशुओं की खरीद, मुर्गीपालन, सुअर पालन, और भेड़/बकरी पालन संबंधी कार्यकलापों के लिए बनाये जानेवाले कार्यक्रम आर्थिक और वाणिज्यिक दृष्टि से सक्षम हों।

220. रिजर्व बैंक ने यह संकेत किया है कि ट्रैक्टर खरीदने के लिए भूमि की जमानत पर जोर न देते हुए ट्रैक्टर को ही दृष्टिबंधक रखने पर उन कृषकों को पंचवर्षीय मध्यावधि ऋण प्रदान किये जाएं जो इस बात को सिद्ध कर सकते हों कि प्रति वर्ष कम से कम 60 हैक्टेयर क्षेत्रफल वाली कृषि भूमि पर खेती करने या उनकी अपनी भूमि पर 1500 घंटे तक उत्पादक कार्य करने के लिए या कतिपय शर्तों के अधीन ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए ट्रैक्टर का उपयोग किया जाएगा।

221. चीनी कारखानों, रूई ओटनेवाली मिलों और मूंगफली के तेल की मिलों, चावल मिलों और सहकारी कताई मिलों के शेयर खरीदने के लिए ऋण मंजूर किये जाने से संबंधित शर्तों को उदार बनाया गया है। भारत सरकार द्वारा पिछड़े/औद्योगिक दृष्टि से कम विकसित क्षेत्रों के रूप में घोषित किये गये इलाकों में स्थापित/स्थापना करने के लिए प्रस्तावित अभिसंस्करण समितियों की शेयर पूंजी के लिए दिये जाने वाले ऋण के संदर्भ में सदस्यों को 25 प्रतिशत का जो अंशदान करना था उसे घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है; इसके अलावा 5 प्रतिशत का जो नियमित अंशदान पहले से ही निर्धारित है वह भी जारी रहेगा।

222 मध्यावधि वित्त के क्षेत्र को व्यापक बनाकर उसे उन कृष्येतर व्यक्तियों और कृषि श्रमिकों के लिए भी लागू कर दिया गया है जिन्हें दुधारू पशु खरीदने और मुर्गी पालन से संबंधित कार्य-कलापों के लिए रिजर्व बैंक से उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करने के लिए पात्र स्वीकार किया गया है; परन्तु ऐसे ऋण भाजित बनाए रखने, पशुओं या पक्षियों की मृत्यु के कारण होने वाली हानियों को बट्टेखाते डालने के लिए बीमा निधियों का निर्माण करने आदि से संबंधित कतिपय शर्तों के अधीन प्रदान किये जायेंगे।

223. 11 राज्य सहकारी बैंकों के लिए राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से कुल 24.45 करोड़ रुपयों और सामान्य निधि से 48.85 करोड़ रुपयों की ऋण सीमाएं मंजूर की गयी ताकि वे अल्पावधि ऋणों को मध्यावधि ऋणों में परिवर्तित कर सकें, उक्त ऋण सीमाओं के साथ पहले दिये गये ऋणों की पुनर्व्यवस्था भी की गयी है। रिजर्व बैंक ने इस बात पर जोर नहीं दिया कि किसी विशिष्ट अवधि में राज्य सहकारी बैंकों द्वारा दिये गये विशिष्ट ऋणों से परिवर्तन सुविधाओं को प्रत्यक्षतः संबद्ध किया जाए; किन्तु उन्हें रिजर्व बैंक से प्राप्त उधारों के अपेक्षित अंश को परिवर्तित करने की अनुमति दी गयी चाहे किसी भी तारीख को वित्त उपलब्ध किया गया हो। रिजर्व बैंक ऐसे योग्य मामलों में जहां रिजर्व बैंक से प्राप्त ऋणों की अवधि समाप्त होने के पहले औपचारिकताएं पूरी नहीं की जा सकी, अल्पावधि उधारों की चुकौती की अवधि को तीन महीने तक बढ़ाने के संबंध में भी विचार करता रहा। देश के कई भागों में व्यापक रूप से सूखा पड़ने के कारण यह आवश्यक हो गया कि अल्पावधि ऋणों को मध्यावधि ऋणों में परिवर्तित किया जाए; इस कारण रिजर्व बैंक को ऋण परिवर्तन की जो मंजूरी देनी पड़ी वह अभूतपूर्व थी। इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि में इस वर्ष के लाभ में से 40 करोड़ रुपयों तक का विनियोजन कर और निधी की कुल राशि को 85 करोड़ रुपयों तक बढ़ाकर उक्त निधि को मजबूत बनाना पड़ा।

शेयर पूंजी ऋण

224. चालू वर्ष के दौरान दीर्घकालीन क्रिया निधि से राज्य सरकारों को सहकारी ऋण संस्थाओं विशेषकर उन संस्थाओं जिन्हें पुनर्गठन कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है, की शेयर पूंजी में अंशदान करने के लिए उदारतापूर्वक ऋण प्रदान करने की नीति जारी रही। 1972-73 के वित्तीय वर्ष के दौरान 7 शिखर बैंकों, 100 केन्द्रीय सहकारी बैंकों, 5571 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, 5 केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों, 113 प्राथमिक भूमि विकास बैंकों और 34 प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों की शेयर पूंजी में अंशदान करने के लिए राज्य सरकारों को दीर्घकालीन क्रिया निधि से कुल 16.29 करोड़ रुपयों के ऋण प्रदान किये गये। इन ऋणों से संबंधित शर्तों में इस वर्ष संशोधन किया गया ताकि राज्य सरकारों के पास ऋण लेने की तारीख से तीन महीनों से अधिक अवधि तक जो राशि बिना वितरित हुए पड़ी रहती है उसे रिजर्व बैंक इस संबंध में उचित सूचना देने के बाद उन सरकारों के लेखों में नामे डालकर वसूल करने का अधिकार प्राप्त कर सकें।

दीर्घावधि वित्त

225. रिजर्व बैंक ने भूमि विकास बैंकों के डिबेंचर कार्यक्रम के लिए पर्याप्त सांस्थानिक सहायता प्रदान की। 1972-73 के वित्तीय वर्ष के 126 करोड़ रुपयों के परिशोधित डिबेंचर कार्यक्रम के स्थान पर भूमि विकास बैंकों ने वास्तव में 96.48 करोड़ रुपयों के डिबेंचर जारी किये जिनमें से 67 करोड़ रुपयों का अभिदान केन्द्रीय और राज्य सरकारों के अभिकरणों, भारतीय जीवन बीमा निगम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अन्य वाणिज्य बैंकों और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसी संस्थाओं ने किया। शेष 29.48 करोड़ रुपयों की राशि पारस्परिक सहायता से प्राप्त हुई। लक्ष्य की प्राप्ति में 29.52 करोड़ रुपयों

की जो कमी हुई वह मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की परियोजनाओं के अधीन कतिपय राज्यों में, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मैसूर, गुजरात और महाराष्ट्र, में दिये गये ऋणों के कारण हुई।

226 रिजर्व बैंक ने प्रमुख निवेशकों और केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों के प्रतिनिधियों की एक बैठक फरवरी 1973 में आयोजित की; उक्त बैठक में 1973-74 के वित्तीय वर्ष के लिए 156 करोड़ रुपयों के ऋण कार्यक्रम के मुकाबले में 131 करोड़ रुपयों के डिबेंचर कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया। पारस्परिक सहायता कार्यक्रम से 117 करोड़ रुपये प्राप्त किये जायेंगे और यह आशा की गयी कि शेष 14 करोड़ रुपये वे अपनी ओर से जुटाएंगे। संस्थानिक सहायता को प्राथमिक समितियों/केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों की शाखाओं के अतिदेय ऋणों से संबद्ध करने की प्रणाली का उल्लेख पिछली रिपोर्ट में किया गया था, उक्त प्रणाली इस वर्ष भी जारी रही।

227. राज्य भूमि विकास बैंकों के लिए 1972-73 के वित्तीय वर्ष में 7 करोड़ रुपयों के ग्रामीण डिबेंचरों का कोटा निश्चित किया गया। अप्रैल 1972 और मार्च 1973 के बीच 11 बैंकों को कुल 292.92 लाख रुपयों के ग्रामीण डिबेंचरों की शृंखलाएं जारी करने की अनुमति दी गयी। जो भूमि विकास बैंक ग्रामीण डिबेंचरों के अपने कोटे को प्राप्त करने में असफल रहे, उनके 1972-73 के सामान्य डिबेंचर कार्यक्रम के लिए दी जानेवाली सहायता में व्यक्तियों से प्राप्त अंशदानों में हुई कमी के 10 गुने तक कमी की गयी।

228 रिजर्व बैंक ने केवल ऐसे ऋणों को प्रोत्साहित किया जो सरलतापूर्वक निर्धारणीय उत्पादक उद्देश्यों के लिए दिये जाते हैं और पहले लगायी गयी निम्नलिखित शर्तों पर इस वर्ष भी जोर दिया गया। भूमि विकास बैंकों द्वारा प्रदान किये जानेवाले ऋणों का 90 प्रतिशत उत्पादक उद्देश्यों के लिए प्राप्त हो और उसमें से 70 प्रतिशत ऋण सरलतापूर्वक निर्धारणीय उत्पादक उद्देश्यों के लिए उपलब्ध हों। भूमि विकास बैंकों को यह अनुमति दी गयी कि वे नीचे दिये हुए उद्देश्यों को निर्धारिणी उत्पादक उद्देश्यों के अन्तर्गत शामिल कर ले बशर्ते कि संबंधित योजनाएं तकनीकी योग्यताप्राप्त एजेंसियों द्वारा बनायी और अमल में लायी गई हों :

(i) भूमि को समतल बनाना, उस पर मेड़ बनाना और उसका उद्धार करना।

(ii) भूमि संरक्षण या खेतों को सीढ़ीदार बनाना।

(iii) बाढ़ को रोकने के लिए जल विकास नालियों का निर्माण करना या भूक्षरण को रोकने के लिए भूमि पर मेड़ बनाना।

(iv) फलोद्यानों के लिये भूमि को तैयार करना।

229. दीर्घकालीन वित्तपोषण के क्षेत्र में इस वर्ष किये गये महत्वपूर्ण नीति संबंधी परिवर्तन निम्न प्रकार थे :

(i) भूमि विकास बैंकों को पहले की तरह 10 और 15 वर्षीय डिबेंचर शृंखलाओं के अलावा 12 वर्षीय डिबेंचर जारी करने की भी अनुमति दी गयी। 10 वर्षीय डिबेंचरों की अपेक्षा 12 वर्षीय डिबेंचरों की ब्याज-दर थोड़ी सी अधिक है, किन्तु 15 वर्षीय डिबेंचरों के निर्गम मूल्य में थोड़ी सी कमी की गयी। अन्य शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

(ii) भूमि विकास बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे

(क) भूमि के विकास कार्य के बाद होने वाली आय के आठ गुने तक भूमि का मूल्यांकन करें और विकास कार्य से लाभान्वित होने वाली भूमि से अधिक मात्रा में जो शुद्ध आय प्राप्त होती है उसके 75 से 90 प्रतिशत तक उधारकर्ताओं के ऋण के कुल आकार के आधार पर उनकी ऋण चुकाने की क्षमता निर्धारित करें ;

(ख) ट्रैक्टरों, फसल काटने की मशीनों आदि की खरीद के लिये दिये जाने वाले ऋणों के नकदी भुगतान की मात्रा को निवेश की लागत के 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दें,

(ग) जनजातियों से प्राप्त ऐसे ऋण आवेदनपत्रों पर विचार करें जिनमें ऋण का कुछ अंश पिछले कर्जों को चुकाने और जमानत के रूप में दी जानेवाली भूमि को बंधक से छुड़ाने के उद्देश्य के लिये मांगा गया हो।

(घ) उधारकर्ताओं से सहकारी चीनी कारखानों के शेयर खरीदने के लिये प्राप्त ऋण आवेदन पत्रों पर ऐसे संदर्भों में ऋण चुकाने की उनकी क्षमता के अनुसार विचार करें जहां कुआं खोदने, पम्प सेट खरीदने या भूमि को बंधक से छुड़ाने आदि उद्देश्यों के लिये ऋण मांगा गया हो ; और

(ङ) यह सुनिश्चित करें कि 1973-74 में प्रदान किये जाने वाले अग्रिमों का कम से कम 20 प्रतिशत छोटे कृषकों के लिये हो।

230. रिजर्व बैंक ने सहकारी भूमि विकास बैंकों के संबंध में एक समिति का गठन किया है जो भूमि विकास बैंकों की कार्यप्रणाली के सभी पहलुओं का अध्ययन करेगी और उन बैंकों में पायी जानेवाली कमियों को यथाशीघ्र दूर करने के लिये आवश्यक सुधार के समुचित उपाय सुझायेगी।

सहकारी बैंककारी विनियमन

231. इस वर्ष के दौरान एक राज्य सहकारी बैंक और 5 प्राथमिक सहकारी बैंकों को बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 22 के अधीन भारत में बैंक व्यवसाय शुरू करने के लिये लाइसेंस दिये गये ; इनसे लाइसेंसीकृत सहकारी बैंकों की कुल संख्या बढ़कर 44 हो गयी। सहकारी बैंकों के कार्यालयों की संख्या 30 जून 1972 को 5562 थी और उक्त संख्या बढ़कर 31 मार्च 1973 को 5841 हो गई (राज्य सहकारी बैंकों के 208, केन्द्रीय सहकारी बैंकों के 4516 और प्राथमिक सहकारी बैंकों के 1117 कार्यालय हैं)। 1 जुलाई 1972 से 30 जून 1973 तक की अवधि के दौरान राज्य और प्राथमिक सहकारी बैंकों को 73 नये कार्यालय खोलने के लिए लाइसेंस दिये गये जबकि पिछले वर्ष 74 लाइसेंस दिए गये थे।

232. 30 जून 1973 को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के कार्यक्षेत्र के अधीन आने वाले सहकारी बैंकों की संख्या 1383 (28 राज्य सहकारी बैंक, 367 केन्द्रीय सहकारी बैंक और 988 प्राथमिक सहकारी बैंक) थी जबकि इस वर्ष के प्रारंभ में ऐसे सहकारी बैंकों की संख्या 1336 थी। इस वर्ष के दौरान बैंकों की संख्या में हुई इस वृद्धि का प्रमुख कारण यह था कि प्राथमिक सहकारी बैंकों की सूची में कतिपय कृष्येतर ऋण समितियों को भी शामिल कर लिया गया है।

233. 7 केन्द्रीय सहकारी बैंकों ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11(1) के उपबंधों का पालन नहीं किया और 5 केन्द्रीय सहकारी बैंकों के संबंध में या तो समामेलन/परिसमापन की प्रक्रिया चल रही थी या उनके लिए अधिस्थगन आदेश दिये गये थे। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11 (1) के उपबंधों से जिन 11 प्राथमिक सहकारी बैंकों को छूट दी गयी थी उनमें से 4 बैंकों ने बाद में निर्धारित शर्तों का पालन कर दिया और 4 बैंकों के संबंध में परिसमापन का प्रस्ताव किया गया है। इस वर्ष के दौरान और छः बैंकों ने संबंधित उपबंधों का पालन नहीं किया। रिजर्व

बैंक ने भारत सरकार को यह सिफारिश की है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 11 के उपबंधों से 28 फरवरी, 1974 तक 9 बैंकों को छूट दी जाए। इनमें उन 3 बैंकों के आवेदन भी शामिल हैं जिन्हें 28 फरवरी, 1973 तक छूट दी गयी थी। रिजर्व बैंक इन बैंकों की वित्तीय स्थिति और कार्य पर कड़ी निगरानी रखता आ रहा है।

234. इस वर्ष के दौरान 12 राज्य सहकारी बैंकों, 218 केन्द्रीय सहकारी बैंकों, 10 राज्य/केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों और 2 शिखर बुनकर समितियों के निरीक्षण से संबंधित 242 रिपोर्टें जारी की गयीं। इस वर्ष के दौरान जिन 471 प्राथमिक सहकारी बैंकों का निरीक्षण किया गया उनमें से 97 बैंकों का निरीक्षण बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 35(1) के अधीन रिजर्व बैंक की ओर से राज्य सहकारी बैंकों के अधिकारियों द्वारा किया गया। इस वर्ष 433 प्राथमिक सहकारी बैंकों की निरीक्षण रिपोर्टें जारी की गयीं। केन्द्रीय कृषि ऋण विभाग के अधिकारियों द्वारा अहमदाबाद, मद्रास, गौहाटी, चंडीगढ़, पटना, कलकत्ता और भुवनेश्वर के क्षेत्रीय कार्यालयों में 7 निरीक्षण विचारगोष्ठियां आयोजित की गयीं। उक्त गोष्ठियों का उद्देश्य यह था कि निरीक्षण अधिकारी अपनी निरीक्षण रिपोर्ट को अधिकाधिक उपयोगी बना सकें और बैंकों के हित के लिए कार्य-प्रधान योजनाएं बनाने में सुविधा हो।

235. जमा बीमा निगम द्वारा जून 1973 के अंत तक आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, और महाराष्ट्र राज्यों और गोवा, दमन और दीव के संघ शासित क्षेत्रों के 404 सहकारी बैंकों को पंजीकृत किया गया जबकि इस प्रकार पंजीकृत सहकारी बैंकों की संख्या वर्ष के आरंभ में 391 थी। जम्मू और कश्मीर राज्य और दिल्ली के संघशासित क्षेत्र ने अधिक्रमण, समापन, समामेलन, पुनर्गठन, आदि के संबंध में रिजर्व बैंक को शक्तियां प्रदान करते हुए अपने-अपने सहकारी समिति अधिनियमों में आवश्यक संशोधन पारित कर दिये हैं और उपर्युक्त राज्य और संघशासित क्षेत्र में शीघ्र ही जमा बीमा योजना लागू किये जाने की आशा है। रिजर्व बैंक शेष राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्रों के साथ इस संबंध में उपयुक्त वैधानिक उपाय करने के लिए विचार-विमर्श करता रहा ताकि उनके कार्य क्षेत्र में स्थित सहकारी बैंकों पर भी यह योजना लागू की जा सके।

कृषि पुनर्वित्त निगम

236. कृषि पुनर्वित्त निगम ने 30 जून 1973 को अपने कार्यकाल के 10 वर्ष समाप्त किये। निगम ने जुलाई 1972-जून 1973 के वर्ष में 94 करोड़ रुपयों की राशि वितरित की। इस राशि में चार राज्यों की भूमि विकास बैंकों को अपने सामान्य ऋण कार्यक्रमों से अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के ऋण कार्यक्रम/परियोजनाओं में अंतरित होने के लिए प्रदान किये गये 29 करोड़ रुपये भी शामिल थे। पिछले वर्ष वितरित की गयी राशि 35 करोड़ रुपये थी। निगम ने अपनी स्थापना से लेकर अब तक कुल 219 करोड़ रुपये वितरित किये हैं।

237. निगम ने अधिकांश पुनर्वित्त लघु सिंचाई (77 प्रतिशत) और भूमि विकास (12 प्रतिशत) के लिए प्रदान किया (सारणी 25)। इस वर्ष के दौरान ऋणों के उद्देश्यों में विविधता लाने के लिए प्रयत्न किये गये। 1972-73 के दौरान मंजूर की गयी 230 योजनाओं में से लगभग 101 योजनाएं लघु सिंचाई को छोड़कर अन्य उद्देश्यों अर्थात् भूमि विकास, भूमि संरक्षण, खेतों के समीनीकरण, बागान और बागवानी, मुर्गीपालन, मत्स्य उद्योग, डेरी और ऐसे अन्य उद्देश्यों से संबंधित थी।

238. 1972-73 के दौरान निगम ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु में किये जाने वाले अपने कार्यों के स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि की। अब तक जिन राज्यों ने निगम की पुनर्वित्त सुविधाओं का लाभ उठाया है, वे दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों के हैं और निगम द्वारा प्रदान की गयी पुनर्वित्त सुविधाओं में उन राज्यों को प्राप्त अंश क्रमशः 32 प्रतिशत, 25 प्रतिशत और 26 प्रतिशत था (सारणी 26)। दूसरे क्षेत्रों को प्राप्त सहायता अपेक्षाकृत कम थी। क्योंकि वहां आवश्यक मूल वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं थीं। विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त ऋण की मात्रा कम थी और मूलभूत तकनीकी आंकड़े अपर्याप्त थे। परन्तु जहां उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को कुछ वर्ष पहले तक कम ऋण ही उपलब्ध होते थे वहां वे राज्य फिलहाल अपने यहां उपलब्ध सुविधाओं को बढ़ा सके हैं और अधिक मात्रा में पुनर्वित्त सुविधाओं का लाभ उठा सके हैं। निगम यह आशा करता है कि निकट भविष्य में उड़ीसा को अधिक सहायता प्रदान की जा सकेगी। शेष पूर्वी और पूर्वोत्तरी क्षेत्रों में जो विकास प्रयत्न किये जा रहे हैं उनका कुछ समय बाद अच्छा परिणाम निकल आने की आशा है।

239. भूमि विकास बैंक पहले की तरह अब भी प्रमुख एजेन्सी के रूप में कार्य करते हैं और उनके माध्यम से निगम की सहायता वितरित की गयी। 1972-73 में कुल 94 करोड़ रुपयों की जो राशि वितरित की गयी उसमें से भूमि विकास बैंकों के माध्यम से वितरित की गयी राशी 86 करोड़ रुपये थी। उक्त राशि में अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के कार्यक्रमों के लिए अंतरित किये गये 29 करोड़ रुपये भी शामिल हैं (सारणी 27)। परन्तु राज्य सहकारी बैंकों और वाणिज्य बैंकों के माध्यम से दी जाने वाली सहायता में क्रमशः वृद्धि हो रही है। आशा की जाती है कि कृषि के वित्तपोषण के लिए वाणिज्य बैंकों के संगठन को मजबूत बनाये जाने और भौगोलिक विस्तार को बढ़ाने और कार्यकलापों में विविधता लाने के संदर्भ में निगम द्वारा अधिक जोर दिये जाने के फलस्वरूप वाणिज्य बैंकों को सहायता कार्यक्रम में अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होगा।

240. आलोच्य वर्ष में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लघु सिंचाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की क्रमशः 380 लाख डालर और 330 लाख डालर की सहायता से युक्त दो और ऋण परियोजनाओं और मैसूर राज्य में विपणन की गतिविधियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की 80 लाख डालर की सहायता युक्त एक परियोजना को अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ का अनुमोदन प्राप्त हुआ। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता के साथ कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा वित्तपोषण की जाने वाली परियोजनाओं की संख्या बढ़कर बारह हो गयी है। इनके अलावा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक उत्तर प्रदेश में एक परियोजना का वित्तपोषण कर रहा है। इन 12 परियोजनाओं के अधीन अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ से प्राप्त सहायता की कुल राशि 3,160 लाख डालर होगी।

241. निगम ने मई 1973 में 5 करोड़ रुपयों के शेयर निर्गम की तीसरी श्रृंखला के लिए अभिदान आमंत्रित किया। इस निर्गम में पूर्णरूप से अभिदान किया गया और 1 जुलाई 1973 से शेयरों का आवंटन किया गया। इस वर्ष के दौरान निगम ने भारत सरकार से 48 करोड़ रुपये उधार लिये। भारत सरकार से प्राप्त राशि का बकाया अंश 30 जून 1973 को 125 करोड़ रुपये था। निगम ने खुले बाजार में बांड जारी कर 11 करोड़ रुपयों की राशि एकत्र की और रिजर्व बैंक

सारणी 25 : उद्देश्य के अनुसार पुनर्वित्त का वितरण

(करोड़ रुपये)

उद्देश्य	1963 से 1968 तक	1968-69	1969-70	1970-71	1971-72	1972-73	जोड़
1. लघु सिंचाई	1.29	11.54	22.33	23.06	26.74	84.18*	169.14
	(10.20)	(64.69)	(78.08)	(75.31)	(76.44)	(89.42)	(77.29)
2. भूमि विकास और भूमि संरक्षण	10.12	3.76	3.32	4.37	2.37	2.30	26.24
	(80.00)	(21.08)	(11.61)	(14.27)	(6.77)	(2.44)	(11.99)
3. खेतों का मशीनीकरण	0.03	0.11	0.16	0.11	0.36	2.18	2.95
	(0.24)	(0.62)	(0.56)	(0.36)	(1.03)	(2.32)	(1.35)
4. बागान और बागबानी	1.01	1.06	1.50	1.99	2.05	1.49	9.10
	(7.98)	(5.94)	(5.24)	(6.50)	(5.86)	(1.58)	(4.16)
5. मुर्गी पालन	—	0.01	0.06	—	—	0.15	0.22
	(—)	(0.06)	(0.21)	(—)	(—)	(0.16)	(0.10)
6. मत्स्य उद्योग	0.20	0.36	0.36	0.37	0.59	0.12	82.00
	(1.58)	(2.02)	(1.26)	(1.21)	(1.69)	(0.13)	(0.91)
7. डेरी	—	—	—	—	0.39	0.26	0.65
	(—)	(—)	(—)	(—)	(1.11)	(0.38)	(0.30)
8. भंडार सुविधाएं और बाजार क्षेत्र	—	1.00	0.87	0.72	2.48	3.46	8.53
	(—)	(5.60)	(3.04)	(2.35)	(7.09)	(3.68)	(3.90)
जोड़	**12.65**	**17.84**	**28.60**	**30.62**	**34.98**	**94.13**	**218.83**
	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आकड़े जोड़ में प्रतिशत को दर्शाते हैं।

*इसमें सामान्य डिबेंचर कार्यक्रम से अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की परियोजनाओं में अंतरित 29.42 करोड़ रुपये शामिल हैं ।

सारणी 26 : राज्यों के लिए पुनर्वित्त का वितरण

(करोड़ रुपये)

राज्य	1963 से 1968 तक	1968–69	1969–70	1970–71	1971–72	1972–73		जोड़
						अंतरण को छोड़कर	अंतरण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I उत्तरी क्षेत्र								
1. हरियाणा	0.59	2.44	2.63	3.62	3.26	7.59	2.61	22.74
	(4.66)	(13.68)	(9.20)	(11.82)	(9.32)	(11.73)		(10.39)
2. पंजाब	0.76	5.77	6 54	5.56	3.86	6.07	—	28.55
	(6.01)	(32.34)	(22.88)	(18.16)	(11.03)	(9.38)		(13.05)
3. राजस्थान	—	0.06	0.77	0.77	0.83	1.36	—	3.79
	(—)	(0.34)	(2.69)	(2.51)	(2.37)	(2.10)		(1.73)
4. जम्मू और कश्मीर	0.11	0.21	0.20	0.11	0.07	—	—	0.71
	(0.87)	(1.18)	(0.70)	(0.36)	(0.20)	(—)		(0.32)
5. दिल्ली	—	—	0.06	—	—	—	—	0.06
	(—)	(—)	(0.21)	(—)	(—)	(—)		(0.03)
	1.46	**8.48**	**10.20**	**10.06**	**8.02**	**15.02**	**2.61**	**55.85**
	(11.54)	(47.54)	(35.68)	(32.85)	(22.92)	(23.21)		(25.52)
II पूर्वोत्तरी क्षेत्र								
1 असम	**0.26**	**0.44**	**0.04**	—	**0.32**	—	—	**1.05**
	(2.06)	(2.47)	(0.14)	(—)	(0.91)	(—)		(0.48)
	0.26	**0.44**	**0.04**	—	**0.32**	—	—	**1.05**
	(2.06)	(2.47)	(0.14)	(—)	(0.91)	(—)		(0.48)
III पूर्वी क्षेत्र								
1. बिहार	—	0.18	0.61	1.13	0.67	1.54	—	4.14
	(—)	(1.01)	(2.13)	(3.69)	(1.92)	(2.38)		(1.89)
2. उड़ीसा	—	0.04	0.18	0.06	0.08	0.11	—	0.47
	(—)	(0.22)	(0.63)	(0.20)	(0.23)	(0.17)		(0.21)
3 पश्चिम बंगाल	—	0.02	0.01	0.10	0.05	0.04	—	0.21
	(—)	(0.11)	(0.03)	(0.33)	(0.14)	(0.06)		(0.10)
	—	**0.24**	**0.80**	**1.29**	**0.80**	**1.69**	—	**4.82**
	(—)	(1.34)	(2.79)	(4.22)	(2.29)	(2.61)		(2.20)
IV मध्यवर्ती क्षेत्र								
1. मध्य प्रदेश	—	0.31	0.49	0.91	1.87	3.19	—	6.78
	(—)	(1.74)	(1.71)	(2.97)	(5.35)	(4.93)		(3.10)
2 उत्तर प्रदेश	—	1.22	2.56	2.93	6.01	11.43	—	24.18
	(—)	(6.84)	(8.95)	(9.57)	(17.27)	(17.66)		(11.05)
	—	**1.53**	**3.05**	**3.84**	**7.91**	**14.62**	—	**30.96**
	(—)	(8.58)	(10.66)	(12.54)	(22.62)	(22.59)		(14.15)

सारणी 26 : (जारी)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
V पश्चिमी क्षेत्र								
1 गुजरात	0.14	1.93	1.31	1.90	2.62	8.08	19.87	35.85
	(1.11)	(10.82)	(4.58)	(6.21)	(7.49)	(12.48)		(16.38)
2. महाराष्ट्र	1.08	0.81	3.49	2.33	4.56	7.32	—	19.60
	(8.54)	(4.54)	(12.21)	(7.61)	(13.04)	(11.31)		(8.96)
	1.22	**2.74**	**4.80**	**4.23**	**7.18**	**15.40**	**19.87**	**55.45**
	(9.65)	(15.36)	(16.79)	(13.82)	(20.53)	(23.79)		(25.34)
VI दक्षिणी क्षेत्र								
1. आंध्र प्रदेश	6.37	1.72	6.07	3.42	2.85	3.87	4.60	28.90
	(50.36)	(9.64)	(21 23)	(11.17)	(8.15)	(5.98)		(13.21)
2. केरल	0.10	0.07	0.35	0.82	0.97	0.28	—	2.58
	(0.79)	(0.39)	(1.22)	(2.68)	(2.77)	(0.43)		(1.18)
3. मैसूर	1.25	1.36	1.66	2.74	3.25	4.05	—	14.32
	(9.88)	(7.62)	(5.81)	(8.95)	(9.29)	(6.26)		(6.54)
4. तमिल नाडु	1.99	1.26	1.62	4.22	3.68	9.79	2.34	24.90
	(15.73)	(7.06)	(5.67)	(13.78)	(10.52)	(15.13)		(11.38)
	9.71	**4 41**	**9.70**	**11.20**	**10.75**	**17.99**	**6.94**	**70.70**
	(76.76)	**(24.71)**	**(33.93)**	**(36.58)**	**(30.73)**	**(27.80)**		**(32.31)**
कुल जोड़	**12.65**	**17.84**	**28.60**	**30.62**	**34.98**	**64.72**	**29.42**	**218.83**
	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)		(100.00)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े जोड़ में प्रतिशत को दर्शाते है ।

सारणी 27 : एजेन्सी के अनुसार पुनर्बिल का वितरण

(करोड़ रुपये)

एजेन्सी	1963 से 1968 तक	1968–69	1969–70	1970–71	1971–72	1972–73	जोड़
भूमि विकास बैंक	11.90	15.95	26.75	26.65	28.39	86.14*	195.78
	(94.07)	(89.41)	(93.53)	(87.00)	(81.16)	(91.50)	(89.47)
(उसमें अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता का अंश)	—	—	—	—	(5.37)	(63.58)	(68.95)
राज्य सहकारी बैंक	0.20	1.36	1.29	1.19	3.33	3.51	10.88
	(1.58)	(7.62)	(4.51)	(3.92)	(9.52)	(3.73)	(4.97)
वाणिज्य बैंक	0.55	0.53	0.56	2.78	3.26	4.49	12.17
	(4.35)	(2.97)	(1.96)	-(9.08)	(9.32)	(4.77)	(5.56)
(उसमें अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की सहायता का अंश)	—	—	—	(1.11)	(0.8)	(0.4)	(1.23)
जोड़	**12.65**	**17.84**	**28.60**	**30.62**	**34.98**	**94.13**	**218.83**
	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)

टिप्पणी :—कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े जोड़ में प्रतिशत को दर्शाते हैं ।

*इसमें मामान्य डिवेंचर कार्यक्रम से अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की परियोजनाओं में अंतरित 29.42 करोड़ रुपये शामिल हैं ।

की दीर्घकालीन क्रिया निधि से 30 करोड़ रुपयों का ऋण लिया। इसके अलावा निगम ने रिजर्व बैंक से 3.70 करोड़ रुपयों का अस्थायी ऋण भी लिया। जून 1973 के अंत तक 219 करोड़ रुपयों का कुल वितरण किये गये। उनके लिए निम्न प्रकार वित्त उपलब्ध हुआ है: शेयर पूंजी—10 करोड़ रुपये, भारत सरकार से लिए गये ऋण—125 करोड़ रुपये, रिजर्व बैंक आफ इंडिया—38 करोड़ रुपये और बांड 39 करोड़ रुपये।

242. निगम ने 25 जून, 1973 से ऋण प्रदान करने के संदर्भ में अपनी ब्याज दर को वार्षिक 6.50 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया।

243. चौथी योजना की अवधि के दौरान यह आशा की गई कि निगम 300 करोड़ रुपयों का पुनर्वित्त प्रदान करेगा। निगम जून 1973 के अन्त तक 195 करोड़ रुपये अदा कर चुका है और मार्च 1974 के अन्त तक निगम योजना के लक्ष्य से भी आगे पहुंच जाने की आशा करता है। पांचवी योजना की अवधि के ऋण कार्यक्रम तैयार किये जा रहे हैं। हालांकि निगम लघु सिंचाई को अधिक महत्त्व देता रहेगा, फिर भी वह मुर्गी पालन, डेरी उद्योग, मत्स्य उद्योग और बागबानी जैसी अन्य योजनाओं पर भी विशेष ध्यान देगा। वित्तीय संस्थाओं को इस प्रकार की योजनाओं से अवगत कराने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से निगम अपने तकनीकी कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने का विचार कर रहा है।

244. निगम ने वन उद्योग, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और दुग्ध उत्पादन की योजनाएं तथा भूक्षरण-रोध और भूमि संरक्षण की योजनाएं बनाने के लिए राज्य सरकारों को भी आमंत्रित किया है। 1969-70 में निगम छोटे कृषक विकास एजेंसी और सीमान्त कृषक और कृषि श्रम एजेंसी द्वारा प्रवर्तित सक्षम योजनाओं को शत-प्रतिशत पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान करता आ रहा है। यह रियायत 30 जून 1973 को समाप्त होने वाली थी। अब उसे 30 जून 1975 तक बढ़ा दिया गया है।

245. कृषि संबंधी कार्यकलापों के लिए अधिकाधिक ऋण प्रदान करने, अपने कार्य क्षेत्र को व्यापक बनाने तथा और नये क्षेत्रों में प्रवेश करने की अपनी विकास भूमिका के अनुरूप अब निगम अपने संगठन स्वरूप के प्रति ध्यान दे रहा है जिससे शीघ्रतापूर्वक और आसानी से ऋण उपलब्ध कराया जा सके। अपेक्षाकृत कम विकसित राज्यों को सहायता देने के उद्देश्य से निगम रिजर्व बैंक के सहयोग से अपने कर्मचारी वर्ग के प्रशिक्षण की व्यवस्थाओं को व्यापक बनाने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है। निगम ने पूर्वी और पूर्वोत्तरी राज्यों/संघशासित क्षेत्रों की सुविधा के लिए कलकत्ता में तकनीकी परामर्श यूनिट (लखनऊ में स्थित यूनिट के अलावा) खोलने का भी निश्चय किया है।

IV. औद्योगिक वित्त की गतिविधियां

246. मियादी ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं द्वारा हाल ही के वर्षों में प्रदान की गयी वित्तीय सहायता में वृद्धि की प्रवृत्ति पायी गयी है। 1967-68 और 1968-69 के मंदी के वर्षों के बाद मंजूरियों और वितरणों दोनों में सामान्यतः वृद्धि हुई है (सारणी 28)। 1972-73 के राजकोषीय वर्ष के दौरान किये गये वितरणों में वृद्धि होती रही और उक्त वितरणों की राशि इस वर्ष 200.6 करोड़ रुपये थी जो 1971-72 (अप्रैल-मार्च) के 184.5 करोड़ रुपये से अधिक थी। मंजूर की गई सहायता की राशि 1971-72 के 304.6 करोड़ रुपयों के मुकाबले में अधिक अर्थात 309.3 करोड़ रुपये थी।

सारणी 28 : मियादी ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं* द्वारा मंजूर और वितरित की गयी वित्तीय सहायता की प्रवृत्तियां

(करोड़ रुपये)

वर्ष (अप्रैल-मार्च)	कुल सहायता@	
	मंजूरियां	वितरण
1965-66	169.3	105.8
1966-67	122.0(—27.9)	125.6(+18.7)
1967-68	87.1(—28.6)	105.0(—16.4)
1968-69	132.3(+51.9)	85.8(—18.3)
1969-70	153.8(+16.3)	116.3(+35.5)
1970-71	225.7(+46.7)	146.7(+26.1)
1971-72	304.6(+34.9)	184.5(+25.8)
1972-73£	309.3(+ 1.5)	200.6(+ 8.7)

परंतु लेखा वर्ष† सभी वित्तीय संस्थाओं के लिए एक जैसा नहीं है। 1972-73 के संबंधित लेखा वर्षों के आंकड़ों पर विचार करने पर मियादी ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं द्वारा 331 करोड़ रुपये की जो कुल वित्तीय सहायता मंजूर की गयी उसमें पिछले वर्ष के 321 करोड़ रुपये के स्तर की तुलना में 3 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई। 1972-73 के दौरान वितरित की गयी सहायता की राशि 214 करोड़ रुपये थी जबकि उक्त राशि पिछले वर्ष 178 करोड़ रुपये थी अर्थात् उसमें इस वर्ष लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आलोच्य वर्ष के दौरान मियादी ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं के कार्यकलापों का उद्योग के निजी क्षेत्र में किये जाने वाले वास्तविक निवेश की मात्रा पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा है।

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े पिछले वर्षों की तुलना में घट-बढ़ के प्रतिशत को दर्शाते हैं।

*इनमें भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम, राज्य वित्तीय निगम और राज्य औद्योगिक विकास निगम/राज्य औद्योगिक निवेश निगम शामिल हैं।

@कुल सहायता में निम्नलिखित शामिल हैं: (1) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के संदर्भ में सभी प्रकार की सहायताएं जिनमें औद्योगिक ऋणों और निर्यात ऋणों का पुनर्वित्त तथा हुंडियों का पुनर्भांजन शामिल है; गारंटियां और 'वित्तीय संस्थाओं के शेयरों और बांडों में किया गया अभिदान' शामिल नहीं हैं (राज्य वित्तीय निगमों के औद्योगिक ऋणों का पुनर्वित्त दुहरे संगणन से बचने के लिए शामिल नहीं किया गया है), और (2) अन्य संस्थाओं के संदर्भ में गारंटियों को छोड़कर सभी प्रकार की सहायताएं शामिल हैं।

£अनंतिम।

†भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का लेखा वर्ष जुलाई-जून है और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम तथा राज्य वित्तीय निगमों का लेखा वर्ष क्रमशः जनवरी-दिसंबर तथा अप्रैल-मार्च है।

247. वित्तीय संस्थाओं द्वारा इस वर्ष (अप्रैल-मार्च) के दौरान की गयी मंजूरियों में जो वृद्धि हुई उसका प्रमुख कारण यह था कि मियादी ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं द्वारा दिये गये विदेशी मुद्रा ऋणों में वृद्धि हुई। शेयरों और डिबेंचरों की हामीदारी और उनमें किये जाने वाले प्रत्यक्ष अभिदानों की राशि में कमी हुई। इसके विपरीत भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम तथा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा दिये जाने वाले विदेशी मुद्रा ऋणो की मंजूरियो और वितरणों में काफी वृद्धि पायी गयी। राज्य वित्तीय निगमों द्वारा प्रदान की गयी सहायता की राशि में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई (सारणी 29)। इस सहायता का अधिकांश भाग उद्योग के लघु क्षेत्र और छोटे सड़क परिवहन चालकों को प्राप्त हुआ है। जहां तक लघु उद्योगों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता का संबंध है, इस क्षेत्र को दिये गये ऋण की राशि में 1972–73 (अप्रैल-मार्च) के दौरान 60 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई अर्थात् उक्त राशि बढ़कर 625 करोड़ रुपये हो गयी।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के विकासपरक कार्यकलाप और नीतियां

248. 1972–73 (जुलाई-जून) के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अपनी सीमा को बढ़ाने तथा अपने कार्यकलापों के क्षेत्र को व्यापक बनाने की नीति का जोरों से पालन करता रहा। इस संदर्भ में किया गया मुख्य कार्य सक्षम औद्योगिक परियोजनाओं, विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों में स्थित ऐसी परियोजनाओं का सक्रिय रूप से प्रवर्तन करने से संबंधित था। 1970 में प्रारंभ किये गये औद्योगिक संभाव्यता सर्वेक्षण कार्य अंडमान और निकोबार को छोड़कर सभी राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में पूरे किये गये हैं। अध्ययन दल द्वारा किये गये 16 औद्योगिक संभाव्यता सर्वेक्षणों में से असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, जम्मू और काश्मीर, नागालैंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, मणिपुर और उड़ीसा से संबंधित 12 रिपोर्टें प्रकाशित की गयी। आंध्र

सारणी 29 : 1971-72 और 1972-73 (अप्रैल-मार्च) के दौरान मियादी ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं द्वारा मंजूर और वितरित की गयी सहायता

(करोड़ रुपयों में)

	मंजूर की गयी सहायता									
					हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान					
	रुपया ऋण		विदेशी मुद्रा ऋण		सामान्य और अधिमाम शेयर		डिबेंचर		जोड़	
	1972-73	1971-72	1972-73	1971-72	1972-73	1971-72	1972-73	1971-72	1972-73	1971-72
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	87.7क	128.6क	—	—	3.5	13.3	2.8	—	94.0	141.9
	(27.9)	(22.0)							(27.9)	(22.0)
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम(ग)	38.2	23 7	5.2	2.8	3.1	2.2	1.0	—	47.5	28.7
भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम	13.4	12.0	29.1	22.5	3.7	3.7	3.3	1.5	49.5	39.7
भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम(ग)	6.1	6.6	—	—	—	—	—	—	6.1	6.6
राज्य वित्तीय निगम(ग)	77.8	63.1	—	—	0.9	0.7	—	—	78.7	64.1
राज्य औद्योगिक विकास निगम(ग)	24 6	16.4	—	—	8.8	7.1	0.1	0.1	33.5	23.6
	247.8	250.7	34.3	25.3	20.0	27 0	7.2	1.6	309.3	304.6
	(27.9)	(22.0)							(27.9)	(22.0)
भारतीय यूनिट ट्रस्ट(घ)	—	—	—	—	3 2	3.2	7.0	11.8	10.2	15.0
जीवन बीमा निगम(ङ)		14.1	—	—		4.7		4.3		23.1

सारणी 29 : 1971-72 और 1972-73 (अप्रैल-मार्च) के दौरान मियादी ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं द्वारा मंजूर और वितरित की गयी सहायता (जारी)

(करोड़ रुपयों में)

	वितरित की गयी सहायता									
					हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान					
	रुपया ऋण		विदेशी मुद्रा ऋण		सामान्य और अधिमान शेयर		डिबेंचर		जोड़	
	1972-73	1971-72	1972-73	1971-72	1972-73	1971-72	1972-73	1971-72	1972-73	1971-72
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	62.4क (19.1)	77.4क (17.4)	—	—	3.5	1.0	0.8	0.4	66.7 (19.1)	78.8 (17.4)
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम(ग)	21.8ख	16.1ख	4.1	3.4	1.6	0.8	0.8	—	28.3	20.3
भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम	7.9	8.0	28.0	20.5	2.5	1.6	1.3	0.2	39.7	30.3
भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम(ग)	4.2	1.6	—	—	—	—	—	—	4.2	1.6
राज्य वित्तीय निगमग(ग)	44.1ख	39.0	—	—	0.6	0.6	—	—	44.7	39.6
राज्य औद्योगिक विकास निगम(ग)	13.2	10.7	—	—	4.5	3.6	0.03	0.03	17.7	14.4
	153.6 (19.1)	152.8 (17.4)	32.1	23.9	12.7	7.6	2.9	0.6	201.3 (19.1)	185.0 (17.4)
भारतीय यूनिट ट्रस्ट(घ)	—	—	—	—	1.6	1.0	4.0	0.6	5.6	1.6
जीवन बीमा निगम(ङ)		0.9		—		2.5		1.9		5.3

टिप्पणी : आंकड़े अनन्तिम हैं ।

(क) इसमें प्रत्यक्ष ऋण, बैंकों को प्रदान किया गया पुनर्वित्त और पुनर्भाजन शामिल हैं; राज्य वित्तीय निगमों को प्रदान किये गये पुनर्वित्त को कोष्ठकों में अलग रूप से दर्शाया गया है और उसे इसमें दुहरे संगणन से बचने के लिए शामिल नहीं किया गया है क्योंकि राज्य वित्तीय निगमों के ऋणों में इसे जोड़ दिया गया है ।

(ख) गारंटियों के कारण किये गये वितरण शामिल हैं ।

(ग) आंकड़े अनन्तिम हैं ।

(घ) 1972-73 के आंकड़े संशोधित हैं ।

(ङ) 1972-73 के आंकड़े अनुपलब्ध हैं ।

प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, लक्कादीव और अमीनदीव और पांडिचेरी के सर्वेक्षण तैयार किये जा रहे हैं । इन सर्वेक्षणों से जो परियोजनागत संकल्पनाएं उभरीं उनके संबंध में संबंधित राज्य संस्थाओं और सरकारों के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है । मियादी ऋण प्रदान करने वाली अन्य संस्थाओं की सहायता से भा० औ० वि० बैंक असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, त्रिपुरा, और मेघालय से संबंधित अध्ययन दलों द्वारा पता लगाई गयी 14 परियोजनागत संकल्पनाओं के औचित्य संबंधी अध्ययनों के लिए व्यवस्थाएं कर चुका है ।

249. अखिल भारतीय और राज्य स्तरीय विभिन्न संस्थाओं के लिए भा० औ० वि० बैंक समन्वयनकर्त्ता की भूमिका अदा करता रहा और उसने औद्योगिक परियोजनाओं से संबंधित मामलों पर किसी सर्व-सम्मत निर्णय पर पहुंचने के निमित्त 12 राज्यों में अंतर संस्थानिक दल गठित किये । इसके अलावा मियादी ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं और भारत सरकार के बीच संपर्क के माध्यमों को 1972 में रिजर्व बैंक आफ इंडिया के गवर्नर की अध्यक्षता में केन्द्रीय समन्वयन समिति का गठन कर मजबूत बना दिया गया है । उक्त समिति में सरकारी वित्तीय संस्थाओं के प्रधान और भारत सरकार के वित्त, उद्योग, कंपनी कार्य मंत्रालयों और योजना आयोग के सचिव हैं और वह समिति औद्योगिक विकास और वित्त से संबंधित महत्वपूर्ण नीति-विषयों पर विचारों का आदान-प्रदान करती है ।

तकनीकी परामर्श योजना

250. 1972-73 के दौरान भा० औ० वि० बैंक ने पूर्वोत्तरी क्षेत्र में स्थित राज्यों/संघशासित क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के उद्देश्य से 28 मई 1973 को गौहाटी में पूर्वोत्तर औद्योगिक और तकनीकी परामर्श संगठन लिमिटेड नामक एक क्षेत्रीय संगठन का गठन करने में भी पहल की । केरल औद्योगिक और तकनीकी परामर्श संगठन की तरह पूर्वोत्तर औद्योगिक और तकनीकी परामर्श संगठन भी तकनीकी परामर्श सेवा केन्द्र के रूप में कार्य करेगा और उसके कार्य निम्न प्रकार होंगे : (i) सर्वेक्षण करना, (ii) परियोजना संबंधी पुस्तिकाएं और संभाव्यता रिपोर्टें तैयार करना, (iii) संभाव्य उद्यमकर्त्ताओं का पता लगाना, (iv) तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन, विपणन संबंधी अनुसंधान, परियोजना का पर्यवेक्षण, आदि करना ।

251. पिछली रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि परियोजनाएं बनाने, उनका मूल्यांकन और पर्यवेक्षण करने से संबंधित कार्य में सुविधा पहुंचाने की दृष्टि से फरवरी 1972 में केरल औद्योगिक और तकनीकी परामर्श संगठन स्थापित किया गया। जून 1973 में समाप्त हुए सोलह महीनों की अवधि के दौरान केरल औद्योगिक और तकनीकी परामर्श संगठन को भारी संख्या में लघु और मझोले उद्योगों से संबंधित लगभग 374 आवेदनपत्र प्राप्त हुए । इनमें से 329 आवेदनपत्र प्राप्त कुल आवेदनपत्रों के लगभग 90 प्रतिशत थे और वे उद्यमकर्त्ताओं से प्राप्त हुए और शेष आवेदनपत्र राज्य वित्तीय निगमों और बैंकों जैसी वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त हुए । अब तक उद्यमकर्त्ताओं से प्राप्त 34.1 करोड़ रुपये के निवेशयुक्त 86 मामले (ठोस परियोजना संकल्पनाओं का रूप ले चुके हैं; परियोजना रिपोर्टें तैयार करने के लिए उनपर कार्यवाही की जा रही है । इनमें से 14 योजनाओं के संबंध में 3.6 करोड़ रुपयों के निवेश प्रस्तावयुक्त परियोजनाएं पार्टियों को दी गयी हैं और शेष 66 योजनाओं के संबंध में कार्य जारी है। छः परियोजना संकल्पनाएं उद्यमकर्त्ताओं द्वारा रद्द कर दी गयी हैं ।

252. यह उल्लेखनीय बात है कि केरल औद्योगिक और तकनीकी परामर्श संगठन ने कोचिन विश्वविद्यालय के प्रबंध प्रशिक्षण केन्द्र के साथ मिलकर औद्योगिक परियोजनाएं तैयार करने और उन्हें कार्यान्वित करने में उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने के लिए 5 महीनों की अवधि के एक उद्यम विकास कार्यक्रम का प्रवर्तन किया है । इस पाठ्यक्रम में 27 उम्मीदवारों ने भाग लिया ।

253. देश के अपेक्षाकृत अधिक पिछड़े क्षेत्रों में उद्यमकर्त्ताओं को कार्य करने के लिए भारी मात्रा में प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से जनवरी 1973 में भा० औ० वि० बैंक ने यह निश्चय किया कि निर्दिष्ट पिछड़े जिलों में उभरती हुई 3 करोड़ रुपयों तक की पूंजीगत लागतवाली नयी परियोजनाओं और 3 करोड़ रुपयों तक के ही कुल निवेशयुक्त (अर्थात वर्तमान यूनिट की वास्तविक अचल आस्तियों और वास्तविक कार्यकारी पूंजी तथा विस्तार परियोजना की लागत को मिलाकर) विस्तार परियोजनाओं के लिए रियायती दरों पर प्रत्यक्ष सहायता दी जाए। इसके पहले उक्त सीमाएं क्रमशः 1 करोड़ रुपये और 50 लाख रुपये थीं । इस योजना को जून 1973 में और उदार बना दिया गया है । संशोधित योजना के अंतर्गत सीधावी ऋण प्रदान करने वाली अन्य संस्थाओं (अर्थात भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम) के सहयोग से भा० औ० वि० बैंक निर्दिष्ट पिछड़े जिलों में परियोजनाएं स्थापित करनेवाली नयी संस्थाओं को 2 करोड़ रुपये तक की रियायती रुपया ऋण सहायता और 1 करोड़ रुपये तक की हामीदारी की व्यवस्था करेगा, चाहे परियोजना की लागत कुछ भी क्यों न हो । उपर्युक्त सीमाओं से अधिक सहायता सामान्य रूप से नियमित शर्तों पर दी जाएगी, यद्यपि प्रत्येक मामले के गुणदोषों के आधार पर विशेष परिस्थितियों में इस संबंध में छूट दी जा सकती है । पता लगाये गये पिछड़े क्षेत्रों में वर्तमान संस्थाओं द्वारा कार्यान्वित की जानेवाली विस्तार/विविधीकरण परियोजनाओं के लिए रियायती दर पर वित्तीय सहायता दिये जाने के प्रश्न पर चयनात्मक आधार पर, वर्तमान तथा प्रस्तावित नयी परियोजना की लाभदायकता की संभावनाओं, नयी परियोजनाओं के स्थान और अन्य संबंधित तथ्यों को देखते हुए विचार किया जाएगा ।

254. भा० औ० वि० बैंक ने यह भी निश्चय किया कि वह राज्य वित्तीय निगमों और बैंकों द्वारा निर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों की छोटी और मझौली परियोजनाओं के लिए दिये गये 30 लाख रुपयों तक के सभी पात्र ऋणों के संबंध में उनकी पूरी राशि के लिए रियायती दर पर पुनर्वित्त प्रदान करेगा बशर्ते कि ऋण प्राप्त करनेवाली यूनिट की चुकता पूंजी और प्रारक्षित निधि की राशि 1 करोड़ रुपये से अधिक न हो । यह मानदंड नयी परियोजनाओं और क्षमता में वृद्धि और आधुनिकीकरण करने वाले वर्तमान यूनिटों पर लागू होगा । इसके पहले नयी परियोजनाओं तथा उन यूनिटों की परियोजनाओं के विस्तार के लिए जिनकी अचल आस्तियों की राशि 50 लाख रुपयों (अदा की गयी मूल कीमत के आधार पर) से अधिक न हो या जिनकी कुल गोचर आस्तियों की राशि 75 लाख रुपयों से अधिक न हो, दिये जाने वाले 20 लाख रुपयों तक के ऋणों के संबंध में रियायती दर पर पुनर्वित्त की सहायता उपलब्ध थी ।

255. एक अन्य पहलू के कारण भी इस वर्ष के दौरान भा० औ० वि० बैंक की पुनर्वित्त सुविधाओं का क्षेत्र व्यापक हुआ; वह यह था कि अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ ने भा० औ० वि० बैंक के लिए 250 लाख डालरों का ऋण मंजूर किया था । अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ और भा० औ० वि० बैंक के बीच परियोजना करार पर और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ और भारत सरकार के बीच विकास ऋण करार पर 9 फरवरी 1973 को हस्ताक्षर किये गये । 22 जून 1973 से ऋण लागू हो गया । राज्य वित्तीय निगमों को 1 करोड़ रुपये से अनधिक लागतवाली मझौली और छोटी मझौली परियोजनाओं की विदेशी मुद्रा संबंधी आवश्यकताओं का वित्तपोषण करने के लिए ऋण प्रदान किये जाने के निमित्त उक्त राशि का उपयोग किया जाएगा । नयी औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना के लिए तथा वर्तमान यूनिटों के विस्तार, विविधीकरण, आधुनिकीकरण या नवीकरण के लिए राज्य वित्तीय निगमों द्वारा प्रदान किये जानेवाले ऋणों के लिए ऐसे संदर्भों में जहां कम से कम ऋण का थोड़ा सा भाग विदेशों से किये जानेवाले उपकरणों के आयात का वित्तपोषण करने के लिए और विशेष संदर्भों में तकनीकी जानकारी की लागत और पूछताछ शुल्क के लिए निर्धारित हों, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की ऋण योजना के अधीन पुनर्वित्त सुविधाएं उपलब्ध होंगी । ऋण योजना के अंतर्गत आयात लाइसेंस जारी करने की क्रियाविधि को भारत सरकार ने सरल बना दिया है ।

भा०औ०वि० बैंक के अधिनियम में संशोधन

256. आलोच्य अवधि में हुई एक महत्वपूर्ण घटना यह थी कि 24 दिसंबर 1972 से भा० औ० वि० बैंक अधिनियम, 1964 में संशोधन किया गया, जिससे भा० औ० वि० बैंक (i) मशीनों, यानों, जलयानों, मोटर बोटों, ट्रेलरों और ट्रैक्टरों के अनुरक्षण और मरम्मत, जांच या सर्विस में संलग्न प्रतिष्ठानों तथा मछली पकड़ने या मछली पकड़ने के लिए किनारे पर सुविधाएं प्रदान करने या उनके अनुरक्षण में संलग्न प्रतिष्ठानों की सहायता

कर सके, (ii) औद्योगिक बस्तियों की स्थापना के लिए पुनर्वित्त प्रदान कर सके, (iii) औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का निर्यात करनेवाले किसी व्यक्ति को या पूंजीगत वस्तुओं का भारत से निर्यात करने के संबंध में भारत के बाहर स्थित किसी व्यक्ति को या भारत में स्थित किसी औद्योगिक संस्थान या किसी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर तैयार हालत में परियोजनाओं को निष्पादित किये जाने के लिए ऋण और अग्रिम प्रदान कर सके, (iv) मशीनों के संबंध में स्टाक करनेवालों और विक्रेता एजेंसियों के बिलों को पुनः भुना सके और (v) भारत के बाहर स्थित किन्ही अन्य वित्तीय संस्थाओं के स्टाकों, शेयरों, बांडों या डिबेंचरों में यथास्थिति, अभिदान कर सके या उन्हें खरीद सके ।

भा०औ०वि० बैंक का ब्याज दर-विन्यास

257. इस वर्ष के दौरान भा० औ० वि० बैंक के ब्याज-दर विन्यास में संशोधन किया गया । 16 जून 1973 से प्रत्यक्ष ऋण की ब्याज-दर को 8.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दिया गया और निर्दिष्ट पिछड़े जिलों में स्थित योग्य यूनिटों को दिये जाने वाले ऋणों की ब्याज दर को 7 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया गया । पुनर्वित्त की सामान्य ब्याज दर 7 प्रतिशत होगी और वित्तीय संस्थाओं द्वारा लिये जाने वाले ब्याज की अधिकतम दर 10.5 प्रतिशत होगी । ऋण गारंटी योजना के अन्तर्गत आने वाले लघु उद्योग यूनिटों को दी गयी 25,000 रुपयों तक की ऋण सहायता के संदर्भ में दिये जाने वाले पुनर्वित्त की विशेष ब्याज दर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ अर्थात वह 5 प्रतिशत ही बनी रही (वित्तीय संस्थाओं द्वारा ली जानेवाली अधिकतम ब्याज दर 8.5 प्रतिशत होगी) । 25,000 रुपयों से अधिक ऋण सहायता के संदर्भ में इस दर को बढ़ाकर 5.5 प्रतिशत कर दिया गया है । स संदर्भ में वित्तीय संस्थाओं द्वारा ली जानेवाली अधिकतम ब्याज दर 9 प्रतिशत होगी । निर्दिष्ट पिछड़े जिलों में स्थित योग्य औद्योगिक यूनिटों को दी जानेवाली ऋण सहायता के संदर्भ में दिये जानेवाले पुनर्वित्त की विशेष ब्याज दर को 3.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया है (वित्तीय संस्थाओं द्वारा ली जानेवाली अधिकतम ब्याज दर 7.5 प्रतिशत होगी) । मशीनों के संबंधित बिलों को पुनः भुनाने की दरों में संशोधन कर उनमें एक प्रतिशत की वृद्धि की गयी है । बैंक द्वारा भुनाये जाने की अधिकतम दरें पुनः भुनाने की भा० औ० वि० बैंक की दरों की अपेक्षा केवल 1 प्रतिशत अधिक होनी चाहिए । इसके अलावा, त्रिस्तरीय प्रणाली के स्थान पर द्विस्तरीय प्रणाली अमल में लायी गयी है और भा० औ० वि० बैंक की दर 36 महीनों तक समाप्त होनेवाले बिलों के मामले में 7 प्रतिशत और 36 महीनों से अधिक अवधि में समाप्त होनेवाले बिलों के मामले में 6.5 प्रतिशत होगी ।

भा०औ०वि० बैंक के कार्यकलाप

258. 1972-73 के दौरान भा० औ० वि० बैंक के कार्यकलापों के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे प्राप्त ऐसे आवेदनपत्रों की संख्या जिनके संबंध में परियोजना सहायता (अर्थात निर्यातों के लिए दी गई सहायता और गारंटियों को छोड़कर अन्य सहायता) मंजूर की गई, 1971-72 के 1996 से काफी बढ़कर 2739 हो गई। परियोजना सहायता का वित्तीय मूल्य 140.7 करोड़ रुपये से बढ़कर 1972-73 में 148.3 करोड़ रुपये हो गया। परन्तु इंजीनियरी वस्तुओं के निर्यात के लिए मंजूर की गई सहायता की राशि में कमी पायी गयी।

259. 1972-73 के दौरान भा० औ० वि० बैंक द्वारा जो वितरण किये गए उनकी कुल राशि 106.6 करोड़ रुपये थी जो 1971-72 के 94.0 करोड़ रुपयों से अधिक थी। उक्त वितरणों के लिए मुख्यतः निम्नलिखित माध्यमों से राशि प्राप्त हुई (i) ऋणकर्ताओं द्वारा ऋण की चुकौती और निवेशों की बिक्री (63.5 करोड़ रुपये), (ii) रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया की दीर्घकालीन क्रियाएं निधि से लिये गए ऋण (36.3 करोड़ रुपये) और बांड जारी कर बाजार से लिए गए उधार (16.0 करोड़ रुपये) । भा० औ० वि० बैंक की स्थापना से लेकर जून 1973 के अंत तक की कुल प्रभावी मंजूरियों की राशि (गारंटियों को छोड़कर) 774.7 करोड़ रुपये और (गारंटियों सहित) 803.2 करोड़ रुपये थी। सहायता में से कुल 564.6 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया।

260. जून 1973 के अंत तक भा० औ० वि० बैंक ने निर्दिष्ट पिछड़े जिलों में 861 आवेदनपत्रों के संदर्भ में 30.9 करोड़ रुपयों की कुल रियायती सहायता (लगभग दो-तिहाई सहायता पुनर्वित्त के रूप में प्रदान की गई मंजूर की है जिसमें से 584 आवेदनपत्रों के संदर्भ में 13.1 करोड़ रुपयों की सहायता 1972-73 के दौरान प्रदान की गई है। औद्योगिक प्रतिष्ठानों को दी जाने वाली प्रत्यक्ष सहायता (निर्यातों के लिये दी गई सहायता को छोड़कर) के अन्तर्गत की गई मंजूरियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण बात यह है कि सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या 1971-72 के 36 से बढ़कर 1972-73 में 63 हो गई; इससे सहायता का व्यापक वितरण परिलक्षित होता है।

261. इस वर्ष के दौरान सहायता प्राप्त 63 यूनिटों में से 48 यूनिटों ने (इनमें सरकारी क्षेत्र के 6 यूनिट भी शामिल हैं) लोहे और इस्पात, मशीनों और सीमेंट के उद्योग जैसे विभिन्न प्रकार के उद्योगों में नई क्षमता स्थापित करने या वर्तमान क्षमता का विस्तार/विशांतरण करने की परिकल्पना की। इनमें विशेष कागज और इस्पात की ढली वस्तुओं के क्षेत्र में तकनीकी उद्यमकर्ताओं द्वारा प्रवर्तित दो परियोजनाएं शामिल थीं। इस वर्ष के दौरान सहायता प्राप्त बड़ी परियोजनाओं में असम पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड की पेट्रोल-रासायनिक परियोजना (2.2 करोड़ रुपयों की सहायता), इंडियन आयर्न एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड की विस्तार परियोजना (22.0 करोड़ रुपये), टाटा इलेक्ट्रिक कम्पनियों (2.8 करोड़ रुपये) और मद्रास सीमेंट लिमिटेड (2.7 करोड़ रुपये) की पुनर्गठन/आधुनिकीकरण योजना शामिल थी। प्रत्यक्ष सहायता (निर्यातों के लिये दी गई सहायता को छोड़कर) की उपयोग में लायी गई राशि दुगुनी से अधिक हो गई है । अर्थात् उसकी राशि 1971-72 के 11.4 करोड़ रुपयों के मुकाबले में 1972-73 में 30.2 करोड़ रुपये थी।

262. औद्योगिक ऋणों के पुनर्वित्त की योजना के अन्तर्गत मंजूर किये गए आवेदनपत्रों की संख्या 1733 से तेजी से बढ़कर 2407 हो गई और सहायता की राशि 27.5 करोड़ रुपयों से बढ़कर 33.3 करोड़ रुपये हो गई। औद्योगिक ऋणों के पुनर्वित्त के अन्तर्गत उपयोग में लायी गई सहायता की राशि 1 करोड़ रुपयों से बढ़कर 1972-73 में 25.0 करोड़ रुपये हो गई। योजना के अन्तर्गत दी गई इस सहायता-राशि में से अधिकांश भाग छोटे सड़क परिवहन चालकों सहित लघु उद्योगों को दिया गया है। पुनर्वित्त की कुल राशि में इस क्षेत्र को दी गई पुनर्वित्त सहायता का अनुपात जहां 1967-68 में केवल 5.4 प्रतिशत था वहां 1971-72 में बढ़कर 67 प्रतिशत और 1972-73 में और बढ़कर 76 प्रतिशत हो गया है।

निर्यात सहायता

263. निर्यात वित्त (सहभागिता योजना और निर्यात ऋण का पुनर्वित्त) के अन्तर्गत मंजूर की गई राशि तेजी से घटकर 1972-73 के दौरान 2.8 करोड़ रुपये हो गई जबकि 1971-72 में उक्तराशि 22.6 करोड़ रुपये थी। इस वर्ष के दौरान मंजूर की गई राशि में कमी होने का यह कारण हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा क्षेत्र में अनिश्चितताएं

विद्यमान थीं और कतिपय देशों के साथ आस्थगित अदायगी की शर्तों पर किये जाने वाले नये करारों को रोक दिया गया। इसके अलावा, कतिपय पार्टियों को 1971-72 के दौरान काफ़ी मात्रा में जो प्रत्यक्ष निर्यात वित्त प्रदान किया गया था, उससे करारों को निष्पादित करने में अनुभव की गई कठिनाइयों के कारण 1972-73 के दौरान वे लाभान्वित नहीं हो सके। उपयोग की गई निर्यात-वित्त की राशि भी 1971-72 के 15.0 करोड़ रुपयों से घटकर 1972-73 में 6.1 करोड़ रुपये हो गई।

264. इस वर्ष के दौरान 231 निर्माताओं/विक्रेताओं के संदर्भ में हुंडी पुनर्भांजन योजना के अन्तर्गत मंजूर की गई राशि 49.8 करोड़ रुपये थी जबकि 1971-72 के दौरान उक्त राशि 204 निर्माताओं/विक्रेताओं के संदर्भ में 45.3 करोड़ रुपये थी।

भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम

265. 1972-73 के दौरान भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम के कार्यकलापों की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थीं :

वितरित की गयी सहायता की राशि में लगभग डेढ़ गुनी वृद्धि हुई; उसके कार्य क्षेत्र को व्यापक बनाकर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली और केरल जैसे राज्यों को उसके अन्तर्गत लाया गया ; आधुनिक प्रणाली के कन्द्रीय वस्त्र अभिसंस्करण यूनिट का प्रवर्तन किया गया और भारत सरकार द्वारा उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियय, 1951 के अन्तर्गत अपने अधिकार में लिए गए यूनिटों को चलाने में सक्रिय रूप से सहयोग दिया गया। उक्त निगम को आलोच्य वर्ष में सहायता मांगते हुए 75 आवेदनपत्र मिले ; इससे अब तक प्राप्त कुल आवेदनपत्रों की संख्या 416 हो गई। 416 आवेदनपत्रों में से निगम ने 277 आवेदनपत्रों के संबंध में अध्ययन पूरा कर लिया था और 66 आवेदनपत्रों के संदर्भ में 12.7 करोड़ रु० की सहायता मंजूर की थी। 211 आवेदनपत्रों पर इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की गयी कि या तो यूनिट सक्षम नहीं थे या सहायता के लिए पात्र नहीं थे। शेष 139 मामलों में से 3 मामलों में सहायता मंजूर की जाने वाली थी और 46 मामलों का अध्ययन किया जा रहा था।

266. निगम ने अपनी स्थापना से लेकर जून 1973 के अंत तक 67 कमजोर/बंद किये गए औद्योगिक यूनिटों के लिये 13.2 करोड़ रुपयों की सहायता मंजूर की जिनमें नियुक्त श्रमिकों की कुल संख्या 47466 थी। इसके अलावा निगम ने उनकी कार्यकारी पूंजीगत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के उद्देश्य से बैंकों से 8.0 करोड़ रुपयों की सहायता दिलवाने की भी व्यवस्था की है। मंजूर की गई सहायता में से आधी से अधिक सहायता इंजीनियरी उद्योग के यूनिटों को मिली; वस्त्र उद्योग को 10 प्रतिशत की सहायता प्राप्त हुई। जून 1973 के अंत तक सहायता प्राप्त 67 यूनिटों में से 46 यूनिटों द्वारा उपयोग की गई सहायता-राशि 6.3 करोड़ रुपये (1.4 करोड़ रुपयों की गारंटी सहायता की राशि को मिलाकर) थी।

267. विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में स्थित उद्योगों की चिंताजनक स्थिति को देखते हुए भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम ने भारतीय वस्त्र अभिसंस्करण निगम लिमिटेड नामक एक नए यूनिट का प्रवर्तन करने के लिये कदम उठाए हैं; उक्त यूनिट की अनुमानित लागत लगभग 450 लाख रुपये है।

अन्य वित्तीय संस्थाओं के शेयरों और बांडों में अभिदान

268. इस वर्ष के दौरान भा० औ० वि० बैंक ने भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम के डिबेंचरों के चौथे सार्वजनिक निर्गम में 1.3 करोड़ रुपयों का अभिदान किया। इसके साथ उक्त निगम को उसकी स्थापना से लेकर जून 1973 के अंत तक भा०औ०वि० बैंक द्वारा प्रदत्त सहायता की राशि 19.7 करोड़ रुपये हो गई। भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा 1966-67 और 1967-68 में लिये गए ऋणों की किश्तों के रूप में 1.6 करोड़ रुपयों की वापसी अदायगी किये जाने के बाद भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम के डिबेंचरों में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा लगायी गई राशि जून 1973 के अंत में 18.1 करोड़ रुपये थी। भा०औ०वि० बैंक ने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की चुकता पूंजी में भी 41.3 लाख रुपयों का अभिदान किया। इसके अलावा भा०औ०वि० बैंक ने तीन राज्य वित्तीय निगमों की शेयर पूंजी में 1.1 करोड़ रुपयों का अभिदान किया; इससे सभी राज्य वित्तीय निगमों के शेयर और बांडों के निर्गमों में भा०औ० वि० बैंक द्वारा किये गये कुल अभिदान की राशि 8.9 करोड़ रुपये हो गयी।

मीयादी ऋण प्रदान करने वाली अन्य संस्थाएं

भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

269 भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा 1972-73 के दौरान की गयी मंजूरियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई ; इनमें प्रत्यक्ष ऋण (रुपया और विदेशी मुद्रा ऋण) शेयरों और डिबेंचरों तथा गारंटियों की हामीदारी और उनमें किये गये प्रत्यक्ष अभियान शामिल हैं। 1972-73 (अप्रैल-मार्च) में की गयी मंजूरियों की राशि बढ़कर 49.5 करोड़ रुपये हो गयी जबकि पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि में उक्त राशि 39.7 करोड़ रुपये थी। यह वृद्धि भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा मंजूर की गयी राशियों में समग्र रूप से हुई वृद्धि के कारण हुई। निगम द्वारा वितरित की गई राशि भी एक वर्ष पहले के 30.3 करोड़ रुपयों के मुकाबले में अधिक अर्थात् 39.7 करोड़ रुपये थी। औद्योगिक वित्त निगम द्वारा की गई मंजूरियों में भी उल्लेखनीय सुधार पाया गया। उनकी राशि 1971-72 के 28.7 करोड़ रुपयों से बढ़कर 1972-73 में 47.5 करोड़ रुपये हो गई। वितरणों की राशि भी 20.3 करोड़ रुपयों से बढ़कर इस वर्ष के दौरान 28.3 करोड़ रुपये हो गई।

राज्य वित्तीय निगमों के कार्यकलाप

270. तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम लिमिटेड सहित 18 राज्य वित्तीय निगम के कार्यकलापों में 1972-73 (अप्रैल-मार्च) के दौरान कुछ सुधार पाया गया। 1972-73 के दौरान उनके द्वारा मंजूर किये गए कुल ऋणों की राशि पिछले वर्ष के 63.4 करोड़ रुपयों के मुकाबले में 77.8 करोड़ रुपये थी। वितरणों की राशि भी पिछले वर्ष के 39.6 करोड़ रुपयों के मुकाबले में अधिक अर्थात् 44.7 करोड़ रुपये थी। मार्च 1973 के अंत में बकाया ऋणों की राशि 184.2 करोड़ रुपये थी जो पिछले वर्ष की अपेक्षा 19.1 प्रतिशत अधिक थी। अधिकांश वित्तीय सहायता लघु उद्योग क्षेत्र के यूनिटों को प्रदान की जाती रही और ऐसी सहायता की मात्रा कुल मंजूरियों और वितरणों में क्रमश. लगभग 72 प्रतिशत और 68 प्रतिशत थी।

271. राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 में दिसम्बर 1972 में संशोधन किया गया। इन संशोधनों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कार्यों की भी व्यवस्था की गई : (i) राज्य वित्तीय निगमों के परिचालन क्षेत्र को कार्यकलापों तथा भौगोलिक व्यापकता की दृष्टि से विस्तारित करना जिससे वे कतिपय कार्यकलापों अर्थात् मशीनों, यानों और जलयानों के अनुरक्षण, मरम्मत, जांच और सर्विस करने, संयोजन और पैकिंग करने, मछली पकड़ने, परामर्श सेवा प्रदान करने आदि में लगे

हुए प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता दे सकें, (ii) शेयर-पूंजी के एक नए वर्ग का निर्माण किया गया जिसमें सम्बन्धित राज्य सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा अभिदान किया जाएगा और जिस पर कोई न्यूनतम लाभांश अदा किये जाने की बाध्यता नहीं होगी। इससे छोटे और मझौले उद्योग-क्षेत्रों के कमजोर वर्गों को नरम शर्तों पर ऋण प्रदान करने या उनके शेयरों में अभिदान करने में राज्य वित्तीय निगमों को सहायता मिलेगी, और (iii) कम्पनी क्षेत्र के अलग-अलग यूनिटों और सहकारी संस्थाओं को जो कुल सहायता प्रदान की जा सकती है, उसकी उच्चतम सीमा को 20 लाख रुपयों से बढ़ाकर 30 लाख रुपये और अन्य यूनिटों के मामले में 10 लाख रुपयों से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया।

272. अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ ने जनवरी 1973 में 250 लाख डालरों का विशेष ऋण मंजूर किया। यह ऋण छोटे और मझौले प्रतिष्ठानों द्वारा संयंत्रों और उपकरणों का आयात किये जाने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करने के निमित्त भा०औ०वि० बैंक के माध्यम से राज्य वित्तीय निगमों को दिया जाएगा। केवल 1 करोड़ रुपयों से अनधिक परियोजना-लागत वाली परियोजनाओं के संबंध में उक्त ऋण उपलब्ध होगा। क्षेत्रीय विकास बैंकों के रूप में राज्य वित्तीय निगमों की प्रभावकारी भूमिका को मजबूत बनाने और उसमें सुधार लाने के कार्यक्रम के साथ उक्त ऋण को संबद्ध किया गया है। इस संबंध में, रिजर्व बैंक राज्य वित्तीय निगमों के अधिकारियों के लिये अपनी ओर से अनेक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चला रहा है।

273. सभी राज्य वित्तीय निगमों (तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम सहित) के अध्यक्षों और प्रबंध निदेशकों का सोलहवां सम्मेलन 3 अप्रैल, 1973 को बम्बई में हुआ। राज्य वित्तीय निगमों के कार्यकलापों का पुनरीक्षण करने के अलावा उक्त सम्मेलन में राज्य वित्तीय निगम अधिनियम में हाल ही में किये गए महत्त्वपूर्ण संशोधनों की संभावनाओं और प्रतिक्रियाओं, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के विशेष ऋण को उपलब्ध करने की क्रियाविधि और राज्य वित्तीय निगमों का दर्जा बढ़ाने के कार्यक्रम आदि पर विचारविमर्श किया गया। छोटे और मझौले क्षेत्रों के उद्योगों की सहायता करने के निमित्त राज्य वित्तीय निगमों और वाणिज्य बैंकों के बीच समन्वय लाने के निमित्त एक तंत्र का निर्माण करने के लिये रिजर्व बैंक ने जिस कार्यकारी दल का गठन किया था, उसकी रिपोर्ट शीघ्र ही तैयार हो जाने की आशा है।

लघु उद्योगों का वित्त पोषण

ऋण गारन्टी योजना

274. संशोधित ऋण गारंटी योजना के कार्यक्षेत्र को और व्यापक बनाया गया है, जिससे कुछ और संस्थाओं को इस वर्ष के दौरान उसके अंतर्गत लाया जा सके। अब तक सभी प्रमुख वाणिज्य और सहकारी बैंकों तथा राज्य वित्तीय निगमों को मिलाकर 183 ऋण संस्थाएं इस संशोधित योजना में शामिल हुई हैं। 1972-73 के दौरान 9 गैर-लाइसेंसीकृत प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों को अनुमोदित ऋण संस्थाओं की सूची के अंतर्गत शामिल किया गया और एक केन्द्रीय सहकारी बैंक और 7 गैर लाइसेंसीकृत प्राथमिक सहकारी बैंक आवश्यक करार निष्पादित कर योजना में सम्मिलित हो गए हैं। यंत्रचालित जलयानों की सर्विस और मरम्मत में संलग्न यूनिटों के लिये भी इस योजना को लागू किया गया।

275. मई 1973 के अंत में बकाया गारंटियों की राशि 1094.95 करोड़ रुपये थी जबकि उक्त राशि मई, 1972 में 891.72 करोड़ रुपये थी। यह इस बात का परिचायक है कि लघु उद्योग क्षेत्र को अधिक मात्रा में ऋण प्राप्त हुए और योजना के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र व्यापक हो गया। जुलाई 1960 में जब योजना प्रारंभ की गई तब से लेकर मई, 1973 तक जिन दावों के संदर्भ में अदायगी की गई उनकी संख्या और राशि क्रमशः 420 और 66.55 लाख रुपये थी जबकि अदा किये गये दावों की लेखों के संदर्भ में की गयी वसूलियों की राशि 14.21 लाख रुपये थी। जिन मामलों में दावों के लिए अदा की गई पूरी राशि की वसूली की गयी है, उन मामलों में संबंधित औद्योगिक यूनिटों को दी गयी ऋण सुविधाओं के लिए पुनः गारंटी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लघु उद्योग यूनिटों को ऋण मंजूर करते समय और उनको दिये गये ऋणों की वसूली करते समय ऋण संस्थाएं उचित सावधानी बरतती हैं, 1970-71 में जो जांच पड़ताल कार्यक्रम शुरू किया गया वह 1972-73 में कर्मचारियों की कमी के कारण पूरा नहीं किया जा सका। जिन अग्रिमों को चुकाया नहीं गया है उनके लिए दावों का निपटान करना पड़ सकता है ; ऐसे अग्रिमों की संख्या और राशि मई 1973 के अंत में क्रमशः 7105 और 20.72 करोड़ रुपये थी। उस तारीख को बकाया रहने वाली गारंटियों की कुल राशि में उक्त राशि का अनुपात 1.9 प्रतिशत था। गारंटी संगठन अपनी नियमित क्रियाविधि के अनुसार उन लेखों का जिनके संदर्भ में अदायगी में चूक हो गयी है, निरीक्षण करता रहा ताकि चूक के कारण और ऋण संस्थाओं द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त हो सके। जिन यूनिटों में अपनी स्थिति में सुधार लाने की संभावनाएं विद्यमान थी उनके लेखों के संदर्भ में सहायता प्रदान करने का सुझाव गारंटी संगठन ने संबंधित बैंकों को दिया ; वास्तव में उसके प्रयत्नों से अनेक मामलों में अनुकूल परिणाम निकले हैं। 31 मार्च, 1973 तक गारंटी संगठन ने ऐसे 902 यूनिटों का निरीक्षण किया जिनके अग्रिमों की वापसी अदायगी नहीं हुई है और 64 यूनिटों के मामले में उन्हें पुनर्व्यवस्थित करने के लिए सहायता कार्यक्रम बनाने के लिए वित्तपोषण करने की सलाह दी।

276. अभी कुछ समय तक ऋण संस्थाओं ने अपने द्वारा लघु उद्योगों को दिये गये अग्रिमों के संबंध में गारंटियों का प्रयोग करने के बाद जो खर्च किये थे उनको संबंधित खातों में बाद में की जाने वाली वसूलियों में से घटाये जाने की अनुमति नहीं दी गयी। अतः सामान्यतः ऋण संस्थाएं अग्रिमों की वसूली के लिए ऋणकर्ता के विरुद्ध की जाने वाली कानूनी कार्रवाइयों के साथ सारी आवश्यक कार्रवाइयां करने के बाद दावा पेश करना पसंद करती हैं, जिससे इस संदर्भ में किये जाने वाले खर्चे वापस अदा न की गयी राशि में जोड़ा जा सके और गारंटी संगठन से आनुपातिक राशि का दावा किया जा सके। इस कारण ऋण संस्थाएं इस योजना के अंतर्गत अविलंब दावे पेश करके उपलब्ध पुनर्वित्त सुविधा का लाभ उठा नहीं सकी। अतः गारंटी संगठन की सिफारिश पर भारत सरकार ने यह निर्णय किया है कि बैंक व्यवस्था के सामान्य प्रभारों के रूप में रहने वाले खर्चों को कुल वसूलियों में से घटा दिया जाए।

277. दिसंबर 1971 के आरंभ में भारत-पाकिस्तान युद्ध के छिड़ जाने के बाद योजना की कतिपय शर्तों को अस्थायी रूप से उदार बना दिया गया जिससे पाकिस्तान के साथ सटे हुए सीमा क्षेत्रों के निकटवर्ती इलाकों में स्थित लघु उद्योग यूनिटों द्वारा अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों को दूर किया जा सके। इन उदारीकृत शर्तों को बाद में 31 मार्च 1973 तक पश्चिमी क्षेत्र में लागू कर दिया गया और उसके बाद वे अमल में नहीं रहीं।

278. नकलीकरण/उन्नयन योजना के अंतर्गत प्रदान किये जाने वाले अग्रिमों के संदर्भ में उदारीकृत आधार पर गारंटी सुविधाएं प्रदान करने के निमित्त तैयार

किये गये कतिपय प्रस्ताव पिछले वर्ष सरकार को अनुमोदनार्थ पेश किये गये थे; इन पर वित्त मंत्रालय के साथ और विचार-विमर्श किया गया। अग्रिमके पहले वितरण की तारीख से 5 वर्षों की अवधि के लिए 90 प्रतिशत की उच्चतर रक्षा दान करने का अब प्रस्ताव है जबकि पहले 3 वर्षों की अवधि प्रस्तावित थी। यद्यपि पहले यह प्रस्ताव था कि संबंधित अवधि के दौरान लिये जाने वाले गारंटी शुल्क को एक प्रतिशत के दसवें भाग से बढ़ाकर एक चौथाई कर दिया जाए फिर भी अब गारंटी शुल्क की वर्तमान दर में कोई वृद्धि करने का विचार नहीं है। संशोधित प्रस्ताव अब सरकार के विचाराधीन हैं।

लघु उद्योगों को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के अग्रिम

279. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को प्रदान किये गये ऋणों (कारीगरों और अन्य योग्यताप्राप्त उद्यमकर्ताओं को प्रदान किये गये मीयादी ऋणों और अग्रिमों को मिलाकर) में 1972-73 (अप्रैल-मार्च) की पहली तीन तिमाहियों के दौरान 70 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई, अर्थात् उक्त ऋण बढ़कर 645 करोड़ रुपये हो गये। कुल बैंक ऋण में लघु उद्योगों को प्राप्त ऋण के अंश में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दी और वह दिसंबर 1971 के अंत में विद्यमान 10.3 प्रतिशत से बढ़कर दिसम्बर 1972 के अंत में 11.7 प्रतिशत हो गया।

280. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा लघु उद्योग यूनिटों को दिये जाने वाले ऋण की मात्रा के संबंध में पिछले वर्ष के दौरान पाई गई दो प्रमुख विशेषताएं आलोच्य वर्ष के दौरान भी जारी रहीं। वे विशेषताएं निम्नप्रकार है : (i) प्रति यूनिट मंजूर की गयी ऋण सीमाओं की औसत राशि में क्रमशः कमी हुई ; इसका तात्पर्य यह था कि लघु उद्योग क्षेत्र के अपेक्षाकृत छोटे यूनिटों का अधिक वित्तपोषण किया गया, और (ii) औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में बैंकों ने लघु उद्योगों का अधिकाधिक मात्रा में वित्तपोषण किया। प्रति यूनिट मंजूर किये गये ऋण की औसत राशि जहां दिसंबर 1971 के अंत में 76,900 रुपये थी वहां दिसंबर 1973 के अंत में घटकर 74,400 रुपये हो गयी। लघु उद्योगों को दिये गये कुल बैंक ऋणों में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों, अर्थात् हिमाचल प्रदेश जम्मू और काश्मीर तथा राजस्थान को प्राप्त ऋण का अनुपात भी बढ़ गया है।

281. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्ग द्वारा प्रदत्त ऋण की राशि दिसंबर 1972 के अंत में 255 करोड़ रुपये थी अर्थात् उसमें मार्च, 1972 में 28 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई जबकि 1971 की तदनुरूप अवधि में 23 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी। मार्च और दिसम्बर, 1972 के बीच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्ग द्वारा वित्तपोषित यूनिटों की संख्या भी 8722 हो गयी जो मार्च-दिसंबर 1971 के बीच वित्तपोषित, 4,805 यूनिटों की अपेक्षा अधिक थी। 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को दिये गये ऋणों की बकाया राशि दिसंबर 1972 के अंत में 69,133 यूनिटों के संदर्भ में 315.3 करोड़ रुपये थी (अर्थात् उसमें मार्च 1972 के स्तर की अपेक्षा 32 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी) जबकि दिसंबर 1971 के अंत में 56,200 यूनिटों के संदर्भ में 263.0 करोड़ रुपये की ऋण राशि बकाया थी (अर्थात् उसमें मार्च, 1971 के स्तर की अपेक्षा 19 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी।)

282. बैंकों द्वारा लघु उद्योगों के लिए मंजूर किये गये मीयादी ऋणों की कुल राशि 1972 के अंत में 127 करोड़ रुपये थी। मीयादी ऋणों की बकाया राशि मार्च 1972 के अंत में जहां 27,600 यूनिटों के संदर्भ में 88.5 करोड़ रुपये थी वहां दिसंबर 1972 के अंत में बढ़कर 30,240 यूनिटों के संदर्भ में 94.8 करोड़ रुपये हो गयी। लघु उद्योगों को प्राप्त बैंक ऋण की कुल बकाया राशि में बकाया मीयादी ऋणों का अनुपात दिसंबर 1972 के अंत में 14.7 प्रतिशत था जबकि उक्त अनुपात मार्च 1972 के अंत में 15.4 प्रतिशत था।

283. कारीगरों और अन्य योग्यताप्राप्त उद्यमियों के लिए मंजूर की गयी कुल ऋण सीमाओं की राशि दिसंबर 1972 के अंत में 10,150 यूनिटों के संदर्भ में 27 करोड़ रुपये थी। बकाया ऋणों की राशि 17 करोड़ रुपये थी, जिसमें स्टेट बैंक आफ इंडिया वर्ग का अंश 40 प्रतिशत था।

284. दिसंबर 1972 के अंत में छोटे सड़क और जल परिवहन चालकों के लिए मंजूर की गयी ऋण सीमाओं की राशि 39,610 यूनिटों के संदर्भ में 95.7 करोड़ रुपये थी। ऋणकर्ताओं के इस वर्ग को दिए गये ऋणों की दिसंबर 1972 के अंत में बकाया रहने वाली राशि (68 करोड़ रुपये) में मार्च 1972 के स्तर की तुलना में 8.6 करोड़ रुपयों की वृद्धि पायी गयी ; मार्च 1972 में पायी गयी वृद्धि का स्तर (8.3 करोड़ रूपयों) अप्रैल-दिसंबर 1971 की तदनुरूप अवधि में विद्यमान स्तर के लगभग बराबर ही था।

285. चौदह अनुसूचित वाणिज्य बैंकों ने औद्योगिक बस्तियों की स्थापना के लिए दिसंबर 1972 के अंत तक 52 खातों के संदर्भ में कुल 6 करोड़ रुपयों की ऋण-सीमाएं मंजूर की; उनकी बकाया राशि 4 करोड़ रुपये थी।

286. रिजर्व बैंक द्वारा 1970 में नियुक्त किये गये औद्योगिक बस्तियों के वित्तपोषण संबंधी कार्यकारी दल ने आलोच्य वर्ष के दौरान अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उक्त दल ने इस बात की आवश्यकता पर बल दिया कि बैंकों और राज्य वित्तीय निगमों जैसी वित्तीय संस्थाएं शहरी और अर्ध शहरी केन्द्रों में औद्योगिक बस्तियों का वित्तपोषण करें। परंतु दल के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक बस्तियों का वित्तपोषण करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्यों की सरकारों पर होनी चाहिए। उक्त दलों ने शहरी और अर्ध शहरी केन्द्रों के आस पास, जहां औद्योगिक शेडों का उपयोग किये जाने की भारी गुंजाइश है, औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने की दिशा में राज्य सरकारों से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का आग्रह किया है। दल के निष्कर्षों के अनुसार, यद्यपि औद्योगिक बस्तियों के कार्यक्रम में लगभग पिछले दशक के दौरान अच्छी प्रगति हुई है, फिर भी विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में उक्त कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के संदर्भ में अब भी कुछ कमियां विद्यमान हैं। दल ने इस बात पर जोर दिया है कि उक्त कमियों को नयी औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने के मार्ग में बाधक नहीं समझना चाहिए।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

यूनिट योजना, 1964

287. 1972-73 के दौरान बेचे गये यूनिटों का मूल्य 23 0 करोड़ रुपये था जो 1971-72 के 15.1 करोड़ रुपयों के मुकाबले में काफी अधिक था। पिछले दो वर्षों के दौरान यूनिटों की बिक्री में कमी की जो प्रवृत्ति पायी गयी वह 1972-73 में वृद्धि में बदल गयी और साथ ही इस वर्ष के आरंभ में घोषित किये गये उपायों के अनुकूल प्रभाव के कारण यूनिटों की बिक्री में एक नया कीर्तिमान भी स्थापित हुआ। उक्त उपाय इस प्रकार थे : लाभांश की दर को 1970-71 के 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 1971-72 में 8.25 प्रतिशत कर दिया गया, यूनिटों की विशेष बिक्री के मूल्य को जुलाई 1971 में विद्यमान रु० 10.60 से घटाकर जुलाई 1972 में रु० 10.45 कर दिया गया तथा बिक्री और पुनः क्रय के मूल्यों के बीच विद्यमान अंतर को 40 पैसे से घटाकर 30 पैसे कर दिया गया। 1972-73 के दौरान आय की स्थिति में सुधार होने के कारण यूनिट ट्रस्ट इस वर्ष के लिए 8.50 प्रतिशत के उच्चतर लाभांश की घोषणा कर सका।

288. पुनः खरीदे गये यूनिटों के अंकित मूल्य की राशि जहां 1972–73 में 3.0 करोड़ रुपये थी वहां 1971–72 में 2.6 करोड़ रु० थी। बंधे गये और ट्रस्ट के पास बकाया रहने वाले यूनिटों का कुल अंकित मूल्य जून, 1973 के अंत में 124.8 करोड़ रुपये था। ट्रस्ट में पंजीकृत यूनिटधारी खातों की कुल संख्या 5 लाख से भी अधिक थी।

यूनिट से संबद्ध बीमा योजना, 1971

289. यूनिट से संबद्ध बीमा योजना के अधीन 1972–73 के दौरान हुई प्रगति उल्लेखनीय थी। इस योजना के अंतर्गत की गयी बिक्री की राशि 13.0 लाख रुपये थी और नये निवेशकों की संख्या 1312 थी तथा उनकी निवेश राशि का लक्ष्य 1.1 करोड़ रुपये था। इसकी तुलना में अक्टूबर, 1971 से जून, 1972 तक की अवधि में 41 लाख रुपये के लक्ष्य के संदर्भ में 503 आवेदन पत्रों के अधीन 3.2 लाख रुपये प्राप्त हुए थे।

290. ट्रस्ट की निवेशयोग्य निधियों की कुल राशि 30 जून 1973 को 142.0 करोड़ रुपये थी। इन निवेशों में से सामान्य शेयरों की राशि 60.7 करोड़ रुपये (42.8 प्रतिशत), अधिमान शेयरों की राशि 14.9 करोड़ रुपये (10.5 प्रतिशत) और डिबेंचरों की राशि 48.1 करोड़ रुपये (33.9 प्रतिशत) थी। शेष 18.3 करोड़ रुपये (12.8 प्रतिशत) सरकारी प्रतिभूतियां और कम्पनी बांडों में किये गये निवेश डिबेंचरों के लिए किये गये वायदों पर दी गयी अग्रिम जमा राशियां, अधिमान और ईक्विटी शेयरों, सामान्य शेयरों के लिए आग्रम मांग जमा-राशि, अनुपूरक बिल, अन्य जमा राशियों, सामान्य और अधिमान शेयरों के आवेदन शुल्क तथा बैंकों में जमा रहने वाली मांग और अल्प-सूचना पर प्रतिदेय राशियों के रूप में।

291. निवेश करने वाली जनता के बीच यूनिटों की लोकप्रियता को बढ़ाने के उद्देश्य से अनुमोदित एजेंटों और दलालों के संजाल को व्यापक बनाया गया ; उनकी संख्या जून 1973 के अन्त में क्रमशः 3,641 और 362 थी जबकि जून, 1972 के अन्त में उनकी संख्या क्रमशः 3,070 और 334 थी। ट्रस्ट के चार कार्यालयों के अलावा देश भर में प्रमुख बैंकों की 13,400 से अधिक शाखाओं में और लगभग 18,600 कार्यालयों में यूनिटों की बिक्री होती रही।

V. विदेश मुद्रा नियंत्रण संबंधी गतिविधियां

292. जून 1972 में पौंड और स्टर्लिंग और फ़रवरी 1973 में अनेक प्रमुख विश्व मुद्राओं को विनिमय बाजार में मुक्त छोड़ दिया गया था ; इस कारण इस वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा नियंत्रण की गतिविधियां प्रमुख रूप से विनिमय दर और उससे संबद्ध विषयों से सम्बन्धित थीं।

विनिमय दरें–रिजर्व बैंक द्वारा क्रय-विक्रय

293. पिछली रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि ब्रिटेन द्वारा जून, 1972 में स्टर्लिंग को विनिमय बाजार में मुक्त छोड़ दिये जाने का निर्णय किये जाने के बाद रिजर्व बैंक द्वारा हाजिर स्टर्लिंग का क्रय और विक्रय किये जाने की दरें क्रमशः प्रति रु. 100 पौंड 5.3333 और प्रति रु. 100 पौंड 5.3050 निर्धारित की गईं और ये दरें 4 जुलाई, 1972 से अमल में आयीं। स्टर्लिंग का वायदा क्रय 5 जुलाई, 1972 से पुनः चालू किया गया और उसकी दरें 3 महीने तक दाति किये जाने के लिए प्रति रु. 100 पौंड 5.3458 और छः महिने तक दाति किये जाने के लिए प्रति रु. 100 पौंड 5.3583 निर्धारित की गयीं। इसके बाद 22 अगस्त 1972 से स्टर्लिंग के लिए दी गयी वायदा रक्षा सुविधा को हाजिर स्टर्लिंग की रिजर्व बैंक की क्रय-दर के साथ निम्नलिखित मार्जिनों को जोड़कर निर्धारित की गयी दरों पर नौ महीने तक के लिए लागू किया गया।

दाति की अवधि	मार्जिन (प्रति रु० 100)
3 महीने तक	पौंड 0.0125
6 महीने तक	पौंड 0.0250
9 महीने तक	पौंड 0.0375

वायदा ठेकों को प्रत्येक तिमाही या उसके अंश के लिए प्रत्येक रु. 100 के लिए पौंड 0.0125 का प्रभार अदा करते हुए अनुरोध किये जाने पर और बढ़ाने की भी अनुमति दी गयी बशर्ते कि दाति की कुल अवधि मूल ठेके की तारीख से 12 महीने से अधिक न हो।

294. 9 अक्तूबर 1972 से रिजर्व बैंक ने प्राधिकृत व्यापारियों से अमेरिकी डालर खरीदने का भी निश्चय किया। हाजिर अमेरिकी डालर की रिजर्व बैंक की क्रय-दर लंदन बाजार में पिछले काम के दिन के अंत में विद्यमान अमेरिकी डालर की हाजिर दर और क्रय की तारीख को विद्यमान रिजर्व बैंक की स्टर्लिंग की हाजिर क्रय-दर के बीच की प्रतिदर थी। विक्रेता के विकल्प पर तीन महीने या छः महीने तक दाति किये जाने के लिये वायदा क्रय करने की दर लंदन बाजार में पिछले काम के दिन के अंत में विद्यमान अमेरिकी डालर की उचित वायदा क्रय-दर और उचित दाति के लिए रिजर्व बैंक द्वारा वायदा स्टर्लिंग का क्रय करने की दर के बीच की प्रतिदर थी। 19 जुलाई, 1966 और 17 अगस्त, 1971 के बीच स्टेट बैंक ने रिजर्व बैंक की ओर से अमेरिकी डालरों का वायदा क्रय किया था।

295. अंतर्राष्ट्रीय विदेशी मुद्रा बाजारों में विद्यमान अनिश्चित परिस्थितियों के कारण उन्हें बंद करना पड़ा और 12 फरवरी, 1973 को अमेरिकी डालर का और अवमूल्यन हुआ; इन कारणों से रिजर्व बैंक ने 12 और 13 फ़रवरी, 1973 से क्रमशः अमेरिकी डालर और स्टर्लिंग के वायदा क्रय को रोक दिया। किंतु रिजर्व बैंक तैयार दाति के लिए प्राधिकृत व्यापारियों से 12 फ़रवरी 1973 को विद्यमान दरों अर्थात 4 जुलाई 1972 को निर्धारित की गयी दरों पर स्टर्लिंग का क्रय-विक्रय करता रहा। केवल छः महीने तक दाति किये जाने के लिए 12 फ़रवरी, 1973 को विद्यमान दरों पर स्टर्लिंग का वायदा क्रय भी 8 मार्च 1973 से पुनः चालू कर दिया गया।

ब्रिटेन द्वारा स्टर्लिंग क्षेत्र के देशों के साथ विदेशी मुद्रा नियंत्रण शुरू किया जाना

296. पौंड स्टर्लिंग को विनिमय बाजार में मुक्त छोड़ देने का निर्णय किये जाने के साथ-साथ प्राधिकारियों ने 23 जून, 1972 से स्टर्लिंग क्षेत्र को विदेशी मुद्रा नियंत्रण के उद्देश्य के लिए ब्रिटेन और आयरलैंड गणतंत्र तक सीमित किया और "अनुसूचित क्षेत्रों" के रूप में पहले नामांकित देशों (आयरलैंड गणतंत्र को छोड़कर) के निवासी व्यक्तियों को अनिवासी के रूप में और वर्तमान स्टर्लिंग लेखों को विदेशी लेखों के रूप में नामांकित किया। इसके परिणामस्वरूप विदेशों को 3 नवंबर, 1972 से भारतीय विदेशी मुद्रा नियंत्रण के उद्देश्यों के लिए दो वर्गों में विभाजित किया गया :

(क) विदेशी लेखेवाले देश : निम्नलिखित (ख) में उल्लिखित देशों को छोड़कर किंतु ब्रिटेन और दूसरे भूतपूर्व अनुसूचित क्षेत्रों (अर्थात् स्टर्लिंग क्षेत्र के देश) के साथ सभी विदेश; और

(ख) द्विपक्षीय लेखवाले देश : बलगेरिया, चेकोस्लोवाकिया, जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य (पूर्व जर्मनी), हंगेरी, उत्तर कोरिया, पोलैंड, रुमानिया सोवियत समाजवादी गणतंत्र राज्य और युगोस्लाविया किन्तु युगोस्लाविया के मामले में नवंबर 1972 में भारत सरकार और युगोस्लाविया सरकार के बीच हुए नये व्यापार करार के बाद इन दोनों देशों के बीच सभी लेन देन (31 दिसंबर 1972 के पहले किये गये उन निर्यात-आयात ठेकों को छोड़कर जिनको करार संबंधी दायित्व के अधीन 1973 में अंशतः पूर्ण करना है और जिनका निपटान 30 सितंबर, 1973 के पहले अपरिवर्तनीय रुपयों में करना है) 1 जनवरी, 1973 से मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में किये जाने चाहिए ।

297. भारतीय रुपयों में किये जानेवाले लेन देनों के लिए नेपाल और भूटान के भारतीय, नेपाली और भूटानी निवासियों और इन दोनों क्षेत्रों में रहनेवाले भारत के कार्यालय और शाखाएं, नेपाली और भूटानी फ़र्म, कंपनियां अथवा दूसरे संगठन पहले की तरह भारत के निवासियों के रूप में माने जाते हैं ।

भारत के निवासी व्यक्तियों द्वारा विदेशी मुद्राओं का प्रत्यर्पण

298. अप्रैल, 1965 में दी गयी सामान्य अनुमति के अधीन भारत के किसी निवासी व्यक्ति को सेवाओं के लिए पारिश्रमिक के रूप में या कानूनी दायित्व के निपटान के लिए या विरासत, उपहार के विनिधयन या किसी गैर निवासी के आदेश पर विदेशी मुद्रा में किये जानेवाले भुगतान के रूप में विदेशी मुद्रा स्वीकार करने की अनुमति दी गयी बशर्ते कि इस प्रकार प्राप्त की गयी विदेशी मुद्रा को प्राप्ति के बाद 30 दिन की अवधि के भीतर किसी प्राधिकृत व्यापारी को प्रत्यर्पित किया जाए । इस अवधि को दिसंबर 1972 से कम कर 7 दिन कर दिया गया है । विदेशी यात्रा से लौटनेवाले भारत के निवासियों को भी देश में प्रवेश पाने के लिए निर्दिष्ट सीमा शुल्क केंद्र में अपने पास रहनेवाले विदेशी मुद्रा नोटों, यात्री चेकों और/या दूसरी विदेशी मुद्राओं की घोषणा करनी होगी ।

बंगला देश को कारोबारी यात्रा

299. यह पाया गया कि बंगला देश को कारोबार के संबंध में की जानेवाली यात्रा के लिए जिन मानों पर फिलहाल विदेशी मुद्रा प्रदान की जाती है वह अपर्याप्त है; अतः अमेरिका और कनाडा को छोड़कर अन्य देशों को कारोबार के संबंध में की जानेवाली यात्राओं के लिए फ़िलहाल लागू होनेवाले विदेशी मुद्रा-मानों को मई 1973 में बंगला देश के लिए भी लागू किया गया । फिर भी बंगला देश की यात्रा के लिए केवल रुपयों में विदेशी मुद्रा प्रदान की जाती रहेगी ।

सारणी 30 : जुलाई 1972 से जून 1973 तक की अवधि के सांख्यिकीय आंकड़े

I. विदेशों में अध्ययन/प्रशिक्षण के लिए जारी किये गये विदेशी मुद्रा परमिट

देश	तकनीकी पाठ्यक्रम		गैर तकनीकी पाठ्यक्रम	
	जारी किये गये परमिटों की संख्या	प्रदान की गयी विदेशी मुद्रा की राशि (हजार रुपयों में)	जारी किये गये परमिटों की संख्या	प्रदान की गयी विदेशी मुद्रा की राशि (हजार रुपयों में)
ब्रिटेन और यूरोप	512	5625	502	2471
अमेरीका और कनाडा . . .	817	18665	587	9626
अन्य देश	309	1949	98	389

II. अध्ययन/प्रशिक्षण को छोड़कर अन्य उद्देश्यों के लिए की जाने वाली विदेश यात्रा के लिए जारी किये गये विदेशी मुद्रा परमिट

	जारी किये गये परमिटों की संख्या	प्रदान की गई विदेशी मुद्रा की राशि (हजार रुपयों में)
1. कारोबार	12233	72782
2. डाक्टरी चिकित्सा . . .	609	6160
3. अध्ययन दौरे . . .	1210	6453
4. सम्मेलनों में भाग लेना . .	1328	3316
5. विविध	6443	7505

III. अनुमोदित 'पी' फ़ार्म आवेदन पत्रों की संख्या

उद्देश्य	अनुमोदित 'पी' फ़ार्मों की संख्या	अस्वीकृत
1. परिवार के प्रमुख से मिलना . .	12358	1
2. रिश्तेदारों से मिलना . .	15488	1
3. निर्यात वृद्धि . . .	377	
4. विदेशों में नौकरी . . .	6140	
5. स्थायी निवास के लिए उत्प्रवास .	5498	
6 विद्यार्थी/प्रशिक्षणार्थी . .	3478	3
7. विविध	23073	

VI. रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित सर्वेक्षण और विचार गोष्ठियां

सर्वेक्षण

300. पिछले वर्ष की रिपोर्ट में बैंक के सांख्यिकीय विभाग द्वारा भारत सरकार के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन और राज्य सरकारों के सांख्यिकीय विभागों के सहयोग से आयोजित अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण और निवेश सर्वेक्षण 1971-72 के बारे में उल्लेख किया गया था । आलोच्य वर्ष के दौरान मांग पक्ष की छान-बीन का क्षेत्रगत कार्य पूर्ण हुआ । ग्रामीण

क्षेत्रों में विद्यमान ऋण स्थिति की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से ऋण के पूर्ति पक्ष की अतिरिक्त छान-बीन शुरू की गई। रिजर्व बैंक के नमूने के आधार पर मांग पक्ष की छान-बीन के लिए चुने गये गांवों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करनेवाली सहकारी संस्थाओं, वाणिज्य बैंकों और सरकारी विभागों तथा अन्य संस्थानिक एजेन्सियों के बीच पूर्ति के संबंध में एक सामान्य प्रश्नावली प्रचारित की गई। इसके अलावा 750 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, 80 सहकारी विपणन समितियों और उतनी ही संख्या के भूमि विकास बैंकों के नमूनों की एक व्यापक 'तत्स्थानिक' छान-बीन बैंक के कृषि ऋण विभाग के निरीक्षण कर्मचारियों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के कर्मचारियों द्वारा उनके बीच उपयुक्त अनुसूचियों को घुमाकर की जा रही है।

301. स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के अनुरोध पर औद्योगिक वित्त विभाग ने नागपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में केन्द्रित क्षीण दशा में रहनेवाले हथकरघा उद्योग के तत्स्थानिक अध्ययन का आयोजन किया जिससे महाराष्ट्र राज्य हथकरघा निगम की योजना को उन यूनिटों को प्रदान किये जानेवाले अतिरिक्त बैंक अग्रिमों के लिए भी लागू किया जा सके जो बैंकों को देय राशि को चुकाने में पहले से ही असमर्थ रहते हैं ताकि उक्त उद्योग को उसके संकट के समय सहायता मिल सके। यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि इन क्षेत्रों में रहनेवाले हथकरघा बुनकरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों से अनुरोध किया था। उसने हथकरघा बुनकरों को कच्चा माल देकर और उनके उत्पादन के क्रय-विक्रय की व्यवस्था कर सहायता देने के लिए महाराष्ट्र राज्य हथकरघा निगम की भी स्थापना की। निगम ने एसी एक योजना प्रारंभ की थी जिसके अंतर्गत बैंकों द्वारा हथकरघा बुनकरों को दिए जानेवाले ऋणों और उनकी वसूली को कच्चे माल की पूर्ति और तयार किये गए माल के विपणन से संबद्ध किया गया था। इस संबंध में, नागपुर में सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रतिनिधियों और हथकरघा, विद्युत् करघा और सहकारी वस्त्रोद्योग के निदेशालयों तथा महाराष्ट्र राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया गया। इस अध्ययन के परिणामों के आधार पर गारंटी संगठन ने निगम की योजना के अंतर्गत स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा ऐसे बुनकरों को उनकी बकाया राशि की वसूली के लिए दिये जानेवाले प्रस्तावित अतिरिक्त अग्रिमों के संबंध में रक्षा प्रदान करना स्वीकार किया है। राष्ट्रीयकृत बैंकों को भी यह सूचित किया गया कि निगम की योजना के अंतर्गत हथकरघा बुनकरों को उनके द्वारा दिये गये अग्रिमों के लिए रक्षा प्रदान करने के संबंध में गारंटी संगठन को कोई आपत्ति नहीं होगी बशर्ते कि वे उन ऋणों के प्रस्तावों के संवीक्षण तथा उनके वितरणोत्तर पर्यवेक्षण के संदर्भ में अपना सामान्य मानदंड अपनायें।

302. योजना की वर्तमान शर्तों के अधीन विकेन्द्रित रूप से कार्य करनेवाली हथकरघा बुनकर समितियां जैसी औद्योगिक सहकारी संस्थाएं गारंटी रक्षा प्राप्त करने के लिये योग्य नहीं हैं। किंतु, चूंकि औद्योगिक क्षेत्र में सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहन देना एक राष्ट्रीय नीति रही है इसलिए विकेन्द्रित रूप से कार्य करने वाली कतिपय औद्योगिक सहकारी संस्थाओं का अध्ययन कार्य शुरू किया गया ताकि संबन्धित विभिन्न विषयों का परीक्षण किया जा सके और ऐसे यूनिटों को दिये गये अग्रिमों को रक्षा प्रदान करने के लिए उचित मानदंड निर्धारित किये जा सकें। यह देखा गया है कि अभी कुछ समय से, उत्पादन-व-बिक्री समितियों के रूप में औद्योगिक सहकारी संस्थाओं का संगठन किया जा रहा है जो कच्चे माल के क्रय और तैयार किये गये माल, दोनों के मामले में उत्पादन संबंधी जोखिम उठाती है। संगठन के सहकारी स्वरूप के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, समिति और उसके सदस्यों को संपूर्ण संघटन के रूप में शायद स्वीकार किया जा सकता है तथा सदस्यों के कार्यकलाप और उपकरणों में उनके द्वारा किये गये निवेश को समिति के ही कार्यकलाप और निवेश के रूप में माना जा सकता है। इस प्रकार भले ही उत्पादन-व-बिक्री समितियों का स्वामित्व सामान्यतः किसी भी उपकरण पर नहीं हो, फिर भी उनके बारे में शायद यह माना जा सकता है कि वे औद्योगिक गतिविधियों में संलग्न हैं। इस योजना के उद्देश्य के लिए ऐसी समितियों को "औद्योगिक संस्थाओं" के रूप स्वीकार करने की सरकार को सिफारिश किये जाने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

303. इस वर्ष के दौरान आर्थिक विभाग के ग्रामीण अर्थ प्रभाग ने गुजरात के कच्छ जिले के पिछड़े क्षेत्रों में तीन राष्ट्रीयकृत बैंकों के उप कार्यालयों और चल कार्यालयों के परिचालन का क्षेत्रगत अध्ययन किया। इस प्रभाग के एक अधिकारी ने उत्तर प्रदेश में वाणिज्य बैंकों द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का वित्तपोषण किये जाने से संबंधित योजना के परिचालन पर आयोजित किये गये अंतर्विभागीय अध्ययन में भाग लिया।

304. आर्थिक विभाग के अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रभाग द्वारा अप्रैल-जून, 1971 की तिमाही की अवर्गीकृत प्राप्तियों (अर्थात् 10,000 रुपयों से कम या समान राशि की प्राप्तियां जिनके लिए विदेशी मुद्रा विनियमावली के अधीन उद्देश्यवार विवरण दिये जाने की आवश्यकता नहीं है) का सर्वेक्षण प्रारंभ किया गया था। उक्त सर्वेक्षण का उल्लेख पिछले वर्ष की रिपोर्ट में किया गया था। इस वर्ष के दौरान उपर्युक्त प्रभाग ने इस सर्वेक्षण के परिणामों को अंतिम रूप दिया। इस सर्वेक्षण के परिणामों का विश्लेषण करते हुए एक विस्तृत टिप्पणी बैंक के बुलेटिन के मार्च 1973 के अंक में प्रकाशित की गयी। इस सर्वेक्षण का उद्देश्यवार स्वरूप पिछले सर्वेक्षण के उद्देश्यवार स्वरूप के लगभग समान ही था। इसलिए भुगतान शेष के आंकड़ों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए जिस आधार पर अवर्गीकृत प्राप्तियों को नियत किया जाता है उसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं समझी गयी। 1972 का सर्वेक्षण फरवरी, मार्च और अप्रैल की तिमाही के लिए शुरू किया गया और उसके परिणामों को अब अन्तिम रूप दिया जा रहा है। यह प्रभाग, विदेशी कंपनियों की शाखाओं और भारतीय मिश्रित पूंजी कंपनियों से विदेशी निवेश संबंधी त्रैमासिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी मंगाता रहा। 1968-69 और 1969-70 की भारत की अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति का प्रमुख रूप से इन रिपोर्टों पर आधारित मूल्यांकन अभी जारी है।

305. भारतीय उद्योग में विदेशी सहयोग के सर्वेक्षण और विदेशों में संयुक्त भारतीय उपक्रमों के सर्वेक्षण के जो कार्य आर्थिक विभाग के व्यापार प्रभाग द्वारा शुरू किये गये थे उनका उल्लेख पिछले वर्ष की रिपोर्ट में किया गया था; उक्त कार्य में आलोच्य वर्ष के दौरान प्रगति हुई। विवरणियों के संवीक्षण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। और अब आंकड़े के विश्लेषण का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है।

306. आर्थिक विभाग के ग्रामीण सर्वेक्षण प्रभाग ने कृषि उत्पादन को बढ़ाने में सहकारी ऋण की भूमिका पर शुरू किये गये छठे अनवर्ती ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण 1963-66 की सामान्य पुनरीक्षण रिपोर्ट को इस वर्ष अन्तिम रूप दे दिया है। (1) केरल में वित्त के फ़सलवार मान, (2) महाराष्ट्र में संयुक्त रूप से स्वाधिकृत निजी कुओं और सरकार द्वारा बनाये गये सामुदायिक कुओं के संचालन से संबंधित दो क्षेत्रगत अध्ययनों की रिपोर्टें पूरी की जा चुकी है। प्रभाग द्वारा नियमित रूप से सहकारी बैंकों के अग्रिमों और जमाराशियों के संबंध में जो मासिक सर्वेक्षण किया जाता है वह इस वर्ष जारी रहा।

VII. शिक्षा और प्रशिक्षण

307. रिज़र्व बैंक न केवल अपने, बल्कि वाणिज्य बैंकों, सहकारी संस्थाओं और सरकारी विभागों के सभी स्तरों अर्थात् अवर, पर्यवेक्षी और वरिष्ठ कार्यपालक स्तरों के अनेक कर्मचारियों को अपनी विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा सामान्य और गहन प्रशिक्षण प्रदान करता है । इस वर्ष के दौरान विभिन्न संस्थाओं द्वारा अपनी गतिविधियों को विस्तारित करने में की गई प्रगति का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित अनुच्छेदों में दिया गया है ।

राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान

308. जुलाई 1972 जून 1973 की अवधि में राष्ट्रीय बैंक प्रबन्ध संस्थान ने बैंकों की श्रमशक्ति को विकसित करने, उद्योग क्षेत्र को परामर्श सेवाएं प्रदान करने, मूल और व्यावहारिक अनुसंधान कराने तथा उद्योग क्षेत्र के अलग-अलग यूनिट की विशिष्ट समस्याओं को सुलझाने से संबंधित अपने कार्यकलापों को विस्तारित किया । इस अवधि के दौरान 11 कार्यक्रम आयोजित किये गये जिनमें 350 अधिकारियों ने भाग लिया । इन पाठ्यक्रमों में निम्नलिखित शामिल थे : उच्च प्रबंध प्रशिक्षण, वरिष्ठ कार्यपालक विकास कार्यक्रम, शाखा प्रबन्धक कार्यक्रम, प्रशिक्षकों के लिए कार्य शिविर, श्रमशक्ति विकास संबन्धी दूसरी विचार गोष्ठी, उधारकर्ताओं के लिये ऋण प्रबंध पाठ्यक्रम, अलग-अलग यूनिटों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, क्लिष्ट लेखों का प्रबन्ध, क्षेत्र वित्त नीति पर कार्य शिविर आदि । इनके अलावा अगस्त 1972 और अप्रैल, 1973 में दो उच्च स्तरीय प्रबन्ध सम्मेलन आयोजित किये गये और उक्त सम्मेलनों में विभिन्न बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों, योजना आयोग के नीति निर्धारकों, वित्त मंत्रालय और रिज़र्व बैंक आफ इंडिया को विकास प्रयत्नों की दिशाओं और स्वरूपों और इस समग्र कार्य में बैंकिंग उद्योग की उपयुक्त भूमिका के संबंध में विचार-विमर्श करने का अवसर प्राप्त हुआ ।

309. अनुसंधान के क्षेत्र में, ऋण आयोजना, बैंकिंग उद्योग के विकास क्षेत्रीय आर्थिक क्षमता, कारोबारी आयोजना व्यापार संभावनाओं, ऋण प्रबंध आदि के क्षेत्र में विभिन्न अध्ययन जारी है और मुद्रा संचलन की गति, कार्य आयोजना, असम-पूर्वांचल बैंक और 'नागालैंड, मणिपुर और नेफा (पूर्वोत्तर सीमा एजेंसी) से संबंधित अध्ययन समाप्त किये गये। संस्थान में फ़िलहाल चौदह अनुसंधान सहयोगी / फ़ेलो डाक्टरेट की उपाधि के लिए शोध निबंध तैयार कर रहे है । स्ट्रैथक्लाइड विश्वविद्यालय ने अपने विद्यार्थियों का राष्ट्रीय बैंक प्रबन्ध संस्थान में परिचालन संबंधी अनुसंधान के क्षेत्र में एम०एस०सी० की उपाधि के लिए तत्संबंधी अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए अनुसंधान करने और शोध निबंध तैयार करने की अनुमति दी है । इस व्यवस्था के अन्तर्गत एक विद्यार्थी ने 1972 के दौरान संस्थान में अपना अनुसंधान कार्य पूरा कर लिया है। 1973 में प्रारंभ किये जाने के लिए अनुसंधान प्रक्रिया पर एक व्यापक पाठ्यक्रम बनाया गया है ।

310. सेंट्रल बैंक आफ इंडिया और बैंक आफ महाराष्ट्र के पुनर्गठन से संबंधित परामर्श परियोजनाएं समाप्त की गई और उनको कार्यान्वित करने के लिये एक क्रमबद्ध कार्यक्रम का सुझाव दिया गया । सांगली बैंक लिमिटेड, साउथ इन्डिया बैंक लिमिटेड, नेशनल बैंक लिमिटेड, फेडरल बैंक लिमिटेड जैसे अन्य बैंकों के लिये भी परामर्श कार्य समाप्त किया गया । संस्थान ने स्टेट बैंक आफ इंडिया के लिये 5 विभिन्न परियोजनाओं में संबद्ध परामर्श योजना के संदर्भ में एक नई प्रणाली अपनायी है और उक्त योजना के संबंध में प्रत्येक परियोजना के लिये संकल्पनात्मक रूपरेखा और अभिकल्प संस्थान प्रदान करेगा और बैंक का कर्मचारी वर्ग वास्तव में अध्ययन कार्य करेगा । संस्थान ने निर्यात ऋण और गारंटी निगम के अनुरोध पर उसके बैंकिंग ऋण से संबंधित परामर्श कार्य समाप्त कर लिया है । संस्थान ने बैंकिंग उद्योग में सीधी भरती के लिये भी 30 विभिन्न केन्द्रों में 11 बैंकों को 1,25 लाख उम्मीदवारों के संदर्भ में चयन और परीक्षण की अपनी सेवाएं अर्पित की । सनदी लेखापालों की सीधी भर्ती के लिये विशेष चयन परीक्षा प्रक्रियाएं तैयार की गयीं ।

बैंकर प्रशिक्षण कालेज, बम्बई

311. आलोच्य अवधि के दौरान, बैंकर प्रशिक्षण कालेज ने ऋण मूल्यांकन पर सात पाठ्यक्रम और मीयादी ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं और बैंकों के विभिन्न अधिकारियों और वाणिज्य बैंकों के पर्यवेक्षी निरीक्षण कर्मचारी वर्ग के लिये दो-दो पाठ्यक्रम चलाये । मीयादी ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं के लिये कालेज ने बाजार विश्लेषण पर एक पाठ्यक्रम चलाया । कालेज ने दो मध्यवर्ती पाठ्यक्रम और उच्चतर बैंकिंग औद्योगिक वित्त कार्मिक तथा संगठन पर एक-एक पाठ्यक्रम का आयोजन किया । कतिपय वाणिज्य बैंकों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के निमित्त उनके अधिकारियों के लिये कुछ विशिष्ट अपनी पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया ।

312. जैसा कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कालेज ने विश्व बैंक वाशिंगटन डी. सी. के आर्थिक विकास संस्थान के सहयोग से विकास बैंक व्यवस्था पर एक द्विस्तरीय क्षेत्रीय पाठ्यक्रम आयोजित किया । इस पाठ्यक्रम में एशिया और अफ्रीका के सोलह देशों की विकास वित्तीय एजेंसियों के पैंतीस कार्यपालक और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया जिनमें भारत की वित्तीय संस्थाओं के नौ अधिकारी भी शामिल थे । विकास बैंक व्यवस्था की महत्वपूर्ण समस्याओं पर एक अंतर्राष्ट्रीय विचार-गोष्ठी आयोजित की गयी जो उक्त पाठ्यक्रम का अंतिम चरण थी । उक्त गोष्ठी में अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त व्यक्तियों ने भाग लिया । अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कालेज का यह पहला महत्वपूर्ण कार्य था । इस पाठ्यक्रम को तैयार करने में कालेज ने कुछ साहसिक प्रयोग किये थे दोनों स्तरों के पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षणार्थियों को दो सप्ताह के लिए एक साथ सम्मिलित रूप से प्रशिक्षण में भाग लेने देना उन प्रयोगों में एक था । बैंक व्यवस्था में औद्योगिक संबंधों पर वाणिज्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के उस विषय के कार्यपालक अधिकारियों और कर्मचारियों के लाभ के लिए एक पाठ्यक्रम और वाणिज्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के अधिकारियों के लाभ के लिए लघु उद्योगों के वित्तपोषण पर एक विचारगोष्ठी का आयोजन किया गया ।

313. 1973 के द्वितीयार्ध में कालेज वाणिज्य बैंकों के मध्य-स्तरीय कार्यपालक अधिकारियों के लिए नियंत्रित वित्त पर एक अल्पकालीन पाठ्यक्रम और एक समेकित पाठ्यक्रम शुरू करने का विचार कर रहा है ।

314. आलोच्य अवधि के दौरान, कालेज ने रिज़र्व बैंक के ग्रेड I स्टाफ़ आफ़िसरों और ग्रेड III वरिष्ठ स्टाफ़ आफ़िसरों के लिए क्रमशः दो केन्द्रीय बैंकिंग पाठ्यक्रम और एक उच्च केन्द्रीय बैंकिंग पाठ्यक्रम का आयोजन किया । पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी उच्च केन्द्रीय बैंकिंग पाठ्यक्रम में वाणिज्य बैंकों के कतिपय वरिष्ठ अधिकारियों को प्रवेश दिया गया । रिज़र्व बैंक की अपनी प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रशिक्षक वर्ग के लिए एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग के अधिकारियों के लिए एक विदेशी मुद्रा पाठ्यक्रम का भी आयोजन किया गया ।

315. इस अवधि में कालेजों में प्रशिक्षण प्राप्त बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के अधिकारियों और रिजर्व बैंक के अपने अधिकारियों की कुल संख्या 835 थी। 1954 में जब इस कालेज की स्थापना की गयी तब से लेकर अब तक 5,301 अधिकारियों ने कालेज द्वारा चलाये गये विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

सहकारी बैंकर प्रशिक्षण कालेज, पूना

316. औद्योगिक सहकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले राज्य/केन्द्रीय सहकारी बैंकों, शहरी बैंकों और केन्द्रीय बैंकों के प्रबन्ध कर्मचारीयों वर्ग के लिए सहकारी बैंकर प्रशिक्षण कालेज ने एक एक पाठ्यक्रम चलाया। भूमि विकास बैंकों के प्रबन्ध कर्मचारी वर्ग और वाणिज्य बैंकों के मध्यस्तरीय कर्मचारियों के लिए तीन पाठ्यक्रम शहरी सहकारी बैंकों के प्रबन्ध कर्मचारियों के लिए दो पाठ्यक्रम और राज्य/केन्द्रीय सहकारी बैंकों के शाखा एजेंटों के लिए एक पाठ्यक्रम चलाये गये कालेज कृषि वित्त पर पाठ्यक्रम का आयोजन करता रहा और इस प्रकार के दो पाठ्यक्रम वाणिज्य के बैंकों के मध्यस्तरीय कर्मचारियों के लिए और एक विशेष अल्पकालीन पाठ्यक्रम वाणिज्य बैंकों के वरिष्ठ स्तरीय अधिकारियों के लिए और एक पाठ्यक्रम रिजर्व बैंक के अधिकारियों के लिए चलाये गये। कालेज ने परियोजना आयोजना और मूल्यांकन पर राज्य/प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के प्रबंध कर्मचारी वर्ग और वाणिज्य बैंकों के मध्यस्तरीय प्रबंध कर्मचारियों के लिये एक पाठ्यक्रम चलाया और विभिन्न राज्यों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ किये गए सहायता करारों की शर्तों और प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए उन राज्यों के लिये विशेष पाठ्यक्रमों का आयोजन किया। इनके अलावा कालेज ने राज्य/केन्द्रीय और प्राथमिक सहकारी बैंकों के प्रबंध कर्मचारी वर्ग के लिये पुनर्चर्या पाठ्यक्रमों का भी आयोजन किया। यह कालेज पूना के बाहर कई सुविधापूर्ण स्थानों पर विभिन्न विषयों के अल्पकालीन पाठ्यक्रम भी चलाता रहा।

317. इस अवधि में सहकारी बैंकों, भूमि विकास बैंकों और वाणिज्य बैंकों तथा रिजर्व बैंक के जिन अधिकारियों ने इस कालेज में प्रशिक्षण प्राप्त किया उनकी संख्या 774 थी। सितम्बर 1969 में जब इस कालेज की स्थापना की गई तब से लेकर अब तक कुल 2,205 अधिकारियों ने इस कालेज में प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

कर्मचारी प्रशिक्षण कालेज, मद्रास

318. यह कालेज ग्रेड II स्टाफ़ आफ़िसरों (सीधे भर्ती किये गए/पदोन्नत किये गए) और सहायक कर्मचारी वर्ग के लिये केन्द्रीय बैंक संगठन पर सामान्य पाठ्यक्रम तथा बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, औद्योगिक वित्त विभाग और कृषि ऋण विभाग के अधिकारियों के लिये निरीक्षण-अभिमुख पाठ्यक्रम नियमित रूप से चलाता रहा। ग्रेड I ग्रेड II (सीधे भर्ती किये गए) स्टाफ आफिसरों के लिये इस कालेज ने प्रवेश पाठ्यक्रम भी चलाया है। इस कालेज में अब तक प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों की कुल संख्या 3,775 है।

क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र

319. रिजर्व बैंक के अवर और प्रवर कलर्कों के लिये बम्बई, मद्रास और नई दिल्ली में स्थित क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र पाठ्यक्रमों का आयोजन करते रहे। कलकत्ता स्थित क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र विगत कुछ समय से कार्य नहीं कर रहा था, उक्त केन्द्र फिर से खोला जा रहा है और वहां शीघ्र ही पाठ्यक्रम शुरू किये जाएंगे। बैंक ने उन योग्य उम्मीदवारों के लिये जो स्टाफ़ आफिसर ग्रेड II पद के उन्नति पाने के लिये विभागीय परीक्षा में बैठे थे एक विशेष विचार-विमर्श प्रधान पाठ्यक्रम का भी आयोजन किया। कुल मिलाकर कलकत्ता क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र सहित चारों क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों में इस प्रकार के बीस पाठ्यक्रम आयोजित किये गए; कलकत्ता केन्द्र इस उद्देश्य के लिये विशेष रूप से खोला गया था। विभिन्न क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों में अब तक प्रशिक्षण प्राप्त क्लर्क कर्मचारी वर्ग की कुल संख्या 8,481 है।

अल्पकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

320. राज्य वित्तीय निगमों के कर्मचारियों को ऋण मूल्यांकन अनुवर्ती कार्रवाई और दस्तावेज तैयार करने से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने राज्य वित्तीय निगमों के मध्यस्तरीय अधिकारियों के लिये अल्पकालीन आवासी पाठ्यक्रम प्रारंभ किया है। इस प्रकार के चार पाठ्यक्रम नई दिल्ली, रांची, मद्रास और बंगलूर में आयोजित किये जा चुके है। राज्य वित्तीय निगमों के दूसरे स्तरों के कर्मचारी वर्ग की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ-साथ भविष्य में भी इस प्रकार के पाठ्यक्रमों को जारी रखने का इरादा है।

321. रिजर्व बैंक ने 9 अक्तूबर से 13 अक्तूबर 1972 तक नई दिल्ली में सहकारी समितियों विन्यास से संबंधित अल्पकालीन पाठ्यक्रमों का भी आयोजन किया जिनमें 5 राज्यों और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, सहकारी प्रशिक्षण समिति और भारत सरकार के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

कर्मचारी वर्ग की प्रतिनियुक्ति

322. भारतीय प्रशासी कर्मचारी कालेज हैदराबाद के साथ की गई स्थाई व्यवस्थाओं के अधीन बैंक के अधिकारी उक्त कालेज द्वारा आयोजित प्रबंध विकास पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिये प्रतिनियुक्त किये गए। वाणिज्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के अधिकारियों के लिये बैंकर प्रशिक्षण कालेज द्वारा चलाए गए कुछ पाठ्यक्रमों में और साथ ही अखिल भारतीय और राज्य-स्तरीय प्रबंध संस्थाओं, प्रबंध संस्थानों तथा इसी प्रकार के कुछ अन्य संस्थानों द्वारा आयोजित प्रबंध विकास संबंधी अल्पकालीन पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिये भी अधिकारियों को भेजा गया। रिजर्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के आर्थिक विकास संस्थान और बैंकाक स्थित एशियाई आर्थिक विकास और आयोजना संस्थान द्वारा आयोजित पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिये भी अपने अधिकारियों को प्रतिनियुक्त करता रहा। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी और जापान के बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों में अध्ययन दौरे/प्रशिक्षण के लिये अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया।

रिजर्व बैंक आफ़ इंडिया में हिन्दी की प्रगति

323. आलोच्य वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक ने 30 जून 1972 को समाप्त हुए वर्ष के लिये रिजर्व बैंक आफ़ इंडिया के कामकाज एवं भारतीय बैंक व्यवसाय की प्रवृत्ति और प्रगति पर वार्षिक रिपोर्ट तथा मुद्रा और वित्त की रिपोर्ट के हिन्दी रूपांतर प्रकाशित किये। रिजर्व बैंक अपनी सहयोगी संस्थाओं अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, कृषि पुनर्वित्त निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, जमा बीमा निगम और भारतीय ऋण गारंटी निगम लिमिटेड को भी उनकी वार्षिक रिपोर्टों, प्रेस विज्ञाप्ति, विज्ञापनों, अधिसूचनाओं, नोटिसों आदि के हिन्दी अनुवाद के लिये सहायता प्रदान करता रहा। इस व्यवस्था के अंतर्गत बैंक के हिन्दी अनुभाग ने इस वर्ष दो पुस्तिकाएं प्रकाशित की जिनके शीर्षक इस प्रकार थे: (1) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के कार्य और कार्य-पद्धति और (2) कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्य और कार्यपद्धति। सरकार के अनुरोध पर रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों में प्रचलित पदनामों के हिन्दी पर्याय तैयार करने का कार्य प्रारंभ किया ताकि उनमें एक-रूपता हो सके।

324. राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबंधों का पालन करते हुए रिजर्व बैंक प्रेस विज्ञप्तियों/टिप्पणियों/प्रकाशनियों/सारांशों, नोटिसों, विज्ञापनों और अधिसूचनाओं को अंग्रेजी और हिन्दी में एक-साथ जारी करता रहा। जनता, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों से हिन्दी में प्राप्त पत्र आदि स्वीकार किये गए और उनका हिन्दी में उत्तर दिया गया।

325. हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की गति में तीव्रता लाने के उद्देश्य से बैंक में गत वर्ष मुख्य प्रबंधक की अध्यक्षता में गठित सात सदस्यों की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दूसरी बैठक 17 जुलाई, 1972 को हुई। यह निश्चय किया गया कि स्टेट बैंक आफ़ इंडिया, सेंट्रल बैंक आफ़ इंडिया और कनारा बैंक तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, कृषि पुनर्वित्त निगम और भारतीय यूनिट ट्रस्ट के एक-एक प्रतिनिधि को सहयोजित कर समिति का विस्तार किया जाए। विस्तारित समिति की दो बैठकें 28 नवंबर, 1972 और 27 फरवरी, 1973 को हुई और उन बैठकों में ऐसे विभिन्न प्रयासों पर विचार-विमर्श किया गया जो बैंकों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिये किये जाने चाहिये।

326. वित्त मंत्रालय के बैंकिंग विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अनुरोध पर बैंक ने 'रिजर्व बैंक आफ़ इंडिया बुलेटिन' में उसके अक्तूबर 1972 के अंक से एक हिन्दी खंड आरंभ किया; उक्त खंड में निम्नलिखित दिये जाते हैं: वित्तीय और आर्थिक समीक्षा तथा अंग्रेजी खंड मे प्रकाशित होने वाले महत्वपूर्ण लेखों के सारांश, ऋण नियंत्रण के उपाय, विदेशी मुद्रा नियंत्रण की गतिविधियां और चुने हुए आर्थिक निर्देशकों की एक सारणी।

327. रिजर्व बैंक अपने कर्मचारियों के हित के लिये विभिन्न केन्द्रों में अपनी हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिन्दी कक्षाएं चलाता रहा: उन कक्षाओं को अब 'हिन्दी अध्ययन मंडल' के नाम से अभिहित किया जाता है। हिन्दी परीक्षाओं और हिन्दी टंकण कला (टाइपराइटिंग) की परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिये दिये जाने वाले प्रोत्साहन इस वर्ष भी जारी रहे। आलोच्य वर्ष के दौरान हिन्दी प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ परीक्षाओं में उत्तीर्ण कर्मचारियों को प्रमाणपत्र वितरित करने के लिये मद्रास और कलकत्ता में समारोह आयोजित किये गए।

वाणिज्य बैंकों में हिन्दी की प्रगति

328. 1967 में संशोधित राजभाषा अधिनियम, 1963 के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वाधिकृत और नियंत्रित कम्पनियों और निगमों के लिये यह अनिवार्य है कि वे सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिये अंग्रेजी के अलावा हिन्दी का भी प्रयोग करें। तदनुसार, सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों का इस अधिनियम के उपबंधों का पालन करना आवश्यक हो जाता है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों को कम से कम हिन्दी भाषी क्षेत्रों में जनता के साथ किये जाने वाले अपने कामकाज में अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिये समय-समय पर अनुदेश दिये गए हैं। ये अनुदेश अन्य बातों के साथ-साथ फार्मों और प्रचार साहित्य का मुद्रण करने तथा विज्ञापन जारी करने मे हिन्दी का प्रयोग करने के लिये दिये गए है। बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उसी भाषा में उत्तर दें और हिन्दी मे किये गए हस्ताक्षरों को बिना किसी अतिरिक्त औपचारिकता के स्वीकार करें। दिसम्बर 1972 के अंत तक बैंकों द्वारा हिन्दी के प्रयोग के संबंध में की गई प्रगति का पुनरीक्षण करने पर यह पाया गया कि वे राजभाषा अधिनियम के उपबंधों और इस संबंध में जारी किये गए अनुदेशों का पालन करने के लिये क्रमिक रूप से कदम उठा रहे हैं और अपने दैनंदिन कार्यों में हिन्दी और अन्य प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग करने का प्रयत्न कर रहे हैं। कतिपय बैंक मानक हिन्दी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहन के रूप मे कोई राशि प्रदान करने के निमित्त योजनाएं बनाने का विचार कर रहे हैं। जिन बैंकों ने अपने कर्मचारियो को हिन्दी का ज्ञान प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से योजनाएं शुरू नहीं की हैं उन्हे ऐसी योजनाएं शुरू करने के संबंध में विचार करने के लिये सूचित किया गया है। इस संबंध में, रिजर्व बैंक की हिन्दी शिक्षण योजना और उसके अंतर्गत दिये जाने वाले प्रोत्साहनों की एक प्रतिलिपि बैंकों की सूचना और मार्गदर्शन के लिये भेज दी गई है। जिन हिन्दी शिक्षण केन्द्रों में गृह मंत्रालय ने हिन्दी शिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है उन केन्द्रों की एक सूची भी बैंकों को भेजी गई है ताकि यदि वे चाहें तो अपने कर्मचारियों को इन हिन्दी शिक्षण केन्द्रों का लाभ उठाने के लिये सूचित कर सके।

VIII. लेखे और अन्य विषय

329. 30 जून, 1973 को समाप्त हुए लेखा वर्ष मे विभिन्न व्यवस्थाओं के लिये समायोजन करने के बाद बैंक की आय 271.29 करोड़ रुपये थी जबकि पिछले वर्ष की आय 222.17 करोड़ रुपये थी। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आय का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:

(राशि करोड़ रुपयों मे)

	वर्ष	
	1972-73	1971-72
(i) राज्य सरकारों को दिये गये अर्थोपाय अग्रिमों पर ब्याज	3.15	15.32
(ii) राज्य सरकारों [उपर्युक्त मद (i) में उल्लिखित अर्थोपाय अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज को छोड़कर] और वाणिज्य तथा सहकारी बैंकों को दिये गए ऋणो और अग्रिमो पर ब्याज	21.11	20.56
(iii) रुपया प्रतिभूतियों पर ब्याज और रुपया खजाना बिलों पर बट्टा	213.39	156.25
(iv) विदेशी प्रतिभूतियों, निवेशों और खजाना बिलों पर ब्याज और बट्टा	20.07	22.58
(v) विनिमय से प्राप्त कमीशन और लाभ या उपलब्धि	13.43	6.40
(vi) अन्य आय	0.14	1.06
जोड़	**271.29**	**222.17**
घटाइए: जैसा कि पैराग्राफ 330 में उल्लेख किया गया है, निधियों मे किये गए अंतरण	100.00	65.00
	171.29	157.17

330. राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि, राष्ट्रीय कृषि ऋण स्थिरीकरण) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि में जो अंशदान किये गए उनकी राशि क्रमशः 30 करोड़ रुपये, 40 करोड़ रुपये और 30 करोड़ रुपये थी जबकि 1971-72 में उनकी राशि क्रमशः 19 करोड़ रुपये, 6 करोड़ रुपये और 40 करोड़ रुपये थी।

331. दूसरी ओर, इस वर्ष के दौरान 41.29 करोड़ रुपयों का कुल व्यय हुआ जबकि पिछले वर्ष 37.17 करोड़ रुपयों का व्यय हुआ था। कुल 171.29 करोड़ रुपयो की जो आय शेष थी उसमें से उक्त व्यय के लिये समायोजन करने के बाद केन्द्रीय सरकार को अदा करने के लिये अलग रखी गई लाभ राशि 130 करोड़ रुपये थी जबकि पिछले वर्ष अदा की गई राशि 120 करोड़ रुपये थी।

332. पिछले वर्ष के 222.17 करोड़ रुपयों के स्तर के मुकाबले में इस वर्ष आय में 49.12 करोड़ रुपयो की जो वृद्धि हुई वह प्रमुख रूप से (i) केन्द्रीय सरकार के खाते की पूर्ति करने के निमित्त निर्मित तदर्थ खजाना बिलों पर प्राप्त बट्टे और (ii) सरकारी लेखे पर विदेशी मुद्राओं के प्रेषण से अर्जित विनिमय-शुल्क के कारण हुई। व्यय में हुई 4.12 करोड़ रुपयों की वृद्धि प्रमुख रूप से स्थापना संबंधी व्यय में हुई वृद्धि और स्टेट बैंक आफ़ इंडिया और उसके सहायक बैंकों को सरकारी कामकाज और प्रेषण सुविधा योजना संबंधी लेनदेन के लिये अदा किये गए एजेंसी प्रभारों और दूसरे प्रकार के व्यय में हुई सामान्य वृद्धि के कारण हुई।

लेखा परीक्षक

333. बैंक के लेखो की परीक्षा मेसर्स दलाल एंड शाह, बम्बई, मेसर्स पी० के० मित्रा एंड कम्पनी, कलकत्ता, मेसर्स ठाकुर वैद्यनाथ अय्यर एंड कम्पनी, नई दिल्ली और मेसर्स सूरी एंड कम्पनी, मद्रास द्वारा की गई जिन्हें भारत सरकार ने रिजर्व बैंक आफ़ इंडिया अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई तारीख 16 मार्च, 1973 की अधिसूचना स० एफ० 10 (1) 73 बी० ओ० आई० (i) और (ii) द्वारा रिजर्व बैंक आफ़ इंडिया के लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया था। मेसर्स दलाल एंड शाह और मेसर्स पी० के० मित्रा एंड कम्पनी की नियुक्ति क्रमशः मेसर्स ए० एफ० फ़र्गुसन एंड कम्पनी और मेसर्स राय एंड राय के स्थान पर हुई जबकि मेसर्स ठाकुर वैद्यनाथ अय्यर एंड कम्पनी और मेसर्स सूरी एंड कम्पनी को सरकार ने पुनर्नियुक्त किया। इस वर्ष बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और नई दिल्ली के कार्यालयों के अलावा भायखला और हैदराबाद के कार्यालयों की लेखा बहियों की भी परीक्षा की गई है। लेखा परीक्षकों के लिये प्रति कार्यालय अदा किये जाने वाले 15,000 रुपयों के पारिश्रमिक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

केन्द्रीय बोर्ड

334. श्री पी० एन० डमरी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के सचिव का कार्य-भार संभालने के लिये 15 मार्च, 1973 के अपराह्न से बैंक के उप गवर्नर के पद से निवृत्त हुए। बोर्ड श्री डमरी द्वारा लगभग छः वर्षों तक के अपने कार्य-काल के दौरान उप गवर्नर के रूप में की गई अमूल्य सेवाओं की सराहना करते हुए उनके प्रति आभार प्रदर्शित करता है।

335. 30 जून, 1972 को अपनी पदावधि समाप्त होने पर सर्वश्री अरविंद एन० मफ़तलाल, जी० बसु, कमलजीत सिंह और डी० सी० कोठारी केन्द्रीय बोर्ड के निदेशक पद से निवृत्त हुए। सर्वश्री एस० एल० किर्लोस्कर, भास्कर मित्तर, बी० एन० पुरी और जे० रामदेव राव रिजर्व बैंक आफ़ इंडिया अधिनियम, 1934 की धारा 8(1)(ख) के अधीन केन्द्रीय बोर्ड के निदेशकों के रूप में नामित किये गए और वे भी 14 जनवरी, 1973 से सेवानिवृत्त हुए। बोर्ड सेवानिवृत्त निदेशकों की सेवाओं के प्रति अपना आभार व्यक्त करता है।

336. श्री एस० एम० जोशी ने 1 सितम्बर, 1972 से केन्द्रीय बोर्ड के निदेशक पद से त्यागपत्र दे दिया।

337. श्री ए० अक्षी के स्थान पर, रिजर्व बैंक आफ़ इंडिया अधिनियम, 1934 की धारा 8(1)(अ) के अधीन 17 अगस्त, 1972 से श्री एन० सी० सेन गुप्ता बैंक के केन्द्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित हुए।

338. 6 सितम्बर, 1972 से, रिजर्व बैंक आफ़ इंडिया अधिनियम की धारा 8(1)(ग) के अधीन सर्वश्री एम० पी० सितले और जी० पार्थसारथी, डा० के० कानूनगो और डा० वी० कुरियन केन्द्रीय बोर्ड के निदेशकों के रूप में नामित किये गए। 23 फरवरी, 1973 को स्थानीय बोर्डों के पुनर्गठन के बाद रिजर्व बैंक आफ़ इंडिया अधिनियम की धारा 8(1)(ख) के अधीन प्रोफेसर एम० एल० दांतवाला, श्री ए० एन० हक्सर, डा० भरत राम और श्री सी० रामकृष्णा क्रमशः पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों के स्थानीय बोर्डों का प्रतिनिधित्व करने के लिये केन्द्रीय बोर्ड के निदेशकों के रूप में नामित किये गए।

339. इस वर्ष के दौरान केन्द्रीय बोर्ड की सात बैठकें हुईं; उनमें से दो बैठकें बम्बई में और एक-एक बैठक मद्रास, त्रिवेंद्रम, कलकत्ता, अहमदाबाद और श्रीनगर में हुई। केन्द्रीय बोर्ड की समिति की 53 बैठकें हुईं। जिनमें से पांच नई दिल्ली में और शेष बंबई में हुईं।

340. डा० सी० डी० दातें और डा० के० एम० कृष्णास्वामी 21 मार्च, 1973 से बैंक के कार्यपालक निदेशकों के रूप में नियुक्त किये गए।

स्थानीय बोर्ड

341. बैंक के सभी स्थानीय बोर्डों के सदस्यों की पदावधि 14 जनवरी, 1973 को समाप्त हो गई और भारत सरकार ने रिजर्व बैंक आफ़ इंडिया अधिनियम, 1934 की धारा 9 (1) के उपबंधों के अधीन 23 फ़रवरी, 1973 से स्थानीय बोर्डों का पुनर्गठन किया।

बैंक के भवन

नये कार्यालय भवन

342. बंबई स्थित टकसाल के अहाते में प्रस्तावित बहुमंजिली वाले भवन के लिए विभाजक दीवार का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है और परियोजना का सामान्य निर्माण कार्य 1973 के अंत तक प्रारम्भ होने की आशा है। बंगलूर के मुख्य कार्यालय भवन का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है और जो विभाग अब तक पट्टे पर लिये गये भवनों में स्थित थे उनको नये भवनों में स्थानांतरित कर दिया गया है।

कार्यालय के उपयोग के लिए पट्टे पर लिये गये भवन

343 स्थान की अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बैंक ने बम्बई स्थित मुख्य कार्यालय के समीप एक भवन पट्टे पर लिया है। बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना के लिए भोपाल में भी भवन पट्टे पर लिया गया है।

आवास भवन

344. विभिन्न केन्द्रों में आवास भवनों की व्यवस्था करने के लिये बैंक बराबर कोशिश कर रहा है। इन आवास भवनों के लिये बैंक भारी मात्रा में आर्थिक सहायता प्रदान करता है। आलोच्य अवधि के दौरान 326 क्वार्टरों का (बंगलूर में अधिकारियों के लिये 54 और नई दिल्ली में क्लर्कों के लिये 208 और अधीन कर्मचारियों के लिये 64 क्वार्टर) निर्माण कार्य पूरा किया गया। क्लर्कों और अधीन कर्मचारियों के लिये 654 क्वार्टरों अर्थात् कलकत्ता में 332, नागपुर में 104 और कानपुर में 218 का निर्माण कार्य समाप्त होनेवाला है और आशा है कि उक्त क्वार्टर आवास के लिये शीघ्र ही उपलब्ध हो जाएंगे। इनके साथ, बैंक द्वारा जो क्वार्टर बनाये गए है उनकी संख्या में 980 की वृद्धि होगी और वे कुल मिलाकर 3,890 (अधिकारियों के लिये 588, क्लर्कों और अधीन कर्मचारियों के लिये क्रमशः 2198 और 1104 क्वार्टर) हो जाएंगे। इनके अलावा 575 क्वार्टरों का निर्माण कार्य (बम्बई में अधिकारियों के लिये 152 और मद्रास और कलकत्ता में क्लर्कों और अधीन कर्मचारियों के लिये 423) प्रारंभ किया गया है और उसमें प्रगति हो रही है। बंगलूर, भुवनेश्वर और हैदराबाद में क्लर्कों और अधीन कर्मचारियों के लिये 491 क्वार्टरों की व्यवस्था करने वाली आवास परियोजनाओं के लिये टेंडर आमन्त्रित किये गए है और उनका निर्माण कार्य शीघ्र ही प्रारंभ होने की आशा है। कानपुर और नई दिल्ली में अधिकारियों के लिये 270 क्वार्टरों और नई दिल्ली में क्लर्कों के लिये 48 क्वार्टरों के निर्माण की परियोजनाएं तैयार की जा रही हैं।

345. ऐसे केन्द्रों में जहां कोई भूमि प्राप्त नहीं की गई है या जहां क्वार्टरों की संख्या अपर्याप्त है, क्वार्टरों का निर्माण करने के लिये उपयुक्त भूमि प्राप्त करने की कार्रवाइयां की जा रही है।

मालिक-कर्मचारी संबंध

चिकित्सा सुविधाएं

346. वर्ग II III और IV के कामगार कर्मचारियों द्वारा अपने और अपने परिवार के सदस्यों की निजी चिकित्सा करवाने में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति करने के उद्देश्य से एक योजना शुरू की गई है और उक्त योजना को 1 अक्तूबर 1970 से ही लागू कर दिया गया है। यह योजना उनको फिलहाल प्राप्त चिकित्सा सुविधाओं की अनुपूरक है। इस योजना के अनुसार किसी भी मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत पंजीकृत चिकित्सक से लिया गया उपचार प्रतिपूर्ति के योग्य माना जाएगा। उन कर्मचारियों के लिये जो कर्मचारी क्वार्टरों में रहते है, जहां औषधालय सुविधाएं उपलब्ध हैं तथा उन कर्मचारियों के लिये भी जो कर्मचारी क्वार्टरों में नहीं रहते, किन्तु बाहर रहते हैं परन्तु अपने परिवार के सदस्यों के लिये बैंक की औषधालय सुविधाओं से लाभान्वित होने का विकल्प देते है, वार्षिक रु० 50 की सीमा निर्धारित की गई है। जो कर्मचारी अपने परिवार के सदस्यों के लिये निजी चिकित्सा का विकल्प देते हैं वे इस योजना के अधीन वार्षिक रु० 100 की प्रतिपूर्ति पाने के योग्य है। अधिकतम राशि 3 वर्ष तक संचित की जा सकती है। तीसरे वर्ष के अंत में विद्यमान उपयोग में न लाई गई बकाया राशि को अगले तीन वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जाएगा; किन्तु अधिकतम राशि यथास्थिति रु० 50 या रु० 100 होगी। वर्ग IV के कर्मचारियों के संबंध में यह योजना उनके परिवार के ऐसे सदस्यों (जिनमें आश्रित माता-पिता भी सम्मिलित हैं) के लिये भी लागू है जो उनके जन्म स्थान पर रहते हैं।

रिजर्व बैंक आफ़ इंडिया अधिकारी संवर्ग पुनरीक्षण समिति

347. पिछली वार्षिक रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि रिजर्व बैंक ने अपने अधिकारियों की परिलब्धियों के विन्यास, पदोन्नति संबंधी नीति आदि का पुनरीक्षण करने के लिये एक समिति का गठन किया है (जिसका नाम रिजर्व बैंक आफ़ इंडिया संवर्ग पुनरीक्षण समिति है)। समिति ने बैंक को अपनी रिपोर्ट 11 अक्तूबर, 1972 को पेश की जिसमें उसने अधिकारियों के परिशोधित वेतनमान और भत्तों, संवर्गों के गठन, अंतर्वर्गीय गतिशीलता, शिकायत संबंधी क्रियाविधि सेवाकालीन प्रशिक्षण आदि के संबंध में सिफारिशें की है। बैंक ने समिति की विभिन्न सिफ़ारिशों पर विचार करने और केन्द्रीय सरकार से परामर्श (उस प्रणाली में और उस सीमा तक जो ऐसी परिस्थितियों में सरकार द्वारा दिये गये अनुदेशों के अधीन अपेक्षित है) करने के बाद वेतनमानों और भत्तों के परिशोधन, शिकायत संबंधी क्रियाविधि और अधिवार्षिकी लाभों से सम्बन्धित कुछ अधिक महत्वपूर्ण सिफारिशों पर निर्णय ले लिया है। अन्य बातें विचाराधीन हैं।

कर्मचारी गृह निर्माण ऋण योजना

348. आलोच्य वर्ष के दौरान निम्नप्रकार गृह निर्माण ऋण मंजूर किये गए :

	समितियों की संख्या	राशि रु०
(क) नई सहकारी गृह निर्माण समितियां . .	7	36,26,332
पहले ही गठित सहकारी गृह निर्माण समितियों को अतिरिक्त ऋण . .	8	9,26,034
		45,52,366

	कर्मचारियों की संख्या	राशि रु०
(ख) अलग-अलग कर्मचारी नये ऋण . . .	211	35,44,680
उन कर्मचारियों को अतिरिक्त ऋण जिन्होंने पहले ही ऋण प्राप्त किये थे . .	68	11,62,574
		47,07,254

349. 1961 में योजना का प्रारंभ होने से लेकर अब तक मंजूर किये गये "समिति" और "व्यक्तिगत" ऋणों की कुल राशि क्रमशः रु० 3,72,79,977 और रु० 1,60,78,888 है। अब तक कुल मिला कर 2,425 कर्मचारियों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है।

रिजर्व बैंक आफ इंण्डिया

30 जून 1973 तक का तुलन-पत्र

इशू विभाग

देयताएं	रु०	पै०	रु०	पै०	आस्तियां	रु०	पै०	रु०	पै०
बैंकिंग विभाग में	36,45,28,788.00				सोने का सिक्का और बुलियन :				
रखे हुए नोट	5698,95,49,930.50				(क) भारत में रखा हुआ	182,53,07,821.82			
सचलन में नोट									
जारी किये गये कुल नोट			5735,40,78,718.50		(ख) भारत के बाहर रखा हुआ	—			
					विदेशी प्रतिभूतियां	177,36,80,055.13			
					जोड़			359,89,87,876.95	
					रुपये का सिक्का			8,38,06,402.14	
					भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां			5367,12,84,439.41	
					देशी विनिमय बिल और दूसरे वाणिज्य-पत्र			—	
कुल देयताएं			5735,40,78,718.50		**कुल आस्तियां**			5735,40,78,718.50	

बैंकिंग विभाग

देयताएं	रु०	पै०	आस्तियां	०	पै०
चुकता पूंजी	5,00,00,000.00		नोट	36,45,28,788.00	
प्रारक्षित निधि	150,00,00,000.00		रुपये का सिक्का	9,48,063.00	
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि	239,00,00,000.00		छोटा सिक्का	2,66,968.46	
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि	85,00,00,000.00		खरीदे और भुनाए गए बिल		
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि जमा राशियां :—	205,00,00,000.00		(क) देशी	15,22,91,046.89	
(क) सरकारी			(ख) विदेशी	—	
(i) केन्द्रीय सरकार	57,04,56,105.17		(ग) सरकारी खजाना बिल	301,59,21,815.74	
(ii) राज्य सरकारें	29,48,26,324.36		विदेशों में रखा हुआ बकाया*	266,82,82,995.02	
(ख) बैंक			निवेश**	540,20,49,769.16	
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	537,70,49,336.10		ऋण और अग्रिम :—		
(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	22,75,49,813.28		(i) केन्द्रीय सरकार को	—	

(iii) गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	1,05,13,846.77	(ii) राज्य सरकारों को ‡	39,88,00,000.00
(iv) अन्य बैंक	3,10,35,415.92	ऋण और अग्रिम :—	
(ग) अन्य	207,69,34,439.69	(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को†	140,54,20,000.00
देय बिल	54,03,75,419.80	(ii) राज्य सहकारी बैंकों को††	189,52,75,475.00
अन्य देयताएं	334,55,91,293.62	(iii) दूसरों को	11,32,75,000.00
		राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश	
		(क) ऋण और अग्रिम :—	
		(i) राज्य सरकारों को	66,41,05,471.13
		(ii) राज्य सहकारी बैंकों को	17,97,47,227.00
		(iii) केन्द्रीय भूमि बंधक बैंकों को	..
		(iv) कृषि पुनर्वित्त निगम को	34,50,00,000.00
		(ख) केन्द्रीय भूमि बंधक बैंकों के डिबेंचरों में निवेश	11,24,91,225.00
		राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और अग्रिम राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम	41,06,37,914.00
		राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश	
		(क) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम	129,09,35,519.00
		(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये गए बांडों/डिबेंचरों में निवेश	..
		अन्य आस्तियां	89,43,54,723.31
कुल देयताएं	**1931,43,31,994.71**	**कुल आस्तियां**	**1931.43,31,994.71**

अंशतः चुकता शेयरों पर घटाकर देयता रु० 9,48,388.69 (पौंड 50,000 के स्टर्लिंग निवेशों को रु० 100=5.2721 पौंड की दर पर बदला गया)। *नकदी, आवधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं। **(i) राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि में से किये गए निवेश शामिल नहीं हैं। (ii) विदेशों में रखे हुए रु० 5,17,39,176.19 (50,000 पौंड और 6,298,175 अमरिकी डालर और 1,494,112.50 इचुल मार्क के समान राशि) शामिल हैं। ‡राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं। †रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया अधिनियम की धारा 17(4) (ग) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मीयादी बिलों पर अग्रिम दिए गए 31,30,00,000 रुपये शामिल हैं। †† राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं।

बे० एक्स० लोबो,
मुख्य लेखापाल
तारीख 26 जुलाई, 1973

एस० जगन्नाथन, गवर्नर
आर० क० हजारी, उप गवर्नर **एस० एस० शिरालकर**, उप गवर्नर
वी० वी० चारी, उप गवर्नर **आर० क० शेषाद्री**, उप गवर्नर

30 जून, 1973 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ हानि लेखा

आय	रु० पै०
ब्याज, बट्टा, विनिमय, कमीशन आदि£	171,29,18,131.22
व्यय	
स्थापना	22,89,24,841.31
निदेशकों और स्थानीय बोर्डों के सदस्यों की फीस और व्यय	66,520.16
लेखा परीक्षकों की फ़ीस	90,000.00
किराया, कर, बीमा, बिजली, आदि	1,07,82,931.00
विधि प्रभार	2,89,496.64
डाक और तार खर्च	13,31,396.50
कोष-प्रेषण	81,87,102.19
लेखन सामग्री, आदि	32,00,280.92
प्रतिभूति-छपाई (चेक, नोट फार्म आदि)	4,95,97,945.84
बैंक संपत्ति का मूल्य ह्रास और मरम्मतें	1,03,67,923 13
एजेंसी प्रभार	8,30,83,593.94
कर्मचारी निधि और अधिवार्षिकी निधि में अंशदान	50,00,000.00
विविध व्यय	1,19,95,478.22
उपलब्ध वास्तविक शेष राशि	130,00,00,621.34
जोड़	**171.29,18,131 22**
केन्द्रीय सरकार को देय अतिशेष	130,00,00,621.34

प्रारक्षित निधि लेखा

30 जून, 1973 को शेष	150,00,00,000.00
लाभ-हानि लेखे से अंतरिम किया गया	कुछ नहीं
जोड़	**150,00,00,000.00**

£रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम की धारा 47 के अनुसार नियमित या आवश्यक व्यवस्थाएं करने के बाद।

एस० जगन्नाथन, गवर्नर
आर० के० हजारी, उप गवर्नर
वी० वी० भारी, उप गवर्नर
एस० एस० शिरालकर, उप गवर्नर
आर० के० शेषाद्रि, उप गवर्नर

जे० एक्स० लोबो,
मुख्य लेखापाल

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

भारत के राष्ट्रपति की सेवा में,

हम रिज़र्व बैंक आफ़ इंडिया के अधोहस्ताक्षरित लेखा परीक्षक इसके द्वारा 30 जून, 1973 तक के रिज़र्व बैंक के तुलनपत्र तथा लेखों पर केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते है।

हमने केन्द्रीय कार्यालय और कलकत्ता, बम्बई (फ़ोर्ट), मद्रास, नई दिल्ली, हैदराबाद और भायखला (बम्बई-8) के लेखों और उनसे सम्बन्धित प्रमाणपत्रों और वाउचरों से और साथ ही, दूसरे कार्यालयों और शाखाओं के प्रबंधकों द्वारा पेश की गई प्रमाणित उन विवरणियों से जिन्हें उक्त तुलनपत्र में समाविष्ट किया गया है, उपर्युक्त तुलनपत्र की जांच कर ली है और हम यह सूचित करते हैं कि हमने केन्द्रीय बोर्ड से जो-जो स्पष्टीकरण और जानकारी मांगी है, वह सारा स्पष्टीकरण और जानकारी हमें दी गई है और यह संतोषजनक है। हमारी राय में यह तुलनपत्र पूर्ण और सही तुलनपत्र है; इसमें रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934 और उसके अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा निर्धारित विवरण दिये गए है और इसमें उक्त अधिनियम और विनियमों के अनुसार आस्तियों का मूल्य-निर्धारण किया गया है। जहां तक हमारी जानकारी है, यह तुलनपत्र हमें दिये गए स्पष्टीकरणों और बैंक की बहियों के अनुसार उचित ढंग से तैयार किया गया है ताकि इससे बैंक के कार्यों की सच्ची और सही स्थिति का पता लग सके।

मेसर्स ठाकुर वैद्यनाथ अय्यर एण्ड कम्पनी
मेसर्स सूरि एण्ड कम्पनी
मेसर्स पी० के० मित्रा एण्ड कम्पनी
मेसर्स बलाल एण्ड शाह

लेखा परीक्षक

तारीख 26 जुलाई, 1973

[सं० एफ० 10/11/73-बी० ओ० 1]
डी० एम० सुखथानकर, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Banking)

New Delhi, the 26th November, 1973

ANNUAL REPORT ON THE WORKING OF THE RESERVE BANK OF INDIA AND TREND AND PROGRESS OF BANKING IN INDIA FOR THE YEAR JULY 1, 1972—JUNE 30, 1973

S.O. 358.—In accordance with section 53(2) of the Reserve Bank of India Act, 1934, the Central Board of Directors has submitted to the Government of India the following report on the working of the Reserve Bank of India and Trend and Progress of Banking in India for the year ended June 30, 1973:—

I. TRENDS IN THE ECONOMY

The most disquieting aspect of the Indian economic scene during 1972-73 (July—June) was the severe and unabated pressure on the general price level. While the upsurge in the price level was undoubtedly a consequence of the setback in farm production for the second year in succession, resulting in severe shortage of a variety of wage goods particularly those originating in the agricultural sector, an important contributing cause of it was the excess demand in the economy. Other factors on the supply side which sustained and accentuated the price rise, particularly of foodgrains, were poor market arrivals and inadequate **kharif** and **rabi** procurement in relation to the demands of the public distribution system, at a time when food stocks with Government were being drawn down rapidly. World wide shortage of cereals which had already set in before India's entry as an importer made it difficult for this gap in supply to be made up through imports. The problems arising from supply shortages were compounded by a very substantial increase in money supply during the year, on top of the large monetary expansion that had occurred during 1971-72. Even the improvement noticed in the growth rate of industrial output during the earlier part of the year could not make any noticeable impact on the large imbalance between the aggregate demand and the aggregate supply.

2. The price rise was due partly to the lagged effects of large increases in domestic expenditure especially by the Government, in 1971-72. But the major element in raising the level of domestic demand has been expenditure undertaken by the Government during the year under review. Total spending by the Central and State Governments for all purposes amounted in 1972-73 to Rs. 11,942 crores, or 13. 6 per cent more than in 1971-72. A part of the increase in expenditure was undoubtedly unforeseen, such as disbursements on drought relief and emergency agricultural programmes. But as will be explained later, this went with a large increase in respect of regularly budgeted items of expenditure in the revenue and capital accounts. Despite the fact that actual receipts exceeded budget estimates, there was a big gap between receipts and expenditures which had to be covered through recourse to borrowings from the Reserve Bank. Simultaneously, with expansion in Government spending, expenditures in the private sector also grew as a consequence of larger money incomes, higher prices and the development of a scarcity psychosis. In the event, the overall price index recorded an unprecedented rise of 21.5 per cent during the year July 1972—June 1973.

3. If the economy is disaggregated into its components the pattern of changes would be seen to vary from sector to sector, since the general position mentioned above has been modified by the special forces at work in each sector. On the basis of some broad indicators, the main features are summarised here leaving an assessment of the performance in detail to later paragraphs. While reliable information on private consumption is not available, the data on household savings in the form of financial assets such as bank deposits, life insurance premia, provident fund contributions, etc. indicate that the ratio of such savings to national income at current prices has increased as compared to the previous year. On household savings in the shape of physical assets, including inventories, little statistical information is available. But from circumstantial evidence—such as availability and prices of construction materials, incentives provided for capital formation in the agricultural and small-scale sectors and easy access to liquid funds—it may be reasonable to infer that such savings in absolute terms did not diminish. The private corporate sector has been able to record an improvement in its savings in relation to the 1971-72 level. Similarly, available data show that there has been a considerable step-up in the net savings on revenue account of the Central Government; this is mainly due to a buoyancy in tax revenues, coupled with a somewhat slower increase in the consumption expenditure of Government. From these indicators, it would appear that the ratio of domestic savings to national income at current prices has increased fractionally in 1972-73. Since the inflow of foreign resources is estimated to be less than in 1971-72, the ratio of aggregate net investment to national income at current prices in 1972-73 remained approximately at the same level as last year. In other words, aggregate net investment increased more slowly than domestic saving. Moreover, as the investment goods prices were higher than in the previous year, the achievement in real terms was less than that reflected in terms of percentage of national income. The summary position is shown in Table 1 below.

Table 1:—Provisional Estimates of Saving and Investment as per cent of National Income at Current Prices

	1970–71	1971–72	1972–73
1. Net Domestic Saving ..	10.6	11.3	11.7
2. Inflow of foreign resources	1.1	1.3	0.9
3. Investment (1+2) ..	11.7	12.6	12.6

4. Unlike in the previous year when the expansion in money supply was largely accounted for by deposit money, during 1972-73 the currency component accounted for a greater proportion (64.6 per cent) of the rise in money supply. This monetary expansion was accompanied by slackness in demand for credit by the commercial sector during the major part of the year 1972, and the credit-deposit ratio came down to 66 per cent at the end of December, 1972, from 72 per cent at the end of June, 1972. The situation of surplus funds with the banking system was utilised by the Government to borrow from that sector for financing Government expenditure on capital formation, relief, etc. which had to be undertaken in the wake of the drought. Since the beginning of 1973, excess liquidity in the banking system has come down substantially, as a result of the busy season expansion in bank lending to the commercial sector; consequently the credit-deposit ratio rose to about 70 per cent at the end of June, 1973. The expansion in commercial bank credit of Rs. 819 crores in the period July 1972—June 1973 has largely been due to increased borrowing for purposes other than financing of food stocks. This might render the return of funds to the banks during the current slack season somewhat slower than usual. Altogether, from the trends in aggregate monetary resources, it was obvious that the community commanded at the end of June 1973 a large volume of potential demand, while the prospects of additional supplies of essential goods and services were, to say the least, uncertain.

5. It is against this background that the Reserve Bank found it necessary to tighten the availability of credit, through an increase in the Bank rate and imposition of a series of restrictions on commercial banks' access to loanable funds including an increase in the reserve requirements.* Simultaneously, the Government also initiated steps to bring about economies in Plan and non-Plan expenditures. All of these measures have yet to have their impact on the demand-supply imbalance and on price inflation.

*The reserve requirements were raised from 3 per cent to 5 per cent of the total of demand and time liabilities for each bank with effect from June 29, 1973. On August 14, 1973, the Reserve Bank announced a further increase in these reserves to 7 per cent, with effect from September 22, 1973. In both cases, the additional deposits are to be kept for a year and to be paid an interest of 4.75 per cent per annum.

6. Concurrently with these developments within the economy, the international monetary scene continued to bristle with uncertainties. The pressure on the U.S dollar continued unabated, culminating in its devaluation for the second time in February, 1973. Several of the World's major currencies including the pound sterling continued to float and in this situation, the progress towards the creation of a viable international monetary system has been very slow. The rupee maintained its rate of exchange with the pound sterling and currencies linked with it and has depreciated in relation to most European currencies and the Japanese yen. It appreciated **vis-a-vis** the U.S. dollar and currencies linked with it for the greater part of the year but latterly its effective value in terms of these currencies has been fluctuating around Rs. 7.50 per U.S. dollar.

7. It is difficult to assess precisely the extent to which these changes have affected India's balance of payments. DGCIS data showed a marginal decline in imports, while a remarkable buoyancy was experienced in our exports. This increase in exports was led by the traditional items like cotton textiles, jute goods, hides and skins, tobacco, etc. stimulated by an increase in world demand for them as well as by smaller supplies from certain competing sources. It also spread to engineering goods in the latter part of the year. Because of this combination of circumstances, there was a trade surplus for the first time in many years. The debt service burden also was lightened by the re-scheduling arrangement worked out with the Aid India Consortium. It is further probable that with the narrowing down of the difference between Indian and international prices of gold, some of the loss in foreign exchange arising from smuggling was reduced. Altogether, India's foreign exchange resources during the year showed an increase of Rs. 37 crores* compared to that of Rs. 58 crores in the previous year. It is, however, to be noted that in 1971-72, reserves benefited from an allocation of Rs. 75 crores worth of SDRs, while there was no such allocation in 1972-73. Rupee values of some of the foreign currency assets held in reserves have also appreciated consequent to exchange rate adjustments. If allowance is made for these factors, the rise in reserves during 1972-73 would work out to Rs. 2 crores as compared to the decline of Rs. 33 crores in 1971-72.

8. But it does not follow that the prospects on this front for the coming year are comfortable. The shortages in the domestic market are likely both to raise imports and reduce exports. Higher prices of imports now prevailing in the world markets would be an additional factor affecting the balance of payments. With aid commitments, virtually reaching a plateau (around $ 1200 million gross), these trends can result in a quick using-up of the margin available in reserves. This is a situation that needs to be incessantly watched, so that suitable steps for shoring up the reserves may be taken in good time.

Output, Prices and Policy Measures

National Income

9. We may now take a closer look at developments on the production side in the period July 1972, to June 1973. Although official estimates of national income for 1971-72 and 1972-73 are not yet available, it would seem from the available data that national income growth in each of these years was considerably less than 2 per cent. This compares with the increases of 7.3 per cent, and 4.6 per cent in the years 1969-70 and 1970-71, respectively. Given these shortfalls, it is obvious that the target rate of 5.5 per cent average growth envisaged for the Fourth Plan period can only be reached if there is a phenomenal increase in national income during 1973-74.

Agricultural Output and Supply

10. The relative stagnation in the growth of national income was principally attributable to the poor performance of commodity sectors. For the second year in succession, agricultural output suffered from unfavourable weather conditions in many parts of the country in the 1972 **kharif** season. Agricultural output which declined by 1.7 per cent in 1971-72 is likely to show an even larger decline in 1972-73, despite the crash **rabi** programme launched during 1972-73. The output of foodgrains during 1972-73 might at best be of the order of 100 million tonnes as against 104.7 million tonnes (final estimates) in 1971-72. While the output of wheat is likely to be somewhat higher (26.5 million tonnes) than in the previous year, that of rice is expected to show a decline from 42.7 million tonnes in 1971-72 to around 40 million tonnes in 1972-73. Outputs of coarse grains and pulses, as also of various other commercial crops are estimated in 1972-73 to be smaller than in the preceding year; however, sugarcane output is expected to be marginally higher.

11. Following the shortfall in **kharif** output and consequential reduction in the market availability of foodgrains, releases through the public distribution system had to be stepped up. During the lean months of August-October 1972, the average monthly offtake from the public distribution system was 11.6 lakh tonnes as against 7.3 lakh tonnes during the corresponding period of 1971; the total offtake during July, 1972-March, 1973 at 8.9 million tonnes, was thus substantially higher than that in the corresponding period of 1971-72 (7.0 million tonnes). With lower procurement and lower imports these heavy releases inevitably meant a rapid depletion of stocks with the Central and State Governments. These stocks which stood at 8.9 million tonnes at the end of June, 1972, declined steadily to 4.4 million tonnes by the end of June, 1973. In this situation of supply shortage, the Government arranged in late 1972 of import of about 2 million tonnes of foodgrains comprising 1.5 million tonnes of wheat and 0.5 million tonnes of milo. By end June 1973 about 1.4 million tonnes of these imports had arrived but this did not materially ease the strain on the public distribution system.

12. With the approach of the rabi harvest, the Government decided to take over the wholesale trade in wheat with a view to absorbing the marketed supply for controlled distribution. In accordance with this policy, wholesale trade in wheat was entrusted to the Food Corporation of India and/or specific authorities designated by State Governments in all the States. However, the move met with both overt and covert opposition from several sections of the community; and in consequence there has been a fall in the 'marketed surplus' and therefore in procurement. Upto end-June 1973, Government had procured only 4.1 million tonnes against the original target of 8.1 million tonnes and the revised target of 6 million tonnes. This inadequacy of procurement had the effect not only of continuing the strains on the public distribution system but also of generating fears of a further price increase in the lean season.

13. While the foodgrains supply situation was causing serious concern, the position regarding output of commercial crops was not altogether comfortable. Raw cotton output which touched the record level of 6.5 million bales in 1971-72 is expected to be 6.2 million bales in 1972-73; but the total supply position remained comfortable, principally because of large carry-over stocks. Production of jute and mesta estimated at 6.1 million bales during 1972-73 was also lower than the previous year's level of 6.8 million bales. Output of five major oilseeds which declined by one million tonnes in 1971-72 to 8.3 million tonnes declined further to about 7.0 million tonnes in 1972-73, almost wholly due to shortfall in groundnut output, which is expected to touch 3.9 million tonnes in 1972-73, the lowest level since 1955-56. This has resulted in a sharp rise in prices and a number of measures, including imports, have had to be taken to meet the situation. It is only the production of sugarcane (in terms of gur) that is expected to show some improvement, at 12.0 million tonnes as compared to 11.7 million tonnes in 1971-72.

14. The implication of these events is that despite the massive investment that has already been made for developing as well as extending the new agricultural strategy, agricultural output remains, by and large, a variable dependent on the monsoon. The new agricultural strategy still remains to be exploited in many States in respect of cereals and its potential has yet to be established in respect of other foodgrains and commercial crops. In particular, two successive droughts underline the need to evolve an

*Provisonal

integrated programe for spreading the use of scientific dry farming methods as well as exploitation of ground water resources.

Industrial Output

15. In the industrial sector, there was a welcome reversal of the decline in the growth rate of industrial output which was evident during the last two years. The growth in industrial output in 1972 was 7.1 per cent as against 2.9 per cent recorded in 1971, and 4.8 per cent in 1970. Nonetheless, it was still below the targeted growth rate of 8-10 per cent postulated in the Fourth Five-Year Plan.

16. If industries are classified according to variations in their output, it is observed that those showing increase in output rose to 87 per cent (by weightage) of the total in 1972 from 60 per cent in 1971 (Table 2). Correspondingly, the weightage of industries showing declines in output came down from 38 per cent to 10 per cent. The increase in production was, in other words, spread over a wide range of industries indicating a general improvement in the availability of non-wage goods and some wage goods produced by the industrial sector.

Table 2—Classification of Industries by their Growth Rates

Range of Growth Rates @	In terms of Weights in the General Index (1960=100)				
	1968	1969	1970	1971	1972£
Increase					
Moderate : Less than 5 per cent	23.81	26.69	27.78	27.99	31.98
Marked : 5 per cent and above	50.24	42.07	38.40	31.96	55.16
Of which :					
(*i*) 10 *per cent and above*	25.68	28.10	22.42	15.72	15.89
	74.05	68.76	66.18	59.95	87.14
Decline					
Moderate : Less than 5 per cent	4.43	16.61	16.10	19.98	5.53
Marked : 5 per cent and above	19.04	12.15	13.24	17.59	4.85
Of which :					
(*i*) 10 *per cent and above*	9.18	9.79	6.13	5.30	1.99
	23.47	28.76	31.34	37.57	10.38
Total Weight	97.52*	97.52*	97.52*	97.52*	97.52*

@Growth Rates represent percentage increases in output over the respective preceding years.
£Provisional.
*C.S.O. does not regularly publish the index of industries with the balance of 2.48 percentage points of weightage.

17. Industries which showed marked increases were cotton spinning, mining and quarrying, iron and steel, railroad equipment, and fine and pharmaceutical chemicals. Among industries which showed moderate increases, the notable ones were cotton textiles, food manufacturing and cement. Industries with nominal declines (of less than 5 per cent) constituted less than 6 per cent of the total in 1972 compared with 20 per cent in 1971, and included motor vehicles, non-metallic mineral products and communication equipment. Industries where the decline was more than 5 per cent accounted for less than 5 per cent of the total weight as against 18 per cent in 1971; important among them were cigarettes and miscellaneous manufacturing industries.

18. Several factors contributed to this overall improvement in industrial output in 1972. First, better supply position of raw cotton and raw jute, assisted larger production of textiles which have a weightage of 27 per cent in the index of industrial production. Likewise, steel-using industries benefited from a 4 per cent increase in the output of steel from both public and private sector steel plants and the continuation of imports. Secondly, larger investment in various industries led to a higher demand for cement and other construction materials, transport services and certain investment goods. Thirdly, selective liberalisation of industrial licensing policy appears to have encouraged industrial activity. Lastly, an improvement in industrial relations in some key industries that occurred in 1972 probably had a favourable impact on industrial capacity utilisation.

19. There were, however, some industries which had under-utilised capacity like railway wagons, mining machinery, steel castings, machine tools and heavy structures. In most cases, this stemmed from continued sluggish demand for their products. Utilisation of capacity in the motor vehicle group, however, was affected by paucity of supplies from ancillary units, caused by labour strikes and/or inadequate supply of inputs. Likewise, the vanaspati industry continued to work below capacity for lack of adequate supply of oilseeds/oils.

20. Despite the set-back suffered in the early part of 1973, there are possibilities of continuation of, if not an acceleration in, the growth rate of 7.1 per cent recorded in 1972. The realization of this possibility depends on a favourable monsoon and a consequential improvement in supply position of power and of raw materials like raw cotton, raw jute, oilseeds, sugarcane, etc. It is in respect of industrial raw materials that specific measures to augment supplies and keep down costs will be required. Further additions to capacity and imports would help in some cases; in respect of others, it will be necessary to streamline the distribution machinery and perhaps permit some price increases. Overall industrial activity has to be supported by better production and management in the public utilities sector, especially electric power where supply has been severely impaired.

Price Situation

21. As already observed, the continuation of reduced supplies of agricultural products and rapid expansion of monetary resources resulted in a sharp deterioration of the price situation. Between end-June 1972 and end-June 1973, the wholesale price index showed a record rise of 21.5 per cent as against a much smaller increase of 6.8 per cent in 1971-72. Apart from this being the largest increase in a single year in the recent past, it was also remarkable for the rapidity of increase during the period since January 1973—despite the realization of a rabi output at least as good as in the 1972 season. While the rise during the slack season (May-October 1972) was of the order of 9.1 per cent, there was a rise of 7.6 per cent in the busy season (November-April) 1972-73. Since end-April 1973, the price index has moved up further by 6.8 per cent.

22. All the major groups have shared in the price rise. in the foodgrains group, particularly, price increases continued

to be sharp in respect not only of coarse grains and pulses, whose output had fallen consecutively for the past three years but also of wheat the output of which had recorded some increase in 1972-73. Prices of bajra and jowar in 1972-73 went up by 56.5 per cent and 28.3 per cent on top of a rise of 45.1 per cent and 20.9 per cent, respectively, in 1971-72. This situation in the coarse grains market inevitably led to the shift of some demand to the wheat and rice markets; and combined with poor market arrivals in those markets, pressed on their prices. Despite the absence of any fall in current output, and notwithstanding larger issues from stocks, wheat prices rose by 9.5 per cent as against a rise of 3.8 per cent last year. Rice prices also went up by 16.9 per cent as against a rise of 10.1 per cent in the preceding year.

23. Among other essential commodities, there was a phenomenal rise of 64.3 per cent in edible oils as compared to a modest rise of 3.8 per cent last year; the price of sugar increased at a slower rate of 6.5 per cent as compared to the rise of 27.5 per cent registered in the preceding year. Due to lower imports of raw cotton and higher export demand for cotton textiles, the supply position of raw cotton turned somewhat tighter in general but significantly in respect of long staple varieties; the price of raw cotton consequently rose by 58.5 per cent comparison with a decline of 31.3 per cent during the last year. The prices of most of the industrial raw materials increased in varying degrees during the year under review ignoring seasonal influences. In the manufactured articles group also, with the exception of jute manufactures, prices of other articles, notably cotton manufactures, metal products and leather products registered significant increases. Prices of intermediate products like cotton yarn, linseed oil, semis and non-ferrous metal products showed sharp increases reflecting the immediate impact of price increases of their respective raw materials.

24. Consistent with reduced availability of wage goods and uptrend in the general price level, especially in the price of foodgrains, edible oils and sugar, consumer price index numbers (Base 1960—100) represented by the All-India Consumer Price Index Numbers for Industrial Workers and Consumer Price Index Numbers for Urban Non-Manual Employees too have risen disconcertingly during the year. The average index for Industrial Workers increased from 192 in 1971-72 (July-June) to 214 in 1972-73 recording a rise of 11.5 per cent as compared to a rise of 3.2 per cent in 1971-72 over 1970-71. The average Index for Urban Non-Manual Employees also rose by 7.1 per cent in 1972-73 (July-April) over 1971-72 as against a rise of 4.0 per cent in 1971-72 (July-April) over 1970-71. This must be viewed with concern as many establishments in the public and private sectors have clauses linking their wage bill to variations in the cost of living. This would tend to strengthen the pressure of cost elements on the inflationary situation.

25. In a situation of rising prices of foodgrains the strategy for timely augmentation of food supplies through procurement and imports so as to bring about an effective and equitable distribution of available supplies is a major desideratum. The actual procurement during 1972-73 fell far short of the target for a variety of reasons. The take-over of wholesale trade in wheat, which was expected to benefit procurement and distribution, was not fully effective. Government purchases were much less than needed for meeting the requirements of the public distribution system. Import of foodgrains also did not entirely remedy the situation.

26. In the context of the difficulties and problems encountered in the take-over of wholesale trade in wheat it would be necessary to prepare a well thought out strategy for procurement of rice. The problem of rice procurement would be more complicated as procurement has to be undertaken in practically all the States, unlike in the case of wheat where a few States accounted for the bulk of procurement. Moreover, for procurement of rice, on a large scale, a levy system covering rice mills as well as others may have to be implemented effectively. In case there are difficulties involved in operating such a system, it may be necessary to consider other supplementary schemes as well. Whatever the method adopted, what is important is that procurement plans should be formulated in advance both at expert and administrative levels and their effective implementation ensured.

BUDGETARY OPERATIONS@

Combined Position of Central and State Governments

27. The price situation, it was stated earlier, was aggravated considerably by large increases in domestic expenditure which were reflected in monetary expansion. A prime factor contributing to this expansion on the monetary side was increased Government spending in the wake of the drought. However, the full measure of expansionary impact of Government expenditure is not reflected in the revised estimates which show a combined deficit of only Rs. 701 crores* in 1972-73, or less than the overall deficit of Rs. 808 crores recorded in 1971-72. More recent data show that the combined deficit was Rs. 868 crores—or a little less than four times the 1972-73 budget estimates of Rs. 231 crores. Deterioration in the budgetary position has occurred notwithstanding the buoyancy in aggregate receipts. Budgetary provision for 1973-74, however, is for reversal of the situation and consequent reduction of the combined deficit around Rs. 283 crores (Table 3).

Trends in Receipts

28. Mainly because of improved receipts on capital account, aggregate receipts increased by 15.9 per cent as against a rise of 7.1 per cent in terms of the budget estimates. Aggregate tax receipts which had shown a rise of 17.5 per cent in 1971-72 increased by 15.1 per cent in 1972-73. Even so, tax revenue in 1972-73 at Rs. 6408 crores would constitute about 16.2 per cent of national income (at current prices) as against 13.2 per cent in 1969-70. With an increase of 12.0 per cent in tax revenue estimated for 1973-74, this proportion should go up still further.

Trends in Disbursements

29. Total disbursements (including loans and advances) showed a rise of 13.6 per cent in 1972-73. A large part of the rise was accounted for by developmental outlays which, in terms of the budget proposals, were to rise by 5 per cent but actually went up by 14.6 per cent. This was largely on account of the provision of Rs. 147 crores in the Central Plan for emergency agricultural production programme, and increase in States' expenditure on agriculture, irrigation, education, public health, etc.

Centre's Budgetary Position

30. While there was an increase in disbursements both of the Central and State Governments, the deterioration in overall position compared to budget estimates was very considerable in the case of the Central Government. The Centre's deficit which was orginally budgeted at Rs. 251 crores and placed at Rs. 550 crores in the revised estimates has turned out to be Rs. 882 crores. This excludes the net amount of Rs. 421 crores given as ways and means advances by the Centre to the States in 1972-73 for clearing their overdrafts with the Reserve Bank of India.** While increase of about 29 per cent in Centre's total disbursements over the budget estimates was on account of

---

@ Figures in this section relate to fiscal years; figures for 1972-73 refer to revised estimates, unless mentioned otherwise.

* In the case of the Centre the combined deficit is measured by net increase in outstanding Treasury bills and withdrawal from cash balances and in the case of States decline in cash balances, net sales of securities held by States in their cash balance investment accounts, net transfer from revenue reserve funds and net increases in RBI credit in the form of ways and means advances and overdrafts (repayable within 7 days with effect from May 1, 1972) as presented in State budgets in the case of States.

**It is not included for the purpose of the account here because the transfer of the liability in the books of the Reserve Bank from that of States to the Centre has no monetary impact.

Table 3—Combined Receipts and Disbursements of Central and State Governments

(Amounts in Rupees Crores)

	1969-70 (Accounts)	1970-71 (Accounts)		1971-72 (Accounts)		1972-73 (Budget Estimates)*@		1972-73 (Revised Estimates)		1973-74 (Budget Estimates)*	
	Amount	Amount	Per cent increase (+)/ decrease (—) over the previous year	Amount	Per cent increase (+)/ decrease (—) over the previous year	Amount	Per cent increase (+)/ decrease (—) over the previous year	Amount	Per cent increase (+)/ decrease (—) over the previous year	Amount	Per cent increase (+)/ decrease (—) over the previous year
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Total Receipts (A+B)	8111	8421	+ 3.8	9703	+15.2	10393	+ 7.1	11241	+15.9	12035	+ 7.0
A. Revenue Receipts	5273	5810	+10.2	6840	+17.7	7663	+12.0	7811	+14.2	8505	+ 8.9
Of which :											
Tax Receipts	4182	4735	+13.2	5565	+17.5	6319	+13.5	6408	+15.1	7175	+12.0
B. Capital Receipts	2838	2611	— 8.0	2863	+ 9.7	2730	— 4.6	3430	+19.8	3528@@	+ 2.9
II. Total Disbursements	8098	8847	+ 9.2	10511	+18.8	10624	+ 1.1	11942	+13.6	12316	+ 3.1
Of which :											
A. Developmental Outlay (a+b)	3020	3443	+14.0	4242	+23.2	4454	+5.0	4862	+14.6	5124	+ 5.4
(*a*) Revenue	1984	2254	+13.6	2635	+16.9	2940	+11.6	3128	+18.7	3478	+11.2
(*b*) Capital	1036	1189	+14.8	1607	+35.2	1514	—5.8	1734	+ 7.9	1646	— 5.1
B. Non-Developmental Outlay (a+b)	3281	3674	+12.0	4437	+20.8	4286	— 3.4	4939	+11.3	5338	+ 8.1
(*a*) Revenue	3157	3366	+ 6.6	4260	+26.6	4212	— 1.1	4876	+14.5	5146	+ 5.9
(*b*) Capital	124	308	+148.4	177	+42.5	74	—58.2	63	—64.4	174	+176.2
Overall Surplus (+) or Deficit (—)(I—II)	+13	—426		—808£		—231		—701		—283‡	

Notes: 1. Figures are adjusted for inter-Governmental transfers. The combined overall position, however, remains unchanged.

2. Figures given here are not comparable with those given in earlier Annual Reports mainly because of the change in treatment of net contribution of departmental undertakings in the case of States; besides, net ways and means advances and overdrafts from RBI (as per State Budgets) which were shown as part of States' capital receipts under floating debt are treated as financing items from 1971-72 Report.

* Includes effects of Budget proposals.

£ This deficit will be reduced by Rs. 1 crore if Jammu and Kashmir Government's net repayment of overdrafts with Jammu and Kashmir Bank Ltd., is taken into account.

@ In the case of Punjab, supplementary estimates presented during 1972-73 are excluded. If they are taken into account the overall deficit will increase by Rs. 11 crores.

@@ Excludes market borrowings (Rs. 3 crores) by Jammu and Kashmir Electricty Board.

‡This deficit will be higher by about Rs. 2 crores as a result of tax concessions announced by the Union Finance Minister subsequent to the presentation of the Central Government Budget.

expenditure on gross capital formation, the balance of the rise was due to additional expenditure for purposes other than capital formation. Defence and assistance for natural calamities each accounted for about one-fifth of the rise in the total expenditure. It was largely because of these increases that Centre's expenditure could not be contained within the available resources inspite of buoyancy in aggregate resources.

31. Consumption expenditure of the Centre increased by 6.5 per cent (as against a decline of 4.3 per cent in terms of budget estimates) mainly because of the rise in defence spending and grant of interim relief to Government employees. At the same time, capital formation expenditure which had increased by 17 per cent and 15 per cent, respectively, during 1970-71 and 1971-72, rose by as much as 26 per cent in 1972-73. This sharp rise is attributable to (*i*) a sizeable rise in Central assistance to States mainly for financing Plan schemes, including the emergency agricultural production programme covered under the Central Plan and (*ii*) assistance to non-departmental undertakings. Such increased financial assistance accounted for 72.7 per cent of the total increase of Rs. 557 crores in capital formation expenditure in 1972-73 over 1971-72. In respect of these investment expenditures while there would by and large be creation of productive assets and an increase in flow of goods and services in future, the immediate effect was to add to the inflationary pressures by enlarging the budget deficit.**

32. A clearer picture of the impact of Centre's budgetary operations on the economy can be had from a review of the sources and uses of funds. In 1971-72, of the total expenditure, current expenditure (56.3 per cent) and other expenditure not resulting in capital formation (11.5 per cent) accounted for 67.8 per cent; expenditure on gross capital formation accounted for the balance of 32.2 per cent. In 1972-73, despite an increase in the magnitude of current expenditure, its proportion to the total declined to 51.5 per cent. On the other hand, due to large transfer of resources to States, there was an increase of 2.5 percentage points in the proportion of gross capital formation to total expenditure, thus raising its share to 34.7 per cent in the total. A little more than one-fifth of the gross capital formation expenditure in 1972-73 (Rs. 2718 crores) was financed by gross savings of the Government (Rs. 572 crores) which reflect (*a*) the excess of revenue receipts over current expenditure and (*b*) the internal resources of departmental commercial undertakings. Current receipts increased by Rs. 558 crores. However, since current expenditure increased by Rs. 262 crores, the increase in gross savings was limited to Rs. 303 crores (including an increase of Rs. 7 crores in the internal resources of the departmental commercial undertakings). An increase in consumption expenditure referred to earlier, brought down the level of net savings (*i.e.* gross savings *minus* expenditure on renewals and replacements) to Rs. 458 crores as against budget anticipation of Rs. 621 crores (Table 4). Nevertheless, net savings in 1972-73 were much higher than the Rs. 178 crores achieved in 1971-72. While these savings represent a transfer of resources from the private sector to the Government, they re-enter the expenditure stream through financing capital formation.

33. A measure of the gap which had to be met from internal and external borrowings and indebtedness to the Reserve Bank is furnished by the excess of total expenditure over total receipts comprising current receipts, capital transfers, repayment of loans and internal resources of departmental undertakings. In 1972-73, the total expenditure of the Central Government at Rs. 7840 crores exceeded total receipts by Rs. 2006 crores. This was financed to the extent of Rs. 1147 crores by domestic borrowings and Rs. 309 crores by external borrowings, leaving an uncovered gap of Rs. 550 crores to be financed by budgetary deficit* *i.e.* borrowings from the Reserve Bank against Treasury bills and drawal on cash balances. (Table 5).

**A part of the increase in capital formation expenditure was on account of compensation payments arising from the nationalisation of coking and non-kcoking coal mines and General Insurance Companies. These payments increased resources available to the private sector without a compensating benefit of addition to productive capital assets.

*As mentioned earlier, budgetary deficit is now placed at Rs. 882 crores.

Table 4—Savings of the Central Government

(Amounts in Rupees Crores)

	1969-70 (Accounts)	1970-71 (Accounts)	1971-72 (Accounts)	1972-73- (Budget Estimates)	1972-73 (Revised Estimates)	1973-74 (Budget Estimates)	Percentage Variation of col. (5) over col. (3)	Percentage Variation of col. (6) over col.(5)
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Revenue Receipts of Government Administration (i—ii)	2882	3133	3817	4210	4375	4815	+14.6	+10.1
Tax Revenue	2189	2434	2903	3320	3450	3915	+18.8	+13.5
(ii) Non-tax Revenue	693	699	914	890	925	900	+1.2	—2 7
2. Current Expenditure	7640	2909	3777	3724	4039	4110	+6.9	+1.8
3. Savings of the Government Administration (1—2)	242	224	40	486	336	705	+740.8	+109 8
4. Depreciation Provision And Retained Profits of Departmental Commercial Undertakings								
(i+ii)	160	179	229	255	236	278	+3.1	+17.8
(i) Depreciation Provision	115	123	128	137	136	148	+3.6	+8.8
(ii) Retained Profits	45	56	101	118	100	130	—1.0	+30.0
5. Gross Savings of the Central Government (3+4)	402	403	269	741	572	983	+112.6	+71.9
6. Expenditue on Renewals and Replacements	75	91	91	120	114	137	+25.3	+20.2
7. Net Savings (5—6)	327	312	178	621	458	846	+157.3	+84.7
8. Net Investment	318	428	506	604	635	759	+25.5	+19.5
9. Excess (+) or shortfall (—) of Net Savings over Net Investment (7—8)	+9	—116	—228	+17	—177	+87		
10. Item 3 as per cent of Item 1	8.4	7.1	1.1	11.5	7.7	14 6		

Table 5—Sources and Uses of Funds: Central Government

(Amounts in Rupees Crores)

	Sources of Funds						Uses of Funds						
	1969-70 (Accounts)	1970-71 (Accounts)	1971-72 (Accounts)	1972-73 (Budget Estimates)	1972-73 (Revised Estimates)	1973-74 (Budget Estimates)		1969-70 (Accounts)	1970-71 (Accounts)	1971-72 (Accounts)	1972-73 (Budget Estimates)	1972-73 (Revised Estimates)	1973-74 (Budget Estimates)
1. Current Receipts (a+b)	2882	3133	3817	4210	4375	4815	1. Expenditure for Capital Formation (a+b)	1612	1888	2161	2441	2718	2883
(a) Tax Receipts	2189	2434	2903	3320	3450	3915							
(b) Income from property, enterprises and miscellaneous receipts	693	699	914	890	925	900	(a) Gross Capital Formation	1649	1854	2130	2474	2729	2899
							(b) Increase in Inventories	—37	34	31	—33	— 11	—16
2. Capital Transfer	46	55	32	31	39	33	2. Expenditure for purposes other than Capital Formation (a+b)	3313	3688	4549	4428	5122	4759
3. Internal Resources of Departmental Undertakings	160	178	229	254	236	278	(a) Current Expenditure (i+ii)	2640	2908	2778	3725	4039	4110
4. Repayment of Loans	847	983	1054	1008	1184	1130	(i) Consumption Expenditure	1477	1669	2055	1966	2188	2269
Total Receipts (1 to 4)	**3935**	**4259**	**5132**	**5503**	**5834**	**6256**	(ii) Current Transfers	1163	1239	1723	1759	1851	1841
Excess of Total Expenditure over Total Receipts	990	1317	1578	1366	2006	1386	(b) Other Expenditure	673	780	771	703	1083	649
Finance by :													
1. Net Domestic Borrowings	384	648	793	753	1147	864							
Of which :													
Net Market Borrowings[a]	143	144	293	215	477	326							
2. Net External Borrowings	539	343	325	361	309	437							
3. Budgetary Deficit (a+b)	67	326	460	252	550	85							
(a) Net RBI holdings of Treasury Bils†	84	400	290	252	545	85							
(b) Increase (—) or Decrease (+) in Cash Balances	—17	—74	+170	—	+5	—	**Total Expenditure (1+2)**	**4925**	**5576**	**6710**	**6869**	**7840**	**7642**

Note: Savings of the Government administration = Current Receipts *minus* Current Expenditure.

[a]Comprised market loans (net), small savings (net), Provident Fund (net), other debt (net), net increase in holdings of Treasury bills other than to RBI, etc.

†Ignores funding of Treasury bills into long-dated securities.

Source : Economic and Functional Classification of the Central Government Budgets 1971-72 1972-73 and 1973-74.

Table 6 :—Development and Non-Developmental Expenditure of the Central Government

(Amounts in Rupees Crores)

	1969-70 (Accounts)		1970-71 (Accounts)		1971-72 (Accounts)		1972-73 (Budget) Estimates		1972-73 (Revised Estimates)		1973-74 (Budget Estimates)	
	Amount	per cent variation over the previous year	Amount	per cent variation over the previous year	Amount	per cent variation over the previous year	Amount	per cent variation over the previous year	Amount	per cent variation over the previous year	Amount	per cent variation over the previous year
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Total Expenditure (A+B)	4925	+ 8.8	5576(@)	+13.2	6710	+20.3	6869	+ 2.4	7840	+16.8	7642	— 2.5
	(100.0)		(100.0)		(100.0)		(100.0)		(100.0)		(100.0)	
A. Developmental Expenditure (i+ii)	2352	+ 5.2	2659	+13.1	3126	+17.6	3544	+13.4	4025	+28.8	4056	+ 0.8
	(47.8)		(47.7)		(46.6)		(51.3)		(51 3)		(53.1)	
(i) Social Services	304	+10.5	364	+19.0	452	+24.4	663	+46.7	679	+50.2	746	+ 9.9
	(6.2)		(6.5)		(6.7)		(9.7)		(8 6)		(9.8)	
(ii) Economic Services*	2048	+ 4.5	2295	+12.0	2674	+16.5	2881	+ 7.7	3346	+25.1	3310	— 1.1
	(41.6)		(41.2)		(39.9)		(41.9)		(42.7)		(43.3)	
B. Non-Developmental Expenditure (i+ii)	2573	+12.3	2917	+13.4	3584	+22.9	3325	— 7.2	3815	+6.4	3586	— 6.0
	(52:2)		(52.3)		(53.4)		(48.4)		(48.7)		(46.9)	
(i) General Service	1492	+6.4	1777	+19.2	2018	+13.6	1909	—5.4	2264	+12.2	2146	— 5.2
	(30.3)		(31.9)		(30.1)		(27.8)		(28.9)		(28.1)	
(ii) Unallocable	1081	+21.6	1140	+ 5.5	1566	+37.4	1416	— 9.6	1551	— 1.0	1440	— 7 2
	(21.9)		(20.4)		(23.3)		(20.6)		(19.8)		(18.8)	

Note : Figures in brackets are percentages to total expenditure.

(@) Includes compensation paid to nationalised banks estimated at Rs. 84 crores and additional subscription to the IMF and IBRD paid in the form of non-negotiable non-interest bearing rupee securities estimated at Rs. 114 crores.

* Include Block grants and loans.

Budget for 1973-74—Centre

34. In contrast to the enlargement of expenditures that occurred in 1972-73, the budget for 1973-74 has provided for a decline of 2.5 per cent (as compared with the revised estimates for 1972-73) in total expenditure. Developmental expenditure (comprising social and economic services) which had increased by 29 per cent during 1972-73 is expected to show a marginal rise of about 1 per cent. Non-developmental expenditure *i.e.*, general services and unallocable items, which had increased by 6 per cent in 1972-73 is anticipated to decline by the same percentage (Table 6). At the same time, tax proposals have been introduced to yield as much as Rs. 292 crores** (of which Rs. 42 crores would be States' share). This has helped to limit the deficit as estimated to a modest amount of Rs. 85 crores. Whether the Government would be able to contain the deficit to the budgeted figure will depend on a number of factors. Additional expenditure may have to be incurred on account of the recommendations of the Third Pay Commission. Also, the budget has not made adequate provisions for additional subsidies on imported foodgrains. In view of these factors, the Government has recently announced a programme for reducing total outlay in 1973-74, including assistance to States, by Rs. 400 crores.

35. Consumption expenditure of the Centre is estimated to rise in 1973-74 by 3.7 per cent as against an increase of 6.5 per cent in 1972-73 over 1971-72. The actual increase may be slightly higher for the reasons mentioned in the previous paragraph. In respect of capital formation, expenditure by the Centre which had increased by 26 per cent in 1972-73 is likely to record a further rise of 6 per cent (Table 7). The provision for capital formation in 1973-74 would constitute 38 per cent of the total expenditure reflecting the continuation of the uptrend in this ratio which was 33 per cent in 1969-70.

Table 7 —Expenditure on Capital Formation by Government of India

(Amounts in Rupees Crores)

	1968-69 (Accounts)	1969-70 (Accounts)	1970-71 (Accounts)	1971-72 (Accounts)	1972-73 (Budget Estimates)	1972-73 (Revised Estimates)	1973-74 (Budget Extimates)
I. Gross Direct Fixed Capital Formation	449	430	485	566	757	760	913
II. Increase in Inventories	—173	—37	34	31	—33	—11	—16
III. Net Direct Capital Formation (Gross Direct Fixed Capital Formation *minus* expenditure on renewals and replacements plus increase inventories)	193	318	428	506	604	635	759
IV. Financial Assistance for Capital Formation (a+b+c)	1384	1219	1285 (1369)*	1564	1717	1969	1986
(*a*) States and Union Territories	709	692	740	885	899	1074	1167
(*b*) Non-Departmental Commercial Undertakings (1+2)	623	444	448 (532)*	545	674	750	676
1. Financial Concerns	69	42	70 (154)*	63	103	144	117
2. Others	554	402	378	482	571	606	559
(*c*) Other Parties@	52	83	97	134	144	145	143
Total (I+II+IV)	**1660**	**1612**	**1804 (1888)***	**2161**	**2441**	**2718**	**2883**

Capital Formation Expenditure

36. Under capital formation, the expenditure for economic services (excluding block grants and loans) showed a modest rise of 2.0 per cent from Rs. 1896 crores in 1972-73 to Rs. 1933 crores in 1973-74. This increase is mainly atributable to the provision of Rs. 150 crores as advance action for the Fifth Plan which is treated as capital formation. On the other hand, the expenditure under agriculture, industry and transport and communications in 1973-74 is budgeted lower than in 1972-73. In the case of agriculture, the reduction in the provision may be due partly to the fact that last year there was a spurt in loans advanced to the States for emergency agricultural production programme. With regard to industry, the decline is explained by the fact that the revised estimates of 1972-73 included the compensation payments referred to earlier. The smaller provision for transport and communications is mainly because of an anticipated decline of Rs. 10 crores in the level of inventories in 1973-74 as against an addition of Rs. 22 crores in 1972-73.

Budgetary Operations of State Governments 1972-73

37. The revised estimates for 1972-73 show that the combined budgetary position of all States was surplus* to

*The overall surplus or deficit as measured by increase/decreaes in cash balances, net purchase/sale, reserve funds and net decrease/increase in Reserve Bank of India credit in the form of ways and means advances and overdrafts (repayable within 7 working days with effect from May 1, 1972) as presented in the State budgets.

Note:—In this table expenditure on capital formation is shown on gross basis.

*Including compensation paid to nationalised banks.

@Comprising assistance to local authorities and others.

**This amount would be reduced by about Rs. 2 crores on account of tax concessions referred to earlier.

the extent of Rs. 270 crores as against a small surplus of Rs. 20 crores@ anticipated in the budget estimates (Table 8). This sharp improvement in the revised estimate of State finances was due mainly to the substantial loan assistance from the Centre, Rs. 511 crores** of which was provided to clear their outstanding overdrafts with the Reserve Bank of India. The States have repaid Rs. 90 crores of this amount and the remaining Rs. 421 crores have been subsequently converted into a medium-term loan. The surplus of Rs. 270 crores mentioned above appears in the revised estimates (Table 8) because of the fact that the transactions connected with the clearance of overdrafts with the Reserve Bank in April 1972 have not been fully taken into account on the capital disbursements side. In actual fact, however, the budgetary transactions of the State Governments seem to be, on the basis of more recent data, one of net surplus of about Rs. 14 crores,† which was very close to the budget anticipations.

38. Aggregate disbursements of State Governments (Rs. 7056 crores) exceeded their aggregate receipts (Rs.6885 crores). Aggregate receipts which were to rise by 10 per cent over 1971-72 actually showed an increase of about 17 per cent. This was despite the fact that States' own tax receipts which were estimated to rise by 13 per cent rose only by 10.5 per cent. This shortfall was largely made good by transfers from the Centre, by way of States' share in Central taxes, grants and loans. The total of grants-in-aid and share in Central taxes went up by more than 13 per cent while loans from the Centre rose by 18.6 per cent. Of the increase over budget estimates of Rs. 431 crores in aggregate receipts, as much as 69 per cent was accounted for by capital receipts, the major portion of which came by way of loans from the Centre.

39. The effect of drought conditions was reflected in the aggregate disbursements of State Governments. Disbursements which according to budget estimates would have risen by 4.4. per cent over 1971-72, in fact, went up by 14.2 per cent. Non-developmental expenditure which was to go up by 3.8 per cent showed a rise more than 20 per cent, principally because of a large increase in current expenditure under famine relief. The effect of scarcity conditions prevailing in a number of States was also reflected in an increase in State Governments' loan assistance to third parties, in particular to cultivators. Such loan assistance actually went up by 23 per cent. There was also an increase in their developmental expenditure which was 20 per cent higher than in 1971-72, and 8.6 per cent higher than the budget estimates for 1972-73.

Budgetary Operations of State Governments 1973-74

40. A notable feature of the State Governments' 1973-74 budgets was the stepping up of their Plan outlay by Rs. 234 crores (14.6 per cent) to Rs. 1836 crores. This was not, however, accompanied by an equivalent intensification of State Governments' efforts at mobilising additional resources. As against the fresh tax efforts of Rs. 69 crores†† undertaken in 1972-73 the measures announced by the State Governments, in 1973-74 are expected to yield an additional revenue of only Rs. 40 crores. Of this, Rs. 18 crores are expected to accrue from the retention of the levies which were initially imposed for refugee relief.

@ This figure would slightly differ from that given in the last year's Annual Report as it excludes the effect of supplementary estimates presented during 1972-73 by the Punjab Government.

**This includes Rs. 8 crores given to the Government of Jammu and Kashmir as a part of non-plan loan for meeting the gap in resources in 1972-73.

† As measured by variations in cash balances, ways and means advances from the Reserve Bank and holdings of Treasury bills as per the Reserve Bank records.

††This relates to full year yield. This does not include the yield from drive to collect arrears of taxes and tightening of tax administration machinery.

41. Aggregate receipts of all State Governments at Rs. 7230 crores (at 1972-73 rates of taxation) are expected to be lower by Rs. 166 crores over the revised estimates for 1972-73. However, adjusting for the special ways and means assistance received by the State Governments in 1972-73, mentioned earlier, aggregate receipts would show an increase of Rs. 345 crores (5.0 per cent). Total receipts would go up to Rs. 7312 crores if credit is taken for the expected yield from the measures taken by State Governments for raising additional resources together with their share in Centre's fresh tax efforts during the year. The pattern of States' aggregate receipts reveals that the budgeted increase in States' own tax receipts of 9.6 per cent (including additional resource mobilisation) would show a growth which is smaller than in any year during the entire Fourth Plan period. Over the past few years the rate of increase in States' tax yields shows a decline from about 12.7 per cent in 1970-71 to 9.6 per cent in 1973-74. Resources transferred from the Centre in the form of shared taxes and grants-in-aid, on the other hand, at Rs. 2302 crores are expected to be higher by 13.4 per cent about the same as in 1972-73. Capital receipts of State Governments at Rs. 2331 crores are budgeted to decline by about 1 per cent as against a sharp increase of about 29 per cent in 1972-73 over the previous year. Loans from the Centre budgeted at Rs. 1295 crores would be lower by more than 8 per cent.

42. Aggregate disbursements at Rs. 7510 crores would be higher by Rs. 384 crores (5.4 per cent) over the revised estimates for 1972-73, as compared to an increase of 15.6 per cent in 1972-73.* Both the developmental as well as non-development expenditures are expected to show a much smaller increase of 10.8 per cent and 5.3 per cent, respectively, than those recorded in 1972-73 (19.8 per cent and 20.2 per cent respectively). Repayment of loans by State Governments to the Centre is expected to be 14.6 per cent higher in contrast to the position in 1972-73 when it went down by 16.3 per cent. The higher loan repayment by the State Governments to the Centre would be partly offset by a substantial reduction in State Governments' own loan assistance to third parties which is budgeted lower by 19.6 per cent.

43. To sum up, the budgetary operations of the State Governments in 1973-74 are expected to end up with a deficit of Rs. 280 crores. This would, however, be reduced by Rs. 82 crores to Rs. 198 crores as a result of State Governments' efforts towards additional resource mobilisation as well as by their share in additional taxes by the Centre. It is not clear how this deficit is to be covered. In this context, it may be mentioned that no State Government, with the possible exception of Haryana, has moved towards implementing the recommendation of Raj Committee on imposition of an agricultural holdings tax. The contribution of all State Governments' commercial undertakings except forests and road and water transport schemes, has been negative. If the State Governments intend mobilising substantial additional resources, they will have to adopt measures that will impinge on the larger agricultural incomes and try to obtain surpluses from their commercial undertakings.

Overdrafts by States

44. As was mentioned in last year's Report, the outstanding overdrafts of Rs. 642 crores at the end of April 30, 1972 were cleared, under a new scheme evolved for the purpose, partly by special assistance provided by the Central Government and partly by advance release of payments due to States. From May 1, 1972, no overdrafts are allowed by the Reserve Bank of India, save for purely temporary periods not exceeding seven days. However, the limits for clean ways and means advances from the Reserve Bank have been increased to a total of Rs. 78 crores for all the States. Additionally, State Governments can obtain secured advances, as special and additional special ways and means advances. The State Governments availed of these modified facilities for

*Aggregate disbursements for 1972-73 are inclusive of repayment of Rs. 90 crores of ways and means assistance to the Centre, as similar break-down for 1973-74 in respect of States' repayment to the Centre is not available. Aggregate disbursements for 1973-74 are compared with those including the special ways and means assistance for 1972-73.

Table 8 —Overall Budgetary Position of States

(Amounts in Rupees Crores)

	1969-70 (Accounts)	1970-71 (Accounts)	Percentage increase of (2) over (1)	1971-72 (Accounts)‡	Percentage increase of (4) over (2)	1972-73 (Budget)‡	Percentage increase of (6) over (4)	1972-73 (Revised)‡	Percentage increase of (8) over (4)	1973-74 (Budget)‡	Percentage increase of (10) over (8)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. Aggregate Receipts (A+B)	4889	5071	+3.7	5873	+15.8	6454	+9.9	7396 (6885)	+25.9 (17.2)	7230 (7312)	—2.2 (—1.1)	{+5.0 +6.2}
A. Revenue Receipts (i+ii)	3053	3371	+10.4	4045	+20.0	4400	+8.8	4534	+12.1	4899 (4981)	+8.1 (+9.9)	
(i) States' Own Revenue Receipts	1896	2049	+8.1	2250	+9.8	2536	+12.7	2504	+11.3	2639 (2679)	+4.5 (+7.0)	
Of which :												
Tax Receipts	1356	1528	+12.7	1695	+10.9	1914	+12.9	1873	+10.5	2013 (2052)	+7.5 (+9.6)	
(ii) Resources transferred from the Centre (a+b)	1157	1322	+14.3	1795	+35.8	1864	+3.8	2030	+13.1	2260 (2302)	+11.3 (+13.4)	
(a) Shared Taxes	625	756	+21.0	942	+24.6	1058	+12.3	1063	+12.8	1146 (1188)	+7.8 (+11.8)	
(b) Grants from the Centre	532	566	+6.4	853	+50.7	806	—5.5	967	+13.4	1114	+15.2	
Capital Receipts (i+ii)	1836	1700	—7.4	1828	+7.5	2054	+12.4	2862 (2351)	+56.6 (+28.9)	2331*	—18.6	[—0.9]
(i) State's Own Capital Receipts	806	695	—13.8	636	—8.5	853	+34.1	937	+47.3	1036	+10.6	
Of which :												
Market Borrowings (gross)	173	165	—4.6	177	+7.3	188	+6.2	217	+22.6	193*	—11.1	
(ii) Loans from the Centre (gross)	1030	1005	—2.4	1192	+18.6	1201	+0.8	1925 (1414)	+61.5 (18.6)	1295	—32.7	[—8.4]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
II. Aggregate Disbursements	4830	5212	+7.9	6162	+18.2	6334	+4.4	7126 (7036)	+15.6 +(14.2)	7510	+5.4	[+6.7]
Of which :												
(a) Developmental Outlay	2130	2428	+14.0	2861	+17.8	3157	+10.3	3427	+19.8	3798	+10.8	
(b) Non-Developmental Outlay . . .	1483	1518	+2.4	1845	+21.5	1915	+3.8	2218	+20.2	2335	+5.3	
(c) Repayment of Loans to the Centre . .	608	634	+4.3	802	+26.5	785	—2.1	671 (581)	—16.3 (—27.6)	769	+14.6	[+32.4]
(d) Loans and Advances to Third Parties . .	432	491	+13.7	555	+13.0	453	—18.4	683	+23.1	549	—19.6	
(e) Repayment of Markets Loans . . .	85	59	—30.6	73	+23.7	84	+15.1	87	+19.2	1	—98.9	
III. Overall Surplus (+) or Deficit (—) (I—II) .	59	—141		—289£		+20		+270 (—151)		—280 (—198)		

NOTES : 1. Figures given here are not comparable with those given in earlier Annual Reports mainly because of the change in treatment of net contribution of departmental undertakings; besides, net ways and means advances and overdrafts from RBI (as per State Budgets) which were shown as part of States' capital receipts under floating debt are treated as financing items from 1971-72 Report.

2. Figures in brackets for 1973-74 (Budget) are after taking into account estimated yield from budget proposals by State and their share in additional taxation proposed by the Centre during 1973-74.

3. Figures in brackets for 1972-73 (Revised) relating to aggregate capitals, receipts and loans from the Centre exclude Rs. 511 crores of ways and means assistance received from the Centre to clear State's outstanding overdrafts with the Reserve Bank of India; aggregate disbursements and repayments of loans to the Centre exclude Rs. 90 crores i.e., part repayment of the abovementioned amount. The overall surplus/deficit is adjusted accordingly.

4. Figures in square brackets indicate percentage growth rate of 1973-74 (B.E.) over bracketed figures for 1972-73 (R. E.).

@ Includes the effect of budget proposals. In the case of Punjab, supplementaty estimates presented during 1972-73 are excluded. If these are taken into account the overall surplus would come to Rs. 9 crores.

Figures in the case of Andhra Pradesh and Orissa are provisional.

£ This deficit will go down by Rs. 1 crore if the net repayment of overdrafts by Jammu Kashmir Government to Jammu and Kashmir Bank Ltd. is taken into account.

* To ensure uniformity in the presentation of data the market borrowings of Rs. 3 crores by Jammu and Kashmir Electricity Board are excluded from States' capital receipts.

ways and means advances with considerable restraint, and the maximum amount outstanding under the head of clean advances did not exceed Rs. 64 crores. Some State Governments, which had overdrawn on the Reserve Bank temporarily cleared the ovedrafts within the set time limit of seven days. Thus the new arrangement for eliminating RBI overdrafts by States and for their improved financial discipline worked satisfactorily in 1972-73 in the manner intended.

Market Borrowings

45. A considerable part of the increase in Government expenditure in 1972 73 was financed by resources mobilised through market borrowings. The combined net receipts of the Centre and State from market borrowings amounted to Rs. 612 crores in 1972-73 recording a rise of Rs. 216 crores over the level of Rs. 396 crores achieved in 1971-72. Of this rise, the share of the Centre was Rs. 183 crores and of the States Rs. 33 crores. The Centre entered the market on four different occasions, when substantial surplus funds were available with the banking system (Table 9).

Table 9 —Market Borrowings of the Government of India during 1972-73

(Amounts in Rupees Crores)

Loans floated	Issue Price (Rs. per cent)	Amount Offered	Amount Subscribed: Cash	Amount Subscribed: Conversion	Amount Subscribed: Total (3+4)	Repayment in cash for unconverted maturing securities	Net Market Borrowings (3—6)
	1	2	3	4	5	6	7
4½ per cent Loan, 1979	100.00		57	44	102		
5 per cent National Defence Loan, 1981	100.00		10	—	10		
5 per cent Loans, 1982	100.00		10	..	10		
5 per cent Loan, 1983	99.50 99.65	710	171	88	259	18	
5 per cent Loan, 1984	99.50		50	—	50		
5½ per cent Loan, 1988	99.50		60	—	60		
5½ per cent Loan, 2002	100.00		183	105	288		
Total during 1972-73			**541**	**237**	**779**	63@	**478**

NOTE : Details may not add up to totals on account of rounding.

@ Includes Rs. 45 crores of cash repayment of securities maturing during the year.

SOURCE : Reserve Bank of India records.

46. On September 4, 1972, 20* State Governments issued at par 12-year loans carrying interest at 5.4 per cent, for Rs. 197.25 crores. Net market borrowings of States aggregated Rs. 134 crores during 1972-73 as against Rs. 101 crores in 1971-72.

47. Net collections from Small Savings were estimated at Rs. 230 crores** for 1972-73 budget of the Centre. Actual net collections during 1972-73 are now placed at Rs. 351 crores. In the Central budget for 1973-74, these receipts to be of the order of Rs. 325 crores.

Savings and Investment

48. In conjunction with other receipts on capital account, the market borrowings enabled the Centre to finance, directly as well as indirectly through assistance to States, Union Territories, local authorities and non-departmental commercial undertakings gross capital formation of Rs. 2718 crores in 1972-73 (Table 7).

*Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Manipur, Meghalaya and Nagaland issued market loans for the first time.

**This was subsequently raised to Rs. 275 crores consequent to the decision to invest 75 per cent of the Provident Funds under the Employees Provident Fund Act, 1952, in the Post Office Time Deposits.

49. In the 1973-74 budget, the Centre has made a provision of Rs. 880 crores and Rs. 326 crores, respectively, for gross and net market borrowings. During the first phase of borrowings, the Centre floated on May 12, 1973 4½ per cent Loan, 1980, 5 per cent Loan, 1984 (Second Issue) and 5¼ per cent Loan, 2003 for Rs. 500 crores. Subscriptions amounted to Rs. 551 crores of which Rs. 170 crores were in cash and the remaining in conversion. During the second phase of the borrowings, on July 21, 1973, the Centre issued 4¾ per cent Loan, 1981, 5¼ per cent Loan, 1987 and 5¼ per cent Loan, 2003 (Second Issue) for Rs. 325 crores. Of the total subcriptions of Rs. 358 crores, Rs. 212 crores were in cash. Allowing for cash repayments, net market borrowings of the Centre from these two phases aggregated Rs. 354 crores. As regards State Governments, the issue at par of 5¼ per cent 1985 loan for an aggregate notified amount of Rs. 149.75 crores has been announced. No State Government loans are due to mature in 1973-74.

50. No detailed information is available to estimate expenditures of the States on capital formation. Over the last year, the developmental outlays of States have increased by Rs. 566 crores both on revenue account as well as on capital account (Table 8). Since a large part of States' developmental expenditure consists of current outlays on education, public health, civil works, etc. it is difficult to say what part of this increase represents additional outlays on capital formation. As regards the financing of capital formation, much the greater part came from loans and other transfers from the Centre; the States own savings provided a somewhat smaller share than in the previous year.

51. There appears to have occurred some marginal improvement in the finances of large public sector undertakings like Hindustan Steel, Heavy Engineering Corporation and Heavy Electricals, etc. thereby arresting the decline in public sector savings. In addition as mentioned earlier net savings of the Central Government were Rs. 458 crores in 1972-73 in comparison with the level of Rs. 178 crores in 1971-72. These are budgeted to increase to Rs. 846 crores in 1973-74 and with net investment anticipated to rise to Rs. 759 crores, there is expected to be a surplus of Rs. 87 crores in savings. This surplus would be in contrast to a shortfall of Rs. 177 crores in 1972-73 which itself was lower than the shortfall of Rs. 328 crores in 1971-72. Continuation of an improvement in the savings of the Centre would very much hinge on the extent of containment of current expenditure within the budgeted provisions.

52. What emerges, therefore, is that both public savings and public investment expenditures were higher in 1972-73 than in 1971-72. But more importantly, Governments' outlay on purchase of goods and services for both consumption and investment purposes much exceeded the transfers from the private sector by way of taxes and loans to Government. The inevitable consequence of this was, on the one hand, a rapid increase in the net indebtedness of the Government sector to the Reserve Bank of India; and, on the other, impairment of even essential consumption.

Monetary and Banking Developments

Trends in Money Supply and Aggregate Monetary Resources

53. The increases in public and private spending were, as observed earlier, accompanied by a fast growth in money supply and aggregate monetary resources Money supply with the public expanded by 15.6 per cent in 1972-73 as against 14.2 per cent in the preceding year. The increase in aggregate monetary resources was 17.6 per cent as compared to 16.9 per cent last year. A feature of this monetary expansion unlike in the previous year was the steep rise in its currency component which expanded by Rs. 857 crores (17.2 per cent) in comparison with Rs. 388 crores (8.5 per cent) in the previous year. On the other hand, deposit money, which had increased by Rs. 673 crores (23.4 per cent) last year, registered a smaller rise of Rs. 469 crores (13.2 per cent). Consistent with this trend, the marginal ratio of currency to money supply moved up from 36.6 per cent to 64.6 per cent (Table 10). Time deposits, however, at 22 per cent growth increased faster than either currency or demand deposits.

Table 10 —Trends in Money Supply and Monetary Resources (Annual)

(Amounts in Rupees Crores)

	Outstandings at end-June			Variations during July–June		
	1971	1972	1973	1970-71	1971-72	1972-73
Constituents of Money Supply						
1. Currency with the Public	4591	4979	5836	+421	+ 388	+ 857
2. Demand deposits	2871	3544	4013	+ 406	+ 673	+ 469
3. Money Supply (1+2)	7462	8523	9849	+ 828	+1061	+ 1326
4. Time Deposits	3660	4476	5434	+ 562	+ 816	+ 958
5. Monetary Resources (3+4)	11122	12999	15283	+1389	+1877	+ 2284
Factors Affecting Money Supply						
6. Net Bank Credit to Government (a+b)	5755	6989	8427	+ 931	+1234	+1438
(a) Reserve Bank's Net Credit to Government	4316	5194	6149	+ 734	+878	+ 955
(b) Other Bank's Credit to Government	1439	1795	2279	+ 197	+356	+ 484
7. Net Foreign Exchange Assets of the Banking Sector	569	605	587	— 95	+36	-18
8. Government's Net Currency Liabilities to Public	395	419	439	+ 21	+24	+20
9. Total (6+7+8)	6719	8013	9453	+857	+1294	+1440
10. Bank Credit to Commercial Sector*	5748	6683	7720	+721	+ 935	+1037
(a) Net Bank Credit to Commercial Sector*	2087	2207	2286	+158	+ 120	+ 79
11. Total (9+10)	12467	14696	17173	+1578	+2229	+2477
12. Net Non-monetary Liabilities of R.B.I. (increase —)	817	1066	1143	—177	—249	—77
13. Residual (Increase —)	527	632	747	—10	—105	—115

* Includes advances made to public sector enterprises and State Governments for commercial purposes.

NOTE : Net of some accounting adjustments effected during 1971-72, the increase in 'net bank credit to Government' works out to Rs. 1159 crores as compared with Rs. 831 crores during 1970-71. These accounting adjustments had not affected figures of 'money supply', since adjustments were so made as to neutralise the expansionary influence of one by the contractionary influence of another. However, they have in effect, overstated net bank credit to Government sector by Rs. 75 crores during 1971-72 and Rs. 100 crores during 1970-71. (July-June) and resulted in appreciation of net foreign exchange assets by Rs. 23 crores during 1971-72. The non-monetary liabilities of the Reserve Bank of India had acted as a contractionary factor to the tune of Rs. 98 crores during 1971-72 and Rs. 100 crores during 1970-71.

54. Monetary expansion of this magnitude was mainly attributable to a substantial step up in net bank credit to Government for the second year in succession. Net bank credit to Government went up by as much as Rs. 1438 crores this year, compared with an increase of Rs. 1234 crores in 1971-72. Among the components of net bank credit to Government a noticeable feature was that while the Reserve Bank credit to Government at Rs. 955 crores was Rs. 77 crores higher than in the previous year, credit extended by commercial and cooperative banks increased by Rs. 484 crores, or Rs. 128 crores more than in the last year. However, a deterioration of Rs. 18 crores in net foreign exchange assets as compared to an improvement of Rs. 36 crores last year, exercised some contractionary influence on money supply. Net bank credit to the commercial sector had an expansionary effect of Rs. 79 crores on money supply despite the fact that increase in time deposits (Rs. 958 crores) was larger than last year (Rs. 816 crores). The increase in total Bank credit to the commercial sector including public sector undertakings at Rs. 1037 crores was Rs. 102 crores higher than in the previous year. Nevertheless it may be mentioned that the trend from 1970-71 in the following two years has been of an acceleration in the growth of time deposits and a downward change in the net bank credit to the commercial sector.

Seasonal Trends

55. The behaviour of money supply variable during the slack and busy seasons did not materially differ from that in the previous seasons except that variations between the two were more pronounced. Slack season expansion in money supply was substantially less at Rs. 40 crores during 1972 (May to October) as compared with Rs. 171 crores increase that occurred in the previous slack season. As in the preceding slack season, the entire expansion resulted from an increase in deposit money; currency with the public declined.

56. It may be observed from the explanatory factors set out in Table 11 that in the 1972 slack season the contractionary impact of declines in net bank credit to the commercial sector and net foreign exchange assets of the banking sector was more than offset by increase in net bank credit to Government. The latter was entirely in the form of bank's investments in Government securities while net RBI credit to Government registered a fall. It is to be noted that there is a qualitative difference between the impact of a change in net RBI credit to Government and of a change in commercial banks' investment in Government securities. An increase in net RBI credit to Government would *ipso facto* cause an increase in reserve money constituting the base for multiple credit creation. On the other hand, an increase in commercial banks' investments in Government securities essentially represents an alternative outlet to the funds available to the banks. These investments largely amount to a transfer of funds from the household sector to the Government sector via the commercial banks and thus do not constitute a direct addition to reserve money. Consequently, the potential inflationary impact of the change in net bank credit to Government would be subdued.

Table 11—Trends in Money Supply and Monetary Resources (Seasonal)

(Amounts in Rupees Crores)

	Variations during			
	Slack Season		Busy Season	
	1971	1972	1971-72	1972-73
Constituents of Money Supply				
1. Currency with the Public	— 23	— 175	+ 442	+ 914
2. Demand Deposits	+ 193	+ 215	+ 353	+ 350
3. Money Supply (1+2)	+ 171	+ 40	+ 795	+1264
4. Time Deposits	+ 435	+ 459	+ 326	+ 482
5. Monetary Resources (3+4)	+ 606	+ 500	+1121	+ 1745
Factors Affecting Money Supply				
6. Net Bank Credit to Government (a+b)	+ 388	+ 469	+ 820	+ 883
(a) Reserve Bank's Net Credit to Government	+ 174	— 69	+ 672	+ 971
(b) Other Bank's Credit to Government	+ 213	+ 538	+ 148	+ 88
7. Net Foreign Exchange Assets of the Banking Sector	+ 15	— 73	+ 32	+ 44
8. Government's net Currency Liabilities to Public	+ 15	+ 3	+ 12	+ 23
9. Total (6+7+8)	+ 418	+ 399	+ 864	+ 950
10. Bank Credit to Commercial Sector*	+ 249	+ 149	+ 453	+ 1024
(a) Net Bank Credit to Commercial Sector*	— 187	— 310	+ 127	+ 542
11. Total (9+10)	+ 667	+ 548	+1317	+ 1974
12. Net Non-Monetary Liabilities of RBI (Increase—)	— 101	+ 29	— 223	— 147
13. Residual (Increase—)	+ 40	— 77	+ 27	— 82

* Includes advances made to public sector enterprises and State Governments for commercial purposes.

57. The real expansion in money supply took place during the 1972-73 busy season when it registered an unprecedented rise of Rs. 1264 crores (15.3 per cent) as compared to that of Rs. 795 crores (10.7 per cent) and of Rs. 581 crores (8.7 per cent) in the busy seasons of 1971-72 and 1970-71, respectively. As in the previous busy season, the expansion in money supply was ascribable to the spurt in net bank credit to Government; but this time the increase in the net bank credit to commercial sector which more than quadrupled that recorded in the 1971-72 busy season, also added significantly to the monetary expansion, reflecting mostly non-food advances. The picture looks rather different if the slack and busy seasons are taken together. The increase in money supply (April 1972-March 1973) was Rs. 1304 crores as against Rs. 966 crores in the preceding twelve months. The net bank credit to the commercial sector increased by Rs. 232 crores as compared with a decline of Rs. 60 crores last year.

58. Money supply with the public registered an expansion of a larger magnitude in the first two months of the 1973 slack season (May and June) than in the corresponding period of the previous slack season. While currency with the public showed a large rise, the rate of accertion to deposit money diminished substantially in divergence with the trend observed last year. A significant increase in net bank credit to Government was the major expansionary factor. Net bank credit to the commercial sector, on the other hand, registered a fall as against rise in the comparable

period of last year and thus exercised a contractionary influence on money supply.

Equity Prices

59. Equity prices recorded moderate gains during the year 1972-73 (July-June). The downward movement in equity prices observed from the beginning of May 1972 continued upto the end of September 1972, but thereafter there was a gradual recovery which sustained till the end of June 1973. The Reserve Bank of India's All-India Index of Variable Dividend Industrial Securities (*Base* 1961-62—100) declined from 95.6 during the week ended June 24, 1972 to 90.6 during the week ended September 30, 1972. The market sentiment was depressed during this period reportedly by the take-over of the management of Indian Iron and Steel Company by the Union Government, reports of widespread damage to *kharif* crops in several States and the announcement by the Government to increase minimum bonus for industrial workers from 4 per cent to 8.33 per cent. From the beginning of October 1972, the trend was reversed and the index gradually recovered to 93.8 by December 23, 1972. This was due to encouraging reports of improvement in industrial production in 1972 and investments by financial institutions. Subsequently, in the pre-Budget period, the market turned cautious after take-over of the management of non-coking coal mines by the Government. After the announcement of Central Budget proposals for 1973-74, there was a marked recovery in March 1973 as the Budget did not include any proposal for tax increase for the corporate sector. The post-Budget recovery halted in April as the stock exchange authorities imposed restraints on the market operators. The uncomfortable situation regarding foodgrains supply in some States and reports of the adverse impact of power cut in the various States on the industrial production were other depressants. However, with the prospects of a normal monsoon, equity prices moved up in May and June and absorbed the impact of increase in Bank rate from 6 per cent to 7 per cent. As at the end of June 30, 1973, the index recorded a rise of 6.3 per cent during 1972-73 as against a decline of 1.9 per cent in the preceding year.

Table 12—Marginal Relationship Between Money Supply and its components

Financial Year (Last Friday)	Money Supply (Rs. crores)	Currency	Bank Money			Rates of Growth			
			Total	Current	Savings	Money Supply	Currency	Current deposits of commercial banks	Demand portion of saving deposits
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1961-62 . . .	+ 177 (100)	58.2	41.8	18.6	19.2	6.2	4.9	6.0	18.6
1962-63 . . .	+ 264 (100)	67.4	32.6	15.9	14.0	8.7	8.1	7.2	17.1
1963-64 . . .	+ 442 (100)	51.4	48.6	9.5	36.4	13.4	9.5	6.7	63.4
1964-65 . . .	+ 328 (100)	49.7	50.3	20.7	30.2	8.7	6.3	10.2	23.9
1965-66 . . .	+ 449 (100)	59.0	41.0	12.0	29.6	11.0	9.6	7.4	25.9
1966-67 . . .	+ 421 (100)	38.7	61.3	22.6	30.6	9.3	5.4	12.1	19.9
1967-68 . . .	+ 400 (100)	44.8	55.2	18.5	30.5	8.1	5.6	8.4	15.7
1968-69 . . .	+ 429 (100)	71.3	28.7	12.4	8.6	8.0	9.1	5.5	4.1
1969-70 . . .	+ 608 (100)	54.1	45.9	24.8	24.7	10.5	8.9	15.0	16.0
1970-71 . . .	+ 753 (100)	49.4	50.6	24.8	26.8	11.8	9.3	16.1	18.6
1971-72@ . .	+ 998 (100)	44.0	56.0	23.7	26.0	14.0	10.0	17.6	20.1
1972-73@ . .	+1147 (100)	52.5	47.5	22.7*	26.3*	14.1	12.5	16.3*	19.5*

NOTE : 1. Figures in Col. (1) are absolute changes over the year; figures in columns (2) to (5) are percentages of Col. (1).

2. Current and savings bank money do not add up to total bank money because 'other deposits' with the Reserve Bank and net demand liabilities of State co-operative banks are included in the total.

@ Provisional.

* Estimate.

Table 13—Money Supply, Monetary Resources, Currency and Time Deposits

(Amounts in Rupees Crores)

Financial Year (Last Friday)	Currency with Public	Money Supply	Time Deposits	Monetary Resources (excluding P.L. 480)	Ratio of: Currency to Money Supply	Ratio of: Currency to Monetary Resources	Rate of Growth: Currency with Public	Rate of Growth: Money Supply	Rate of Growth: Time Deposits	Rate of Growth: Monetary Resources	Marginal Ratio: Currency to Money Supply	Marginal Ratio: Currency to Monetary Resources
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1961-62	2201	3046	1056	4102	72.3	53.7	4.9	6.2	15.0	8.3	58.2	32.7
1962-63	2379	3310	1151	4461	71.9	53.3	8.1	8.7	9.0	8.8	67.4	49.6
1963-64	2606	3752	1224	4976	69.4	52.4	9.5	13.4	6.3	11.5	51.4	44.0
1964-65	2769	4080	1397	5477	67.9	50.6	6.3	8.7	14.1	10.1	49.7	32.5
1965-66	3034	4529	1605	6134	67.0	49.5	9.6	11.0	14.9	12.0	59.0	40.3
1966-67	3197	4950	1867	6817	64.6	46.9	5.4	9.3	16.3	11.1	38.7	23.8
1967-68	3376	5350	2110	7460	63.1	45.3	5.6	8.1	13.0	9.4	44.8	27.8
1968-69	3682	5779	2527	8306	63.7	44.3	9.1	8.0	19.8	11.3	71.3	36.1
1969-70	4010	6387	2949	9336	62.8	43.0	8.9	10.5	16.7	12.4	54.1	31.8
1970-71	4383	7140	3448	10588	61.4	41.4	9.3	11.8	16.9	13.4	49.5	29.8
1971-72	4822	8138	4176	12314	59.3	39.2	10.0	14.0	21.1	16.3	44.0	25.4
1972-73@	5424	9285	5083	14368	58.4	37.8	12.5	14.1	21.7	16.7	52.5	29.3

@Provisional.

Credit Policy and Banking Trends

60. Credit policy for the year under review had to keep diverse considerations in view. On the one hand, under the prevailing conditions of excess aggregate demand and the increasingly liquid position of the banking system, commercial banks' access to RBI refinance facilities had to be on a restricted basis. On the other hand, there was need to support the growth in industrial production and export and to ensure that priority sector advances, particularly for food procurement and *rabi* crash programme, were adequately made. Credit policy had thus to aim at the twin objective of controlling general credit expansion and sustaining production in priority areas.

61. Between end-June and end-December 1972 the the volume of scheduled commercial bank credit remained practically unchanged. Demand for bank credit showed signs of picking up during the first quarter of 1973 and thereafter the pace of credit expansion accelerated. The emphasis of policy had therefore to shift to restraint on credit expansion through a package of measures which included a rise in the Bank rate to 7 per cent and the use of the variable reserve ratio instrument after over a decade.

62. At the start of the 1972-73 busy season the credit deposit ratio stood at 66.2 per cent showing a sharp decline from the level of 73.1 per cent at the end of October 1971. The incremental credit deposit ratio for the year ended last Friday of October 1972 was only 30.4 per cent. During the 1972 slack season bank credit for other than public food procurement operations had shown an increase of Rs. 33 crores while the total expansion during this slack season was Rs. 32 crores as against Rs. 163 crores in 1971 slack season. Also, on the eve of the slack season, banks were indebted to the Reserve Bank only to the extent of Rs. 23 crores as against Rs. 191 crores at the beginning of the 1971 slack season. Banks had also added Rs. 624 crores to their investments during the 1972 slack season as against Rs. 254 crores in the slack season of 1971. Their ratio of liquid assets to aggregate liabilities stood at 36.7 per cent at the end of October 1972 as against 31.3 per cent at the end of October 1971.

63. As in the previous two years, the Reserve Bank had discussions with each of the major commercial banks on its credit budget for the busy season. It was clear from these discussions that both during the busy season of 1972-73 and in the months immediately thereafter, the demand for food procurement credit as foreseen by the authorities would be substantial and a sizeable proportion of newly accruing deposits had to be earmarked for this priority demand. In addition credit demand from the industrial sector was expected to increase, particularly in agriculture based industries. Even so, it was anticipated that deposit accertion in the concurrent period would be large enough to meet these requirements without the banks borrowing from the Reserve Bank. Hence, the policy announced on 14th November 1972 retained the existing refinancing facilities broadly but, as an overall regulatory measure, raised the minimum net liquidity ratio relevant for determining the rate on borrowing from the Reserve Bank by 2 percentage points from 34 to 36 per cent. Banks were also advised to increase by 1 percentage point the minimum of assets that constitute the liquidity requirements under Section 24 of the Banking Regulation Act, from 29 to 30 per cent.

64. Modifications were also made in the structure of selective credit controls in order to reinforce the restraint on credit, particularly in respect of sensitive commodities in short supply. In regard to advances against foodgrains and vegetable oils and oilseeds, credit limits were stipulated on a *party-wise* basis instead of *bank-wise* basis as hitherto. With the fixation of credit limits on a *party-wise* basis, it became obligatory on the part of banks to approach the Reserve Bank not only on proposals for advancing loans to new parties but also for increasing the level of credit available to existing parties.

65. The persistence of the liquidity surplus even after the commencement of the busy season caused some unhealthy competition among banks for large accounts. The Reserve Bank had, therefore, to intervene and issue a circular in December requiring the prior permission of the Reserve Bank for the transfer from one bank to another of any account of Rs. 25 lakhs and above.

66. A mid-season appraisal revealed an expansion in credit by March 9, 1973 of Rs. 721 crores (13.8 per cent) as against a rise of Rs. 314 crores (6.5 per cent) in 1971-72 busy-season. This increase in bank credit was almost entirely in sectors other than food procurement and the increase was faster and larger than that recorded in the corresponding period of the 1971-72 busy season. Consequently, the overall credit-deposit ratio registered an increase of 4 percentage points to 70.4 per cent as on March 9, 1973 over the level of 66.2 per cent at the commencement of the busy season. Nonetheless, this ratio was lower than that prevailing at the same time last year (74.0 per cent) due to large increase in deposits.

67. The situation thus warranted a restraint on credit expansion without affecting food procurement credit which was expected to go up sizeably between end-March and end-June 1973. With the takeover of wholesale trade in wheat and on the basis of a targeted level of procurement of 8 million tonnes, the increased demand for bank credit expected in the following three months was projected in March 1973 by the authorities at as much as Rs. 500 to Rs. 600 crores. The resources available with the banking system at that time indicated that the additional demand for procurement credit could be met with only moderate recourse to the Reserve Bank for refinance facilities. The borrowing of the banks from the Reserve Bank which stood at Rs. 6.7 crores at end-October 1972, reached the level of Rs. 197.9 crores by March 9, 1973 and were only Rs. 24.3 crores at the end of the busy season. The emphasis of policy in such a context was to bring about an increase in the cost of bank resources through some moderate adjustments of deposit rates and a further tightening of the refinance system with a step-up of the net liquidity ratio from 36 per cent to 37 per cent. The refinance formula in respect of food procurement credit was revised to provide more liberal facilities. In addition to 10 per cent of the outstanding level of food procurement credit as on the last Friday of October 1972, banks were told that they would be entitled to one-half (as against one-third hitherto) of the incremental credit over the level of last Friday of October 1972. Simultaneously, the special refinance facility provodide, at the Bank rate in respect of 'Defence Packing-cum-supply Credit' was withdrawn. All other features of the refinance system were continued unchanged. Lending to public sector undertakings was brought under the purview of Credit Authoritization Scheme in cases where working capital loans totalled Rs. 3 crores and above and term loans Rs. 1 crore and above. Banks were further told to ensure, before meeting the requests of State Governments for their commercial/financial requirements including food procurement, that the approval of the Government of India was obtained under Article 293(3) of the Constitution of India.

68. By the latter half of May 1973, it became evident that for food procurement, credit would be substantially lower than expected earlier. There were also evidences of a fall in the growth rate of industrial production in the early month of 1973. Even so, it was seen that credit expansion during 1972-73 busy season (November 1972-April 1973) at Rs. 884 crores or 16.9 per cent was more than twice the increase during 1971-72 busy season (Rs. 355 crores or 7.3 per cent). The supply position in respect of a number of important agricultural commodities had been difficult, resulting in price increases notwithstanding strict selective credit controls in respect of many of them and it was necessary to further tighten the general and specific controls on the disposition of commercial bank funds. With the take-over of wholesale trade in wheat by the State Governments, bank advances to private wholesale traders against the security of wheat were banned in terms of a circular issued on May 14. In regard to retail trade, banks were told to ensure that their advances against wheat were confined only to the licensed retail traders and, that too, only upto the limit of stocks which they were authorised to hold.

69. The package of measures introduced at this juncture (May 30, 1973) included an increase in the Bank rate from 6 to 7 per cent; an increase in the statutory cash reserves from 3 to 5 per cent an increase in the minimum net liquidity ratio from 37 to 39 per cent and the prescription of a minimum lending rate of 10 per cent on lendings other than specifically exempted categories. These measures were designed to provide a corrective to the monetary situation, through a moderation of the high rate of bank credit expansion, to prevent excessive demand pressures. The policy was also aimed at tampering the presures in the market through raising the cost of bank borrowings. A rise in the Bank rate and the consequent adjustments in the spectrum of interest rates, besides directly discouraging commercial banks' borrowing from the Reserve Bank, served to raise a cautionary signal and pave the way for complementary action in other directions. Following the increase in the Bank rate, the rate of interest on treasury bills of the Central Government was increased from 3.50 per cent to 4 per cent per annum, with effect from the 31st May 1973, the increased rate being applicable on all new treasury bills issued on or after that date, including those issued in replacement of treasury bills outstanding on 31st May 1973 as and when they matured. This measure increased the cost of the Central Government borrowing through treasury bills. As on the 1st June 1973 the volume of treasury bills outstanding was Rs. 4343 crores approximately (including the **ad hoc** treasury bills held the Reserve Bank of India).

70. Subsequent developments in banking indicated general compliance with the objectives of policy announced on May 30, 1973. Scheduled commercial banks' deposits with the Reserve Bank increased by Rs. 222 crores between June 22 and June 29 following the raising of the reserve requirements from 3 to 5 per cent. Although banks had to have recourse to the Reserve Bank temporarily, they very soon liquidated their indebtedness to the Reserve Bank. Thus, scheduled commercial banks' borrowings which had shown an increase of Rs. 129 crores between June 22 and June 29 declined by about Rs. 138 crores by August 3, 1973 to Rs. 3 crores. Credit expansion had also slowed down considerably. The incremental credit deposit ration during the slack season thus far (from the last Friday of April to the last Friday of June) has been 57 per cent as compared to 78 per cent in the corresponding period of the last slack season. More importantly, the bulk of the increase in credit has been on account of financing food procurement operations with credit for other sectors recording only a small increase over the level of end-April 1973. The rate of increase in aggregate deposits has been encouraging compared with the corresponding period of last slack season, *viz.* 6.0 per cent as against 5.5 per cent.

71. With a view to reinforcing the discipline imposed by the package of monetary measures announced on May 30, the Reserve Bank through a circular dated July 12, 1973 withdrew several of the concessionary entitlements to refinance from the Reserve Bank, Thus, effective July 13, 1973 with the exception only of *(i)* a limited amount of refinancing of export credit and *(ii)* refinancing of amounts lent to primary credit societies and farmers' service societies, all concessionary refinance entitlements at Bank rate or below were withdrawn. Borrowings equal to an amount of 10 per cent of the annual average export credit would be available at the Bank rate, irrespective of a bank's net liquidity ratio but, unlike in the past such borrowings would impair the net liquidity ratio. The increase in lendings to the primary co-operative societies and farmers' service societies continued to be refinanced, irrespective of net liquidity ratio, at a concessional rate now raised to 5 per cent; however, such borrowings would impair the net liquidity ratio as before. The facility in respect of rediscounting of bills under the new Bill Market Scheme would continue to be available at the Bank rate. (A chart indicating the refinance facilities prior to July 13, 1973 and effective July 13, 1973 is given in the Annexure in Part II of the Report).

72. It was emphasised that the withdrawal of some of the concessionary facilities in the refinance system did not in any way after the stress of policy to assist the priority sectors. Banks were asked to continue to increase their involvement in financing these sectors and urged to accelerate the return flow of funds made available by them, particularly in respect of sugar and cotton textile industries.

73. Following the increase in the Bank rate, the structure of interest rates of the Industrial Development Bank of India and the Agricultural Refinance Corporation was readjusted.

74. The Industrial Development Bank of India raised its lending as well as rediscounting rates with effect from June 6, 1973. The normal rate for direct assistance to industrial concerns (other than exports) was raised from 8.5 to 9.0 per cent and that for units in backward areas was raised from 7.0 to 7.5 per cent. The structure of interest rates charged by the Industrial Development Bank of India prior to June 16, 1973 and after June 16, 1973 is indicated in part IV of the Report.

75. The Agricultural Refinance Corporation also raised its refinance rate from 6.5 per cent to 7 per cent, which would be applicable to all schemes sanctioned on or after June 25, 1973. The Agricultural Refinance Corporation also directed all the financing banks to maintain a margin not less than 2.5 per cent so that the ultimate borrower would have to pay a rate of interest which would not be less than 9.5 per cent per annum.

76. In summary, deposit growth during the year (July-June) was only marginally higher than in the previous year, *viz.* Rs. 1408 crores as against Rs. 1394 crores (Table 14), and the rate of growth considerably lower at 18.5 per cent as against 22.4 per cent. Of the increase in aggregate monetary resources during the year, deposits accounted for 63.1 per cent and currency for 36.9 per cent as against 79.3 per cent and 20.7 per cent, respectively. Another important aspect of deposit growth during 1972-73 was that time deposits accounted for Rs. 910 crores or 64.6 per cent of the total increase as against Rs. 779 crores or 55.9 per cent in the previous year.

77. Credit expansion during the year followed a somewhat irregular pattern with a negligible increase between June and December and a pronounced spurt thereafter, particularly after February.

78. Taking the year as a whole (July 1972 to June 1973) total bank credit expansion turned out to be somewhat larger, *viz.* Rs. 819 crores or 14.9 per cent as against Rs. 675 crores or 14.0 per cent in 1971-72. Credit for food procurement operations declined during the year by Rs. 74 crores as against an increase of Rs. 163 crores in 1971-72. Consequently bank credit with sectors other than food procurement operations recorded a relatively large increase of Rs. 893 crores or 18.1 per cent as against Rs. 512 crores or 11.6 per cent in the previous year.

79. Over the year ended June 1973 the incremental credit-deposit ratio was 58.2 per cent as against 48.4 per cent in 1971-72. At the end of June 1973 the credit deposit ratio stood at 69.8 per cent as against 72 per cent at the end of June 1972.

80. The pattern of investment of scheduled commercial banks broadly reflected the liquidity conditions in the money market. Total investments of scheduled commercial banks in Government and other approved securities increased by Rs. 631 crores during the year as against Rs. 511 crores in the preceding year. Balances with the Reserve Bank increased during the year by Rs. 255 crores as against Rs. 74 crores in the preceding year consequent upon the increase in reserve requirements from 3 to 5 per cent towards the close of June 1973. Over the year ended June 29, 1973, borrowings from the Reserve Bank showed an increase of Rs. 99 crores from Rs. 42 crores to Rs. 141 crores. As has already been pointed out, the sudden spurt of Rs. 129 crores in borrowings during the week ended June 29, 1973 was purely a temporary phenomenon. In the following week, they were brought down by Rs. 99 crores and by another Rs. 25 crores in the week thereafter.

BALANCE OF PAYMENTS

81. In the sphere of external transactions improvement recorded in 1971-72 (July-June) has been maintained in 1972-73. Foreign exchange reserves recorded a rise of Rs. 37 crores to Rs. 882 crores as compared to the rise of Rs. 58 crores from Rs. 787 crores to Rs. 845 crores during 1971-72. Two points deserve to be mentioned in connection with the movement of reserves : (1) there was no fresh allocation of SDRs in 1972-73 ; last year the benefit to the reserve from such allocation amounted to Rs. 75 crores; (2) consequent upon the floatation of major world currencies in the exchange markets and the relative appreciation of some major currencies in which part of the reserves were being held, the rupee value of the reserves went up by Rs. 35 crores or by more than twice the appreciation in 1971-72. Allocation of SDRs in 1971-72 and the appreciation in rupee value of reserves in both 1971-72 and 1972-73 would, therefore, have to be abstracted from reserve movements to assess the net result of external transactions during the two years. On this reckoning, the reserves may be considered to have recorded during 1972-73 a nominal rise of Rs. 2 crores as against the decline of Rs. 33 crores in 1971-72.

Table 14—Annual Variations in Important Banking Data—Scheduled Commercial Banks

(Amounts in Rupees Crores)

	Outstandings as on June 26, 1970	Variations during the year ended June 26, 1970	Outstandings as on June 25, 1971	Variations during the year ended June 25, 1971	Outstandings as on June 30, 1972	Variations during the year ended June 30, 1972	Outstandings as on June 29, 1973*	Variations during the year ended June 29, 1973
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Aggregate Deposits .	5275	+ 629	6216	+ 941	7610	+1394	9018	1408
(a) Demand . .	2329	+ 225	2743	+ 414	3358	+ 615	3856	+ 498
(b) Time . .	2946	+ 404	3473	+ 527	4252	+ 675	5162	+ 910
2. Total Bank Credit .	4213	+ 614	4805	+ 592	5480	+ 717	6299	+ 819
Of which :								
(a) Food Procurement Advances . .	207	— 26	379	+ 172	542	+ 163	468	— 74
(b) Other Advances .	4006	+ 640	4426	+ 420	4938	+ 512	5831	+ 893

	1	2	3	4	5	6	7	8
3. Total Investments	1504	+ 145	1807	+ 303	2318	+ 511	2949	+ 631
(a) In Government Securities	1186	+ 60	1375	+ 189	1721	+ 346	2192	+ 471
(b) In other Approved Securities	318	+ 85	432	+ 114	597	+ 165	757	+ 160
4. Cash and Balance with Reserve Bank of India	352	— 37	397	+ 35	537	+ 140	794	+ 257
(a) Cash in hand	179	— 25	187	+ 8	254	+ 67	256	+ 2
(b) Balances with Reserve Bank of India	183	—12	210	+ 27	283	+ 73	538	+ 255
5. Money at Call and Short Notice	48	—40	83	+ 35	91	+ 8	115	+ 24
6. Borrowings from Reserve Bank of India	292	+120	207	—85	42	— 165	141	+ 99
7. Inland Bills purchased/ discounted by the Reserve Bank of India	—	—	10	+10	11	+ 1	15	+ 4
Credit-Diposit Ratio (end-season)	79.9		77.3		72.0		69.8	
Credit (excluding food procurement) Deposit Ratio	75.9		71.2		64.9		64.7	
Investment-Deposit Ratio	28.5		29.1		30.5		32.7	

*Provisional.

NOTES : (1) Data are based on weekly returns submitted by banks under Section 42(2) of the Reserve Bank of India Act, 1934 except in respect of borrowings from the Reserve Bank of India, which are based on weekly borrowings advices from Regional Offices of the Reserve Bank of India.

(2) Data relate of the last Friday of June.

Table 15—Seasonal Variations in Scheduled Commercial Banks Data

(Amount in Rupees Crores)

	SEASONAL VARIATIONS					
	Slack Season 1971	Busy Season 1971-72	Slack Season 1972*	Busy Season 1972-73*	Slack Season up to June 29, 1973*	Slack Season up to June 30, 1972
	1	2	3	4	5	6
1. Aggregate Deposits	+ 624	+ 624	+ 650	+ 796	+ 330	+ 369
(a) Demand	+ 202	+ 310	+ 228	+ 342	+ 143	+ 215
(b) Time	+ 422	+ 314	+ 422	+ 454	+ 187	+ 154
2. Bank Credit	+ 163	+ 355	+ 32	+ 884	+ 189	+ 287
Of which :						
(a) Food Procurement Advances	+ 156	— 71	— 1	+ 6	+ 175	+ 254
(b) Other Advances	+ 7	+ 426	+ 33	+ 878	+ 14	+ 33
3. Investments in Government and other approved securities	+ 254	+ 240	+ 624	+ 3	+ 53	+ 51
(a) In Government Securities	+ 209	+ 144	+ 527	— 90	+ 43	+ 9
(b) In Other Approved Securities	+ 45	+ 96	+ 97	+ 93	+ 10	+ 42
4. Cash and Balances with RBI	+ 46	+ 15	+ 54	+ 66	+ 236	+ 99
(a) Cash in hand	+ 24	+ 1	+ 24	+ 26	+ 19	+ 67
(b) Balances with RBI	+ 22	+ 14	+ 30	+ 40	+ 217	+ 32
5. Money at Call and short notice	+ 72	— 9	+ 11	+ 80	— 76	—
6. Borrowings from RBI	— 172	+ 4	+ 16	+ 18	— 117	+ 19
7. Inland Bills purchased and discounted by the RBI	—	— 3	— 10	+ 19	— 5	—
Credit-Deposit Ratio (end-season)	73.1	71.7	66.2	70.3	69.8	72.0
Credit (excluding food procurement)—Deposit-Ratio (end-season)	67.7	67 7	62.6	67.0	64.7	64.9
Investment-Deposit Ratio (end-season)	30.6	31.3	36.6	33.3	32.7	30.5

* Provisional.

NOTES : (1) Data are based on weekly returns submitted by banks under Section 42(2) of the Reserve Bank of India Act, 1934 except in respect of borrowings from the Reserve Bank of India, which are based on weekly borrowings advices from regional offices of the Reserve Bank of India.

(2) The variations are based on the last Friday figures of April and October.

82. In the absence of detailed data on the balance of payments, the movements in reserves cannot be precisely explained. Authorized dealers' transactions relating to external trade and payments indicate that in the first half of the year, *i.e.* July-December 1972, export receipts may have been 16 per cent higher than in the corresponding second half of 1971, import payments 18 per cent higher, invisible receipts 16 per cent lower and invisible payments 6 per cent higher. The major portion of Government imports is paid through channels other than authorized dealers and are substantially affected by the utilisation of external assistance.

83. During financial year 1972-73 both authorisation as well as utilisation of external assistance recorded significant deceleration. Aid authorisation amounted to Rs. 651 crores or Rs. 226 crores lower than the authorisation of Rs. 877 crores in 1971-72. Utilisation in 1972-73 at Rs. 604 crores was 26 per cent lower than the utilisation of Rs. 820 crores in the preceding year. During January-June 1973 there have been official imports of food ; there were no such imports in the preceding year. At the same time, official debt service payments, most of which do not pass through authorized dealers, were about 10 per cent higher than in 1971-72. Taking all this into account, it would be reasonable to conclude that aggregate import payments during July 1972—June 1973 will have been somewhat higher than in the preceding year, and the invisible account will have deteriorated over the year by more than a quarter.

Trade Balance

84. According to DGCIS data on imports and exports, India had a trade surplus of Rs. 185 crores during 1972-73 (April-March) in contrast to a trade deficit of Rs. 218 crores in 1971-72. This surplus was due to sharp increase in exports (Rs. 355 crores) and a decline in imports (Rs. 48 crores).

Trends in Imports

85. Imports during 1972-73 (April-March) according to DGCIS declined to Rs. 1777 crores as compared to a sharp rise to Rs. 1825 crores in 1971-72 from Rs. 1634 crores in 1970-71. There was hardly any change in the value of import licences issued during 1972-73 (Rs. 1855.7 crores) as compared with the level in 1971-72 (Rs. 1853.7 crores).

86. This apparent decline in imports may not correctly reflect the actual position when the final figures for the year become available. The DGCIS trade data might be revised because figures relating to Government import of foodgrains, petroleum, oils and lubricants do not become fully available to them at the time of arrival of shipments whereas payments would have already been effected."

Import Policy

87. The overall objectives of self-reliance and export promotion which provide the basic framework of import policy were further sought to be achieved through the Import Policy for 1973-74, which raised the number of priority industries from 59 to 70 for purposes of imports. It also extended the scheme of compulsory exports to more industries so that the latter may benefit from liberal import facilities made available under that scheme. Additional facilities for import were to be given to those small units exporting 10 per cent or more of their production provided their exports in 1972-73 doubled those in 1971-72. Indigenous materials supplied at international prices for export production were to be treated as exports for all benefits available under the import policy.

"The trade data as given by DGCIS and that based on balance of payments figures are not strictly comparable due to different stages at which these transactions are recorded. DGCIS data, therefore, have to be read with caution.

Table 16—India's Principal Imports

(Amounts in Rupees Crores)

Commodities	1967-68	1968-69	1969-70	1970-71	1971-72	April—December		Increase (+)/ Decrease (—) of (7) over (6)	
						1971	1972	Actual	Percentage
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Food (excluding cashewnuts).	554	372	293	242	169	131	55	—76	—58
Of which :									
Cereals and cereal preparations	518	336	261	213	131	105	22	—83	—79
2. Raw cotton	83	90	83	99	113	87	76	—11	—12
3. Raw jute and mesta	5	16	5	..	..	—	1	+1	—
4. Cashewnuts	25	31	28	29	28	20	23	+3	+15
5. Mineral oils	75	133	138	136	195	143	149	+6	+4
Of which :									
(a) Petroleum	60	96	96	106	148	110	106	—4	—3
(b) Others	15	37	42	30	47	33	43	+10	+30
6. Chemicals	273	283	195	192	218	161	156	- 5	—3
Of which :									
(a) Fertilisers	139	139	77	61	81	52	47	—5	—10
(b) Others	134	144	118	131	137	109	109	—	—
7. Iron and Steel	106	86	82	147	238	179	157	—22	—12
8. Non-ferrous metals	89	89	75	120	102	83	77	—6	—7
9. Crude rubber (including synthetic and reclaimed)	4	5	10	4	4	3	3	—	—
10. Wool and other animal hair	12	11	17	16	14	11	10	—1	—9
11. Animal and vegetable oils and fats	34	19	30	39	47	32	15	—17	—53

Commodities	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Paper, paper boards and manufactures thereof	18	18	24	25	35	24	18	—6	—25
13. Pearls, precius and semi-precious stones	12	28	28	25	26	19	30	+11	+58
14. Machinery and Transport equipment	503	514	396	384	454	349	349	—	—
Of which :									
(a) Machinery other than electric	336	366	280	257	268	211	210	—1	—1
(b) Electrical machinery	86	82	64	69	102	72	85	+13	+18
(c) Transport equipment	81	66	52	58	84	66	54	—12	—18
15. Others	181	214	163	176	169	122	120	—2	—2
Total	1974*	1909	1567*	1634	1812	1364	1239	—125	—9

NOTE: Commodity-wise details are not available.

* Revised.

SOURCE : DGCIS

Table 17—India's Principal Exports

(Amounts in Rupees Crores)

Commodities	1967-68	1968-69	1969-70	1970-71	1971-72	April—December		Increase (+)/ Decrease (—) of (7) over (6)	
						1971-72	1972-73	Actual	Percentaget
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Major Non-traditional items									
Engineering goods	35	69	91	126	108	82	96	+14	+17
Iron and steel	55	79	87	91	41	31	30	—1	—3
Iron ore	75	88	95	117	105	72	80	+8	+11
Chemicals	16	24	30	36	32	24	30	+6	+25
B. Other items									
Jute yarn and manufactures	234	218	207	190	265	187	193	+6	+3
Cotton yarn and manufactures	86	101	116	118	116	80	109	+29	+36
Tea	180	157	125	148	156	117	120	+3	+3
Hides, skins, leather and leather goods including footwear	70	87	99	87	130	73	125	+52	+71
Cashew kernels	43	61	57	52	61	51	57	+6	+12
Oilcakes	45	49	41	55	40	29	41	+12	+41
Pearls, precious and semi-precious stones, unworked/ worked	30	45	42	42	53	38	56	+18	+47
Spices	27	25	34	39	36	23	18	—5	—22
Fish and fish preparations	18	23	31	31	42	29	41	+12	+41
Sugar	16	10	9	28	30	28	10	—18	—64
Coffee	18	18	20	25	22	19	23	+4	+21
Manganese ore	11	13	11	14	11	8	7	—1	—13
Tobacco (unmanufactured)	35	33	33	31	42	35	50	+15	+43
C. Total (including others)	1,199	1,358	1,413	1,535	1,569*	1,140	1,394@	+254	+22

* Excludes exports of about Rs. 38 crores to Bangladesh.

@ Includes exports to Bangladesh to the extent of Rs. 59 crores. This excludes substantial exports to Bangladesh which were not recorded completely by the concerned customs authorities.

NOTE : Data for 1970-71 and 1971-72 are not comparable with those of the previous years owing to the change in procedure for recording exports (from the finally passed shipping bill to the original copy of the shipping bill) adopted by the DGCIS, with effect from November 1, 1970.

Exports

88. Exports at Rs. 1962 crores during 1972-73 recorded an increase of 22.1 per cent as compared to a rise of 4.7 per cent during 1971-72. If allowance is made for the fact that the exports of 1970-71 were overestimated and that of 1971-72 were underestimated as a result of change in the method of compilation of export statistics introduced since November 1, 1970 (see last year's Report, page 28), the growth rate in exports in 1972-73 has been more impressive compared with 1971-72 and 1970-71. Such a striking growth in exports was achieved earlier in 1951-52 (22 per cent) on account of the Korean boom.

89. A combination of factors helped this remarkable growth in exports in 1972-73. The emergence of Bangladesh as a new market for Indian exports accounted for some increase. But a major part of the increase was due to a buoyancy in foreign demand for Indian goods especially for traditional items like hides, skins and leather, cotton textiles and marine products. This was also reflected in higher unit values. In addition, larger rupee realisation arising from the depreciation of the rupee in terms of several important currencies was reflected in the improvement in export earnings.

90. The international developments on the trade front continued to inhibit further expansion of India's exports. A development of significance in this regard was the entry of the U.K. into the European Economic Community (EEC) in January 1973, resulting in the termination of the Indo-British Trade Agreement of 1939. A fresh agreement was signed with the U.K. in January 1973 continuing the existing tariff and non-tariff preference upto January 1, 1974. After this date a phased imposition of the Common External Tariff would be implemented by the U.K. uptil 1977. From 1974 the U.K. will adopt the EEC's Generalised Scheme of Preferences (GSP) with the result that India's exports of jute and coir manufactures, cashew kernels, other vegetable products, sugar, spices, coffee and some marine products would be subjected to duties in the U.K. as these items are excluded from the scope of the EEC's GSP. Consequently India's exports of these items would be adversely affected in the U.K. A tentative agreement reached with the EEC in May 1973 might benefit to some extent our jute exports to the Community though France and Germany continue restrictions bilaterally agreed upon with India.

Assessment and Prospects

91. The performance of the economy during 1972-73, as can be seen from the review presented in the preceding paragraphs, was disappointing in many respects. After withstanding the stresses and strains of the previous year, it was hoped that the economy would regain some of the lost ground during 1972-73. But this did not happen, and the failure of monsoon for the second consecutive year set in motion a major upward movement in the price of foodgrains and other commodities. It also led to power shortage in many States, which interrupted the relative improvement that was occurring in industrial output.

92. Severe drought conditions in several parts of the country imposed on the Government the responsibility of providing for drought relief and emergency agricultural programmes. Emergency imports of foodgrains and some of the other essential commodities had also to be undertaken to augment available supplies. The increase in Governmental expenditure and a large accretion of bank deposits led to an unprecedented increase in aggregate monetary resources available to the community, and in the context of a decline in agricultural output, this aggravated the inflationary forces in the economy.

93. The continued upsurge in the price level during the year under review emphasises the need to evolve measures, both short-term and long-term, for ensuring adequate supplies of wage goods, particularly foodgrains. For the immediate future, the problem essentially resolves itself into one of operating the public distribution system efficiently on the one hand, and undertaking measures to reduce current expenditures on the other. In respect of the former, there are difficulties because of problems in respect of both procurement and imports. Procurement of wheat has turned out to be much less than anticipated; and because of a world shortage of cereals in the last year, imports of foodgrains have also been small. If the next **kharif** crop turns out to be good, it should ease the situation considerably; but the depletion of stocks during the last two years cannot be fully made good by one good monsoon. If, in the coming year, we are to build up some stocks in addition to keeping the public distribution system well supplied throughout the year, it will be essential to undertake a large procurement programme of rice and possibly some additional import of foodgrains. Given adequate procurement in the coming season, Government should be better able to mitigate price increases in respect of foodgrains. Obviously, such a large programme of procurement might involve having recourse to a levy system in the present circumstances. If there are difficulties in implementing such a system, the extent of obligations that could be undertaken by the Government for sale of foodgrains through the public distribution system will have to be reviewed; consideration may also be given to the possibility of adopting supplementary measures.

94. As described earlier, the pressure on prices will have to be reduced in the short-term through reduced expenditure in both the public and private sectors. Steps are being taken to cut down Government expenditure with a view to confining deficit financing to the minimum. The Central Government has budgeted in 1973-74 for a small deficit of Rs. 85 crores. Additional items of Government expenditure which have arisen subsequently, or are likely to arise—such as, larger outlays on food subsidies, increased expenditure on salaries as a result of the implementation of the Third Pay Commission and the Bonus Review Committee recommendations—are to be offset by cuts in Plan and non-Plan expenditures of the order of Rs. 400 crores. Since it is impossible to predict future expenditures precisely, it will be necessary to pay attention to better tax collection, larger borrowing etc., in order to ensure that the budget deficit will in fact be much smaller than in the previous two years.

95. In the field of credit policy, the accent throughout the year has been on restraining undue expansion in the face of a very rapid accretion of commercial banks' deposit resources. As has already been described, various measures have been taken since November 1972 to prevent the highly liquid position of banks from supporting unproductive or speculative expenditure in the private sector. Over the year, these policies have effectively kept the credit-deposit ratios well below the previous years' levels. However, with the pace of deposit accretion to the banks continuing to be high its utilisation will need to be a controlled one. Thus, the basic characteristic of credit policy in the immediate future will be one of restraint, allowing for such flexibility in the use of the instruments of control as are required to facilitate essential production on the one hand, and curb speculation on the other.

96. From a long-term point of view it has to be recognised that for several years to come public distribution of foodgrains and its management will continue to be of prime importance. During the four years of good monsoon since 1967-68, a sufficient availability of foodgrains led to a weakening of the distributional apparatus set up in most States. The experience of 1972-73 has shown that the machinery for public distribution of foodgrains has to be put on a permanent basis if it is to operate effectively in times of scarcity. Along with a proper distribution system, co-ordinated measures on the transport of foodgrains from surplus to deficit areas and within deficit areas are necessary to ensure an evening out of regional price fluctuations.

97. More importantly, it is in the field of production that a major effort has to be made. While intensification of research in developing and spreading the use of high yielding varieties of seeds in respect of rice, coarse grains and cash crops has to continue, periodical droughts have emphasised the urgency to devote greater efforts in developing dry farming methods suitable for varying agronomic conditions in the country so as to bring about a certain degree of stability in agricultural output in areas susceptible to drought. Investment of resources in this field should receive high priority.

98. Coming to the industrial sphere, the improvement noticed in the rate of output (7.1 per cent) in calendar year 1972 can be maintained, assuming normal availability of

power and industrial raw materials. Output of raw cotton and raw jute has been only marginally lower than last year and may not cause much anxiety, provided the next crops are normal. Improvement in the supply of steel and steel products is likely to continue. Moreover, the recent liberaliasation of industrial licensing would be a factor favourable to industrial growth. If the improvement in industrial relations observed in the public sector during 1972-73 continues in 1973-74, it would further help the growth in industrial output.

99. Over the longer period, however, it is the lower tempo of investment activity during the past few years which has contributed to scarcities not only in commodity sectors but also in transport, power, irrigation etc. Existence of idle capacity in some of the capital goods industries can also be traced to this factor. The lead in this regard has to come from the public sector, as substantial increases in investment in the private sector hinge on a similar growth in the public sector. An acceleration in investment in the public sector maintained over the next few years, therefore, has to take place if the industrial sector is to be put on a higher growth path. In doing this, ways should be found to ensure that a realistic cost-benefit assessment of new public investments is made, so as to economise on scarce resources.

100. Alongside of enlarging and streamlining public investment in industries, power and transport, measures to stimulate industries in the private sector require consideration. Greater dependence of private investment on the supply of finance through specialised institutions like the IDBI is undoubtedly an aid to better regulation and supervision; but resources provided by such institutions have to be based on equity and debenture capital raised on the market. If, therefore, the flow of investible funds into the capital market is not maintained and even enlarged to some extent, it is likely that many industries, especially medium and small industries, will find it difficult to come into being. On the eve of the Fifth Plan it would be opportune to take stock of this situation and impart a measure of continuity to Government's industrial and tax policies over the Plan period. This could act as an incentive both to savers and to entrepreneurs setting up new industries.

101. While re-allocation of available resources in favour of investment may not be immediately possible because of compulsions of the existing situation, more and more of additional resources mobilised need to be channelled into effective investment. This obviously implies the adoption of practices favourable to fuller utilisation of installed capacity in both public and private sector undertakings. In both these sectors the rates of return obtained on capital employed are not commensurate with either the needs of the country or the capabilities of the skilled labour utilised. Similarly it is true that tax revenue as a percentage of national income has been steadily rising in recent years; but here is still scope for mobilising additional resources, particularly at the State level as pointed out in the Raj Committee proposals. On a more general plane efforts to improve the administration for curbing tax evasion should be intensified.

102. The external payments position though reasonably sound at the moment does not permit of a large and continuing dependence on imports for supply of wage-goods. In times of acute shortage, as at present, it will be necessary to utilise part of our foreign exchange earning for financing food and other essential consumer goods imports. Since simultaneously provision has to be made for variety of maintenance imports for industry, it becomes all the more important to press ahead with measures favouring a rapid increase in export earnings.

103. In 1973-74, the last year of the Fourth Five Year Plan, the country would be concerned with the preparation of detailed Fifth Five Year Plan. This is the year therefore which should provide an economic setting favourable for the launching of the Fifth Plan. All efforts should be made to restore not only price stability but also balance in the management of the economy, particularly in the sphere of public investment and public consumption. The massive investment envisaged in the Fifth Plan would require larger tax realisations, more public borrowing and in general a big increase in the rate of saving. The banking sector has to be geared to meet the challenge ahead through further broadening and deepening banking services, not only for mobilising deposits but also for providing working capital finance for expanding industry, agriculture and other sectors. The contribution that can be made directly by Government policies financial and otherwise, will be far more important in achieving the twin objectives of growth and social justice; and it is these policies that will decide the future shape of the economy.

II. PROGRESS IN COMMERCIAL BANKING

104. During the year under review, the banking system further extended its geographical coverage thereby reducing the regional imbalances in banking development. During calendar year 1972, commercial banks opened 1763 branches which exceeded the target of opening 1500 branches during the year in terms of a perspective plan of opening 5000 offices for a three year period 1972-74 (calendar years). In order to maintain the tempo of branch expansion, banks have now been advised to draw up rolling plans for a three year period commencing from year 1973.

105. Credit purveyed to priority sectors picked up during the year although the rate of growth in credit to such sectors was rather slow. With reorganisation of regional and divisional offices and more effective loaning arrangements going apace, it is expected that faster progress will be achieved in this area in future years. This possibility is likely to be strengthened by the additional liberalisations in respect of guarantee cover provided by the Credit Guarantee Corporation of India Ltd. Besides, the extension of the scheme of commercial bank financing of cultivators, through primary agricultural co-operative credit societies, should also assist improvement in the growth of advances to these sectors.

106. Under the Lead Bank Scheme, the preparation of survey reports is nearing completion. Apart from convening, in a large number of districts, Consultative Committees for Banking Development, detailed studies were also initiated to indentify credit gaps and evolve credit plans for districts.

107. In the field of agriculture and allied activities, banks, continued their endeavours to cater to the financial needs of farmers in adopted villages. State Bank of India has been given licences for opening 93 Agricultural Development Branches; of these 41 have already been opened. The banks participated in the 1972-73, rabi crash programme as also in a crash programme for installation of pump-sets in Bihar. These were in addition to fulfiling the role assigned to them in areas covered by SFDA*/MFALA@ schemes. Besides, banks have been taking active interest in financing schemes eligible for refinance from the Agricultural Refinance Corporation.

108. During the year, the Regional Consultative Committees for nationalised banks, for the Southern, Western, Northern, Eastern and North-eastern regions were convened to review banking developments. In these meetings, a variety of decisions were taken for quickening the progress of banking, such as the following: (i) to form co-ordination committees of lead banks and the Developments of Co-operation. Agriculture and Industries of the State concerned for ensuring synchronisation of the activities of co-operatives with those of commercial banks; (ii) to adopt a flexible approach towards extension of loans, having regard to the organisational set-up of banks and availability of infrastructure and other facilities; (iii) to strengthen the co-operative structure to facilitate speedier financing by banks, and impress upon States to develop infra-structure facilities to facilitate the opening of offices by commercial banks, and (iv) desirability of banks undertaking training programmes so as to help solve the problem of inadequate availability of trained personnel. Besides, expeditious implementation of the recommendations of the Talwar Committee and frequent contacts between banks and offices of State Governments in the region will make it easier for banks to finance agriculturists.

Branch Expansion

109. Commercial banks opened 1,763 offices in 1972 as against 1,805 offices in 1971 and 2,137 offices in 1970. The number of offices opened in 1972 exceeded the target

*Small Farmers Development Agency.

@Marginal Farmers and Agricultural Labourers Agency.

of 1,500 branches fixed for the year under the perspective plan of branch expansion not—withstanding the absence of requisite infrastructure in some centres and the organisational constraints faced by banks. In order to ensure continuity in the matter of branch expansion and to enable banks to formulate their man-power plans in advance, it has been decided, to have rolling plans for a three-year period, beginning with the period 1973-75 (calendar years). For this purpose, banks were asked to specify, in February 1973, the centres where they would be opening offices during 1973, taking into account the licences/allotments already pending with them and to indicate Statewise quantitative plans for 1974 and 1975. While drawing up the plans for 1973, banks were also advised to ensure, to the extent feasible, that the expansion was spread out evenly over all the four quarters of the year, instead of a disproportionately large number of branches being opened during the closing phase of the year.

110. Commercial banks opened 1,756 offices during the year 1972-73 (July-June) as against 1,612 offices in 1971-72. Of the 1,756 offices opened in 1972-73, the State Bank of India and its subsidiaries accounted for 473 offices and the nationalised banks 926 offices. The number of offices opened at unbanked centres was 690 (Table 18).

Table 18—New offices opened by commercial banks during 1971-72 and 1972-73

	New Offices opened by commercial banks						Bank offices as on	
	1971-72			1972-73			30th June 1972	30th June 1973
	July-Dec. 1971	Jan.-June 1972	July-June 1971-72	July-Dec. 1972	Jan.-June 1973	July-June 1972-73		
1. State Bank of India	187 (106)	102 (58)	289 (164)	180 (58)	112 (39)	292 (97)	2575	2867
2. Subsidiaries of State Bank of India	66 (39)	84 (46)	150 (85)	127 (64)	54 (19)	181 (83)	1383	1563
3. Fourteen Nationalised Banks	540 (321)	281 (149)	821 (470)	618 (272)	308 (100)	926 (372)	7189	8109
4. Other scheduled banks	175 (108)	165 (99)	340 (207)	194 (74)	155 (58)	349 (132)	2240	2580
5. Foreign banks	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	130	130
6. All scheduled commercial banks	968 (574)	632 (352)	1600 (926)	1119 (468)	629 (216)	1748 (684)	13517	15249
7. Non-scheduled commercial banks	4 (3)	8 (7)	12 (10)	4 (3)	4 (3)	8 (6)	105	113
8. All commercial banks	972 (577)	640 (359)	1612 (936)	1123 (471)	633 (219)	1756 (690)	13622	15362

Note:—Figures in brackets relate to number of offices opened at the unbanked centres.

111. The progress in extending the geographical coverage of banking was also maintained during the year. Of the 7,131 offices opened since nationalisation, *i.e.*, from the July 1969 to the end of June 1973, as many as 4,106 offices (56.2 per cent) were in unbanked centres. The underdeveloped States of Assam, Bihar, Jammu & Kashmir, Madhya Pradesh, Manipur, Meghalaya, Nagaland, Orissa Tripura, Uttar Pradesh and West Bengal accounted for 30.8 per cent of these new offices. In Manipur, Nagaland and the Union Territories of Goa, Daman and Diu and Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands, all the offices opened during the year were at unbanked centres.

112. As at end—June 1972, there were 71 districts spread over 14 States/Union Territories where the population per bank office was above one lakh as against the national average of 40,000 per bank office. Banks, particularly those which have been designated as 'lead banks,' were, therefore, advised to give special attention to these districts with a view to reducing the population coverage per bank office to the maximum extent possible without ignoring, at the same time, the centres which offered good potential for mobilising deposits. The 'lead banks' were further advised to keep in view the need to give priority to the backward areas in developed as well as underdeveloped States, in order to remove the existing inter-State and intra-State disparities.

113. With the addition of 1,756 branches in 1972-73, the national average of population per bank office declined from 40,000 at the end of June 1972 to 36,000 at the end of June 1973. In 10 out of the 21 States, the population per bank office, however, is still above 50,000. These States are Assam, Bihar, Madhya Pradesh, Manipur, Meghalaya, Nagaland, Orissa, Tripura, Uttar Pradesh and West Bengal. In two of them (viz. Manipur and Tripura), the population coverage per bank office is more than one lakh (Table 19). Efforts are being directed towards opening more offices in these States.

114. Distribution of commercial bank offices by population groups indicates that there has been a further thrust by commercial banks in rural areas. The proportion of bank offices in rural areas, to the total, which was 30.2 per cent in June, 1970 increased to 35.6 per cent in June, 1971. As at the end of June, 1972 the ratio declined marginally to 35.3 per cent due mainly to reclassification of centres on the basis of the 1971 Census figures of population. To some extent this was also attributable to a larger utilisation by banks of their eligibility to open offices in urban/metropolitan centres, which accrued to them on account of their performance in rural and semi-urban areas in the earlier years. However, the proportion of rural offices increased to 36.2 per cent of the total by end-June 1973, despite the declining number of identified unbanked growth centres (Table 20).

Table 19—State-wise distribution of bank offices as at the end of June 1971, June 1972 and June 1973

States	No. of offices as at the end of			Opened during 1971-72 (July-June)	Of which unbanked centres	Opened during 1972-73 (July-June)	Of which unbanked centres	Population per bank office (in thousands) as at the end of	
	June 1971	June 1972	June 1973					June 1972	June 1973
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Andhra Pradesh	869	959	1103	90	44	144	54	45	39
2. Assam	122	149	168	27	22	19	11	98	89
3. Bihar	453	541	593	88	68	52	32	104	95
4. Gujarat	1105	1234	1320	129	83	90	25	22	20
5. Haryana	258	299	338	41	29	40	13	34	30
6. Himachal Pradesh	87	108	136	21	19	29	23	32	25
7. Jammu and Kashmir	101	116	139	15	8	23	12	40	33
8. Kerala	845	980	1072	136	92	92	32	22	20
9. Madhya Pradesh	566	669	748	103	58	80	42	62	56
10. Maharashtra	1471	1679	1866	208	77	189	44	30	27
11. Manipur	5	6	9	1	1	3	2	178	119
12. Meghalaya	15	16	17	1	—	1	—	63	59
13. Mysore	1124	1292	1479	168	107	188	76	23	20
14. Nagaland	5	5	6	—	—	1	1	103	86
15. Orissa	173	192	225	19	12	33	20	114	98
16. Punjab	556	651	772	95	59	120	57	21	18
17. Rajasthan	525	570	664	45	25	94	62	45	39
18. Tamil Nadu	1371	1484	1650	115	73	174	65	28	25
19. Tripura	12	12	14	—	—	2	1	130	111
20. Uttar Pradesh	1147	1324	1497	177	107	173	92	67	59
21. West Bengal	684	760	882	76	40	123	19	58	50
Union Territories									
22. Andaman & Nicobar Islands	2	4	4	2	1	—	—	29	29
23. Arunachal Pradesh	3	5	5	2	2	—	—	94	94
24. Chandigarh	28	33	41	5	—	7	—	8	6
25. Dadra & Nagar Haveli	3	4	4	1	1	—	—	19	19
26. Delhi	350	385	455	35	1	70	—	10	9
27. Goa, Daman & Diu	111	118	125	7	4	6	5	7	7
28. Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands	2	2	4	—	—	2	2	16	8
29. Mizoram	—	1	1	1	1	—	—	332	332
30. Pondicherry	20	24	25	4	2	1	—	20	19
TOT	**12013**	**13622**	**15362**	**1612**	**936**	**1756**	**690**	**40**	**36**

Table 20—Centre-wise distribution of commercial bank offices

	Number of offices as at the end of									
	June 1970	% to total	June 1971	% to total	June* 1972	% to total	December 1972	% to 1972	June 1973	% to total
1. Rural†	3062	30.2	4279	35.6	4814	35.3	5325	36.1	5561	36.2
2. Semi-Urban	3695	36.5	4016	33.4	4385	32.2	4587	31.1	4723	30.8
3. Urban	1583	15.6	1778	14.8	2323	17.1	2461	16.7	2573	16.7
4. Metropolitan/Port Town	1791	17.7	1940	16.2	2100	15.4	2366	16.1	2505	16.3
TOTAL	**10131**	**100.0**	**12013**	**100.0**	**13622**	**100.0**	**14739**	**100.0**	**15362**	**100.0**

*Re-classified on the basis of 1971 Census population figures.

†Rural Centres: Places with population upto 10,000.
Semi-Urban Centres: Places with population over 10,000 and upto 1,00,000.
Urban Centres:
(a) Metropolitan Towns: Places with population over 10,00,000.
(b) Others: Places with population over 1,00,000 and upto 10,00,000.

115. Mention was made in the last year's Report about the reduction in the population norm per bank office from 10,000 to 5,000 for metropolitan areas and certain urban centres with high deposit potential and the relaxation of eligibility norms to enable banks to open more offices in such areas. During the period under review, a meeting of representatives of banks was held at Ahmedabad and tentative allotments were made for opening 77 more bank offices in that city. With this, allotments have been made so far for opening 805 offices in seven metropolitan centres. A meeting of the representatives of public sector banks was convened at Patna in December 1972, for the purpose of making allotment among them of unbanked block development headquarters in Bihar State falling in areas under special projects such as SFDA and MFALA. At the meeting, 146 unbanked centres were allotted among seven public sector banks. Offices in 84 of these centres are expected to be opened in 1973 and at the remaining centres in 1974.

116. Allowing for changes in the number of offices due to transfer of assets and liabilities of banks, closure of offices, inclusion of banks in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934, etc., the net increase in the period upto June, 1973 in the number of offices of scheduled and non-scheduled commercial banks came to 1,732 and 8, respectively. As at end of June 1973, the number of offices of scheduled and non-scheduled commercial banks stood at 15,011 and 113 as against 15,249 and 105, respectively as at the end of June, 1972 (Table 21).

Lead Bank Scheme

117. Quick and impressionistic surveys of the economic profile of districts allotted to banks, under the lead bank scheme, have been completed by them in 313 out of 338 districts. The district level consultative committees have been constituted by the lead banks in as many as 267 districts, which provide the forum to (i) evolve, **inter alia** methods of exchanging information amongst themselves about intending borrowers and ending to priority sectors in the district, (ii) identify bankable schemes, (iii) allot unbanked centres identified during the survey and (iv) serve as a clearing house for discussing problems arising out of financing of priority sectors. The nationalised banks have been required to prepare credit plans in respect of a few of the districts allotted to them under the lead bank scheme. Preparation of credit plans covered by this scheme is under way. This is in addition to the in-depth studies of selected Community Development Blocks in its lead districts by the State Bank Group.

118. Notwithstanding the progress that has been made so far, much more remains to be done to fulfil expectations of the lead bank scheme as an important instrument for development. It is, therefore, necessary that the consultative committees set up at the district levels devote more attention to the formulation of loan schemes that are appropriate to the particular district. In this task, banks would need more assistance from technical experts of the State Government at the district level for identification of schemes which would qualify for bank credit. Provision of necessary infra-structure such as communication facilities and adequate premises by State Government would further assist the branch expansion programme of banks and help make regional credit planning more effective and purposive.

Financing of Agriculture by Commercial Banks

119. Mention was made in the last year's *Report that the* rate of increase of commercial banks, advances to agriculture had slowed down. This was attributed to the increased emphasis on qualitative lending and concentration of efforts in specific areas based on cluster approach, village adoption, group loans etc. Banks are also increasingly involving themselves in special schemes formulated by State Governments, as for example, those formulated during rabi 1972-73. The public sector banks are also participating in a crash programme for installation of pumpsets and have made certain relaxations in their normal terms and conditions relating to margin and security to ensure that a large number of small farmers are benefited by it. As regards SFDA/MFALA areas, considerable progress has been made, in particular, in the former areas in regard to identification of eligible farmers, and banks are opening more offices there. The Central Government had decided that these projects will have a five-year period beginning from 1971-72 and has also advised these agencies that their programmes should be prepared and implemented accordingly. By end-March 1973, commercial banks had extended short-term credit amounting to Rs. 159 lakhs and term loans amounting to Rs. 434 lakhs to identified small farmers in SFDA/MFALA areas. Agricultural advances of commercial banks have shown a steady improvement, having risen from Rs. 395 crores in December, 1971 to Rs. 485 crores in December 1972. The rising trend is witnessed both in direct as well as indirect advances to agriculture.

Organisation of Farmers Service Societies

120. The National Commission on Agriculture in their interim Report on Credit Services for Small and Marginal Farmers and Agricultural Labourers had recommended the organisation of Special Co-operatives known as Farmers Service Societies to provide integrated services to the above category of persons. This was further examined by a Study Team appointed by the Commission. The Farmers Service Society would provide short, medium and long-term advances to its members, who would be mostly small farmers. It would also supply inputs, arrange for the marketing of the produce, etc. These societies would be linked to commercial/co-operative banks. The Reserve Bank of India convened a meeting of the Heads of Agricultural Finance Departments of the public sector banks in June, 1973 and it was decided that these banks would set up Farmers Service Societies on a pilot basis in the major States. The banks would make a token contribution to the share capital and meet the remuneration of the Managing Director of the Society for a period up to 3 years. The State Governments are expected to contribute at least Rs. 50,000 to the share capital of a Society and subsidise the cost of the technical personnel. Further steps to organise the Farmers Service Societies are being taken. In order to encourage the organization of these societies, the Reserve Bank provides refinance at a concessional rate of 5 per cent, irrespective of a bank's net liquidity ratio, to Commercial banks for financing the farmers service societies.

121. Scheduled commercial banks are participating increasingly in financing the various schemes for which refinance facilities are available from the Agricultural Refinance Corporation; this includes projects utilising the credits from the IBRD/IDA. Scheduled commercial banks have been assigned a significant role particularly in the States of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Bihar; for these States they have submitted their detailed programmes to the Agricultural Refinance Corporation for incorporation in the overall banking plans for these projects.

122. As mentioned in the last year's Report, the need for speedy implementation of the recommendations of the "Expert Group on State Enactments having a bearing on commercial banks' lending to agriculture" has been impressed upon State Governments. The State legislatures of Madhya Pradesh, Haryana, Uttar Pradesh and Himachal Pradesh have passed bills on the lines of the 'Model Bill' recommended by the Group to enable commercial banks to undertake financing of agriculture on a larger scale. The M.P. legislation has since become an Act after getting the President's assent. The West Bengal Government has also passed a bill giving effect to some of the provisions of the 'Model Bill'. As regards the administrative measures suggested by the Group, some of the State Governments have reduced the stamp duty payable by agriculturists on documents executed in favour of commercial banks and have notified more towns where equitable mortgage could be created.

Credit Guarantee Corporation of India Ltd.

123. During the year, the Small Loans Guarantee Scheme was further liberalised for the benefit of small transport operators and agriculturists. In the case of the former, the guarantee cover, which was confined to credit facilities granted to transport operators for the purchase of vehicles

Table 21—Number of offices opened and closed by scheduled and non-scheduled commercial banks in India

	New Offices Opened	Changes due to amalgamations, mergers, transfers of assets and liabilities and inclusion in and exclusion from the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934	Existing offices closed	Overall variation in the number of offices	Number of offices at the end of the period
	1	2	3	4	5
Scheduled Commercial Banks					
1970					
January—June	1068 (190)	+3	—	+1071	9938
July—December	1052 (234)	+54	—4	+1102	11040
1971					
January—June	824 (178)	+32	—4	+852	11892
July—December	968 (187)	+28	—	+996	12888
1972					
January—June	632 (102)	—	—3	+629	13517
July—December	1119 (180)	—	—6	+1113	14630
1973					
January—June	629 (112)	—	—10	+619	15249
Non-Scheduled Banks					
1970					
January—June	12	—3	—	+9	193
July—December	5	—54	—	—49	144
1971					
January—June	9	—32	—	—23	121
July—December	4	—28	—	—24	97
1972					
January—June	8	—	—	+8	105
July—December	4	—	—	+4	109
1973					
January—June	4	—	—	+4	113
All Commercial Banks					
1970					
January—June	1080	—	—	+1080	10131
July—December	1057	—	—4	+1053	11184
1971					
January—June	833	—	—4	+829	12013
July—December	972	—	—	+972	12985
1972					
January—June	640	—	—3	+637	13622
July—December	1123	—	—6	+1117	14739
1973					
January—June	633	—	—10	+623	15362

NOTE:—(1) Figures within brackets relate to the State Bank of India.

(2) Data exclude administrative, seasonal, temporary, non-banking offices and offices outside India.

only was extended effective October 1, 1972 to credit facilities granted for repairs or removation of the vehicles, including body building and replacement of parts or for working capital requirements, subject, however, to the overall ceiling of Rs. 1 lakh. In the agricultural sector, credit facilities granted to Joint Hindu Families or groups or associations of persons (not being companies or co-operative societies) have been made eligible for the benefit of guarantee cover. The guarantee was also made available in respect of credit facilities to a borrower for two activities in the agricultural sector, instead of only one, as hitherto. Thus, credit facilities granted to a borrower for cultivating his land and for one subsidiary farming activity such as pisciculture, sericulture, animal husbandry, poultry farming and dairy farming or if he is not cultivating land, for any of two such activities, are now eligble for guarantee cover. Further, the rolling over of short-term credit by converting it into medium-term credit would be permitted in the event of drought, flood or other natural calamities or the death or physical incapacity of the borrower or any other unusual circumstances beyond the borrower's control.

124. The credit facilities covered under the three schemes, which are administered by the Corporation amounted to Rs. 173.42 crores, as on 29th September 1972, on the basis of available details, under the small loans guarantee scheme in respect of 65 out of 71 scheduled commercial banks that have joined the scheme, Rs. 2.97 crores under the Financial Corporation's Guarantee Scheme in respect of 12 out of 18 financial corporations and Rs. 44.66 lakhs under the Service Co-operative Societies Guarantee Schemes in respect of four commercial banks.

125. Mention was made in the last Report of the Working Group constituted by the Corporation to examine the question of extending guarantee cover to credit facilities granted through co-operative societies. The Bank has recently appointed a Study Team to go into the position of overdues at all the three levels of the co-operative credit system to ascertain broadly the causes thereof and their effect on the flow of credit, and to suggest remedial measures. The Corporation's Working Group on co-operatives is expected to take into account the views and suggestions of the Study Team before finalising its recommendations.

126. No credit institution invoked the guarantee in respect of the credit facilities covered under the schemes till 31st December 1972. During the first half of 1973, 5 banks submitted claims aggregating Rs. 2.01 lakhs in respect of 59 borrowers. Claims in respect of 2 borrowers for amounts aggregating Rs. 5324.33 were paid by the Corporation till June 30, 1973 and the remaining 57 claims were under examination.

127. The guarantee fees received by the Corporation during the year 1972 amounted to Rs. 94.55 lakhs. This, together with income from investments and interest on overdue guarantee fees, aggregated Rs. 108.90 lakhs. After meeting, establishment and other expenses of Rs. 4.75 lakhs, there was a surplus of Rs. 104.14 lakhs which the Corporation proposed to transfer to the Reserve for Unexpired Guarantee Risks. Under the Finance Act, 1973 the Corporation has been exempted from payment of income tax and the companies (profits) surtax for a period of 5 years till the end of December, 1975.

Sectoral Distribution of Credit

128. Estimates of data on sectoral distribution of bank credit are available only upto end—December 1972. These data indicate that as compared to the position during July-December, 1971, the flow of credit to the main sectors of the economy during July-December, 1972 show some significant changes. Aggregate bank credit at Rs. 5,559 crores as at the end of December, 1972 registered a smaller increase of Rs. 79 crores over the end-June 1972 level as against an increase of Rs. 247 crores during the corresponding period of 1971. Food advances declined by Rs. 383 crores as against a fall of Rs. 14 crores (Table 22) during July-December, 1971.

129. Arrangement for financing food procurement operations was further streamlined during the year. The entire credit requirements of the Food Corporation of India, State Governments and their agencies for food procurement operations, storage and distribution of foodgrains is now met by a consortium of Banks arranged by the Reserve Bank with State Bank of India as the leader. The working of the Scheme revealed that credit limits were not fully drawn upon by the State Governments and their agencies, perhaps because there was no proper co-ordination of the operations of the participating banks. In order to overcome this lacuna, each of the participating banks was allotted specific credit limits consistent with its resource position. With a view to ensuring, **inter alia**, equitable distribution of credit among banks participating in the consortium, the Reserve Bank constituted a Committee of Bankers in December 1972 to review periodically the allocation of credit limits among the banks in the Consortium and assess credit requirements of the agencies engaged in food procurement. The Committee is expected to look into the various procedural and other aspects relating to the consortium arrangement. The Committee has met six times during the year. Proposals are under consideration for organising similar consortium arrangements for advances against cotton and kapas in order to facilitate the operations of the Cotton Corporation of India.

130. Export credit during the period July—December, 1972 shows a small rise of Rs. 27 crores as compared to Rs. 77 crores in the corresponding period of 1971. However, when fuller details regarding export credit become available, it is expected to show a clear increase in comparison to last year, in view of the substantial increase in exports during the year 1972-73. The Pre-Shipment Credit Scheme and Export Bills Credit Scheme continued to operate during the year with minor modification in the latter to meet special requirements of exports of marine products and mineral ores. The coverage of interest subsidy scheme of 1968 was expanded to include State/Central Co-operative Banks granting package credit to exports.

131. Bank credit to small-scale industries increased in July-December 1972 by Rs. 48 crores as compared to an increase of Rs. 45 crores July-December 1971. The residual sector comprising 'large and medium industries, wholesale trade and others' accounted for Rs. 344 crores as against Rs. 184 crores in the previous year. Advances to other priority sectors including retail trade registered a rise of Rs. 24 crores compared to Rs. 19 crores in July-December 1971. There was a spurt of Rs. 46 crores in bank credit to agriculture in July-December, 1972 in comparison to a rise of Rs. 13 crores in the comparable period of 1971. The increase in bank credit to agriculture has to be viewed in the context of emphasis placed on strengthening the organisational structure to purvey credit to this sector. Apart from this, banks also streamlined their policy and procedures consistent with the guidelines issued by the Reserve Bank in this behalf. The increase in credit to this sector has taken place despite the fact that he recovery of loans continued to be difficult, particularly in view of the adverse agricultural conditions in 1972-73. Although this problem is likely to remain very difficult for some time to come, it does not warrant any change in the policy of priority treatment of this sector by banks.

132. These quantitative changes were naturally reflected in alterations in the relative share of individual sectors in total bank credit. While the share of small-scale industries declined, albeit, marginally, that of agriculture recorded an improvement. There was a rise in the share of both export and other priority sectors. Food advances showed a perceptible fall with the reduction in Government stock and the share of large and medium industries and wholesale trade and others increased.

Table 22—Sectoral Distribution Of Scheduled Commercial Banks' Credit

(Rupees crores)

	Outstanding as on			Variation (3)over(2)	Outstanding as on June 1972	variation (5) over (3)	Outstanding as on December 1972	Variation (7) over (5)
	June 1969	June 1971	December 1971					
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Total Bank Credit	3599	4805	5052	+247	5480	+428	5559	+79
(Of which exports)	(258*)	(382*)	(459*)	(+77)	(436*)	(—23)	(463*)	(+27)
	(7.2)	(7.9)	(9.1)		(8.0)		(8.3)	
2. Food Procurement Operations	233	379	365	—14	542	+177	159	—383
	(6.5)	(7.9)	(7.2)		(9.9)		(2.9)	
3. Agriculture	188	382	395	+13	439	+44	485	+46
	(5.2)	(7.9)	(7.8)		(8.0)		(8 7)	
(a) Direct finance	54	236	263	+27	267	+4	310	+43
	(1.5)	(4.9)	(5.2)		(4.9)		(5.6)	
(b) Indirect finance	134	146	132	—14	172	+40	175	+3
	(3.7)	(3.0)	(2.6)		(3.1)		(3.1)	
4. Small-scale industries	286	500	545	+45	597	+52	645	+48
	(7.9)	(10.4)	(10.8)		(10.9)		(11.9)	
5. Other priority sectors including retail trade	31	144	163	+19	172	+9	196	+24
	(0.9)	(3.0)	(3.2)		(3.1)		(3.5)	
6. Bank credit to large and medium industry, † wholesale trade and others@ (1—(2+3+4+5)	8261	3400	3584	+184	3730	+146	4074	+344
	(79.5)	(70.8)	(70.9)		(68.1)		(73.3)	
7. Available aggregate deposits (excluding cash in hand and balances with RBI, balances with other banks in current account and investments in Government and other approved securities)	2814	3936	4238	+302	4577	+339	4803	+226
	(83.3)	(81.9)	(83.9)		(83.5)		(86.4)	
8. Item 6 as percentage of item 7	93.9	85.3	84.6	60.9	79.1	43.1	84.0	152.2
9. Borrowings from RBI	172	207	171	—36	42	—129	9	—33

Notes:— (i) Upto December 1971, figures for other priority sectors including retail trade relate to public sector banks only and hence, have been blown up on the basis of the proportion (86%) of credit public sector banks to total credit.

(ii) Figures in brackets indicate proportion to total bank credit.

@ Estimated.

† This would include entire export credit to large and medium industry and wholesale trade.

*Includes medium-term export credit.

Busy Season 1972-73

133. Overall credit expansion in the busy season October 1972—April, 1973 amounted to Rs. 884 crores. Data collected from 21 major banks accounting for 87 per cent of both total credit and the credit expansion in the busy season indicate the broad direction of the overall expansion. The distribution of the credit expansion of these banks between the major sectors is given below. The proportion of the actual outstandings in each sector on the last Fridays of October 1972 and April, 1973 to total credit is also given.

Sector	Percent of total credit expansion	Credit Outstanding as percent of total credit	
		End October 1972	End April 1973
1. Priority sector (including small-scale industry)	17.0	24.0	23.0
2. Large and Medium Industry	52.2	48.4	49.0
3. Wholesale Trade (including credit for food procurement and public sector trading agencies)	17.2	15.8	16.0
4. Other Sectors	13.5	11.8	12.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0

BSR Scheme

134. The Basic Statistical Returns (BSR) scheme introduced in place of the Uniform Balance Books (UBB) scheme simplifies the schedules and reduces the frequency of some of the returns. For effective implementation of the BSR scheme, banks have been persuaded to designate a senior official for timely submission of returns. Consequent on the simplification of procedures and the reduction in the frequency of returns, the banks have shown encouraging response in submitting the UBB returns for June 1972. These data have since been consolidated and published. The availability of such data is important to banks themselves because, while discharging the duties assigned to them under the lead bank scheme, they have to know the direction in which and the sectors to which credit is being purveyed by the banking system as a whole. It is intended to publish such data twice a year under the BSR. As a part of the effective follow-up measures pursued by the Committee of Direction on Banking Statistics, a meeting of the representatives of public sector banks, Department of Banking and the National Institute of Bank Management was convened on July, 2, 1973 to review the progress of the Basic Statistical Returns system and to discuss the introduction of Management Information System (MIS) in banks. The general consensus at the meeting was to ensure timely reporting of accurate data on BSR to facilitate early consolidation and feed back. As for the Management Information System it was decided to constitute (*i*) a Standing Committee consisting of RBI executives and chairmen of major banks to guide and supervise the work relating to MIS, and (ii) an Implementation Committee to give effect to the recommendations on MIS. The Implementation Committee would appoint task forces which would go into system for the individual banks.

Differential Interest Rates

135. It was mentioned in the last year's Report that the Government had decided to implement the scheme of lending by the public sector banks at concessional rates of interest to weaker sections of the community. The progress under the scheme was, however, somewhat tardy owing to the fact that much of the time was necessarily spent by banks in attending to the preliminaries and in selecting the branches in districts listed as eligible for lending under the scheme. Consequently, the commencement of the scheme, which was scheduled for July 1972, was delayed. In order to enlarge the scope and coverage of the scheme, certain modifications were announced by the Finance Minister in his Budget speech for 1973-74. These include an increase in the number of districts to be covered by the scheme from 163 to 265; raising of the income ceiling for eligibility to Rs. 3000 per annum in urban or semi-urban areas and Rs. 2000 per annum in rural areas; and specification of the maximum amount available to any borrower under the scheme at Rs. 1500 for working capital and Rs. 5000 for term loans. As at the end of March 1973, the amount of advances outstanding under the scheme stood at Rs. 207.35 lakhs covering over 56,536 accounts.

Bills Rediscounting Scheme

136. The number of scheduled commercial banks participating in the Bills Rediscounting Scheme increased during the year to 38 from 35 at the end of June 1972. The persistently low level of outstanding amount of bills rediscounted with the Reserve Bank reflects, among others, the comfortable resources position of banks. There are, however, indications of a gradual increase in the utilisation of this scheme. During the 1972-73 busy season, the outstanding amount increased by Rs. 19 crores as against a decline of Rs. 3 crores in the 1971-72 busy season. Over the year the outstanding amount of bills rediscounted stood higher by Rs. 5 crores as against a small increase of Rs. 36 lakhs in 1971-72 (July-June). As banks get better geared to lending against bills wherever possible rather than book debts and inventories, this scheme should become an important means of rediscounting by the Reserve Bank of India. Further modifications were made during the year to expand the scope of the Bills Rediscounting Scheme, introduced in November 1970. The refinance arrangement in respect of the defence packing-cum-supply credit which had continued under the old Bill Market scheme was withdrawn from March 30, 1973 following suspension of the defence packing-cum-supply credit scheme.

Credit Planning

137. Following discussions with Economists of Commercial banks in April 1972, the proformae for the credit plan for the banking system for 1972-73 were revised so as to provide for estimates on a financial year basis of deposit accretion, credit deployment (sector-wise and state-wise) during the slack and busy season and for State-wise branch expansion plan in lead and non-lead districts. The proformae were filled in by banks covering 96 per cent of deposits and 97 per cent of credit of the banking system. The projection for each bank with deposits exceeding Rs. 50 crores was discussed with the Chief Executive and senior officials, in order to ascertain the methods of estimation followed and to review particularly credit deployment against some of the sensitive securities. Aside from this, it was also emphasised that banks should accelerate branch expansion in the under-developed States and step up lending to agriculture and other priority sectors. Prior to the announcement of the credit policy for the busy season, the views of bangs were elicited in respect of fixing credit limit on partywise basis as against the ceiling of credit for bank as a whole under the selective credit control measures. A realistic and comprehensive credit plan for the year 1972-73 was also drawn up for the banking system as a whole after taking into consideration such information on production, stocks, prices, exports, etc. as was available.

138. In the course of these discussions, an important point which emerged related to the practice of taking over by some banks of accounts of large borrowers from other banks by offering lower rates of interest and other more favourable terms. In this connection, a special meeting of the public sector banks was convened and the Reserve Bank impressed upon them the desirability of desisting from this practice.

139. The discussions also revealed that banks had either committed, or earmarked sizeable amounts for lending to public sector units; while some of them were of a term nature, others were in the shape of bridging finance pending formalisation of arrangements for issue of shares/debentures. In order to ensure that these lendings also conformed to the standards of credit appraisal laid down under the Credit Authorisation Scheme, term credit limits of Rs. 3 crores and above and working capital loans of Rs. 1 crore and above in respect of public sector undertakings including State Electricity Boards were brought within the ambit of the Credit Authorisation Scheme.

140. An important offshoot of the discussion was the decision to set up a Standing Committee of bankers and the Reserve Bank to supervise food procurement credit, as mentioned earlier. Proposals are under consideration for organising similar consortium arrangements for advances against cotton and *kapas* in order to facilitate the operations of the Cotton Corporation of India.

141. A meeting of commercial banks was convened to discuss the reasons for slackness in the provision of bank credit for fertiliser distribution and purchase of tractors. In the light of these discussions, the Reserve Bank laid down broad guidelines to ensure free and faster flow of credit for these purposes.

Pre-shipment Credit Scheme and Export Bills Credit Scheme

142. The Pre-shipment and Export Bills Credit schemes continued to be operated to assist the extension of export finance on an increasing scale. The Pre-shipment Credit Scheme was administered with a measure of flexibility so that the unforeseen difficulties encountered by the exporters did not come in their way of securing cheaper finance. In view of the importance of sea-foods as foreign exchange earners and their great potential, the credit problems of the industry were discussed by the Reserve Bank in April 1973 with the concerned banks, the exporters of sea-foods and the officers of the Marine Export Development Authority. Banks have been advised to extend adequate credit support to the exporters at various stages and in good time. The Reserve Bank has also made certain suggestions to banks in this context. The total number of banks participating in the above schemes as on the June 30, 1973 was 24. The maximum rate of interest on packing credit advances and interest/commission/discount on rupee and foreign currency export bills remained unchanged at 7 per cent per annum throughout the year under review.

Export Credit (Interest Subsidy) Scheme, 1968

143. The scheme, which was introduced in May 1968, continued to be popular, enabling the exporters to obtain finance from banks at concessional rates of interest. It was decided that working capital advances granted by way of packing credit by State/Central Co-operative banks catering to the export trade should also be covered by the Scheme. During the year, three State Co-operative Banks and 12 Central Co-operative Banks were brought under the Scheme. The ceiling rate of interest of 7 per cent per annum remained unchanged. Consequent on the liberalisation of its Export Production Finance Guarantee Scheme by the Export Credit and Guarantee Corporation Ltd., it was clarified to banks in August 1972 that advances granted by them to exporters upto 75 per cent over and above the f.o.b. value of shipment will be eligible for interest subsidy subject to compliance with the other conditions of the Scheme. Claims for interest subsidy amounting to Rs. 5.31 crores (preshipment credit Rs. 2.74 crores and postshipment credit Rs. 2.57 crores) received from eligible commercial banks were settled.

Credit Authorisation Scheme

144. Reference was made in the last year's Report to the toning up of credit appraisal procedures by banks and certain relaxations made in the operation of the Credit Authorisation Scheme in order to enable banks to meet the urgent demands of their borrowers for genuine working capital purposes. As it was felt that with the rationalisation of the credit appraisal procedures banks themselves would stipulate suitable covenants for disciplining the borrowers and preventing misuse of funds made available to them, relaxations in the requirements of the Scheme were further liberalised in December 1972. Under these modifications scheduled commercial banks need not obtain the Bank's prior authorisation for sanctioning to a borrower temporary/interim limits up to Rs. 25 lakhs for a period not exceeding three months, for genuine productive/trade operations (as against Rs. 10 lakhs previously exempted) and for allowing temporary excess drawings over the sanctioned limit up to 100 per cent thereof or Rs. 25 lakhs, whichever is lower (as against upto 5 per cent or Rs. 10 lakhs, whichever was lower, previously exempted).

145. A major change in the scope and operation of the Credit Authorisation Scheme related to the inclusion under it of advances granted by banks to public sector undertakings including State Electricity Boards, as also advances against the guarantee of Central and State Governments. Banks are now required to obtain the Reserve Bank's prior authorisation, under the Scheme for sanctioning to the above category of borrowers any credit limit (including commercial bill discounts) of Rs. 3 crores or more or any limit that would take the total limits enjoyed by such a party from the entire banking system to Rs. 3 crores or more, on a secured or unsecured basis. Such prior clearance is also required for sanctioning (singly or jointly with other bank(s)/institution(s) of individual medium or long-term loan of Rs. 1 crore and above, repayable over a period of more than three years to the above category of borrowers, irrespective of the totality of the credit limits enjoyed by them from the banking system as a whole. As regards State Electricity Boards, banks have been advised that finance from them for implementation of power programmes should take the form mainly of increased subscription to open market loans or special debentures floated by the Electricity Boards. By way of guidelines, banks have been further advised that they may, after proper scrutiny, extend credit for rural electrification programmes relating to energisation of tube wells or pump sets and extend short-term accommodation to the Electricity Boards for meeting their working capital, bridging and ways and means requirements.

146. Attention was drawn in the last year's Report to the fact that while projecting peak requirements of bank finance, some banks showed unpaid stocks also as being available for the purpose of fixing a borrower's credit limits. Such a practice resulted in availability to the borrower of 'double finance' both from sellers as well as from banks in respect of the same inventories. While the trust of Bank's policy has been to curb this practice of double financing, it has nevertheless continued to adopt a flexible approach. In cases where the element of double financing could not be eliminated forthwith without an impairment to the productive activity, banks were advised to rectify the position in a phased manner by stipulating suitable covenants that would bring about this result.

147. The policy in respect of advances by banks to sugar mills against stocks of sugar during the 1972-73 season was reviewed in the light of the estimated production of sugar during the season, as also the level of stocks which would be held by the mills at the peak of the season. Pursuant to this review, banks were advised in November 1972 that they might allow for the current crushing season, on merits, credit limits against stocks of sugar upto 80 per cent of those allowed during the 1969-70 season, or the higher limits specifically authorised by the Bank for the last season, in individual cases, as an interim measure without the need to obtain prior authorisation. The need for having a regulatory procedure for ensuring prompt payment by mills to the cane growers by obtaining control data was again impressed upon banks.

148. In view of the anticipated fall in the jute crop (including mesta) during the 1972-73 season, the Jute Commissioner issued orders in December 1972 under clause 9 of the Jute (Licensing and Control) Order, 1961, requiring jute mills to reduce their inventory progressively in such a way that they did not hold stocks of more than eight weeks' requirements in the mills or outside. Certain modifications were also later issued by the Jute Commissioner. Banks financing jute were advised by the Reserve Bank to ensure that credit made available by them to jute mills was consistent with the instructions issued by the Jute Commissioner. These banks were also advised to obtain the Bank's prior authorisation if they intended to grant, for the 1972-73 season, increased limits over those sanctioned for the 1970-71 season.

149. With a view to helping the coal industry in overcoming the difficulties arising out of transport bottlenecks, relaxation was allowed to banks in January 1972 in regard to the grant of additional credit limits to that industry up to a maximum of 15 per cent of the existing credit limits without the Bank's prior authorisation, till the end of 1972. Following the recommendation of the Working Group on Finance for Coal Industry set up by the Bank, banks were advised in December 1972, to continue the relaxation till the end of June 1973. The relaxation in the credit limits

under the scheme accorded to textile mills and dealers in the wake of the Indo-Pakistan hostilities in December 1971 was continued till the end of December 1972 whereafter it ceased to be operative. Credit proposals received from industrial units based in the Eastern Sector and those in the under-developed/backward areas continued to be dealt with sympathetically and promptly.

150. As mentioned earlier the Bank noticed that attempts were being made by banks, in some cases, to take over, from one another, accounts of large borrowers by offering lower rates of interest. With a view to preventing unhealthy competition amongst the public sector banks, the Bank advised them in December 1972 to desist from this practice. Not being satisfied that the practice had ended altogether, the Bank instructed all scheduled commercial banks in January 1973 that pending joint consideration of the problem by major banks, they should not take over, from one another, credit limits or term loans aggregating Rs. 25 lakhs or over, without prior consultation with bank/s which had presently granted such credit limits/term loans and without prior clearance from the Reserve Bank. These instructions, which were initially effective till the end of April 1973, were later extended to remain in force till further advice.

151. During the period July 1972-June 1973, 954 applications were received from banks for authorisation of credit limits under the scheme, as against 727 during the previous period. The applications seeking authorisation were mainly for the grant of working capital requirements. Of the applications received, two were rejected while sixteen were withdrawn by the concerned banks as a result of the queries raised. In some cases, reduced limits were authorised by the Bank after carefully considering the need-based requirements of the borrowers. Where it was felt that a more detailed study of borrower's requirements was necessary by the bank concerned or where certain corrective measures were necessary to be taken in a phased manner, the limits were authorised for specific periods subject to review at the end of such period. While authorising limits, suitable covenants were stipulated in several cases. These stipulations which were intended to enforce financial discipline on borrowers were principally on such matters as diversion of short-term funds for non-current purposes, requirement of Bank's clearance for declaration of dividends, inter-corporate lendings/investments, subordination of promoters' funds to bank advances, non-payment of guarantee commission, etc.

Advances against Shares

152. It was represented to the Bank that some scheduled commercial banks were reluctant to grant short-term advances or 'bridge-over' facilities on the security of quoted shares even for meeting the genuine needs of the borrowers. The Bank, therefore, issued a circular letter to all scheduled commercial banks on January 17, 1973 clarifying that the guidelines issued by the Bank for advances against shares were intended merely to rationalise the policy and not to deny credit for genuine productive requirements; and that banks should continue to extend credit against shares, on merits, for genuine investment and productive requirements. Further, there should not be any objection to granting advances against shares as 'bridge-over' facilities for short duration or for working capital purposes to assist genuine productive activity. To assist in ensuring a degree of liquidity to investments in shares, banks were asked to continue to allow loans or overdrafts against shares on merits, if they were satisfied regarding the end use of funds; in such cases banks need not consider it obligatory always to impose repayment schedules for advances up to Rs. 5 lakhs.

Selective Credit Controls

153. In the light of the current production, supply and price situation and having regard to unfavourable crop prospects in 1972-73, certain modifications in the selective credit control measures in respect of advances against foodgrains, oilseeds and vegetable oils and vanaspati, cotton and **kapas**, sugar, gur and khandsari were made during the year. While making these modifications, the Bank kept in view the objectives of preventing undue holding of stocks by borrowers and ensuring that credit did not become a bottleneck to increased production and procurement; besides, they were designed to simplify procedures and facilitate more effective enforcement of the controls.

154. In view of the adverse crop prospects for foodgrains in 1972-73, credit controls on advances against foodgrains were considerably tightened both in respect of level of credit and of terms of lending. Effective from November 16, 1972, the Bank changed the permissible limit for advances against foodgrains from bank-wise to party-wise. The earlier provision relating to the level of credit, viz. 110 per cent of the average aggregate level of credit (against paddy and other foodgrains excluding wheat) maintained in the corresponding two-month period in the preceding year was changed to 100 per cent of the peak level of advances outstanding per party in any of the three preceding seasons, viz. 1971-72, 1970-71 and 1969-70. This provision was, inter alia, intended to ensure that banks did not offer large credit to a few parties utilising the unused credit limits of other borrowers. Coupled with this, banks were also advised in November 1972 to pursue a policy of cautious lending against foodgrains, particularly in respect of pulses and coarse grains so as to ensure that their advances while facilitating the food procurement programme in different areas were not utilised for undue holding of stocks by their borrowers. Advances against maize which were earlier exempted from controls, were again brought within the purview of controls, save those granted to industrial users.

155. In view of the continuing difficult supply and price situation of foodgrains, the Bank tightened its controls further on April 18, 1973 by raising the minimum margin on advances against foodgrains from 50 per cent to 60 per cent. The minimum rate of interest on such advances was also increased from 10 per cent to 12 per cent. However, advances to duly appointed agents of the Food Corporation of India/Central or State Governments for the purpose of procurement/distribution were completely exempted from controls.

156. Following the take-over of wholesale trade in wheat, banks were advised on May 14, 1973, to ensure that no loans against the security of wheat were outstanding in favour of any wholesale trader or retail traders other than those who have licences from the concerned State Governments to hold stocks of wheat as retailers, wherever such licences are prescribed; and that advances to retail dealers were confined only upto the limit of stocks which they have been authorised to hold. With regard to advances against wheat in the main wheat producing States of Panjab, Haryana, U.P., M.P. and Bihar, the banks operating in these areas were asked on May 15, 1973, to undertake a special review of credit limits exceeding Rs. 20,000 against wheat to private parties in order to ensure that these limits are cancelled in the case of wholesale traders and appropriately fixed in the case of licensed retail traders.

157. In view of the rise in the prices of groundnut and its oil and reports of speculative activity in these commodities in the State of Gujarat, the Bank increased on July 24, 1972, the minimum margin from 60 per cent to 75 per cent in respect of advances in the State of Gujarat against groundnut to all parties. The minimum margin on advances in Gujarat State against warehouse receipts covering stocks of groundnut and vanaspati to vanaspati manufacturers was also increased from 50 per cent to 65 per cent. These higher minimum margins were extended on November 15, 1972 to the state of Maharashtra. As in the case of foodgrains, the ceiling on credit was fixed on a party-wise basis effective from November 15, 1972. Thus the permissible limit of credit, viz., 70 per cent of the average aggregate level of credit maintained during the corresponding two-month period of 1967 and also the provision regarding additional limit (equivalent to 15 per cent of the average aggregate level of credit maintained during the corresponding two months in 1970 for accommodating new parties) was changed to 100 per cent of the peak level of advances outstanding per party in any of the three preceding seasons viz. 1971-72, 1970-71 and 1969-70.

158. Advances directly granted to farmers and to primary co-operative societies for extending credit to their cultivator-members against controlled oilseeds, which represented extension of advances granted earlier against standing crop for a period of three months from the date of harvesting the said crop, were exempted from margin and ceiling controls, provided each of such credit limit did not exceed Rs. 2,500 per farmer or the amount of the crop loan outstanding whichever was lower. Further, advances

to small borrowers—manufacturing units and others—wholly or partly against the security of foodgrains, oilseeds and vegetable oils covered by the guarantee scheme of the Credit Guarantee Corporation of India Ltd./Credit Guarantee Organisation, were exempted from margin and ceiling controls to the full extent of the limit subject to a maximum amount of Rs. 20,000 for each unit/borrower provided it/he undertook to borrow against these commodities from one bank only. Advances against imported oilseeds and oils continued to remain completely exempted from controls. As the supply position of edible oilseeds and oils continued to be difficult, banks were requested to undertake to finance new parties only in exceptionally deserving cases with the prior approval of the Reserve Bank.

159. In respect of advances against **cotton and kapas,** it was decided to retain the controls with marginal modifications because there was no case for the removal or relaxation of controls, unless the production of cotton stabilised at a fairly high level to meet the increasing requirements; besides, the need and position of weaker textile mills vis-a-vis the stronger mills had also to be kept in view in this context. After taking into account these aspects, the Bank made, on November 15, 1972, some changes for the 1972-73 busy season by simplying the existing categories of cotton mills and the minimum margin applicable thereto as well as the provisions relating to advances to parties other than cotton textile mills. Thus, there was no change in margin control in respect of advances to the Government controlled mills and to mills in Bihar and West Bengal, viz. 20 per cent—35 per cent for the specified period of consumption of cotton. The minimum margin for mills in Bombay and Ahmedabad was reduced to 25 per cent for stocks of 12 weeks' consumption and 50 per cent for stocks in excess of this amount. In respect of mills other than those mentioned above, the minimum margin was fixed at 25 per cent for stocks of 14 weeks' consumption and 50 per cent for stocks in excess of 14 weeks' consumption. For advances to parties other than mills, a simplification was introduced by abolishing the existing distinction between old and new stocks and the different marketing periods and instead, a uniform margin of 50 per cent was made applicable to such advances.

160. Regarding advances against **sugar, gur and khandsari,** the minimum margin of 40 per cent applicable in respect of specified lapsed release of sugar was removed because there was no need to regulate separately credit against lapsed quotas. While the minimum margin at 65 per cent was continued in the case of free market sugar which had left the factory or mill's premises and on which excise duty was paid, the minimum margin in respect of advances to mills was fixed at 10 per cent in the case of stocks of levy sugar earmarked for controlled distribution by Government and 15 per cent for free market sugar, subject to the conditions that the levy sugar stocks were valued at the levy price and the free sugar stocks at the tariff value fixed by the Government. Complete exemption from controls was provided for advances to manufacturing units (i.e. industrial users).

161. On December 20, 1972, the period of exemption from selective credit controls in respect of advances against the controlled commodities in the specified border and near-border districts, which was earlier extended upto the end of December 1972, was further extended upto the end of June, 1973 in respect of advances against cotton and **kapas** and upto the end of April 1973 in respect of the other controlled commodities.

Working Group on Jute Industry

162. It was mentioned in the last year's Report that the special scheme formulated by the Working Group for providing some relief to jute industry by way of charging a concessional rate of interest on borrowings representing that portion of the mills' production which is exported, was under the consideration of the Central Government. In September 1972, Government were apprised of the further necessary steps to be taken by them to implement certain recommendations of the Working Group. The decision of Government on the above matters is awaited.

Working Group on Tea Finance

163. A circular letter endorsing the relevant recommendations of the Working Group on Finance for Tea Industry, relating to the short-term credit needs of tea gardens was issued to all scheduled commercial banks in March 1972. In the light of the recommendations of the Working Group, the Reserve Bank suggested to commercial banks and State Financial Corporations in September 1972, the adoption of certain measures for the grant of term finance on softer conditions to meet development needs of the tea industry.

Working Group on Coal Industry

164. Based on the recommendations of the Working Group constituted by the Reserve Bank to study the immediate financial problems of the coal industry, the Bank advised all scheduled commercial banks in December 1972 to give due consideration to the recommendations of the Working Group. Banks financing the coal industry have been advised to consider making suitable modifications on merits in the existing limits, if necessary by undertaking a review of the credit facilities already sanctioned.

Study Group on Cashew Industry

165. The Study Group set up by the Reserve Bank in March 1972 to review commercial banks lending to cashew industry, with reference to its export and employment potential, submitted its report in January 1973. The Group made a number of recommendations relating to maintenance of margins, valuations of raw materials/kernels, level of inventories and fixing of adequate credit limits, etc. The Bank, while in broad agreement with the recommendations, issued a circular letter to scheduled commercial banks in March 1973 advising them to review the existing credit limits on merits and make suitable modifications, wherever necessary, in the terms and conditions and procedures in force.

Report of the Banking Commission

166. During the year, the Bank forwarded its views on certain recommendations of the Banking Commission which were specifically referred to it by the Government which mainly pertained to (i) legislative reforms, (ii) operating methods and procedures in commercial banks including those relating to the establishment of 'Bank Giro' system, (iii) chit fund business to be run by commercial banks (iv) the need to have separate merchant banking institutions and specialised acceptance and discount houses, (v) the need for separate institutions for meeting consumers' needs and specialised savings banks, (vi) recruitment, training, etc., of personnel in banks and (vii) banking research and education.

Other Organisational Matters

Nationalised Banks

167. The new Boards of Directors for the nationalised banks, as envisaged under clause 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, were constituted with effect from December 11, 1972. For the present, the Boards consist of 9 to 11 Directors. The Boards are broad-based and include two representatives of the employees (one representing workmen employees and the other officers), one director each representing the interests respectively of depositors and artisans, and persons having special knowledge or practical experience in the fields of agriculture and small-scale industries. The Boards have also a nominee each of the Central Government and the Reserve Bank. On the constitution of the new Boards, the office of the Custodian ceased to exist. The Chief Executive of each nationalised bank is now designated as the Managing Director. Currently, the Managing Director of each bank has also been appointed as Chairman of the Board of Directors.

168. The Management Committee for each bank as contemplated under clause 13 of the Scheme, has also been constituted. The Committee for each bank consists of the

Managing Director and Chairman, the nominees of the Reserve Bank and Central Government and three other directors. At present, a director representing workmen staff is on the Committee of seven banks, while a director representing officer staff is on the Committee of the remaining seven banks. The Committee exercises such powers as have been delegated to it by the Board with the approval of the Central Government. In addition, the nationalised banks have also formed some additional Committees as envisaged in clause 14 of the Scheme to look into details of such aspects as credit scheme to assist neglected sectors, branch expansion policy, etc.

169. Certain amendments to the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, relating to restructuring of the capital structure of the banks and giving opportunity to directors to show cause against their removel from office, etc. were made by the Central Government, in consultation with the Reserve Bank.

Foreign Branches of Nationalised Banks

170. Regarding branches of nationalised banks in Uganda, the banking business of Bank of India (Uganda) Ltd. was sold to and taken over by Bank of Baroda (Uganda) Ltd. as at the close of business on June 30, 1972, pursuant to an agreement of sale. A new Malaysian banking company, viz. United Asian Bank Berhad, was registered at Kuala Lumpur on December 30, 1972; it commenced business on May 26, 1973 as from which date it took over the undertakings and business of the 11 banches in Malaysia of Indian Bank, Indian Overseas Bank and United Commercial Bank. The authorised capital of the United Asian Bank is 25 million Malaysian dollars and the paid-up capital 10 million Malaysian dollars. The three Indian Banks have contributed 33⅓ per cent of the paid-up capital of the new bank. The balance has been contributed by Malaysian citizens, corporations, etc. including Malaysian citizens of Indian origin. The Chairmen of the three Indian Banks are directors of the new bank. A senior executive of Indian Overseas Bank is the Chief Executive Director of the new bank. It is expected that the proposed set-up of the United Asian Bank will provide for expansion of its activities in order to cater more fully to the national banking needs in Malaysia.

171. The business of the Kisumu branch of Bank of India in Kenya was sold to the National Bank of Kenya as from the close of business on December 30, 1972. Reference was made in the last Report regarding two of the four Indian banks operating in Singapore, which did not comply with the minimum capital requirements as per the local banking laws. These banks have since increased their paid-up capital to Rs. 2 crores each by capitalising, a portion of their reserves in compliance with the requirements.

Credit Information

172. The Credit Information Division of the Reserve Bank continued to assist banks and other notified financial institutions by furnishing them, on request, information on credit facilities allowed to individual borrowers. To reduce the time-lag between the date of receipt of the statements and the date of their consolidation, banks have been requested to ensure prompt submission of correctly and uniformly coded returns. During the year, credit information in the case of 1186 applications was furnished to applicant banks/financial institutions as against 2,255 applications during the previous year.

Inspection of Banks

173. In pursuance of the Reserve Bank's programme of periodical inspection of commercial banks, 38 scheduled banks and 6 non-scheduled banks were inspected, or taken up for inspection, under Section 35 of the Banking Regulation Act, 1949 during the period. Besides, the inspection of the branch of an Indian bank in Sikkim and of two banks in Kenya was carried out. Scrutiny of the affairs of four banks was undertaken during the period, three for issue of certificates under Section 44(1) of the Act and one for issue of a certificate under Section 49(C) of the Act. During the year, centre-wise inspection of branches of commercial banks were conducted at 194 centres served by 789 offices of commercial banks. A study was also made of one bank to examine the systems and procedures obtaining therein and to suggest improvement wherever necessary. Further studies of this nature are expected to be carried out.

174. The comparative position in regard to the inspection of banks and their branches during the last three accounting years is given below:

	1970-71	1971-72	1972-73
Financial Inspection			
No. of banks inspected/taken up for inspection	47	37	44
No. of offices inspected	721	1116	1013
Center-wise Inspection			
No. of centres . . .	58	76	194
No. of branches . . .	565	364	789
Systems Inspection			
No. of banks inspected .	—	2	1

Licensing of Banks

175. Consequent upon its business having been merged with the Mercantile Bank Ltd., the licence granted to the Hongkong and Shanghai Banking Corporation was cancelled. Thus, the number of licensed banks was reduced to 45, while the number of banks in whose cases licenses had been cancelled increased to 52 as at the end of June 1973. Besides, there are 22 banks in the public sector which are not required to hold a licence. The total number of banks to which licences were refused remained unchanged at 283 as at the end of June 1973.

Liquidation Proceedings

176. During the period under review, four non-scheduled banks were dissolved by the High Courts. Certificates under Section 44(1) of the Banking Regulation Act, 1949, were issued to three non-scheduled banks to enable them to go into voluntary liquidation.

177. After obtaining the necessary directives from the Central Government, the inspection of four banks under Section 45 Q of the Banking Regulation Act, 1949 was taken up. Of these, the inspection of three banks, viz. Calcutta National Bank Ltd., Puri Bank Ltd. and Chotanagpur Banking Association Ltd. was completed, while the inspection of the remaining bank viz. Associated Banking Corporation of India Ltd., Bombay has remained suspended as the relative records were not available to the Inspecting Officer. The inspection reports on the Calcutta National Bank Ltd., Puri Bank Ltd. and Chotanagpur Banking Association Ltd. were forwarded to Government of India and the concerned High Courts on 12th February, 11th May and 18th June 1973, respectively.

Clearing House Facilities

178. Twenty-one clearing houses were established during the period July 1, 1972 to June 30, 1973 bringing the total number of clearing houses in the country to 178; of these, nine are managed by the Reserve Bank of India, 137 by the State Bank of India and 32 by the subsidiaries of the State Bank of India.

179. For drawing up its future programme of setting up clearing houses, a fresh list of 156 centres with a population of 50,000 or more in 1971 and served by more than three or four banks, was prepared and sent to the State Bank of India in August 1972. The State Bank of India has been examining the feasibility of opening clearing houses on the above basis.

180. The recommendation of the Banking Commission on the question of establishing additional clearing houses at metropolitan centres has been engaging the attention of the Bank. To begin with, the possibility of establishing additional clearing houses at Bombay, Calcutta and Madras, is being explored.

Working Results of Public Sector Banks

All Public Sector Banks

181. An analysis of the working results of the 22 public sector banks (State Bank of India and its 7 subsidiaries and 14 nationalised banks), based on profit and loss accounts of these banks, shows that profits* at Rs. 11.9 crores for the year 1972 recorded a decline of Rs. 0.9 crore (6.4 per cent) over the year. The increase in bank credit in 1972 was Rs. 346 crores as against Rs. 600 crores in 1971. Earnings from interest and discount, therefore, recorded smaller increase of Rs. 82 crores (18.8 per cent) as compared to an increase of Rs. 91.6 crores (26.5 per cent) in 1971. Total expenses of these banks at Rs. 592.9 crores show an increase of Rs. 93.1 crores (18.7 per cent) over that of 1971; in 1971 the increase in expenses was of the order of Rs. 98.2 crores (24.5 per cent). In 1972, interest paid on deposits and borrowings registered an increase of Rs. 49 crores (20.2 per cent) as compared to that of Rs. 51.3 crores (27.0 per cent) in 1971. Salaries and allowances paid to staff increased by Rs. 31.4 crores (15.5 per cent) as against Rs. 37.7 crores (21.7 per cent) in 1971 reflecting smaller phase of branch expansion.

State Bank Group

182. State Bank of India improved its earnings from Rs. 142.1 crores in 1971 to Rs. 168.9 crores in 1972 *i.e.*, by 18.9 per cent. Income from interest and discount went up by Rs. 22.6 crores (19.8 per cent) in 1972 as against a rise of Rs. 25.6 crores (28.9 per cent) in 1971. Total expenses of State Bank rose by Rs. 26.8 crores (19.4 per cent) in 1972 in comparison with a rise of Rs. 28.3 crores in 1971. Interest payments on deposits and borrowings recorded an increase of Rs. 11.6 crores (19.3 per cent) in 1972 as compared to Rs. 13.2 crores (28.1 per cent) in 1971. The balance of profits of State Bank at Rs. 3.85 crores in 1972 increased by Rs. 7 lakhs as against a rise of Rs. 1.1 crores in 1971. Out of these profits, Rs. 2 crores were transferred to the reserve funds while Rs. 1.3 crores were provided for dividend to its shareholders.

183. The working results of 7 subsidiaries of the State Bank indicated that the income rose from Rs. 39.9 crores in 1971 to Rs. 47.1 crores in 1972 showing a rise of 18.0 per cent as against 23.7 per cent in 1971. Total expenses also increased by a similar amount (Rs. 7.2 crores) during 1972. In the result, their profits at Rs. 51 lakhs remained unchanged at the level of 1971. Out of these profits, these banks transferred Rs. 11 lakhs to reserve funds and provided Rs. 35 lakhs for payment of dividend.

*Profits after provision for taxes and for bonus.

Nationalised Banks

184. Total income at Rs. 388.8 crores of 14 nationalised banks in 1972 recorded a smaller improvement Rs. 58.3 crores (17.6 per cent) as compared to Rs. 63.8 crores (23.9 per cent) in 1971. This was mainly on account of lower rate of growth in earnings from interest and discount which at Rs. 342 crores increased by Rs. 53 crores (18.3 per cent) as against a rise of Rs. 59.1 crores (25.6 per cent) in 1971. Total expenses of these banks in 1972 at Rs. 381.3 crores rose by Rs. 59.2 crores in relation to an increase of Rs. 62.2 crores in 1971. This was mainly attributable to relatively smaller rise in establishment expenses (Rs. 18.1 crores) in 1972 as against Rs. 20.1 crores in 1971 and interest payment on deposits and borrowings (Rs. 33.9 crores) in 1972 as compared to Rs. 34.4 crores in 1971. Since the increase in expenses (Rs. 59 crores) outpaced that in earnings (Rs. 58 crores) the profits of nationalised banks declined from Rs. 8.6 crores in 1971 to Rs. 7.6 crores in 1972. A sum of Rs. 3.20 crores from their profits was transferred to statutory reserves. The amount transferred to Government was Rs. 4.18 crores, that is 4.8 per cent of the aggregate compensation paid for the acquisition of these banks, as against Rs. 4.33 crores last year representing 5.1 per cent of the aggregate compensation.

Working results of other Scheduled Commercial Banks

Other Indian Scheduled Banks

185. Total income (but not the profits as explained below) of 22 other Indian scheduled banks, each with deposits exceeding Rs. 10 crores, improved substantially from Rs. 38.0 crores to Rs. 49.8 crores in 1972 showing an increase of 31.7 per cent over the year. Earnings from interest and discount increased from Rs. 32.9 crores to Rs. 43.3 crores in 1972 (by 31.7 per cent). Total expenditure of these banks also rose sharply by Rs. 12 crores to Rs. 48.6 crores, showing an increase of 32.9 per cent over the previous year's level. Interest paid on deposits, borrowings, etc. as well as establishment expenses recorded a substantial increase, the former by 36.1 per cent and the latter by 29.2 per cent over the previous year. Due to a sharper rise in expenditure than in income, the profits of these banks declined from Rs. 137 lakhs in 1971 to Rs. 114 lakhs in 1972. Transfers to statutory reserves by these banks out of 1972 profits amounted to Rs. 48 lakhs as compared with Rs. 50 lakhs in the previous year, while appropriation for other reserves was just half (Rs. 34 lakhs) of that in 1971 (Rs. 68 lakhs). Dividend to shareholders was, however, maintained at Rs. 19 lakhs or at the same level as in 1971.

Foreign Banks

186. Total income of 11 foreign banks increased from Rs. 60.9 crores in 1971 to Rs. 66.7 crores, in 1972 showing a rise of 9.5 per cent over the previous year. Their total expenditure, however, increased at a slower rate than their income *i.e.* by Rs. 4.6 crores to Rs. 62.8 crores, recording a rise of 8 per cent over the year. Their establishment expenses increased by Rs. 1 crore and interest payments and other expenditure by about Rs. 1.8 crores each. In 1971 however, 'Other expenditure' had risen by as much as Rs. 4.8 crores. Consequently their profits at Rs. 2.8 crores rose only by Rs. 15 lakhs. In 1972 the profits of these banks showed an improvement from Rs. 2.8 crores to Rs. 3.9 crores a rise of 39.4 per cent. Among the foreign banks, National & Grindlays Bank earned the largest profit (Rs. 1.20 crores) followed by First National City Bank (Rs. 1.09 crores). All foreign banks together transferred to their Head Offices an amount of Rs. 3.93 crores in 1972 as compared to Rs. 2.54 crores in 1971.

Control on Non-Banking Companies

187. During the year further amendments were made to the directions issued in October 1966 to the non-banking financial and non-financial companies. The amendments which came into force from January 1, 1973 were as follows: first, the minimum period for which non-banking non-financial and financial companies can accept deposits has been reduced from twelve months to six months. Further,

non-financial companies may now accept deposits for a period of three months upto ten per cent within the limit of 25 per cent of their paid-up capital and free reserves for meeting their seasonal requirements. Secondly, money received by one company from another is excluded from the definition of the term "deposit". Thirdly, the exemption of mutual benefit financial companies from the purview of the directions will cover only those companies which accept deposits from their members and which are notified by the Central Government under Section 620A of the Companies Act, 1956. Moreover, deposits received from "associate members" who are not registered as holders of shares in the companies will not qualify for exemption from the prescribed ceiling for deposits. Such companies holding deposits in excess of the prescribed ceiling will have to regularise their position before January 1, 1974. Fourthly, under the directions, any 'loan' received from a person, who at the time of the receipt of such a loan is a director of the company, is exempt from the scope of the term "deposit". The directions have now been amended to provide that the exemptions will cover any "money" received from a director on or after January 1, 1973 provided the company obtains from the person from whom the money is received, a declaration in writing that the money has not been given by such person out of the funds acquired by him by borrowing or by accepting deposits from any other person. For similar reasons it has now been provided that in the case of a private company, any money received by it from its shareholders (which also has been excluded from the definition of the term "deposit") will be eligible for the exemption provided the company, at the time of receiving money from them, has obtained a similar declaration. Finally, in order that a depositor may be aware of the financial position of the company with which he proposes to keep a deposit, it has been made obligatory, with effect from April 1, 1973 on the part of all the companies receiving deposits (including renewals or conversions thereof) to do so only on applications in writing obtained from the intending depositors on forms supplied by the companies, containing all the particulars specified in respect of advertisements soliciting deposits.

188. It was represented to the Reserve Bank that the observance of some of the provisions of the directions issued to non-banking non-financial companies is likely to cause hardship to small-scale industrial units. In view thereof, the Bank has, in consultation with the Government of India, exempted small-scale industrial companies (registered with the Directorate of Industries or Small-Scale Industries) with an aggregate of paid-up capital and free reserves not exceeding Rs. 3 lakhs, which accept deposits from not more than 50 persons from the provisions of the directions relating to ceilings on deposits, repayment of deposits held in excess of ceiling, particulars to be specified in application forms and advertisements soliciting deposits, and rates of interest payable on deposits prematurely withdrawn. The exemption, operative from the 1st July 1973, will remain in force for a period of three years. All other small-scale industrial companies have also been exempted from the ceiling restrictions on deposits provided the total amount of deposits and loans accepted by a company does not, at any time, exceed the aggregate of its paid-up capital and free reserves as reduced by the balance of loss, if any. Small-scale industrial companies, would however be required to comply with all other provisions of the directions such as submission of the prescribed annual returns and maintenance of deposits registers.

189. The Government of Maharashtra has decided to enact a law to control chit funds in the State. A Bill to that effect will be introduced in the Legislature shortly. The Government of Kerala has drafted the Kerala Chitties Bill 1972. It seeks to incorporate the provisions of the earlier Bills with some further additions and when enacted into a law, it will extent to the whole of Kerala State.

190. In the light of the experience gained in the administration of the provisions of Chapter IIIB of the Reserve Bank of India Act, 1934 relating to non-banking institutions, it was observed that certain provisions thereof, more particularly those relating to inspection of non-banking companies, regulation of advertisements, penalties prescribed for contraventions of the various provisions of the directions etc were not adequate. Certain amendments to the relative provisions of the Act have, therefore, been suggested to the Government of India for its consideration and necessary action.

191. According to the survey of deposits with non-banking companies for the year ended March 31, 1970, the number of reporting financial companies has declined by 51, while the number of non-financial companies has increased by 21. The total number of reporting companies was 676 financial and 1,535 non-financial. Although there was a small reduction in the total number of reporting companies, the number of accounts increased from 6.24 lakhs to 7.14 lakhs. The total deposits (including exempted loans not counting as deposits at Rs. 287.3 crores) also increased from Rs. 593.7 crores to Rs. 633.3 crores. The total deposits with financial companies amounted to Rs. 181.9 crores while those with non-financial companies aggregated Rs. 451.4 crores. The total amount of exempted loans and deposits received and held by the companies increased during the year by Rs. 39 6 crores, of which the major portion of the increase at Rs. 23.11 crores is accounted for by deposits.

192. A large proportion of deposits and exempted loans accepted and held by the non-banking corporate sector is accounted for by a few large companies with outstanding deposits and exempted loans of more than Rs. 25 lakhs each. Thus, out of 2,211 reporting companies, 370 companies accounted for 83.3 per cent of the total deposits at Rs. 346.0 crores and 80.2 per cent of the outstanding deposits and exempted loans at Rs. 633.3 crores. Of these, 48 were financial companies holding 88 per cent of the total deposits with all financial companies while 322 non-financial companies accounted for 81.7 per cent of the total deposits with all non-financial companies.

193. The reporting companies are mainly concentrated in the State of Maharashtra, Tamil Nadu and West Bengal. The companies in those States accounted for Rs. 453.3 crores out of the aggregate of deposits and exempted loans at Rs. 633.3 crores, the balance of Rs. 180 crores being spread over the remaining States/Union Territories.

Deposit Insurance Corporation

194. During the period under review, one commercial bank, viz., Purbanchal Bank Ltd., Gauhati was registered as an insured bank on its being granted a licence by the Reserve Bank of India under Section 22 of the Banking Regulation Act, 1949, for carrying on banking business in India. The number of insured commercial banks, however, remained unchanged at 81 as a foreign exchange bank was de-registered following the merger of its Indian branches with another exchange bank. The number of insured co-operative banks increased from 391 to 404.

195. Steps are being taken for extension of the Deposit Insurance Scheme to eligible co-operative banks in two more States, viz., Jammu and Kashmir and the United Territory of Delhi, which have since amended their Co-operative Societies Act suitably. The Reserve Bank is actively pursuing with the remaining State Governments/Union Territories for extending the benefits of the scheme to the co-operative banks operating in those areas.

196. In view of the extension of the Deposit Insurance Scheme to the co-operative banks the share capital of the Corporation was increased with the approval of the Central Government by Rs. 50 lakhs to Rs. 1.50 crores with effect from January 1, 1972. The entire share capital has been subscribed by the Reserve Bank of India.

ANNEXURE

REFINANCE FACILITIES TO THE SCHEDULED COMMERCIAL BANKS FROM THE RESERVE BANK OF INDIA

EFFECTIVE FROM NOVEMBER 1, 1971 TO NOVEMBER 16, 1972

Net Liquidity Position	At 4½%	At Bank rate (6%)	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)
	I. Export Credit :		
Irrespective of net liquidity ratio.	Upto an amount equal to 10% of the annual average in 1971.	An additional amount of 10% of the annual average in 1971.	Borrowings equal to 20% of the annual average of export credit in 1971 will not impair the net liquidity ratio. 1971 base to be effective from January 1, 1972.
	II. An amount equivalent to the increase in advances over the prescribed base period in respect of :		
Do.	Lending to primary co-operative credit societies in selected districts of A.P., Haryana, M.P., U.P. and Mysore.	(a) Short-term lending to small-scale industries covered by guarantee of C.G.O. (b) Short-term direct lending to agriculturists.	**Base Period :** Average level of such credit in the corresponding calendar quarter of the previous year, i.e. for the quarter January-March 1972, base will be the average for the quarter January-March 1971.
	III. New Bill Market Scheme :		
Do.	—	Rediscounting of bills under the new Scheme.	Outstanding liability in respect of bills rediscounted under the new Scheme will not impair the net liquidity ratio till the end of October 1972.
	IV. Food Procurement Advances :		
Do.	—	10% of the outstanding level of food procurement advances as on the last Friday of October 1971 and an additional 1/3 of the increase over the level as on the last Friday of October 1971.	
	V. 'Defence packing-cum-supply' Credit :		
Do.	—	Upto the total outstanding level.	The facility will be available under the old Bill Market Scheme under Sction 17(4)(c) of the Reserve Bank of India Act, 1934 (*vide* Governor's Circular DBOD. No. GCS.BC. 142/C. 483-71, dated December 11, 1971).

Note : Minimum net liquidity ratio for Bank rate refinance is 34%. An enhanced rate of interest is chargeable on the *excess* borrowings of a bank. It would be the rate raised by 1% per annum above the level of Bank rate for a short-fall of every one point or a fraction thereof in the bank's net liquidity ratio (below 34% at persent). However, when the net liquidity ratio falls below 26% a maximum enhanced rate of 15% will be charged.

REFINANCE FACILITIES TO THE SCHEDULED COMMERCIAL BANKS FROM THE RESERVE BANK OF INDIA

EFFECTIVE FROM NOVEMBER 17, 1972 TO MARCH 29, 1973

Net Liquidity Position	At 4½%	At Bank rate (6%)	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)
	I. Export Credit :		
Irrespective of net liquidity ratio.	Upto an amount equal to 10% of the annual average in 1972.	An additional amount of 10% of the annual average in 1972.	Borrowings equal to 20% of the annual average of export credit in 1972 will not impair the net liquidity ratio. 1972 base to be effective from January 1, 1973.
	II. An amount equivalent to the increase in advances over the prescribed base period in respect of :		
Do.	Lending to primary co-operative credit societies in areas where the Scheme is in operation with the prior approval of the Reserve Bank of India.	(*a*) Short-term lending to small-scale industries covered by guarantee of C.G.O. (*b*) Short-term direct lending to agriculturists.	**Base Period :** Average level of such credit in the corresponding calendar quarter of the previous year, *i.e.* for the quarter January-March 1973, base will be the average for the quarter January-March 1972.
	III. New Bill Market Scheme :		
Do.	—	Rediscounting of bills under the New Bill Market Scheme.	Outstanding liability in respect of bills rediscounted under the New Bill Market Scheme will not impair the net liquidity ratio till the end of October 1973.
	IV. Food Procurement Advances :		
Do.	—	10% of the outstanding level of food procurement advances as on the last Friday of October 1972 and an additional 1/3 of the increase over the level as on the last Friday of October 1972.	The facility will be available under the old Bill Market Scheme under Section 17(4)(c) of the Reserve Bank of India Act, 1934.
	V. 'Defence packing-cum-Supply' Credit :		
Do.	—	Upto the total outstanding level.	Do.

Note : Minimum net liquidity ratio for Bank rate refinance is 36% effective from November 17, 1972. An enhanced rate of interest is chargeable on the *excess* borrowings of a bank. It would be the rate raised by 1% per annum above the level of Bank rate from short-fall of every one point or a fraction thereof in the bank's net liquidity ratio below 36%. However, when the net liquidity ratio falls below 28% a maximum enhanced rate of 15% will be charged.

REFINANCE FACILITIES TO THE SCHEDULED COMMERCIAL BANKS FROM THE RESERVE BANK OF INDIA

EFFECTIVE FROM MARCH 30, 1973 TO JUNE 12, 1973

Net Liquidity Position	At 4½%	At Bank rate @	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Export Credit :			
Irrespective of net liquidity ratio.	Upto an amount equal to 10% of the annual average in 1972.	An additional amount of 10% of the annual average in 1972.	Borrowings equal to 20% of the annual average of export credit in 1972 will not impair the net liquidity ratio. 1972 base to be effective from January 1, 1973.
II. An amount equivalent to the increase in advances over the prescribed base period in respect of :			
-do-	Lending to primary co-operative credit societies in areas where the Scheme is in operation with the prior approval of the Reserve Bank of India.	(*a*) Short-term lending to small-scale industries covered by guarantee of C.G.O. (*b*) Short-term direct lending to agriculturists.	**Base Period :** Average level of such credit in the corresponding calendar quarter of the previous year, i.e. for the quarter January-March 1973, base will be the average for the quarter January-March 1972.
III. Food Procurement Advances :			
-do-	—	10% of the outstanding level of food procurement advances as on the last Friday of October 1972 and an additional 1/2 of the increase over the level as on the last Friday of October 1972.	The facility will be available under the old Bill Market Scheme under Section 17(4)(c) of the Reserve Bank of India Act, 1934.
IV. New Bill Market Scheme :			
-do-	—	Rediscounting of bills under the New Bill Market Scheme.	As this facility is not treated as a borrowing from Reserve Bank, it will not be taken into account in the computation of the net liquidity ratio; hence the facility will not impair the net liquidity ratio.

@ 6% upto May 30, 1973 and 7% thereafter.

Note : Minimum net liquidity ratio for the Bank rate refinance will be 37% effective from March 30, 1973 upto June 12, 1973. An enhanced rate of interest is chargeable on the excess borrowings of a bank. For the initial 1 percentage point fall or a fraction thereof from 37%, the enhanced rate would be 2% above Bank rate. Therefore, upto 30th May 1973 (when the Bank rate was 6%) the said enhanced rate would be 8%, while from the 31st May 1973 (the day from which Bank rate was raised to 7%), it would be 9%. For every further 1 percentage point fall or a fraction thereof, the rate of interest would increase by 1% subject to a maximum of 12%.

REFINANCE FACILITIES TO THE SCHEDULED COMMERCIAL BANKS FROM THE RESERVE BANK OF INDIA

EFFECTIVE FROM JUNE 13, 1973 TO JULY 12, 1973

Net Liquidity position (1)	At 5% (2)	At 5½% (3)	At Bank rate (7%) (4)	Remarks (5)
I. Export Credit :				
Irrespective of net liquidity ratio		Upto an amount equal to 10% of the annual average in 1972.	An additional amount of 10% of the annual average in 1972.	Borrowings equal to 20% of the annual average of export credit in 1972 will not impair the net liquidity ratio. 1972 base to be effective from January 1, 1973.
II. An amount equivalent to the increase in advances over the prescribed base period in respect of :				
-do-	Lending to primary co-operative credit societies in areas where the Scheme is in operation with the prior approval of the Reserve Bank of India and lending to Farmers' Service Societies sponsored by the banks with RBI approval.		(*a*) Short-term lending to small-scale industries covered by guarantee of C.G.O. (*b*) Short-term direct lending to agriculturists.	**Base Period** : Average level of such credit in the corresponding calendar quarter of the previous year, i.e. for the quarter January-March 1973, base will be the average for the quarter January-March 1972.
III. Food Procurement Advances :				
do-	—	—	10% of the outstanding level of food procurement advances as on the last Friday of October 1972 and an additional 1/2 of the increase over the level as on the last Friday of October 1972.	The facility will be available under the old Bill Market Scheme under Section 17(4)(c) of the Reserve Bank of India Act, 1934.
IV. New Bill Market Scheme :				
			Rediscounting of bills under the New Bill Market Scheme.	As the facility is not treated as a borrowing from RBI it will not be taken into account in computation of the net liquidity ratio; hence, the facility will not impair the net liquidity ratio.

Note : Minimum net liquidity ratio for Bank rate refinance is 39% effective from June 29, 1973. An enhanced rate of interest is chargeable on the *excess* borrowings of a bank. It would be the rate raised by 1% per annum above the level of Bank rate for shortfall of every 1 percentage point or a fraction thereof in the bank's net liquidity ratio below 39%. However, when the net liquidity ratio falls below 35% a maximum rate of 12% will be charged.

REFINANCE FACILITIES TO THE SCHEDULED COMMERCIAL BANKS FROM THE RESERVE BANK OF INDIA

EFFECTIVE FROM JULY 13, 1973

Net Liquidity Position	At 5%	At Bank rate (7%)	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)
	I. Export Credit		
Irrespective of net liquidity ratio.		An amount equal to 10% of the annual average in 1972.	Such borrowings will impair the net liquidity ratio. If a bank has already borrowed under Section 17(3A) and such outstandings continue beyond July 12, 1973, they will also impair the bank's net liquidity ratio. 1972 base to be effective from January 1, 1973.
	II. An amount equivalent to the increase in advances over the prescribed base period in respect of		
-do-		Lending to primary co-operative credit societies in areas where the Scheme is in operation with the prior approval of the Reserve Bank of India and lending to Farmers' Service Societies sponsored by the banks with RBI approval.	Such borrowings will impair N. L. R. as before. **Base Period :** Average level of such credit in the corresponding calendar quarter of the previous year, i.e. for the quarter January-March 1973, base will be the average for the quarter January-March 1972.
	III. New Bill Market Scheme		
-do-		Rediscounting of bills under the New Bill Market Scheme.	As the facility is not treated as a borrowing from Reserve Bank, it will not be taken into account in the computation of the net liquidity ratio; hence the facility will not impair the net liquidity ratio.

NOTE : Minimum net liquidity ratio for Bank rate refinance is 39% effective from June 29, 1973. An enhanced rate of interest is chargeable on the *excess* borrowings of a bank. It would be the rate raised by 1% per annum above the level of Bank rate for short-fall of every one percentage point or a fraction thereof in the bank's net liquidity ratio below 39%. However, when the net liquidity ratio falls below 35%, a maximum rate of 12% will be charged. The minimum net liquidity ratio for Bank rate refinance will be raised to 40% effective September 8, 1973. Hence the maximum rate of 12% on *excess* borrowings will be applicable to the N.L.R. level below 36%.

III. DEVELOPMENTS IN CO-OPERATIVE BANKING

197. Co-operative Banking policy during 1972-73 was directed towards ensuring that the co-operative credit structure in the country was strengthened financially and organisationally especially in the weaker States. It endeavoured in particular to assist small and weak farmers, ensured larger credit for production and investment and relief to farmers affected by wide-spread drought. The more important of the measures taken by the Bank in pursuance of these objectives are described in this Section.

Agricultural Credit Board

198. After consideration of the recommendations of the Study Group set up by the Reserve Bank on linking borrowings from the Reserve Bank with deposit mobilisation by central co-operative banks, by the Agricultural Credit Board, a modified scheme having the following salient features was introduced from July 1973 : (a) the financial accommodation from the Reserve Bank to State co-operative banks on behalf of central co-operative banks for seasonal agricultural operations would be available at 1/2 per cent below the Bank rate; (b) the highest level of borrowings from the Reserve Bank during the three years ending June 1973 would be deemed as base level borrowings and a rebate of 1-1/2 per cent in interest would be allowed on fresh borrowings upto this extent; (c) a rebate of 1-1/2 per cent in interest would also be available on additional borrowing upto twice the increase in the involvement of central co-operative banks in short-term agricultural loans from their own resources over the base year or to the full extent of additional finance provided to small farmers; (d) special concessional rebate of 1-1/2 per cent upto four times the central bank's involvement would be given in cases of low level of borrowings at present from the Reserve Bank due to higher levels of deposits already mobilised ; (e) weak and non-viable central banks i.e., banks with a loan business of less than Rs. 1 crore would be exempted from the operation of the scheme. The Board decided that the Study Group should be made more broad-based and continued as a Standing Committee to examine matters arising from time to time in the implementation of the scheme.

199. The 46 SFDA* and 41 MFALA@ projects set up in the country actually started functioning on a significant scale only from the co-operative year 1971-72.† The implementation having gained momentum during the year under review, there has been overall satisfactory progress in certain essential respects. For example, as at the end of March 1973 the identified participants were 23.66 lakhs under SFDA and 11.27 lakhs under MFALA projects, compared to 14.21 lakhs and 8.09 lakhs, respectively, at the end of March 1972. During the same period, the participants enrolled as members of co-operatives increased from 5.85 lakhs under SFDA and 1.40 lakhs under MFALA to 11.40 lakhs and 3.55 lakhs, respectively. The total loans disbursed by the co-operative as well as commercial banks more than doubled from Rs. 2315.92 lakhs to Rs. 4942.97 lakhs under SFDA and increased six fold from Rs. 157.46 lakhs to Rs. 936.17 lakhs under MFALA. Of particular significance in both these projects is the progress in providing irrigation facilities. The numbers of dug wells/tube wells increased during the period from 22998 to 74220 and the number of pumpsets from 7682 to 19517. Further, milch cattle supplied increased in number from 11033 to 41358. There has been a steep increase in the rural works undertaken. The number increased from 2,664 to 1,08,661. The Government of India has decided to continue the schemes upto 1975-76 with the same financial outlay. Special studies of the progress launched by the SFDA undertaken at the instance of the Planning Commission were also continued during the year. The working of the SFDA, Darjeeling, was studied during the year and a report submitted to the Planning Commission. The follow-up study of the Mysore SFDA was also conducted.

200. Central co-operative banks were required to get themselves in a position to show, as mentioned last year, at least 20 per cent of their outstanding of borrowings from the apex bank as covered by outstanding loans to societies against small and economically weak farmers viz., those whose holdings were 3 acres or less. As a further measure to enforce discipline, the Bank has stipulated that while the first 70 per cent of the limits sanctioned for financing seasonal agricultural operations may be drawn freely, the next 20 per cent will have to be matched by corresponding advances outstanding against small, marginal and economically weak farmers before drawing on the balance of 10 per cent. During the year some banks represented that the area held by farmers having each a holding of three acres and less was very small in relation to the norm of 3 acres total cultivated area and that therefore they would not be able to satisfy the condition relating to small farmers. The Bank, therefore, decided to fix district by district appropriate parameters with reference to the size—distribution of holdings in the district.

*Small Farmers Development Agency.

@Marginal Farmers and Agricultural Labourers Agency.

†July 1 to June 30.

Commercial Banks Financing Credit Societies

201. The scheme of financing primary agricultural credit societies by commercial banks introduced in 1970 continued to operate during the year in 51 districts of six States, viz., Andhra Pradesh, Haryana, Madhya Pradesh, Mysore, Orissa and Uttar Pradesh. Proposals for extending the scheme to areas having sizeable credit gaps in the States of Bihar, Jammu and Kashmir, West Bengal and Maharashtra were under active consideration of the concerned State Governments. In all 20 commercial banks have participated in the programme through 318 branches, covering as many as 1509 societies out of 2253 societies allotted to them. During the third year of the scheme, the short-term and medium-term loans advanced by the commercial banks to societies were of the order of Rs. 10.13 crores (up to March 1973) as against the loans of Rs. 7.16 crores disbursed in the preceding year.

202. The working of the scheme in 5 States, viz., Andhra Pradesh, Mysore, Haryana, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh was studied by special teams constituted by the Reserve Bank. The Study Teams expressed a view that if proper action was taken by the societies to reduce the overdues, enlarge membership coverage, appoint full time paid secretaries, etc., they would be able to attain viability within a short period. The Bank has been keeping a close watch over he progress of the scheme, as also the programmes for the rehabilitation of weak central co-opertive banks in areas where the scheme is in operation. State level co-ordination committees have been set up in all the States for reviewing the progress of the scheme.

Co-operative Development

203. The central sector scheme for rehabilitation of weak central co-operative banks referred to in the last year's Report (p. 55) was put into operation during the year. Proposals in respect of 72 banks in 11 States identified by the Reserve Bank as weak in accordance with the norms laid down in the scheme, were submitted to the Government of India by the concerned State Governments. The Government of India approved financial assistance of the order of Rs. 53.75 lakhs covering 37 banks. The Bank will continue to pursue this matter in future.

204. Before extending the Deposit Insurance Scheme to co-operative banks in any State, it was considered desirable by the Bank to draw a programme of rehabilitation for weak primary co-operative banks. Primary co-operative banks whose bad and doubtful debts and accumulated losses exceeded 25 per cent of the owned funds or whose overdues exceeded 50 per cent of either the demand or outstandings as on June 30, 1971 were deemed to be weak. Only those weak banks which are viable and having a minimum working capital of Rs. 25 lakhs and a loan business of Rs. 18 lakhs or which have reached 75 per cent of the norms prescribed for viability and have a potential for attaining viable status in the next 3 to 5 years are marked for rehabilitation. On these criteria, 21 primary co-operative banks were selected and the concerned State Governments were advised to take necessary steps for their rehabilitation on the lines indicated by the Bank. Similarly, a viable or potentially viable primary land

development bank/branch of State land development bank* with overdues as on June 30, 1971 exceeding 50 per cent of the demand was deemed to be weak and on this basis as many as 52 primary land development banks and 13 branches of State land development banks were identified by the Bank as weak to be taken up for rehabilitation by the State Governments concerned.

Special Measures to Identify Credit Gaps, etc. . . . . .

205. With a view to removing bottlenecks in the flow of co-operative credit in some States, steps were taken to rectify defects in their working. The Bank prepared Master Plans for Uttar Pradesh, Bihar, Jammu and Kashmir, Assam and Meghalaya for accelerated development of agricultural production with the help of credit provided by co-operatives. The salient features of the Plans are: (a) granting of loans by State Governments to non-members of co-operatives to enable them to purchase shares in primary credit societies and become members, (b) contributions to share capital of central co-operative banks and primary credit societies for enabling them to borrow adequately to sustain their lending programmes and (c) placement of long-term deposits by the State Governments concerned with the co-operative banks for enabling them to maintain non-overdue cover for the borrowings from Reserve Bank of India, etc.

206. The Governor appointed a 'Study Team on Overdues of Co-operative Credit Institutions' in December 1972 to analyse the causes of such overdues. The Team was also required to examine the adequacy of stabilisation arrangements, including the need for streamlining the policies and procedures for grant of conversion/rephasement facilities and for augmentation of various funds for the purpose. Another Study Team was appointed by the Governor in December 1972 to examine the justification or otherwise for the continuance of central co-operative banks in Kerala with reference to their financial position and organisational arrangements and the possibility of the State co-operative bank directly financing the societies as a transitional arrangement to fill up the credit gaps.

207. The working of the co-operative credit structure in Maharashtra was affected as a result of widespread drought conditions A 'Study Team on Co-operative Agricultural Credit Institutions in Maharashtra' was, therefore, appointed in December 1972 by the Governor to make a detailed investigation of the position and make suitable recommendations. In its interim report submitted in March 1973, this Team has made recommendations regarding extension of conversion facilities for periods ranging from 3 to 7 years depending upon whether the drought conditions occurred just in 1972-73 or in two or three consecutive years; sanction of medium-term loan by the Reserve Bank from its Stabilisation Fund upto the maximum period of 5 years for 5/7th of the amount and the balance by the State/Central co-operative banks for 7 years in cases where the period of conversion had to exceed 5 years; and the programme of rehabilitation providing for conversion of overdues into medium-term loans in respect of non-wilful defaulters. These proposals which are intended to facilitate the granting of fresh loans to affected farmers, were forwarded to Maharashtra Government who have initiated necessary action to implement them.

208. In pursuance of the recommendations of the Study Team on Co-operative Agricultural Credit Institutions in West Bengal to which a reference was made in the last Report, the Bengal Co-operative Societies Act, 1940 was amended to give powers to the Registrar of Co-operative Societies for effecting compulsory amalgamation of weak central co-operative banks with other central co-operative banks or State co-operative bank. The Government of India had issued orders in January 1973 placing 4 central co-operative banks in West Bengal under moratorium with effect from the close of business on January 27, 1973 to facilitate implementation of the scheme of amalgamation of three of these with the State Co-operative Bank and one with another central co-operative bank. The West Bengal Government has appointed a State level review committee to review the progress in this matter.

Co-operative Credit Policy, Procedures and Operations

209. The practice of sanctioning separate short-term limits for production and marketing of kharif and rabi crops introduced in 1971-72 was continued during the year; so was the special line of credit for marketing of cotton and kapas falling within the sphere of selective credit controls. The system of lending was further simplified and the important changes incorporated in the revised 'Manual on Production Oriented System of Lending for Agriculture.' The changes relate to: (a) fixation of scales of finance in two component's, viz., cash and kind instead of three or four components recommended previously; (b) constitution of a Technical Group in place of the earlier Field Workers Conference; (c) preparation of credit limit statements separately for small farmers and others, (d) rationing of the quantum of credit extended to big farmers who are expected to plough back a part of their resources in agricultural business; (e) introduction of the cash credit system in multiple cropping areas or where cash crops like sugar-cane, betel vine, etc., are grown instead of granting fixed loans; and (f) fixing of the repaying capacity on a scientific basis with reference to the post-developmental income of land which has benefited from investment finance.

210. The synoptic view of the progress of co-operative credit movement during the three years ended 1971-72 is presented in the table given below:

Table 23—Progress of Co-operative Credit Movement

(Amount in Rupees Crores)

Type of Institution	1969-70	1970-71	1971-72*
(a) State Co-operative Banks :			
(i) Number	25	25	26
(ii) Owned funds	83	92	101
(iii) Deposits	234	279	329
(iv) Borrowings from the Reserve Bank of India	249	242	229
Of which : short-term agricultural †	216	190	153
(v) Working capital	619	685	738
(iv) Loans issued	707	749	928
(vii) Loans outstanding	510	534	552
Of which : short-term agricultural †	276	288	348
(viii) Percentage of (ivt) to (viit)	78	66	44
(b) Central Co-operative banks :			
(i) Number	340	341	341
(ii) Owned funds	174	199	223
(iii) Deposits	382	439	507
(iv) Borrowings from Reserve Bank of India/ apex bank	331	353	343@
(v) Working Capital	928	1081	1174
(vi) Loans issued	873	894	907
(vii) Loans outstanding	740	813	852

*A primary land development bank/branch of the State land development bank is considered viable if it has already reached a loan business of Rs. 30 lakhs or potentially viable if a loan business of Rs. 20 lakhs has been reached.

* Provisional.

@Excluding Maharashtra.

(Amounts in Rupees Crores)

Type of Institution	1969-70	1970-71	1971-72*
(c) *State Land Development Banks :*			
(i) Number	19	19	19
(ii) Owned funds	46	58	66
(iii) Debentures outstanding	571	725	882
(iv) Working Capital	638	841	1003
(v) Loans issued	153	168	148
(vi) Loans outstanding	510	638	731
(d) *Primary Agricultural Credit Societies*£			
(i) Number (in thousands)	163	161	144
(ii) Membership (,,)	29766	30963	29754
(iii) Owned funds	242	265	250
(vi) Deposits	63	69	71
(v) Borrowings	618	675	601
(vi) Loans issued	540	578	584
(vii) Loans outstanding	711	784	789

£ Excluding Andhra Pradesh and Jammu and Kashmir,

* Provisional.

Short-term Finance

211. In the sphere of short-term finance, the Bank took the following measures : (i) Although credit limits for kharif and rabi crops were granted separately it was stipulated that after the rabi financing was over, the limit should stand reduced to the kharif level where rabi was the main season; and the drawals on these limits were required to be reflected in actual financing to societies during the rabi season; (ii) the Bank agreed that the charges payable by farmers to customer service societies for the services rendered by them may be treated as an expenditure eligible to be covered by advances under the kind component of the production-oriented system of lending; (iii) the Bank during 1973 would not normally consider request for accommodation from the State co-operative banks for the purchase stocking, distribution etc., of fertilizers; (iv) the Bank continued to provide short-term credit limits at Bank rate under Section 17(4E) of its Act to the Agricultural Refinance Corporation against the security of special development debentures purchase by it; (v) in terms of Section 17(2)(bb) of the Reserve Bank of India Act, financial accommodation was provided by the Bank for financing the production and marketing activities of the handloom/powerloom weavers' co-operative societies at concessional rate of interest at 1-1/2 per cent below the Bank rate with a stipulation that the rate of interest charged to the handloom weavers' societies should not exceed 4-1/2 per cent or such other rate of interest as may be fixed by the Government of India from time to time; in the case of powerloom weavers' societies, for which the interest subsidy scheme was not available, the rate charged should not be unreasonably high ; (vi) the temporary relaxations in regard to asset items that can be reckoned for the maintenance of margin in respect of financing the working capital requirements of handloom weavers' co-operative societies which were in force upto the end of March 1973 were extended till the end of March 1974, and (vii) the credit limits which the Bank provided under Section 17(2)(a) read with Section 17(4)(c) of RBI Act at Bank rate for financing trading in yarn by apex regional weavers' co-operative societies were continued during the year (Table 24).

212. The selective credit control measures for regulating the advances by State and central co-operative banks against cotton and kapas were continued during the year with a view to arresting the tendency to hold back the stocks in anticipation of rise in prices. These were made applicable to the advances against cotton and kapas granted by certain primary co-operative banks also, where such advances were Rs. 5 lakhs or more during the year 1971-72.

Credit Guarantee Scheme

213. As at the end of May 1973, 9 State co-operative banks, 49 central co-operative banks, 5 licensed primary (urban) co-operative banks and 29 unlicensed primary (urban) co-operative banks satisfying the norms prescribed by the Government of India in this behalf, had joined the scheme by executing necessary agreements.

Industrial Finance through Co-operatives

214. The Bank decided that if agriculturists who grew mulberry plants also reared silk worms, the operations up to the stage of production and sale of cocoons, would be treated as agricultural, and the agriculturists would be eligible for finance for the purpose from primary agricultural credit societies, which in turn would be eligible for refinance under Section 17(2)(b) of the Reserve Bank of India Act.

215. The entire sericulture activities performed by one person were deemed to be within the purview of small-scale industrial activities for the purpose of refinance available from the Bank under Section 17(2)(bb) of the Reserve Bank of India Act at the Bank rate. Sericulturists not organised on co-operative basis but undertaking sericulture activities in an integrated manner would continue to get the working capital requirements through primary (urban) co-operative banks, which are eligible to seek reimbursement from the Reserve Bank.

216. With a view to enabling industrial co-operative societies other than weavers' societies to get adequate bank credit for working capital purposes, relaxations were granted by widening the list of items which could be reckoned in lieu of margin prescribed for the borrowings under Section 17(2)(bb) or 4(c) of the Reserve Bank of India Act. In Maharashtra, under the Employment Guarantee Scheme, block level village artisans multi-purpose co-operative societies have been formed to provide credit and other facilities to artisans engaged in production-cum-sale activities. Such societies have been specially recognised by the Bank for refinance under Section 17(2)(bb) or 4(c) of the Reserve Bank of India Act in respect of their working capital advances to artisans.

217. The State Governments of Gujarat, Haryana, Maharashtra, Tamil Nadu, Punjab and Andhra Pradesh, which had carried out survey to identify industrial co-operative societies other than weavers' societies into viable, potentially viable and non-viable as envisaged by the Working Group have not yet completed the reorganisation work. The States of Bihar, Kerala, Rajasthan, Mysore, Madhya Pradesh and West Bengal have started the survey and the remaining States and all Union Territories have yet to initate action in the matter.

218. The State Governments of Gujarat, Manipur and Maharashtra have amended the State Co-operative Societies Acts and the by-laws of the primary (urban) co-operative banks so as to facilitate provision of financial assistance to cottage and small-scale industries owned by individual proprietors, partnership firms, joint stock companies, etc. In other States, the matter is being pursued with the concerned State Governments.

Medium-term Finance

219. In the sphere of medium-term finance, the Bank continued its policy of encouraging loans for identifiable productive purposes. The stipulation imposed earlier to the effect that the central co-operative banks should have advanced during the year at least 40 per cent of the total medium-term loans for easily identifiable productive purposes for availing of the accommodation from the Reserve Bank continued to be in force. In order to ensure compliance with the discipline laid down by the Bank, the attention of central co-operative banks

Table 24—Reserve Bank Credit to Co-operatives, 1971-72 and 1972-73

(Amounts in Rupees Crores)

Purpose of finance	1971-72 (July-June)				1972-73 (July-June **)			
	Limits Sanctioned	Drawals	Repayments	Outstandings	Limits Sanctioned	Drawals	Repayments	Outstandings
	1	2	3	4	5	6	7	8
I. Short-term								
(i) Seasonal agricultural operations (at 2% below Bank rate)	394.04	468.51	505.27	152.08	415 38	596.67	603.84	144.91
(ii) Marketing of crops other than cotton and kapas	3.18	3.59	2.96	0.66	51.20	9.33	9.41	0.58
(iii) Marketing of cotton and kapas (including monopoly procurement of cotton)	11.70	10.25	10.10	1.19		113.61	111.88	2.92
(iv) Purchase and distribution of fertilisers (at 2% above Bank rate)*	24.75	23.04	18.49	8.76	14.75	7.50	13.51	2.75
(v) Production and marketing of handloom products (at 1 1/2% below Bank rate)(a)	12.76	14.92	13.24	9.51	13.99	9.13	10.91	7.73
(vi) Financing other cottage and small-scale industries(a)	0.86	0.59	0.20	0.03	0.56	0.30	0.22	0.11
(vii) Purchase and sale of yarn (at Bank rate)(a)	0.97	0.14	0.17	Nil	0.92	0,09	0.06	0.03
(viii) Loans to A.R.C. (at Bank rate)	8.00	1.36	8.88	Nil	15.00	4.89	1.19	3.70
II. Medium-term								
(i) Agricultural purposes (at 1 1/2% below Bank rate)£	18.14	13 09	12.59	24.30	8.72	—	7.42	16.88
(ii) Conversion of short-term loans into medium-term loans in scarcity affected areas (at 1 1/2% below Bank rate)	31.39	24.08	12.04‡	25.70‡	24.45‡ (48.85)	39.22‡ (28.87)	23.86‡ (0.26)	41.06‡ (27.60)
(iii) Purchase of shares in Co-operative Sugar factories/processing societies (at Bank rate)	3.43	0.25	0.14	0.62	1.85	0.80	0.33	1,09
III. Long-term								
(i) Loans to State Governments for contribution to share capital of co-operative credit institutions(a)	16.38	14.14	4.72	51.34	16.29	18.69	4.48	65.55
(ii) Long-term loans to A.R.C. at (4 1/4%/ 4 3/4% per annum)	5.00	5.00	—	5.00	25.00	30,00	0.50	34.50

Note :—Figures in brackets indicate loans sanctioned and drawn under Section 18(1)(3) of the R.B.I. Act to be adjusted as M.T. (conversion) after 1-7-1973.

*Prior to 1972 purchase and distribution of fertilisers was financed at the Bank rate by the Bank. However, from January 1972 the interest rate was raised 2% above the Bank rate with a view to aligning it to the lending rates of the commercial banks. Data relate to calendar years 1971 and 1972.

‡Including rephasement.

(a)Data relate to financial years.

£Data in respect of 1971-72 is upto December 1972 and for 1972-73 relate to calendar year 1973 upto June 1973.

**Provisional.

and the Co-operative Department was drawn to the following important factors :

(i) Submission of a certificate of ground water potential from a competent authority in respect of loans for minor irrigation purposes involving an outlay of Rs. 5 lakhs and above.

(ii) Non-entertainment of proposals for minor irrigation purposes in areas covered by Agricultural Refinance Corporation /IDA Schemes without prior clearance from Agricultural Refinance Corporation.

(iii) Uniformity in the terms and conditions governing the sanction of medium-term loans for minor irrigation purposes by the central co-operative banks as well as by the land development banks.

(*iv*) Economic feasibility and commercial viability of the programme for purchase of animals poultry farming, pig breeding and sheep/goat rearing activities.

220. The Bank indicated that five year medium-term loans for purchase of tractor on the hypothecation of tractor itself without insisting on the security of land might be issued to cultivators who are able to demonstrate that the tractor will be used for cultivating not less than 60 hectares of cropped area per year or 1500 hours of productive work on their own land or by providing customer service subject to certain conditions.

221. The terms and conditions governing the sanction of loans for purchase of shares in sugar factories, cotton ginning and groundnut oil mills, rice mills and co-operative spinning mills have been liberalised. Members' contribution has been reduced from 25 per cent to 10 per cent in addition to the usual contribution of 5 per cent of the loan towards the share capital of the processing societies set up proposed to be set up in areas declared as backward industrially less developed by the Government of India.

222. The scope of medium-term finance has been extended to cover non-agriculturists as well as agricultural labourers who have been recognised as eligible for utilising such facilities available from the Bank for purchase of milch cattle and poultry keeping activities. The granting of such loans is, however, subject to certain terms and conditions regarding margins, setting up insurance funds to write off loses owing to the morality of cattle or birds, etc.

223. Credit limits including rephasements aggregating Rs. 24.45 crores from out of National Agricultural Credit (Stabilization) Fund and Rs. 48.85 crores out of general fund were sanctioned to 11 State Co-operative banks to enable them to convert short-term loans into medium-term loans. The Bank continued not to insist upon linking conversion facilities directly to the specific loans made by the State co-operative banks during any particular period of time but to allow them to convert the required portion of borrowings from the Reserve Bank irrespective of dates on which finance was availed of. The Bank continued also to consider granting extensions for repayment of short-term borrowings, for a period of 3 months in deserving cases where the formalities could not be completed before the Reserve Bank loans fell due. Due to widespread drought in many parts of the country it became necessary to convert short-term loans into medium-term loans to facilitate which the Bank had to sanction conversion of loans of an unprecedented order. As a result, the National Agricultural Credit (Stabilization) Fund had to be strengthened by appropriating as much as Rs. 40 crores out of the profits for the year taking the total in the fund to Rs. 85 crores.

Share Capital Loans

224. During the current year, the policy of granting loans from the Long-term Operations Fund liberally to the State Governments for contribution to the share capital of co-operative credit institutions particularly those which are included under the programme of rehabilitation, remained in operation. Loans aggregating Rs. 16.29 crores were granted to State Governments during the financial year 1972-73 from out of the Long-term Operations Fund for contributions to the share capital of 7 apex banks, 100 central co-operative banks, 5571 primary agricultural credit societies, 5 central land development banks, 113 primary land development banks and 34 primary (urban) co-operative banks. The terms and conditions governing these loans were modified during the year to enable the Bank to reserve the right to recover the amount lying undisbursed with the State Governments for more than 3 months from the date of drawal of the loan, by debiting their accounts after issue of due notice in this behalf.

Long-term Finance

225. The Bank provided adequate institutional support to the debenture programme of land development banks. As against the revised debenture programme of Rs. 126 crores for the financial year 1972-73, land development banks actually issued debentures for Rs. 96.48 crores, of which Rs. 67 crores, were subscribed to by institutions such as the Life Insurance Corporation of India, the State Bank of India, other commercial banks and the Reserve Bank of India besides the Central and State Governments. The balance of Rs. 29.48 crores came from mutual support. The shortfall of Rs. 29.52 crores in achievement was mainly due to lendings under IDA projects in some States notably Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Mysore, Gujarat and Maharashtra.

226. A meeting of the representatives of principal investors and central land development banks was convened by the Bank in February, 1973 where the debenture programme for the financial year 1973-74 was approved at Rs. 131 crores, as against the lending programme of Rs. 156 crores. The supported programme was placed at Rs. 117 crores and the balance of Rs. 14 crores was expected to be raised by way of self-help. The discipline regarding linking institutional support with overdues of the primaries/branches of the central land development banks as indicated in the last Report was also continued.

227. During the financial year 1972-73, the quota of rural debentures for State land development banks was fixed at Rs. 7 crores. Between April 1972 and March 1973, 11 banks have been permitted to float rural debentures series for an aggregate amount of Rs. 292.92 lakhs. The support for the ordinarly debenture programme for 1972-73 of the land development banks which failed to achieve their quota of rural debentures was reduced to the extent of 10 times the shortfall in the subscriptions from individuals.

228. The Bank encouraged loans for easily identifiable productive purposes only and the discipline introduced in the past to the effect than 90 per cent of the loans advanced by the land development banks should be for productive purposes and of this 70 per cent should be for easily identifiable productive purposes, was also pressed during the year. The land development banks have been allowed to include the following purposes under identifiable productive purposes, provided the schemes are prepared and executed by technically qualified agencies :

(i) Levelling, building and reclamation of land.

(ii) Soil conservation or terracing.

(iii) Construction of drainage channels to prevent floods or bunding of land to prevent erosion.

(iv) Preparation of land for orchards.

229. The important policy changes effected in the sphere of long-term financing during the year were as follows :

(i) The land development banks were permitted to float debentures for 12 years besides for 10 and 15 years series as in the past. While the 12 year debentures carry slightly higher rates of interest than the 10 year debentures, the issue price of 15 year debentures was slightly reduced. The other terms and conditions remained unchanged.

(ii) The land development banks were advised to : (a) value the land at eight times the net income after development and to fix the repaying capacity of the borrowers at 75 to 90 per cent of the net incremental income from the benefiting land, depending on the total size of borrowers' lendings; (b) reduce the down payment for loans for purchase of tractors, harvestors, etc. from 20 to 10 per cent of the cost of investment; (c) consider loan applications from tribals where a part of the loan is sought for the purpose of

redemption of the previous debts and mortages on the land proposed to be offered as security; (d) consider the loan applications from borrowers for the purchase of shares in co-operative sugar factories, where such loans are sought for purposes like digging a well, purchase of pumpsets or redemption of land, etc., subject to the repaying capacity; and (e) ensure that at least 20 per cent of the advances made in 1973-74 will be for small farmers.

230. A committee on co-operative land development banks has been set up by the Bank with a view to reviewing all aspects of the working of land development banks and suggesting appropriate remedial measures for removing the deficiencies in these banks as quickly as possible.

Co-operative Banking Regulations

231. During the year, one State co-operative bank and 5 primary co-operative banks were granted licences to commence banking business in India under Section 22 of the Banking Regulation Act, 1949 (As Applicable to Co-operative Societies) raising the total number of licensed co-operative banks to 44. The number of offices of the co-operative banks which stood at 5,562 as on June 30, 1972 increased to 5841 as on March 31, 1973 (208 of State co-operative banks, 4516 of central co-operative banks and 1117 of primary co-operative banks). During the period July 1, 1972 to June 30, 1973, licences were granted to the State and primary co-operative banks for opening 73 new offices as against 74 licences granted during the previous year.

232. As on June 30, 1973, there were 1383 co-operative banks (28 State, 367 central and 988 primary) coming under the purview of the Banking Regulation Act, 1949 as against 1336 co-operative banks at the beginning of the year. The increase in the number of banks during the year was mainly due to inclusion of certain non-agricultural credit societies in the list of primary co-operative banks.

233. These were 7 central co-operative banks which did not comply with the provisions of Section 11(1) of the Banking Regulation Act, 1949 and 5 were under process of amalgamation/liquidation or under moratorium order. Out of 11 primary co-operative banks which were granted exemption from the provisions of Section 11(1) of the Banking Regulation Act, 1949, 4 have subsequently complied with the requirements and 4 others are proposed for liquidation. Six more banks did not comply with the relevant provisions during the year. The Bank has recommended to the Government of India, 9 banks for exemption from Section 11 of the Banking Regulation Act, 1949 upto February 28, 1974 including the applications of 3 banks which were granted exemption upto February 28, 1973. The Bank is keeping a close watch over the financial position and working of these banks.

234. During the year, 242 reports relating to the inspections of 12 State co-operative banks, 218 central co-operative banks, 10 State/central land development banks and 2 apex weavers' societies were issued. Of the 471 primary co-operative banks inspected during the year 97 were inspected by the officers of State co-operative banks on behalf of the Reserve Bank under Section 35 (1) of the Banking Regulation Act, 1949 (As Applicable to Co-operative Socities) Inspection reports on 433 primary co-operative banks were issued during the year. With a view to enabling the inspecting officers to improve the quality of the inspection reports and to facilitate drawing up action-oriented plans for the benefit of the banks 7 inspection seminars were conducted at Ahmedabad, Madras, Gauhati, Chandigarh, Patna, Calcutta and Bhubaneswar Regional Offices by the officers from the Central Agricultural Credit Department.

235. As at the end of June 1973, 404 co-operative banks were registered by the Deposit Insurance Corporation in the States of Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra and the Union Territories of Goa, Daman and Diu, as against 391 registered at the beginning of the year. The State of Jammu and Kashmir and the Union Territory of Delhi have passed necessary amendments to their respective co-operative societies Acts vesting in the Reserve Bank the powers regarding supersession, winding up, amalgamation, reconstruction, etc., and the Deposit Insurance Scheme is expected to be introduced in the State and the Union Territory shortly. The Bank continued to pursue the matter with the remaining State Governments/Union Territories for suitable legislative measures enabling the extension of the Scheme to co-operative banks in their jurisdiction.

Agricultural Refinance Corporation

236. The Agricultural Refinance Corporation which completed ten years of operation on 30 June, 1973 disbursed Rs. 94 crores during the year July, 1972 June, 1973. This amount was inclusive of Rs. 29 crores provided to land development banks in four States for switch-over from normal loan programmes to IDA credit/projects. Disbursement during the previous year was Rs. 35 crores. Total disbursements by the Corporation since its inception now aggregate Rs. 219 crores.

237. The bulk of the refinance provided by the Corporation has been for minor irrigation (77 per cent) and land development (12 per cent) (Table 25). During the year, efforts were initiated to diversify the purpose of loaning. Out of 230 schemes sanctioned in 1972-73 as many as 101 schemes were in respect of purposes other than minor irrigation covering land development, soil conservation farm mechanisation, plantation and horticulture, poultry, fisheries, dairy and the like.

Table 25—Disbursement of Refinance by Purpose

(Rs. Crores)

Purpose	1963 to 1968	1968-69	1969-70	1970-71	1971-72	1972-73	Total
1. Minor irrigation	1.29 (10.20)	11.54 (64.69)	22.33 (78.08)	23.06 (75.31)	26.74 (76.44)	84.18* (89.42)	169.14 (77.29)
2. Land development and soil conservation	10.12 (80.00)	3.76 (21.08)	3.32 (11.61)	4.37 (14.27)	2.37 (6.77)	2.30 (2.44)	26.44 (11.99)
3. Farm mechanisation	0.03 (0.24)	0.11 (0.62)	0.16 (0.56)	0.11 (0.36)	0.36 (1.03)	2.18 (2.32)	2.95 (1.35)
4. Plantation and horticulture	1.01 (7.98)	1.06 (5.94)	1.50 (5.24)	1.99 (6.50)	2.05 (5.86)	1.49 (1.58)	9.10 (4.16)
5. Poultry	— (—)	0.01 (0.06)	0 06 (0.21)	— (—)	— (—)	0.15 (0.16)	0.22 (0.10)
6. Fishery	0.20 (1.58)	0.36 (2.02)	0.36 (1.26)	0.37 (1.21)	0.59 (1.69)	0.12 (0.13)	2.00 (0.91)
7. Dairy	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	0.39 (1.11)	0.26 (0.28)	0.65 (0.30)
8. Storage facilities and market yards	— (—)	1.00 (5.60)	0.87 3.04	0.72 (2.35)	2.48 (7.09)	3.46 (3.68)	8.53 (3.90)
TOTAL	**12.65** (100.00)	**17.84** (100.00)	**28.60** (100.00)	**30.62** (100.00)	**34.98** (100.00)	**94.13** (100.00)	**218.83** (100.00)

Note :—Figures within parenthesis are percentages of the total.

* Inclusive of Rs. 29.42 crores switched from ordinary debentures programme to IDA Projects.

Table 26—Disbursement of Refinance for States

(Rs. Crores)

State	1963 to 68	1968-69	1969-70	1970-71	1971-72	1972-73 Excluding switch-over	1972-73 Switch-over	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Northern Region								
1. Haryana	0.59 (4.66)	2.44 (13.68)	2.63 (9.20)	3.62 (11.82)	3.26 (9.32)	7.59 (11.73)	2.61	22.74 (10.39)
2. Punjab	0.76 (6.01)	5.77 (32.34)	6.54 (22.88)	5.56 (18.16)	3.86 (11.03)	6.07 (9.38)	—	28.55 (13.05)
3. Rajasthan	— (—)	0.06 (0.34)	0.77 (2.69)	0.77 (2.51)	0.83 (2.37)	1.36 (2.10)	—	3.79 (1.73)
4. Jammu & Kashmir	0.11 (0.87)	0.21 (1.18)	0.20 (0.70)	0.11 (0.36)	0.07 (0.20)	— (—)	—	0.71 (0.32)
5. Delhi	— (—)	— (—)	0.06 (0.21)	— (—)	— (—)	— (—)	—	0.06 (0.03)
	1.46 (11.54)	**8.48** (47.54)	**10.20** (35.68)	**10.06** (32.85)	**8.02** (22.92)	**15.02** (23.21)	**2.61**	**55.85** (25.52)
II. North-Eastern Region								
1. Assam	0.26 (2.06)	0.44 (2.47)	0.04 (0.14)	— (—)	0.32 (0.91)	— (—)	—	0.05 (0.48)
	0.26 (2.06)	**0.44** (2.47)	**0.04** (0.14)	— (—)	**0.32** (0.91)	— (—)	—	**1.05** (0.48)
III. Eastern Region								
1. Bihar	— (—)	0.18 (1.01)	0.61 (2.13)	1.13 (3.69)	0.67 (1.92)	1.54 (2.38)	—	4.14 (1.89)
2. Orissa	— (—)	0.04 (0.22)	0.18 (0.63)	0.06 (0.20)	0.08 (0.23)	0.11 (0.17)	—	0.47 (0.21)
3. West Bengal	— (—)	0.02 (0.11)	0.01 (0.03)	0.10 (0.33)	0.05 (0.14)	0.04 (0.06)	—	0.21 (0.10)
	— (—)	**0.24** (1.34)	**0.80** (2.79)	**1.29** (4.22)	**0.80** (2.29)	**1.69** (2.61)	—	**4.82** (2.20)
IV. Central Region								
1. Madhya Pradesh	— (—)	0.31 (1.74)	0.49 (1.71)	0.91 (2.97)	1.87 (5.35)	3.19 (4.93)	—	6.78 (3.10)
2. Uttar Pradesh	— (—)	1.22 (6.84)	2.56 (8.95)	2.93 (9.57)	6.04 (17.27)	11.43 (17.66)	—	24.18 (11.05)
	— (—)	**1.53** (8.58)	**3.05** (10.66)	**3.84** (12.54)	**7.91** (22.62)	**14.62** (22.59)	—	**30.96** (14.15)
V. Western Region								
1. Gujarat	0.14 (1.11)	1.93 (10.82)	1.31 (4.58)	1.90 (6.21)	2.62 (7.49)	8.08 (12.48)	19.87	35.85 (16.38)
2. Maharashtra	1.08 (8.54)	0.81 (4.54)	3.49 (12.21)	2.33 (7.61)	4.56 (13.04)	7.32 (11.31)	—	19.60 (8.96)
	1.22 (9.65)	**2.74** (15.36)	**4.80** (16.79)	**4.23** (13.82)	**7.18** (20.53)	**15.40** (23.79)	**19.87**	**55.45** (25.34)
VI. Southern Region								
1. Andhra Pradesh	6.37 (50.36)	1.72 (9.64)	6.07 (21.23)	3.42 (11.17)	2.85 (8.15)	3.87 (5.98)	4.60	28.90 (13.21)
2. Kerala	0.10 (0.79)	0.07 (0.39)	0.35 (1.22)	0.82 (2.68)	0.97 (2.77)	0.28 (0.43)	—	2.58 (1.18)
3. Mysore	1.25 (9.88)	1.36 (7.62)	1.66 (5.81)	2.74 (8.95)	3.25 (9.29)	4.05 (6.26)	—	14.32 (6.54)
4. Tamil Nadu	1.99 (15.73)	1.26 (7.06)	1.62 (5.67)	4.22 (13.78)	3.68 (10.52)	9.79 (15.13)	2.34	24.90 (11.38)
	9.71 (76.76)	**4.41** (24.71)	**9.70** (33.93)	**11.20** (36.58)	**10.75** (30.73)	**17.99** (27.80)	**6.94**	**70.70** (32.31)
Grand Total	**12.65** (100.00)	**17.84** (100.00)	**28.60** (100.00)	**30.62** (100.00)	**34.98** (100.00)	**64.72** (100.00)	**29.42**	**218.83** (100.00)

Note:—Figures within parenthesis are 'perccentages of the total.

238. The Corporation stepped up the level of its operations during 1972-73 to a significant extent in Haryana, Uttar Pradesh, Gujarat and Tamil Nadu. So far, the States which have taken advantage of refinance facilities from the Corporation are in Southern, Western and Northern regions, which accounted for 32 per cent, 25 per cent and 26 per cent, respectively, of the aggregate disbursement (Table 26). Assistance in other regions has been comparatively low in view of their weak infrastructure, deficiencies in institutional credit and inadequate basic technical data. However, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh which a few years earlier had little borrowing have recently been able to build up their facilities and have been able to avail themselves of larger refinancing facilities. In the near future, the Corporation expects to provide more assistance to Orissa. Promotional efforts in the remaining Eastern and North Eastern States are expected to bear fruit after some time.

239. Land development banks continue to be the principal agency through which the Corporation's assistance is disbursed. In 1972-73, out of total disbursement of Rs. 94 crores, land development banks absorbed Rs. 86 crores including Rs. 29 crores switched to IDA programmes (Table 27). Assistance through State co-operative banks and commercial banks is, however increasing steadily. It is expected that consequent upon strengthening of their organisation for agricultural financing and the greater emphasis that the Corporation is placing on wider geographical spread and diversification of activities, commercial banks will acquire greater importance in the programme of assistance.

240. During the year, two more credit projects relating to minor irrigation in Uttar Pradesh and Madhya Pradesh with IDA assistance of $38 million and $33 million, respectively, and one project relating to market development in Mysore State with IDA assistance of $8 million were approved by IDA. The total number of projects to be financed by ARC with IDA assistance has thus risen to twelve, in addition to one project being financed by IBRD in Uttar Pradesh. Total IDA assistance under these 12 projects will amount to 5316 million.

241. The Corporation invited subscription for its third series of share issue of Rs. 5 crores in May, 1973 which issue has been fully subscribed and allotment of shares made from July 1, 1973. During the year, the Corporation borrowed Rs. 48 crores from the Government of India. The amount outstanding from the Government of India as on June 30, 1973 stood at Rs. 125 crores. The Corporation also raised Rs. 11 crores by floatation of Bonds in the open market and borrowed Rs. 30 crores from the Long-Term Operation Funds of the Reserve Bank. In addition, the Corporation made a temporary borrowing of Rs. 3.70 crores from the Reserve Bank. The aggregate disbursement of Rs. 219 crores at the end of June, 1973 has been financed as follows : share capital Rs. 10 crores; borrowings from Government of India Rs. 125 crores; Reserve Bank of India Rs. 38 crores and Bonds Rs. 39 crores.

242. The Corporation raised its lending rate from 6.50 per cent per annum to 7 per cent with effect from 25 June 1973.

243. During the Fourth Plan period, the Corporation was expected to provide Rs. 300 crores by way of refinance. The Corporation has already disbursed Rs. 195 crores at the end of June, 1973 and expects to more than fulfil the Plan target by the end of March 1974. Lending programmes for the Fifth Plan period are being drawn up. While the Corporation will continue to place emphasis on minor irrigation other types of schemes such as poultry, dairy, fishery and plantation will receive special attention. The Corporation proposes to strengthen its technical staff in order to assist financial institutions to appraise these types of schemes.

244. The Corporation has also invited the State Governments to formulate schemes of development of forestry, deep sea fishing, milk production and anti-erosion and soil conservation schemes. Since 1969-70 the Corporation has been providing 100 per cent refinance facilities in respect of viable schemes sponsored by SFDA and MFALA. This concession which was to expire on June 30, 1973 has been extended upto June 30, 1975.

245. In conformity with the development role undertaken by the Corporation in providing larger credit for agricultural activities and to ensure diversification and penetration into new areas, the Corporation is having a fresh look at its own organisational structure so as to ensure quick and smooth flow of credit. To help the relatively underdeveloped states, steps are being taken in collaboration with the Reserve Bank to broad-base the training arrangements for their staff. The Corporation has also decided to open another technical consultancy unit at Calcutta (in addition to one at Lucknow) to deal with Eastern and North-Eastern States/Union Territories.

Table 27—Disbursement of Refinance by Agency

(Rs. Crores)

Agency	1963 to 1968	1968-69	1969-70	1970-71	1971-72	1972-73	Total
I. Land Development Banks	11.90 (94.07)	15.95 (89.41)	26.75 (93.53)	26.65 (87.00)	28.39 (81.16)	86.14* (91.50)	195.78 (89.47)
(Of which IDA assistance)	—	—	—	—	**(5.37)**	**(63.58)**	**(68.95)**
II. State Co-operative Banks	0.20 (1.58)	1.36 (7.62)	1.29 (4.51)	1.19 (3.92)	3.33 (9.52)	3.51 (3.73)	10.88 (4.97)
III. Commercial Banks	0.55 (4.35)	0.53 (2.97)	0.56 (1.96)	2.78 (9.08)	3.26 (9.32)	4.49 (4.77)	12.17 (5.56)
(Of which IBRD assistance)	—	—	—	**(1.11)**	**(0.8)**	**(0.4)**	**(1.23)**
TOTAL	**12.65** (100.00)	**17.84** (100.00)	**28.60** (100.00)	**30.62** (100.00)	**34.98** (100.00)	**94.13** (100.00)	**218.83** (100.00)

Note:—Figures within parenthesis are percentages of the total.

* Inclusive of Rs. 29.42 crores switched from ordinary debentures programme to IDA Projects.

IV. DEVELOPMENTS IN INDUSTRIAL FINANCE

246. The financial assistance provided by the term-lending institutions in recent years has shown a rising trend. Both sanctions and disbursements have generally increased since the recession years of 1967-68 and 1968-69 (Table 28). The disbursements during the fiscal year 1972-73 continued to show an increase at Rs. 200.6 crores; they were higher than Rs. 184.5 crores recorded in 1971-72 (April-March). The sanctioned assistance was higher at Rs. 309.3 crores compared to Rs. 304.6 crores in 1971-72.

Table 28—Trends in Financial Assistance Sanctioned and Disbursed by Term-lending Institutions*

(Rs. Crores)

Years (April-March)	Total Assistance**	
	Sanctions	Disbursements
1965-66	169.3	105.8
1966-67	122.0 (—27.9)	125.6 (+18.7)
1967-68	87.1 (—28.6)	105.0 (—16.4)
1968-69	132.3 (+51.9)	85.8 (—18.3)
1969-70	153.8 (+16.3)	116.3 (+35.5)
1970-71	225.7 (+46.7)	146.7 (+26.1)
1971-72	304.6 (+34.9)	184.5 (+25.8)
1972-73†	309.3 (+1.5)	200.6 (+8.7)

Note:—Figures in brackets represent percentage variations over the previous years.

*Institutions covered are IDBI, ICICI, IFCI, IRCI, SFCs and SIDCs/SIICs.

**Total assistance comprise : (i) in respect of IDBI, all types of assistance including refinance of industrial loans and of export credit and rediscounting of bills, with the exception of guarantees and 'subscription to shares and bonds of financial institutions' (refinance of SFCs industrial loans are of course excluded to avoid double counting) and (ii) for other institutions all types of assistance except guarantees.

†Provisional.

The accounting year* however, is not the same for all the financial institutions. If the figures relating to the respective accounting years for 1972-73 are considered, total financial assistance sanctioned by the term-lending institutions at Rs. 331 crores showed an increase of 3 per cent over the previous year's level of Rs. 321 crores. Disbursements of assistance during 1972-73 amounted to Rs. 214 crores, compared to Rs. 178 crores in the previous year—a rise of about 20 per cent. The operations of term-lending institutions during he year under review have had a significant impact on the actual investment in the private sector of industry.

247. The increase in sanctions of financial institutions (April-March) this year was mainly due to a rise in foreign currency loans by term-lending institutions. There was a decline in underwriting and direct subscriptions to shares and debentures. On the other hand, a substantial increase took place in sanctions and disbursements of foreign currency loans by ICICI and IFCI. Assistance provided by the SFCs also showed a marked rise (see Table 29). A bulk of this assistance has gone to the small sector industry and small road transport operators. As for financial assistance to small-scale industries, there was an increase in credit extended to this sector by Rs. 60 crores to Rs. 625 crores during the year 1972-73 (April-March).

*The accounting year of IDBI and IFCI is July-June, that of ICICI is January-December and of SFCs, is April-March.

Industrial Development Bank of India

IDBIs' Promotional Functions and Policies

248. The IDBI continued to follow vigorously during 1972-73 (July-June) the policy of widening the scope and enlarging the size of its operations. The principal work in this connection relates to the active promotion of viable industrial projects particularly in the backward areas. The Industrial Potential Surveys initiated in 1970, have been completed for all States/Union Territories except Andaman and Nicobar. Of the 16 Industrial Potential Surveys carried out by the Study Team, 12 reports relating to Assam, Arunachal Pradesh, Bihar, Jammu and Kashmir, Nagaland, Madhya Pradesh, Himachal Pradesh, Rajasthan, Tripura, Uttar Pradesh, Manipur and Orissa were published. Those for Andhra Pradesh, Goa, Daman and Diu, Laccadive and Amindivi and Pondicherry are under preparation. The project ideas that have emerged from these surveys are being discussed with the concerned State institutions and Governments. The IDBI, with the assistance of other term-lending institutions, has already arranged for preliminary feasibility studies of 14 project ideas identified by the Study Teams for Assam, Arunachal Pradesh, Bihar, Orissa, Tripura and Meghalaya.

249. The IDBI continued to play the role of co-ordinator for various institutions at all-India and State levels and formed Inter-Institutional Groups (IIGs) in 12 States to arrive at agreed decisions on issues connected with industrial projects. Further the channels of communication between the term-financing institutions and the Government have been strengthened with the setting up of the Central Co-ordination Committee in 1972 under the Chairmanship of the Governor, RBI. This Committee, comprising heads of public financial institutions and the Secretaries to the Government of India in the Ministries of Finance, Industry, Company Affairs and the Planning Commission exchanges views on important policy matters having a bearing on industrial development and finance.

Technical Consultancy Scheme

250. During 1972-73 the IDBI also took initiative in setting up a zonal organisation called North Eastern Industrial and Technical Consultancy Organisation Ltd. (NEITCO) at Gauhati on May 28, 1973, to cater to the needs of States/Union Territories in the North-Eastern region. As in the case of Kerala Industrial and Technical Consultancy organisation (KITCO), NEITCO will also function as technical consultancy service centre and will (i) carry out surveys, (ii) prepare project profiles and feasibility reports, (iii) identify potential entrepreneurs, (iv) undertake techno-economic appraisal, market research, project supervision, etc.

251. Mention was made in the previous Report regarding the setting up of KITCO in February, 1972 to facilitate the work with regard to project formulation, appraisal and supervision. During the first sixteen months ended June 1973, KITCO received as many as 374 enquiries covering a wide range of small and medium scale industries. Of these, 329 applications forming about 90 per cent of the total applications received emanated from entrepreneurs and the remaining from the financial institutions such as the State Financial Corporations and the banks. So far 86 cases received from entrepreneurs involving an investment of Rs. 34.1 crores have already materialised into concrete project ideas; these have been taken on hand for preparation of project reports. Projects in respect of 14 of these schemes involving investment proposals of Rs. 3.6 crores have been furnished to the parties and work in respect of 66 schemes is in progress. Six of the project ideas have been dropped by the entrepreneurs.

252. It is significant to mention that KITCO co-sponsored with the School of Management, Cochin University, an entrepreneurial development programme, extending over a period of 5 months, to train candidates in the preparation and implementation of industrial projects. The course covered 27 candidates.

253. In order to provide greater inducement to entrepreneurs to spread out in relatively backward areas of the country, the IDBI decided in January, 1973 to extend concessional direct assistance to new projects coming up in specified backward districts with capital cost upto Rs. 3 crores

Table 29—Assistance Sanctioned and Disbursed by Term-Financing Institutions during 1971-72 and 1972-73 (April-March)

(In Crores of Rupees)

	Sanctions										Disbursements									
	Rupee loans		Foreign currency loans		Underwriting and direct subscriptions: Ordinary and Preference shares		Underwriting and direct subscriptions: Debentures		Total		Rupee loans		Foreign Currency loans		Underwriting and direct subscriptions: Ordinary and Preference shares		Underwriting and direct subscriptions: Debentures		Total	
	1972-73	1971-72	1972-73	1971-72	1972-73	1971-72	1972-73	1971-72	1972-73	1971-72	1972-73	1971-72	1972-73	1971-72	1972-73	1971-72	1972-73	1971-72	1972-73	1971-72
IDBI	87.7* (27.9)	128.6* (22.0)	—	—	3.5	13.3	2.8	—	94.0 (27.9)	141.9 (22.0)	62.4* (19.1)	77.4* (17.4)	—	—	3.5	1.0	0.8	0.4	66.7 (19.1)	78.8 (17.4)
IFCI‡	38.2	23.7	5.2	2.8	3.1	2.2	1.0	—	47.5	28.7	21.8†	16.1†	4.1	3.4	1.6	0.8	0.8	—	28.3	20.3
ICICI	13.4	12.0	29.1	22.5	3.7	3.7	3.3	1.5	49.5	39.7	7.9	8.0	28.0	20.5	2.5	1.6	1.3	0.2	39.7	30.3
IRCI‡	6.1	6.6	—	—	—	—	—	—	6.1	6.6	4.2	1.6	—	—	—	—	—	—	4.2	1.6
SFCs‡	77.8	63.4	—	—	0.9	0.7	—	—	78.7	64.1	44.1	39.0	—	—	0.6	0.6	—	—	44.7	39.6
SIDCs	24.6	16.4	—	—	8.8	7.1	0.1	0.1	33.5	23.6	13.2	10.7	—	—	4.5	3.6	0.03	0.03	17.7	14.4
	247.8 (27.9)	250.7 (22.0)	34.3	25.3	20.0	27.0	7.2	1.6	309.3 (27.9)	304.6 (22.0)	153.6 (19.1)	152.8 (17.4)	32.1	23.9	12.7	7.6	2.9	0.6	201.3 (19.1)	185.0 (17.4)
UTI$	—	—	—	—	3.2	3.2	7.0	11.8	10.2	15.0	—	—	—	—	1.6	1.0	4.0	0.6	5.6	1.6
LIC**		14.1	—	—		4.7		4.3		23.1		0.9		—		2.5		1.9		5.3

Note :—Data are provisional.

*Comprising direct loans, refinance to banks and rediscounts. Refinance to SFCs, indicated separately within brackets, is excluded to avoid double counting since this is covered under loans of SFCs.

†Including disbursement on account of guarantees.

‡Data are provisional.

$Data for 1972-73 are provisional and those for 1971-72 are revised.

**Figures for 1972-73 are not available.

and to expansion projects with total investment (i.e.) net fixed assets plus net working capital of the existing unit and the cost of the expansion project together) also upto Rs. 3 crores as compared to the previous limits of Rs. 1 crore and Rs. 50 lakhs, respectively. The scheme has been further liberalised in June 1973. Under the revised scheme, concessional rupee loan assistance upto Rs. 2 crores and underwriting upto Rs. 1 crore would be available from the IDBI, in participation with other term-financing institutions (*viz.*, the IFCI and the ICICI) to new concerns setting up projects in specified backward districts, irrespective of project cost. The assistance in excess of the above ceiling would generally be extended on normal terms, though exception may be made in special circumstances on the merits of each case. Concessional finance for expansion/diversification projects in identified backward areas undertaken by existing concerns would be considered on selective basis, keeping in view the profitability potential of the existing and proposed new project, the location of the new project and other related factors.

254. The IDBI also decided to extend the concessional refinance to the full extent in respect of all eligible loans of SFCs and banks upto Rs. 30 lakhs to small and medium-sized projects in the specified backward areas provided the paid-up capital and reserves of the recipient unit did not exceed Rs. 1 crore. This criterion would be applicable both to new projects and existing units embarking on the expansion in capacity and modernisation. Concessional refinance assistance was earlier available in respect of loans upto Rs. 20 lakhs to new as well as expansion projects of units involving investment in fixed assets (on the basis of the original price paid) not exceeding Rs. 50 lakhs or with total tangible assets not exceeding Rs. 75 lakhs.

255. Another aspect that has widened the scope of the IDBI's refinance facilities during the year was sanction of $25 million loan to the IDBI by the International Development Association. The Project Agreement between the IDA and the IDBI and the Development Credit Agreement between the IDA and Government of India were signed on February 9, 1973. The credit became effective from June 22, 1973. The amount would be utilised for on lending to the State Financial Corporations for financing the foreign exchange requirements of medium and small-medium projects having project cost not exceeding Rs. 1 crore. The refinance facilities under the IDA credit will be available against SFC loan for setting up of new industrial projects and also for expansion, diversification, modernisation or renovation of the existing units in cases where at least some portion of the loan is for financing import of equipment from abroad and in special case, the cost of technical know-how and enquiring fees. The Government of India has simplified the procedure for issue of import licences under the credit.

Amendment to IDBI Act

256. An important development during the year was the amendment to the IDBI Act, 1964, effective December 24, 1972, enabling the IDBI to (i) assist concerns engaged in maintenance and repairs, testing or servicing of machinery, vehicles, vessels, motor boats, trailers, tractors as also concerns engaged in fishing or in providing shore facilities for fishing or maintenance estates; (ii) extend refinance for establishment of industrial estates; (iii) grant loans and advances to any person exporting products of industrial concerns or to any person outside India in connection with the export of capital goods from India or for the execution of turn-key projects outside India by any industrial concern or by any person in India; (iv) rediscount the machinery bills of stockists and selling agencies; and (v) subscribe to or purchase stocks, shares, bonds or debentures of any other financial institutions outside India, as may be the case.

IDBI's Structure of Interest Rate

257. There was a revision of the IDBI's structure of interest rates during the course of the year. The direct lending rate was revised with effect from June 16, 1973 from 8.5 per cent to 9 per cent and lending rate to eligible units in specified backward districts from 7 per cent to 7.5 per cent. The general rate of refinance would be 7 per cent with a ceiling of 10.5 per cent on the rate to be charged by the financial institutions. The special refinance rate for small-scale industrial units covered under the Credit Guarantee Scheme remains unchanged at 5 per cent (with a ceiling of 8.5 per cent on the rate charged by financial institutions) for loan assistance upto Rs. 25,000. This rate has been stepped up to 5.5 per cent with a ceiling of 9 per cent on the rate charged by financial institutions for loan assistance in excess of Rs. 25,000. The special refinance rate for loan assistance to eligible industrial units in specified backward districts has been raised from 3.5 per cent to 4 per cent (with a ceiling of 7.5 per cent on the rate charged by financial institutions). The rediscount rates on machinery bills have been revised upwards by 1 per cent; the bank's maximum discount rates should be only 1 per cent higher than the IDBI rediscount rates. Further, the three-tier system has been replaced by two-tier system with the IDBI rate of 7 per cent for bills maturing upto 36 months and 6.5 per cent for bills maturing above 36 months.

IDBI's Operations

258. An important feature of the IDBI's operations during 1972-73 was a marked rise in the number of applications to 2739 from 1966 in 1971-72 on which project assistance was sanctioned (*i.e.* assistance other than for exports and guarantees). The financial value of project assistance recorded a significant rise from Rs. 140.7 crores to Rs. 148.3 crores in 1972-73. Sanction of assistance for exports of engineering goods, however, showed a decline.

259. IDBI's total disbursements of Rs. 106.6 crores during 1972-73 were higher than Rs. 94.0 crores during 1971-72 and were financed mainly by (i) repayments by borrowers and sale of investments (Rs. 63.5 crores, (ii) borrowings from RBI's Long-Term Operations Fund (Rs. 36.3 crores) and (iii) borrowings from market through floatation of bonds (Rs. 16.0 crores). Total effective sanctions since the inception of IDBI upto the end of June, 1973 amounted to Rs. 774.7 crores (excluding guarantees) and Rs. 803.2 crores (including gurantees). Total utilisation of assistance aggregated Rs. 564.6 crores.

260. Upto the end of June 1973, the IDBI has sanctioned concessional assistance of Rs. 30.9 crores (nearly two-thirds of which was by way of refinance) on 861 applications in the specified backward districts, of which Rs. 13.1 crores on 584 applications were granted during 1972-73. An interesting feature of the sanctions under direct assistance to industrial concerns (other than for exports) is the very significant increase in the number of projects assisted from 36 in 1971-72 to 63 in 1972-73, indicating a wider dispersal of assistance.

261. Of the 63 units assisted during the year, 48 units (including 6 in public sector) envisaged the setting up of new capacity or expansion/diversification of existing capacity in various types of industries such as iron and steel, machinery, etc. These included 2 projects sponsored by technician entrepreneurs, one each in the field of special papers and steel castings. Among the bigger projects assisted during the year, were petrochemical project of Assam Petro-Chemicals, Ltd. (assistance Rs. 2.2 crores), expansion project of Indian Iron and Steel Co. Ltd. (Rs. 22.0 crores), rehabilitation/modernisation scheme of Tata Electric Companies (Rs. 2.8 crores) and Madras Cements Ltd. (Rs. 2.7 crores). Utilisation of direct assistance (other than for exports) has more than doubled to Rs. 30.2 crores during 1972-73 from Rs. 11.4 crores during 1971-72.

262. The number of applications sanctioned under the scheme of refinance of industrial loans rose sharply from 1733 to 2407 and the amount of assistance from Rs. 27.5 crores to Rs. 33.3 crores. Utilisation of assistance under refinance of industrial loans increased by Rs. 1 crore to Rs. 25.0 crores in 1972-73. A bulk of the assistance under the scheme has been in respect of small-scale industries including small road transport operators. The proportion of refinance assistance to this sector to total refinance has increased from a mere 5.4 per cent in 1967-68 to 67 per cent in 1971-72 and further to 76 per cent in 1972-73.

Export Assistance

263. Sanctions under export finance (participation scheme and refinance of export credit) declined sharply to Rs. 2.8 crores during 1972-73 as against Rs. 22.6 crores in 1971-72. Lower sanctions during the year may be attributed to the prevailing uncertainties on the international monetary scene and suspension of fresh contracts with some countries on deferred credit terms. Moreover, certain parties to whom substantial direct export finance was sanctioned during 1971-72 could not avail of it during 1972-73 on account of difficulties in executing the contracts. Utilisation of export finance also declined from Rs. 15.0 crores in 1971-72 to Rs. 6.1 crores in 1972-73.

264. Sanctions under the Bills Rediscounting Scheme were higher at Rs. 49.8 crores in respect of 231 manufacturers/sellers during the year as against Rs. 45.3 crores for 204 manufacturers/sellers during 1971-72.

Industrial Reconstruction Corporation of India (IRCI)

265. The salient features of the operation of IRCI during 1972-73 (July-June) were an increase by about one and a half times in the disbursal of assistance, a widening of its area of operation to States such as Andhra Pradesh, Maharashtra, Delhi and Kerala; promotion of a modern type central textile processing unit and its active association with the running of the units taken over by the Government of India under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951. IRCI received 75 applications for assistance during the year, taking the total number of applications received so far to 416. Of the 416 applications, the IRCI had completed study in respect of 277 such applications and sanctioned assistance on 66 applications for Rs. 12.7 crores. 211 applications were disposed of either because the units were not viable or eligible for assistance. Of the remaining 139 cases, 3 were ready for sanction of assistance and 46 crores were under study.

266. From its inception upto the end of June 1973, IRCI has sanctioned Rs. 13.2 crores to 67 sick/closed industrial units employing a total labour force of 47466. In addition, the IRCI has arranged assistance of the order of Rs. 8.0 crores from banks for meeting their working capital needs. More than one-half of the assistance sanctioned was in respect of units in the engineering industry; the textile industry claimed about 10 per cent. Utilisation of assistance upto the end of June 1973 amounted to Rs. 6.3 crores (inclusive of guarantee assistance of Rs. 1.4 crores) in respect of 46 of the 67 assisted units.

267. Having regard to the particularly serious position of industries in West Bengal, the IRCI has taken steps to promote a new unit, namely, Textile Processing Corporation of India Ltd. at an estimated cost of Rs. 450 lakhs.

Subscription to Shares and Bonds of Other Financial Institutions

268. During the year, the IDBI contributed Rs. 1.3 crores to the fourth public issue of debentures of ICICI. With this the total assistance of the IDBI to that institution since inception amounted to Rs. 19.7 crores upto the end of June 1973. With repayment of Rs. 1.6 crores being the instalments of loans taken by ICICI in 1966-67 and 1967-68, IDBI's holdings of ICICI debentures amounted to Rs. 18.1 crores at the end of June 1973. The IDBI also contributed Rs. 41.3 lakhs to the paid-up capital of IFCI. Besides, the IDBI subscribed Rs. 1.1 crores to the share capital of three SFCs bringing IDBI's total subscription to share and bonds issues of all SFCs to Rs. 8.9 crores.

Other Term-lending Institutions

ICICI and IFCI

269. There was an appreciable increase in the ICICI's sanctions comprising direct loans (rupee and foreign currency loans), underwriting of and direct subscriptions to shares and debentures and guarantees during 1972-73. The sanctions rose to Rs. 49.5 crores during 1972-73 (April-March) as against Rs.39.7 crores sanctioned in the corresponding period of the preceding year. This increase was due to an all round rise in the amounts sanctioned by ICICI. Disbursements were also higher at Rs. 39.7 crores as compared with Rs. 30.3 crores a year ago. Substantial improvement was also observed in the IFC's sanctions which increased to Rs. 47.5 crores during 1972-73 from Rs. 28.7 crores during 1971-72. Disbursements too registered an increase from Rs. 20.3 crores to Rs. 28.3 crores during the year.

Operations of State Financial Corporations

270. The operations of 18 State Financial Corporations including the Tamil Nadu Industrial Investment Corporation Ltd. (TIIC) recorded some improvement during 1972-73 (April-March). The total loans sanctioned by them during 1972-73 amounted to Rs. 77.8 crores compared to Rs. 63.4 crores in the preceding year. Disbursements also increased to Rs. 44.7 crores as against Rs. 39.6 crores in the previous year. Loans outstanding as at the end of March 1973 amounted to Rs. 184.2 crores or 19.1 per cent higher than a year ago. The bulk of the financial assistance continued to be granted to units in the small-scale sector and such assistance formed nearly 72 per cent and 68 per cent of the total sanctions and disbursements, respectively.

271. The SFCs Act, 1951 was amended in December 1972. The amendments, **inter alia**, provided for (i) widening, functionally and geographically, the scope of SFCs' operations and enabling them to finance certain activities, **viz.**, concerns engaged in the maintenance, repair, testing and servicing of machinery, vehicles and vessels, assembling and packing, fishing, consultancy services, etc., (ii) the creation of a special class of share capital, which would be subscribed to by the concerned State Government and the Reserve Bank and carrying no minimum dividend obligation, to help SFCs to provide soft loans to or participate in the equity of weaker segments of small and medium industries sector, and (iii) increase in the ceiling of total assistance that can be granted to individual units in the corporate sector and co-operatives from Rs. 20 lakhs to Rs. 30 lakhs and from Rs. 10 lakhs to Rs. 15 lakhs in the case of other units.

272. International Development Association (IDA) sanctioned in January 1973 a line of credit of $25 million to be channelled through IDBI to SFCs for the purpose of financing import of plant and equipment by small and medium sized concerns. The credit will be available only in respect of projects having project cost not exceeding Rs. 1 crore. The credit is linked to a programme of strengthening and improving the effectiveness of SFCs as regional development banks. In this context, the Reserve Bank, on its part, is conducting a series of training course for the benefit of officers of SFCs.

273. The Sixteenth Conference of the Chairman and Managing Directors of all SFCs (including TIIC) was held at Bombay on April 3, 1973. Besides reviewing the working of SFCs the Conference discussed the scope and implications of the recent important amendments to the SFCs Act, procedure for availment of the IDA line of credit and programme for the upgrading of the SFCs, etc. The Report of the Working Group set up by the Reserve Bank to devise the mechanics of coordination between SFCs and commercial banks for assisting industries in the small and medium sectors is expected to be ready shortly.

Financing of Small-scale Industries

Credit Guarantee Scheme

274. The modified Credit Guarantee Scheme has further extended its operations to cover some more institutions during the year. So far, 183 credit institutions comprised of all the major commercial and co-operative banks and SFCs have joined the modified Scheme. During 1972-73, 9 unlicensed primary urban co-operative banks were including in the list of specified credit institutions, and one central co-operative banks and 7 unlicensed primary urban co-operative banks have joined the Scheme by executing the necessary agreements. The Scheme was also extended to cover units engaged in servicing and repairing of mechanised vessels.

275. The amount of guarantees outstanding as at the end of May 1973 stood at Rs. 1094.95 crores as against Rs. 891.72 crores at the end of May 1972 reflecting a considerable increase in the flow of credit to small-scale sector as also wider coverage under the Scheme. The number and amount of claims paid since the inception of the Scheme in July, 1960 upto May, 1973 aggregated 420 and Rs. 66.55 lakhs, respectively, while the recoveries in the claims paid accounts amounted to Rs. 14.21 lakhs. In cases, where the claim payments have been fully recovered, credit facilities extended to the concerned industrial units would again be eligible for the guarantee facilities. The test check programme which was launched in 1970-71 to ensure that credit institutions exercise due care both in the sanction and recovery of loans to small-scale industrial units could not be completed in 1972-73 owing to paucity of staff. The number and amount of advances in default, which may lead to settlement of claims stood at 7105 and Rs. 20.72 crores respectively, as at the end of May 1973, the latter constituting 1.9 per cent of the aggregate amount of outstanding guarantees as on the date. The Guarantee Organisation, as a matter of procedure, continued to inspect the accounts under default in order to have first hand knowledge of the genesis of defaults and problems faced by the credit institutions. The Guarantee Organisation suggested to the concerned banks nursing of the account in respect of the units which showed promise of retrieving their position; in fact, its efforts have yielded favourable results in a number of cases. The Guarantee Organisation has, till March 31, 1973, conducted inspection of 902 units whose advances are in default and suggested nursing programmes for rehabilitation in the case of 64 units.

276. Till recently, expenses incurred by the credit institutions after invocation of the guarantees in respect of their advances to the small-scale industries were not allowed to be deducted from the subsequent recoveries made in the relative accounts. The credit institutions, therefore, generally preferred to submit claims only after taking all the necessary steps for recovery of the advances, including institutions of legal proceedings against the borrowers so that the expenses incurred in that connection could be included in the amounts in default and a proportionate share claimed from the Guarantee Orginisation. This prevented the credit institutions from taking advantage of the element of refinance available under the Scheme by preferring claims promptly. Therefore, on the recommendation of the Guarantee Organisation, the Government of India, has decided that expenses of the nature of normal banking charges may be allowed to be deducted from the gross recoveries effected.

277. Following the outbreak of Indo-Pakistan hostilities in early December 1971, some of the provisions of the Scheme were temporarily liberalised in order to mitigate the difficulties experienced by small-scale industrial units located in the areas adjoining our borders with Pakistan. These liberalised provisions were further extended upto March 31, 1973 in the Western region, whereafter they ceased to be in operation.

278. Certain proposals for extending guarantee facilities on a more liberalised basis in respect of advances granted under the technicians/enterpreneurs scheme worked out and submitted to Government for approval last year, were further discussed with the Ministry of Finance. The higher cover of 90 per cent is now proposed to be made available for 5 years from the date of the first disbursal of an advance as against a period of 3 years proposed earlier. Although it was previously proposed to raise the guarantee fee from 1/10 of 1 per cent to 1/4 of 1 per cent during the relevant period, no increase in the existing rate of guarantee fee is now envisaged. The modified proposals are now under consideration of the Government.

Schedule Commercial Banks' Advances to Small-scale Industries

279. The credit extended by scheduled commercial banks to small-scale industries (including term loans and advances granted to craftsmen and other qualified entrepreneurs) rose by about Rs. 70 crores to Rs. 645 crores during the first three quarters of 1972-73 (April-March). The share of small-scale industries in the total bank credit showed a rising trend from 10.3 per cent as at the end of December 1971 to 11.7 per cent at the end of December 1972.

280. During the year under review, there was in evidence a continuation of the two main features concerning the flow of scheduled commercial bank's credit to small-scale units which were observed in the previous year. These two features are : (i) a steady decline in the average amount of credit limits sanctioned per unit implying larger financing of smaller units in small scale sector and (ii) growing involvement of banks in financing small-scale industries in industrially backward States. The average amount of credit sanctioned per unit declined from Rs. 76,900 at the end of December 1971 to Rs. 74.40 at the end of December, 1972. The share of industrially backward States viz., Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Rajasthan in total bank credit to small-scale industries has also increased.

281. The credit extended by the State Bank of India Group amounted to Rs. 255 crores at the end of December 1972 showing a rise of Rs. 28.0 crores over March 1972 as compared to a rise of Rs. 23 crores in the corresponding period of 1971. The increase in the number of units financed by the State Bank of India Group between March and December 1972 was also larger at 8,722 as against 4,805 between March and December 1971. Outstanding credit to small-scale industries by the 14 nationalised banks stood at Rs. 3153 crores covering 69,133 units at the end of December 1972 (increase of Rs. 32 crores over the March 1972 level) as against Rs. 263.0 crores covering 56,200 units at the end of December 1971 (increase of Rs. 19 crores over March 1971 level).

282. The aggregate of term loans sanctioned to small-scale industries by the banks amounted to Rs. 127 crores as at the end of 1972. Outstanding term loans increased from Rs. 88.5 crores covering 27,600 units at the end of March 1972 to Rs. 94.8 crores covering 30,240 units at the end of December 1972. The share of term loans in total bank credit to small-scale industries (outstandings) at the end of December 1972 was 14.7 per cent as compared to 15.4 per cent at the end of March 1972.

283. The credit limits sanctioned to craftsmen and other qualified entrepreneurs at the end of December, 1972 totalled Rs. 27 crores covering 10,150 units. Outstanding credit stood at Rs. 17 crores, two-fifths of which was accounted for by the State Bank of India Group.

284. As at the end of December 1972, the credit limits sanctioned to small road and water transport operators amounted to Rs. 95.7 crores spread over 39,610 units. The amount of outstanding credit (at Rs. 68 crores) to this class of borrowers at the end of December 1972 recorded a rise of Rs. 8.6 crores over March 1972 level which was about the same (Rs. 8.3 crores) as that over the comparable period of April-December 1971.

285. Fourteen of the scheduled commercial banks sanctioned credit limits aggregating Rs. 6 crores for setting up of industrial estates at the end of December 1972, covering 52 accounts, the balance outstanding being Rs. 4 crores.

286. During the year under review, the Working Group on Financing of Industrial Estates appointed by the Bank in 1970 submitted its report. The Group has emphasised the need for financial institutions such as banks and State Financial Corporations for financing industrial estates in urban and semi-urban centres. According to the Group, the responsibility for financing estates in rural areas, however, should largely lie with the Governments of the respective States. The Group has urged the State Governments to play a crucial role in establishing industrial estates in the vicinity of urban and semi-urban centres, where there is considerable scope for the use of industrial sheds. According to the findings of the Group, although the programme of industrial estates has made good progress during the last decade or so, there are still certain deficiencies in its implementation particularly in rural areas. These deficiencies, the Group has emphasised, should not be regarded as deterrent for setting up new industrial estates.

Unit Trust of India

Unit Scheme, 1964

287. Sales of units during 1972-73 at Rs. 23.0 crores were substantially higher as compared with Rs. 15.1 crores

during 1971-72. The decline in the sales of units witnessed during the last two years was not only reversed in 1972-73 but sales of units established a new record, because of the favourable impact of measures announced at the commencement of this year, *viz.*, increase in the rate of dividend from 8 per cent for 1970-71 to 8.25 per cent for 1971-72, lowering of special offer price from Rs. 10.60 in July 1971 to Rs. 10.45 in July 1972 and reduction in the gap between the sale and repurchase prices from 40 paise to 30 paise. With the improved income position during 1972-73, the Unit Trust was able to declare a higher dividend of 8.50 per cent for the year.

288. Units of the face value of Rs. 3.0 crores were repurchased during 1972-73 as against Rs. 2.6 crores during 1971-72. The total face value of units sold and outstanding with the Trust as at the end of June 1973 amounted to Rs. 124.8 crores, the total number of unit holding accounts registered with the Trust being over 5 lakhs.

Unit-linked Insurance Plan 1971

289. The progress under the Unit-linked Insurance Plan during 1972-73 was notable. Sales under the Plan amounted to Rs. 13.0 lakhs, new participants being 1312 for a target amount of Rs. 1.1 crores. This compared with Rs. 3.2 lakhs under 503 applications for a target amount of Rs. 41 lakhs received from October 1971 to June 1972.

290. The total investible funds of the Trust aggregated Rs. 142.0 crores as on June 30, 1973. Of the investments, ordinary shares accounted for Rs. 60.7 crores (42.8 per cent), preference shares for Rs. 14.9 crores (10.5 per cent) and debentures for Rs. 48.1 crores (33.9 per cent). The balance of Rs. 18.3 crores (12.8 per cent) represented investment in Government Securities and Corporation Bonds, advance deposits against commitments for debentures, preference and equity shares, advance call deposit for ordinary shares, bridging finance, other deposits, application money for ordinary and preference shares, and call and short notice deposits with banks.

291. To enhance the popularity of units among the investing public, the network of approved agents and brokers was expanded and their number rose to 3,641 and 362, respectively, at the end of June 1973, as against 3,070 and 334 at the end of June 1972. Besides, the four officers of the Trust, units continued to be on sale at over 13,400 branches of leading banks and at about 18,600 Post Offices throughout the country.

V. DEVELOPMENTS IN EXCHANGE CONTROL

292. Developments in the sphere of exchange control during the year mainly related to the exchange rate and allied matters, following the floatation of the pound sterling in June 1972 and the floatation of a number of major world currencies in February 1973.

Exchange Rates—Sales and Purchases by Reserve Bank

293. It was observed in the previous Report that following the decision of the U.K. in June 1972 to allow sterling to float on the exchanges, the Bank's buying and selling rates for spot sterling were fixed at £5.3333 per Rs. 100 for buying and £5.3050 per Rs. 100 for selling, effective July 4, 1972. Forward purchases of sterling were resumed with effect from July 5, 1972 at £5.3458 per Rs. 100 for delivery upto 3 months and £5.3583 per Rs. 100 for delivery upto six months. Subsequently with effect from August 22, 1972, the forward cover facility for sterling was extended upto nine months at rates determined by adding the following margins to the Bank's buying rate for spot sterling:

Period of delivery	Margin (per Rs. 100/-)
Upto 3 months	£ 0.0125
Upto 6 months	£ 0.0250
Upto 9 months	£ 0.0375

Further extension of the forward contracts was also permitted on request on payment of a charge of £ 0.0125 per Rs. 100 each quarter or part thereof provided the total period of delivery did not exceed 12 months from the date of the original contract.

294. With effect from October 9, 1972, the Bank also decided to purchase U.S. dollars from authorized dealers. The Bank's buying rate for the spot U.S. dollar was the cross rate between the London market's spot rate for the U.S. dollar at the close of the preceding working day and the Bank's spot buying rate for sterling prevailing on the date of purchase. The rate for forward purchase, for delivery upto three months or six months at the seller's option, was the cross rate between the London market's appropriate forward buying rate for the U.S. dollar at the close of the preceding working day and the Bank's buying rate for forward sterling for the appropriate delivery. Between July 19, 1966 and August 17, 1971, the State Bank had made forward purchases of U.S. dollars on account of the Bank.

295. In view of the uncertain conditions in the international foreign exchange market which led to their closure and a further devaluation of the U.S. dollar on February 12, 1973, the Bank suspended forward purchases of U.S. dollar and sterling with effect from February 12 and 13, 1973 respectively. The Bank, however, continued to purchase and sell sterling for ready delivery from authorised dealers at the rates prevalent on February 12, 1973, viz., the rates that were fixed on July 4, 1972. Forward purchases of sterling for delivery upto six months only at the same rates as were prevalent on February 12, 1973 were also resumed with effect from March 8, 1973.

Introduction of Exchange Control by the U.K. with Sterling Area Countries

296. Along with the decision to float the pound sterling, the U.K. authorities restricted from June 23, 1972 the sterling area to the U.K. and the Republic of Ireland for purposes of exchange control and designated persons resident in the countries previously designated as 'scheduled territories' (other than the Republic of Ireland) as non-residents and the existing sterling accounts as External Accounts. Consequently foreign countries were classified into the following two categories from November 3, 1972 for purposes of the Indian exchange control:

(a) External Account Countries: All foreign countries other than those listed in (b) below but including the U.K. and other former scheduled territories (i.e., sterling area countries); and

(b) Bilateral Account Countries: Bulgaria, Czechoslovakia, German Democratic Republic (East Germany), Hungary, North Korea, Poland, Rumania, U.S.S.R., and Yugoslavia. In the case of Yugoslavia, however, following the fresh Trade Agreement concluded between the Governments of India and Yugoslavia in November 1972, all transactions between these two countries (except export and import contracts concluded before December 31, 1972, which, under contractual obligations, require fulfilment partly in 1973 and are to be settled in non-convertible rupees before September 30, 1973) are to be made in freely convertible currency with effect from January 1, 1973.

297. For the purpose of transactions in Indian rupees, Indians, Nepalese and Bhutanese residents in Nepal and Bhutan as well as offices and branches of India, Nepalese, and Bhutanese firms, companies, or other organizations in these two territories continue to be treated as resident in India as before.

Surrender of Foreign Exchange by Persons Resident in India

298. Under the general permission granted in April 1965, a person resident in India was allowed to acquire foreign exchange by way of remuneration for services rendered or in settlement of lawful obligation or by way of inheritance, settlement of gift or payment in foreign exchange by order of a non-resident, provided the foreign exchange so acquired was surrendered to an authorised dealer within a period of 30 days of its receipt. This period has been reduced to 7 days from December 1972. Residents of India returning from tour abroad should also declare to the customs entry point foreign currency notes as also the travellers cheques and/or other foreign exchange held by them.

Business Travel to Bangladesh

299. As the current scales for release of exchange for business travel to Bangladesh were found to be inadequate, the scales of exchange, at present, applicable for business visits to countries other than U.S.A. and Canada were extended to Bangladesh in May 1973. Exchange for travel to Bangladesh would, however, continue to be released only in rupees.

Table 30—Statistical data for period July 1972 to June 1973

I. Foreign Exchange Permits Issued for Study/Training Abroad

Country	Technical Courses		Non-Technical Courses	
	Number of Permits issued	Amount of Exchange Released (Rs. 000's)	Number of Permits Issued	Amount of Exchange Released (Rs. 000's)
U.K. and Europe	512	5625	502	2471
U.S.A. and Canada	817	18665	587	9626
Other Countries	309	1949	98	389

II. Foreign Exchange Permits Issued for Travel Abroad for Purposes Other than Study/Training

	Number of Permits Issued	Amount of Exchanges Released (Rs. 000's)
1. Business	12233	72782
2. Medical treatment	609	6160
3. Study tours	1210	6453
4. Attendance at conferences	1328	3316
5. Miscellaneous	6443	7505

III. Number of 'P' Form Applications Approved

Purpose	No. of 'P' forms approved	Rejected
1. Joining head of family	12358	1
2. Visits to relatives	15488	1
3. Export promotion	377	
4. Employment abroad	6140	
5. Emigration for permanent settlement	5498	
6. Students/Trainees	3478	
7. Miscellaneous	23073	3

VI. SURVEYS AND SEMINARS ORGANISED BY THE RESERVE BANK

Surveys

300. Reference was made in the last year's Report about the All-India Rural Debt and Investment Survey 1971-72 being conducted by the Bank in its Statistics Department in collaboration with the National Sample Survey Organization of the Government of India and Statistical Bureaux of the State Governments. During the year under review the field work on the demand side investigations was completed. In order to obtain a fuller picture of the prevailing credit situation in the rural sector, addition investigations were undertaken on the supply aspect of credit. A General Supply Questionnaire was canvassed among the co-operatives, commercial banks and Government Departments and other institutional agencies serving the credit needs of the villages selected for the demand side investigation on the Reserve Bank Sample. Further, intensive 'on the spot' investigations of a sample of 750 primary agricultural credit societies, 80 co-operative marketing societies and an equal number of land development banks are being carried out through canvassing of appropriate schedules by the inspection staff of the Bank's Agricultural Credit Department and the staff of the District Central Co-operative Banks.

301. The Industrial Finance Department conducted an on the spot study on the ailing handloom industry concentrated at Nagpur and nearby areas on the request of the State Bank of India, with a view to extending the Maharashtra State Handloom Corporation's scheme to additional bank advances to units already defaulting in repayment of their dues to them so as to nurse the industry during its crisis. The Government of Maharashtra, it may be pointed out, had requested all the nationalised banks to extend financial assistance to handloom weavers located in these areas. They also set up the Maharashtra State Handloom Corporation to assist the handloom weavers by providing raw materials and marketing their products. The Corporation had introduced a scheme in terms of which grant of loans by the banks to handloom weavers and recovery thereof was linked with the supply of raw materials and marketing of the finished products. The matter was discussed with the representatives of all the nationalised banks at Nagpur as also with the officials of the Directorate of Handlooms, Powerlooms and Co-operative Textiles and the Maharashtra State Handloom Corporation Ltd. On the basis of the findings of the study, the Guarantee Organisation has agreed to cover the additional advances proposed to be granted by the State Bank of India under the Corporation's Scheme to such weavers for the purpose of recovery of its existing dues. The nationalised banks were also advised that the Guarantee Organisation would have no objection in covering the advances granted by them to the handloom weavers under the Corporation's scheme provided they adhered to their usual standard of scruting of loan proposals and post-disbursement supervision in respect of such loans.

302. Under the present provisions of the Scheme, industrial co-operatives such as handloom weavers societies, etc., working in a decentralised manner are not eligible for guarantee cover. As, however, it has been the national policy to encourage co-operatives in the industrial field, a study of a few industrial co-operatives working in a decentralised manner was undertaken to examine the various issues involved and evolve suitable criteria for covering advances granted to such units. It has been observed that, of late, industrial co-operatives are being organised on the lines of production-cum-sales societies which undertake the risk of production both in the matter of purchase of raw materials and sale of finished goods. Further, having regard to the objective of the co-operative form of organisation, the society and its members could perhaps be treated as an organic whole and the activity of the members as also their investment in equipment could be construed as those of the society. Thus production-cum-sale societies, although they do not generally own any equipment, could perhaps be deemed to be engaged in industrial activity. The question of recommending to Government that such societies be treated as 'industrial concerns' for the purpose of the Scheme is under active consideration.

303. The Division of Rural Economics of the Economic Department conducted during the year a field study on the operations of satellite and mobile offices of three nationalised banks in backward areas on Kutch district in Gujarat. An officer of this Division participated in an inter-departmental study on the working of the scheme of financing primary agricultural credit societies by commercial banks in Uttar Pradesh.

304. The Division of International Finance of the Economic Department finalised during the year the results of the survey of unclassified receipts (i.e., receipts in amounts below Rs. 10,000 or equivalent for which no purpose-wise details are required to be reported to under Exchange Control regulations) during the quarter April-June 1971 referred to in the last year's Report. A detailed note analysing the results of this survey was published in the March 1973 issue of the Bank's Bulletin. The purpose-wise pattern was seen to be more or less the same as that obtained in the earlier survey. No change was, therefore, called for in the basis on which the unclassified receipts are allocated to different purposes in the balance of payments statistics. The survey for 1972 was carried out for the three-month period, February, March and April and its results are being finalised. The Division also continued to call for quarterly foreign investment survey reports from branches of foreign companies and Indian joint stock companies. The assessment of India's international investment position in 1968-69 and 1969-70 based primarily on these reports, is under preparation.

305. The Survey of Foreign Collaboration in Indian Industry and the Survey of Indian Joint Ventures Abroad, undertaken by the Division of Trade of the Economic Department and referred to in the last year's Report, were in progress during the year under review. The scrutiny of the returns received has almost been completed and the work relating to processing of the data is being taken up.

306. The Division of Rural Surveys of the Economic Department finalised during the year, the general review report of the Sixth Follow-up Rural Credit Survey, 1963-66, on the Role of Co-operative Credit in Increasing Agricultural Production. Reports on two field studies, viz., (1) Crop-wise Scales of Finance in Kerala and (2) Working of the Jointly-owned Private Wells and Government sponsored Community wells in Maharashtra, have also been completed. The monthly Survey of Co-operative Bank Advances and Deposits regularly undertaken by the Division was continued.

VII. EDUCATION AND TRAINING

307. The Reserve Bank through its wide network of training institutions imparts training, general as well as intensive, to a number of personnel at various levels—junior, supervisory and senior executives—not only for its own staff but for the staff of commercial banks, co-operative institutions and even of Government Departments. The progress made by the various institutions in expanding their activities during the year is summarised in the following paragraphs.

National Institute of Bank Management

308. The National Institute of Bank Management (NIBM) expanded further during the period July, 1972-June, 1973 its activities of developing manpower resources for the banks, providing consultancy services to the industry, conducting basic and applied research and solving specific problems facing the individual units in the industry. During this period, 14 programmes were offered in which 350 officers participated. These courses included Advance Management Training, Senior Executive Development Programmes, Branch Managers' Programmes, Workshop for Trainers, Second Manpower Development Seminar, Credit Management Course for Borrowers, Training Programmes for individual units, Management of Sticky Accounts, Workshop on Agricultural finance Policy, etc. Besides, two top management conferences were held in August 1972 and April 1973 where an opportunity was provided for a dialogue between the chief executives of different banks, policy makers in the Planning Commission, the Finance Ministry and the Reserve Bank of India on the directions and dimensions of the development efforts and the relevant role of the banking industry in the entire process.

309. In the area of research, various studies in the field of credit planning, development of banking industry, regional economic potential, business planning, trade prospects, credit management etc. are in progress while those on velocity of circulation of money, performance planning, Assam-Poorbanchal Bank, and 'Nagaland, Manipur and NEFA' were completed. Fourteen research associates/fellows are currently working on doctoral dissertations at the Institute. The Strathclyde University has permitted its students to do research and prepare their dissertations in partial fulfilment of its requirements for the M.Sc. degree in operations research at the National Institute of Bank Management. Under this arrangement, one student has completed his research work during 1972 at this Institute. A comprehensive course on research methodology is designed for administration in 1973.

310. The consultancy projects on re-organization in the Central Bank of India and the Bank of Maharashtra were completed and a phased programme of their implementation was suggested. Consultancy work for other banks such as the Sangli Bank Ltd., South India Bank Ltd., Nedungadi Bank Ltd., the Federal Bank Ltd., was also completed. For the State Bank of India the Institute has adopted a new approach for a consultancy scheme comprised of 5 different projects where in the Institute would provide the conceptual framework and design for each project, and the Bank's staff would actually conduct the studies. The

Institute has since completed consultancy work at the instance of the Export Credit and Guarantee Corporation on its packing credit. The Institute also provided the Selection and Testing Services for direct recruitment in the banking industry for 11 banks at 30 different centres for 1.25 lakh candidates. Special selection tests were developed for direct recruitment of chartered accountants.

Bankers Training College, Bombay

311. During the period under review, the Bankers Training College conducted seven courses on Credit Appraisal and two courses each for legal officers of term-lending institutions and banks and the supervisory inspection staff of commercial banks and a course on market analysis for term-lending institutions. It also conducted two Intermediate courses and one course each on Senior Banking, Industrial Finance, Personnel and Organisation. A few in-company courses for the officers of some of the commercial banks to meet their specific requirements were also offered.

312. As mentioned in the last year's Report, the College instituted a two-tier Regional Course on Development Banking in collaboration with the Economic Development Institute of the World Bank, Washington D.C. Thirty-five executives and senior officers from development financing agencies of sixteen countries in Asia and Africa including nine from financial institutions in India participated in this course. An International Seminar on outstanding problems of development banking, which was attended by persons of international repute, constituted the finale of the course. This was the first major undertaking of the College in the international field. In designing this course the College had ventured some bold experiments one of which was the coalescing of the participants of the two-tiers for two weeks. A course on Industrial Relations in Banking for the benefit of both the staff and the line executives of commercial banks and financial institutions and a seminar on financing of Small-scale Industries for the benefit of the officers of commercial banks as well as financial institutions were also held.

313. During the later half of 1973, the College proposes to introduce a short course on Export Finance and an integrated course for the middle level executives of commercial banks.

314. During the period under review, the College also conducted two Central Banking Courses and one Central Banking—Advanced Course for the Bank's Staff Officers Grade I and Senior Staff Officers Grade III, respectively. As in the last year, a few senior officers of commercial banks were also admitted to the Central Banking—Advanced Course. A training course for the faculty attached to the Bank's own training institutions and a Foreign Exchange Course for the officers of the Department of Banking Operations and Development were also organised.

315. The total nunmber of officials from banks and financial institutions including Bank's own officers who received training at the College during the period was 835. Since the inception of the College in 1954, 5,301 officials have received training in the different courses conducted by the College.

Co-operative Bankers Training College, Poona

316. The Co-operative Bankers Training College conducted a course each for the managerial staff of State/central co-operative banks, urban banks and central banks financing industrial co-operatives. Three courses for the managerial staff of land development banks and middle level personnel of commercial banks, two courses for the managerial staff of urban co-opertive banks and one course for the branch agents of State/central co-operative banks were also conducted. The College also continued to conduct courses on Agricultural Finance and two such courses for the middle level personnel of commercial banks, one special short course for the senior level officers of commercial banks and one course for the officers of the Reserve Bank were held. The College also conducted a course on project planning and appraisal for the managerial staff of State/primary land development banks and middle level personnel of commercial banks and special courses for various States keeping in view the provisions and stipulations of the IDA Aid Agreements entered into by them. In addition, the College conducted refresher courses for the managerial staff of state/central and primary co-operative banks. The College also continued to hold short-term courses on various subjects at some convenient places outside Poona.

317. The number of officers from co-operative land development and commercial banks as also the Reserve Bank, who received training in the College during the period was 774. Since the inception of the College in September, 1969, as many as 2205 officers have received training at the College.

Staff Training College, Madras

318. The Staff Training College continued to conduct the General Course on Central Banking for staff Officers Grade II (Direct Recruits/Promotees) and Assistants and the Inspection-oriented Course for the officers of the Department of Banking Operations and Development, the Industrial Finance Department and the Agricultural Credit Department on a regular basis. The College has also conducted the Induction Course for Staff Officers Grade I/Grade II (Direct Recruits). The total number of employees who have so far received training in the College is 3,775.

Zonal Training Centres

319. The Zonal Training Centres at Bombay, Madras and New Delhi continued to conduct courses for junior and senior clerks of the Bank. The Zonal Training Centre at Calcutta which has not been functioning for some time, is being re-opened and the courses will be resumed shortly. The Bank also arranged a special two-week discussion-oriented course for the eligible candidates who appeared for the departmental examination for promotion to the post of Staff Officer Grade II. In all twenty such courses were conducted at four Zonal Training Centres including the Calcutta Zonal Training Centre, which was specially reopened for the purpose. The total number of clerical staff who have so far received training in the various Zonal Training Centres is 8,481.

Short-term Training Courses

320. With a view to equipping the staff of State Financial Corporations in credit appraisal, follow-up and documentation, the Reserve Bank has started short-term residential training course for the middle level officers of State Financial Corporations. Four such courses have already been held at New Delhi, Ranchi, Madras and Bangalore. It is the intention to continue holding such courses in future also besides attending to the training needs of the staff of State Financial Corporations at other levels too.

321. The Reserve Bank also conducted short-term Orientation Courses in Cooperative Statistics at New Delhi from the 9th to 13th October 1972 which were attended by the representatives of 5 States and of National Co-operative Development Corporation (NCDC), the Committee for Cooperative Training and the Government of India.

Deputation of staff

322. Under the standing arrangements with the Administrative Staff College of India, Hyderabad, Bank's Officers were deputed to attend management development courses conducted by the College. Officers were also sent to participate in some of the courses conducted by the Bankers Training College for the Officers of commercial banks and financial institutions, and to short-term courses on management development organised by the All-India Management and State Level Associations, Management Institutes and a few other similar institutes. The Bank continued to depute its officers to participate in the courses conducted by the Economic Development Institute of the International Bank for Reconstruction and Development and the Asian Institute of Economic Development and Planning Bangkok. Besides, Officers were deputed for study visits/training to banking and financial institutions in the U.K., West Germany and Japan.

Promotion of Hindi in R.B.I.

323. During the year under review, the Bank brought out the Hindi versions of the Annual Report on the working of the Reserve Bank of India and Trend and Progress of Banking in India for the year ended June 30, 1972, and the Report on Currency and Finance 1971-72. The Bank continued to offer assistance to its associate institutions, *viz.*, the Industrial Development Bank of India, the Agricultural Refinance Corporation, the Unit Trust of India, the Deposit Insurance Corporation and the Credit Guarantee Corporation of India Ltd., for Hindi translation of their annual reports as well as their press communiques, advertisements, notifications, notices, etc. Under this arrangement, the Hindi Section of the Bank brought out two handouts during the year entitled (*i*) Functions and Working of the Industrial Development Bank of India and (*ii*) Functions and Working of the Agricultural Refinance Corporation. At the request of Government, the Bank took up the preparation of Hindi equivalents of designational terms used in the public sector banks with a view to ensuring uniformity.

324. In compliance with the provisions of the Official Languages Act, 1963, the Bank continued to issue press communiques/notes/releases/summaries, notices, advertisements and notifications simultaneously in English and Hindi. The letters and communications received in Hindi from the members of the public, the Central Government and the State Governments were entertained and replied to in Hindi.

325. The Seven-member Official Languages Implementation Committee set up in the Bank last year under the chairmanship of the Chief Manager with the object of accelerating the progressive use of Hindi in the Bank held its second meeting on July 17, 1972. It was decided to expand the Committee by co-opting a representative each of the State Bank of India, Central Bank of India and Canara Bank as well as of the Industrial Development Bank of India, the Agricultural Refinance Corporation and the Unit Trust of India. The expanded Committee met twice on November 28, 1972 and February 27, 1973 and discussed various measures to be taken for the progressive use of Hindi in the banks.

326. In response to a request made by the Official Languages Implementation Committee of the Ministry of Finance Department of Banking the Bank introduce a Hindi Section in the 'Reserve Bank of India Bulletin' from its October 1972 issue containing summaries of the Financial and Economic Review and the important articles appearing in the English Section, Credit Control Measures, Developments in Exchange Control and a table on Selected Economic Indicators.

327. The Hindi classes, now redesignated as 'Hindi Adhyayan Mandal', continued to be conducted by the Bank under its own Hindi Teaching Scheme at various centres for the benefit of the Bank's employees. The incentives provided for passing Hindi and Hindi typewriting examinations were continued during the year. The functions for the distribution of certificates to the employees who passed the Hindi Prabodh, Praveen and Pragya examinations were held at Madras and Calcutta during the year under review.

Promotion of Hindi in Commercial Banks

328. The Official Languages Act, 1963, as amended in 1967, makes it obligatory for companies or corporations, owned or controlled by the Central Government, to use Hindi besides English, for various official purposes. Accordingly, all public sector banks are required to comply with the provisions of this Act. Instructions have been issued to the public sector banks, from time to time, to encourage the progressive use of Hindi, in addition to English, in their dealings with the public at least in the Hindi-speaking areas. These instructions relate, *inter alia*, to the use of Hindi in the printing of forms and literature for publicity, as also in the issue of advertisements. The banks have also been advised to reply to correspondence received in Hindi in that language and to accept signatures in Hindi without any additional formalities. On a review of the progress made by the banks regarding the use of Hindi as at the end of December, 1972, it is observed that they are taking steps to gradually comply with the provisions of the Official Languages Act and the instructions issued in this direction and are endeavouring to use Hindi and other regional languages in their day-to-day transactions. Some of the banks propose to draw up schemes for incentive payments to their staff for passing standard examinations in Hindi. Banks which have not done so, have been advised to consider the introduction of such schemes to encourage their staff to acquire knowledge of Hindi. In this connection, a copy of the Hindi Teaching Scheme of the Reserve Bank and the incentives offered thereunder has been furnished to the banks for their information and guidance. A list of the Hindi Teaching Centres where the Ministry of Home Affairs has organised Hindi training programmes has also been furnished to the banks so that they may, if they so desire, advise their staff to take advantage of these Hindi Teaching Centres.

VIII. ACCOUNTS AND OTHER MATTERS

329. During the accounting year ended 30th June 1973, the Bank's income, after making adjustment for various provisions, amounted to Rs. 271.29 crores as compared with the last year's income of Rs. 222.17 crores. The details of the income from various sources are as follows:

(Amounts in Rupees Crores)

	Year	
	1972-73	1971-72
(i) Interest on Ways and Means Advances to State Governments .	3 15	15.32
(ii) Interest on Loans and Advances to the State Governments (other than on Ways and Means Advances referred to at item(i) above) and Commercial and Co-operative Banks	21.11	20.56
(iii) Interest on Rupee Securities and Discount on Rupee Treasury Bills	213.39	156.25
(iv) Interest and Discount on Foreign Securities, Investments and Treasury Bills	20.07	22.58
(v) Commission and profit or gain by exchange	13.43	6.40
(vi) Other income	0.14	1.06
Total	**271.29**	**222.17**
Less : Transfers to Funds as stated in paragraph 330 . . .	100.00	65.00
	171.29	157.17

330. The contributions to the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund, the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund and the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund were Rs. 30 crores, Rs. 40 crores and Rs. 30 crores, respectively as against Rs. 19 crores, Rs. 6 crores and Rs. 40 crores, respectively, during the year 1971-72.

331. Total expenditure, on the other hand, amounted to Rs. 41.29 crores as against Rs. 37.17 crores in the previous year. Adjusted for this expenditure from the balance of income aggregating Rs. 171.29 crores, the surplus of profit set aside for payment to Central Government was Rs. 130 crores in comparison with Rs. 120 crores paid last year.

332. The increase of Rs. 49.12 crores in the total income from the level of Rs. 222.17 crores last year was largely the consequence of higher (*i*) discount on *ad-hoc* Treasury Bills created for meeting the Central Government's deficit and (*ii*) exchange earned on remittance of foreign currencies on Government Account. The rise of Rs. 4.12 crores

in the expenditure was mainly due to increase in the establishment charges and payment of agency charges to the State Bank of India and its subsidiaries for the conduct of Government business and Remittance Facilities Scheme transactions and nominal increases in other items of expenditure.

Auditors

333. The accounts of the Bank have been audited by M/s. Dalal & Shah, Bombay, M/s. P. K. Mitra & Co., Calcutta, M/s. Thakur Vaidyanath Aiyar & Co., New Delhi and M/s. Suri & Co., Madras who were appointed by the Government of India as auditors of the Reserve Bank of India by notifications Nos. F. 10(1)/73-B.O. I(*i*) & (*ii*), dated March 16, 1973, issued in exercise of the powers conferred by Section 50 of the Reserve Bank of India Act, 1934, (2 of 1934). While the appointment of M/s. Dalal and Shah and M/s. P. K. Mitra and Co. was in place of M/s. A. F. Ferguson and Co. and M/s. Ray and Ray, respectively, M/s. Thakur Vaidyanath Aiyar and Co., and M/s. Suri and Co. were reappointed by the Government. In addition to the Bombay, Calcutta, Madras and New Delhi Offices, books of accounts at Byculla and Hyderabad Offices have been audited by the Bank's statutory auditors this year. The remuneration of the auditors has remained unchanged at Rs. 15,000/ per office.

Central Board

334. Shri P. N. Damry relinquished charge of office as Deputy Governor of the Bank with effect from the afternoon of the 15th March 1973 to take up the appointment as Secretary of the International Bank for Reconstruction and Development. The Board wishes to place on record its high appreciation of the valuable services rendered by Shri Damry during the period of his tenure as Deputy Governor for about six years.

335. Sarvashri Arvind N. Mafatlal, G. Basu, Kamaljit Singh and D.C. Kothari retired as Directors of the Central Board on the expiry of their terms of appointment on June 30, 1972. Sarvashri S. L. Kirloskar, Bhaskar Mitter, V. N. Puri and J. Ramdave Row who were nominated as Directors of Central Board under Section 8(1)(b) of the Reserve Bank of India Act, 1934 also retired on January 14, 1973. The Board wishes to place on record its appreciation of the services of the retired Directors.

336. Shri S. M. Joshi resigned his Directorship of the Central Board with effect from 1st September, 1972.

337. Shri N. C. Sen Gupta was nominated as a Director of the Central Board of the Bank under Section 8(1)(d) of the Reserve Bank of India Act, 1934 with effect from August 17, 1972 *vice* Shri A. Baksi.

338. Sarvashri M. P. Chitale and G. Parthasarthi, Dr. K. Kanungo and Dr. V. Kurien were nominated as Directors of the Central Board under Section 8(1)(c) of the Reserve Bank of India Act with effect from September 6, 1972. On reconstitution of Local Boards on February 23, 1973, Prof. M. L. Dantwala, Shri A. N. Haksar, Dr. Bharat Ram and Shri C. Ramakrishna were nominated as Directors of the Central Board under Section 8(1)(b) of the Reserve Bank of India Act to represent the Western, Eastern, Northern and Southern Area Local Boards, respectively.

339. Of the seven meetings of the Central Board held during the year, two were at Bombay and one each at Madras, Trivandrum, Calcutta, Ahmedabad and Srinagar. The Committee of the Central Board held 53 meetings, of which five were held in New Delhi and the rest in Bombay.

340. Dr. C. D. Datey and Dr. K. S. Krishnaswamy were appointed as Executive Directors of the Bank with effect from March 21, 1973.

Local Boards

341. The term of the office of the members of all the Local Boards of the Bank expired on January 14, 1973 and the Local Boards were reconstituted by the Government of India with effect from February 23, 1973 under the provision of Section 9(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934.

BANK'S PREMISES

New Office Premises

342. The construction of the diaphragm wall for the proposed multi-storeyed building in the Mint Compound at Bombay has been completed and the general building work in respect of the project is expected to commence towards the end of 1973. The construction of the main office building at Bangalore has been completed and departments which were hitherto housed in leased buildings have been shifted to the new premises.

Leased Premises for Office Use

343. With a view to meeting additional requirements of space the Bank has taken on lease a building very close to its Main Building at Bombay. Premises have also been taken on lease at Bhopal to open a Regional Office of the Department of the Banking Operations and Development.

Residential Quarters

344. Efforts are being continued to provide residential quarters, which are heavily subsidised, at various centres. During the period under review, the construction of 326 quarters (54 for Officers at Bangalore, 208 for clerical staff and 64 for subordinate staff at New Delhi) was completed. Construction of 654 quarters for clerical and subordinate staff, *viz.*, 332 at Calcutta, 104 at Nagpur and 218 at Kanpur is nearing completion and these are expected to be occupied shortly. With this the total number of quarters provided by the Bank will go up by 980 to 3,890 (588 for officers, 2,198 for clerical staff and 1,104 for subordinate staff). Further, the construction of 575 quarters (152 for officers at Bombay and 423 for clerical and subordinate staff at Madras and Calcutta) has been taken up and the work is in progress. Tenders for residential projects which will provide 491 quarters for clerical and subordinate staff at Bangalore, Bhubaneswar and Hyderabad have been invited and the construction work is expected to be taken up shortly. The projects for construction of 270 officers' quarters at Kanpur and New Delhi and 48 quarters for clerical staff at New Delhi are in the planning stage.

345. Steps are also being made to secure land for construction of quarters at centres where no plot has been secured or where the number of quarters provided is inadequate.

Employer-Employee Relations

Medical Facilities

346. A scheme for reimbursement of cost on account of private medical treatment taken by the workmen employees in Classes II, III, and IV and their family members has been introduced with retrospective effect from October 1, 1970. This scheme is supplementary to the existing medical facilities admissible to them. In terms of this scheme, any treatment taken from a Registered Medical Practitioner under any recognised system of medicines will qualify for reimbursement. A limit of Rs. 50/- p.a. has been fixed in the case of those who reside in the staff quarters where dispensary facilities are made available and of those residing outside the Staff Quarters who exercise their option to avail of the Bank's dispensary facilities in respect of their family members. Employees who opt to avail of private treatment in respect of their family members are entitled to reimbursement under the scheme @ Rs. 100/- p.a. The maximum amount can be accumulated for 3 years. The unutilised balance at the end of the third year will be carried over to the next three years' period subject to a maximum of Rs. 50/- or Rs. 100/- as the case may be. In the case of Class IV staff, this scheme is available to their family members (including dependent parents) residing at native place also.

RBI Officer Cadre Review Committee

347. In the last Annual Report, it was mentioned that the Bank had set up a Committee (known as Reserve Bank of India Officer-Cadre Review Committee) for reviewing the emolument structure, promotion policy, etc., of the officers of the Bank. The Committee submitted its Report to the Bank on 11th October 1972 and had made recommendations for revised scales of pay and allowances for officers, composition of cadres, inter-group mobility, grievance procedure, in-service training, etc. The Bank, after consideration of the various recommendations made by the Committee and in consultation with the Central Government (in the manner and to the extent required under Government's instructions in such circumstances), have taken decisions on some of the more important recommendations, relating to revision of scales of pay and allowances, grievance procedure and superannuation benefits. The other matters are under consideration.

Employees' Housing Loan Scheme

348. During the year under report Housing Loans were sanctioned as under :

	No. of Societies	Amount (Rs.)
A. New Co-operative Housing Societies	7	36,26,332
Additional loans to Co-operative Housing Societies already formed	8	9,26,034
		45,52,366

	No. of Employees	Amount (Rs.)
B. Individual members of Staff		
New Loans	211	35,44,680
Additional loans to Employees who had already availed of loans earlier	68	11,62,574
		47,07,254

349. The total amount of 'society' and 'individual' loans sanctioned since the introduction of the scheme in 1961 amounts to Rs. 3,72,79,977 and Rs. 1,60,78,888 respectively. In all 2,425 employees have availed themselves of this facility.

RESERVE BANK OF INDIA

Balance sheet as at 30th June, 1973

Issue Department

Liabilities	Rs. P.	Rs. P.	Assets	Rs. P.	Rs. P.
Notes held in the Banking Department . . .	36,45,28,788.00		Gold Coin and Bullion:—		
			(*a*) Held in India	182,53,07,821.82	
			(*b*) Held outside India	.....	
Notes in circulation .	5698,95,49,930.50		Foreign Securities	177,36,80,055.13	
Total Notes issued .		5735,40,78,718.50	Total		359,89,87,876.95
			Rupee Coin		8,38,06,402.14
			Govt. of India Rupee Securities		53,67,12,84,439.41
			Internal Bills of Exchange and other Commercial Paper		.....
Total Liabilities		**5735,40,78,718.50**	**Total Assets**		**5735,40,78,718.50**

BANKING DEPARTMENT

Liabilities	Rs. P.	Assets	Rs. P.
Capital Paid-up	5,00,00,000.00	Notes	36,45,28,788.00
Reserve Fund	150,00,00,000.00	Rupee Coin	9,48,063.00
National Agricultural Credit (Long-Term Operations) Fund	239,00,00,000.00	Small Coin	2,66,968.46
National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	85,00,00,000.00	Bills Purchased and Discounted:—	
National Industrial Credit (Long-Term Operations) Fund	205,00,00,000.00	(a) Internal	15,22,91,040.89
		(b) External	...
Deposits:—		(c) Government Treasury Bills	301,59,21,815.74
(a) Government :		Balances held abroad*	266,82,82,995.02
(i) Central Government	57,04,56,105.17	Investments**	540,20,49,769.16
(ii) State Governments	29,48,26,324.36	Loans and Advances to:—	
		(i) Central Government	...
(b) Banks :		(ii) State Governments@	39,88,00,000.00
(i) Scheduled Commercial Banks	537,70,49,336.10	Loans and Advances to:—	
(ii) Scheduled State Co-operative Banks	22,75,49,813.28	(i) Scheduled Commercial Banks†	140,54,20,000.00
(iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks	1,05,13,846.77	(ii) State Co-operative Banks‡	189,52,75,475.00
(iv) Other Banks	3,10,35,415.92	(iii) Others	11,32,75,000.00
		Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long-Term Operations) Fund	
(c) Others	207,69,34,439.69	(a) Loans and Advances to:—	
		(i) State Governments	66,41,05,471.13
Bills Payable	54,03,75,419.80	(ii) State Co-operative Banks	17,97,47,227.00
Other Liabilities	334,55,91,293.62	(iii) Central Land Mortgage Banks	...
		(iv) Agricultural Refinance Corporation	34,50,00,000.00
		(b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures	11,24,91,225.00
		Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	
		Loans and Advances to State Co-operative Banks	41,06,37,914.00
		Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long-Term Operations) Fund	
		(a) Loans and Advances to the Development Bank	129,09,35,519.00
		(b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank	...
		Other Assets	89,43,54,723.31
Total Liabilities	**1931,43,31,994·71**	**Total Assets**	**1931,43,31,994.71**

Contingent liability on partly paid shares Rs. 9,48,388.69 (Sterling Investments of £50,000 converted @ Rs. 100=£5.2721).

* Includes Cash, Fixed Deposits and Short-term Securities.

**(i) Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long-Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long-Term Operations) Fund.

(ii) Includes Rs. 5,17,39,176.19 (equivalent of £ 50,000/, U.S. $ 6,298,175 and D.M. 1,494,112.50 held abroad).

@Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long-Term Operations) Fund,

†Includes Rs. 31,30,00,000 advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17(4) (c) of the Reserve Bank of India Act.

‡Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long-Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.

J. X. LOBO,
Chief Accountant

Dated the 26th July, 1973.
133 G of I/73—20

S. JAGANNATHAN, Governor,
R. K. HAZARI, Deputy Governor.
V. V. CHARI, Deputy Governor.
S. S. SHIRALKAR, Deputy Governor.
R .K. SESHADRI. Deputy Governor.

Profit and Loss account for the year ended 30th June 1973

INCOME	Rs. P.
Interest, Discount, Exchange, Commission, etc.†	171,29,18,131.22
EXPENDITURE	
Establishment	22,89,24,841.34
Directors' and Local Board Members' Fees and Expense	66,520.16
Auditors' Fees	90,000.00
Rent, Taxes, Insurance, Lighting etc	1,07,82,931.00
Law Charges	2,89,496.64
Postage and Telegraph Charges	13,31,396.50
Remittance of Treasure	81,87,102.19
Stationery etc.	32,00,280.92
Security Printing (Cheque, Note Forms, etc.)	4,95,97,945.84
Depreciation and Repairs to Bank Property	1,03,67,923.13
Agency Charges	8,30,83,593.94
Contributions to Staff and Superannuation Funds	50,00,000.00
Miscellaneous Expenses	1,19,95,478.22
Net available balance	130,00,00,621.34
Total	**171,29,18,131.22**
Surplus Payable to the Central Government	130,00,00,621.34

Reserve Fund Account

By Balance on 30th June, 1973	150,00,00,000.00
By transfer from Profit and Loss Account	Nil
Total	**150,00,00,000.00**

†After making usual or necessary provisions in terms of Section 47 of the Reserve Bank of India Act.

S. JAGANNATHAN, Governor.
R. K. HAZARI, Deputy Governor.
V. V.CHARI, Deputy Governor.
S. S. SHIRALKAR, Deputy Governor.
R. K. SESHADRI, Deputy Governor.

J. X. LOBO,
Chief Accountant.

Report of the Auditors

TO THE PRESIDENT OF INDIA

We, the undersigned Auditors of the Reserve Bank of India, do hereby report to the Central Government upon the Balance Sheet and Accounts of the Bank as at 30th June, 1973.

We have examined the above Balance Sheet with the Accounts, Certificates and Vouchers relating thereto of the Central Office and of the Offices at Calcutta, Bombay (Fort), Madras, New Delhi, Hyderabad and Byculla (Bombay 8) and with the returns submitted and certified by the Managers of the other Offices and Branches, which Returns are incorporated in the above Balance Sheet, and report that where we have called for explanations and information from the Central Board such information and explanations have been given and have been satisfactory. In our opinion, the Balance Sheet is a full and fair Balance Sheet containing the particulars prescribed by and in which the assets have been valued in accordance with the Reserve Bank of India Act, 1934 and Regulations framed thereunder and is properly drawn up so as to exhibit a true and correct view of the state of the Bank's affairs according to the best of our information and the explanations given to us, and as shown by the Books of the Bank.

Messrs THAKUR VAIDYANATH AIYAS & Co.
Messrs SURI & Co.,
Messrs P. K. MITRA & Co.,
Messrs DALAL & SHAH.
} Auditors.

Dated the 26th July, 1973.

[No. F. 10/11/73-B. O. I]
D. M. SUKTHANKAR,
Director

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1974

का. आ. 359.—बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्द्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 10 उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (1) के उपबंध इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से एक वर्ष तक की अवधि के लिये उस सीमा तक इलाहाबाद बैंक, कलकत्ता पर लागू नहीं होंगे, जहां तक कि ये उपबन्ध उक्त बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, श्री. एस. डी. वर्मा के, कम्पनीज एक्ट, 1956 (1956 का 1) के अधीन पंजीकृत कम्पनी, अर्थात् उत्तर प्रदेश सीमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, चुर्क, मिर्जापुर का निदेशक बनने पर रोक लगाते हैं।

[सं. 15(1)-बी. ओ. 3/74]

New Delhi, 29th January, 1974

S.O. 359.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of section 10 of the said Act shall not apply to Allahabad Bank, Calcutta, for a period of one year from the date of this notification in so far as the said provisions prohibit Shri S. D. Varma, its Chairman and Managing Director, from being a director of the Uttar Pradesh State Cement Corporation Ltd., Churk, Mirzapur, being a company registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956).

[No. 15(1)-B.O.III/74]

का. आ. 360.—बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्द्वारा घोषणा करती है—

(क) कि उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखंड (1) और (2) के उपबन्ध इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से दो वर्ष तक की अवधि के लिये उस सीमा तक लागू नहीं होंगे, जहां तक उक्त उपबन्ध बैंक के अध्यक्ष एवम् प्रबन्ध निदेशक श्री एम. सेन. शर्मा का, दी इण्डस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड का निदेशक बनना इस लिये वर्जित करते हैं कि वह कम्पनीज एक्ट 1956 (1956 का 1) के अधीन एक पंजीकृत कम्पनी है, और

(ख) कि उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (3) के उपबन्ध इस अधिसूचना के जारी होने से दो वर्ष तक की अवधि के लिए उक्त बैंक पर उस सीमा तक लागू नहीं होंगे, जहां तक कि ये उपबन्ध उक्त बैंक द्वारा दी इण्डस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के शेयरों की धारकता को वर्जित करते हैं।

[सं. 15(35)-बी. ओ. 3/73.]

S.O. 360.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares (a) that the provisions of sub-clause (i) and (ii) of clause (c) of sub-section (1) of section 10 of the said Act shall not apply to United Bank of India, Calcutta, for a period of two years from the date of this notification, in so far as the said provisions prohibit Shri M. Sen Sarma, its Chairman and Managing Director, from being a director of the Industrial Credit and Investment Corporation of India Ltd., being a company registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956); and

(b) that the provisions of sub-section (3) of section 19 of the said Act shall not apply for a period of two years from the date of this notification to the above mentioned bank in so far as the said provisions prohibit the said bank from holding shares in the Industrial Credit & Investment Corporation of India Ltd.

[No. 15(35)-B. O. III/73]

का. आ. 361.—बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्द्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के उपबन्ध दी नेशनल एण्ड ग्रिण्डलेज बैंक लिमिटेड, कलकत्ता पर 5 नवम्बर, 1974 तक उस सीमा तक लागू नहीं होंगे, जहां तक कि उनका सम्बन्ध कलकत्ता स्टीम नेविगेशन कम्पनी लिमिटेड के शेयरों की उनकी धारकता से है।

[सं. 15(2)-बी. ओ. 3/74.]

मे. भा. उसगांवकर, अवर सचिव

S.O. 361.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-section (2) of section 19 of the said Act shall not apply to the National & Grindlays Bank Ltd., Calcutta, till the 5th November, 1974 in so far as they relate to its holdings in the shares of Calcutta Steam Navigation Company Ltd.

[No. 15(2)-B.O. III/74.]

M. B. USGAONKAR, Under Secy.

(राजस्व और बीमा विभाग)

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 1973

आय-कर

का. आ. 362.—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 194-क की उप-धारा 3 के खंड (3) के उप-खंड (च) के अनुसरण में, उक्त उपखंड के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को अधिसूचित करती है :

1. मैसर्स अमरतलाल रावजीभाई पारीख, अहमदाबाद।
2. मैसर्स अमरतलाल रावजीभाई पारीख, बड़ौदा।
3. मैसर्स अमरतलाल रावजीभाई पारीख, अनंद, और
4. मैसर्स अमरतलाल रावजीभाई पारीख, नाडियाड।

[सं. 499 (फा. सं. 275/102/72-आई टी जे)]

के. आर. राघवन, उप-सचिव

(Department of Revenue and Insurance)

New Delhi, the 16th November, 1973

INCOME-TAX

S.O. 362.—In pursuance of the sub-clause (f) of clause (iii) of sub-section 3 of Section-194-A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby

notifies the following persons for the purposes of the said sub-clause.

1. M/s. Amritlal Ravjibhai Parikh, Ahmedabad.
2. M/s. Amratlal Ravjibhai Parikh Baroda.
3. M/s. Amratlal Ravjibhai Parikh, Anand; and
4. M/s. Amratlal Ravjibhai Parikh, Nadiad.

[No. 499(F. No. 275/102/72-ITJ).]

K. R. RAGHAVAN, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 1973

आय-कर

का. आ. 363.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्न वर्णित संस्था को, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, विहित प्राधिकारी द्वारा, 1 अप्रैल, 1973 से 2 वर्ष के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (2) के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित किया गया है।

संस्था

महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड्स् कम्पनी लिमि., जलना।

[सं. 522 (फा. सं. 203/52/73-आई टी ए 2)]

New Delhi, the 17th December, 1973

INCOME-TAX

S.O. 363.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Indian Council of Agricultural Research, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 for a period of two years with effect from 1st April 1973.

INSTITUTION

MAHARASHTRA HYBRID SEEDS COMPANY LTD, JALNA

[No. 252/F. No. 203/52/73-ITA. II]

का. आ. 364.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्न वर्णित संस्था को, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 घ की उप-धारा (2) के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित किया गया है।

संस्था

एम. एन. दस्तूर एण्ड कम्पनी (प्रा.) लिमि. कलकत्ता।

[सं. 523 (फा. सं. 203/39/73-आई टी ए 2]

INCOME-TAX

S.O. 364.—It is hereby notified for general information that the concern mentioned below has been approved by the Central Board of Direct Taxes for the purposes of sub-section (2) of Section 35 D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961).

INSTITUTION

M. N. DASTUR AND COMPANY (P) LTD., CALCUTTA.

[No. 523 (F. No. 203/39/73-ITA. II)]

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 1973

आय-कर

का. आ. 365.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्न वर्णित संस्था को, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्, विहित प्राधिकारी, द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (3) के प्रयोजनों के लिये 1 अप्रैल, 1973 से तीन वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया है, किन्तु यह इस शर्त के अधीन रहते हुए होगा कि केन्द्र, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् को, इस छूट के अन्तर्गत प्राप्त की गई निधियों का लेखा और ऐसे अनुसंधान कार्यक्रम को जिनके लिए ऐसी निधियां उपयोग में लाई जाती हैं, उपवर्णित करते हुए, वार्षिक रिपोर्ट देगा।

संस्था

सैन्टर फार सोशल रिसर्च, मद्रास।

[सं. 524 (फा. सं. 203/42/73-आई. टी. ए. 2)]

New Delhi, the 20th December, 1973

INCOME-TAX

S.O. 365.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Indian Council of Social Science Research, the prescribed authority for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Sec. 35 of the Income-tax Act, 61 for a period of three years with effect from 1st April, 1973 subject however to the condition that the Centre shall submit to the Indian Council of Social Science Research, an Annual Report setting forth an account of the funds received under this exemption and the research programmes for which such funds are utilised.

Institution

CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH, MADRAS.

[No. 524 F. No. 203/42/73-ITA. II]

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 1973

आय-कर

का. आ. 366.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्न वर्णित संस्था को, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, विहित प्राधिकारी द्वारा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खण्ड (2) के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित किया गया है।

संस्था

महाराष्ट्र, एसोशिएशन फॉर दी कल्टिवेशन, आफ साइंस, ला कालेज रोड, पूना-4

[सं. 525 (फा. सं. 203/49/73-आई टी. ए. 2]

एम. के. पाण्डे, अवर सचिव

New Delhi, the 21st December, 1973

INCOME-TAX

S.O. 366.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Indian Council of Agricultural Research, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 for a period of two years with effect from 1st April, 1973.

INSTITUTION

MAHARASHTRA ASSOCIATION FOR THE CULTIVATION OF SCIENCE, LAW COLLEGE ROAD, POONA-4.

[No. 525 (F. No. 203/49/73-ITA. II)]

M. K. PANDEY, Under Secy.

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 1974

का. आ. 367.—जो कि केन्द्रीय सरकार का ख्याल है कि वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) में उच्च श्रेणी लिपिक श्री शानिलाल गुलियानी के विरुद्ध विभागीय जांच के प्रयोजनार्थ, जांच में उल्लिखित व्यक्तियों को साक्षी के तौर पर तलब करना अथवा उनसे दस्तावेज मंगाना जरूरी है,

अतः, अब, विभागीय जांच (साक्षियों की उपस्थिति और दस्तावेज प्रस्तुतीकरण का प्रवर्तन) अधिनियम 1972 (1972 का 18) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस मंत्रालय की 20 दिसम्बर 1972 की अधिसूचना संख्या 13013/1/70-प्रशा-1 (बी) का अतिक्रमण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) के अवर सचिव श्री टी. दत्त जांच अधिकारी को उपर्युक्त व्यक्तियों के सम्बंध में उक्त अधिनियम की धारा 5 में निर्दिष्ट शक्तियों के प्रयोग के लिए प्राधिकृत करती है।

[सं. फा. सं. सी 13013/1/70-प्रशा-1-बी]

सरस्वती रा. राव, उप-सचिव

New Delhi, the 8th January, 1974

S.O. 367.—Whereas the Central Government is of opinion that for the purposes of the departmental inquiry against Shri Shani Lal Guliani, Upper Division Clerk in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), it is necessary to summon as witnesses or call for any documents from the persons cited in the inquiry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Departmental Inquiries (Enforcement of Attendance of Witnesses and Production of Documents) Act, 1972 (18 of 1972), and in supersession of this Ministry's Notification No. 13013/1/70-Ad. IB dated 20th December, 1972, the Central Government hereby, authorises the inquiring authority, Shri T. Dutt, Under Secretary, Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) to exercise the power specified in section 5 of the said Act in relation to the person aforesaid.

[No. F. No. C 13013/1/70-Ad. IB.]

SARASWATHI R. RAO, Dy. Secy.

(केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड)

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 1974

सीमा-शुल्क

का. आ. 368.—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्य में महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम क्षेत्र, नागपुर को भांडागारण केन्द्र के रूप में घोषित करता है।

[सं. 7/74-सीमा-शुल्क/फा. सं. 473/175/73-सीमा-शुल्क 7]

के. संकररामन, अवर सचिव

(Central Board of Excise and Customs)

New Delhi, the 9th February, 1974

Customs

S.O. 368.—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby declares the Maharashtra Industrial Development Corporation Area, Nagpur, in the State of Maharashtra as a warehousing station.

[No. 7/74-Customs/F. No. 473/175/73-Cus. VII]

K. SANKARARAMAN, Under Secy.

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 22nd January, 1974

CORRIGENDA

S.O. 369.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Expenditure) No. S.O. 934, dated the 1st March, 1972, relating to the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972, published at pages 1397 to 1443 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 1st April, 1972,—

(a) at page 1418, in rule 76, in the marginal note, for "retiring Government servant for", read "retiring Government servant";

(b) at page 1433, in Form 11, in paragraph 2, in item (iv), for "unmarried widowed sisters", read "unmarried and widowed sisters".

[No. 6 (8)-E. V(A)/73.]

S. S. L. MALHOTRA, Under Secy.

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर 1973

(आय-कर)

का० आ० 370.—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और बोर्ड की अधिसूचना सं० 220 (फा० सं० 187/25/72 आई टी ए आई (तारीख 14/11-72 और सं० 246 (फा० सं० 187/25/72 आई० टी० (ए० आई०) ता० 22-11-72 में भागतः उपान्तरण करते हुए, भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 11 मई, 1973 के पृष्ठ 1454-1457 पर का० आ० 1293 के रूप में प्रकाशित और समय-समय पर यथा संशोधित अपनी अधिसूचना सं० 20 (फा० सं० 55/1/62-आई टी) तारीख 30-4-1963 से संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है।

I. क्रम सं० 10 और 10क के सामने स्तम्भ (1), (2) और (3) के नीचे विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी :—

आयकर आयुक्त	मुख्यालय	अधिकारिता
1	2	3
10 मैसूर-I	बंगलौर	1. सर्किल II बंगलौर 2. कम्पनी सर्किल, बंगलौर 3. विशेष सर्वेक्षण सर्किल बंगलौर 4. वेतन सर्किल, बंगलौर 5. मैसूर सर्किल, मैसूर 6. मंगलौर सर्किल, मंगलौर 7. उडीपी सर्किल, उडीपी 8. कुर्ग सर्किल, मरकारा 9. मण्डया सर्किल, मण्डया 10. हसन सर्किल, हसन 11. चिकमागलुर सर्किल, चिकमागलुर 12. बेलगांव सर्किल बेलगांव

1	2	3
		13. पणजी सर्किल, पणजी
		14. मारगाओ सर्किल, मारगाओ
		15. करवाड़ सर्किल, करवाड़
		16. बीजापुर सर्किल, बीजापुर
		17. बागलकोट सर्किल, बागलकोट
		18. संपदा शुल्क एवम् आय-कर सर्किल बंगलौर
		19. संपदा शुल्क एवम् आय-कर सर्किल, मंगलौर
		20. संपदा शुल्क एवम् आय-कर सर्किल, हुब्ली
10क मैसूर II	बंगलौर	1. सर्किल–I बंगलोर
		2. न्यास सर्किल एवम् विदेश अनुभाग बंगलौर
		3. कोलार सर्किल, कोलार
		4 टुमकर सर्किल, टुमकर
		5. चित्रदुर्ग सर्किल, चित्रदुर्ग
		6. दावनगेर सर्किल, दावनगेर
		7. शिमोगा सर्किल, शिमोगा
		8. ग्ली सर्किल, हुगली
		9. धारवाड़ सर्किल, धारवाड़
		10. गदग सर्किल, गदग
		11. दायचुर सर्किल, रायचुर
		12. गुलबर्गा सर्किल, गुलबर्गा
		13. होसपेट सर्किल, होसपेट
		14. बेलरी सर्किल, बेलरी

यह अधिसूचना 15 दिसम्बर 1973 से प्रभावी होगी।

[सं० 517 (फा० सं० 187/25/72–आई टी (ए आई)]

बी० बी० श्रीनिवासन, अवर सचिव

(Central Board of Direct Taxes)

New Delhi, the 13th December, 1973

INCOME TAX

S.O.370—In the exercise of the the powers conferred by sub-section (1) of Section 121 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in partial modification of Board's notification No. 220 (F. No. 187/25/72-IT (AI) dated 14-11-72 and No. 246 (F. No. 187/25/72 -IT (AI) dated 22-12-1972 the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments to the Schedule appended to its notification No. 20(F. No. 55/1/62 -IT) dated 30-4-1963 published as S.O. 1293 on pages 1454—1457 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) dated the 11th May, 1963 as amended from time to time.

I. Existing entries under Col. (1), (2) and (3) against Sl. Nos. 10 and 10A shall be substitued by the following entries.

Income-tax Comissioners	Head-quarters	Jurisdiction
1	2	3
10 Mysore-I	Bangalore	1. Circle-II, Bangalore.
		2. Company Circle, Bangalore.
		3. Special Survey Circle Bangalore.
		4. Salary Circle, Bangalore.
		5. Mysore Circle, Mysore.
		6. Mangalore Circle, Mangalore.
		7. Udipi Circle, Udipi.
		8. Coorg Circle, Mercara.
		9. Mandya Circle, Mandya.
		10. Hasan Circle, Hasan.
		11. Chickmagalur Circle, Chickmagalur.
		12. Belgaum Circle, Belgaum.
		13. Panaji Circle, Panaji.
		14. Margao Circle, Margao.
		15. Karwar Cricle, Karwar.
		16. Bijapur Circle, Bijapur.
		17. Bagalkot Circle, Bagalkot.
		18. Estate Duty cum Income-tax Circle, Bangalore.
		19. Estate Duty cum Income-tax Circle, Mangalore.
		20. Estate Duty cum Income-tax Circle, Hubli.
10A Mysore II	Bangalore	1. Circle-I, Bangalore.
		2. Trust Circle cum Foreign Section, Bangalore.
		3. Kolar Circle, Kolar.
		4. Tumkur Circle, Tumkur.
		5. Chitradurga Circle, Chitradurga.
		6. Davangere Circle, Davangere.
		7. Shimoga Circle Shimoga.
		8. Hubli Circle, Hubli.
		9. Dharwar Circle, Dharwar.
		10. Gadag Circle, Gadag.
		11. Raichur Circle, Raichur.
		12. Gulbarga Circle, Gulbarga.
		13. Hospet Circle, Hospet.
		14. Bellary Circle, Bellary.

This Notification shall have effect from 15th December, 1973.

[No. 517 (F No. 187/25/72 IT (AI)]

V. B. SRINIVASAN. Under Secy

आयकर आयुक्त का कार्यालय, केरल

कोचीन, 26 दिसम्बर, 1973

आयकर

का० आ० 371.—आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 287 की उपधारा (1) एवं वित्त मंत्रालय (राजस्व तथा बीमा विभाग), भारत सरकार के आदेश एफ० सं० 16/202/67-ऐ टी बी, दिनांक 25 मार्च, 1969 के अनुसार, मैं निम्नलिखित कर दाताओं के नाम प्रकाशित करता हूं।

(अ) जिन पर व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त परिवार होने से, एक लाख रुपये से अधिक आय पर निर्धारित किया गया है [नाम संलग्न अनुसूची (1) में हैं]

(आ) जिन पर फर्म या व्यक्तियों का संगम या कंपनी होने से, दस लाख रुपये से अधिक आय पर निर्धारित किया गया है [नाम संलग्न अनुसूची (2) में हैं]

अनुसूची—1

1972-73 के वित्तीय वर्ष में एक लाख रुपये से अधिक आय पर करवाना व्यक्तियों और हिन्दू अविभक्त परिवार के नाम।

क्रम संख्या	नाम और पता	स्थिति	निर्धारण वर्ष	आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार निर्धारित किया गया आय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	सर्वश्री			रुपए
1.	टी० अस्माबी, मुहम्मद अशरफ एण्ड कं०, कोचीन-2	व्यक्ति	1972-73	1,40,100
2	अहम्मद उस्मान अबाद फिशेरीस, कोचीन-2	व्यक्ति	1970-71	1,56,670
3.	डी० आन्द्रूस, फोरीन टेक्नीशियन, एफ. ए. सी. टी. इंजिनियरिंग और डिजैन ओरगनैजेशन से प्रतिनिधित्व	व्यक्ति	1972-73	2,15,140
4.	अन्नम्मा पाल, पेरिन्चेरी, ट्रिच्यूर	व्यक्ति	1972-73	1,01,000
5.	के० जी० भास्करन, एक्सेस कोण्ट्राक्टर, एरणाकुलम	व्यक्ति	1970-71	1,25,800
6.	ए० पी० ब्रौन, फोरीन टेक्नीशियन, एफ. ए. सी. टी. इंजिनियरिंग और डिजैन ओरगनैजेशन से प्रतिनिधित्व	व्यक्ति	1972-73	2,11,130
7.	पी बरलन पिल्लै, एथ्याटिक एक्सपोर्ट एन्टरप्रैसेस, कोल्लम	व्यक्ति	1972-73	1,20,820
8.	एम० पी० भास्करन, हिल प्रोड्यूस एण्ड काष्यू कं०, नेडुमंगाड	व्यक्ति	1970-71	1,17,480
9.	एफ० कोल्लीस, द्वारा मे० कोल्लीस लाइन्स (प्रा०) लिमिटेड, कोचीन-3	व्यक्ति	1970-71	1,07,970
10.	जे० क्रेडलान्ड, फोरीन टेक्नीशियन, एफ. ए. सी. टी. इंजिनियरिंग एण्ड डिजैन ओरगनैजेशन से प्रतिनिधित्व	व्यक्ति	1972-73	2,11,130
11.	ए० डब्ल्यू० जै० केप्स, कोरट्टी	व्यक्ति	1972-73	1,87,780
12.	के० एम० चेरियान, मलयालममनोरमा, कोट्टयम	व्यक्ति	1972-73	1,09,770
13.	डारमेल कार्ने एरहार्ड, टेक्नीशियन, एफ. ए. सी. टी. इंजिनियरिंग एण्ड डिजैन ओरगनैजेशन से प्रतिनिधित्व	व्यक्ति	1972-73	2,12,550
14.	के० देवयानि अम्मा, जूप्पिटर काष्यू कं०, कोल्लम	व्यक्ति	1972-73	1,09,590
15.	बी० एम० एडवार्ड, मेसर्स इण्डिया सी फूड, कोच्चीन-5	व्यक्ति	1970-71	1,39,690
16.	के० जे० फ्रान्सीस, ट्रिच्चूर	व्यक्ति	1971-72	1,83,400
17.	जे० ई० फोरब्स, कोरट्टि	व्यक्ति	1972-73	1,91,190
18.	जोर्ज पाल पुतुरान, मारकेट रोड, एरणाकुलम	व्यक्ति	1970-71	1,41,360
19.	स्वर्गीय श्री पी० गोविन्द मेनोन के विधिक वारिस, एरणाकुलम	व्यक्ति	1970-71	1,50,160
20.	ऐ० वी० गोविन्दन, ट्रिच्चूर	व्यक्ति	1972-73	1,12,300
21.	जे० एफ० आर० ग्रिफिल्स, कोरट्टी	व्यक्ति	1972-73	2,04,030
22.	एन० गोविन्द पिल्लै, मेसर्स एन० गोविन्द पिल्लै, जनरल मरचैन्ट्स, कोट्टयम	व्यक्ति	1972-73	1,12,280
23.	गौरी पार्वती बाई, 6 प्रिन्सेस, कौडियार पालस, तिरुवनन्तपुरम	व्यक्ति	1972-73	1,29,730
24.	गौरी लक्ष्मी बाई, 8 प्रिन्सेस, कौडियार पालस, तिरुवनन्तपुरम	व्यक्ति	1972-73	1,71,670
25.	जी० आर० हैडे, एच० एण्ड सी, कोच्चीन-3	व्यक्ति	1972-73	1,00,800

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
26.	पी० जी० एस० हाल, मलयालम प्लान्टेशन्स, कोच्चीन-3	व्यक्ति	1972-73	1,56,670
27.	हारवार्ड ई० लिकिन्स, टेक्नीशियन, एफ. ए. सी. टी. इंजिनियरिंग एण्ड डिजैन ओरगनैज़ेशन से प्रतिनिधित्व	व्यक्ति	1972-73	1,34,450
28.	--वही--	व्यक्ति	1972-73	1,13,400
29.	जी० सी० होपकिन्स, टेक्नीशियन, एफ. ए. सी. टी. इंजिनियरिंग एण्ड डिजैन ओरगनैज़ेशन से प्रतिनिधित्व	व्यक्ति	1972-73	2,39,620
30.	वी० टी० जोसफ, ग्रलिशेरी बंगली, कुल्लेल रोड, ग्रालप्पी	व्यक्ति	1970-71	2,25,500
31.	टी० एम० जोसफ, जोर्ज मायजो एण्ड कं०, कोच्चीन-5	व्यक्ति	1970-71	1,01,300
32.	जोन फोर्ड, टेक्नीशियन, एफ. ए. सी. टी. इंजिनियरिंग एण्ड डिजैन ओरगनैज़ेशन से प्रतिनिधित्व	व्यक्ति	1972-73	2,44,670
33.	जोस पाल पेरिन्चेरी, ट्रिच्चूर	व्यक्ति	1972-73	1,11,210
34.	जोन इनोक, वेस्टेण मेडिकल स्टोर्स, कोल्लम	व्यक्ति	1972-73	1,66,990
35.	एस० कुमारस्वामी रेड्डियार, ग्रालप्पी	व्यक्ति	1961-62	2,14,130
			1962-63	2,50,280
			1963-64	1,94,760
			1964-65	2,02,990
			1965-66	2,12,280
36.	कुरियन ग्रब्रहाम, ऊप्पूट्टिल हाऊस, कोट्टयम	व्यक्ति	1967-68	1,88,060
37.	ए० के० कावरकुट्टि, पल्लिकन बंगली, तलश्शेरी	व्यक्ति	1971-72	1,94,020
38.	--वही--	व्यक्ति	1972-73	1,75,360
39.	के० कोच्चुकृष्णन नायर, गीता ग्राटोमोबैल्स, कालिकट	व्यक्ति	1972-73	1,18,650
40.	पी० एम० कुमारन, साधु बीडी डिपोट, कण्णूर	व्यक्ति	1970-71	3,56,980
41.	ए० जे० लोपेस, द्वारा मेसर्स के० जे० लोपेस एण्ड सन्ज़, एरणाकुलम	व्यक्ति	1971-72	1,09,290
42.	लक्ष्मीबाई, 1 प्रिन्सेस, कौडियार पालस, तिरुवनन्तपुरम	व्यक्ति	1972-73	1,51,800
43.	पी० लक्ष्मणन पिल्लै, लक्ष्मणन एण्ड कंपनी, कोल्लम	व्यक्ति	1972-73	1,32,980
44.	मोहम्मद हुसैन उस्मान, ग्रबाद फिशेरीस, कोच्चीन-2	व्यक्ति	1970-71	1,03,757
45.	ग्रार० माधवन नायर, द्वारा: कोच्चीन कं० (प्रा०) लिमिटेड, एरणाकुलम	व्यक्ति	1972-73	1,19,780
46.	मैकल डन्स्टर, टेक्नीशियन, एफ. ए. सी. टी. इंजिनियरिंग एण्ड डिजैन ओरगनैज़ेशन से प्रतिनिधित्व	व्यक्ति	1972-73	1,12,040
47.	एम० पी० मूतेडत्, पोरण्णूर	व्यक्ति	1963-64	1,19,030
48.	एस० डब्ल्यू० मेतेरेल, कोरट्टि	व्यक्ति	1972-73	1,93,460
49.	श्री के० एस० मेनोन, द्वारा मे० गीता एन्टरप्रैसेस, कुट्टिपुरम	व्यक्ति	1970-71	2,79,390
50.	श्री ए० पी० मोहम्मद हाजी, पयनीय ग्रोटोमोबैल्स, कालिकट्	व्यक्ति	1962-63	2,34,820
51.	मिसिस. पी० नीलकण्ड मेनोन, एरणाकुलम	व्यक्ति	1970-71	3,01,850
52.	डी० ई० मील, मलयालम प्लान्टेशन्स, कोच्चीन-3	व्यक्ति	1972-73	1,65,530
53.	पी० नीलकण्ड मेनोन, एरणाकुलम	व्यक्ति	1970-71	3,48,320
54.	नारयणन भरतन, यूनियन काप्यू मानुफैक्चरिंग कं०, कोल्लम	व्यक्ति	1972-73	1,12,750
55.	सी० एन० नंबूदतिरी, प्रोप० धन्वन्धरी वैद्यशाला, तोडुपुषा	व्यक्ति	1972-73	1,02,410
56.	श्री के० ऐ० पावुन्नि, द्वारा ए० सी० स्टोरस, एरणाकुलम.	व्यक्ति	1972-73	1,46,440
57.	के० पौलोस, कोण्ट्राक्टर, कडयिरिप्पु,	व्यक्ति	1970-71	2,83,010
58.	पी० पद्मनाभन्, प्रोप० प्रताप इन्डस्ट्रीज, तिरूर	व्यक्ति	1970-71	3,17,240
59.	श्री सी० प्रभाकरन्, श्री सी० कोरू के विधिक वारिस, द्वारा ट्रान्सपोर्ट्म, कालिकट	व्यक्ति	1968-69	1,29,750
60.	डी० पुरुषोत्तम कम्मत, मे० सदानन्द पै एण्ड कं०, तलश्शेरी	व्यक्ति	1972-73	1,74,700
61.	एम० फिलिप, यम्ना एन्टरप्रैसेस, कुमारपुरम, तिरुवन्तपुरम	व्यक्ति	1970-71	1,03,040
62.	ए० सी० राघव मेनोन, कोच्चीन-3	व्यक्ति	1971-72	1,16,020
			1972-73	1,06,490
63.	ग्रार० रंगस्वामी, जनरल मरचन्ट, कालिकट्	व्यक्ति	1972-73	1,22,950
64.	राम वर्मा, 1 प्रिन्सेस, कौडियार, पालस, तिरुवनन्तपुरम	व्यक्ति	1972-73	2,44,010
65.	राम वर्मा, पूर्व महाराजा ट्रावन्कूर, कौडियार पालस, तिरुवनन्तपुरम	व्यक्ति	1970-71	26,64,700
66.	सी० राधामणी, यूनियन काप्यू कं०, कोल्लम	व्यक्ति	1972-73	1,11,700

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
67	पी० राघवन पिल्लै, मेसर्स के० परमेश्वरन पिल्लै, कोल्लम	व्यक्ति	1972-73	1,14,080
68.	के० रवीन्द्रनाथन नायर, काएर एक्सपार्टस, कालिकट	व्यक्ति	1970-71	11,88,180
			1971-72	7,24,210
69.	एन० राजिका देवी, मेसर्स लक्ष्मण एण्ड कं०, क्विलम	व्यक्ति	1972-73	1,03,780
70	जे० के० गीतरत्नाल्ड, मैफील्ड एस्टेट, नीलगिरीस	व्यक्ति	1972-73	1,23,410
71	पी० पी० शरफ, पार्टनर, शरफ ट्रेडिंग कारपोरेशन, कोच्चीन-3	व्यक्ति	1970-71	1,53,570
			1964-65	1,32,250
			1966-67	1,01,730
			1967-68	1,19,610
			1968-69	1,20,320
72	पी० मोहम्मद अली, कोच्चीन-3	व्यक्ति	1970-71	1,00,900
73	पी० एम० शहीदा, श्री इब्राहीम सूफी के पत्नी, तलनारा बेस्ट, कालिकोट	व्यक्ति	1970-71	3,10,430
74	पी० सामुएल चारलेस, वारा/हिन्दुस्तान चेना क्ले वर्क्स, पारप्पनिंगडेरी, कण्णूर	व्यक्ति	1968-69	1,13,020
75	पी० एम० शान्ता कुमारी, साधु बीडी डिपोट, कण्णूर	व्यक्ति	1970-71	2,56,540
76	पी० गोपालिरी भट, मेसर्स एम० वासुदेव भट, चन्दनेरी	हिं० अ० कु०	1972-73	1,28,020
77	पी० वेणुगोपाल पिल्लै, इण्डियन नट्स प्रोडक्ट्स, कोल्लम	व्यक्ति	1972-73	1,05,660
78.	श्रीकुमार, मेसर्स पायिलकरा एन्टरप्राइसेस, कोल्लम	व्यक्ति	1972-73	1,08,660
79.	एस० पार्वती बाई, कोटियार पालस, तिरुवनन्तपुरम	व्यक्ति	1972-73	3,26,600
80	शिवरामकृष्ण अय्यर, एम०, श्रीपति, पटटम, तिरुवनन्तपुरम	व्यक्ति	1971-72	1,10,240
81	इवेन जॉर्ज फोरीन टेक्नीशियन, एफ.ए.सी.टी. इंजिनियरिंग एण्ड डिजैन ऑरगनैजेशन के प्रतिनिधित्व	व्यक्ति	1972-73	1,81,280
82	के० टी० मोसेस, ब्रैड हाउस, नैल्लिकोड, कोषिकोड	व्यक्ति	1970-71	2,77,400
83.	एम० नाए पिल्लै, मरचन्ट, चालै, तिरुवनन्तपुरम	व्यक्ति	1972-73	1,03,820
84.	एम० एम० उल्लारिकुट्टि, मरचन्ट, चेरूट्टि रोड, कालिकट्	व्यक्ति	1970-71	1,53,870
85.	जी० उदयदेवी यूनियन काप्पु कं०, कोल्लम	व्यक्ति	1972-73	1,14,970
86	टी० पी० उषा, नाल्लि निवास, कोच्चुपिलामुड, कोल्लम	व्यक्ति	1972-73	2,34,750
87	वी० के० शिवागिनि अम्मा, एरणाकुलम	व्यक्ति	1971-72	1,29,480
88	अरवी एण्टप्पचन, कोण्ट्रक्टर, पेरुम्बावूर	व्यक्ति	1970-71	1,14,050
89	एम० के० वेल्लाडी "सन्दे" 3, कोल्लम रोड, किलपाक, मद्रास-10	व्यक्ति	1967-68	1,33,490
90	डा० के० ओ० वर्गीस, चिल्ड्रन्स स्पेशलिस्ट, कोट्टयम	व्यक्ति	1970-71	1,02,160
91	पी० जे० वीवेर्स, एच० एण्ड सी, कोच्चीन	व्यक्ति	1972-73	1,17,190
92.	मिसिस ई० टी० विटाकेर, मलयालम प्लान्टेशन्स, कोच्चीन-3	व्यक्ति	1972-73	1,21,430
93	श्रीमती पी० रेणोधा, साधु बीडी डिपोट कण्णूर	व्यक्ति	1970-71	2,51,910
94	बेरिया, अब्राहम फिलेमोन, कोच्चीन-2	व्यक्ति	1970-71	1,00,910

अनुसूची-2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	दि काप्पु कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, कोच्चीन-11	कंपनी	1971-72	73,50,740
2.	--वही--	--वही--	1972-73	2,21,65,660
3	कोच्चीन रिफैनरीज, अम्बल मुगल, एरणाकुलम	--वही--	1970-71	32,55,720
4	को-आपरेटिव ही सोसैटी लि०, कालिकट्	--वही--	1967-68	10,66,150
5.	--वही--	--वही--	1968-69	12,74,010
6	हारिसन्ज एण्ड क्रोसफील्ड, कोच्चीन-3	फोरीन कंपनी	1970-71	35,57,320
7.	केरला अग्रो इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन, तिरुवनन्तपुरम	कंपनी	1972-73	13,36,560
8	मलयालम प्लान्टेशन्स लि०, कोच्चीन-3	फोरीन कंपनी	1970-71	27,44,130
9	पडिक्कार रेबरा एजेन्सीस, (प्रा०) लि०, कोट्टयम	कंपनी	1970-71	10,05,220
10	प्रीमियर कोट्टण स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, पालघाट	वही	1972-73	10,52,380
11	मेसर्स साधु बीडी डिपोट, कण्णूर	रजिस्टर्ड फर्म	1970-71	14,19,020

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12.	स्टेट बैंक आफ् ट्रावन्कूर, तिरुवनन्तपुरम	कंपनी	1972-73	38,51,780
13.	ट्रावन्कूर केमिकल्स एण्ड मेनुफेक्चरिंग कं० लिमिटेड	कंपनी	1970-71	20,75,020
14.	मेसर्स नेरमो इलक्ट्रिक एक्युपमेंट कं०, त्रिपूणित्तुरा	फर्म	1964-65	10,06,010
15.	ट्रावन्कूर टैटानियम प्रोडक्टस्, केरली तिरुवनन्तपुरम	कंपनी	1972-73	84,53,470
16.	युनैटिड् इलक्ट्रिकल इन्डस्ट्रीज लि० कोल्लम	कंपनी	1972-73	12,44,220
17.	वेस्टेण इण्डियन प्लैवुड्स लि० बलियपट्टम	कंपनी	1972-73	33,34,360

[सी० सं० 10/बी/टेक/ए/73-74(1)]

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME TAX, KERALA

Cochin, the 26th December, 1973

INCOME-TAX

S. O. 371.—In pursuance of sub Section (1) of Section 287 of the Income-tax Act, 1961(43 of 1961) and in pursuance of the Order F. No. 16/202/67-ITB dated 25th March, 1969 of the Ministry of Finance. (Department of Revenue and Insurance), Government of India, I hereby publish the name of the assessees:—

(a) being the Individuals or Hindu Undivided Families, who have been assessed on an income of more than one lakh of rupees, in Schedule I appended hereto;

(b) being Firms, Association of persons or Companies who have been assessed on an income of more than 10 lakhs of rupees, in Schedule II appended hereto;

SCHEDULE

Names of all Individuals and Hindu Undivided Families assessed on an Income over Rs. 1 lakh in the financial year 1972-73

Sl. No.	Name and address	Status	Assessment year	Income assessed under the I.T. Act, 1961
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	S/Shri			
1.	T. Asmabi, Mohammed Ashraf & Co., Cochin-2.	Ind.	1972-73	1,40,100
2.	Ahammed Usman, Abad Fisheries, Cochin-2.	Ind.	1970-71	1,56,670
3.	D. Andrews, Foreign Technician R. By FACT Engg. & Design Organisation.	Ind.	1972-73	2,15,140
4.	Annama Paul, Perincheri, Trichur.	Ind.	1972-73	1,01,000
5.	K.G. Bhaskaran, Excise Contractor, Ernakulam.	Ind.	1970-71	1,25,800
6.	A.P. Brown, Foreign Technician R. By FACT Engg. & Design. Organisation.	Ind.	1972-73	2,11,130
7.	P. Bharathan Pillai, Asiatic Export Enterprises, Quilon.	Ind.	1972-73	1,20,820
8.	M.P. Bhaskaran, Hill Produce & Cashew Co., Nedumangad.	Ind.	1970-71	1,17,480
9.	F.Collies, C/o. M/s. Collis Lines (p) Ltd., Cochin-3.	Ind.	1970-71	1,07,970
10.	J. Crelland, Foreign Technician, R. By FACT Engg. & Design Organisation.	Ind.	1972-73	2,11,130
11.	A.W.J. Capes, Koratty.	Ind.	1972-73	1,87,780
12.	K.M. Cherian, Malayalamanorama, Kottayam.	Ind.	1972-73	1,09,770
13.	Darmel Carl Erhard, Technician R. By FACT Engg. & Design Organisation.	Ind.	1972-73	2,12,550
14.	K. Devayani Amma, Jupitar Cashew Co., Quilon.	Ind.	1972-73	1,09,590
15.	B.M. Edward, M/s. India Sea Food, Cochin-5.	Ind.	1970-71	1,39,690
16.	K.J. Francis, Trichur.	Ind.	1971-72	1,83,400
17.	J.E. Forbes, Koratty.	Ind.	1972-73	1,91,190
18.	George Paul Puthuran, Market Road, Ernakulam.	Ind.	1970-71	1,41,360
19.	Legal heirs of late Sri P. Govinda Menon, Ernakulam.	Ind.	1970-71	1,50,160
20.	I.V. Govindan, Trichur.	Ind.	1972-73	1,12,360
21.	J.F.R. Griffiths, Koratty.	Ind.	1972-73	2,04,030
22.	N. Govinda Pillai, M/s. N. Govinda Pillai, General Merchants, Kottayam.	Ind.	1972-73	1,12,280
23.	Gouri Parvathi Bai, 6th Princess, Kowdiar Palace, Trivandrum.	Ind.	1972-73	1,29,730
24.	Gouri Lakshmi Bai, 8th Princess, Kowdiar Palace, Trivandrum.	Ind.	1972-73	1,71,670

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
25.	G.R. Hyde, H. & C Cochin-3.	Ind.	1972-73	1,00,800
26.	P.G.S. Hall, Malayalam Plantations, Cochin-3.	Ind.	1972-73	1,56,670
27.	Harward E. Likins, Technician, R. /By FACT Engg. & Design Organisation.	Ind.	1972-73	1,34,450
28.	-do-	Ind.	1972-73	1,13,400
29.	G.C. Hopekins, Technician, R./By FACT Engg. & Design Organisation.	Ind.	1972-73	2,39,620
30.	V.T. Joseph, Alissery Bangalow, Kullen Road, Alleppey.	Ind.	1970-71	2,25,500
31.	T.M. Joseph, George Maijo & Co. Cochin-5.	Ind.	1970-71	1,01,300
32.	John Ford, Technician, R/By FACT Engg. & Design Organisation.	Ind.	1972-73	2,44,670
33.	Jose Paul Perincheri, Trichur.	Ind.	1972-73	1,11,210
34.	John Enoch, Western Medical Stores, Quilon.	Ind.	1972-73	1,66,990
35.	S. Kumaraswamy Reddiar, Alleppey	Ind.	1961-62	2,14,130
			62-63	2,50,280
			63-64	1,94,760
			64-65	2,02,990
			65-66	2,12,280
36.	Kurian Abraham, Goppottil House, Kottayam.	Ind.	1967-68	1,88,060
37.	A.K. Kaderkutty, Pallicoon Bungalow, Tellicherry.	Ind.	1971-72	1,94,020
38.	-do-	Ind.	1972-73	1,75,360
39.	K. Kochukrishnan Nair, Geetha Automobiles, Calicut.	Ind.	1972-73	1,18,650
40.	P.M. Kumaran, Sadhoo Beedi Depot., Cannanore.	Ind.	1970-71	3,56,980
41.	A.J. Lopez, C/o M/s. K.J., Lopez & Sons, Ernakulam.	Ind.	1971-72	1,09,290
42.	Lakshmi Bai, Ist Princes, Kowdiar Palace, Trivandrum.	Ind.	1972-73	1,51,800
43.	P. Lakshmanan Pillai, Lakshman and Co., Quilon.	Ind.	1972-73	1,32,980
44.	Mohammed Hashim Osman, Abad Fisheries, Cochin-2	Ind.	1970-71	1,03,757
45.	R. Madhavan Nair, C/o Cochin Co,, (P) Ltd., Ernakulam	Ind.	1972-73	1,19,780
46.	Michael Dunster, Technician R/By FACT Engg. & Design Organisation.	Ind.	1972-73	1,12,040
47.	M.P. Moothedath, Shoranur.	Ind.	1963-64	1,19,030
48.	S.W. Metherell, Koratty.	Ind.	1972-73	1,93,460
49.	Sri K.S. Menon, C/o. M/s. Geetha Enterprises, Kuttipuram.	Ind.	1970-71	2,79,390
50.	Sri A.P. Mohammed Haji, Pioneer Automobiles, Calicut.	Ind.	1962-63	2,34,820
51.	Mrs. P. Neelakanto Menon, Ernakulam.	Ind.	1970-71	3,01,850
52.	D.E. Neale, Malayalam Plantations, Cochin-3.	Ind.	1972-73	1,65,530
53.	P. Neelaknata Menon, Ernakulam	Ind.	1970-71	3,48,320
54.	Narayanan Bharathan, Union Cashew Manufacturing Co., Quilon.	Ind.	1972-73	1,12,750
55.	C.N. Nambudiri, Prop. Dhanwantheri Vaidyasala, Thodupuzha.	Ind.	1972-73	1,02,410
56.	K.I. Pavunny, C/o A.C. Stores Ernakulam.	Ind.	1972-73	1,46,440
57.	K.P. Poulose, Contractor, Kadayirippu.	Ind.	1970-71	2,83,010
58.	P. Padmanabhan, Prop. Pratap Industries, Tirur.	Ind.	1970-71	3,17,240
59.	Sri C. Prabhakaran, Legal heir of Sri C. Koru, C/o C.C. Transports, Calicut.	Ind.	1968-69	1,29,750
60.	L. Purushothama Kamath, M/s. Sadanada Pai & Co., Tellicherry.	Ind.	1972-73	1,74,700
61.	M. Philip, Young Enterprises, Kumarapuram, Trivandrum.	Ind.	1970-71	1,03,040
62.	A.C. Raghava Menon, Cochin-3.	Ind.	1971-72	1,16,020
			1972-73	1,06,490
63.	R. Rangaswamy, General Merchant, Calicut.	Ind.	1972-73	1,22,950
64.	Rama Varma, Ist Prince, Kowdiar Palace, Trivandrum.	Ind.	1972-73	2,44,010
65.	Rama Varma Formerly Maharaja of Travancore, Kawdiar Palace Trivandrum.	Ind.	1970-71	26,64,700
66.	C. Radhamoni, Union Cashew Co., Quilon.	Ind.	1972-73	1,11,700
67.	P. Raghavan Pillai, M/s. K. Parameswaran Pillai, Quilon.	Ind.	1972-73	1,14,080
68.	K. Raveendranathan Nair, Cashew Exports, Quilon.	Ind.	1970-71	11,88,480
			1971-72	7,24,240
69.	N. Radhika Devi, M/s. Lakshman & Co., Quilon.	Ind.	1972-73	1,03,780
70.	J.J. Southerland, Mayfiled Estate, Nilgiris	Ind.	1972-73	1,23,440
71.	V.G. Saraf, Partner Saraf Trading Corporation, Cochin-3	Ind.	1970-71	1,53,570
			1964-65	1,32,250
			1966-67	1,01,730
			1967-68	1,19,610
			1968-69	1,20,320

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
72.	P. Solamon Abrao, Cochin-3.	Ind.	1970-71	1,00,900
73.	P.M. Saheeda W/o Sri Ebrahim Soofi, Thalangara West, Kasargod.	Ind.	1970-71	3,10,430
74.	C. Samuel Aron C/o Hindustan China Clay Works, Pappinissery, Cannanore.	Ind.	1968-69	1,13,020
75.	P.M. Santha Kumari, Sadoo Beedi, Depot., Cannanore	Ind.	1970-71	2,56,540
76.	V. Seshagiri Bhat, M/s. S. Vasudeva Bhat, Tellicherry.	HUF	1972-73	1,28,020
77.	P. Sathughanan Pillai, Indian Nuts Products, Quilon.	Ind.	1972-73	1,05,660
78.	Sreekumar, M/s Poyilakada Enterprises, Quilon.	Ind.	1972-73	1,08,660
79.	Sethu Parvathi Bai, Kowdiar Palace, Trivandrum	Ind.	1972-73	3,26,600
80.	Sivaramakrishna Iyer, S. Sripathy, Pattom, Trivandrum	Ind.	1971-72	1,10,240
81.	Turner George, Foreign Technician, R./By FACT, Engg. & Design Organisation..	Ind.	1972-73	1,81,280
82.	K.T. Thomas, Bright House, Nellikode, Calicut	Ind.	1970-71	2,77,400
83.	S. Thanu Pillai, Merchant, Chalai, Trivandrum	Ind.	1972-73	1,03,820
84.	M.A. Unnirikutty, Merchant, Cherooty Road, Calicut.	Ind.	1970-71	1,53,870
85.	G. Usha Devi, Union Cashew Co., Quilon	Ind.	1972-73	1,14,970
86.	T.C. Usha, Nani Nivas, Kochupilamoodu, Quilon	Ind.	1972-73	2,34,750
87.	V.K. Vilasini Amma, Ernakulam	Ind.	1971-72	1,29,480
88.	Varkey Pappachan, Contractor, Perumbavoor.	Ind.	1970-71	1,14,050
89.	M.K. Vellodi "Nandi" 3, Kelly's Road, Kilpauk, Madras-10	Ind.	1967-68	1,33,490
90.	Dr. K.O. Varghese, Children's Specialist, Kottayam	Ind.	1970-71	1,02,160
91.	P.J. Weavers, H & C, Cochin.	Ind.	1972-73	1,17,190
92.	Mrs. E.T. Whitaker, Malayalam Plantations, Cochin-3.	Ind.	1972-73	1,21,430
93.	Srimathy P. Vesoda, Sadhoo Beedi Depot., Cannanore.	Ind.	1970-71	2,51,910
94.	Zcharia, Abad Fisheries, Cochin-2.	Ind.	1970-71	1,00,910

SCHEDULE II

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	The Cashew Corporation of India Ltd., Cochin-11.	Company	1971-72	73,50,740
2.	-do-	-do-	1972-73	2,21,65,660
3.	Cochin Refineries, Ambalamugal, Ernakulam.	-do-	1970-71	32,55,720
4.	Co-operative Tea Society Ltd., Calicut.	-do-	1967-68	10,66,150
5.	-do-	-do-	1968-69	12,74,010
6.	Harrisons and Crossfield, Cochin-3.	Foreign Company	1970-71	35,57,320
7.	Kerala Agro Industries Corporation, Trivandrum.	Company	1972-73	13,36,560
8.	Malayalam Plantations Ltd , Cochin-3.	Foreign Company	1970-71	27,44,130
9.	Padinjaraykara Agencies, (P) Ltd., Kottayam.	Company	1970-71	10,05,220
10.	Premier Cotton Spinning Mills, Ltd.. Palghat.	Company	1972-73	10,52,380
11.	M/s. Sadhu Beedi Depot., Cannanore.	Regd. Firm	1970-71	14,19,020
12.	State Bank of Travancore, Trivandrum.	Company	1972-73	38,51,780
13.	Travancore Chemicals and Manufacturing Co. Ltd.	-do-	1970-71	20,75,020
14.	M/s. Thermo Electric Equipment Co. Tripunithura.	Firm	1964-65	10,06,010
15.	Travancore Titanium Products Veli, Trivandrum.	Company	1972-73	84,53,470
16.	United Electrical Industries Ltd., Quilon.	Company	1972-73	12,44,220
17.	Westen India Plywoods Ltd., Baliapatom.	Company	1972-73	33,34,360

[C.No.10/B/Tech/1/73-74(1)]

आयकर

का०आ० 372.—आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 287 की उपधारा (1) एवं वित्त मंत्रालय (राजस्व तथा बीमा विभाग), भारत सरकार, के आदेश एफ० सं० 16/202/67-ऐ० टि० वी० दिनांक 25 मार्च 1969 के अनुसार, जिन करदाताओं पर 1972-73 वित्तीय वर्ष में कम से कम रु० 5000 अर्थ दण्ड लगाया गया, या अपीलीय अधिकरण से किसी दण्ड के विरुद्ध अपील नियत किया गया, उनके नाम, तथा अन्य विवरण, मैं नीचे प्रकाशित कर रहा हूं ।

अनुसूची

आयकर अधिनियम 1961 के खंड 271 (1) (सी०) के अनुसार आय की सूचना छिपाने के कारण जिन्हें दण्डित किया गया है या जहां गत वर्षों के दण्डों पर दिये हुए अपील का फैसला 1972-73 में दिया जा चुका है ।

क्रम संख्या	नाम और पता	स्थिति	दण्ड की रकम	निर्धारण वर्ष
1.	वी० एम० अब्दुलरहिमान, वलप्पिल मोइदीनकुंजी, बोविकना पी० ओ०, मुलियार, कासरगोड के पुत्र	व्यक्ति	10,000	1968-69
2.	स्वर्गीय एस० कुमारस्वामी रेड्डियार, आलप्पी ।	वही	10,219	1959-60
	वही	वही	10,931	1960-61
	वही	वही	23,255	1961-62
	वही	वही	31,700	1962-63
	वही	वही	23,023	1963-64
	वही	वही	21,399	1964-65
	वही	वही	14,785	1965-66
	वही	वही	5,173	1966-67
3.	मैसर्स एस० कुमारस्वामी रेड्डियार, आलप्पी ।	फर्म	39,048	1957-58
4.	वही	वही	9,382	1958-59

[सी० सं० 10/बी/टेक/ए/73-74(1)]

ह०

एम० टी० तिरुमलाचारी,
आयकर आयुक्त

आर० श्रीकण्ठन नायर,
आयकर अधिकारी
(मुख्यालय) (कर वसूली)

INCOME-TAX

S.O. 372.—In pursuance of sub section (1) of Section 287 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in pursuance of Order F. No. 16/202/67-ITB dated 25th March, 1969 of the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) Government of India, I hereby publish the names and other particulars relating to the assessees on whom a panalty not less than Rs. 5000 was imposed or appeals against penalties have been disposed by the Appellate Tribunal during 1972-73 as in Schedule.

SCHEDULE

Persons who have been penalised for concealment of income under Section 271 (1) (c) of the Income tax Act, 1961 or where appeals against penalties levied in earlier years have been decided during the financial year 1972-73.

Sl. No.	Name and address	Status	Amount of penalty	Asst. Year
1.	B.M. Abdulrahiman S/o Valappil Moideenkunhi, Bovikana, P.O. Muliyar, Kasargod. . . .	Indl.	10,000	1968-69
2.	Late S. Kumaraswamy Reddiar, Alleppey	-do-	10,219	1959-60
	-do-	-do-	10,931	1960-61
	-do-	-do-	23,255	1961-62
	-do-	-do-	31,700	1962-63
	-do-	-do-	23,023	1963-64
	-do-	-do-	21,399	1964-65
	-do-	-do-	14,785	1965-66
	-do-	-do-	5,173	1966-67
3.	M/s. S. Kumaraswamy Reddiar, Alleppey	Firm	39,048	1957-58
4.	-do-	-do-	9,382	1958-59

[C. No. 10/B/Tech/A/73-74(1)]

Sd/-
S. T. TIRUMALACHARI
Commissioner of Income-tax
R. Sreekantan Nair
Income-tax Officer
(H. Qrs.) (TR)

वाणिज्य मंत्रालय

(संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय)

(केन्द्रीय लाइसेंस क्षेत्र)

लाइसेंस रद्द करने का आदेश

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 1973

का. आ. 373.—सर्वश्री पंजाब अलाइड इन्डस्ट्रीज, मोहाली, तहसील खरड़, जिला रोपड़ को 20 मि. मी. और इस से कम साइजों की जंगावरोधी तार छड़ों के लिए लाइसेंस सं. पी/एस/1732707 दिनांक 29-3-72 और सं. पी/एस/1732709 दिनांक 29-3-72 प्रत्येक 5000 रुपये मूल्य के लिए प्रदान किए गए थे । उन्होंने लाइसेंसों की सीमाशुल्क निकासी प्रतियों की अनुलिपियां जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल प्रतियां उपयोग किए बिना और किसी पत्तन पर पंजीकृत कराए बिना खो गई/अस्थानस्थ हो गई हैं ।

अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि हैन्डबुक, 1973-74 परिशिष्ट 8 के साथ पढ़े जाने वाले पैरा 318(2) के अन्तर्गत यथाअपेक्षित एक शपथपत्र स्टाम्प पेपर पर दाखिल किया है । मैं संतुष्ट हूं कि मूल सीमाशुल्क निकासी प्रतियां अस्थानस्थ हो गई हैं ।

अद्यतन यथासंशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश 1955, दिनांक 7-12-55 की धारा 9 (सी सी) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं लाइसेन्स संख्या पी/एस/1732707 और पी/एस/1732709 दिनांक 29-3-72 की सीमाशुल्क निकासी प्रतियों को रद्द करने का आदेश देता हूं ।

अब आवेदक के मामले पर सीमाशुल्क निकासी प्रति की अनुलिपि जारी करने के लिए आयात व्यापार नियंत्रण, नियम तथा क्रियाविधि हैन्डबुक, 1973-74 के पैरा 320 के अनुसार विचार किया जाएगा ।

[संख्या : पी/पी-100/एन/ए एम/72/एच्, पंजाब/सी एल ए]

OFFICE OF THE JT. CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS AND EXPORTS

(Central Licensing Area, Indraprastha Bhawan, New Delhi)

CANCELLATION ORDER

New Delhi, the 17th September, 1973

S.O. 373.—M/s. Punjab Allied industries Mohali, Teh Kharar, District Ropar were granted Licence No. P/S/1732707 dated 29-3-1972 and P/S/1732709 dated 29-3-1972 for Rs. 5000 each for Stainless Steel Wire Rods sizes 20 mm and below. They have applied for issue of duplicate Custom Purpose Copies of the above Licences on the ground that the original have been lost/misplaced without having been utilised and registered at any port.

The applicant has filed an affidavit on stamped paper In support of their contention as required under Para 318(2) read with Appendix-8 of I.T.C. Hand Book of Rules and Procedure, 1973-74. I am satisfied that the original custom purposes copies have been misplaced.

In exercise of the powers conferred on me under clause 9(cc) imports (Control) Order 1955, dated 7-12-1955 as amended upto date, I order the cancellation of the Custom Purposes Copies of the Licence No. P/S/1732707 and P/S/1732709 dated 29-3-1972.

The applicant's case will now be considered for the issue of duplicate Custom Purposes Copies in accordance with para 320 of I.T.C. Hand Book of Rules and Procedure, 1973-74.

[No. P/P-100/N/AM.72/Au. Pb./CLA.]

आदेश

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 1973

का. आ. 374.—सर्वश्री इन्डस्ट्रियल इलैक्ट्रोनिक्स, 100-यू. बी. जवाहर नगर, दिल्ली को सामान्य मुद्रा क्षेत्र से (1) विडिकान ट्यूब, (2) इन्टेग्रेटिड सर्किट्स, (3) जूम स्टैन्डर्ड तथा टैली फोटो लेन्स तथा (4) को-एक्सियल केबल्स के आयात के लिए 5000 रु. का एक लाइसेंस सं. पी/एस/1777228 दिनांक 12-6-72 स्वीकृत किया गया था। उन्होंने उपर्युक्त लाइसेंस की अनुलिपि (सीमा-शुल्क कार्य-संबंधी प्रति) के लिए इस आधार पर आवेदन किया कि उसकी मूल प्रति बिल्कुल उपयोग किए बिना ही खो गई/अस्थानस्थ हो गई है।

2. उपर्युक्त विवरण के समर्थन में आवेदक ने आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि हैंडबुक, 1973-74 की कंडिका 320 के अन्तर्गत अपेक्षित एक शपथ पत्र दाखिल किया है। मैं संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस की मूल प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई है।

3. आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की धारा 9 (सी सी) के अन्तर्गत मेरे लिए प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर मैं उपर्युक्त लाइसेंस (केवल सीमा शुल्क प्रति) को रद्द करने का आदेश देता हूं।

4. आवेदक को अब आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि हैंडबुक, 1973-74 की कंडिका 320 की व्यवस्थायों के अनुसार उपर्युक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमा-शुल्क कार्य संबंधी जारी की जा रही है।

[संख्या: एन पी/आई-9/एन/ए एम 72/ए यू. यू टी/सी एल ए/2080]

के. आर. धीर, उप-मुख्य नियंत्रक

कृते संयुक्त मुख्य नियंत्रक

ORDER

New Delhi, the 19th September, 1973

S.O. 374.—M/s. Industrial Electronics, 100-UB. Jawahar Nagar, Delhi-7 were granted licence No. P/S/1777228 dated 12-6-1972 for Rs. 5000 for import of (1) Vidicon Tube, (2) Integrated Circuits, (3) Zoom Standard and Tele photo lens and (4) Co-axial cables from G.C.A. They have applied for issue of duplicate copy (Custom purpose only) of the said licence on the ground that the original copy thereof has been lost/misplaced without having been utilised at all.

2. The applicant has filed an affidavit in support of the above statement, as required under para 320 of I.T.C. Hand Book of Rules & Procedure, 1973-74. I am satisfied that the original copy of the said licence has been lost/misplaced.

3. In exercise of the powers conferred on me under Section 9(cc) of Import Control Order, 1955 dated 7-12-1955, I order the cancellation of the said original licence (Custom copy only).

4. The applicant is now being issued duplicate Custom Copy of the aforesaid licence in accordance with the provision of para 320 of the I.T.C. Hand Book of Rules & Procedure, 1973-74.

[F. No. NP/1-9/N/AM.72/AU.UT/CLA/2080.]

K. R. DHEER, Dy. Chief Controller,

for Joint Chief Controller

आदेश

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1973

का. आ. 375.—सर्वश्री यूनिवर्सल एक्सपोर्ट कार्पोरेशन, 115, देशबन्धु गुप्ता मार्किट, करोलबाग, नई दिल्ली को 1-कांच के मनकों तथा नकली मुक्ताओं, कांच चैटन्स 2-अपरिष्कृत संशिलष्ट पत्थरों (सफेद और लाल से भिन्न) के आयात के लिए 2317 रुपये मूल्य का एक आयात लाइसेन्स सं. पी/के/2688676/सी/एक्स एक्स /45/डी/33-34. एस. 6 दिनांक 10-11-72 प्रदान किया गया था। लाइसेन्स की सीमाशुल्क निकासी प्रति किसी भी सीमाशुल्क प्राधिकारी से पंजीकृत कराये बिना और उपयोग किए बिना अस्थानस्थ हो गई है। उन्होंने यह भी आवेदन किया है कि उपर्युक्त मूल लाइसेन्स रद्द कर दिया जाए जिसके बदले में उन्होंने सीमाशुल्क निकासी प्रति की अनुलिपि के लिए आवेदन किया है।

2. अपने उपर्युक्त कथन के समर्थन में आवेदक ने आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि पुस्तक, 1973-74 के पैरा 320 के अन्तर्गत यथा अपेक्षित एक शपथपत्र लाइसेंस के अस्थानस्थ हो जाने के विषय में दाखिल किया है। मैं संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई है।

3. आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की धारा 9 (सी सी) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं 2317 रुपये मूल्य के लाइसेन्स सं. पी/के/2688676/सी/एक्स एक्स /45/डी/33-34 एस. 6 दिनांक 10-11-72 की मूल सीमा शुल्क निकासी प्रति को रद्द करने का आदेश देता हूं।

[फि. सं. जैम. 35/जे एस. 71/एस सी. 4/सी एस ए/1633]

ORDER

New Delhi, the 22nd September, 1973

S.O. 375.—M/s. Universal Export Corporation, 115 Desh Bandhu Gupta Market, Karol Bagh, New Delhi were granted import licence No. P/K/2688676/C/XX/45/D/33-34-S. 6 dated 10-11-1972 for Rs. 2317 for the Import of 1. Glass beads & false pearls glass Chottons. 2. Rough synthetic Stones (other than White & Red). (Custom purposes copy) has been misplaced without having been registered with any Custom authority and unutilized. They have also requested that above said original licence may be

cancelled in lieu of which the duplicate copy has been applied for by them.

2. The applicant has filed an affidavit in support of their above statement about the misplacement of the licence as required under para 320 of I.T.C. Hand Book of Rules & Procedure, 1973-74. I am satisfied that original custom purposes copy of the above said licence has been lost/misplaced.

3. In exercise of the powers conferred on me under section 9(CC) Import Control Order, 1955 dated 7-12-1955, I order the cancellation of the original custom purposes copy of the licence No. P/K/2688676/C/XX/45/D/33-34 S. 6 dated 10-11-1972 for Rs. 2317.

M/s. Universal Export Corporation,
115, D. B. Gupta Market, Karol Bagh,
New Delhi.

[F. No. Gem. 35/JS. 71/SC.IV/CLA/1633]

आदेश

का. आ. 376.—सर्वश्री यूनिवर्सल एक्सपोर्ट कार्पोरेशन, 115, देशबन्धु गुप्ता मार्किट, करोलबाग, नई दिल्ली को कांच के मनकों तथा नकली मुक्ताओं, कच्चे-पेन्ट्स (2) अपरिष्कृत संश्लिष्ट पत्थरों (सफेद लाल से भिन्न) के आयात के लिए 1393/- रुपये मूल्य का एक आयात लाइसेंस सं. पी/के/2624274/सी/एक्स एक्स/46/डी 35-36 एस. 6.1 दिनांक 22-2-1973 प्रदान किया गया था। लाइसेंस की सीमाशुल्क निकासी प्रति किसी भी सीमाशुल्क प्राधिकारी से पंजीकृत कराए बिना और उपयोग किए बिना अस्थानस्थ हो गई हैं। उन्होंने यह भी आवेदन किया है कि उपर्युक्त मूल लाइसेंस रद्द कर दिया जाए जिस के बदले में उन्होंने अनुलिपि के लिए आवेदन किया है।

2. अपने उपर्युक्त कथन के समर्थन में आवेदक ने आयात-व्यापार नियंत्रण, नियम तथा क्रियाविधि पुस्तक, 1973-74 के पैरा 320 के अन्तर्गत यथा अपेक्षित एक शपथ पत्र लाइसेंस के अस्थानस्थ हो जाने के विषय में दाखिल किया है। मैं संतुष्ट हूं कि उक्त लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई है।

3. आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 दिनांक 7-12-1955 के खंड 9 (सी सी) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, 1393/- रुपये मूल्य के लाइसेंस सं. पी/के/2624274/सी/एक्स एक्स/46/डी 35-36 एस. 6.1 दिनांक 22-2-1973 की मूल सीमा-शुल्क निकासी प्रति को रद्द करने का आदेश देता हूं।

[संख्या जेम-119/ओ डी-71/एस सी-4/सी एल ए]

ORDER

S.O. 376.—M/s. Universal Export Corporation, 115 Desh Bandhu Gupta Market, Karol Bagh, New Delhi were granted import licence No. P/K/2624274/C/XX/46/D/35-36 s. 6.1 dated 22-2-1973 for Rs. 1393 for the import of Glass Beads & false Pearls., 1. Glass Chattans 2. Rough synthetic stones/other than white & red/- Custom purposes copy has been misplaced without having been registered with any custom authority and unutilised. They have also requested that the above said original licence may be cancelled in lieu of which the duplicate copy has been applied for by them.

2. The applicant has filed an affidavit in support of their above statement about the misplacement of the licence as required under para 320 of ITC Hand Book of Rules & Procedure, 1973-74. I am satisfied that original custom purposes copy of the said licence has been lost/misplaced.

3. In exercise of the powers conferred on me under Section 9(CC) Import Control Order, 1955 dated 7-12-1955, I order the cancellation of the original custom purposes copy of the licence No. P/K/2624274/C/XX/46/D/35-36 S. 6.1 dated 22-2-1973 for Rs. 1939;

M/s. Universal Export Corporation, 115, D. B. Gupta Market, Karol Bagh, New Delhi.

[F. No. Gem.119/OD.71/SC.IV/CLA/1632.]

आदेश

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 1973

का. आ. 377.—सर्वश्री भौंरी लाल गोपाल दास कोटा वाला, 1303 गोपाल जी रोड़, जयपुर को बिना कटे और बिना जड़े बहुमूल्य/कम बहुमूल्य रत्नों के आयात के लिए 2904/- रुपये मूल्य का एक आयात लाइसेंस सं. पी/के/2688697/सी/एक्स एक्स/45/डी/33-34 दिनांक 18-11-72 प्रदान किया गया था। उक्त लाइसेंस (सीमाशुल्क निकासी प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति) किसी भी सीमाशुल्क प्राधिकारी से पंजीकृत कराए बिना और उपयोग किए बिना अस्थानस्थ हो गया है। उन्होंने यह भी आवेदन किया है कि उपर्युक्त मूल लाइसेंस रद्द कर दिया जाए जिसके बदले में उन्होंने उसकी अनुलिपि प्रतियों के लिए आवेदन किया है।

अपने उपर्युक्त कथन के समर्थन में आवेदक ने आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि पुस्तक, 1973-74 के पैरा 320 के अन्तर्गत यथा अपेक्षित एक शपथपत्र लाइसेंस के अस्थानस्थ हो जाने के विषय में दाखिल किया है। मैं संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई है।

आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 के खण्ड 9 (सी सी) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, 2904/- रुपये मूल्य के लाइसेंस सं. पी/के/2688697/सी/एक्स एक्स/45/डी/33-34 दिनांक 18-11-72 की दोनों प्रतियों को रद्द करने का आदेश देता हूं।

[मि. सं. जेम. 172/जे एम. 72/एस सी. 4/सी एल ए]

ए. एल. भल्ला, उप-मुख्य नियंत्रक
कृते संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

ORDER

New Delhi, the 1st November, 1973

S.O. 377.—M/s. Bhonrilal Gopal Das Kotahwala, 1303, Gopal Ji Road, Jaipur were granted import licence No. P/K/2688697/C/XX/45/D/33-34 dated 18-11-1972 for 2904 for the import of Precious/Semi-precious Stones Uncut & Unset. The said licence (Custom purposes and Exchange Control copies) have been misplaced without having been registered with any custom authority and unutilized. They have also requested that the above said original licence may be cancelled in lieu of which the duplicate copies have been applied for by them.

The applicant has filed an affidavit in support of their above statement about the misplacement of the licence as required under para 320 of I.T.C.H.B. of Rules & Procedure 1973-74. I am satisfied that original custom purposes & Exchange Control copies of the above said licence have been lost/misplaced.

In exercise of the powers conferred on me under section 9(CC) Import Control Order, 1955 dt. 7-12-55, I order the cancellation of both copies of the licence No. P/K/2688697/C/XX/45/D/33-34 dated 18-11-1972 for Rs. 2904.

M/s. Bhonrilal Gopal Das Kotahwala,
1303, Gopal Road, Jaipur.

[File No. Gem.. 172/JM. 72/SC. IV/CLA]

A. L. BHALLA, Dy. Chief Controller
for Jt. Chief Controller Import and Exports.

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

आदेश

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 1973

का. आ. 378.—सर्वश्री सीमेन्ट इन्डिया लि. बम्बई को वैज्ञानिक औजारों के आयात के लिए 1,92,000/रु. मात्र का एक आयात लाइसेंस संख्या पी/ए/1373705, दिनांक 7-12-72 स्वीकृत किया गया था। पार्टी ने 43,959 रु. तक के लिए लाइसेंस का उपयोग कर लिया था और इसमें अब 1,48,051 रु. मात्र शेष बचता है। अब पार्टी ने आयात लाइसेंस की अनुलिपि प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमाशुल्क प्रति लाइसेंस की माल सूची के साथ अस्थानस्थ हो गई/खो गई है। आगे यह बताया गया है कि विषयाधीन लाइसेंस बम्बई पत्तन में पंजीकृत करवाया गया था। इस तर्क के समर्थन में पार्टी ने एक शपथपत्र भेजा है। मैं संतुष्ट हूं कि माल की सूची के साथ आयात लाइसेंस सं. पी/ए/1373705, दिनांक 7-12-72 की मूल सीमाशुल्क प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई है और निदेश देता हूं कि आवेदक को आयात लाइसेंस की अनुलिपि प्रति जारी की जानी चाहिए। मूल आयात लाइसेंस रद्द किया जाता है।

[संख्या 9/72/72-73/एम एल-II]

एस. के. उस्मानी, उप-मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात

(Office of the Chief Controller of Imports and Exports)

ORDER

New Delhi, the 27th November, 1973

S.O. 378.—M/s. Siemens India Ltd., Bombay were granted an Import Licence No. P/A/1373705, dated 7-12-1972 for Rs. 1,92,000 only for the import of Scientific Instruments. The party utilised the import licence to the extent of Rs. 43,959 only and hence the balance remains Rs. 1,48,051 only. Now the party has applied for duplicate copy of import licence on the ground that the original Customs Copy alongwith the list of goods of the said import licence has been misplaced/lost. It is further stated that the licence in question was registered with the Bombay Port. In support of this contention, the party has furnished the affidavit. I am satisfied that the original Customs Copy alongwith both the lists of goods of import licence No. P/A/1373705, dated 7-12-1972 has been lost/misplaced and direct that a duplicate import licence should be issued to the applicant. The original import licence is cancelled.

[No. 9/72/72-73, ML.I]

S. K. USMANI,
Dy. Chief Controller of Imports and Export.

आदेश

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1974

का. आ. 379.—सर्वश्री विनोद मशीनरी मैनुफैक्चरिंग कं. (प्रा.) लि. हैदराबाद को 31,125/- रुपये (इकत्तीस हजार एक सौ पच्चीस रुपये मात्र) के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी/सी/2064475/सी/एक्स एक्स/11/एच/33 व 34, दिनांक 29-9-1972 प्रदान किया था। उन्होंने उक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति बिना किसी सीमा-शुल्क प्राधिकारियों के पास पंजीकृत कराए और बिना कुछ भी उपयोग किए ही खो गई/अस्थानस्थ हो गई है। इस तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ-पत्र दाखिल किया है।

2. तदनुसार, मैं संतुष्ट हूं कि उक्त लाइसेंस की मूल सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति खो गई है। इसलिए तत्त संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955, दिनांक 7-12-1955 की उप-धारा 9 (सीसी) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर सर्वश्री विनोद मशीनरी मैनुफैक्चरिंग कं. (प्रा.) लि., हैदराबाद को जारी किए गए उक्त लाइसेंस संख्या पी/सी/2064475/सी/एक्स एक्स/44/एच/एच/33-34, दिनांक 29-9-1972 को एतद्द्वारा रद्द किया जाता है।

3. लाइसेंसधारी को उक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति अलग से जारी की जा रही है।

[संख्या सी जी-31/8(19)/72-73/3565]

एस. ए. शेषन, उप-मुख्य नियंत्रक

ORDER

New Delhi, the 29th January, 1974

S.O. 379.—M/s. Vinod Machinery Manufacturing Co. (Pvt.) Ltd., Hyderabad were granted an import licence No. P/C/2064475/C/XX/44/H/33-34 dated 29-9-1972 for Rs. 31,125/- (Rupees thirty one thousand one hundred and twenty five only). They have applied for the issue of a duplicate Customs Purposes copy of the said licence on the ground that the original Customs Purposes copy has been lost/misplaced without having been registered with any Customs authorities and utilised at all. In support of this contention, the applicant has filed an affidavit.

2. I am accordingly satisfied that the original Customs Purposes copy of the said licence has been lost. Therefore, in exercise of the powers conferred under Sub-clause 9(cc) of the Imports (Control) Order 1955 dated 7-12-1955 as amended, the said Licence No. P/C/2064475/C/XX/44/H/33-34 dated 29-9-1972 issued to M/s. Vinod Machinery Manufacturing Co. (P) Ltd., Hyderabad is hereby cancelled.

3. A duplicate Customs Purposes copy of the said licence is being issued separately to the licencsee.

[No. CG. III/8(19)/72-73/3565]

S. A. SESHAN, Dy. Chief Controller

अनुसंधान विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 1974

का. आ. 380.—केन्द्रीय सरकार विकास परिषद् (प्रक्रियात्मक) नियम, 1952 के नियम 5 के उप-नियम (1) और नियम 8 के साथ पठित उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्वश्री एम. पी. संधवी (श्री के एन. तलवार के स्थान पर), डी. कामाक्षैया और कार्तिक ओरावं को ऑटोमोबाइल, आटोमोबाइल अनुषंगी उद्योग, परिवहन यान उद्योग, ट्रैक्टरों, अर्थमूविंग उपस्कर और अन्तर्दहन इंजिनों के विनिर्माण और उत्पादन में लगे हुए अनुसूचित उद्योगों के लिए विकास परिषद् के सदस्यों के रूप में 1974 के अक्तूबर के दूसरे दिन तक नियुक्त करती है और भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश

सं. का. आ. 2853-आई डी आर ए/6/16, तारीख 11 अक्तूबर, 1972 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :—

उक्त आदेश में,—

(1) क्रम सं. 17 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. रखी जाएगी, अर्थात् :—

"17. श्री एम. पी. संघवी,
प्रबन्ध निदेशक,
मैसर्स ऑटोमोटिव मैन्यूफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड,
मुम्बई-70" ;

(2) क्रम सं. 27 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. रखी जाएगी, अर्थात् :—

"27. ब्रिगेडियर ए. एल. वर्मा,
निरीक्षण निदेशक (यान),
निरीक्षण महानिदेशालय,
रक्षा उत्पादन विभाग,
नई दिल्ली-110011 ।" ;

(3) क्रम सं. 28 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

29. श्री डी. कामाक्षैया,
सदस्य, लोक सभा ।

30. श्री कार्तिक ओरावं,
सदस्य, लोक सभा ।

[सं. 1(111)/72-ए ई आई (1)]

पी. आर. चन्द्रन, अवर सचिव

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 5th February, 1974

S.O. 380.—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), read with sub-rule (1) of rule 5 and rule 8 of the Development Councils (Procedural) Rules, 1952, the Central Government hereby appoints till the 10th day of October, 1974, Sarvashri M. P. Sanghvi (vice Shri K. N. Talwar), D. Kamakshaiah and Kartik Oraon to be members of the Development Council for the scheduled industries engaged in the manufacture and production of Automobiles, Automobile Ancillary Industries, Transport Vehicles Industries, Tractors, Earth Moving Equipment and Internal Combustion Engines, and makes the following amendments in the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development No. S.O. 2853-IDRA/6/16, dated the 11th October, 1972, namely :—

In the said Order,—

(1) For serial No. 17 and the entries relating thereto, the following serial No. shall be substituted, namely :—

"17. Shri M. P. Sanghvi,
Managing Director,
M/s. Automotive Manufacturers Pvt. Ltd.,
Bombay-70" ;

(2) For serial No. 27 and the entries relating thereto, the following serial No. shall be substituted, namely:—

"27. Brig. A. L. Verma,
Director of Inspection (Vehicles),
Directorate General of Inspection,
Deptt. of Defence Production,
New Delhi-110011." ;

(3) After serial No 28 and the entries relating thereto, the following serial Nos. shall be inserted, namely:—

"29. Shri D. Kamakshaiah,
Member Lok Sabha.

30. Shri Kartik Oraon,
Member, Lok Sabha".

[No. 1(111)/72-AEI(I)]

P. R. CHANDRAN, Under Secy.

भारतीय मानक संस्था

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 1974

का० आ० 381—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) विनियम 4 के उपविनियम (1) के अनुसार भारतीय मानक संस्था की ओर से अधिसूचित किया जाता है कि जिन मानक चिन्हों की डिजाइनें और उनके आबिंदक विवरण तत्संबंधी भारतीय मानकों के शीर्षकों सहित नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, वे मानक चिन्ह भारतीय मानक संस्था द्वारा निर्धारित किये गये हैं ।

भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) अधिनियम, 1952 और उसके अधीन बने नियमों और विनियमों के निमित्त ये मानक चिन्ह उनके आगे दी हुई तिथियों से लागू हो जाएंगे :-

अनुसूची

क्रम संख्या	मानक चिन्ह की डिजाइन	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	तत्संबंधी भारतीय मानक की पद संख्या और शीर्षक	मानक चिन्ह की डिजाइन का आबिंदक विवरण	लागू होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.		छुरी अलग हो सकने वाले सर्जिकल स्कालपेल (बार्ड पार्कर टाइप)	IS 3319-1965 छुरी अलग हो सकने वाले सर्जिकल स्कालपेल (बार्ड पार्कर टाइप) की विशिष्टि	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें 'ISI' शब्द होते हैं स्तम्भ (2) में दी डिजाइन के अनुसार ठीक उसी शैली और सापेक्षिक अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है उस मोनोग्राम में ऊपर की ओर भारतीय मानक की पदसंख्या तथा नीचे की ओर ग्रेड पदनाम अर्थात् शब्द ब्लेड अंकित किया गया है ।	16 अगस्त, 1972

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	IS:4497 ISI	16-मिमी सुव्याह्य वाक् तथा चित्र सिनेमा प्रोजेक्टर	IS:4497-1968 16-मिमी सुव्याह्य वाक् तथा चित्र सिनेमा प्रोजेक्टर की विशिष्टि	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें 'ISI' शब्द होते हैं स्तम्भ (2) में दिखाई गई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है उस मोनोग्राम में ऊपर की ओर भारतीय मानक संस्था की पदसंख्या दी गई है।	16 दिसम्बर, 1973
3.	IS:4760 ISI	द्रवित पेट्रोलियम गैसों वाले ग्रिलर सहित घरेलू पाक चूल्हे (कुकिंग रेंज)	IS:4760-1968 द्रवित पेट्रोलियम गैसों वाले ग्रिलर सहित घरेलू पाक चूल्हों की विशिष्टि	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें ISI शब्द होते हैं स्तम्भ (2) में दिखाई गई शैली और अनुपात में तैयार की गई है और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है उस मोनोग्राम में ऊपर की ओर भारतीय मानक संस्था की पदसंख्या दी गई है।	1 दिसम्बर, 1973

[सं. सी एम डी/13:9]

Indian Standards Institution

New Delhi, the 18 January, 1974

S. O. 381—In pursuance of sub-rule (1) of rule 4 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules, 1955 the Indian Standards Institution hereby notifies that the Standard Mark(s), design(s) of which together with the verbal description of the design(s) and the title(s) of the relevant Indian Standard(s) are given in the Schedule hereto annexed, have been specified.

These Standard Mark(s) for the purpose of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952 and the Rules and Regulations framed thereunder, shall come into force with effect from the dates shown against each :

THE SCHEDULE

Sl. No.	Design of the Standard Mark	Product/Class of Product	No. and Title of the Relevant Indian Standard	Verbal description of the Design of the Standard Mark	Date of Effect
1	2	3	4	5	6
1.	IS:3319 ISI BLADE	Surgical scalpels with detachable blades (Bard Parker type).	IS : 3319-1965 Specification for surgical scalples with detachable blades (Bard Parker type).	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2), the number of the Indian Standard being superscribed on the top side and the grade designation, namely the words 'BLADE' being subscribed under the bottom side of the monogram as indicated in the design.	16 Aug. 1972
2.	IS:4497 ISI	16-mm portable sound-and-picture cinematograph projectors.	IS : 4497-1968 Specification for 16-mm portable sound-and-picture cinematograph projectors.	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2) the number of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.	16 Dec 1973
3.	IS:4760 ISI	Domestic cooking ranges including grillers, for use with liquefied petroleum gases	IS : 4760-1968 Specification for domestic cooking ranges including grillers, for use with liquefied petroleum gases.	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI' drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2) the number of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.	1 Dec. 1973

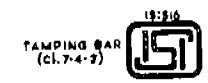
[No. CMD/13:9]

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1974

का० आ० 382.—भारत के गजट भाग II, खंड 3, उपखंड (II) दिनांक 6 जून, 1970 में प्रकाशित तत्कालीन औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार और कंपनी मामलों के मंत्रालय (भारतीय मानक संस्था) अधिसूचना संख्या 2019 दिनांक 22 मई, 1970, के आंशिक संशोधन के रूप में भारतीय मानक संस्था की ओर से अधिसूचित किया जाता है कि सीमेंट के परीक्षण के लिए घनाकार सांचों के मानक चिह्नों संबंधी अतिरिक्त डिजाइनें निर्धारित की गई हैं। इन डिजाइनों के शाब्दिक विवरण और तत्संबंधी भारतीय मानकों के शीर्षक नीचे अनुसूची में दिए गए हैं।

समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) अधिनियम, 1952 और उसके अधीन बने नियमों और विनियमों के निमित्त ये मानक चिह्न 7 अगस्त, 1973 से लागू होंगे।

अनुसूची

क्रम संख्या	मानक चिह्न की डिजाइन	उत्पादन/उत्पादन की श्रेणी	तत्संबंधी भारतीय मानक की पदसंख्या और शीर्षक	मानक चिह्न की डिजाइन का शाब्दिक विवरण
1.		सीमेंट परीक्षण के लिए घनाकार सांचे	IS : 516-1959 सीमेंट परीक्षण के लिए घनाकार सांचों की विशिष्टि	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें 'आई एस आई' शब्द होते हैं, स्तम्भ (2) में दी गई डिजाइन के अनुसार ठीक उसी शैली और सापेक्षिक अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है उस मोनोग्राम में ऊपर की ओर भारतीय मानक की पदसंख्या और नीचे की ओर तत्संबंधी ग्रेड का पदनाम अर्थात् 'क्लाई-मोल्ड' अंकित किया गया है।
2.		सीमेंट परीक्षण के लिए घनाकार सांचे	IS : 516-1959 सीमेंट परीक्षण के लिए घनाकार सांचों की विशिष्टि	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें 'आईएसआई' शब्द होते हैं, स्तम्भ (2) में दी गई डिजाइनों के अनुसार ठीक उसी शैली और सापेक्षिक अनुपात में तैयार किया गया है जैसा डिजाइनों में दिखाया गया है मोनोग्राम में ऊपर की ओर भारतीय मानक की पदसंख्या और मोनोग्राम के बाहर बाईं और तत्संबंधी ग्रेड पदनाम, अर्थात् 'टैम्पिंगबार (खंड 2-9-3)' और 'टैम्पिंग बार (खंड 7.4.2)' अंकित किया गया है।
3.				

[सं सी० एम० डी०/13 : 9]

डी० दास गुप्ता, उपमहानिदेशक

New Delhi, the 25 January, 1974

S. O. 382—In partial modification of the then Ministry of Industrial Development, Internal Trade & Company Affairs (India Standards Institution) notification No. 2019 dated 22 May 1970, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 6 June 1970, the Indian Standards Institution, hereby, notifies that the additional dsigns of the Standard Marks for cube moulds for cement testing, which together with the verbal description and the title of the relevant Indian Standard are given in the Schedule given here after, have been specified.

These designs of the Standard Marks, for the purpose of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952 and the Rules and Regulations framed thereunder, as amended from time to time, shall come into force with effect from 7 August 1973:

SCHEDULE

Sl. No.	Design of the Standard Mark	Product/Class of Product	No. and Title of the Relevant Indian Standard	Verbal description of the Design of the Standard mark
1	2	3	4	5
1.		Cube moulds for cement testing	IS : 516-1959 Specification for cube moulds for cement testing	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2), the number of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram and the relevant grade designation namely, 'CLY-MOULD' being subscribed under the bottom side of the monogram as indicated in the design.
2.		Cube moulds for cement testing	IS : 516-1959 Specification for cube moulds for cement testing	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2), the number of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram and the relevant grade designations, namely 'TAMPING BAR (Cl. 2.9.3.)' 'TAMPING BAR (Cl. 7.4.2)' being superscribed on the outer left-hand side of the monogram as indicated in the designs.
3.				

[No. CMD/13 : 9]

D. DAS GUPTA,
Dy. Director General

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय

(पुनर्वास विभाग)

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 1974

का. आ. 383.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 की 44) की धारा 34 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त इसके द्वारा श्री डी. डी. राठौड़, संयुक्त सचिव, राजस्व विभाग, गुजरात सरकार को, जो कि उप मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त की शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं, उक्त अधिनियम की धारा 23, 24 एवं 28 के अन्तर्गत गुजरात राज्य में "मुआवजा पूल" के भाग के रूप में सरकार द्वारा निर्मित सम्पत्तियों, अर्जित निष्क्रान्त सम्पत्तियों, कृषि भूमि, दूकानों तथा खाली स्थानों के सम्बन्ध में उक्त धाराओं के अन्तर्गत आवश्यक आदेश जारी करने के लिये मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त की शक्तियां सौंपते हैं।

[संख्या 1/6/विशेष सेल/एस. एस.-4/72]

न. वे. सुन्दर रामन, मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त

MINISTRY OF SUPPLY & REHABILITATION

(Department of Rehabilitation)

New Delhi, the 28th January, 1974

S.O. 383.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 34 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), the Chief Settlement Commissioner hereby delegates to Shri D. D. Rathod, Joint Secretary, Revenue Department, State Government of Gujarat, exercising the powers of Deputy Chief Settlement Commissioner, the powers conferred on the Chief Settlement Commissioner by or under sections 23, 24 and 28 of the said Act for the purpose of passing necessary orders under the said Sections in respect of Government built properties, acquired evacuee properties, agricultural lands, shops and vacant sites forming part of the "Compensation Pool" in the State of Gujarat.

[No. 1/6Spl. Cell/SS-IV/72]

N. V. SUNDARAMAN, Chief Settlement Commissioner

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1974

का. आ. 384.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 की 44) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा श्री डी. डी. राठौड़, संयुक्त सचिव, राजस्व विभाग, गुजरात सरकार को अपने कार्यों के अलावा उक्त अधिनियम के द्वारा या उसके अन्तर्गत उप मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त को सौंपे गए कार्यों को सम्पादित करने के उद्देश्य से गुजरात राज्य में उप मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त के रूप में नियुक्त करती है।

[संख्या 1/6/विशेष सेल/एस. एस.-4/72]

डी. एन. असीजा, अवर सचिव

New Delhi, the 29th January, 1974

S.O. 384.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), the Central Government hereby appoints, Shri D. D. Rathod, Joint Secretary, Revenue Department, Government of Gujarat as Deputy Chief Settlement Commissioner in the State of Gujarat for the purpose of performing, in addition to his own duties, the functions assigned to a Deputy Chief Settlement Commissioner by or under the said Act.

[No. 1/6/Spl. Cell/SS-IV/72]

D. N. ASIJA, Under Secy.

इस्पात और खान मंत्रालय

(इस्पात विभाग)

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1974

का० आ० 385.—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 20 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, तारीख 18 अक्तूबर, 1969 में प्रकाशित, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्रालय के निर्माण, आवास और नगर विकास विभाग की अधिसूचना सं० का० आ० 4194, तारीख 7 अक्तूबर, 1969 को अतिष्ठित

करते हुए नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में उल्लिखित अधिकारियों को, जो भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी के रैंक के समतुल्य रैंक के अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये संपदा अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है और यह और निदेश देती है कि उक्त अधिकारी, उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों की बाबत, अपनी-अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन संपदा अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा उन पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेंगे।

सारणी

अधिकारियों का पदाभिधान	सरकारी स्थान के प्रवर्ग और अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं
(1)	(2)
1. प्रशासनिक अधिकारी, हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, रांची, बिहार।	रांची, बिहार में स्थित हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के और उसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन स्थान।
2. सहायक संपदा प्रबंधक, हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, भिलाई स्टील प्लांट, दुर्ग मध्य प्रदेश।	मध्य प्रदेश में दुर्ग जिला की दुर्ग तहसील में स्थित हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के और उसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन स्थान तथा इस स्थान में स्थित और हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन रखे गए, केन्द्रीय सरकार के स्थान।
3. सहायक विधि अधिकारी (खान) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, भिलाई, स्टील प्लांट, भिलाई, दुर्ग मध्य प्रदेश।	मध्य प्रदेश की तहसील और जिला दुर्ग में नन्दिनी में, तहसील और जिला बिलासपुर में हिर्री में, राजानन्दगांव जिले की राजनंदगाव और खैरागढ़ तहसील में चन्दीडोंगरी में, बिलासपुर जिले की मुर्वाड़ा (कटनी) तहसील में कैलवाड़ा खुर्द और टिकारिया में, राजनन्दगांव जिले की क्वर्धा तहसील में अकलसड़ियां और जिला बालाघाट की वरासेवनी तहसील, में कमथी, बकोड़ा, बेहाटीकुर, पंड़ीवाड़ा, शंकर पिपड़िया, बोतेझाड़ी, कोचेवाही, मोहगांवघाट अम्बेझाड़ी हथोड़ा और चिकभाड़ा में स्थित हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के और उसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन स्थान तथा इन स्थानों में स्थित और हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन रखे गए केन्द्रीय सरकार के स्थान।
4. सहायक संपदा प्रबंधक, (राजहरा खान) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, भिलाई स्टील प्लांट, दुर्ग, मध्य प्रदेश।	मध्य प्रदेश के जिला दुर्ग की बसोद तहसील में राजहरा और दलिराजहरा (बसोद वन रेंज), में और जिला बस्तर के कांकर उपखंड की भानुप्रतापपुर तहसील में अड़िडोंगरी में स्थित हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के और उसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन स्थान तथा इन स्थानों में स्थित और हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन रखे गए केन्द्रीय सरकार के स्थान।
5. संपदा अधिकारी (न्यायालय मामले), हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, राऊरकेला स्टील प्लांट, राऊरकेला, जिला सुन्दरगढ़, उड़ीसा।	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के और उसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन ऐसे स्थान जो जिला सुन्दरगढ़ में पनपोश तहसील के भीतर स्थित है तथा इस स्थान में स्थित और हिन्दुस्तान लिमिटेड के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन रखे गए उड़ीसा सरकार के स्थान।
6. भूमि अधिकारी, हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, राऊरकेला स्टील प्लांट, राऊरकेला, जिला सुन्दरगढ़, उड़ीसा।	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के और उसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन ऐसे स्थान जो उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले की बनई और सदर तहसील और मध्य प्रदेश के सतना जिले की रधुराजनगर तहसील में स्थित है तथा बनई और सदर में स्थित और हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन रखे गए उड़ीसा सरकार के स्थान।
7. संपदा अधिकारी, हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, दुर्गापुर स्टील प्लांट, दुर्गापुर, जिला बर्दवान, पश्चिमी बंगाल।	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के और उसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन ऐसे स्थान जो पश्चिमी बंगाल के जिला बर्दवान के दुर्गापुर पुलिस थाने के दुर्गापुर और पुलिस थाने आंडल में स्थित हैं तथा इन स्थानों में स्थित और हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन रखे गये केन्द्रीय सरकार के स्थान।
8. सहायक संपदा अधिकारी हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, दुर्गापुर स्टील प्लांट, दुर्गापुर, जिला बर्दवान पश्चिमी बंगाल।	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के और उसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन ऐसे स्थान जो पश्चिमी बंगाल के जिला बर्दवान के दुर्गापुर पुलिस थाने के दुर्गापुर और पुलिस थाने आंडल में स्थित है तथा इन स्थानों में स्थित और हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन रखे गये केन्द्रीय सरकार के स्थान।
9. अनुरक्षण इंजीनियर (सिविल) केन्द्रीय प्रशासनिक कार्यालय, हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, केन्द्रीय कोयला धोवन संगठन, सराइढेला, धनबाद बिहार।	(क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के और उसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन ऐसे स्थान जो हजारीबाग (बिहार) जिला अर्थात् दुगदा। और 2 कोयला धोवन कम्बे / प्लांट क्षेत्र में

(1)	(2)
	स्थित है तथा इन स्थानों में स्थित और हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन रखे गए केन्द्रीय सरकार के स्थान।
	(ख) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के और उसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन ऐसे स्थान जो धनबाद जिले में अर्थात् पठेरदीह कहवा। प्लांट क्षेत्र और सराइडेला धनबाद के कालोनी स्थानों के भीतर स्थित है तथा इन स्थानों के स्थित और हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन रखे गए केन्द्रीय सरकार के स्थान।
	(ग) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के और उसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन ऐसे स्थान जो पुरुलया (पश्चिमी बंगाल) जिले में अर्थात् भोजूदीह कोयला धोवन प्लांट कस्बा क्षेत्र के भीतर स्थित है।
10. प्रशासनिक अधिकारी, हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, अर्साए स्टील प्लांट, दुर्गापुर, जिला बर्दवान, पश्चिमी बंगाल।	पुलिस थाना दुर्गापुर, जिला बर्दवान पश्चिमी बंगाल में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अर्साए स्टील प्लांट के और उसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन स्थान।

[फा० सं० सी ओ वाई-6(82)/68]

बी० एस० भटनागर, उप सचिव

MINISTRY OF STEEL AND MINES
(Department of Steel)

New Delhi, the 21st January, 1974

S.O. 385.—In exercise of the powers conferred by section 3, read with section 20 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), and in supersession of notification of Government of India in the Ministry of Health and Family Planning and Works Housing and Urban Development, Department of Works, Housing and Urban Development No. S.O. 4194, dated the 7th October, 1969 published in the Gazette of India dated the 18th October, 1963 the Central Government hereby appoints the officers mentioned in column (1) of the table below, being officers, equivalent to the rank of the gazetted officers of Government, to be Estate Officers for the purposes of the said Act and further directs that the said officers shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed, on the estate Officers by or under the said Act, within the local limits of their respective jurisdication, in respect of the public premises specified in the corresponding entry in column (2) of the said table.

TABLE

Designation of Officers	Categories of public premises and local limits of jurisdiction
(1)	(2)
1. Administrative Officer, Hindustan Steel Limited Ranchi, Bihar.	Premises belonging to and under the administrative control of the Hindustan Steel Limited, situated at Ranchi, Bihar.
2. Assistant Estate Managers, Hindustan Steel Limited, Bhilai Steel Plant, Durg Madhya Pradesh.	Premises belonging to and under the adminstrative control of Hindustan steel Limited, situated in Durg Tahsil of Durg District in Madhya Pradesh and premises belonging to central Government situated at this place and placed under the administrative control of the Hindustan Steel Limited.
3. Astt. Law Officer (Mines) Hindustan Steel Limited Bhilai Steel Plant, Bhilai Durg, Madhya Pradesh.	Premises belonging to and under the administrative control of Hindustan Steel Limited situated at Nandini, in Tahsil and District Durg, at Hirri in Tahsil and District Bilaspur, at Chandidongri in Tahsil Rajnandgaon and Khairagarh of District Rajanandgaon, at Kallwara Khurd and Tikaria in Tahsil Murwara (Katni) of District Bilaspur, at Akaljharia in Tahsil Kawardha of District Rajnandgaon and at Kamthi, Bakoda, Baihatikur, Pandiwara, Shankar Piparia, Botejhari, Kochewahi, Mohgaonghat, Ambejhari, Hathoda and Chikmara in Tahsil Waraseoni of Distt. Balaghat, Madhya Pradesh and premises belonging to Central Govt. situated at these places and placed under the administrative control of Hindustan Steel Ltd.
4. Astt. Estate Manager, (Rajhara Mines) Hindustan Steel Limited Bhilai Steel Plant, Durg, Madhya Pradesh.	Premises belonging to and under the administrative control of Hindustan Steel Limited, situated at Rajhara and Danitola (Balod Forest Range) in Balod Tahsil of Distt. Durg, at Aridongri in Bhaxupratappur Tahsil, Kanker Sub-division of Bastar District, Madhya Pradesh and premises belonging to Central Govt. situated at these places and placed under the administrative control of Hindustan Steel Limited.
5. Estate Officer, (Court Cases), Hindustan Steel Limited, Rourkela Steel Limited, Rourkela Steel Plant, Rourkela, District Sundergarh, Orissa.	Premises belonging to and under the administrative control of Hindustan Steel Limited and situated within Panposh Tahsil in the District of Sundergarh and premises belonging to the Govt. of Orissa situated at this place and place under the administrative control of Hindustan Steel Limited.
6. Land Officer, Hindustan Steel Limited, Rourkela Steel Plant, Rourkela, District, Sundergarh, Orissa.	Premises belonging to and under the administrative control of Hindustan Steel Limited, and situated in the Tahsil of Banai and Sadar in the District of Sundergarh in Orissa and Raghurajnagar Tahsil in the District of Satna in Madhya Pradesh and premises belonging to the Govt. of Orissa situated at Banai & Sadar and placed under the administrative control of Hindustan Steel Limited.

(1)	(2)
tan Steel Limited, Durgapur Steel Plant, Durgapur, District, Burdwan, West Bengal.	the administrative control of Hindustan Steel Limited, situated at Durgapur in Durgapur Police Station and Ondal Police Station of Burdwan District in West Bengal & premises belonging to Central Govt. situated at these places and placed under the administrative control of Hindustan Steel Limited.
8. Assistant Estate Officer, Hindustan Steel Limited Durgapur Steel Plant, Durgapur, District Burdwan, West Bengal.	Premises belonging to and under the administrative control of Hindustan Steel Limited, situated at Durgapur in Durgapur Police Station and Ondal Police Station of Burdwan District in West Bengal & premises belonging to the Central Government situated at these places, and placed under the administrative control of Hindustan Steel Limited.
9. Maintenance Engineer (Civil) Central Administrative Office, Hindustan Steel Limited, Central Coal Washeries Organisation, Saraidella, Dhanbad, Bihar.	(a) Premises belonging to and under the administrative control of Hindustan Steel Limited, situated in the District of Hazaribagh (Bihar) i. e. within the township/plant area of Dugda I & II Coal Washery & Premises belonging to the Central Government situated at these places, and placed under the administrative control of Hindustan Steel Limited. (b) Premises belonging to and under the administrative control of Hindustan Steel Limited situated in the District of Dhanbad i.e. within the township/plant area of Patherdih and colony premises of Saraidella/Dhanbad and premises belonging to the Central Government situated at these places and placed under the administrative control of Hindustan Steel Limited. (c) Premises belonging to and under the administrative Control of Hindustan Steel Limited, situated in the District of Purulia (West Bengal) i.e. within the Plant/township area of Bhojudih Coal Washery.
10. Administrative Officer, Hindustan Steel Limited Alloy Steel Plant, Durgapur District Burdwan, West Bengal.	Premises belonging to and under the administrative control of Alloy steels Plant of the Hindustan Steel Limited within the Police Station Durgapur, District Burdwan, West Bengal.

[F. No. Coy-6(82)/68]

B. S. BHATNAGAR, Dy. Secy.

(Department of Mines)

New Delhi, the 21st January, 1974

ERRATA

S.O. 386.—In the notification of the Government of India (Bharat Sarkar) in the Ministry of Steel and Mines (Ispat Aur Khan Mantralaya), Department of Mines (Khan Vibhag), No. 467(E), dated the 5th September, 1973, published at pages 1625 and 1626, of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 5th September, 1973.

(i) at page 1625, in line 8, for "19. CORRUGATED SHEET ALLMY N 3" read "19. CORRUGATED SHEET ALLOY N 3";

(ii) at page 1626, in line 6, under column 5 of the Table, for "899" read "8995".

[No. F. 5(67)/72-Met. I]

V. PANCHAPAGASEN, Dy Secy.

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय

पैट्रोलियम विभाग

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 1974

का० आ० 387.—अतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि बैलसिंघ 1 से डब्लयू० एच० आई० तथा डब्लयू एच आई से फ्लेयर प्वाइंट तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः, अब, पैट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिये आक्षेप समक्ष प्राधिकारी, ... तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड बरौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

बैल सिन्ध से डब्ल्यू०एच०आई० तक पाइपलाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात **जिला** : मेहसाणा **तालुका** : मेहसाणा

गांव	सर्वेक्षण संख्या	हेक्टर	ए आर ई	सी ए आई ई
सुंडरदा	330	0	06	56
	331	0	03	60
डब्ल्यू०एच०आई० से फ्लेयर पवाईन्ट तक पाइपलाइन बिछाने के लिए				
	332	0	01	20
	333	0	09	94
	334	0	02	04

[संख्या-12016/1/73-एल एण्ड एल]

MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS
(Department of Petroleum)

New Delhi, the 30th January, 1974

S. O. 387.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Well Linch I to WHI and WHI to Flare Point in Gujarat State Pipelines should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section of 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Goverament hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Baroda-9.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

For laying pipelines from well linch to W.H.I.

State: Gujrat Distt: Mehsana Taluka: Mehsana

Village	Survey No.	Hectare	Are	P. Are
Mundarda . .	330	0	06	56
	331	0	03	60
Laying of Pipeline from W.H.I. to Flare Point				
	332	0	01	20
	333	0	09	94
	334	0	02	04

[No. 12016/1/73-L&L]

का० आ० 388.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में सनद जी जी एस से सी टी एफ कलोल तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्बद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः, अब, पैट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962(1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप समक्ष प्राधिकारी,—————— तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टः यह भी कथन करेगा कि वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

सनद जी जी एस से सी टी एफ कलोल तक पाइपलाइन के लिए अपेक्षित अतिरिक्त भूमि

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कलोल

गांव	सर्वेक्षण संख्या	हैक्टर	ए आर ई	पी ए आर ई
करोली .	213	0	03	80
	351	0	06	63
	352/पी	0	00	60
	352/पी	0	08	50

[सं० आई एस/12016/8/73 एल एन्ड एल]

बी० आर० भल्ला, अवर सचिव

S.O. 388.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Sanand GGS to CTF KALOL in Gujarat State Pipelines should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Baroda-9.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Additional Land to be Acquired for Pipeline from Sanand GGS to CTF Kalol

State: Gujrat District: Mekhsana Taluka : Kalol

Village	Survey No.	Hectare	Are	P. Are
Karoli . .	213	0	03	80
	351	0	06	63
	352/p	0	00	60
	352/P	0	08	50

[No IS/12016/8/73-L&L]

B. R. BHALLA, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय
(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 1974

का. आ. 389.—औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा (1) श्री हर गोविन्द गुजराल (2) श्री एस. डी. विजयराघवन् औषधि निरीक्षक केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन, उत्तरी जोन, गाजियाबाद (3) श्री अधीर

कुमार सिन्हा औषधि निरीक्षक, केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, पश्चिमी जोन, बम्बई और श्री आर. नारायण स्वामी, औषधि निरीक्षण केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन दक्षिण जोन, मद्रास को सम्पूर्ण भारत के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निरीक्षक पद पर नियुक्त करती है।

[संख्या : एक्स 11031/8/73 डी. एण्ड एम. एस]

कुमारी सती बालकृष्णा, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY PLANNING

(Department of Health)

New Delhi, the 21st January, 1974

S.O. 389.—In exercise of the powers conferred by section 21 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government hereby appoints (1) Shri Har Govind Gujaral and (2) Shri S. D. Vijayaraghavan Drugs Inspectors, Central Drugs Standard Control Organisation, North Zone, Ghaziabad, (3) Shri Adhir Kumar Sinha, Drugs Inspector, Central Drugs Standard Control Organisation, West Zone, Bombay and (4) Shri R. Narayanaswamy, Drugs Inspector, Central Drugs Standard Control Organisation, South Zone, Madras, as Inspectors for the purposes of the said Act for the whole of India.

[No. X. 11031/8/73-D&MS]

MISS SATHI BALAKRISHNA, Under Secy.

कृषि मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 1973

का०आ० 390.—यतः एलो रेशे श्रेणीकरण और चिह्नन नियम, 1972 का प्रारूप कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 द्वारा यथापेक्षित भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (II), तारीख 4 नवम्बर, 1972 के पृष्ठ 5184 और 5185 में भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 3626, तारीख 20 नवम्बर, 1972 के अधीन प्रकाशित किया गया था जिस पर उन सभी व्यक्तियों से जिनका उससे प्रभावित होना संभव था, 25 नवम्बर, 1972 तक आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किये गए थे;

और यतः उक्त प्रारूप नियमों को उन सभी व्यक्तियों को जानकारी के लिये जिनका उनसे प्रभावित होना संभाव्य है, पुनः प्रकाशित करने के लिये वांछनीय समझा गया है।

अतः अब, एलो रेशे श्रेणीकरण और चिह्नन नियम, 1973 का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बनाने की प्रस्थापना करती है, उक्त धारा यथापेक्षित उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिये, जिनका उनसे प्रभावित होना संभाव्य है, प्रकाशित किया जाता है, और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पैंतालिस दिन की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व प्राप्त होने वाले किसी भी आपेक्ष या सुझाव पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रा प नियम

एलो रेशे श्रेणीकरण और चिह्नन नियम, 1973

1. **संक्षिप्त नाम और लागू होना** :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम एलोरेशे श्रेणीकरण और चिह्नन नियम, 1973 है।

(2) ये भारत में उत्पादित और एगवा केन्टाला और 'ए' – वेराक्रूज नामक वनस्पतिक जाति से अभिप्राप्त एलो रेशों पर लागू होंगे

2. **परिभाषाएं** :—इन नियमों में,—(1) "कृषि विपणन सलाहकार" से भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार अभिप्रेत है।

(2) 'अनुसूची' से इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।

(3) "प्राधिकृत पैकर" से वह व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है जिसे भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार द्वारा नियमों के अधीन श्रेणी-मानकों के अनुसार वस्तु के वर्गीकरण और उस पर एगमार्क लगाने के लिये और विहित उपज प्राप्त करने के लिये प्राधिकरण-प्रमाणपत्र दिया गया हो।

3. **श्रेणी अभिधान** : एलो रेशों की क्वालिटी उपदर्शित करने के लिये श्रेणी अभिधान वे होंगे जो अनुसूची 1 के स्तम्भ 1 में उपवर्णित है।

4. **क्वालिटी की परिभाषा** :—सम्बद्ध श्रेणी अभिधानों द्वारा उपदर्शित एलो रेशों की क्वालिटी वह होगी जो अनुसूची 1 स्तम्भ 2 से 6 में प्रत्येक श्रेणी अभिधान के सामने उपवर्णित है,

5. **श्रेणी अभिधान चिह्न** : श्रेणी अभिधान चिह्न एक ऐसे लेबल का होगा जिसमें श्रेणी अभिधान विनिर्दिष्ट होगा और एक ऐसा डिजाइन भारत के नक्शे का रेखा चित्र 'एगमार्क' शब्द के साथ तथा उगते हुये सूर्य का चित्र (produce of India) एवं 'भारतीय उत्पाद' शब्दों के साथ होगा जैसा कि अनुसूची 2 में उपवर्णित है।

6. **चिह्नन की पद्धति** : प्रत्येक गांठ पर श्रेणी अभिधान चिह्न कृषि विपणन सलाहकार द्वारा अनुमोदित रीति से सुरक्षा पूर्वक चिपकाया जायेगा और उसमें निम्नलिखित विशिष्टियां स्पष्ट रूप से बताई जाएंगी :—

(क) श्रेणी अभिधान।

(ख) किस्म अथवा व्यापार नाम।

(ग) शुद्ध भार।

(घ) पैक किये जाने की तारीख।

(ङ) फसल वर्ष।

(2) कृषि विपणन सलाहकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करके प्राधिकृत पैकर गांठ पर उक्त अधिकारी द्वारा अनुमोदित रीति से अपना निजी व्यापार चिह्न लगा सकेगा, परन्तु यह तब जब कि उसका निजी व्यापार चिह्न, इन नियमों के अनुसार गांठ पर लगाये गये श्रेणी अभिधान चिह्न द्वारा उपदर्शित एलो रेशों की क्वालिटी या श्रेणी से भिन्न न हो।

7. **पैकिंग की पद्धति** : (1) एलो रेशे कृषि विपणन सलाहकार द्वारा अनुमोदित भार की गांठों में पैक किये जायेंगे।

(2) प्रत्येक गांठ में एक ही श्रेणी अभिधान के रेशे पैक किए जायेंगे।

8. **प्राधिकरण प्रमाणपत्र की विशेष शर्तें** : साधारण श्रेणीकरण और चिह्नन नियम, 1937 के नियम 4 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अतिरिक्त, प्राधिकृत पैकर द्वारा कृषि विपणन सलाहकार के समाधान, के लिये निम्नलिखित विशेष शर्त का पालन किया जाएगा, अर्थात्:—प्राधिकृत पैकर, कृषि विपणन सलाहकार द्वारा इस निमित्त सम्यकतः प्राधिकृत निरीक्षण प्राधिकारी को नमूने लेने परीक्षण तथा इस प्रकार किसी अन्य बात के लिये सभी तरह की सुविधाएं प्रदान करेगा।

अनुसूची—1 (नियम 3 और 4 देखिए)

वाणिज्य में एलो रेशों नामक ऐगवा केन्टेला और ऐगवा वेराक्रूज से प्राप्त रेशों के श्रेणी अभिधान और क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी अभिधान	छूट की अधिकतम सीमाएं		विशेष लक्षण		साधारण लक्षण
	विजातीय द्रव्य* (वजन द्वारा प्रतिशत)	रूक्ष रेशे** (वजन द्वारा प्रतिशत)	रंग	न्यूनतम*** लम्बाई (सं० मी०)	
1	2	3	4	5	6
विशेष	3	5	मलाई जैसा सफेद	80	(क) रेशे समुचित नरम बनावट के और एक रंग के होंगे। ये स्वच्छ तथा पर्याप्त सूखे होंगे।
सं० 1	5	10	हलका मलाई जैसा सफेद		
सं० 2	8	25	भूरा अथवा बादाम जैसा सफेद	60	(ख) तन्तु गुच्छा लम्बाई तथा मजबूती में पर्याप्त रूप से एक समान होंगे तथा फन्दे गाठ नोकदार उभारों तथा अवांछनीय पदार्थ से रहित होंगे

शब्दों की परिभाषा *विजातीय पदार्थ—इसमें धूल, मिट्टी के ढेले, लकड़ी, वलयकों के बहुत छोटे, कमजोर टुकड़ों तथा उलझे हुए गुच्छे तथा खाल का कचरा और अन्य कोई अशुद्धियां आती है।

**रूक्ष रेशे से ऐसे रेशे अभिप्रेत है जो अनुचित रूप से गलाए जाने या निकाले जाने के कारण बहुत कड़े या रूक्ष हो जाते हैं।

***श्रेणी में आकस्मिक त्रुटियों के लिये 2 5 प्रतिशत की छूट अनुज्ञेय होगी।

अनुसूची—2

(नियम 5 देखिए)

कृपया यहां भारत का नक्शा पृष्ठ 563 पर देखें।

[फा० सं० 13-3/71-सी एण्ड एम]

टी० डी० माखीजानी, अवर सचिव,

MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Agriculture)

New Delhi, the 26th December, 1973.

S.O. 390.—Whereas a draft of the Aloe Fibre Grading and Marking Rules, 1972, was published as required by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) at pages 5184 and 5185 of the Gazette of India, Part II—Section 3—Sub Section (ii) dated 4th November, 1972 under the Notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture) No. S.O. 3626 dated the 20th November, 1972 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the 25th November, 1972;

And whereas it is considered desirable to publish the said draft rules again for the information of all persons likely to be affected thereby ;

Now, therefore, the following draft of the Aloe Fibre Grading and Marking Rules, 1973, which the Central Government proposes to make in exercise of the power conferred by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) is hereby published as required by the said section for the Information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after the expiry of forty-five days from the date of publication of this notification in the Official Gazette;

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

ALOE FIBRE GRADING AND MARKING RULES, 1973

1. **Short title and application** :—(1) these rules may be called the Aloe Fibre Grading and Marking Rules, 1973.

(2) They shall apply to the Aloe fibre produced in India and obtained from the botanical species called the Agave cantala and A. vera-cruz.

2. **Definitions** :—In these rules —(1) "Agricultural Marketing Adviser" means the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India.

(2) 'Schedule' means a Schedule appended to these rules.

(3) 'Authorised packer' means a person or a body of persons who has been granted a certificate of Authorisation by the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India for getting the commodity graded and Agmarked in accordance with grade standards and produce prescribed under the Rules.

3. **Grade Designation** :—The Grade designations to indicate the quality of Aloe fibre shall be set out in column 1 of Schedule I.

4. **Definition of quality** :—The quality of the Aloe fibre indicated by the respective grade designations shall be as set out against each grade designation in column 2 to 6 of Schedule I.

5. **Grade designation mark** :—The grade designation mark shall consist of a label specifying the grade designation and bearing a design consisting of an outline map of India with the word 'AGMARK' and the figure of the rising sun, with the words 'Produce of India' and 'भारतीय उत्पाद' resembling the one as set out in Schedule II.

6. **Methods of marking** :—(1) The grade designation mark shall be securely affixed to each bale in a manner approved by the Agricultural Marketing Adviser and shall clearly show the following particulars, namely :—

(a) Grade Designation.

(b) Variety or Trade Name.

(c) Net weight.

(d) Date of packing.

(e) Year of harvest.

(2) An authorised packer may, after obtaining the prior approval of the Agricultural Marketing Adviser, mark his private trade mark on a bale in a manner approved by the said officer, provided that the private trade mark, does not represent quality

or grade of Aloe fibre different from that indicated by the grade designation mark affixed to the bale in accordance with these rules.

7. **Method of packing** :—(1) The Aloe fibre shall be packed in bales of such weights as may be approved by the Agricultural Marketing Adviser.

(2) Each bale shall contain fibre of one grade designation only.

8. **Special conditions of Certificate of Authorisation** :— In addition to the conditions specified in rule 4 of the General Grading and Marking Rules, 1937, the following special condition shall be observed by an authorised packer to the satisfaction of the Agricultural Marketing Adviser, namely :—

An authorised packer shall provide all facilities to the Inspecting Officer, duly authorised by the Agricultural Marketing Adviser, in this behalf, for sampling, testing and such other matter as may be necessary.

SCHEDULE I

(See rules 3 and 4)

Grade Designations and definition of quality of fibre obtained from Agava Cantala and Agava Vera-cruz known commercially as aloe fibre

Grade Designation	Maximum limits of tolerance		Special characteristics		General characteristics
	Foreign* matter (% by weight)	Harsh fibre** (% by weight)	Colour	Minimum length*** (cm)	
Special	3	5	Creamy white	80	(a) The fibre shall be of a reasonably soft texture and uniform colour. It shall be clean and reasonably dry.
No.1	5	10	Pale creamy white	70	
No.2	8	25	Greyish of Brownish white	60	(b) The strands shall be reasonably uniform in length and strength and free, from tangling, knots, spines and other undesirable materials.

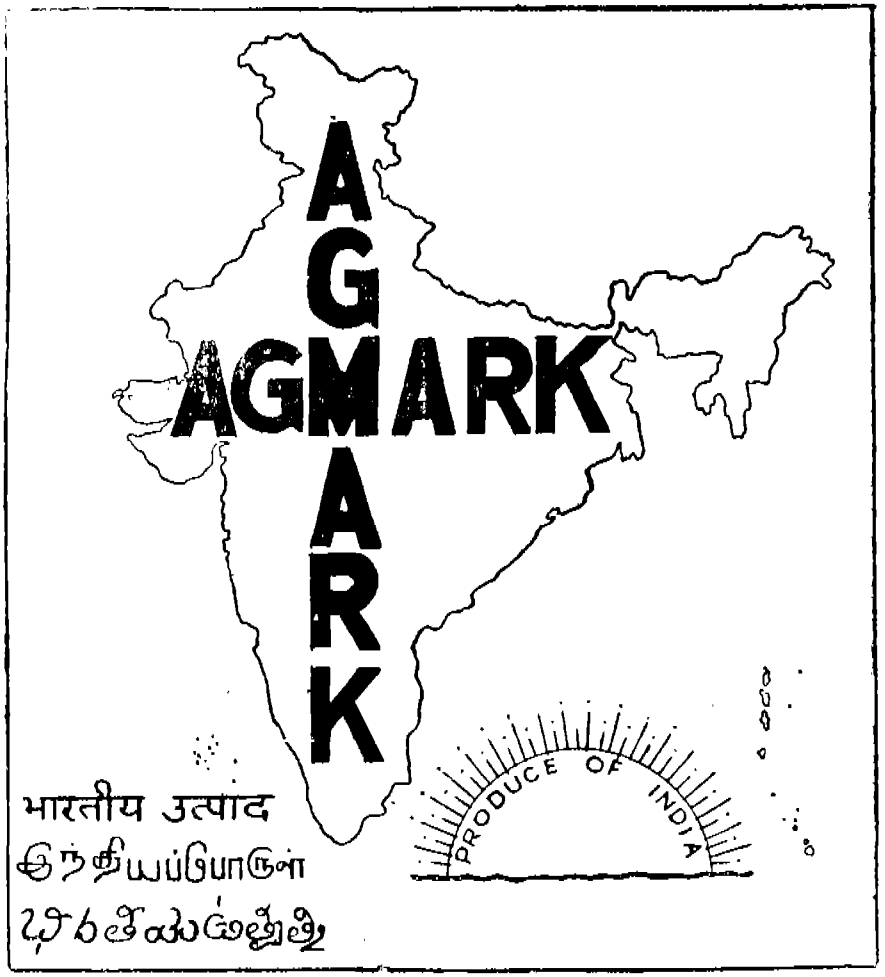
Definition of terms : —* "Foreign matter" includes dust, lumps of earth, sticks, tangled mass of very short and weak pieces of strands and skin waste and any other impurity.

**"Harsh Fibre" means fibre which has become very hard or harsh in nature due to improper retting or improper extraction.

***For accidental errors in grade, a tolerance of 2.5 percent shall be permissible.

SCHEDULE II

(See rule 5)



[F. No. 13-3/71-AM]

T. D. MAKHIJANI,
Under Secy.

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1974

का० आ० 391.—केन्द्रीय सरकार, सामान्य श्रेणीकरण और चिह्नन नियम, 1937 के नियम 4 की खंड (झ) और खंड (ट) के अनुसरण में इस अधिसूचना के जारी किए जाने की तारीख से ऐगमार्क के अधीन सूखी खाद्य खुम्भियों के आधान पात्रों पर लगाए जाने वाले ऐगमार्क लेबलों के लिए निम्नलिखित प्रभार निर्धारित करती है, अर्थात् :—

1. सूखी खाद्य खुम्भियों की तेल श्रेणी के सिवाय सभी श्रेणियां	3 रुपया प्रति किलोग्राम
2 सूखी खाद्य खुम्भियों की तेल श्रेणी	1 रुपया प्रति किलोग्राम।

[सं० 13-3/72 ए एम]

New Delhi, the 31st January, 1974

S. O. 391.—In pursuance of clauses (i) and (k) of rule 4 of the General Grading and Marking Rules, 1937, the Central Government hereby fixes, with effect from the date of publication of the notification, the following charges for Agmark labels to be affixed on the containers of Dried Edible Mushrooms under Agmark, namely:—

(i) All Grades, except grade 'Tail, or Dried Edible Mushrooms.	Rs. 3.00 per kilogram
(ii) Grade 'Tail' of Dried Edible Mushrooms	Rs. 1.00 per kilogram

[No. 13-3/72-AM]

का. आ. 392.—केन्द्रीय सरकार कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषित करती है कि उक्त अधिनियम के उपबन्ध 'सूजी और मैदा' को लागू होंगे।

[सं. 13-2/73-ए. एम.]

रघुबीर नारायण, अवर सचिव

S.O. 392.—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) the Central Government hereby declares that the provisions of the said Act shall apply to "Suji" and "Maida".

[F. No. 13-2/73-AM]

RAGHUBIR NARAIN, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1973

का. आ. 393.—चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 5(1) और चलचित्र (सेंसर) नियमावली, 1958 के नियम 9 के उप-नियम (2) के साथ पठित नियम 8 के उप-नियम (3) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड से परामर्श करके एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को 1 जनवरी, 1974 से 31 मार्च, 1974 तक, उक्त बोर्ड के बम्बई सलाहकार पैनल का फिर से सदस्य नियुक्त किया है :—

1. श्री कमलेश्वर
2. प्रो. के. जी. अग्रवाल
3. श्री एस. एस. रेगे
4. प्रो. (श्रीमती) विजया राजाध्यक्ष
5. श्री डी. जी. नाडकर्णी
6. प्रो. मुरली ठाकुर
7. डा. (श्रीमती) चारुशीला बी. गुप्ते
8. श्री जी. के. दुतिया
9. श्रीमती कमला तिलक
10. श्रीमती पद्मा के. देसाई
11. डा. (कुमारी) लबुबेन एस. सोनेजी
12. श्रीमती नलिनी एस. सुखसंधकर
13. श्रीमती मणिबेन देसाई
14. श्रीमती टी. वी. देहेजिया
15. श्रीमती लक्ष्मी वाही
16. श्री एस. डी. शाह
17. श्री गंगाराम जोशी
18. श्री राम नारंग
19. श्री एस. ई. हसनैन
20. श्रीमती कमला दुआ
21. श्री तलाक्षी शाह
22. श्री राजनारायण सिंह
23. श्रीमती आर. एस. बोगा
24. श्री रसिक जे. शाह
25. श्रीमती मृणालिनी चौकसी
26. श्री मती ललिता एन. वापट
27. श्रीमती एस. गुलराजानी
28. श्रीमती वीना सेठी
29. श्रीमती माल्ती गिलानी
30. श्रीमती आशा सेठ
31. श्रीमती मंजु अग्रवाल
32. श्री जोए अन्सारी
33. श्रीमती उर्मिला कपूर
34. श्री डी. पी. आनन्द

[फा. संख्या 11/3/72-एफ. सी.]

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 31st December, 1973

S.O. 393.—In exercise of the powers conferred by section 5(1) of the Cinematograph Act, 1952 and sub-rule (3) of rule 8 read with sub-rule 2 of rule 9 of the Cinematograph (Censorship) Rules, 1958, the Central Government hereby re-appoints the following persons after consultation with the Central Board of Film Censors as members of the Advisory Panel of the said Board at Bombay with effect from 1st January, 1974 upto 31st March, 1974:—

1. Shri Kamaleshwar.
2. Prof. K. G. Aggarwal.

3. Shri S. S. Rege.
4. Prof. (Smt.) Vijaya Rajadhayaksha.
5. Shri D. G. Nadkarni.
6. Prof. Murli Thakur.
7. Dr. (Smt.) Charusheela B. Gupta.
8. Shri G. K. Dutia.
9. Smt. Kamala Tilak.
10. Smt. Padma K. Desai.
11. Dr. (Miss) Labuben S. Soneji.
12. Smt. Nalini S. Sukthankar.
13. Smt. Maniben Desai.
14. Smt. T. V. Dehejia.
15. Smt. Laxmi Wahl.
16. Shri S. D. Shah.
17. Shri Ganga Ram Joshi.
18. Shri Rama Narang.
19. Shri S. E. Hassnain.
20. Smt. Kamala Dua.
21. Shri Talakshi Shah.
22. Shri Rajnarain Singh.
23. Smt. R. S. Boga.
24. Shri Rasik J. Shah.
25. Smt. Mrinalini Choksi.
26. Smt. Lalita N. Bapat.
27. Smt. S. Gulrajani.
28. Smt. Veena Sethi.
29. Smt. Malati Gilani.
30. Smt. Asha Sheth.
31. Smt. Manju Agarwal.
32. Shri Zeo Ansari.
33. Smt. Urmila Kapoor.
34. Shri D. P. Anand.

[F. No. 11/3/72-FG.]

का. आ. 394.—चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को 1 जनवरी, 1974 से 31 मार्च, 1974 तक, केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड का फिर से सदस्य नियुक्त किया है :—

1. श्री बी. आर. चोपड़ा
2. श्रीमती वीना दुग्गल
3. श्रीमती सुरेन्द्र गुप्त
4. श्री पी. सी. मैथ्यू
5. श्रीमती एम. नसरुल्लाह
6. श्री बी. एन. सरकार
7. श्री ए. एल. श्रीनिवासन
8. श्री सी. आर. सुन्दरम
9. श्री डेविड अब्राहम

[फाइल सं. 11/6/72-एफ. सी.]

S.O. 394.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Cinematograph Act, 1952, the Central Government hereby re-appoints the following persons as members of the Central Board of Film Censors with effect from 1st January, 1974 upto 31st March, 1974:—

1. Shri B. R. Chopra.
2. Smt. Veena Duggal.
3. Smt. Surrinder Gupta.
4. Shri P. C. Mathew.
5. Smt. M. Nasrullah.
6. Shri B. N. Sircar.
7. Shri A. L. Srinivasan.
8. Shri C. R. Sundaram.
9. Shri David Abraham.

[F. No. 11/6/72-F.C.]

का. आ. 395.—चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 5(1) और चलचित्र (सेन्सर) नियमावली, 1958 के नियम 9 के उप-नियम (2) के साथ पठित नियम 8 के उप-नियम (3) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय फिल्म सेन्सर बोर्ड से परामर्श करने के बाद, एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को 1 जनवरी, 1974 से 31 मार्च, 1974 तक, उक्त बोर्ड के मद्रास सलाहकार पैनल का सदस्य फिर से नियुक्त किया है :—

1. श्री टी. नीलकन्तन
2. श्रीमती सौन्द्रा कैलासम
3. श्री पकाला सूर्य नारायण राव
4. श्री मोहम्मद यूसुफ कोंकण
5. श्री एम. गोविन्दन
6. श्रीमती सी. एल. मीनाक्षी अम्मा
7. श्री पी. वी. चलपतेश्वर राव
8. श्रीमती मेरी क्लबवाला जादव
9. श्री पी. के. रामलिंगम
10. श्री जी. वरदप्पा
11. श्रीमती आर. सुवर्ण
12. श्रीमती पी. वी. भागीरथी
13. श्रीमती बर्था लोबो
14. श्रीमती इन्दिरा डी. कोठारी
15. श्रीमती मालती चेन्दूर
16. श्री सी. आर. शर्मा
17. श्रीमती राजी रंगाचारी
18. श्रीमती पद्मिनी अच्युता मेनन
19. श्रीमती एन. एस. मणि
20. डा. एस. विजयालक्ष्मी
21. श्रीमती लीला पार्थसारथी
22. कुमारी पी. शान्ताबाई
23. श्रीमती एम. लीलावती
24. श्रीमती रोहिणी कृष्णचन्द्र
25. डा. (कुमारी) सी. एम. लीलावती
26. श्रीमती हेमलता अंजनेयुलु

27. श्रीमती सारा सैयद यूसुफ
28. श्रीमती जी. दुबे
29. श्रीमती पद्मा सदानन्दम्

[फाइल सं. 11/4/72-एफ. सी.]

S.O. 395.—In exercise of the powers conferred by section 5(1) of the Cinematograph Act, 1952, and sub-rule (3) of rule 8 read with sub-rule (2) of rule 9 of the Cinematograph (Censorship) Rules, 1958, the Central Government hereby re-appoints the following persons after consultation with the Central Board of Film Censors, as members of the Advisory Panel of the said Board at Madras with effect from Ist January, 1974 upto 31st March, 1974:—

1. Shri T. Neelakanthan.
2. Smt. Soundra Kailasam.
3. Shri Pakala Suryanarayana Rao.
4. Shri Mohd. Yousuf Kokan.
5. Shri M. Govindan.
6. Smt. C. L. Meenakshi Amma.
7. Shri P. V. Chalapatheswara Rao.
8. Smt. Mary Clubwala Jadhav.
9. Shri P. K. Ramalingam.
10. Shri G. Varadappa.
11. Smt. R. Suvarna.
12. Smt. P. V. Bhagirathi.
13. Smt. Bertha Lobo.
14. Smt. Indira D. Kothari.
15. Smt. Malati Chendur.
16. Shri C. R. Sarma.
17. Smt. Raji Rangachari.
18. Smt. Padmini Achutha Menon.
19. Smt. N. S. Muni.
20. Dr. S. Vijayalakshmi.
21. Smt. Leena Parthasarathi.
22. Kumari P. Shanta Bai.
23. Smt. M. Leelavathi.
24. Smt. Rohini Krishnachandra.
25. Dr. (Miss) C. M. Leelavati.
26. Smt. Hemlata Anjaneyulu.
27. Smt. Sara Syed Yusuff.
28. Smt. G. Dubey.
29. Smt. Padma Sadanandam.

[F. No. 11/4/72-FC.]

का. आ. 396.—चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 5(1) और चलचित्र (सेंसर) नियमावली, 1958 के नियम 9 के उप-नियम (2) के साथ पठित नियम 8 के उप-नियम (3) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड से परामर्श करने के बाद एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को 1 जनवरी, 1974 से 31 मार्च, 1974 तक उक्त बोर्ड के कलकत्ता सलाहकार पैनल, का फिर से सदस्य नियुक्त किया है :—

1. श्रीमती उमा सहानवीस
2. श्री सैलन मुखर्जी
3. श्रीमती अबू सईद अय्यूब
4. श्रीमती काजल सेनगुप्त
5. श्रीमती शैव्या दत्त
6. श्रीमती आशा पूर्णा देवी
7. श्रीमती रीता रे
8. श्री सुजीत के. चक्रवर्ती
9. श्री आर. पी. गुप्त
10. श्री अनन्त महापात्रा
11. श्री सौमयेन्द्र नाथ टैगोर
12. श्रीमती उषा खान
13. श्री रानेन अयन दत्त
14. श्रीमती जयश्री सेन
15. श्रीमती मीनाक्षी बसु

[फाइल सं. 11/5/72-एफ. (सी.)]

के. पी. के. नायर, अवर सचिव

S.O. 396.—In exercise of the powers conferred by section 5(1) of the Cinematograph Act, 1952 and sub-rule (3) of rule 8, read with sub-rule (2) of rule 9 of the Cinematograph (Censorship) Rules, 1958, the Central Government hereby re-appoints the following persons after consultation with the Central Board of Film Censors, as members of the Advisory Panel of the said Board at Calcutta with effect from Ist January, 1974 upto 31st March, 1974:—

1. Smt. Uma Sahanabis.
2. Shri Sailen Mookherji.
3. Smt. Abu Sayeed Ayyub.
4. Smt. Kajal Sen Gupta.
5. Smt. Shaibya Dutt.
6. Smt. Asha Purna Debi.
7. Smt. Rita Ray.
8. Shri Sujit K. Chakrabarti.
9. Shri R. P. Gupta.
10. Shri Anant Mahapatra.
11. Shri Saumyendra Nath Tagore.
12. Smt. Usha Khan.
13. Shri Ranen Ayan Dutta.
14. Smt. Jayasree Sen.
15. Smt. Minakshi Basu.

[F. No. 11/5/72-FC.]

K. P. K. NAYAR, Under Secy.

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 1974

का० आ० 397.—केन्द्रीय सरकार, भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम 133 के उपनियम नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि उक्त नियम के निम्नलिखित :—

(i) नियम 118 (क);

(ii) नियम 119 (1)(क);

(iii) नियम 118 (ग);

(iv) नियम 130; और

(v) नियम 123(7)

के उपबन्ध मेसर्स नेशनल कोल डेवलेपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की करगली विद्युत खान में 3.3 के० वी० रूसी विद्युत खनित्र, क्रम० सं० 627, माइल ई० के० जी०-4.6 वी के सहयोजन में निम्नलिखित साधित्र

(1) जनन सेट के लिए एक रूसी मेक 250 के उल्यू 6600/3300 वोल्ट्स, 3—फेज ए० सी० मोटर, क्रम सं० 158548;

(2) 40 के वी ए ट्रान्सफार्मर के प्राथमिक नियंत्रण के लिए एक रूसी मेक तीन प्रकार से कार्य करने वाला वियुक्तक बिना फ्यूज सरक्षा के 600 वोल्ट्स ग्रेड, धारा-दर 400 एम्पस,

(3) एक रूसी मेक प्राकृतिक तेल से ठन्डा किया गया ट्रान्सफार्मर, 40 के वी ए, प्राथमिक वोल्टेज 3.3 के वी, माध्यमिक वोल्टेज 230 वोल्ट्स, 3 फेज, स्टार-स्टार जुड़ी हुई प्रकार एम० ई० 40-टी-3, क्रम सं० 373338;

(4) एक उच्च वोल्टेज वितरण केबिनेट रूसी मेक; टाइप 2 के बी, ई-6 एम, वोल्टेज—दर 6600 वोल्ट्स धारा—दर 200 एम्प्स, क्रम सं० 290;

(5) 330 मीटर कवचित लचीला केबल 3 फेज, चार कोर, 6 6 के वी ग्रेड, साइज 3×25 एम एम^2 + 1×10 एम एम^2 एक ब्रिटानिया भारत विद्युत निर्माण मेक के साथ पृथक-पृथक आवरणित तेल परिपथ भग्नोमि 3300 वोल्ट्स, 3 फेज सी. टी. अनुपात 60/5 एम्फस, क्रम सं० 4288;

के प्रयोग की बाबत निम्नलिखित सीमा तक शिथिल किए जा सकेंगे :—

(1) नियम 118 (क) के शैथिल्य में, शावल में सुवाह्य मोटर चालन जनित्र सेट का 3.3 के वी पर प्रयोग किया जा सकेगा;

(2) नियम 119(1)(क) के शैथिल्य मे, एक 40 के वी ए, 3.3 के वी/230 वोल्टस, 3 फेज स्टार/स्टार ट्रान्सफार्मर सुवाह्य होने के अर्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले सुवाह्य शावल पर प्रतिष्ठापित, उच्च वोल्टता की ऊर्जा का प्रयोग करने वाले सहचारी उपस्कर अचल साधित्र नहीं होंगे;

(3) नियम 118(ग) के शैथिल्य में, 40 के वी ए, 3.3 के वी/230 वोल्ट्स के शावल के भीतर प्रकाश के प्रयोजनों के लिए आशयित प्रदाय की पद्धति में, रोधी द्वितीयक उदासीन 3 फेज स्टार/स्टार ट्रान्सफार्मर क्रम सं० 373338, फेज और उदासीन के मध्य 133 वोल्ट पर प्रयोग किया जा सकता है ।

(4) नियम 130 के शैथिल्य में, 40 के वी ए, 3.3 के वी/230 वोल्ट्स, 3 फेज ट्रान्सफार्मर का उदासीन बिन्दु रोधी रहेगा; और

(5) नियम 123(7) के शैथिल्य में, लम्बाई में 330 मीटर से अनधिक लचीली केबल सुवाह्य यन्त्र के रूप में प्रयोग की जा सकेगी; और यह कि शैथिल्य निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :

(1) लचीली केबल को 3 3 के वी का प्रदाय भू-क्षरण की व्यवस्था सहित किया जाएगा ।

(2) लचीली केबल को 3.3 के वी प्रदाय के नियन्त्रक परिपथ भग्नोमि के प्रवाहित करेंट, सुवाह्य यन्त्र में प्रतिष्ठापित 3.3 के वी मोटर चालन जनित्र सेट निर्धारण के अनुसार होगा ।

(3) शावल पर प्रतिष्ठापित प्रतिष्ठापन और तारें भारतीय विद्युत् नियम, 1956, विशेषतया नियम 115—117, 121, 124 और 125 के सुसंगत उपबंधों के अनुसार होंगे ।

(4) लचीली अनुगामी केबल विद्युत् प्रदाय पद्धति और यन्त्र से उचित रूप में सन्निमिल कनैक्टर-ब्लाक्स या पूर्णतया बन्द सुरक्षित सलाग से जुड़ा होगा ।

(5) खनिज यन्त्र और लचीली अनुगामी केबल पर पर्याप्त सावधानी से काम किया जाएगा और उन्हे बनाया जाएगा ताकि उसके प्रयोग के दौरान विद्युत् दोष के कारण होने वाले खतरे से बचाया जा सके । उच्च वोल्टता साधित्र का, परिपथ जिसमें चालन मोटर सम्मिलित है, रोधन प्रतिरोध किसी भी समय 10 मेग ओ एच एम एस से कम नहीं होगी ।

(6) शावल के प्रचालकों को भारतीय विद्युत् नियम, 1956 के नियम 3 के अपेक्षित उपबन्धों के अधीन ठीक ढंग से प्रशिक्षित और सम्भवतः प्राधिकृत किया जाना चाहिए और वे इस प्रकार दक्ष हों कि शावल का सुरक्षित रीति में प्रचालन कर सके ।

(7) यदि सुरक्षा के हित में आवश्यक हो जाय तो शैथिल्य संशोधित की जा सकेंगी या वापिस ली जा सकेंगी : परन्तु पूर्वोक्त शैथिल्य उस समय तक वैध रहेंगी जब तक उक्त यंत्र खान में प्रयोग में रहे और खान-सुरक्षा (विद्युत) उपनिदेशक के माध्यम से केन्द्रीय सरकार को वैसे ही सम्यक् सूचना दी जाएगी, जैसे ही यन्त्र खान से बाहर निकाला जाए ।

[सं ई एल II-(6) 7/73]

सुरेन्द्र प्रकाश जैन
उपनिदेशक (विद्युत्)

MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

ORDER

New Delhi, the 22nd January, 1974

S.O. 397.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Rule 133 of the Indian Electricity Rules, 1956, the Central Government hereby directs that the provisions of:—

(i) Rule 118 (a); (ii) Rule 119 (1) (a) ;
(iii) Rule 118 (c); (iv) Rule 130; and
(v) Rule 123 (7);

of the said rules shall be relaxed in respect of the use of the following apparatus in conjuction with one 3.3 KV Russian Electric Excavator Model EKG-4.6B, Serial No. 627 –

(1) One U.S.S.R. make 250 KW 6600/3300 Volts, 3-phase A.C. motor, Serial No. 158548 for Generator Set;

(2) One U.S.S.R. make Isolator Triple acting type without fuse protection 6600 Volts grade, current rating 400 amps for the primary control of 40 KVA transformer;

(3) One U.S.S.R. make natural oil cooled transformer, 40 KVA, primary voltage 3.3 KV, secondary voltage 230 volts, 3 phase, star-star connected type M.E. 40 T-3, Serial No. 373338 ;

(4) One high voltage Distribution cabinet U.S.S.R. make; type 2 K.B. E-6M, voltage rating 6600 volts, rating current 200 amps, Serial No. 290;

(5) One length of 330 metres pliable armoured cable 3 phase 4 core, 6.6 KV grade, size 3 × 25 mm^2 + 1 × 10 mm^2, individually screened with one British India Electrical Construction Make oil circuit breaker 3300 volts, 3 phase, C.T. ratio 60/5 amps, Serial No. 4288 ;

in Kargali open cast mine of M/s. National Coal Development Corp. Ltd., to the extent that (1) in relaxation of rule 118 (a), the portable motor driving generator set in the Shovel may be used at 3.3 KV;

(2) in relaxation of Rule 119 (1) (a), one 40 KVA 3.3 KV/230 volts, 3 pase, star/star transformer with its associated equipment using energy at high voltage may not be fixed apparatus as being installed on the portable shovel moving from place to place, the same having a portable sense;

(3) in relaxation of Rule 118 (c), the system of supply intended for lighting purpose within the shovel from 40 KVA, 3.3 KV/230 volts, 3 phase star/star transformer Serial No. 373338 with insulated secondary neutral may be used at 133 volts between phase and neutral;

(4) in relaxation of rule 130, the neutral point of 40 KVA, 3.3KV/230 volts, 3 phase transformer may remain insulated; and

(5) in relaxation of rule 123 (7), the flexible cable not exceeding 330 metres in length may be used with the portable machine and that the relaxation shall be subject to the following conditions :

(1) The 3.3KV supply to the flexible cable shall be provided with earth leakage protection.

(2) The over-current trips of the circuit breaker controlling 3.3KV supply to the flexible cable shall be in keeping with the rating of the 3.3KV motor driving the generator set, installed in the portable machine.

(3) The installation and wirings inside the shovel shall comply with the relevant provisions of the Indian Electricity Rules, 1956, in particular Rules 115—117, 121, 124 and 125.

(4) The flexible trailing cable shall be connected to the electric supply system and the machine by properly constructed connector boxes or totally enclosed safe attachments.

(5) The excavating machine alongwith the flexible trailing cable shall be worked and handled with due care so as to avoid danger arising out of any electrical defect during its use. The insulation resistance of the high voltage circuit including the driving motor, shall at no time be less than 10 megohms.

(6) The operators of the shovel should be suitably trained and duly authorised under the requisite provisions of Rule 3 of the I.E. Rules, 1956 and shall be so competent as to operate the shovel in a safe manner.

(7) The relaxation may be amended or withdrawn if it becomes necessary in the interest of safety.

Provided that the aforesaid relaxation shall be valid for such time as the said machine is in use in the mine and due information shall be given to the Central Govt. through the Deputy Director of Mines safety (Electrical) as soon as the machine is taken out of the mine.

[No. EL. II-6(7)/73]

S. P. JAIN,
Deputy Director (Power)

श्रम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 1973

का. आ. 398.—केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) के आदेश सं. का. आ. 2238, तारीख 14 जून, 1973 में निम्नलिखित संशोधन करती है :

उक्त आदेश में जहां कहीं भी "मैसर्स डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड, चखी दादरी की दुधीवाला खदान में सम्भरक ठेकेदार मैसर्स जीतराम शिवराम" शब्द आते हों, उनके स्थान पर "डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड, चखी दादरी और मैसर्स जीत राम शिव राम संभरक ठेकेदार" शब्द रखे जाएंगे ।

[संख्या एल-29012/5/73-एल. आर.-4]

MINISTRY OF LABOUR

ORDER

New Delhi, the 24th December, 1973

S.O. 398.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby makes the following amendment in the order of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 2238 dated 14th June, 1973 :—

In the said order for the words "Messrs. Jit Ram Sheo Ram Supplier Contractor in Dudiwala quarry of Messrs. Dalmia Dadri Cement Limited, Charkhi Dadri" wherever they occur, the words "Dalmia Dadri Cement Limited, Charkhi Dadri and Messrs. Jit Ram Sheo Ram Supplier Contractor" shall be substituted.

[No. L-29012/5/73-LR. IV]

आदेश

का. आ. 399.—केन्द्रीय सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार की श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) के आदेश संख्या का. आ. 5380, तारीख 15 नवम्बर, 1972 में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उक्त आदेश में जहां कहीं भी "मैसर्स डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड, चखी दादरी की दुधीवाला क्वारी के संभरक ठेकेदार मैसर्स जीतराम शेओ राम" शब्द आते हैं, उन के स्थान पर "डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड चखी दादरी और मैसर्स जीतराम शेओ राम सम्भरक ठेकेदार" शब्द रखे जाएंगे ।

[संख्या 29011(21)/72-एल. आर.-4]

ORDER

S.O. 399.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby makes the following amendment in the order of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 5380 dated 15th November, 1972 :—

In the said order for the words "Messrs Jeet Ram Sheo Ram Supplier Contractor Dudhi Wala quarry of Messrs. Dalmia Dadri Cement Limited, Charkhi Dadri" wherever they occur, the words "Dalmia Dadri Cement Limited, Charkhi Dadri and Messrs. Jeet Ram Sheo Ram Supplier Contractor" shall be substituted.

[No. 29011(21)/72-LR.IV]

आदेश

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1973

का. आ. 400.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड, चखी दादरी और मैसर्स डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड, के खदान ठेकेदार श्री खूब चन्द के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्दिशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन

अधिकारी श्री ओ. पी. शर्मा होंगे, जिनका मुख्यालय फरीदाबाद होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड चर्खी दादरी और मैसर्स डालमिया दादरी सीमेण्ट लिमिटेड चर्खी दादरी के खदान ठेकेदार श्री खूबचन्द के प्रबन्धतंत्र की, मैसर्स डालमिया दादरी सीमेण्ट लिमिटेड, चर्खी दादरी की खातीवास खदान में उत्खनक श्री धरया सिंह की छंटनी करने की कार्रवाई वैध और न्यायोचित है? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?"

[सं. एल-29012/24/73-एल. आर.-4]

ORDER

New Delhi, the 31st December, 1973

S.O. 400.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to management of Dalmia Dadri Cement Limited, Charkhi Dadri and Shri Khub Chand Quarry Contractor of Messrs. Dalmia Dadri Cement Limited and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal with Shri O. P. Sharma as Presiding Officer with headquarters at Faridabad and refers the said dispute for adjudication to the said Industrial Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Dalmia Dadri Cement Limited Charkhi Dadri and of Shri Khub Chand Quarry Contractor of Messrs. Dalmia Dadri Cement Limited, Charkhi Dadri in retrenching Shri Darya Singh excavator in Khatiwas Quarry of Messrs Dalmia Dadri Cement Limited, Charkhi Dadri is legal and justified? If not, to what relief is the workman entitled?

[No. L-29012/24/73-LRIV]

आदेश

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1974

का. आ. 401.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स टिम्बल प्राईवेट लिमिटेड के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (संख्या 1), मुम्बई को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या मैसर्स टिम्बल प्राईवेट लिमिटेड के प्रबन्धतंत्र का अपनी खानों में नियोजित 83 कर्मकारों को पदच्युत करना न्यायोचित था? यदि नहीं, तो सम्बंधित कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं और किस तारीख से?

[सं. एल-29011/64/73-एल. आर.-4]

ORDER

New Delhi, the 21st January, 1974

S.O. 401.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs. Timble Private Limited and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal (No. 1), Bombay constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the management of Messrs. Timble Private Limited was justified in dismissing 83 workmen employed in their Mines? If not, to what relief are the concerned workmen entitled and from what date?

[No. L-29011/64/73-LR. IV]

आदेश

का. आ. 402.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स एम. पी. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि., बारादुआर की बारादुआर डोलोमाईट खान के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या मैसर्स एम. पी. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि., डाकघर बारादुआर, जिला बिलासपुर (मध्य प्रदेश) की बारादुआर डोलोमाईट खानों के कर्मकारों की डोलोमाईट तथा चूना-पत्थर खनन उद्योग संबंधी मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार मजदूरी की मांग न्यायोचित है? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं और किस तारीख से?"

[सं. एल-29011/23/73-एल. आर.-4]

एस. एस. सहस्रनामन, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 21st January, 1974

S.O. 402.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Baraduar Dolomite Mine belonging to Messrs. M.P. State Mining Corporation Limited, Baraduar, and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the demand of the workmen of Baraduar Dolomite Mines of Messrs M.P. State Mining Corporation Limited, Post Office Baraduar, District Bilaspur (Madhya Pradesh) for wages in accordance with the recommendations of the Wage Board for Dolomite and Lime Stone Mining Industry is justified? If not, to what relief are the workmen entitled and from what date?"

[No. L-29011/23/73-LRIV]

New Delhi, the 29th January, 1974

S.O. 403 In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Arbitrator, in the industrial dispute between the management of Kundara Clay Mines of Messrs Kerala Ceramics Limited, and their workmen represented by Ceramic Workers Association, Kundara and four others which was received by the Central Government on 18th January, 1974.

AWARD

(Under Section 10 A of the I.D. Act—
Act XIV of 1947).

IN THE INDUSTRIAL DISPUTE

BETWEEN

Kundara Clay Mines of

M/S. Kerala Ceramics Ltd., Kundara.

AND

ITS WORKMEN

Represented by

(i) Ceramic Workers Association.
(ii) Ceramic Workers Union.
(iii) Tiles and Ceramic Workers' Congress.
(iv) Kerala Ceramic Employees Federation,
(v) Kerala Government Ceramic Mining Workers Union.

By

ARBITRATOR

Shri. K.H. BALASUBRAMONIAM,
Joint Labour Commissioner,
Kerala State, Trivandum.

PARTIES AND REPRESENTATIONS

For the Management

By Shri. T. C. K. Pillai,
General Manager,
Kerala Ceramics Ltd.,
Kundara.

By Shri T.A. Majeed,
Mines Manager, The Kerala
Ceramics Ltd., Kundara.

For the Workmen

By Shri A. Bhargavan,
Secretary, Ceramic Workers
Association.

By Shri. A. Joseph, Vice-
President, Ceramic Workers
Union.

By Shri. T. Joseph, Secretary,
Tiles and Ceramic Workers
Congress.

By Shri. G. Thankappan Pillai,
Secretary, Kerala Ceramics
Employees Federation.

By Shri. A. Alocious, Secretary,
Kerala Government Ceramic
Mining Workers Union.

The Government of India in their Notification No. L. 29011 (35)/71-LR-IV dated 30-6-1972 have referred the following dispute between the Management of Kundara Clay Mines of M/s. Kerala Ceramics Ltd., Kundara and their workmen represented by the following Unions for my arbitration Secretary, Ceramic Workers Association, Vice-President, Ceramic Workers Union, Secretary, Tiles and Ceramic Workers Congress, Secretary, Kerala Ceramics Employees Federation, Secretary, Kerala Government Ceramic Mining Workers Union. The Specific matters referred for decision are—

(1) Whether the Managements' action in laying off the workers of Kundara Clay Mines from 3-2-1971 to 6-2-1971 was necessary and justificable.

(2) If so, how and in what manner should the amounts paid as advance for the lay off periods and amounts paid on 8-2-1971 be recovered.

As per the said notification written statements were obtained from all the parties concerned.

The case was posted for evidence of parties on 15-12-1972, 31-3-1973, 4-5-1973, 26-5-1973, 20-6-1973, 10-7-1973, 6-8-1973 31-8-1973 and 20-9-1973. During the hearing on 20-9-1973 both the parties submit that the issue at dispute has been compromised. The management submits that while maintaining that the lay off was justified and necessary, they are prepared to waive the recovery of the advance as a gesture of goodwill.

The Union expressed their concurrence to the offer of Management and assured against repetition of such acts. These assurances are recoreded and as such there is no subsisting dispute.

This Award shall become enforceable on the expiry of thirty days from the date of its publication Under section 17 of the Industrial Disputes Act.

Ordered accordingly.

Dated at Trivandrum this day the 11th of October 1973.

[No. L-29011/35/71-LR.IV]

K.H. BALASUBRAMONIAM,
Arbitrator (Joint Labour Commissioner)

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 1974

का. आ. 404.—यतः केन्द्रीय सरकार ने, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा अपेक्षित है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ङ) के उपखण्ड (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का. आ. 2241 तारीख 26 जुलाई, 1973 द्वारा पाइराइट्स खनन उद्योग में सेवा को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 22 अगस्त 1973 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था ;

और यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोक हित में उक्त कालावधि का 6 मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है,

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ङ) के उपखण्ड (6) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त सेवा को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 22 फरवरी, 1974 से 6 मास की और कालावधि के लिये लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. संख्या. एस-11025/3/74-एल. आर. I]

एस. एस. सहस्रनामन, अवर सचिव

New Delhi, the 30th January, 1974

S.O. 404.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required had, in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) declared by the notification of the Government of India in the then Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S. O. 2241 dated the 26th July, 1973 service in the Pyrites Mining Industry, to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months from the 22nd August, 1973.

And whereas the Central Government is of opinion that public interest requires extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said service to be a public utility service for the purposes of the said Act for a further period of six months from the 22nd February, 1974.

[F. No. S-11025/3/74-LR. I]

S. S. SAHASRANAMAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 1974

का. आ. 405.—केन्द्रीय सरकार, डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 5क की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 3805, तारीख 26 अक्तूबर, 1968 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, "केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य" शीर्षक के अन्तर्गत मद (4) से संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"उप यातायात-प्रबंधक, कांडला पत्तन न्यास, गांधीधाम।"

[सं. वी. 17012/1/72-पी एण्ड डी]

New Delhi, the 28th January, 1974

S.O. 405.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 5 A of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Employment No. S.O. 3805, dated the 26th October, 1968, namely :—

In the said notification, under the heading **"Members representing the Central Government"** for the entry relating to item (4), the following entry shall be substituted, namely :—

"The Deputy Traffic Manager, Kandla Port Trust, Gandhidham."

[No. V. 17012/1/72-P&D]

New Delhi, the 30th January, 1974

S.O. 406.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947, (14 of 1947) the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Bombay, in the industrial dispute between the employers in relation to management of Private Motor Launch Services, Bombay and their workmen, which was received by the Central Government on the 18th January, 1974.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY

Reference No. CGIT-2/8 of 1971

EMPLOYERS IN RELATION TO THE MANAGEMENT OF PRIVATE MOTOR LAUNCH SERVICES, BOMBAY

AND

THEIR WORKMEN

Present :

Shri N. K. Vani, Presiding Officer

Appearances :

For the Employers—Shri C. H. Bhedwar, Managing Director.

For the Workmen—Shri D. Y. Khelkar, General Secretary, Motor Launch Employees Association, Bombay.

Industry : Ports and Docks. **State** : Maharashtra

Bombay, dated the 3rd January, 1974

AWARD

PART-II

By Order No. L. 31011/4/71-P&D dated 28-10-1971 the Government of India, in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) referred to this Tribunal for adjudication an industrial dispute existing between the employers in relation to the managements of Private Motor Launch Services, Bombay mentioned in Schedule I and their workmen in respect of the matters mentioned in Schedule II as mentioned below :—

"SCHEDULE-I

1. Messrs Bombay Harbour Transport Company, Jeevan Jyoti, 1st Floor, Cawasjee Patel St., Bombay-1.

2. Messrs B. S. Toscano, Jeevan Jyoti, 1st Floor, Cawasjee Patel St., Bombay-1.

3. Messrs Bharat Launch Service, Jeevan Jyot, 1st Floor, Cawasjee Patel St., Bombay-1.

4. Messrs United Launch Service, Jeevan Jyot, 1st Floor, Cawasjee Patel St., Bombay-1.

5. Messrs Vensto Launch Service, Jeevan Jyot, 1st Floor, Cawasjee Patel St., Bombay-1.

6. Messrs Bombay Launch Service Private Limited, Ballard Pier Steps, Mole Station, Alexandra Dock, Bombay-1."

"SCHEDULE-II

Keeping in view the recommendations of the Central Wage Board for Port and Dock Workers, what should be the scales of pay and other service benefits for the employees of the Motor Launches of the employers mentioned in the Schedule-I above in the Bombay Port and Docks and from what date ?"

2. On the receipt of the reference, notices were issued to the six employers and the Union.

3. In pursuance of these notices, employers mentioned at S. No. 1 to 3, 5 and 6 filed their respective written statements. The Union also filed its written statement.

4. In this case I have given Part I award in respect of the dispute between the employers mentioned at S. No. 1 to 5 and their workmen on 28-11-1973 as mentioned below :—

"ORDER

(i) Award Part I in terms of Ex. 42/EW in respect of employers mentioned at S. No. 1 to 3 and 5 in Schedule I and their employees is made.

(ii) There is no award in respect of Messrs United Launch Service mentioned at S. No. 4 in the Schedule I as it is not in existence.

(iii) Settlement Ex. 42/EW is to form part of the award.

(iv) Reference be fixed for further hearing in respect of Messrs Bombay Launch Service Private Limited mentioned at S. No. 6 in Schedule I and its employees.

(v) Further orders are reserved."

5. After giving Award Part I this reference was fixed for hearing in respect of the dispute between the employers Messrs Bombay Launch Service Private Limited and its employees.

6. After taking some adjournment and entering into negotiations, there was settlement between Messrs Bombay Launch Service Private Limited and its workmen on 1-1-1974.

7. On 1-1-1974 Shri C. H. Bhedwar, Managing Director, Bombay Launch Services and Shri D. Y. Kelkar, Secretary, Motor Launch Employees Association have given application Ex. 48/EW alongwith settlement Ex. 49/EW praying that award be passed in terms of settlement.

8. Shri C. H. Bhedwar, Managing Director of the Bombay Launch Service Private Limited, Ex. 50/E, Shri D. Y. Kelkar, Secretary, Motor Launch Employees Association, Ex. 51/E, Shri J. K. Desai, Personal Officer, A. B. Cursetjee & Sons Pvt. Ltd., Ex. 52/E, Shri S. J. Mukadam Driver, Ex. 53/W admits their signatures on the settlement Ex. 49/EW. S/shri J.K. Desai and S. J. Mukadam had signed the settlement as witnesses. S/shri Bhedwar and Kelkar signed the settlement on behalf of the employer and workmen respectively. They speak about the terms of settlement and pray that award be passed in terms of settlement.

9. By this settlement Ex. 49/EW the employers agreed to pay interim relief to the employees as mentioned in para. 2(2) of the settlement. They also agreed to give different types of leave as mentioned in para. 2(3) of the settlement. They agreed that the settlement shall come into force with effect from 1-1-1972 and that the arrears due to the employees shall be paid within three months from the date of signing the settlement.

10. It is clear from the terms of settlement and the nature of dispute between the parties that this settlement is fair, and in the interests of the parties. It is also clear from the record that the settlement is voluntary and mutual. I, therefore accept this settlement and pass award Part II in terms of it.

11. In the end I pass the following order.

ORDER

(i) Award Part II in terms of settlement Ex. 49/EW in respect of the employers Messrs Bombay Launch Service Private Limited mentioned at S. No. 6 in Schedule I and its workmen is made.

(ii) Settlement Ex. 49/EW is to form part of this Award.

(iii) No order as to costs.

N. K. VANI, Presiding Officer

(Ex. 49/EW)

MEMORANDUM OF SETTLEMENT

PARTIES TO THE DISPUTE

1. Shri C. H. Bhedwar Managing Director of Messrs, Bombay Launch Service Private Limited, Bombay. —Representing Employers.

2. Shri D. Y. Kelkar General Secretary, Motor Launch Employees' Association—Representing Workmen

SHORT RECITAL

The parties mentioned above whereas agreed to discuss the matter pending before the Hon'ble Tribunal under CGIT/8 of 1971 in the matter of Revision of Scales of Pay and Service Benefits, etc., to the Motor Launch Employees reached the following settlement on the following terms after prolonged mutual discussions.

2. **Terms of settlement**

(1) It is agreed between the parties that whenever there is any Wage Board or any other Body set up by the Government for the consideration of the service conditions including the Scales of pay of the dock workers, both the parties will be bound to make representations before the said body and the decision of it will be binding on both the parties.

(2) The employers agree to pay an interim relief to the employees at the following rates to different categories of workmen. This interim relief shall be treated as part of basic pay for all purposes :

Khalasi, Lascar, Peon and other Allied categories Rs. 25 p.m.

Oilmen, Greaser, Seacunny and other Allied categories Rs. 30 p.m.

Driver, Sarang, Clerk and other Allied Categories Rs. 50 p.m.

(3) The employers agree to grant 20 days casual leave, 7 days sick leave and 30 days privilege leave to every employee instead of 21 days as at present provided that the increased leave is taken when the launch is laid up for survey. The employers further agree that should any employee desire to encash privilege leave due to him and not availed of by him, he will be allowed to do so.

(4) This agreement shall come into force with effect from January 1, 1972.

(5) The arrears due to the employees shall be paid by the employers within three months from the date of signing of this agreement.

(6) This agreement shall remain in force for Two years.

Signature of Parties

S/Shri

1. C. H. Bhedwar————sd/-
2. D. Y. Kelkar————sd/-

WITNESS :

(1) sd/-

(2) sd/-

Bombay, 1st January, 1974.

[No. L. 31011/4/71-P&D.]

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 1974

का. आ. 407.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में कलकत्ता पत्तन आयुक्तों, कलकत्ता, के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता को न्याय-निर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या कलकत्ता पत्तन की दो शुष्क गोदियों के अधीन कलकत्ता पत्तन आयुक्तों के कर्मकारों की दो शुष्क गोदियों में प्रत्येक के दस-दस, खलासियों को 6 रुपये प्रति कर्मकार, प्रति माह की दर से, विशेष भत्ता मंजूर करने की मांग न्यायोचित है ? यदि हां, तो कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?"

[संख्या एल-32011/11/73 पी. एंड डी]

वी. शंकरालिंगम, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 5th February, 1974

S.O. 407.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Calcutta Port Commissioners, Calcutta and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ;

And, whereas, the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta constituted under section 7A of the said Act.

"Whether the demand of the workmen of Calcutta Port Commissioners under two dry docks of Calcutta Port for grant of a special allowance at the rate of Rs. 6 per workman per month to ten lascars of each of the two dry docks is justified? If so, to what relief are the workmen entitled ?"

[No. L-32011/11/73-P&D]

V. SANKARALINGAM, Under Secy.

नई दिल्ली, तारीख 29 जनवरी 1974

का. आ. 408.—कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1947 (1947 का 32) की धारा (5) की उपधारा (5) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, वर्ष 1972-73 के खाते का विवरण सहित वर्ष 1973-74 के दौरान कोयला खान श्रमिक गृह और साधारण निधि के साधारण कल्याण खाते में हुई प्राप्ति और उससे हुए व्यय का निम्नलिखित प्राक्कलन, और वर्ष 1972-73 के दौरान उक्तनिधि के साधारण कल्याण खाते से वित्त पोषित कार्यकलापों की रिपोर्ट प्रकाशित करती है, अर्थात् :—

भाग I

1973-74 के दौरान प्राप्ति और व्यय का प्राक्कलन

साधारण कल्याण खाता

प्राप्ति	व्यय
3,53,79,000 रु०	*3,26,40,000 रु०

*इस व्यवस्था में 1,00,000.00 रुपये भी सम्मिलित हैं जो कि कोलियरी स्वामियों को औषधालय सेवाओं का स्तर मान ऊंचा करने के लिए दिया गया 'ऋण' है । इसमें निलम्बन के अधीन 16,40,000.00 रुपये भी सम्मिलित हैं जो कि अभी उन वसूलियों के ब्यौरों में दिखलाया गया है जिन्हें वित्तीय वर्ष के अन्त के पश्चात स्टाक और भण्डार से संबंधित संव्यवहारों को निभाने के लिए अनुदान मांगे । (1973-74) में हुए व्यय की कटौती करके खाते में समयोचित किया गया है ।

भाग II

वर्ष 1972–73 के लिए खाता-विवरण

साधारण कल्याण खाता

	प्राप्ति	व्यय
1. 1-4-1972 को प्राप्ति (—) रु०	64,81,900* रु०	
2 वर्ष के दौरान व्यय		(—)*3,15,11,500 रु०
3. वर्ष के दौरान प्राप्ति रु०	2,37,03,400 रु०	
4 31-3-1973 को अन्तिम शेष (—)		(—) 1,42,90,000 रु०
योग	1,72,21,500 रु०	1,72,21,500 रु०

इस व्यवस्था में 35,000 रुपये, सम्मिलित हैं जो कि कोलियरी स्वामियों को औषधालय सेवाओं का स्तरमान ऊंचा करने के लिए दिया गया 'ऋण' है और 18,75,000 रुपये भी सम्मिलित हैं जो कि ऐसे निलम्बित ऋण के बारे में है, सम्मिलित है, जो अन्तिम रूप दिए जाने तक स्टाक और भण्डार से संबंधित संव्यवहारों को निभाने के लिए है ।

टिप्पण : ऊपर दिखाए गए आंकड़े अनन्तिम हैं, क्योंकि 1972-73 का लेखा अभी महालेखापाल, बिहार द्वारा बन्द नहीं किया गया है ।

*पुनर्विचार किया जाना है ।

भाग III

1. **चिकित्सीय सुविधाएं**

(क) **अस्पताल** : तीन केन्द्रीय अस्पताल, धनबाद, आसनसोल और महेन्द्रगढ़ में एक-एक, और विभिन्न कोयलाक्षेत्रों में स्थित 12 क्षेत्रीय अस्पताल कार्य करते रहे । धनबाद, आसनसोल और महेन्द्रगढ़ के केन्द्रीय अस्पतालों की शैय्या संख्या क्रमशः 300, 350 और 50 है । चान्दा कोयला क्षेत्र में एक क्षेत्रीय अस्पताल और तालचर कोयला क्षेत्र में एन० सी० डी० सी० के अस्पताल में एक विशेषज्ञा वार्ड की व्यवस्था के बारे में सक्रिय रूप से विचार हो रहा था ।

(ख) **औषधालय** : कुल्टी कोयला क्षेत्र में एक एलोपैथिक स्थायी औषधालय, रामगढ़ कोयला क्षेत्र में एक चल-चिकित्सीय डाकक और विभिन्न कोयला क्षेत्रों में 29 आयुर्वेदिक औषधालय कार्य करते रहे । अपेक्षित आयुर्वेदिक औषधियों के विनिर्माण के लिए झरिया कोयला क्षेत्र में पथेरडीह में स्थापित आयुर्वेदिक औषधालय भी कार्य करती रही ।

(ग) **कुटुम्ब कल्याण और प्रसूति और बाल कल्याण केन्द्र** : इस संस्था के प्रत्येक क्षेत्रीय अस्पतालों से संलग्न कुटुम्ब कल्याण केन्द्र प्रचालन में रहे । इसके अतिरिक्त इस संस्था द्वारा विभिन्न कोयला क्षेत्र स्थानों में पहले से स्थापित 9 ऐसे कोयला क्षेत्र महिला स्वास्थ्य परिदर्शक के भारसाधन में स्वतन्त्र एककों के रूप में कार्य करते रहे । चंदा कोयला क्षेत्र के कोयला खान कर्मकारों के फायदे के लिए सरकारी अस्पताल चंदा से संलग्न ब्लॉक बराबर काम करता रहा ।

(घ) **औषधालय सेवाओं को सुधारने के लिए वित्तीय सहायता** : कोलियरी कर्म-कोलियरी कर्मकारों और उनके आश्रितों के फायदे के लिए कोलियरियों में कोलियरी प्रबन्धतंत्रों को औषधालय सेवाओं का स्तरमान सुधारने के लिए प्रोत्साहित करने के विचार से सहायतार्थ-अनुदान देने की स्कीम चालू रखी गई । कोयला खान के कर्मकारों को औषधालय सेवाएं प्रदान करने के लिए 7,28,411.52 रुपये की रकम दी गई । कोलियरी स्वामियों को अपने कर्मकारों के फायदे के लिए अधिक औषधालय सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय देने की स्कीम भी चलाई गई थी । इस वर्ष के दौरान कोलया खान स्वामियों को 12,03,453.05 रुपये की रकम दी गई ।

(ङ) **क्षयरोधी उपाय** : क्षय से पीड़ित कोलियरी कर्मकारों और उनके आश्रितों के इलाज के लिए इस संस्थान के अपने यक्ष्मा अस्पतालों में 312 शय्याओं की व्यवस्था के अतिरिक्त उनके लिए विभिन्न यक्ष्मा आरोग्याश्रमों में उनके लिए 61 शय्या आरक्षित रही । यक्ष्मा के गृहोपचर्मी वाला इलाज चलता रहा है और इस स्कीम के अधीन इलाज करवाने वाले यक्ष्मा रोगी को कार्यक्रम के अनुसार निर्वाह भत्ता दिया जाना भी चालू रहा । इस अवधि के दौरान इस स्कीम पर 7,67,994 रुपये खर्च किए गए । विभिन्न सेनिटोरियम प्राधिकारियों को वर्ष के दौरान 1,04,732 रुपये की शय्याओं के आरक्षण के लिए दी गई ।

(च) **परिवार नियोजन सेवाएं** : कोयला खान श्रम आवास और साधारण कल्याण निधि अस्पतालों में, तथा उस प्रयोजन के लिए विभिन्न कोयला क्षेत्रों में खोले गए क्लीनिकों में, परिवार नियोजन के बारे में मुफ्त सलाह दी जाती रही और मुफ्त निरोधक वितरण बराबर चलता रहा । कोयला खान स्वामियों को परिवार नियोजन के लिए, सहायक अनुदान की स्कीम बराबर प्रवृत्त रही । 5 स्थैतिक परिवार नियोजन, एकक तथा 3 चल-परिवार नियोजन एकक बराबर काम करते रहे ।

(छ) **पुनर्वास** : धनबाद और आसनसोल के केन्द्रीय अस्पतालों में से प्रत्येक के साथ संलग्न पुनर्वास केन्द्र कार्य करते रहे । मध्यप्रदेश कोयलाक्षेत्र में छिन्दवाड़ा मे पुनर्वास केन्द्र का उद्घाटन कर दिया गया और उसने कार्य करना आरम्भ कर दिया है । पश्चिमी बंगाल में सिद्धवाड़ी में पुनर्वास-एवं-रोगनिवृत्तालय आरम्भ करने का प्रश्न सक्रिय विचाराधीन है ।

(ज) **अन्य चिकित्सकीय कार्यकलाप** : चिकित्सकीय और लोक स्वास्थ्य की दिशा में संस्था के अन्य क्रियाकलाप ये है :—कैंसर, कोढ़ और मानसिक रोगों के इलाज के लिए सुविधाओं की व्यवस्था, धनबाद और आसनसोल के केन्द्रीय अस्पताल में रक्त बैंक चलाना, कर्मकारों को ऐनकों और कृत्रिम दन्तावली का मुफ्त प्रदाय, मलेरिया और फिलेरिया नियंत्रक कार्य, आदि, आदि ।

2. **शैक्षिक और आमोद-प्रमोद विषयक सुविधाएं** :

(क) इस प्रयोजन के लिए महत्वपूर्ण क्रियाकलापों को प्रकाश मे लाने वाले कुछ सुसंगत आंकड़े नीचे दिये गए है :—

(i) बहुउद्देशीय संस्थान	60
(ii) प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	60
(iii) महिला कल्याण केन्द्र	61
(iv) पोषक प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	152
(v) कोलियरी कर्मकारो के बच्चों को छात्रवृत्ति	546
(vi) विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए छात्रावास	2
(vii) अवकाश-गृह	2

(ख) **खेलकूद और क्रीड़ा** : कोयला खान के कर्मकारों के मनोरंजन के लिए प्रत्येक वर्ष खेल-कूद और क्रीड़ाओं का आयोजन किया जाता है । इस वर्ष के दौरान विभिन्न खेल-कूद और क्रीड़ाओं के आयोजन के लिए 44,000 रुपये की रकम खर्च की गई थी ।

(ग) **अन्य क्रियाकलाप** : इस संबंध में उपबन्धित अन्य सुविधाओं में

(1) शैक्षिक संस्थाओं को सहायतार्थ अनुदान,

(2) कोयला खनिकों के लिए क्रीड़ा और खेलकूद की व्यवस्था,

(3) फिल्मों का प्रदर्शन,

(4) बच्चों की शिक्षण फीस और शिक्षा-भत्ते का अनुदान,

(5) कोलियरी कर्मकारों को जो खानों में दुर्घटना से मर जाते हैं पत्नियों और विद्यालय जाने वाले बच्चों को वित्तीय व्यवस्था के लिए व्यवस्था, आदि आते हैं ।

3. **जल-प्रदाय** : वर्ष के दौरान जल प्रदाय स्कीमों पर 9,19,593 रुपये की रकम खर्च की गई । यह संस्था, यथास्थिति, कोलियरी प्रबन्धतंत्रों और अन्य निकायों को कोयलाक्षेत्रों में जल-प्रदाय स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए संवीक्षित व्यय के कुल खर्चे पर 50 प्रतिशत तक की सीमा तक जलप्रदाय स्कीम में यथाविहित रूप में सहायतार्थ-अनुदान देती रही ।

कुओं का खोदा जाना : 50 प्रतिशत सहायकी की स्कीम के अधीन अब तक पूरे इस वर्ष कोई भी कूंआ नहीं खोदा गया खोदे गए कुओं की संख्या 266 है । सहायकी के रूप में 22,318 रुपये की रकम वर्ष के दौरान विभिन्न कोयला क्षेत्रों में कुंएं खोदने के लिए खर्च की गई ।

4. **सहकारी आन्दोलन** : इस वर्ष कोई भी नए प्राइमरी स्टोर, सहकारी क्रय्य सोसायटी और थोक/केन्द्रीय सहकारी स्टोर नहीं खोले गए । पुनरीक्षित कलावधि के अन्त में कोलियरी कर्मकारों के सहकारी स्टोर और प्रत्यक्ष सोसायटियों की संख्या 574 रही । संगठन द्वारा चलाए जाने वाले 12 थोक या केन्द्रीय सहकारिता भण्डार भी थे ।

[संख्या जेड-160 16/4/73-एम II]

बी० के० सक्सेना, अवर सचिव,

New Delhi, the 29 January, 1974

S.O.408—In pursuance of sub-section (5) of section (5) of the Coal Mines Labour Welfare Fund Act, 1947 (32 of 1947), the Central Government hereby publishes the following estimates of receipts into and expenditure from the General Welfare Account of the Coal Mines Labour Housing and General Welfare Fund during the year 1973-74 together with a statement of the account for the year 1972-73 and a report on the activities financed during the year 1972-73 from the General Welfare Account of the said Fund, namely:—

PART I

Estimates of Receipt and Expenditure during 1973-74
General Welfare Account

Receipt	Expenditure
Rs. 3,53,79,000	*Rs. 3,26,40,000

*Provision includes Rs. 1,00,000 being 'Loan' to the Colliery Owners for raising the standards of dispensary services. This also includes Rs. 16,40,000 under 'Suspense' which has at present been shown in the details of recoveries adjusted in accounts in reduction of expenditure in the Demands for Grants (1973-74) to accommodate transactions relating to stock and store after the close of the financial year.

PART II

Statement of Account for the year 1972-73
General Welfare Account

Receipt		Expenditure
1. Opening balance as on 1-4-1972.	(—)Rs. 64,81,900/-	Under reconciliation.
2. Expenditure during the year.	—	*Rs. 3,15,11,500/-
3. Receipt during the year	Rs. 2,37,03,400/-	—
4. Closing balance as on 31-3-1973.	—	Rs. 1,42,90,000/-
	Rs. 1,72,21,500/-	Rs. 1,72,21,500/-

*Provision includes Rs. 35,000/- being 'Loan' to colliery owners for raising the standard if dispensary services and Rs. 18,75,000/- 'Suspense Purchase' to accommodate transactions relating to stock and stores pending finalisation.

N.B: The figures shown above are provisional as the account for 1972-73 has not yet been closed by the Accountant General, Bihar.

PART III

1. Medical Facilities.

(a) **Hospitals :** The 3 Central Hospitals, one each at Dhanbad, Asansol and Manendragarh and 12 Regional Hospitals situated indifferent Coalfields continued to function. The bed strength of the Central Hospitals at Dhanbad, Asansol and Manendragarh is 300, 350 and 50 respectively. The question of establishment of a Regional Hopsital in Chanda Coalfield and provision of a specialised ward with the National Coal Development Corporation's Hospital in Talchar Coalfield was under active consideration.

(b) **Dispensaries:** One allopathic Static Dispensary in Mugma Coalfield, one Mobile Medical Unit in Assam Coalfield and 29 Ayurvedic Dispensaries in various Coalfields continued functioning. The Ayurvedic Pharmacy set up at Patherdih in Jharia Coalfields to manufacture the required ayurvedic medicines also continued to function.

(c) **Family Welfare and Maternity and Child Welfare Centres:** A Family Welfare Centre attached to each of the Regional Hospitals of the Organisation remained in operation. Besides, 8 such centres already established by the Organisation in various coalfield areas also continued to function as independent units under the charge of qualified Lady Health Visitors. For the benefit of the colliery workers in the Chanda coalfield, the block attached to the Government Hospital, Chanda, continued to function.

(d) **Financial assistance for improving Dispensary Services:** With a view to encouraging the colliery management for improving the standard of dispensary at the collieries for the benefit of colliery workers and their dependents, the scheme for the payment of grant-in-aid was continued. A sum of Rs. 7,28,411.52 was paid to the colliery owners during the year for providing medical facilities to the colliery workers. In order to encourage the colliery owners to provide more dispensary services for the benefit of their workers, the scheme of payment of financial assistance was also continued. A sum of Rs. 12,03,453.05 was paid to the colliery owners during the year.

(e) **Anti-T.B. Measures :** For the treatment of colliery workers and their dependents suffering from T.B. besides provision of 312 beds at the Organisation's own T.B. Hospitals, 61 beds remained reserved for them in different T.B. Sanatoria. The Scheme of Domiciliary T.B. Treatment continued to function and payment of subsistence allowance to the T.B. patients undergoing treatment under the Scheme also continued to be made according to schedule. A sum of Rs. 7,67,994/- was incurred on this Scheme during the period. For reservation of beds, a sum of Rs. 1,04,732/- was paid during the year to the various sanatorium authorities.

(f) **Family Planning Services :** Free advice on family planning continued to be given and contraceptive supplied free of cost at the Coal Mines Labour Welfare Fund's Hospitals and at the clinics opened for the purpose in various coalfields. The scheme for the payment of grant-in-aid to the colliery owners for the family planning work continued to be in force. The 5 Static Family Planning Units and 3 Mobile Family Planning Units remained in operation.

(g) **Rehabilitation :** The Rehabilitation Centres attached to each of the Central Hospitals at Dhanbad and Asansol continued to function. The Rehabilitation Centre at Chhindwara in Madhya Pradesh Coalfield was inaugurated and started functioning. The question of commissioning the Rehabilitation-cum-Convalscent Home at Sidhabari in West Bengal Coalfield remained under active consideration.

(h) **Other Medical Activities:** Other important activities of the Organisation on the Medical and Public Health side were: Provision of facilities for the treatment of Cancer, Leprosy and Mental Cases, running of Blood Bank at the Central Hospitals, Dhanbad and Asansol, free supply of spectacles and dentures to the workers, Malaria and Filaria control operation etc. etc.

2. Educational and Recreational Facilities:

(a) Some relevant statistics high-lighting the important activities on this account are given below:—

(i) Multipurpose Institutes . . .	60
(ii) Adult Education Centres . . .	60
(iii) Women Welfare Centres	61
(iv) Feeder Adult Education Centres. . .	152
(v) Scholarship to the children of Colliery workers	546
(vi) Boarding Houses for school going children .	2
(vii) Holiday Homes	2

(b) **Games and Sports :** Games and sports are held every year to provide recreation to colliery workers. During the year, for organising various games and sports a sum of Rs. 44,000/- was spent by the Organisation.

(c) **Other Activities:** Other important facilities provided in this connection comprise (1) grant-in-aid to the educational institutions, (2) provision for games and sports amongst coal miners, (3) exhibition of films, (4) grant of tuition fees and children education allowance, (5) provision for financial assistance to the wives and school-going children of colliery workers who die of accident in mines etc. etc.

3. Water Supply:

During the year, a sum of Rs. 9,19,593/- has been spent on water supply schemes. The organisation continued to pay grant-in-aid as prescribed in the Water Supply Scheme up to 50% on the total cost of scrutinised expenditure, as the case may be, to the colliery managements and other bodies for implementation of water supply schemes in the coalfield areas.

Sinking of Wells: No wells, under the scheme of 50% subsidy, were sunk. Total number of wells so far completed is 266. A sum of Rs. 22,318/- was paid as subsidy to the colliery managements for sinking of wells in different coalfields during the year.

4. Cooperative Movement:

No new Primary Stores, Credit Co-operative Societies and Wholesale/Central Co-operative Stores were opened during the year. The total number of co-operative Stores and Credit Societies of colliery workers at the end of the period under review stood at 574. There were also 12 Wholesale or Central Co-operative Stores sponsored by the Organisation.

[No. Z.16016/4/73-M.II]

B.K. SAKSENA,
Under Secy.

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1974

का. आ. 409.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री पी. जी. शेट्टी को उक्त अधिनियम और किसी स्कीम और उसके अधीन विरचित कुटुम्ब पेंशन स्कीम के प्रयोजनों के लिये केन्द्रीय सरकार के या उसके नियंत्रणाधीन किसी स्थापन के संबंध में या किसी रेल कम्पनी, महापत्तन, खान या तेल क्षेत्र या नियंत्रित उद्योग से संबंधित किसी स्थापन के संबंध में या ऐसे स्थापन के संबंध में जिसके एक से अधिक राज्य में विभाग या शाखाएं हों, सम्पूर्ण आन्ध्र प्रदेश राज्य के लिए निरीक्षक नियुक्त करती है।

[संख्या ए-12016(2)/72-पी. एफ. 1]

New Delhi, the 25th January, 1974

S.O. 409.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby appoint Shri P. G. Shetty to be an Inspector for the whole of the State of Andhra Pradesh for the purposes of the said Act, and the Scheme and the family pension Scheme framed thereunder in relation to any establishment belonging to, or under the control of the Central Government or in relation to any establishment connected with a railway company, a major port, a mine or an oilfield or a controlled industry or in relation to an establishment having departments or branches in more than one State.

[No. A-12016/2/72-PF. 1]

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1974

का. आ. 410.—यतः केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि भारत सरकार के संचार विभाग, डाकतार बोर्ड से सम्बद्ध डाक और तार मोटर सर्विस कर्मशाला, मुम्बई के कर्मकारों को, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) के अधीन उपबंधित प्रसुविधाएं सारतः प्रसुविधाएं प्राप्त हैं ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) संख्या का. आ. 1726, तारीख 5 मई, 1972 के क्रम में कर्मचारी राज्य बीमा निगम से परामर्श करने के पश्चात्, ऊपर वर्णित कारखाने को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 15 जनवरी, 1973 से 14 जनवरी, 1974 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित हैं, एक और वर्ष की अवधि के लिए छूट देती है।

[फा. सं. एस-38014 (59)/73-एच. आई.]

New Delhi, the 29th January, 1974

S.O. 410.—Whereas the Central Government is satisfied that the employees of the Posts and Telegraphs Motor Service Workshop, Bombay, belonging to the Government of India in the Department of Communications, Posts and Telegraphs Board, are otherwise in receipt of benefits substantially similar to the benefits provided under the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 1726, dated the 5th May, 1972 the Central Government, after consultation with the Employees' State Insurance Corporation, hereby exempts the above mentioned factory from the operation of the said Act for a further period of one year with effect from the 15th January, 1973 upto and inclusive of the 14th January, 1974.

[F. No. S-38014/59/73-HI]

का. आ. 411.—यतः पंजाब राज्य सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के खण्ड (घ) के अनुसरण में श्री जोगेन्द्र सिंह, सचिव, पंजाब सरकार, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन विभाग, को श्री एस. एस. परमार के स्थान पर, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत यथा स्थापित कर्मचारी राज्य बीमा निगम में उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया है ;

अतः अब, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का. आ. 2763, तारीख 27 मई, 1971 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में "राज्य सरकारों द्वारा धारा 4 के खण्ड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट" शीर्षक के नीचे मद 19 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायेगी, अर्थात् :—

"श्री जोगेन्द्र सिंह,
सचिव, पंजाब सरकार,
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन विभाग,
चण्डीगढ़."

[फाईल संख्या यू-16012/1/74-एच. आई.]

S.O. 411.—Whereas the State Government of Punjab has, in pursuance of clause (d) of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), nominated Shri Joginder Singh, Secretary to the Government of Punjab, Health and Family Planning Department to represent the State of Punjab on the Employees' State Insurance Corporation established under sub-section (1) of section 3 of the said Act, in place of Shri S. S. Parmar;

Now, therefore, in pursuance of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation No. S.O. 2763, dated the 27th May, 1971, namely :—

In the said notification, under the heading "(Nominated by State Governments under clause (d) of section 4)", for the entry against item 19, the following entry shall be substituted namely :—

"Shri Joginder Singh,
Secretary to the Government of Punjab,
Health and Family Planning Department, Chandigarh".

[F. No. U-16012(1)/74-HI]

का० आ० 412.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा (1) की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 3 फरवरी, 1974 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं) और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उप-धारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं) के उपबन्ध कर्नाटक राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे अर्थात् :—

जिला	तालुक	हुबली	ग्राम
चित्रादुर्गा	दावांगेरे	अनागोड	थोलाहुन्से

[एस-38013/26/73-एच० आई०]

दलजीत सिंह, अवर सचिव

S. O. 412.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 3rd February, 1974 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following area in the State of Karnataka, namely:—

District	Taluk	Hubli	Village
Chitradurga	Davangere	Anagod	Tholahunse

[S.38013/26/73-HI]

DALJIT SINGH, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-6, 1974